राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या 9

शुक्रवार

दिनांक 12 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

बाड़मेर जिले में स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण

240. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में चयनशुदा बेरोजगारों में से कितनों को बैंक से ऋण अब तक प्राप्त हो गया है और कितनों को प्राप्त नहीं हुआ है और क्यों ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत चयन एवं ऋण की राशि स्वीकृत करने की क्या कोई प्रक्रिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या चयन की प्रक्रिया और ऋण स्वीकृति में विलम्ब एवं अनियमितता किये जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) बाड़मेर जिले में 753 चयनित बेरोजगारों में से मार्च 1985 तक 272 व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हो चुका है। बैंक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूरी नहीं करने अथवा बैंकों द्वारा अपने लक्ष्य पूरे कर लिये जाने के कारण 481 व्यक्तियों को ऋण वितरित नहीं किया गया।

(2) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऋण स्वीकृत हेतु प्रार्थियों का चयन करने

[redacted]

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लिये एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति द्वारा प्रार्थियों का साक्षात्कार के द्वारा चयन किया जाता है। चयनित व्यक्तियों की सूची मय स्वीकृत की जाने वाली-राशि की सिफारिश के जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित बैंक शाखा को भिजवाई जाती है जिनके सम्बन्ध में बैंक द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाता है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 753 व्यक्तियों का सलेक्ट कमेटी ने चयन किया और 272 व्यक्तियों को ऋण की सुविधा मिली तो। अध्यक्ष महोदय, फिर इतने लोगों का चयन क्यों किया गया जब इतने लोगों को ऋण देना ही नहीं था ? 753 बेरोजगार हैं वे सुवह से शाम तक बैंक वालों के चक्कर लगाते रहते हैं और बैंक वाले उचित जवाब नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बैंक वालों को पैसा मिलता है तो उसको तो ऋण दे देते हैं और जो पैसा नहीं देते हैं वे चाहे जितने ही चक्कर काटते रहें,, उनको पैसा नहीं मिलता है। क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं या केवल बैंक की ही इच्छा काम में आती है ?

दूसरा, जो चयन समिति बनी हुई है, इसके कौन-कौन सदस्य हैं, किसकी कमेटी है ? इसके अलावा जो पहले चयन समिति बनी हुई थी जिसमें जिला प्रमुख थे लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया, ऐसा क्यों किया ? पहले उसमें जन प्रतिनिधि थे तो ध्यान रखा जाता था। अब केवल सरकारी अधिकारी हैं वे अपनी मन मर्जी से चाहे जिस का चयन करें, चाहे जिसका चयन नहीं करें और जिसको चाहे उतना लोन दे दें, किसी को 25 हजार दे दिया और किसी को पांच हजार का ही लोन दिया। रोजगार के लिये क्या वह पांच हजार रुपये में काम कर सकता है ? वह तो यूं ही ले लेता है और काम धन्धा नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिस चयन समिति के लिये कहा गया है क्या उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको भी सरकार चाहे, वह भले ही एक मैम्बर हो, कम से कम पहले जो था उसको वापस सम्मिलित करने का विचार रखती है जिससे अधिकारी मनमानी नहीं कर सकें और भ्रष्टाचार नहीं हो सके ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्वरोजगार स्कीम का प्रश्न सामने आया है, स्वरोजगार स्कीम बहुत अच्छी है परन्तु इसमें जो चयन किया गया है वह गलत किया गया है। उसमें भ्रष्टाचार होता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, बैंक स्तर पर ही वह कमेटी है। तो उसमें प्रधान, जिला प्रमुख या अन्य कोई जन प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाय ताकि सरकार का कन्ट्रोल इस बारे में रह सके। माननीय मन्त्री महोदम को मैं आगाह करता हूं कि ऐसा अवश्य कर दें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। वास्तव में बैंक वाले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जिससे पैसा लेते हैं उसी को लोन देते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार योजना के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया उसमें सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि केन्द्र सरकार ने अलग-अलग राज्यों का कोटा निर्धारित कर रखा है कि इतने व्यक्तियों को इतने महीने में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिलाया जाय। चयन समिति चयन कर लेती है ग्रौर उसका सार काम बैंक के पास भेज देती है इनको लोन दिया जाय। अब बैंक फिजीकल वेरीफिकेशन करेगी और फिर रिपोर्ट करेगी कि वह काम सही है या नहीं। तो इस काम में 6-6 महीने लग जाते हैं। जितना कोटा केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अलाट करती है और जितने लोगों का चयन किया जाता है उतने लोगों को समुचित पैसा मिले, एक तो यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा बिजली का कनेक्शन व मशीनों के बारे में। बैंक आधा पैसा तो दे देती है और कहा जाता है कि मशीनें वगैरह लगावो, बिजली के कनेक्शन वगैरह लगावो। बिजली बोर्ड कई दिनों तक डिमान्ड नोटिस निकालता नहीं। तब तक बैंक उनको आधा पैसा नहीं देता है। तो यह समस्या है।

तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही जन प्रतिनिधियों को शामिल करने की, वह भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एन. आर. ई. पी. में गावों में लोग रखा रखे हैं उसी प्रकार इस चयन समिति में भी जिला प्रमुख, प्रधान को लिया जाय ताकि निश्चित रूप से ऋण ठीक प्रकार से मिल सके।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न पर जन प्रतिनिधियों को जोड़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक यह है कि जिन लोगों को जो लोन देते हैं उससे वे कोई धन्धा करते हैं या नहीं। यह भी एक देखने की बात है। रुपया तो ले लेते हैं फिर वे धन्धा ही नहीं करते हैं। उनको धन्धे से सम्बन्धित कोई जानकारी ही नहीं होती है। उनको व्यापार की कोई गाइड लाइन नहीं मिलती है। इसलिये कोई एसी ऐजेन्सी भी कायम करे जो उनको गाइड लाइन दे सके क्योंकि व्यापार करना कोई आसान काम थोड़े ही है। बिजनेस करने के लिये कोई ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जो निश्चित रूप से उनको गाइड कर सके। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को 25 हजार देना स्वीकृत होता है, उसके बाद 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार देते हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि पहले दुकान लें, फर्नीचर लगावें? अध्यक्ष महोदय, उसको पहले फर्नीचर पर ही 5-7 हजार रुपये लगाने पड़ते हैं तो फिर वह किस प्रकार धन्धा कर सकता है? माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि

(श्री चम्पालाल बांठिया)

25 हजार जो स्वीकृत होता है उस 25 हजार में से दूसरे इक्विपमैंट्स के प्रावधान को हटाकर उतना पैसा उनको दिलाया जायेगा ।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है क्या यही है कि जैसलमेर में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक जगह का तो सवाल इसमें नही आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : उन लोगों को धन्धा लगाने के लिए मना कर दिया कि कोई इण्डस्ट्री नहीं लग सकती है इसलिए वे लोग परेशानी में हैं ।

एक प्रश्न और है, बैंकों के बारे में बाड़मेर जिले में कुछ शिकायतें आई हैं प्रार्थियों की ओर से कि लोन देने के अन्दर हमसे पैसे मांग रहे हैं । इन शिकायतों के ऊपर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बता दें ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत जो ऋण दिया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या कितनी है ? अधिकांश जनता, 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । मेरा सवाल यह कि क्या माननीय मन्त्री महोदय जो इस काम के लिए पैसा देंगे उसमें 80 प्रतिशत पैसा गांवों के लिए ईयरमार्क करेंगे ?

दूसरा मेरा सवाल यह है माननीय मन्त्री महोदय से कि लोन स्वीकार हो जाता है उसके बाद भी बैंक वाले यह कह कर कि यह प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, वापस कर देते हैं, यह क्यों होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि....

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं, प्रश्न पूछिये ।

श्री अब्दुल अजीज : प्रश्न यह है कि करीब सौ व्यक्ति मकराना के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न को पढ़िये, प्रश्न स्पेसिफिक एक जगह के लिए है, सारे मकराना के बारे में मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा । जनरल कोई पूछना चाहें तो पूछलें, मकराना के बारे में बात नहीं होगी ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं जनरल ही पूछ रहा हूं । औद्योगिक दृष्टि से जो ऋण बेरोजगारों को दिया जाता है उसकी सही रूप से उपलब्धि हो उसके लिए बिजली अति आवश्यक है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा खयाल है, माननीय सदस्यों को पता है लेकिन मैं निवेदन कर देता हूं कि यह सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है, हम तो सिर्फ इसको लागू करने के लिए, एक्जीक्यूट करने के लिए एक एडवाइजरी रूप में इसके साथ हैं। जो टास्क फोर्स है, जैसा माननीय हेमारामजी ने पूछा था, उस टास्क फोर्स में जनरल मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सैंटर के और चेयरमैन अपेक्स बैंक के, डिस्ट्रिक्ट एम्पलायमेंट आफिसर और काटेज इन्डस्ट्रीज के रिप्रेजेण्टेटिव हैं। अब इसमें जन प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं वह सेंटर का डिसीजन है हम उनको रिकमण्ड कर सकते हैं। एक बार पहले भी ऐसी रिकमण्डेशन गई थी लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय हुआ नहीं है।

अभी माननीय घनश्यामजी ने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं कि यह सेल्फ एम्प्लायमेंट की फेसिलिटी दी है। उसमें फेसिलिटी तो हम प्रोवाइड कर देते हैं इसके बाद फार्मेलिटीज कम्पलीट करना हैं जैसे बिजली का कनेक्शन देना है उसमें देरी हो जाती है। हम उसको एक्सेडाइट करने के लिए जो एजेंसी है उससे लाइजन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज आफिसर आर. एस. इ. बी. को कह सकता है कि आप जल्दी करिये। अब यह आर. एस. ई. बी. पर डिपेंड करेगा कि वह प्राथमिकता देगी या नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिनका चयन हो जावे उनको प्राथमिकता दी जाय, इसके लिए तो राज्य सरकार कहेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं जरूर कहूंगा। मैंने पहले भी कहा है, उसको फिर रिट्रेट कर देंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि 25 हजार का लोन देते हैं उसमें 15 हजार रुपया देकर फिर कहते हैं कि फर्नीचर है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि कुछ फार्मेलिटीज तो बोनाफाइडी प्रूव करने के लिए करनी पड़ती है। आखिर 25 हजार के खिलाफ बैंक ने 15 हजार दे दिया, कोई पर्चेजेज हुई या नहीं, इसकी रेस्पॉंसिबिलिटी उन लोगों पर आयेगी। इसलिए बोनाफाइडी प्रूव करने की यह प्रक्रिया है वह होनी चाहिएं। इसमें हम किसी प्रकार का इण्टरफियरेंस नहीं कर सकते।

माननीय गोविन्दसिंहजी ने पूछा है उसका मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह रेश्यो को ध्यान में रखा होगा 80-20 का और चयन समिति इसको लागू करती है। आपको पता है कि इसमें प्रावधान है कि 16 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट को देना है। कुछ मापदण्ड तो उन्होंने रखे ही होंगे।

अजीज साहब ने प्रश्न उठाया उसका वही मुद्दा है जो घनश्यामजी ने उठाया। मैं और डिपार्टमेंट्स को अर्ज कर दूंगा।

माननीय भंवरलालजी साहब ने फरमाया एजूकेशन का तो मेरा ख्याल है

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कि चयन समिति जिनका इण्टरव्यू लेती है वह सोच समझ कर ही सलेक्शन करती होगी कि अगले को थोड़ा बहुत तो पता होगा। सैल्फ एम्पलायमेंट में अपने आपको एजूकेट करना पड़ता है, अपने आपको ज्ञान देना पड़ता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर यह बिजनेस चलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के तीसरे भाग का जो जवाब दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : आप बहुत जिद् कर रहे हैं। आपने पहले प्रश्न पूछ लिया। आप पहले ही पूछ लेते साथ के साथ।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : प्रश्न के तीसरे भाग का....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न को 15 मिनट हो गए हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। पहले हेमारामजी प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : प्रश्न के तीसरे भाग में....

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है आप पूरा एक घण्टा लगाइये, एक प्रश्न में।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : ये कांग्रेसी तो हमारा टाइम ऐसे ही बर्बाद करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है आप खूब पूछें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठें।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने प्रश्न के तीसरे भाग में यह पूछा था कि विलम्ब और अनियमितता की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपके पास शिकायतें हैं तो मन्त्री महोदय को दे दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : कई मामलों में में लोग मन्त्री महोदय से मिले हैं, मैं खुद

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिला हूं, कई बार शिकायत हो चुकी है और आप कहते हैं कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को प्राप्त नहीं हुई है, आप उनको दे दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : राज्य सरकार को जब शिकायतें भेजते हैं तो वे कहते हैं कि प्राप्त नहीं हुई तो हम अगर यहां पर नहीं पूछ सकते...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। नेक्स्ट, 241।

खेल स्टेडियमों का रख रखाव

241. श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने स्टेडियम निर्मित हैं व कितने निर्माणाधीन हैं ?

(2) इनके देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने किसको सौंप रखी है ?

(3) इस वर्ष स्टेडियमों के लिए कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई है ?

राज्य, मन्त्री, खेल (श्री छोगाराम बकोलिया) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन किया है।

श्री शोपतसिंह : It is a very simple question.

श्री अध्यक्ष : मेरे पास चिट्ठी आई है वह मैं पढ़ देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : जाने दीजिए साहब।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया। नेक्स्ट, 242, श्री माणक डाणी।

ब्यावर कस्बे में आवास मण्डल की योजना

242. श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर में आवासन मण्डल की योजना के तहत किस-किस आय वर्ग में कितने कितने पंजीकरण किये गये हैं तथा किस-किस श्रेणी के कितने-कितने मकान बनाने की योजना है ? अब तक किस-किस श्रेणी के कितने-कितने मकान बन चुके हैं एवं कितने मकान बनाने शेष हैं ? वे कब तक पूरे हो जायेंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त निर्माण कार्य में लगी सामग्री निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है ? क्या कभी इसकी कोई जाँच की गई ? यदि हाँ, तो कृपया जाँच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें। घटिया सामग्री लगाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या भविष्य में आवासन सम्बन्धी और कोई योजना ब्यावर के लिए विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसको कब तक लागू किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवासन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) आवासन मण्डल की ब्यावर आवासीय योजना के तहत विभिन्न आय वर्गों के 1264

(आवासन मन्त्री)

आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया था जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

उपरोक्त पंजीकृत आवेदकों में से विभिन्न आय वर्गों के 635 मकानों की स्कीम हुड़को द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है दिनांक 12-4-84 को और 118 मध्यम आय वर्ग व उच्च आय वर्ग के मकानों की एक और स्कीम स्वीकृति हेतु हुड़को को दिनांक 16-5-85 को भेजी गई है। अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। 286 मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए बन रहे हैं, कार्य प्रगति पर चल रहा है और आवास माह दिसम्बर 85 तक पूर्ण हो जायेंगे। इसके अलावा विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए योजना तैयार की जा रही है जो आने वाले तीन-चार महीनों में तैयार होने पर हुड़को को भेजी जायेगी।

(2) आवासन मण्डल के निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार समय-समय पर जांच की जाती है तथा ब्यावर में तकनीकी परीक्षण द्वारा जो टेस्ट किया गया है वह परिशिष्ट 'ख' पर है। जांच के अनुसार सभी लिए गये 301 नमूने सही पाये गये।

(3) ब्यावर में आवासन मण्डल के पास 90·01 बीघा भूमि है अतः मांग के अनुसार मकान बनाये जा सकेंगे और योजना हाथ में ली जा सकेगी।

; वरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री माणक चन्द डाणी : इसको कब लागू कर रही है ? मेरे एक दो पूरक प्रश्न हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या यह मकान ठेकेदार द्वारा बनाये जा रहे हैं ? यदि ठेकेदार द्वारा बनाये जा रहे हैं तो इसके ठेके कब दिये गये ? किन-किन अखबारों के माध्यम से इनके टेण्डर कब-कब हुए ? इसमें जो आपने मिश्रण का अनुपात बताया है, 1 : 8 का मसाला लगाया गया है इसकी जाँच रिपोर्ट माँगी है। उसकी सदन को जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा यह जो मकान बनाये गये हैं, यह मकान चिनाई के निर्धारित मापदण्ड कैंची व हैदर के द्वारा बनाने चाहिये थे क्या वह लगाकर बनाये गये हैं या खड़े पत्थर से चिनाई की गई है ? यह मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। इससे मकान ढहने का खतरा है। क्या नयी योजना ब्यावर में प्रारम्भ की जा रही है ? क्या इस हेतु आप वापस नये पंजीकरण करेंगी या जो पहले पंजीकरण किया गया है उन मकानों को पूर्ण किये जाने की योजना है ? कृपया इस बारे में भी जानकारी कराने का कष्ट करें। इस हेतु अगर और भूमि अवाप्त की गई है तो इस बारे में आपके पास जानकारी उपलब्ध हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। उसके अन्दर जो सामग्री का समय पर परीक्षण किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं भी पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेण्डर आमन्त्रित किये जाकर यह कार्य करवाया जाता है। उसी के अनुसार 1984 में जो योजना मन्जूर हुई थी उसका काम जारी है। जैसा मैंने आपसे कहा, अल्प आय वर्ग के मकानों का काम जारी है उनके टेण्डर लिए जाकर काम शुरू किया हुआ है। शायद कुछ महीनों में यह बनकर तैयार हो जायेंगे। एक आम पद्धति है उसके मुताबिक टेण्डर लेते हैं, उनको अप्रूव करते हैं। जो आपको शिकायत है उसके बारे में निवेदन है एक आध भी नहीं, 301 नमूने लिये गये हैं। जिस कैटेगरी के वह नमूने पाये गये हैं, जिस प्रपोर्शन में मैटीरियल मिला कर लगाना चाहिए, जिस ढंग से काम होना चाहिए उसकी सारी रिपोर्ट लिखी हुई है। उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ओरिजिनल रिपोर्ट भी आप देखना चाहेंगे तो उसमें भी यही परिणाम निकलेगा। इसलिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जहाँ तक बाकी मकानात बनने हैं, उस पुरानी योजना के जो शेष रह गये हैं उनके लिए टेण्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं। टेण्डर आने के बाद वह काम प्रारम्भ किया जायेगा। जो योजना स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है उसकी शायद जल्दी ही स्वीकृति आ जायगी। उसको भी इस साल के अन्त तक प्रारम्भ करने का इरादा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमजान खां। 4–5 सवाल पूछ लिए आपने।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार ने आवासन मण्डल को कुछ निर्देश दिये हैं, कृषि भूमि मकान बनाने के लिए अवाप्त की जाती है इसका क्या मापदण्ड रखा गया है, इसके बारे में जानकारी दें।

(व्यवधान)

छोटी सी एक अर्ज करना चाहता हूँ। कृषि भूमि में चार-चार फसल होती है बगीचे लगे हुए हैं, खेती बो रखी है। चार-चार फसल हो सकती हैं उसको भी आप अवाप्त कर रहे हैं। क्या उसको अवाप्त करने का अधिकार आवासन मण्डल को राज्य सरकार ने दे रखा है? इस बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : माननीय मन्त्री महोदय कृपा करके यह बतायें, 1224 पंजीकरण हुए हैं उसमें अल्प आय वर्ग के गृह निर्माण हेतु 335 प्रार्थना-पत्र आपके पास पंजीकृत है। 335 में से 266 मकान ही आपने क्यों बनाये जब कि हुडको ने आपको 335 मकानों के लिए ऋण स्वीकृत किया था?

दूसरा, यह मकान आपको कब तक बना कर देने थे और विलम्ब का क्या कारण है? नम्बर दो।

तीसरा, जो 301 नमूने टैस्ट करवाये, यह किस लेबोरेटरी से टैस्ट करवाये, उसकी क्या रिपोर्ट आयी? क्या आप स्वयं इस बात को महसूस करती हैं कि आवासन मण्डल जो मकान बना रहा है, वह सारे के सारे आज की तारीख में लेबोरेटरी टैस्ट के विपरीत बना रहा है? उसका जितना मैटीरियल है वह रद्दी है, कण्डम है। हर व्यक्ति यह महसूस करता है एक ही मुक्के में मकान टूट जाता है। इस प्रकार की रिपोर्ट पी. यू. सी. के तत्कालीन चेयरमैन ने भी दी है? मन्त्री महोदय,

(श्री दाऊदयाल जोशी)
301 में से 301 नमूने पास हो जायं क्या आपको यह आश्चर्यजनक महसूस नहीं होता ?

श्री माणक चन्द डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा इसमे जवाब नहीं आया। मैंने मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाही थी कि यह जो मकान बनाये जा रहे हैं, निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कैंची व हैदर लगा कर बनाये जा रहे हैं या खड़े पत्थर की चिनाई करके बनाये जा रहे हैं ? मसाले का जो मिश्रण है उसका, सेन्टर की जो लेबोरेटरी अजमेर के अन्दर है क्या उससे परीक्षण कराया गया है ? अगर नहीं तो, क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात जो माननीय सदस्य ने पूछी, यह सही है कि जब पूरी योजना हुड़कों ने स्वीकृत की तो थोड़े मकान क्यों हाथ में लिये गये। और बाकी क्यों नहीं लिये गये। आम तौर पर व्यवस्था यह है, हुड़कों जो पैसा देता है वह एडवांस में नहीं देता है। जितना पैसा एक क्वार्टर पर खर्च कर देते हैं उसको एक तरह से रिएम्बर्समेंट के तौर पर देते रहते हैं। आवासन मण्डल के पास पैसे की इफरात न होने के कारण यह सारी योजना एक साथ न लेकर कुछ काम उसने पहले प्रारम्भ किये हैं जो इस साल के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। कुछ कामों के लिए टेण्डर ले रहे हैं। इन मकानों की टैस्टिंग का, जहाँ तक लेबोरेटरी टैस्टिंग का सवाल है, कोई यह ब्यावर की लेबोरेटरी है उससे टैस्टिंग कराया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नाम ?

श्रीमती कमला : वह लेबोरेटरी अगर स्टेण्डर्ड की नहीं है और उसने 100% सही कर दिया, आप जो कह रहे हैं मुझे भी कुछ अजीब सा लगा 100% सभी "अ" श्रेणी के लिखे हैं, 100% जो फाइंडिंग है वह "अ" श्रेणी की लिखी है, मैंने भी इनको कहा मुझे इस टैस्टिंग में कुछ कमी नजर आती है। अभी आपने पूछा, ब्यावर में कोई लेबोरेटरी है उससे इन्होंने जाँच करायी है, उसका हम दूसरी अजमेर की जो स्टेण्डर्ड की लेबोरेटरी है उससे लेबोरेटरी टैस्ट करा कर सही परिणाम दे सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदया, कृपा करके बतायें, इस प्रकार की गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए आपके यहाँ एक कमेटी का गठन किया हुआ है ? यदि हाँ, तो उस कमेटी में कौन-कौन टैक्नीकल व्यक्ति हैं ? क्वालिटी कन्ट्रोल कमेटी में एक भी व्यक्ति टैक्नीकल नहीं है। वह क्वालिटी कन्ट्रोल कमेटी राजस्थान में····

(व्यवधान)

टैस्ट करने जाती है। तो कृपा करके यह बतायें, क्या क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए आपके यहाँ कमेटी बनी हुई है ? उसने इस लेबोरेटरी टैस्ट के तहत कोई जाँच की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माणक चन्द डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह जानकारी चाही थी, मैं दो बार पूछ चुका हूँ मकान बनाने का सिस्टम क्या है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या सिस्टम बताऊँ अचानक से। आप या तो पूछो स्पेसिफिकली कि इसका सिस्टम खड़े पत्थर का है या आड़े पत्थर का है या कैंची का है, या भाले का है, कायका है। आप वह पूछो तब तो मैं बताऊँ। अचानक आप पूछो तो मैं कहाँ से बताऊँ।

श्री अध्यक्ष : 243.

शाहजहाँपुर (अलवर) में प्रसूति गृह की व्यवस्था

243. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार के पास ग्राम शाहजहाँपुर जिला अलवर में प्रसूति गृह के निर्माण की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव विधाराधीन है? यदि हां तो, उस पर कब तक निर्णय लिया जाकर निर्माण कार्य करा दिया जायगा?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रसूति गृह हेतु किसी स्थानीय व्यक्ति ने भवन निर्माण कराने हेतु अनुमति चाही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे स्वीकृति देने का विचार रखती है?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया)—(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वापस पढ़िये।

श्री छोगाराम बकोलिया : (1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हाँ। दो दानदाताओं द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। प्रसूति गृह खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही इसके भवन निर्माण की स्वीकृति देने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का यह दूसरे नम्बर का कस्बा है और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर प्रसूति गृह बनाने के लिए जैसा आपने फरमाया कि दो दानदाताओं ने राज्य सरकार से मंजूर के लिए निवेदन किया है। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि यह भवन तैयार हो जाय, प्रसूति गृह निर्माण हो जाय इसके लिए आप विधान सभा में आश्वासन दें कि सरकार इसकी मंजूरी देगी ताकि दानदाता के पीछे पड़ कर भवन का निर्माण कराने में सार्थक हो सकें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर इसकी स्वक्रीति दे सकते हैं। दोनों दानदाताओं जगदीशप्रसाद कट्टा और रामकुमार उमाशंकर द्वारा 23–7–85 को भवन निर्माण के लिए एप्लीकेशन दी है लेकिन प्रावधान होने पर ही स्वीकृति दी जा सकती है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए यदि दानदाता अपनी ओर से इसे दो वर्ष के लिए चलाने के लिए स्वीकृति और प्रदान करदें तो उनको एक महीने के अन्दर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री सुजान सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक साल तो लग जाएगा भवन बनने में, अगले वित्तीय वर्ष में इसका

(12)

(श्री सुजान सिंह यादव)

प्रावधान होगा तो मन्त्री महोदय इसका एश्योरेंस दें ताकि निर्माण कराया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने तो बताया है कि दो वर्ष की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये दो वर्ष कैसे इंतजार करेंगे।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के अनुसार हम इन एंटीसिपेशन कोई भी स्वीकृति के लिए नहीं कह सकते हैं। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अलवर जिले में चार प्रसूति गृह काम कर रहे हैं जबकि पूरे राजस्थान के अन्दर कुल मिलाकर 111 प्रसूति गृह हैं। 85 शहरी क्षेत्रों में हैं और 26 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 26 में से 4 अलवर जिले में हैं। खेडली मण्डी, बानसूर, किशनगढ़वास और बहरोड़ में हैं। इसके बाद में अगर प्रावधान नैक्स्ट ईयर में होगा तो इस जिले के लिए चार आलरेडी दिऐ हुए हैं इसलिये मुमकिन नहीं होगा। डूंगरपुर और उदयपुर में कोई प्रसूति गृह नहीं है इसलिए पहले उन पर विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, दानदाताओं को तैयार किया है तो 2 साल के लिए और प्रावधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न 244

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्यमन्त्री जी ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री खंगारसिंह चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

ग्राम पंचायत नगर फोर्ट के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

244. दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगर फोर्ट पंचायत समिति देवली जिला टोंक के भूतपूर्व सरपंच श्री रतनलाल के विरुद्ध तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा थाना नगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नही किया गया।

(श्री दिग्विजय सिंह)

थी ? उसमें क्या कारण व तथ्य दर्शाये गये थे ? यदि हां, तो कब ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्किल आफिसर टोंक ने जान बूझ कर फाइनल रिपोर्ट देते हुए अदालत में चालान पेश कर दिया ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या निर्णय हुआ ?

पंचायत मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) :

(1) जी हां, आडिट रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नगर फोर्ट के लेखों में गंभीर अनियमितताएं, गबन एवं धन का दुरुपयोग पाये जाने पर एफ. आई. आर. दि. 20-11-78 को दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, पुलिस विभाग द्वारा दि. 19-1-84 को अदम सबूत में एफ. आर. लगा दी है। अत: अदालत में चालान प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि आपने प्रश्न के पहले पैरा में कहा कि "जी हां,", गम्भीर अनियमितता पाई गई और दूसरे में कहा कि अदम सबूत में एफ. आर. लगा दी। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि गबन मिला। जिसमें सरपंच का डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट है। 15 हजार का गबन किया और सब मिला कर 62 हजार का किया। तो क्या मन्त्री महोदय दुबारा जांच करवा कर जिलाधीश को निर्देश देंगे कि चालान पेश करने के लिए आदेश दें ताकि तफतीश दुबारा करके चालान पेश किया जाय।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि फाइनल रिपोर्ट, एफ. आर. की क्या पोजीशन है ? क्या अदालत में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन पेश की ? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन के लिए कागजात आए हों और आपने मन्जूरी भी दे दी हो और एफ. आर. नहीं भेजी गई हो ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने जो बिन्दु उठाए हैं, बी. डी. ओ. साहब द्वारा 20.11.78 को एफ. आई. आर. दर्ज कराने के बाद पुलिस के सामने विटनेसेज हाजिर नहीं हुए होंगे या किसी कारणों से या....

(व्यवधान)

उनकी जो कार्यवाही हुई, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में उन्होंने एफ. आर. दी। हमको जैसे ही इसकी खबर मिली तो जिलाधीश को हमने सूचना भेज दी कि

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

इसमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कर लें और उसके बाद जो कोई कार्यवाही करनी हो कर लें।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, This is very serious allegation, गंभीर अनियमितता पाई गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,। आपके पीछे प्रश्नकर्ता खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि पुलिस के सामने कोई एवीडेंस नहीं है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने कहा शायद नहीं आई हो।

श्री दिग्विजयसिंह : आप आडिट पार्टी की रिपोर्ट देखिये, तत्कालीन सरपंच की मौजूदगी में आडिट कराई गई, उनकी मौजूदगी में गबन पाया गया फिर क्या एवीडेंस बाकी रह गई ? यह सारी मिलीभगत है, मैं चाहूंगा कि दुबारा से ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : आप एफ. आई. आर. दुबारा दर्ज कर चालान पेश करायें जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी दे दी, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : किस बात की ?

श्री दिग्विजय सिंह : प्रोसीक्यूशन करने की।

(व्यवधान)

पंचायत एक्ट के तहत पहले सैंक्शन [illegible] के है....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शोपतसिंह जी जोश में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट मिली सन् 77 में और रिपोर्ट मिलते ही हमने इसकी इन्क्वायरी कराई। उसमें गबन मिला तो एफ. आई. आर. दर्ज करवादी। उसके बाद में जो कोई आगे कार्यवाही करनी है डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी परमिशन दे दी। उसके बाद पुलिस ने एफ. आर. दे दी।

श्री शोपतसिंह : फिर आप काहे के लिए बैठे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : What do you mean ? When the matter was serious, जैसे ही हमें पता पड़ा कि एफ. आर. लग गई तो हमने कलेक्टर को वापिस सूचना भेजी है कि इसमें किस किस अधिकारी ने सहयोग नहीं दिया, पता लगा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करना जरूरी हो तो करवावें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सन्तुष्ट हूं लेकिन अब एफ. आर. तो दे दी गई उसको री-ओपन करने के लिए परमिशन देवें। आपने कहा है कि डिपार्टमेंटली जांच करेंगे।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बनिए की दुकान तो है नहीं, बहुत ही सीरियस बात है कि एक बी. डी. ओ. ने सरपंच के खिलाफ एफ आई. आर. पुलिस में दर्ज कराई कि इतने रुपये खा गया और हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि बिना एवीडेंस के....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ कारणों से....

श्री शोपतसिंह : कुछ कारण क्या रहे ? क्या थानेदार ने रिश्वत ली ? एक गवर्नमेंट का मामला है, एक बी. डी. ओ. एफ. आई. आर. दर्ज कराता है क्या यह मामूली बात है ?

(व्यवधान)

एक आदमी पकड़ा जाय गबन में, वह काबू में नहीं आये, पुलिस उसको छोड़ दे। राजीव गांधी के ये इरादे थे Clean Administration. This is not the definition of clean Administration.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आप दोनों एक दूसरे से पहले तय कर लें, बाद में कह देना कौन बोलेंगे। आर्डर प्लीज। श्री लालचंद।

श्री रामचन्द्र जाट : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय इस पूरी राशि को ग्राम पंचायत एक्ट के तहत वसूली करवाने का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने लालचंद जी को कहा है। कृपया बैठें। कृपया बैठें। मैंने लालचन्द जी को कहा है प्रश्न पूछने के लिए।

श्री लालचन्द (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रोसिजर यह है कि जांच करने के बाद जब पुलिस यह जान जाती है कि केस चलाना काबिल है तब सरकार से चालान करने को परमिशन लेती है। चालान करने की परमिशन लेने के बाद पुलिस एफ. आर. कैसे लगाती है, यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह जांच का विषय है। जांच करने की परमिशन का सवाल है, चालान करने की परमिशन....

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जाट : आर्डर प्लीज 70 हजार के करीब राशि के गबन का मामला है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 70 का नहीं, 15 हजार का है।

श्री रामचन्द्र जाट : क्या मन्त्री महोदय, यह कार्य कार्यवाही करवायेंगे कि रकम की

(16)

(श्री रामचन्द्र जाट)

वसूली ग्राम पंचायत एक्ट के तहत की जायेगी ? अगर गबन किया गया है तो क्या यह राशि वसूल की ? क्या विकास विभाग ने इस तरह की कोई कार्यवाही की कि यह रकम वसूल की जाय सरपंच से ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री खेमराज कटारा।

श्री खेमराज कटारा : प्रश्न 245

भू-जल वैज्ञानिक

245. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण)) : क्या भूजल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में भारी जल संकट होने के उपरांत भी भू-जल विभाग द्वारा निदेशक का पद समाप्त किये जाने के क्या कारण थे ?

(2) भू-जल वैज्ञानिकों के अब कुल कितने पद हैं ? प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए भूजल वैज्ञानिक के नये पद सृजित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

राज्य मन्त्री, भू-जल (श्री छोगाराम बकोलिया) : राज्य सरकार के आदेशानुसार विभागीय आयोजना/आयोजना भिन्न व्यय में मितव्ययिता करने हेतु उक्त पद समाप्त किया गया था।

(2) विभाग में भू-जल वैज्ञानिकों के कुल 60 पद हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पानी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए, वस्तुतः कुछ नये पद सृजित करने की निःसन्देह आवश्यकता रही है, किन्तु वित्तीय प्रावधान की कमी के कारण इन पदों का सृजन नहीं हो सका। अब इस पर पुनः विचार किया जायेगा।

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि निदेशक का पद समाप्त करने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : बताया दिया प्रश्न के उत्तर में। आर्डर प्लीज। नैक्स्ट।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : कृपया अंगुली नहीं बतायें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा कि डायरेक्टर का पद समाप्त किया। आप सब, मैं भी महसूस करता हूँ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भू-वैज्ञानिकों के पद नये सृजित होने चाहिए। आप हैड को भी नहीं चाहेंगे, हैड रहे नही तो ऐसा विभाग क्या काम करेगा ? मितव्ययता तो नीचे होनी चाहिए। आपने डायरेक्टर के पद को एबालिश करने का बहाना बनाया है। यह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में पद स्थापित नहीं हो पा रहा है, राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है उसके लिए यह डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना से मैं सहमत हूं। चूंकि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 1983 के अन्दर मितव्ययता लाने के लिये डायरेक्टर का पद एबालिश किया था, 13 नये पद सृजित करके। उस साल में 7·20 लाख की बचत की गयी थी, लेकिन अब डिटेल सर्वे करना हमारा जरूरी है। 8 प्लान हैं, अण्डर ग्राउण्ड वाटर का सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। हमें पूर्व में इस भूमिगत जल से लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किये जाने की सम्भावना थी लेकिन अब इस समय वर्तमान में केवल मात्र 16 लाख हेक्टेयर की भूमिगत जल से सिंचाई कर रहे हैं। इसलिए डिटेल सर्वे करके हम उसका मैक्जीमम दोहन करना चाहते हैं जिससे कि 30 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सके। टैक्निकल स्टाफ की और आवश्यकता पड़ेगी, डिटेल के लिए जरूरत पड़ेगी इसलिए अब पुनः इसके लिए विचार करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि यह पद इसलिये समाप्त किया गया कि निदेशक ने नागौर, भीलवाड़ा और पाली में हैण्ड पम्पों की जांच की और जांच करने के बाद रिपोर्ट दी कि इन हैण्ड पम्पों की खुदाई में बहुत जबर्दस्त घोटाले हुए हैं, वह रिपोर्ट पेश होने के तुरन्त बाद उस पोस्ट को खत्म किया गया ?

श्री छोगाराम बकोलिया : ऐसी जानकारी मुझे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी क्या यह एक तथ्य है। इसी सदन में आरोप लगाये गये, इसी सदन में कमेटी अपाइन्ट की गई उसके बाद उस डायरेक्टर को....

श्री छोगाराम बकोलिया : यह जानकारी आपने मुझे दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो नये-नये आते रहेंगे, इन्फार्मेशन दें या नहीं दें लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : आदेश दे दिये हैं। आदेश में यह लिखा नहीं है तो मन्त्री महोदय जवाब कैसे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मैं बताता हूं।....

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। 1983 के आर्डर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सरकार भी जानती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि भविष्य में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पद को हटाने की जिम्मेदारी आपकी है। उस समय मामला उठा हैण्ड पम्प का, कमेटी अपाइन्ट की और वे निदेशक उस कमेटी के मेम्बर थे, उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नतीजा यह है। अपन दोनों बचा नहीं सकते और सरकार ने उसको सैट कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय मन्त्री महोदय, मैं एक प्रश्न करता हूं। भविष्य में सरकार फिर मितव्ययता कर रही है तो सरकार की मितव्ययता के बारे में हैड पोस्ट को समाप्त करना जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष : पुनः विचार की बात कह दी है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल दृष्टि से हैड आफ दी डिपार्टमेंट का होना आवश्यक है, मैं मानता हूं। इसलिये इस पर पुनः विचार करवाने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भैरुलाल भारद्वाज।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि भूजल वैज्ञानिकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। कई वर्षों से ये पद रिक्त पड़े हैं। उसके लिए मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भूजल वैज्ञानिकों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पद रिक्त हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था लेकिन मैं बता सकता हूं, हमारे पास कुल जो 60 भूजल वैज्ञानिक हैं उनमें से अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक- 5 हैं, वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक-11 व कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक-44 हैं।

श्री अध्यक्ष : भैरुलाल भारद्वाज।

जमवा रामगढ़ में भू-संरक्षण

246. श्री भैरुलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—क्या कृषि विभाग के भू-संरक्षण यूनिट को जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में नदी नालों से हो रहे अत्यधिक कृषि भूमि कटाव की जानकारी है ? यदि हाँ, तो इसके निर्धारण हेतु इस यूनिट द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ? नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : यह है कि जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र से नदी नालों से हो रहे भारी कटाव के बारे में भू-संरक्षण इकाई जयपुर को पूरी जानकारी है। भू-संरक्षण इकाई जयपुर द्वारा जमवारामगढ़ तहसील के 17 भू-संरक्षण कार्य कराये जा चुके हैं। उसमें 11 जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में आते हैं। इन 17 कार्यों में से 4 कार्यों के प्रस्ताव इस वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत वितरण कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये जिनमें से सिर्फ एक कार्य की स्वीकृति जुलाई, 1985 में प्राप्त हुई। भू-संरक्षण इकाई जयपुर नॉन डी. पी. ए. पी. एरिया होने के कारण विभाग के पास भू-संरक्षण कार्यों को करवाने के लिए इतनी

(कृषि मन्त्री)

बड़ी का राशि प्रावधान नहीं होता। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि उपलब्ध होने पर इन अन्य कार्यों के स्वीकृत करवाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जांच कराई कि जमवारामगढ़ में अधिकतर भूमि का कटाव होता है उसके बाद 17 योजनाओं, जिनमें से 11 जमवारामगढ़ की हैं, में से केवल 4 मन्जूरी के लिए भेजी जिसमें से एक मन्जूर हुई। एक भेजी है वह शुरु हो गयी क्या? उसका काम शुरू हुआ क्या?

दूसरी बात, यह कहते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी राशि नहीं है इसलिये काम नहीं कर पायेंगे। इतना बड़ा कृषि का, भू-संरक्षण का, जमीन के कटाव को रोकने का काम है। कटाव होता जा रहा है। भूमि कटाव की वजह से न केवल जमीन कटी जा रही है बल्कि पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि बड़ी राशि नहीं है। इतना बड़ा आपका कृषि विभाग है, इतना बड़ा बजट है आपका स्वयं कृषि विभाग यह कहता है इसमें आफिसर ज्यादा हैं, मातहत कम हैं केवल आफिसर के लिए विभाग करोड़ों रुपये खर्च करेगा? यह रचनात्मक काम जो भूमि कटाव को रोकना है, इस राशि को उधर कन्वर्ट करने का विचार रखती है?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ तहसील के इलाके के अन्दर जो खेती बन्द हुई है इस भूमि कटाव की वजह से क्या इस बारे में कोई कदम उठाने का सरकार के द्वारा कोई आश्वासन देंगे?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : यह बात बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र में इतना कटाव हो रहा है उसके कारण से सभी प्रकार की बरबादी हो रही है। पानी का स्तर भी गिर रहा है, खेती योग्य जमीन भी बरबाद हो रही है। काफी समय से इस बारे में बड़ी चिन्ता से कहा जा रहा है लेकिन फिर भी कोई प्रभावशाली उपयोगी योजना इस क्षेत्र के लिए नहीं बन पाती। पूर्व में एक पाबन्दी ऐसी लगायी हुयी थी भारत सरकार की कि जब तक 50 प्रतिशत लघु और सीमांत कृषकों का क्षेत्र उसमें नहीं जुड़े तब तक आप इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते थे इसलिए बहुत कम काम हुआ। फिर डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम के अन्तर्गत इसको लिया गया। किसी एरिया को प्राथमिकता नहीं दी गयी। मामूली बजट पूरे स्टेट का इसमें रखा। अब दिसम्बर, 84 के अन्दर भारत सरकार से इस शर्त को रिलेक्स कराया गया है इसके बाद आपकी जितनी योजनायें सर्वे शुदा हैं उनमें जो प्राथमिकता के आधार पर ली जाने वाली योजनायें हैं, माननीय सदस्य से चर्चा करके जितना बजट प्रावधान अधिकाधिक सम्भव होगा शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आप इन भू-सर्वेक्षण यूनिट्स का हर साल कार्यक्षेत्र चेंज करते हैं? होता यह है कि यूनिट्स

(श्री नाथूसिंह)

पेपर पर काम करती है। कागज पर कार्यवाही की नकली कार्यवाही पूरी करते हैं और वहां पर किसी तरह का कार्य नही होता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप उन्होंने कितना कार्य किया, जो फण्ड्स उनको दिये उसका कितना क्या किया इसके लिए कोई एजेंसी बनायेंगे कि वह इस तरह काम नहीं करे। भारद्वाजजी ने कहा कि अफसर ही हैं और किसानों को लाभ नहीं होता है....

श्रीमती कमला : कोई विशिष्ट कार्य के लिए यदि किसी को लगाया गया हो और पैसा खर्च हुआ हो और काम नहीं हुआ तो मैं जांच करा सकती हूं।

श्री नाथूसिंह : पूरे जिले में हो रहा है।

श्रीमती कमला : ऐसे वेग में देखने से काम नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : जमवा रामगढ़ को देखलें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी, जैसा अभी बताया कि 17 स्थानों पर सर्वे किया है, आपको मालूम है कि गांव के गांव कट गये है एक गांव के दो हिस्से हो गये हैं। अब तो माननीय सदस्य को आश्वासन दिया कि आपसे पूछकर योजना बनायेंगे, यह तहसील में जो सर्वे कराया है उसमें 6 ग्राम जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के आ रहे हैं क्या उन गांवों पर भी कोई ध्यान दिया जायेगा या पक्षपात किया जायेगा ? या जैसी अभी घोषणा की ऐसी घोषणा कर सकेंगी ?

श्री अध्यक्ष : आपके लिए पक्षपात नही है।

श्रीमती कमला : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने पूछा था उनको जवाब देना था अब आप पूछ रही हैं तो आपके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगी, आपको मालूम है कि लखपतियाबाद गांव के दो टुकड़े हो चुके हैं। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि मांडल में भयंकर स्थिति है। जमवारामगढ़ क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आये पानी से सीधा कटाव होता है।

श्रीमती कमला : मैंने पूरा जमवारामगढ़ क्षेत्र देखा है। मेरे पास जानकारी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिये। रामगढ़ से जो कटाव बढ़ता रहा है उस भूमि को तो बचाया जा सकता है उसके साथ साथ पानी को भी रोककर सिंचाई के भी उपयोग में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लाया जा सकता है। इस तरह की योजना बनायेंगे ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी भू-संरक्षण के लिए रिफेंसिग का कार्य किया जाता है तो वहां पर एनीकट बनाकर ही उनको रोका जाता है। तो बरसात में पानी तो स्वतः ही भरता है जिससे सिंचाई भी हो सकती है और लिफ्ट इरिंगेशन भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

परिवार कल्याण शिविरों में सुविधायें

247. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक वर्ष में परिवार नियोजन/नसबन्दी कराने वाली महिला व पुरुषों को दी गयी औषधि की कीमत कितनी थीं तथा औषधि किस कम्पनी की थी ?

(2) परिवार कल्याण शिविर में नसबन्दी के लिये प्रति केस कितने रुपये के हिसाब से राज्य कोष से उठाये जाते हैं तथा प्रति केस शिविर स्थान पर क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं और पिछले एक वर्ष में कहां-कहां इस प्रकार के शिविर लगाये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

राज्य मन्त्री चिकित्सा (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) प्रत्येक नसबंदी कराने वाले पुरुष पर 15/-रु. की एवं महिला पर केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 25/-रु. की औषधियों के बजट का प्रावधान है। यह औषधियां संबंधित उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) द्वारा उनकी जरूरत के अनुसार सैक्रेटरी, स्टोर परचेज आर्गनाइजेशन से अनुमोदित कम्पनियों से नियमानुसार क्रय की जाती हैं।

(2) उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) प्रति केस या शिविर के हिसाब से राजकोष से रुपये नहीं उठाते। अलग-अलग अधिकारियों को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस कार्य हेतु ए सी बिल से 10 से 30 हजार रुपये तक एक बार में उठाने के अधिकार प्रदत्त हैं। प्रति नसबन्दी केस को नियमानुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया जाता है—

	केन्द्र	राज्य	भोजनार्थ	योग
पुरुष नसबन्दी	100/-	40/-	10/-	150/-
महिला (परम्परागत)	100/-	40/-	30/-	170/-
महिला (दूरबीन)	100/-	30/-	30/-	160/-
मोटीवेटर को	--	15/-	—	15/-

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा)

इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही के आदिवासी सब प्लान क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को 150/-रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अलग से राशि दी जाती है। शिविर स्थल पर नसबन्दी, एन. टी. पी. मल मूत्र एवं रक्त जांच की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। गत वर्ष लगाये गये शिविरों की पूर्ण सूचना संकलित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मैंने इसमें मांगी थी आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि वह सूची मुझे नहीं दी गयी है। मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अधूरा है। कह रहे हैं कि संकलित की जा रही है।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो आप कहते हैं कि डाक्टर 10 से 30 हजार रुपये लेकर जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूँगा माननीय मन्त्री जी से कि राजस्थान में झुंझुनूं में और दूसरी जगहों के भी ऐसे उदाहरण हैं जहां फर्जी बिल बनाकर पैसे बांटकर डाक्टर खा जाता है। इसकी शिकायतें भी आयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इस तरह की कितनी शिकायतें आयी है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और जिम्मेदारी किस की है?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायतों के बारे में प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा था फिर भी माननीय सदस्य ने जो झुंझुनू के बारे में जिक्र किया है मैं यह देखूंगा कि यदि उनमें किसी प्रकार की शिकायतें हैं और शिकायतों में कोई तथ्य होगा तो उस पर कार्यवाही करूंगा।

जहाँ तक प्रश्न सूची का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉन्क्रीट जो सूचना चाही थी वह दी है। जिलों में अलग-अलग शिविर के बारे में ऐसा है, कई शिविर तो राज्य सरकार द्वारा लगाये जाते हैं और कई प्राइवेट लगाये जाते हैं तो प्राइवेट के बारे में पूरी सूचना नहीं होने से माननीय सदस्य को मैं गुमराह नहीं करना चाहता था इसलिए वह सूचना संकलित करने का निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नीलिमा शर्मा।

श्रीमती नीलिमा शर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह जो शिविर लगाये जाते हैं केवल एक सप्ताह या 15 दिन के लिए लगाये जाते हैं तो जब ये समाप्त हो जाते हैं तो उनका कोई फालोअप होता है या नहीं? जो केस बिगड़ जाते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या यह जिम्मेदारी उन्हीं चिकित्सकों की होती है जो आपरेशन करते हैं? तो क्या चिकित्सक वापस जाते हैं? खास तौर से पिछड़े इलाकों में जहाँ के निवासी बड़े अस्पतालों में नहीं जाते हैं, यह किसकी जिम्मेदारी है? इसका फालोअप होता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नैक्स्ट प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री के लिए खड़ी हुई थीं ना ?

माननीय मन्त्री महोदय ।

(व्यवधान)

ऑर्डर-ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिविर लगाने के बाद आपरेशन खत्म होने के बाद निःसन्देह उनका फालोअप किया जाता है। हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पूरी जानकारी डाक्टर और स्टाफ करता है फिर भी, कई जगह कुछ इस तरह की सूचना आती है कि केसेज बिगड़ गये हैं तो बिगड़ने के केसेज जब कभी ध्यान में आते हैं तो निःसन्देह पूरी कार्यवाही करते हैं। जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

(12.00 म. प.)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें । प्रश्नकर्ता ।

श्री नवरंगसिंह : आपकी मार्फत से, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि इतनी इनफार्मेशन नहीं दी गयी है कि सारे राजस्थान के तमाम जो नसबन्दी करने वाले अफसर हैं, सारे राजस्थान के····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण न दें। प्रश्न पूछ लें, कृपया ।

श्री नवरंगसिंह : इसलिए मन्त्री महोदय मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहता हूँ कि प्रश्न को स्थगित किया जाय क्योंकि अधूरी सूचना आयी है जैसा खुद माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, निराधार आरोप को मैं मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

एक माननीय सदस्य : एक सप्लीमेंटरी····

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। कोई सप्लीमेंटरी नहीं । कृपया बैठें । जवाब दिलवा दूँगा मैं आपको । केवल जवाब दिलवा दूँगा । सप्लीमेंटरी अलाऊ नहीं करूँगा ।····

सुश्री पुष्पा जैन : स्थगित कर दीजिए फिर ।

श्री अध्यक्ष : और कोई दूसरा सवाल नहीं है । कंडीशन्स जो हैं····

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ । माननीय सदस्या, सहयोग करें, कृपया ।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर माननीय सदस्य। स्थान प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप उत्तर तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। बैठें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान कैनाल के दो प्रश्न मेरे आये। दोनों माननीय मन्त्री महोदय ने स्थगित करा दिये हैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उसी से सम्बन्धित सवाल है····

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लेंगे उस दिन सवाल। उस दिन सवाल जब आयेगा मैं आपको अलाऊ कर दूँगा। आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा का मास्टर प्लान

290. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा नगर के मास्टर प्लान में कब-कब और क्या-क्या परिवर्तन किये गये? यदि हां तो परिवर्तन किन कारणों से किये गये?

(2) क्या राज्य सरकार कोटा नगर के मास्टर प्लान में परिवर्तन पर विचार कर रही है?

(3) क्या कोटा नगर में निर्माण कार्य मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जा रहे हैं अथवा कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

उत्तर

(1) कोटा नगर मास्टर प्लान में जो परिवर्तन किये गये हैं की सूचना परिवर्तनों के कारण सहित परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी नहीं,।

(3) कोटा नगर में निर्माण कार्य मूलत: मास्टर प्लान के अनुसार किये जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन हुये हैं, जो परिवर्तन हुये हैं, उनका उत्तर प्रश्न के भाग एक में दिया गया है। परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए एवं मौके की स्थिति तथा आवश्यकतानुसार किये गये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

सीकर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

291. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :

श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) सीकर जिले में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? कृपया पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने केन्द्रों पर डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने केन्द्रों पर डाक्टर्ड की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं और क्यों ?

(2) जिन केन्द्रों पर डाक्टर्स की नियुक्ति के आदेश होने के बावजूद डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है, उन पर कब तक नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में कुछ 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है होंद, झाड़की तथा फतेहपुरा जो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हैं, तथा अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं, इन स्थानों को छोड़कर सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाजोद में तीन पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पद पर चिकित्सक कार्यरत है, तथा दो पद रिक्त हैं। होद, झाड़ली तथा फतेहपुरा केन्द्र चालू होने पर चिकित्सक का पदस्थापन कर दिया जायेगा। जाजोद के 2 रिक्त स्थानों को शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नरेना (जयपुर) अस्पताल की एक्स-रे मशीन

292. श्री जयकिशन तोसावड़ा (दूदू): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र दूदू में कस्बा नरेना में हॉस्पिटल में एक्स-रे मशीन है ? यदि हां, तो उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) यह मशीन कितने रुपये में व कब खरीदी गयी थी ? नरेना में इससे काम क्यों नहीं लिया जा रहा है और कब से ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र दूदू के कस्बा नरेना, राजकीय चिकित्सालय नरेना में 60 एम. ए. का मोबाइल एक्स-रे मशीन मै. साईमन्स इण्डिया की दिनांक 17–2–83 से चालू है।

(2) यह एक्स-रे मशीन रु. 54,000.00 में विभाग के आदेश दिनांक 21–6–1982 से खरीदी गई, तथा 10 माह से एक्स-रे टेक्निशियन के अभाव से काम में नहीं ली जा रही है ?

जेलों में बन्द आत्म समर्पण करने वाले डाकू

293. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने आत्मा समर्पित डाकू किन-किन जेलों में बन्दी हैं उक्त डाकुओं ने आत्म समर्पण से पूर्व क्या

(26)

(श्री हीरालाल आर्य)

कोई विश्वास राज्य सरकार से लिया था ? यदि हां, तो क्या ?

(2) उन डाकुओं के खिलाफ क्या कोई मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस के खिलाफ, कहाँ-कहाँ कब से मुकदमे चल रहे हैं ? उनमें से किन-किन को क्या-क्या सजाएँ हुईं ?

(3) क्या उक्त डाकुओं के पुनर्वास हेतु रोजगार आदि की कोई योजना सरकार ने बनाई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या वे लागू हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त डाकुओं में उन योजनाओं को लागू न करने से रोष व्याप्त है ? यदि नहीं, तो उक्त डाकुओं में से कब-कब और कौन-कौन बागी जेलों से भाग गये ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य की किसी भी कारागृह में कोई डाकू नहीं है। अतः राज्य सरकार से उन्हें कोई विश्वास देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2,3 एवं 4) उपरोक्त स्थिति के फलस्वरूप प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अनुसूचित जाति जन जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

294. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर जिले में विभिन्न नगरपालिकाओं में राजस्थान राज्य सहकारी विकास निगम द्वारा कितनी दुकानें व्यवसाय हेतु, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आवंटन की गई ? कृपया नगरपालिका वाइज सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही दुकानें आवंटित की जाती हैं। आवंटन हेतु चयनित व्यक्तियों की सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

भू-जल विभाग द्वारा केशवरायपाटन क्षेत्र में कार्य

295. श्री मांगीलाल (पाटन) :

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवराय पाटन में भू-जल विभाग के बजट से कुल कितनी रकम वर्ष 1984-85 में व्यय की गई ?

(2) उक्त क्षेत्र के कितने ग्रामों में कुए गहरे करवाये गये ? कृपया पंचायत वार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1985-86 में कितने ग्रामों के कुओं को गहरा करवाने की योजना ? है

उत्तर

(1) वर्ष 1984–85 में केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में भू-जल विभाग ने कोई राशि खर्च नहीं की।

(2) वर्ष 1984–85 में उक्त क्षेत्र में भू-जल विभाग द्वारा कुआ गहरा नहीं किया गया।

(3) भू-जल विभाग काश्तकारों की मांग पर ही कुएँ गहरे करता है। वर्ष 1985–86 के लिए केशवराय पाटन क्षेत्र में मौजूदा कुएँ गहरा कराने के लिए किसी की मांग प्राप्त नहीं हुई है। कुएँ गहरा कराने की मांग व राशि प्राप्त होने पर ही कार्य किया जायेगा।

संगमरमर उद्योग

296. सुश्री पुष्पा जैन (पाली):

श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय संगमरमर उद्योग पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है? यदि हाँ तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की ओर से ड्यूटी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है? यदि हाँ, तो कब? कृपया पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक्साइज ड्यूटी में संशोधन करने के उपरान्त यह उद्योग लगभग खत्म हो गया है? यदि हाँ, तो इस उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

उत्तर

(1) जी हाँ, केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय संगमरमर उद्योग पर निम्न एक्साइज ड्यूटी लगाई थी—

(अ) मार्बल ब्लाक्स एवं बिना विद्युत शक्ति के उत्पादित स्लेब्स एवं टाइल्स- कुछ नहीं।

(ब) मार्बल स्लेब्स एवं टाइल्स-20 रु. प्रति वर्गमीटर

तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त दरों में संशोधन करके निम्न दरें लागू की—

(अ) मार्बल ब्लाक्स एवं 10 हार्स पावर तक वाली इकाइयों से उत्पादित स्लेब्स एवं टाईल्स- कुछ नहीं।

(ब) मार्बल स्लेब्स एवं एवं टाइल्स- 10 रु. प्रतिवर्ग मीटर

हाल ही में कन्वेन्सनल आरा मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी मात्र रु. 5 प्रति वर्गमीटर कर दी है। यदि कोई इकाई चाहे तो इसका कम्पाउंडिंग 250 रु. के हिसाब से करवाई जा सकती है।

(2) जी हाँ। भारत सरकार को लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) एक्साइज ड्यूटी के लगने के साथ ही मार्बल उद्योग ने इसके विरोध में हड़ताल

(उद्योग मन्त्री)

करदी थी इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी गईं। एक्साइज ड्यूटी लगाने से मार्बल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन रीको के माध्यम से कराया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात् ही यह पता लग सकेगा कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय अपेक्षित हैं।

(पत्र की प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

तारागढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

298. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तारागढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये विकास मंडल की स्थापना हुई थी ? यदि हाँ, तो कब एवं इसमें कौन कौन सदस्य हैं ? तारागढ़ के विकास के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ? क्या राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने इस हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के लिए धन राशि कहाँ से और कितनी उपलब्ध होनी थी एवं अभी तक कितनी राशि उपलब्ध हुई है।

(3) तारागढ़ सड़क योजना का शुभारम्भ कब और किसने किया एवं इसमें कितनी धनराशि का प्रावधान था ? योजनानुसार इस सड़क योजना में 15 जून, 1985 तक कितनी धनराशि व्यय होकर कौन सा भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना था ? 15 जून, 1985 तक कितनी धनराशि व्यय हुई है एवं कितनी लम्बाई की सड़क बनाई गई है ?

(4) क्या धनाभाव के कारण तारागढ़ सड़क योजना के रुकने के आसार हैं एवम् व्यय की गई धनराशि निष्फल हो जाने की सम्भावना है ?

(5) क्या पर्यटन विभाग इस योजना पर पुनर्विचार कर रहा है ? क्योंकि अब भी इस योजना पर 1.50 करोड़ की राशि व्यय होनी है ? यदि हाँ, तो क्या पुनर्विचार हो रहा है ? यदि नहीं, तो यह योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ। दिनांक 4–4–84 को तारागढ़ विकास मण्डल का गठन किया गया था, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं—

1.	माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	पर्यटन, राज्यमन्त्री, राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
3.	वन राज्यमन्त्री, राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
4.	स्वायत्त शासन राज्यमन्त्री, राजस्थान सरकार	उपाध्यक्ष
5.	जिला प्रमुख, अजमेर	सदस्य

(पर्यटन मन्त्री)

6.	वित्त सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
7.	सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
9.	मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. (रोड्स) राजस्थान	सदस्य
10.	मुख्य वन सरक्षक, राजस्थान	सदस्य
11.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान	सदस्य
12.	अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, अजमेर	सदस्य
13.	संसद सदस्य, अजमेर क्षेत्र	सदस्य
14.	कलेक्टर, अजमेर	सदस्य–सचिव

वर्ष 1984–85 में पर्यटन विभाग द्वारा इस हेतु 50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया था। पर्यटन विकास निगम की कोई योजना नहीं है।

(2) दिनांक 7–2–84 को जिला कार्यालय में तथा तारागढ़ विकास मण्डल की बैठक दिनांक 28–4–84 में लिये गये निर्णयानुसार वर्षवार विभिन्न अभिकरणों द्वारा निम्न प्रकार धनराशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था—

वर्ष	विभाग का नाम	राशि
1983–84	नगर सुधार न्यास, अजमेर	15 लाख रुपये
	नगर परिषद, अजमेर	12 लाख रुपये
	सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर	05 लाख रुपये
1984–85	नगर सुधार न्यास, अजमेर	15 लाख रुपये
	नगर परिषद अजमेर द्वारा नगर सुधार न्यास, अजमेर को देय राशि में से यह राशि दी जायेगी।	10 लाख रुपये
1985–86	बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण द्वारा	40 लाख रुपये
	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	10 लाख रुपये

तारागढ़ सम्पर्क सड़क हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा कराई गई राशि निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	विभाग का नाम	राशि
1983–84	नगर सुधार न्यास, अजमेर	10.00 लाख रुपये
	नगर परिषद, अजमेर	2.00 ,, ,,

1984–85	नगर सुधार न्यास, अजमेर	14.00	लाख रुपये
	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर	0.50	,, ,,
1985–86	नगर सुधार न्यास, अजमेर	4.50	,, ,,
	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अजमेर	2.00	,, ,,
		33.00	लाख रुपये

(3) दिनांक 20–11–84 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा शुभारम्भ किया गया। 15 जून 85 तक तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर 29.54 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं तथा पूरी लम्बाई में ट्रेक निर्माण, 2 किलोमीटर में डब्ल्यू. बी. एम. पुलिया का कार्य व रिटनिंग दीवार का कार्य हो चुका है। 1.5 कि. मी. में डामर का कार्य तथा 1 कि. मी. रिटनिंग वाल मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। बैंक ऋण प्राप्त किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

(5) यह एक वृहद् योजना है, जिसमें कई विभाग सम्मिलित हैं। जहाँ तक पर्यटन विभाग का सवाल है इस योजना पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हाथ कर्घा विकास निगम

299. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य हाथ करघा विकास निगम में प्रबन्ध संचालक व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) अगर नहीं, तो क्यों व कब तक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। प्राप्त शिकायतों की विषद् जांच की गई एवं निराधार पाई गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा अवाप्त कृषि भूमि

300. श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर-पूर्व) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में मालियान थोक की कृषि भूमि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा अवाप्त की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि मुआवजे की राशि काफी कम दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर में अवाप्ति की दर अन्य बड़े शहरों से काफी कम है ?

(श्री राजकुमार जयपाल)

(4) इस मामले में राज्य सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) अजमेर शहर की कृषि भूमि की अवाप्ति दर जो प्रति बीघा से 9800/- होती है शहर के औद्योगिक विकास को मद्दे नजर रखते हुए पर्याप्त है।

(4) कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

हरिपुरा का पालेश्वर महादेव मन्दिर

301. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव हरिपुरा में बाणगंगा नदी के किनारे अति प्राचीन तथा कलात्मक दृष्टि से प्रसिद्ध पालेश्वर महादेव (हांडी पोली) का मन्दिर है ? यदि हां, तो कृपया इस मन्दिर के बारे में उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार पुरातत्व की दृष्टि से उक्त मन्दिर के रख रखाव तथा दर्शकों के आने जाने हेतु समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह शिव मन्दिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और 10वीं शताब्दी के स्थापत्य का उदाहरण है। यहां क्रमश. 10वीं व 13वीं शताब्दी के शिलालेख भी उत्कीर्ण हैं। रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार इसका खसरा नं. 244 तथा क्षेत्रफल एक बीघा है।

(2) यह मन्दिर अपेक्षाकृत अच्छी हालत में है तथा इसके रख रखाव हेतु मरम्मत की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा स्थानीय पंचायत समिति का है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस मन्दिर को सड़क से जोड़ने हेतु निवेदन किया है।

नागौर जिले में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

302. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला नागौर उपखण्ड परबतसर में कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया है ? इसमें अनुसूचित जाति के कितने युवक हैं ?

(2) इस योजना में अनुसूचित जाति व जन जाति के आरक्षण का भी कोई प्रावधान है या नहीं ?

(3) उक्त क्षेत्र में औद्योगिक ऋण किन किन इकाइयों को उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या वर्तमान ऋण की दरें पर्याप्त हैं ?

(श्री मोहनलाल चौहान)

(4) औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद, मकराना में कितनी औद्योगिक इकाइयां बन्द हैं और इसका कारण क्या है ? उनको पुनः स्थापित करने में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के परबतसर उप-खण्ड में 348 शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया है। इसमें से 26 युवक अनुसूचित जाति के हैं।

(2) इस योजना में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत आरक्षण व अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु प्राथमिकता से ऋण दिये जाने का प्रावधान है ?

(3) इस क्षेत्र में वर्तमान में निम्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है–

क. तेल एवं आटा चक्की।

ख. चर्म उद्योग।

ग. मार्बल कटिंग व चिराई।

घ. धागा उत्पादन।

ङ. एल्यूमिनियम पर आधारित उद्योग।

च. इंजिनियरिंग वर्कशोप।

छ. चूना भट्टा।

ज. सीमेन्ट पाइप व जालियां।

इस योजना में ऋण की अधिकतम राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद, मकराना में लगभग 150 मार्बल की देशी मशीनों की इकाइयां बन्द हैं। इस क्षेत्र में कई विदेशी डायमंड गेंगशा मशीनें भी लगी हुई हैं जिनकी चिराई क्षमता देशी मशीनों की अपेक्षा तीन गुना अधिक होने से तुलनात्मक चिराई लागत कम आती है एवं चिराई की किस्म भी देशी मशीनों की तुलना में अच्छी होती है। इन कारणों से देशी मार्बल चिराई की औद्योगिक इकाइयां विदेशी डायमण्ड गेन्गशा वाली इकाइयों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाती हैं। इन्हीं उपरोक्त कारणों से मारबल चिराई की औद्योगिक इकाइयां बन्द हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा उक्त बन्द इकाइयों के पुनरुत्थान हेतु विभिन्न केम्पों के आयोजन किये गये। इनसे सम्बन्धित उद्यमियों को अपनी इकाइयों को डायमण्ड गेन्गशा में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। जिसके फलस्वरूप राजस्थान वित्त निगम की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 34 इकाइयों को आधुनिकरण हेतु 43.72 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

नगर विकास न्यास, अजमेर की बैठकें

304. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास, अजमेर के दिनांक 6-6-1984 को पुनर्गठन करने के बाद से अब तक कब कब कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या क्या निर्णय लिये गये ? कृपया निर्णयों का विवरण सदन-पटल पर रखें।

उत्तर

न्यास अजमेर के पुनर्गठन के पश्चात् दिनांक 6-6-84 के बाद न्यास की 6 बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में दिये गये निर्णयों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें

नगर परिषद्, जयपुर के क्षेत्रों का विभाजन

305. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर परिषद् क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विभाजन विभिन्न जोनों में किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इसे कितने जोनों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक जोन का क्षेत्र कौन कौन सा है ? कृपया क्षेत्रवार जोनों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इन नगरपालिका को जोनों में विभाजित करते समय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को भी दृष्टिगत रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका क्षेत्र के जोनवार विभाजन में हुई त्रुटि के कारण एक क्षेत्र के सदस्य को अपने क्षेत्र की एक ही प्रकार की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न जोनों के अधिकारियों से निवेदन करना पड़ता है ? क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। दि. 12-8-83 को 4 जोन बनाने की स्वीकृति दी गई एवं 7-12-83 से इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया तथा दिनांक 27-4-85 को उक्त जोन क्षेत्रों का पुनः पुनर्गठन किया गया है। क्षेत्र-वार जोनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) क्षेत्रों का विभाजन क्षेत्रफल, आबादी व जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(3) जी हां। यह सत्य है जोन चार हैं, एवं विधान सभा क्षेत्र पांच हैं, एक जोन में अन्य विधान सभा क्षेत्र का भाग भी आ सकता है, इसी कारण एक क्षेत्र के सदस्य को अपने क्षेत्र की एक ही प्रकार की सम्स्या के लिए अन्य जोन में भी जाना पड़ सकता है। अभी जोन के क्षेत्र को पुनः संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

लालमदेसर (बीकानेर) का ट्यूबवैल

306. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य अभि-यान्त्रिक विभाग ने ग्राम लालमदेसर पंचायत

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

समिति, बीकानेर में एक ट्यूब वैल खोदने की स्वीकृति दी थी ? यदि हाँ, तो इस ट्यूब वैल की खुदाई कब तक कर दी जावेगी, तथा आज तक ट्यूब वैल की खुदाई न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम लालमदेसर में पानी की आवश्यकता को देखते हुए उपलब्ध स्रोत काफी हैं। अतः ट्यूब वैल खोदने की आवश्यकता नहीं है।

फतेहपुरा (पिसांगन) की पेयजल व्यवस्था

307. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फतेहपुरा ग्राम पंचायत, रामपुरा डाबला पंचायत समिति, पिसांगन में पानी खारा है और पेयजल के लिये काम में नहीं लाया जाता है ?

(2) यदि हां, तो इस गांव को पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम फतेहपुरा पं. स. पिसांगन में चार हैण्ड पंप लगे हुए हैं जिनमें से दो हैण्ड पंप का पानी मीठा है व दो का पानी खारा है ग्रामवासी पेयजल के लिये दो हैण्ड पंप जिनका पानी मीठा है काम में ले रहे हैं।

(2) ग्राम फतेहपुरा में पेयजल हेतु जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त हैण्ड पंप लगे हुये हैं।

राजसमन्द तहसील के गांवों के हैण्ड पम्प्स

308. श्री मदन लाल (राजसमन्द) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की राजसमन्द तहसील के ग्राम नादोली, भाटोली, एमडी एवं भाणा में पीने के पानी की भयंकर समस्या है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इन तहसीलों में किन-किन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? कृपया सूची सदन पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों में हैण्ड पम्प्स लगाये गये, उनमें से कई हैण्ड पम्प्स सफल नहीं हुये हैं, और पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है ?

(4) क्या राज्य सरकार जिन गांवों में हैण्ड पम्प नहीं है, उन गांवों में हैण्ड पम्प लगाने तथा खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक करवाने तथा जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं हुये हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(5) यदि हां, तो कब-कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिन ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें से अधिकांश हैण्ड पम्प सफल रहे हैं और पानी की समस्या का समाधान हुआ है।

(4) जिन ग्रामों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हुए हैं। उन ग्रामों का प्रोजेक्ट विचाराधीन है। धन उपलब्धि के अनुसार खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराया जा सकेगा। जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं हुए हैं वहां के लिये धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार पेयजल योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी।

(5) धन उपलब्धि के अनुसार शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

छीपाबड़ौद व छबड़ा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

309. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

श्री प्रभूलाल (नैनवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छीपाबड़ौद, छबड़ा पंचायत समितियों के समस्याग्रस्त ग्रामों में वर्ष 1985-86 के अन्दर कितने ग्रामों में हैण्ड पम्प्स लगा दिये जावेंगे ?

(2) छबड़ा, छीपाबड़ौद पंचायत समितियों के खराब पड़े हुये हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक कराने का सरकार का इरादा है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति छीपा बडोद एवं छबड़ा के शेष 11 ग्रामों में वर्ष 1985-86 में तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धता के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जावेंगे।

(2) पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपा बडोद के खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य मई, 85 में पूर्ण किया गया था। जो खराब हैण्ड पम्प निष्क्रिय घोषित हैं, एवं पुनः चालू नहीं किये जा सकते, उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार लगाये जावेंगे।

जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा को पेयजल व्यवस्था

310. श्री प्रभूलाल (नैनवा) :

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा में पानी की मांग की पूर्ति के लिए ग्राम मांगरोल के क्षेत्र में ट्यूब वैल खोदने की स्वीकृति दी गई है ?

(श्री हरीश शर्मा)

यदि हां, तो कितने ट्यूब वैल की व किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि इन ट्यूब वैल्स् से आस पास के क्षेत्र के कुओं का जलस्तर नीचे चला जावेगा ? यदि हां, तो क्या अनुमति देने के पूर्व इस बात की जांच की गई ?

उत्तर

(1) जे. के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा की जलपूर्ति हेतु 6 नलकूप बनाने की स्वीकृति दी गई थी ।

(2) जी नहीं ।

चम्बल कमाण्ड एरिया में बाराबन्दी सब-डिविजन

311. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चम्बल कमाण्ड एरिया में बाराबन्दी के सब डिविजन खोले गये थे ? यदि हां, तो कब और उनकी संख्या कितनी थी ?

(2) उक्त सब डिविजनों को कब बन्द करने का निर्णय लिया गया ?

(3) कितनी भूमि में वराबन्दी की गई और उक्त सब डिविजनों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(4) बाराबन्दी के लिये कितने पटवारी चम्बल एरिया में तैनात किये गये और कब से ?

(5) उक्त बाराबन्दी के लिये तैनात पटवारियान पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई और कितनी भूमि में बाराबन्दी की गई ?

उत्तर

(1) जी हाँ। दिनांक 14-7-81 से बाराबन्दी के 5 उपखण्ड खोले गये थे ।

(2) दिनांक 22-4-83 को बन्द कर दिये गये ।

(3) 40,203 हैक्टर भूमि में बाराबन्दी लागू की गई और उक्त सब डिविजनों पर 19.36 लाख रुपया खर्च हुआ ।

(4) बाराबन्दी के लिए 1-3-76 से 70 पद पटवारियों के स्वीकृत किये गये थे ।

(5) पटवारियों पर अनुमानित खर्च 52.81 लाख रु. का हुआ है । मार्च 1985 तक 81,007 हैक्टर क्षेत्र में बाराबन्दी लागू की गई है ।

कृषि उपज मण्डी, बीकानेर द्वारा किए गए विकास कार्य

312. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) :

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती रतन कंवर)

(1) जिला बीकानेर में कृषि उपज मंडी विभाग द्वारा छठी पंच वर्षीय योजना अवधि में कहां-कहां अब तक कौन-कौन से विकास कार्य किये गये हैं ? कृपया वर्षवार कार्यों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन्दिरा गांधी नहर में तहसील कोलायत में छठी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से विकास कार्य कब व कहां-कहां किये गये ?

कृपया वर्ष 1985-86 में जिला बीकानेर में प्रस्तावित कार्यों की स्थलवार विवरण सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" के साथ संलग्न है।

(2) तहसील कोलायत में छठी पंचवर्षीय योजना में मण्डी समिति बीकानेर द्वारा निम्न विकास कार्य कराये गये :

1. वर्ष 1980-81 में 50 कि. मी. लम्बी सड़क 34.85 लाख रुपये से बीकानेर से झूझू वाया करमीसर, वच्छासर, कोलासर, मेवासर, अकासर, भोलासर, हाडला, भाटियान का निमर्णा करवाया गया।

2. 910 आर. डी. से माणकसर वाया पवार वाली 8 कि. मी. लम्बी सड़क का निर्माण वर्ष 1983-84 में 11.57 लाख रुपये से कराया।

जिला बीकानेर की मण्डी समितियों द्वारा वर्ष 1985-86 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ख" के साथ संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य के श्रम व औद्योगिक न्यायालय

313. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सभी श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयों में वर्ष 1980 से 31 मई, 1985 तक कितने मामले आये तथा उनमें से वर्षवार कितने अभी तक नहीं निपटाये जा सके हैं ?

(2) उक्त श्रमिक विवादों को निपटाने में होने वाले विलम्ब के क्या-कारण हैं और सरकार श्रमिकों को समय पर न्याय सुलभ कराने के प्रयोजन से क्या सुधार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयों में वर्ष 1980 से 31 मई 1985 तक प्राप्त व उनमें से नहीं निपटाये जा सके मामलों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

(श्रम मन्त्री)

वर्ष	प्राप्त हुए	नहीं निपटाये गये मामलों की संख्या
1980	1307	190
1981	1165	271
1982	1647	555
1983	1108	569
1984	1305	1036
31 मई 1985 तक	778	738

(2) विवादों को निपटाने में होने वाले विलम्ब के मुख्य कारण निम्न हैं :—

(1) न्यायाधीशों की संख्या के अनुपात में मुकदमों की संख्या अधिक है।

(2) पक्षकारों द्वारा बार-बार समय मांग लिया जाता है ।

(3) श्रम न्यायालय, कोटा, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में श्रम एवं औद्योगिक विवादों के अलावा मोटरयान दुर्घटना व भ्रष्टाचार निरोधक सम्बन्धी मामलों की भी सुनवाई होती है। केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायालयों द्वारा समयावधि में निर्णय करना अनिवार्य कर दिया है । इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को समय पर न्याय उपलब्ध हो सकेगा। विवाद को न्याय निर्णयार्थ प्रेषित करते समय उसके निर्णय देने का समय भी नियमानुसार निर्धारित कर दिया जावेगा इस हेतु राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1959 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता को देखते हुये श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

खोह नागोरियान (जयपुर) तक सिटी बसें

314. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोह नागोरियान जो जयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत आता है, तक आने-जाने के लिये सिटी बसों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहां के नागरिकों को शहर आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है ?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर से ग्राम खोह नागोरियान तक सिटी बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां। दिनांक 9-7-85 से निगम द्वारा घाटगेट से खोह नागोरियान तक बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है ।

अलवर बस स्टेन्ड पर परिवहन निगम द्वारा निर्मित दुकानें

315. श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर बस अड्डे पर निगम द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण किया गया ? दुकानों की साइज क्या है ?

(2) इन दुकानों को कब व कितने किराये पर दिया गया ? इस समय कितने किराये पर हैं व कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं ?

उत्तर

(1) निगम के अलवर बस स्टेण्ड पर 18 दुकानों का निर्माण किया गया है। इन दुकानों में 10 से 15 तक की दुकानों की साईज 8 × 10 तथा दुकान नं. 17 की साईज 4·6" × 10' है।

(2) दुकानों को कब व कितने किराये पर दिया गया तथा खाली दुकानों की सूचना की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत विभाग के मुख्यालय के उपनिदेशक

316. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मुख्यालय में उप निदेशकों के कितने पद हैं, तथा उनका सृजन कब-कब हुआ ?

(2) क्या इन उप निदेशकों को अपने स्तर पर कोई निर्णय लेने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पद सृजित करते समय इनकी क्या उपयोगिता बताई गई थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अलग-अलग उप निदेशकों को क्या-क्या कार्य सौंपा गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उप निदेशकों को अलग-अलग जिले व पंचायत समितियां आवंटित कर उनकी बैठकों में भाग लेने का आदेश सरकार ने दिया था ? उनमें से किस-किस उप निदेशक ने कब-कब किस-किस पंचायत समिति व जिला परिषदों की बैठकों में भाग लिया ? कृपया विवरण मय सरकार के उक्त आदेश के सदन के पटल पर रखें।

(6) क्या उक्त पद सृजित होने के बाद इनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? यदि समीक्षा की गई, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में केवल एक पद उप-

(पंचायत मन्त्री)

निदेशक (पोषाहार) का दिनांक 1-4-79 से सृजित है जो शिक्षा विभाग का है।

(2) इन्हें हैड आफ आफिस की शक्तियां प्रदान की हुई हैं जिसके अनुसार वे सौंपे गये कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लेने को सक्षम हैं।

(3) यह पद पंचायत समितियों में चल रहे पोषाहार कार्यक्रम के लिए सृजित किया गया है।

(4) विभाग में उप निदेशक का केवल एक पद सृजित है जिन्हें पोषाहार कार्यक्रम दिया हुआ है।

(5) वर्तमान में उपनिदेशक को पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आदेश नहीं दिये हैं।

(6) जी नहीं। क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

खाद्य निरीक्षकों की भर्ती

317. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-1984 व 27-9-1984 व नवम्बर, 1984 में खाद्य निरीक्षकों के 34 पदों के लिये स्वास्थ्य निरीक्षकों का साक्षात्कार लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त साक्षात्कार का परिणाम निकाल दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक साक्षात्कार का परिणाम न निकाले जाने के क्या कारण हैं ? अब कब तक परिणाम घोषित कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, प्रशासनिक कार्यवाही जैसे उनके कार्य की रिपोर्ट आदि प्राप्त करने में समय लगा है, अब परिणाम शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा।

जोधपुर क्षेत्र की मण्डियां

318. श्री रघुनाथ विश्नोई (लूणी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर क्षेत्र के जिलों की मण्डियों में काश्तकारों की उपज बिक्री होती है ? यदि हां, तो क्या उपज के साथ बोरियां व्यापारी ले लेते हैं, और इससे काश्तकारों को नुकसान होता हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गंगानगर जिले की मण्डियों में खुले अनाज की बिक्री के साथ व्यापारियों द्वारा बोरियां लेने का रिवाज नहीं है ? अगर हां, तो जोधपुर क्षेत्र की मण्डियों में ऐसा क्यों होता है ?

(3) क्या सरकार जोधपुर क्षेत्र की मण्डियों में खुले अनाज की बिक्री मण्डियों में बिना बोरियों के शुरू करवाने का विचार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर क्षेत्र की 21 मण्डियों में से केवल 2 मण्डियों में (सुमेरपुर, रानी) यह प्रथा है। इस प्रथा को इन दो मण्डियों में समाप्त करने के निर्देश दिये जा रहे हैं ?

(2) जी हां, जोधपुर खण्ड की जिन 2 मण्डियों में यह प्रथा लागू है उनमें मण्डी समितियों को इस प्रथा को समाप्त करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(3) जी हां। जोधपुर क्षेत्र की अधिकांश मण्डियों में भी ऐसी व्यवस्था प्रचलित है। शेष में भी उसे प्रभावी बनाया जा रहा है।

राजाखेड़ा नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन

319. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजाखेड़ा नगरपालिका के कर्मचारियों को पिछले जनवरी, 1985 से जून, 1985 तक वेतन देने में कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) राजाखेड़ा नगरपालिका के पास कर्मचारियों के प्राविडेण्ट फण्ड की कितनी राशि जमा है ?

(3) सरकार द्वारा गड़ा (फ्लश) शौचालयों योजना के तहत कितनी राशि दी गई और राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कितने फ्लश शौचालयों का निर्माण हुआ ? कृपया इस योजना के तहत जिन लोगों को अनुदान मिला उसकी सूची सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका राजाखेड़ा द्वारा जनवरी, 1985 से जून, 1985 तक अपने कर्मचारियों को वेतन देने में रु. 1,82,294.84 पैसे व्यय किया गया।

(2) नगरपालिका राजाखेड़ा में कर्मचारियों के प्रोविडेण्ट फण्ड की कुल राशि 1,96.404/–रु. बकाया है तथा पी. डी. अकाउन्ट में 35,285.94 रु. जमा है।

(3) नगरपालिका को फ्लश शौचालयों के तहत 50,000/–रु. की राशि दी गई तथा 107 फ्लश शोचालयों का निर्माण हुआ। इस योजना के तहत जिन लोगों को अनुदान दिया गया है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

320. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) :— क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को

(42)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरे राज्य में लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या राज्य सरकार ने नवम्बर, 1981 की घोषणानुसार कोई राज्य स्तरीय समिति गठित की है, जो राज्य सरकार को मिलावट रोकने के प्रयत्न के सम्बन्ध में राय प्रस्तुत करेगी ? यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया, समिति में कौन कौन सदस्य हैं, समिति की अब तक कितनी बार बैठक हो चुकी है ? क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

(3) अभी यह अधिनियम प्रदेश के किन किन कस्बों में व नगरों में लागू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 पूरे राज्य में दिनांक 16-8-83 से लागू कर दिया गया है।

(2) जी हां, घोषणानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन दिनांक 27-12-83 को कर दिया गया है। इस समिति के सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई। समिति की बैठक शीघ्र बुलाया जाना प्रस्तावित है।

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 राजस्थान के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।

धौलपुर जिले का नगर नियोजन मानदण्डों के आधार पर विकास

321. श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न कस्बों एवं शहरों के सुनियोजित विकास के लिये नगर नियोजन के मानदण्डों के आधार पर कार्यवाही की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि धौलपुर शहर नगर नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक सरकार नगर के सुनियोजित विकास के लिये नगर नियोजन मानदण्डों के आधार पर इसे विकसित किये जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सभी नगरों के लिये विकास योजनाएँ नगर नियोजन के मानदण्डों के आधार पर ही बनाई जाती है।

(2) धौलपुर के समन्वित विकास के लिये एक समन्वित विकास योजना भारत सरकार के स्वीकारार्थ भेजी जा चुकी है, जिसकी कुल लागत रुपये 83.27 लाख है, इसमें आवासीय, वाणिज्यिक एवं सड़क निर्माण से सम्बन्धित योजनायें शामिल की गई हैं। इन सभी योजनाओं का निर्माण नगर नियोजक के मापदण्डों के अनुरूप ही किया गया है। स्थानीय निकाय यदि कोई अन्य योजना भी क्रियान्वित करना चाहती है तो वह भी नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप ही स्वीकृत की जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आवासीय भूमि का आवण्टन

322.श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 15-12-1967 को जयपुर से पूर्व सैनिकों के आवास के लिये 1,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था ?

(2) क्या उक्त निर्णय के अन्तर्गत फौजी गांव गृह निर्माण समिति, जयपुर ने आवेदन पत्र भेजा और फिर राज्य सरकार के चाहे अनुसार 50 भूखण्डों के लिये 10 प्रतिशत राशि के रूप में समिति द्वारा जमा कराये गये 59,665/–रुपये की राशि भी एक बैंक ड्राफ्ट दिनांक 3-1-1984 द्वारा राज्य सरकार ने प्राप्त की ?

(3) क्या यह सही है कि उसके बाद समिति को कोई परिस्थिति न बताते हुए उक्त प्रयोजन हेतु भूमि अन्य दो नई संस्थाओं को अलाट कर दी गई ?

(4) यदि हां, तो क्यों ? अब राज्य सरकार उनको भूमि उपलब्ध कराने की क्या क्या योजना रखती है । उक्त समिति को भूमि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सेवा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये आवासीय कालोनी हेतु विद्याधर नगर योजना में 50 एकड़ भूमि सुरक्षित रखने हेतु अक्टूबर, 1981 में निर्णय लिया था ।

(2) प्रस्तावित फौजी गांव ग्रुप हाउसिंग समिति ने जयपुर विकास प्राधिकरण को आवेदन पत्र नम्बर 163 द्वारा प्रति भूखण्ड के अनुसार पचास भूखण्डों के लिए (प्रति भूखण्ड क्षेत्रफल 266.66 व.ग.) आवेदन किया है । जिसके अनुसार कुल 13,333 वर्ग गज भूमि चाही गई है । अतः 13,333 वर्ग गज भूमि के लिये रुपये 44/– प्रति वर्ग गज के हिसाब से कुल राशि 5,86,652/– बनती है, के 10 प्रतिशत 59,665 रु. प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष को जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 175 दिनांक 27-12-83 के द्वारा सूचित किया गया । समिति द्वारा उक्त राशि दिनांक 3-1-84 को जमा करा दी गई है ।

(3) समिति का कथन सही नहीं है ।

(4) व्यवस्था की जा रही है । समिति को खसरा नम्बर 22 एवं 24 बीड खातीपुरा की भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑफर दिया गया है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताओं पर व्यवस्था । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव नाखां जिला

(श्री अध्यक्ष)

जोधपुर में मेघवालों पर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकारी अस्पताल निवाई में लेडी डाक्टर न होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय नगर योजना में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में घटिया समान का उपयोग के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरीश सर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति खानपुर के किसानों को बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद चिकित्सकों एवं उप वैद्यों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रथम वर्ष एम. बी. बी. एस. के नतीजों में फर्जी तरीके से फेरबदल किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के अयानी गांव में हरिजन मोहल्ले में दो व्यक्तियों की पिटाई से एक की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(8) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव पीपलखूंट तहसील घाटोल के किसानों की जमीन पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

(9) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम रघुनाथपुरा तहसील परबतसर में अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा), सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विपणन बोर्ड के मार्फत नागौर जिले में निर्मित सड़कों की मजदूरी का भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

(11) सुश्री पुष्पा जैन, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री हरिकुमार औदिच्य और डा. किरोड़ीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गृह निर्माण सहकारी समितियों की तीन योजनाओं को अनियमित तरीके से स्वीकार करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से हनुमानगढ़, टीबी सूरतगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र के ट्यूबवैल्स को बिजली के कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से लखूवाल गांव के सरपंच द्वारा पुलिस को उग्रवादियों की सूचना देने के पश्चात् भी कार्यवाई न करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री शिवचरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले में चारा व पानी के संकट के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर श्रीमती ममता की 11.6.85 को हत्या करने के सम्बन्ध में।

(16) श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पंचायत समिति एवं जिलापरिषद चयन आयोग द्वारा आमंत्रित प्रार्थना पत्रों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये न बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण अनियमित तरीके से किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री देवी सिंह भाटी, श्री मानिक चन्द सुराणा और श्री कल्याण सिंह कालवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निलम्बित पुलिस अधीक्षक से आलमारी की चाबी न लिये जाने और महत्वपूर्ण कागज गायब हो जाने की आशंका के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

1. श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जोडिया तिजारा क्षेत्र में काले हिरनों को मारे जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री नाथू सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बी. एड. के लिये कालेजों में भर्ती में अनियमितता के सम्बन्ध में।

3. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया और श्री लालचन्द डूडी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अधिशासी अभियन्ता द्वारा गबन करने के के सम्बन्ध में।

4. श्री भंवर लाल शर्मा (सरदार शहर), सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदार-शहर तहसील में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ शहर में बिजली की भारी कमी के सम्बन्ध में।

6. श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम का थाना क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की कच्ची बस्तियों में सन् 71 से रह रहे व्यक्तियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय

(श्री अध्यक्ष)

लोक महत्व के नहीं हैं। अत : मैं इन पर अनुमति देने में समर्थ हूं।

1. श्री यदुनाथ सिंह और श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीज निगम द्वारा सस्ते भाव पर उत्पादकों से बीज क्रय कर महंगे भाव में विक्रय करने के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि बीज क्रय दर बाजार भाव पर सढ़े सात प्रतिशत तथा दलहन व तिलहन पर 15 से 20 प्रतिशत प्रीमियम देकर तय की जाती है। इस कीमत पर निगम के समस्त प्रकार के खर्चे के लिये साढ़े चार प्रतिशत वृद्धि कर बीज विक्रय किया जाता है।

2. श्री नवनीत लाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बजाज सागर सुरंग में अचानक पानी छोड़ने से मजदूरों के लापता होने के सम्बन्ध में।

सरकार ने सूचना दी है कि सुरंग में पानी घुसने के समय 120 श्रमिक कार्यरत थे। उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 10 जून को सुरंग पर पुनः कार्य आरम्भ किया गया है और 35 मशीनों में से 27 कार्य कर रही हैं।

3. श्री किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को मान लिया गया है और सी. पी. एफ. और जी.पी. एफ. की बकाया का भुगतान किश्तों में देने के लिये नगरपालिका तैयार हो गयी फिर भी कर्मचारियों ने समझौता नहीं किया। अन्य स्थानों से सफाई कर्मचारी बुलाकर सफाई की जा रही है। शहर में किसी प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की अशंका नहीं है।

सरकार की ओर से उत्तर के कारण उपरोक्त प्रस्तावों को मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता। अत : इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

1. श्री रमजान खां और श्री हीरा सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर के बन्द होने से श्रमिकों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि कर्मचारियों की बकाया वेतन और बोनस के भुगतान के लिये फैक्ट्री पर 23.36 लाख रुपये की डिग्री पारित की गयी है। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष रिट विचाराधीन है। फैक्ट्री के माल को सील कर दिया गया है। राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि मिल को वांछित सहायता मिले और यह मिल चालू हो। इस विषय पर सरकार की ओर के एक वक्तव्य के लिये शीघ्र तिथि तय की जायेगी।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की जानकारी आने,

(श्री अध्यक्ष)

के बाद और जिन माननीय सदस्यों ने आज दिये हैं, मैंने अस्वीकार किये हैं उनको मैं हमेशा के अनुसार संक्षेप में दो-दो मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति देता हूं। मैं उनके नाम पुकारूंगा। कृपया प्रारंभ करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके अन्दर बहुत ही गम्भीर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भाभड़ा। मैं सुनूंगा आपको। एक-एक करके बोलें। मैं सुन लूंगा आपको। आप बोल रहे हैं, पहले मैंने आपको इजाजत दी है।

एक माननीय सदस्य : बोलना नहीं चाहता। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, कल ही वह आया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आपकी बात तो सुन लीजिये। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बात मैं सुन लूंगा बाद में।

श्री हरीशंकर भाभड़ा (रतनगढ) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जब उस पर व्यवस्था दूंगा तब आपको अवश्य मौका दूंगा।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : आपने उसे राज्य सरकार को भेजा है, तीन दिन पूरे हो गये....

श्री अध्यक्ष : तीन दिन हो गये हैं और जवाब नहीं आया है तो मैं देखूंगा, क्या उसके कारण रहे हैं। उस पर व्यवस्था दूंगा। व्यवस्था के अनुसार जो भी स्थिति होगी, इस पर बोलने का अवसर दूंगा।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : आप व्यवस्था क्या देंगे, हां कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आज मेरी मजबूरी है। मेरे सामने आया है।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : आप सोमवार तक मुझे इस बारे में....

श्री अध्यक्ष : आपको इस सम्बन्ध में कोई बात करनी है तो मुझे अलग से बात कर लीजिये यहां पर नहीं। व्यवस्था की दृष्टि से कोई बात करेंगे तो....

श्री हरीशंकर भाभड़ा : मैं तो यह कह रहा हूं कि 3 दिन हो गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं एक एक की बात सुन रहा हूं।

श्री हरीशंकर भाभड़ा : देखिये, अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि पुष्कर में लोगों

(श्री हरीशंकर भाभड़ा)

ने संघर्ष समिति बनाई है, वहां पर झगड़े हो रहे हैं, मुकद्मे बन रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। पुष्कर के अन्दर रोज....

श्री अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूँ कि मैंने उसके महत्व को समझ कर ही अस्वीकार न कर राज्य सरकार को भेजा है। कोई जवाब आ जाता है सन्तोषजनक....

श्री हरीशंकर भाभड़ा : इसलिये मैं कह रहा हूं कि 3 दिन हो गये 2 दिन और मिल जायेंगे राज्य सरकार को....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जो भी होगा, मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री शोपतसिंह ।

(व्यवधान)

मैं एक-एक की बात सुन लूंगा, बैठ जायं। आपको इतना उतावलापन क्यों है ? मैं एक को इजाजत दे चुका हूं। आप कृपया ध्यान रखें। मैंने आपको कभी मना नहीं किया, मैं सुनूंगा आपकी बात लेकिन एक-एक क्रम से बोलें।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो स्थगन प्रस्ता ेते हैं उस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की तरफ से जानकारी नहीं आती। मैंनेजो स्थगन प्रस्ताव दिया है नहरी इलाके में धान की पिलाई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री शोपतसिंह : एक मिनट। आप हमारी परेशानी को हल कीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी समस्या को हल करूंगा। व्यवस्था देदी है उस व्यवस्था के अनुसार जवाब आते ही मैं उस पर व्यवस्था दूंगा....

श्री शोपतसिंह : धान की....

श्री अध्यक्ष : आपके जितने भी प्रस्ताव आये हैं उन पर व्यवस्था के बाद बोलने का मौका दिया है।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार धान की पिलाई का समय एक्सपायर हो जायेगा तब जवाब देगी, तब तक स्थगन प्रस्ताव की कोई वैलेडिटी नहीं रहेगी, कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव दिया है उसका बहुत ज्यादा महत्व इसलिये है कि वह एक आई. पी. एस से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने उसको अस्वीकार कहां किया है ?

श्री देवीसिंह भाटी : अस्वीकार नहीं किया है, आपने जानकारी के लिये सरकार

(श्री देवीसिंह भाटी)

के पास भेजा है। एक मिनट में अपनी बात कहता हूं। उस अलमारी के अन्दर आई. पी. एस. जासूस और स्मगलर से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं, साढ़े तीन महीने से उन्होंने उस अलमारी का चार्ज नहीं दिया ? क्यों नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलेंगे उस पर।

श्री देवीसिंह भाटी : उसका कारण यह है कि गुप्तचर संस्था ने जो सूचना दी जासूसी से सम्बन्धित, स्मगलरों से सम्बन्धित उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव....

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत उसकी मुझे कल ही जानकारी मिली है। अध्यक्ष महोदय, एस. पी. ऑफिस के अन्दर चोरी हो सकती है, ताला तोड़ा जा सकता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई भी कार्यवाही हो सकती है। महत्व पूर्ण जासूसी से सम्बन्धित....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो वह राज्य सरकार को भेजा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये यह जरूरी है कि इस पर आज ही वक्तव्य दिलावें।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दिलाने के लिये कैसे कह सकते हैं। मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : किसी प्रकार से चोरी हो जाती है तो उसके बाद में क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसीलिये राज्य सरकार को भेजा है, आप चाहते हैं उसके ऊपर वक्तव्य। तो राज्य सरकार से जब सूचना आयेगी तभी तो कार्यवाही होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : कार्यवाही का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उस आलमारी के अन्दर ब्ल्यू बुक रहती है....

उसके अन्दर गुप्त कागजात रहते हैं इन्टेलिजेन्स से सम्बन्धित....

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना को समझ कर मैंने इसको राज्य सरकार को भेजा है। जानकारी आते ही इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे रात को ही सूचना मिली है। वहां पर साजिश की जा रही है। क्योंकि,

(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, 2 तरीखों पर वह जमानती वारन्ट जारी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : जमानती वारन्ट जारी हो चुका है वह दो तरीखों पर नहीं गया, महज इसलिये कि साजिश करके एस. पी. ऑफिस में चोरी करवाने, अलमारी को तुड़वाने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जासूसी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर । कृपया । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय ले रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत जरूरी है, राज्य सरकार का आज ही वक्तव्य दिलावें....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है । मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि उस अलमारी पर एस. पी. साहब का खुद का लॉक लगा हुआ है इसलिये आप सरकार को डाइरेक्शन्स दे दें कि कम से कम वह अपनी सील उस पर लगा दे ताकि पेपर्स खुर्द-बुर्द नहीं हों ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिर्फ सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो जवाब देंगे गृह मन्त्रीजी, वह इस समय सदन में विराजे हुये हैं, यह कम से कम आर्डिनरी एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, माननीय सदस्य ।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी एडजोर्नमेन्ट मोशन है । इसलिये यदि इसमें मिस्चीव होगी, कोई कागजात गायब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों की नहीं होगी उसकी लाईबिलिटी फिर होम मिनिस्टर साहब की खुद की होगी । इसलिये तीन बजे तक एक्शन करें हमें जवाब चाहें कल दें, परसों दें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 8 तारीख को एक

(एक माननीय सदस्य)

स्थगन प्रस्ताव दिया था हैण्ड पम्प के विषय में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको ध्यान नहीं रहा। मैंने पेयजल की डिमाण्ड पर बोलने के लिये मौका दिया है। आप बोलेंगे उस पर।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में बात नहीं होती।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्यापाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया है एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के रिजल्ट्स टेम्पर विथ किये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे जानकारी के लिये भेजा है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना चाहूंगी कि उसके लिये टाइम निर्धारित कर दीजिये। बहुत से विद्यार्थियों के रिजल्टस बदले गये हैं, उनके बैच बदले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे इस सम्बन्ध में मिल लें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, मैं उसे तब्दील नहीं करूंगा। इस सम्बन्ध में और कोई विशेष बात बतानी हो तो आप मुझे बता दें। कृपया बैठ जायं।

श्री जगमाल सिंह।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन विधान सभा का सत्र आरम्भ हुआ था उस दिन जीरा-रायडा-इसबगोल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने रखा हुआ है, मुझे मालूम है।

श्री जगमाल सिंह।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थान प्रस्ताव है, वह राज्य सरकार को भेजा है। एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं करें। कोई निवेदन नहीं सुनना चाहूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : 403 व्यक्तियों के नाम हैं।....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण देना चाहते हैं। आर्डर प्लीज।

श्री बाऊदयाल जोशी : 8–10 हजार रुपये आ गये····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए एक नीति रही है कि वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए जगह-जगह पर पेड़-पौधे लगाकर ऐसे क्षेत्र पनपाये जायं जहां-जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। इस पर राजस्थान सरकार की कई स्थानों पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर वन्य जीवों को संरक्षण देने की नीति बनी हुई है। लेकिन मेरे क्षेत्र तिजारा के जोड़िया नामक गांव में आज से 5–7 साल पहले सहवन से 100–150 की संख्या में हिरण आये, जिनमें 50 की तादाद में काले हिरण थे। उन हिरणों को पालने के लिए सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। वह सहवन से विचरण करते हुए हिरण जोड़िया गांव में आये लेकिन 5 साल से लगातार उन हिरणों की शिकारियों द्वारा हत्यायें की जा रही हैं। ग्राम जोड़िया के सरपंच एवं वहाँ की जनता द्वारा बार-बार इस बारे में लिखित शिकायतें कलेक्टर साहब और वनाधिकारियों [illegible] गई है, वन विभाग के उच्च [illegible] दी गई है। उच्च वना- [illegible] गये हैं, और वहाँ पर [illegible] रणों को देखा है, [illegible] और गांव वालों [illegible] आश्वासन दिया है कि इन हिरणों की रक्षा की जायेगी, इसके लिए राजस्थान की योजना बन रही है, जहाँ हिरण विचरण करते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाये जायेंगे, उनको पालने के लिए घास, भूसे और आढ़ आदि की व्यवस्था की जायेगी। आज हिरण विचरण करते है खुले जंगल में। दुःख के साथ निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के बार-बार के आश्वासन के बावजूद भी, आप विश्वास करें, जोड़िया गाँव में, जहाँ हिरण रहते हैं, एक भी पेड़ नहीं हैं। वहाँ पर एक नदी है, साबी नदी वह घाट के रूप में कट कर जाती है। वहाँ कुछ झाड़-फूस है उसे खाकर जोड़िया गाँव में जीवन यापन कर रहे हैं। जोड़िया गाँव में पानी भी ऐसा हो गया है, कालर हो गया है, जिससे कई बीघा रकबा ऐसा हो गया है, जिसमें घास वगैरह पैदा नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको मार्फत सरकार से निवेदन है, जोड़िया गाँव, जिसमें हिरण है, मैं वन्य पशुओं को संरक्षण देने के लिए····

अगर किसी तरह का कोई प्लान बनाया जाय, किसी तरह की कोई योजना बनाई जाय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि वहाँ घास जो हिरण चरते हैं उस घास की बिजाई की जाय, रोपाई की जाय। वहाँ कुछ ऐसे पेड़ लगाये जायं जिससे हिरण छिप सकें, उन्हें ओट मिल सके। अगर इसी तरह से हिरणों की हत्या की जाती रही तो एक दिन, अध्यक्ष महोदय, यह दुर्लभ जाति का जानवर, हिरण ही नहीं, बल्कि काला हिरण खतम हो जायेगा। काला हिरण वहाँ लगभग पाँच सौ की

(श्री जगमालसिंह)

संख्या में है, इसी तरह शिकारी उनको मारते रहे, उनके चरने की अगर व्यवस्था नहीं हुई तो वो खेतों में जायेंगे किसानों के, किसान उनकी हत्या करेंगे, शिकारी उनकी हत्या करेंगे और राजस्थान में यह दुर्लभ जाति का जानवर, जो शायद सिरसका में भी इतनी तादाद में नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि हो सकता है राजस्थान में भी इतनी संख्या में काला हिरण नहीं है जितना जोड़िया में है, विलुप्त हो जायगी और नहीं तो यह चारे के अभाव में यह जाति पलायन कर जायगी। मेरा आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन है कि काला हिरण, जो राजस्थान में दुर्लभ जाति का है, उनको संरक्षण देने के लिए सरकार एक योजना बनाये। उस इलाके में खुला जंगल है, एक भी पेड़ नहीं है, घास की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पेड़ारोपण करावें, वहां कोई योजना बनावे चरने की घास की व्यवस्था करें ताकि यह दुर्लभ जाति का जानवर बच सकें।

इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, नियम 47 के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तरों के पूर्व प्रकाशन बाबत है, प्रश्नों के उत्तर, जो मन्त्री महोदय सदन में देना चाहते हैं, तब तक प्रकाशित नहीं किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने विधान सभा में एक यह प्रश्न पूछा था सीकर नगर-परिषद् सीमा क्षेत्र के बारे में। मन्त्री महोदय ने उसके बारे में सदन के पटल पर गजट नोटिफिकेशन भी रखा और जवाब भी दिया। अब अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हैं। अब प्रश्न विचाराधीन तो है नहीं, पाइन्ट ऑफ आर्डर किस पर उठा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उस पर उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे कहिये इसके लिए। सदन में कोई विचाराधीन प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया नियमों का उल्लंघन नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझसे मिलिये। कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं देखूंगा। कृपया, मैं इसको अलाउ नहीं करता। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह आपके....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे चेम्बर में मिलिये। आप मुझसे कहिये। इसकी व्यवस्था कैसे दूंगा बीच में....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय बी. एड. कालेजेज में प्रवेश चल रहा हैं। पिछले कई सालों से इस सदन से इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि बी. एड. कालेजेज में अनियमिततायें हैं, और भ्रष्टाचार होता है। अध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी ज्ञात होगा कि हिण्डौन में एक बी. एड. कालेज है पिछले वर्ष उसकी जांच हुई थी। जांच होने के बाद राज्य सरकार ने, कुछ साल पहले, उस कालेज को बन्द करने के लिये आदेश भी दिये थे उसकी एड भी बन्द कर दी थी, अनुदान भी बन्द कर दिया था लेकिन उसके पश्चात् वापिस मेनिपुलेशन करके वह कालेज खुल गया, अनुदान भी वापस शुरू हो गया। उस कालेज में एक एडमिशन देने के लिये दस हजार रुपये कम से कम लिये जाते हैं। सरकार का कोई बी. एड. कालेज में नियंत्रण नहीं है। यदि नियन्त्रण भी हो तो उस नियन्त्रण में कोई कमी है। यही कारण है कि इस समय जितने भी प्रवेश के लिये लोग जाते हैं उनको मेरिट के आधार पर नहीं लेकर मेनिपुलेशन के आधार पर या पैसों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। मेरा इस मामले को उठाने का उद्देश्य यही है कि चूंकि इस समय बी. एड. कालेजेज में प्रवेश चल रहा है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति तय करे और चेक लगाये इनके प्रवेश पर। इसके लिये कोई योजना बनाये और जो भ्रष्टाचार हो रहा है बी. एड. कालेज में, मनमर्जी से एडमिशन देते हैं, सरकार से अनुदान ले लेते हैं, एक तरफ सरकार से अनुदान लेते हैं, दूसरी तरफ लोगों से प्रवेश के लिये एक्स्ट्रा पैसा और लेते हैं। इस सम्बन्ध में अलवर का भी मामला है, और कई कालेज के कई मामले हैं। इसके अलावा जो प्रवेश लेने जाते हैं, उनको प्रवेश के पश्चात् सुविधा कुछ भी नहीं दी जाती, अध्यक्ष महोदय, इस तरह सरकारी पैसा लिया जाय, सुविधा कुछ भी नहीं दी जाय, भ्रष्टाचार उनमें हो और सरकार उनको लूटने के लिये खुला छोड़ दे, उस पर कोई नियन्त्रण नहीं हो इस तरह की, मैं समझता हूं, व्यवस्था उचित नहीं है। इस समय माननीय मन्त्री महोदय बैठे हैं, वह इस सम्बन्ध में जानकारी करके क्या प्रक्रिया अपनाई जाय, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में उचित कदम उठायें ताकि यह लूट खसोट जो इन बी. एड. कालेज में है बन्द हो और सुविधा नहीं मिल रही है वह मिले। यह स्थिति डीग में है, अलवर में है, हिण्डौन में है, जयपुर में भी है और भी कई स्थानों पर है, यह लूट खसोट रुक सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

(अनुपस्थित))

श्री लालचन्द डूडी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : मैं सरदारशहर के बारे में बोल रहा हूं, माननीय सदस्या को क्या तकलीफ हो रही है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार शहर तहसील में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहें। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो अकाल की गम्भीर समस्या है उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उठाना चाहता हूं। मैं अकाल के बाबत माननीय मन्त्रीजी से कई बार मिला और मन्त्रीजी से निवेदन किया। मन्त्रीजी ने यह कहा मैं चूरू जिले में आ रहा हूं और जाकर वहां की स्थिति देखूंगा मैं सोचता हूँ, कितनी दफा मन्त्री जी से मेरी मुलाकात अब तक हुई, सिवाय झूठे आश्वासनों के कोई नतीजा नहीं निकला कोई भी राहत कार्य सरदारशहर तहसील में शुरू नहीं हुए, सिफ दो राहत कार्य शुरू हुए हैं। उन्होंने लेबर सीलिंग लगा रखी है। वहां आखिर तीस-तीस व्यक्तियों से काम कराया एक-एक पंचायत में। जिस पंचायत की आबादी 3 हजार की है वहां सिर्फ तीस व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई, उस स्थिति में मेरे पड़ौस में जो गंगानगर डिस्ट्रीक्ट लगता है कई लेबर वहां पर पलायन कर गये। अभी तो परमात्मा की कृपा है पर आपके अकाल राहत मन्त्री रहते हुए शायद दुबारा अकाल पड़ने और लोगों को मरने की इच्छा हो ब तमाम लोग पंजाब और गंगानगर जिलों में, जहां रोजगार का कोई साधन नहीं, भूखे मरते गये, ऐसी हालत पैदा हो गई कि वहां एक एक दाने के लिये लोग मोहताज हो रहे हैं। अब ये क्या बोलेंगे, 10-15 दिनों की मामला है पर समय रहते इन्होंने स्थिति को नहीं संभाला अगर वहां पर कार्य नहीं खुलवाये तो स्थिति बड़ी भयंकर हो जायेगी। एक तरफ सरकार पानी के विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है और दूसरी तरफ पानी जैसे गम्भीर मामले में हौज बनाने की बात थी।

(12-29 म. प्र.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि जिन गांवों में विद्युत और पानी के हौज आप बनाने जा रहे हैं पानी के लिए, मैंने निवेदन किया, मन्त्रीजी ने फरमाया कि पानी के लिए टांकों का प्रबन्ध कर दिया गया है। पर अभी तक, मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपके अधिकारियों को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि टांके और हौज में कितना अन्तर है कितनी उसमें लेबर लगती है, कितना मैटिरियल लगता है। ऐसे अधिकारी आपने बिठा रखे हैं। वह ऐसे घरों में जन्मे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, करनी से उनका वास्ता नहीं है और भूखे की स्थिति जानते नहीं। आपके एक स्पेशल सैक्रेट्री हैं मैं उनसे स्वयं मिला हूं, उन्होंने कहा, इसमें तो लेबर कम्पोनेन्ट है वह नहीं लगेगी, इसमें मैटिरियल लगेगा। उनको मैं बता देना चाहता हूं हौज के अन्दर विशेष तौर से भाटा लेबर निकालती है, चूना लेबर लगाती है, सुर्खी लेबर बनाती है और चुनाई का काम लेबर करती है, खुदाई का काम शत-प्रतिशत लेबर का काम है। आपके अधिकारी मात्र यह कहते रहे कि सिर्फ लेबर का काम नहीं है इसमें तो मैटिरियल कम्पोनेन्ट 60 पर्सेन्ट है तो मैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 90 प्रतिशत 95 प्रतिशत लेबर कम्पोनेन्ट है। ऐसी स्थिति में ऐसे कार्य अगर आप हाथ में नहीं लेओ तो लोग भूखे मरेंगे उस स्थिति में विशेष तौर से जो बात है उसकी ओर मैं माननीय मन्त्रीजी का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो और ऐसे कार्य हैं उनको आप विशेष तौर से गम्भीरता से लें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय मैं अकाल राहत के बारे में मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों में पक्षपात नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सूची जारी की है उसमें चूरू जिले की दूसरी पंचायत समितियों को तो टांके बनवाने के लिए ज्यादा रुपये दिये हैं लेकिन सरदार शहर पंचायत समिति को इन्होंने टांके बनवाने के लिये सिर्फ दस हजार रुपये ही दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सम्भव है कि सरदार शहर तहसील में टांके दस हजार रुपये में पूरे हो जायेंगे। आज आपने चूरू जिले की डूंगरगढ़, चूरू और सादुलपुर पंचायत समिति को 25 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं तो मेरा यह मन्त्री महोदय से निवेदन है कि मेहरबानी करके अकाल जैसे कार्यों में तो आप पक्षपात नहीं करें। ठीक है आप पक्षपात करें, मैं भी मानता हूं, वहां के आप के कांग्रेस के विधायक हैं आपके ऊपर उनका दबाव है, आप उनकी वजह से सरकार में आये हैं पर मैं इतना आपको भी बता दूंगा कि आपको मन्त्री बनाये में विशेष तौर पर मेरा भी बहुत बड़ा योगदान है....

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा काम इनके सरदार-शहर में हुआ है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसीलिये तो मैं आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा ध्यान तो आपको विशेष तौर से रखना चाहिये क्योंकि मैं नहीं होता तो हरिदेव जोशी मुख्य मन्त्री नहीं बनते और आप मन्त्री नहीं बनते। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अकाल जैसे मामले में पक्षपात नहीं बरतें और इस बात को गम्भीरता से लेवें। जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उनमें जो आपने मजदूरी की सीलिंग लग रही है उसको दूर करने की व्यवस्था करें।

श्रीमती हमीदा बेगम : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा काम तो इनके यहां सरदारशहर में हुआ है। यह उसकी दुहाई तो दे नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। आर्डर आर्डर।

श्री हंसराज मिड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द (नीमका थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था पेयजल संकट के बारे में। मेरे

(श्री फूलचन्द)

क्षेत्र नीमकाथाना में पेय जल का बहुत बड़ा संकट है इस संकट का हल करने में विभाग द्वारा लापरवाही बरती गयी। कुछ तो भगवान की देन है लेकिन ज्यादा संकट विभाग के कारण से हो रहा है। कुआ में पानी वहां सुख गया है। हालांकि वहां पर टंकी बनी हुई है पर जब कुआं में पानी सूख गया तो वह बेकार है। जलप्रदाय योजना वहां पर जो पहले चालू थी वह अब बन्द हो चली है। इस विभाग के कारण यह बड़ा संकट हुआ है। मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जयप्रदाय योजनायें दस बारह काफी लम्बे समय पहले स्वीकृत हो चुकी थीं और सामान भी आ गया था पर सामान का न होना बताकर काम पूरा नहीं किया जा रहा है विभाग की तरफ से पाईप पड़े हैं पर ठेकेदारों को सामान नहीं दिया गया। वहां पर अधिशासी अभियन्ता ऐसा लगा रखा है जो कि सामान देने में दिक्कत पैदा करता है। इस कारण वहां पर काम पूरा नहीं हो पाता है। वहां पर अधिकारी द्वारा सामान नहीं देने के कारण ठेकेदार कार्य के लिये टैन्डर देना नहीं चाहते हैं वह कहते हैं कि सामान तो मिलता नहीं है इसलिए कार्य तो पूरा होगा नहीं। मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि पेयजल का है और जबकि राजस्थान में सभी जगह पर भयंकर है और संकट मिटाने के लिये कार्य कर रही है, पेयजल संकट को दूर करने के लिये सरकार तत्पर है तो फिर विभाग के नीचे राजस्थान सरकार पेयजल के संकट जो लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं उन अधिकारियों के द्वारा इस काम में सुस्ती बरती जा रही है, जिनके कारण पूरा काम नहीं हो रहा है और जो लोग सामान होते हुए भी देना नहीं चाहते है। उनसे पूछा जाना चाहिये कि ये काम इतने लम्बे समय से क्यों पड़े हुए हैं? इसकी जांच की जाय तथा जो दोषी व्यक्ति हो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर जल का बहुत बड़ा भारी संकट है। काफी गांव इससे ग्रसित है। वहां पर जो कुए हैं उनमें पानी बिल्कुल ही सुख गया है। वहां पर जो टंकी बनी हुई है उनमें पानी नहीं चढ़ता है। जिन कुओं में पानी नहीं आता है उन कुओं को और गहरा करने के लिये विभाग को कई बार लिखित में दिया जा चुका है। पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसके अलावा जहां तक नीम का थाना नगर का सवाल है वहां पर पाइप लाईन बिछी हुई है पर टंकी में पानी नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि लोगों ने वहां पर चूली मेटर्स लगा रखी है। चूली मोटर्स लग जाने के कारण जो आसपास के दस पन्द्रह मकान हैं, उन में पानी नहीं आता है। उसकी हालांकि लिखित में शिकायत भी की गयी है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे वहां पर पानी का बहुत भयंकर संकट छाया हुआ है। वहां पर लोगों में त्राहि त्राहि मची हुई है क्योंकि 10-15 मिनट के लिये पानी नल में आता है फिर लम्बे समय तक पानी आता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग लापरवाही करके इस पेयजल संकट की ओर ध्यान नहीं

(श्री फूलचन्द)

दे रहा है, उसको ध्यान देने के लिये कहा जाय। इस पेयजल संकट से वहां की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसलिये विशेष रूप से जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मेरा निवेदन है कि आप मन्त्री जी को इस काम को पूरा करवाने के लिये कहें। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कच्ची बस्तियों की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने अब की बार जो बजट भाषण दिया और जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कच्ची बस्तियों के विकास के लिये एकभी शब्द नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, जिन हरीजनों के वोट लेने की यह बात करते हैं उन गरीब लोगों के उत्थान के लिये, उनकी कच्ची बस्तियों के विकास के लिये कुछ भी बात नहीं कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज जयपुर में 225 कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में करीब ढाई लाख से लेकर 3 लाख लोग निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार की गलत नीति के कारण लोग कच्ची बस्तियों में आबाद नहीं हो पा रहे हैं, जगह-जगह से उनको उखाड़ कर फेंका जा रहा है कच्ची बस्तियों का विकास किया जा रहा है वह योजना के अनुसार होगा। जो जिस जगहपर बैठा है उसको जहां का तहां झोपड़ा बना कर बैठायें। वहां पर जो लोग झोपड़ों में बैठे हुए हैं उनसे भूमि के नाम पर पहले पैसा लिया गया। पहले तीन रुपया प्रति वर्गगज कच्ची बस्ती के लोगों से लेना तय किया गया फिर उसको बढ़ाकर पांच रुपये से 50 रुपये प्रति वर्ग गज तक जमीन का पैसा बढा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कहां तो तीन रुपये प्रति वर्ग गज और कहां पांच रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति वर्ग गज। अगर किसी गरीब आदमी की 50 की जगह 51 वर्ग गज जमीन निकल गयी तो उसको बढ़े हुए भूखण्ड के लिये, एक वर्ग गज के लिये 44 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतने घोर अन्याय की व्यवस्था इस सरकार ने उन लोगों के साथ की। पहले लोगों ने पैसे दे दिये। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने दुबारा उनसे कहा कि हम तुम्हें जहां हो वहां पर व्यवस्थित ढंग से बिठायेंगे और उनसे दुबारा पैसे ले लिये। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग सन् 1971 से बैठे हुए हैं आज जयपुर विकास प्राधिकरण उनको भू खण्ड नहीं दे रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है, जब बाड़ आई तब सरकार ने कहा कि सन् 1981 में जो सर्वे हुआ उसके आधार पर भू खण्ड मिलेगा। मैं आपको निवेदन करूंगा कि कुछ सन् 1971 से रह रहे थे और कुछ लोग सन् 1981 से रह रहे थे किन्तु कुछ लोग सर्वे से वन्चित रह गये जिनके सन् 1971 से मकान हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जो सन् 1981 से वहां पर मौजूद हैं जिनके पास राशन कार्ड हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उनको भी नोटिसेज मिले हैं उनके पास चिट्ठियां हैं, प्रमाण पत्र है, इतना ही नहीं उनका नाम सन् 1971 और 1981 की वोटर लिस्ट में है। इससे बढ़ कर क्या प्रमाण पत्र हो सकता है पर वह कहते हैं, चूंकि सर्वे नहीं हुआ इसलिए आपको भू खण्ड नहीं दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वे कोई गीता या भागवत या कुरान नहीं है जो बदला नहीं जा सकता है, वह बदला जाना चाहिये। आप देखें जिस व्यक्ति का फिजीकल पजेशन है उसके पास सभी प्रकार का रिकार्ड है, वह वहां पर वर्षों से रह रहा है, उसके पास सभी तरह के प्रमाण पत्र हैं कि सन् 1971 और 1981 से पजेशन है उनको वहां पर भूखण्ड दिया जाना चाहिये, यह मैं मांग करता हूं। पर, उपाध्यक्ष महोदय, जे० डी० ए० उनकी इस मांग को नहीं मान रहा है। जो लोग सन् 1971 से रह रहे हैं उन लोगों के मकानों पर बुल डोजर घुमाया जा रहा है, सन् 1981 से जिनके मकान बने हुए हैं उनके मकानों पर बुल डोजर घुमाया जा रहा है। यह बहुत भारी अन्याय, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत भारी अन्याय हो रहा है। जो लोग सन् 1971 से बैठे हैं, जो लोग 1981 से बैठे हैं पर, उनका सर्वे नहीं होने के कारण जे. डी. ए. कहता है कि उनको भूखण्ड नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण जी माथुर ने माहुरी के मके में राष्ट्रीय मैदान पर यह घोषणा की थी। सार्वजनिक तौर पर कि जो लोग सर्वे से वन्चित रह गये हैं चाहे वह लोग सन् 1972 से हों चाहे वह सन् 1981 से हो यदि उनका कब्जा है तो उनको भूखण्ड दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और उनको भूखण्ड दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शिवचरणजी माथुर ने विधान सभा में की और सार्वजनिक घोषणा भी की पर जो लोग सन् 1971 के या 1981 के सर्वे से वंचित रह गये हैं सर्वे रजिस्टर में जिनका इन्द्राज नही है उन्हें यह कह कर वन्चित करना चाहते हैं सर्वे रजिस्टर कोई संविधान की पोथी तो हो नहीं गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के वहां पर मकान हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, मलेरिया के कार्ड है, राशन कार्ड हैं और जिनके नाम चिट्ठियां हैं उन लोगों को जयपुर नगर विकास प्राधिकरण भूखण्ड क्यों नही दे रहा है। वह कहते हैं कि जब सर्वे करने लोग गये तो वहां पर तालाबन्द था। तो मैं वह निवेदन करना चाहता हूं कि तालाबन्द होने का कारण यह हो सकता है कि कोई गरीब कलेक्टरी गया हो फार्म भरने। उसमे फार्म तो भरा है। हो सकता है जब सर्वे करने वाले गये तब वह शादी विवाह में गया हो या हो सकता है मरण मौत में चला गया हो और सर्वे वाले आये हों तब ताला बन्द हो। तो इस बिला पर कि ताला बन्द था भू-खण्ड नहीं दिया जाय, सही नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोगों को भू-खण्ड दिया जाय। कच्ची बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय बनाये जाय, मूत्रालय बनाये जायं, हॉस्पिटल खोले जायं और उन गरीबों के लिये सड़कें बनायी जायें। उन गरीबों के उत्थान के लिये जो कार्यक्रम है वह किये जायें। लेकिन मुझे बहुत दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले मुख्य मन्त्रीजी हैं जिन्होंने बजट भाषण में इसके लिए बहुत कुछ नहीं कहा हैं।

मुख्य मन्त्री महोदय ने कच्ची बस्तियों के विकास के लिए, हरिजनों के लिए, कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब आदमियों के लिए अपने बजट भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा है, इसकी मैं आलोचना करता हूं। 1971 व 1981 में जो सर्वे हुआ था, उसके आधार पर उनको उचित दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाय, यही मुझे कहना है। बिजली, सार्वजनिक शौचालयों की सुविधायें भी उन्हें दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कल बोलूंगा, आज फाइल नहीं लाया हूं। यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत लाल।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में किसान दस सालों से खेती करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं। वहां उन्होंने मकान बना रखे हैं, कच्चे झोंपड़े हैं। वह कच्चे मकान बनाते हैं और अपनी खेती के आधार पर वह निर्भर है। लेकिन इस वर्ष वन विभाग के द्वारा प्लांटेशन लगाया जा रहा है और वह भूमि किसानों से छीनी जा रही है। वहां सीजिंग में जमीन की नपती होती है। पटवारी जाते है, तहसीलदार आते हैं, जंगलात के अधिकारी आते हैं। उन गरीब किसानों का एक हजार से बारह हजार रुपया बीघा पर खर्चा हो गया है। इस वर्ष पटवारी से, वन अधिकारियों से हम इस मामले में मिले, पर आज भी किसानों को बेदखल किया जा रहा है। किसानों के कुछ नाम लूंगा, रंगजी, प्रेमला इस तरह से जो किसान हैं, मैं समझता हूं, पटवारी लोग जंगलात अधिकारियों से मिल जाते हैं और उनको जमीन दे देते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आज बांसवाड़ा जिले में हो रही है। मैं रेवेन्यू मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि किसानों पर इस तरह से जो मार पड़ रही है, परेशान किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में गत 28 मार्च, 1985 को वन अधिकारी बाँसवाड़ा से मैं मिला। मैंने उनको जानकारी दी कि ऐसा हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? जब पटवारी जमीन की नपती कराते हैं उस वक्त वह और वन के अधिकारी आपस में मिलकर देखते हैं और इनकी मिलीभगत होने से किसानों को बेदखल करते हैं। उस समय उन्होंने मुख्य आश्वासन दिया कि इसकी जांच करायेंगे, लेकिन आज दिन तक यह जाँच नहीं हुई।

इसी तरह से जो चयनित परिवार हैं, दो हजार के करीब चयनित परिवार हैं उनकी जमीन की पटवारी और जंगलात के अधिकारी नपती कराकर उसमें से काफी जमीन जब्त कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। काफ

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

नम्बर मैं बता सकता हूं; जब जमीन नपती है तो नम्बर दिया जाता है; 552 नम्बर है, उस जमीन को वन अधिकारी और पटवारी ने नपती की फिर भी उस काश्तकार के साथ अन्याय हुआ। इसी तरह से 550 नम्बर की जमीन है। ऐसे कितने ही परिवार हैं। कितने नम्बर पढ़ूं। ~~अनुसूचित~~ परिवार हैं, पिछड़े परिवार हैं। पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत उनको जमीन दी गई, उनकी जमीन की नपती कर दी, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, मेरा वन मन्त्री और रेवेन्यू मन्त्रीजी से निवेदन है आप इस बात का खुलासा करें, जमीन की पैमाइश करायें। पटवारी तो जमीन की नपती करके दस साल के लिए चला जाता है, उसके बाद जब कोई दूसरा अधिकारी आता है वह दुबारा सर्वे कराता है। उसमें काश्तकार का दो हजार के करीब रुपया लगता है वह खा जाता है। दूसरे जो फारेस्टर आते हैं वह पटवारी से मिलकर दस साल बाद उसको बेदखल कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि जो मन्त्री महोदय हैं, उनको इस तरह के अधिकारियों से सख्ती से निपटना चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि पैमाइश कराई जाय और किसानों की रक्षा की जाय।

जंगल पर सरकार खर्च करती है, पौधे लगाती है। अब पौधा लगाने के बाद में क्या होता है। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, आपने पौधा लगाया, सन् 1960 से लेकर आज दिन तक हमारे वन विभाग की तरफ से पौधे लगाये जा रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो नये पौधे हैं, उनमें से एक भी पौधा उस जगह में नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, जंगल में पौधे लगाये जाते हैं पर अगर गर्मी के दिनों में आप जाकर देखेंगे तो एक भी पौधा नहीं मिलेगा। ऐसे किसानों को परेशान किया जा रहा है। हम जंगलात अधिकारियों से बात करते हैं कि पौधा लगाते हो वह नहीं रहता है। वहां आज जो मौजूदा जंगल है वह जंगल रात दिन अवैध रूप से कट रहा है, चोरी छिपे लकड़ी कटवा कर ले जाई जा रही है। ठेकेदार और कुछ नेतागण भी शामिल हैं। वह लकड़ी गुजरात में रतनपुर नाका की तरफ से रात दिन ट्रकों से जाती है। मेरा वन मन्त्री से निवेदन है कि किसानों को इतनी तकलीफ देकर, बेदखल करके जमीन पर जंगल बनाने की योजना राज्य सरकार बनाती है तो जो मौजूदा लकड़ी है आज, जंगल में जो लकड़ी फैली हुई है और अवैध रूप से काटकर ट्रकों में भरकर बाहर भेजी जा रही है, इसकी रक्षा क्यों नहीं की जाती?

श्री उपाध्यक्ष : सूक्ष्म करें, माननीय सदस्य।

श्री नवनीत लाल नीनामा : किसान लकड़ी के आधार पर मकान बनाते हैं। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि वन विभाग की तरफ से 15 साल हो गये पास देना बन्द कर रखा है। अवैध रूप से लकड़ी काटने का सरकार ने तरीका बना रखा है, ट्रकों में माल जाता है। मेरा आखिरी निवेदन है वन मन्त्रीजी से कि जो लकड़ी काटकर अवैध रूप से बाहर ले जाई जाती है उसको रोकें और वहां के किसानों को वहां के निवासियों को लकड़ी की आपूर्ति की जाय और मौजूदा जंगल की रक्षा की जाए। पौधे लगाये जायें तो उनकी रक्षा करें। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किरोड़ी लाल ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब लोग रोज अखबार पढ़ते हैं बारह पेज के अखबार में यदि एक पेज मेट्रिमोनियल का छोड़ दिया जाये, एक पेज एडवर्टाइजमेंट का छोड़ दिया जाय, एक पेज स्पोर्ट्स का छोड़ दिया जाय तो बाकी पेजों में कोई ऐसा पेज नहीं मिलेगा जिसमें दो-चार घटनायें दहेज न मिलने से लड़की को मार दिये जाने, जला दिये जाने या आत्महत्या के लिए बाध्य किये जाने की घटनायें न हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल वृहद रूप से इस पर चर्चा हुई थी, आज फिर यह विषय उभर कर सामने आया है। जयपुर निवासी श्री गिरधारी लाल मूंदड़ा की बीस साल की लड़की थी, बहुत सम्पन्न परिवार है। जिस परिवार में उनकी लड़की की शादी हुई वह भी सम्पन्न परिवार है। उस लड़की की शादी 14 फरवरी, 1985 को हुई, दोनों ही परिवार बहुत सम्पन्न हैं, मगर देखिये दहेज का लोभ कितना ज्यादा है। उस लड़की को दहेज पूरा न मिलने के कारण मार दिया गया। यह घटना अभी कुछ दिन पूर्व अखबारों में भी आई है। पुलिस उसकी तफतीश कर रही है, मगर जांच की स्थिति असंतोषजनक हैं और कोई उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। लड़की के चाचा पर, पिता पर दबाव डाला जाता रहा है और रोज टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही हैं, परसों भी टेलीफोन पर धमकी दी गई कि या तो आप इसके कार्यवाही से बाज आओ नहीं तो आपको भी खतम कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम लड़के की दूसरी शादी कर देंगे तो तुम उस बहू को अपनी लड़की मान लेना। इसी तरह की एक और बड़ी घिनौनी घटना है, जिसके विषय में चर्चा करते हुए मैं बताना चाहती हूं। अजमेर के निवासी।

अजमेर निवासी श्री सत्यनारायण भण्डारी के पुत्र भवानीशंकर से 20 वर्षीय सुन्दर लड़की ममता की शादी हुई। उसके पिता ने 4 लाख रुपये फरवरी 85 में ही खर्च किये। उसके बाद रोज उनकी मांग किसी न किसी रूप में आती रही। लगभग 5 हजार रुपये और इससे अधिक का सामान वह उस लड़की को उसकी मांग के अनुसार, सुसराल वालों की दहेज पूर्ति की मांग के अनुसार शादी के बाद भी देते रहे। कुछ दिन पूर्व, 11 तारीख के कुछ समय पूर्व ही लड़की से कहा गया कि अपने पिता से वी. सी. आर. और कलर टी. वी. लेकर आओ। मामला बहुत महंगा था, निरन्तर मांग पूर्ति के बाद उसके पिता इस मांग को अधिक नहीं बढ़ने देना चाहते थे और शायद मांग की पूर्ति कर भी नहीं सकते थे। नतीजा यह हुआ कि 11 तारीख को लड़की को बाध्य किया गया कि अपने घर वालों से फोन पर बात करो। सुबह 8 बजे उसका फोन आया। फोन पर वह रो दी। अपनी मां को उसने बताया कि उसको बहुत परेशान किया जाता है। उसके बाद 10 बजे लड़की के जीजा का टेलीफोन आया कि बिजली का करेन्ट लगने के कारण ममता बीमार है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं उसको देखना है तो तुरन्त आ जाओ। लड़की के घर वाले जब 3 बजे दोपहर तक अजमेर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी डैडबाडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लड़की वालों से यह कहा गया कि

श्रीमती विद्या पाठक)

करेन्ट से मृत्यु हुई है। उसके बाद यह कहा गया कि इसकी मृत्यु तो अपने ही किसी आपसी झगड़े की वजह से हुई है जिसका कारण मालूम नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसकी मृत्यु उसका गला घोंटने से हुई है। जब इस बात का पता लगा तो ससुराल वालों ने लड़की के पिता को यह कहा कि यह अपनी धोती से गला बांधकर पंखे से लटकी और आत्म हत्या कर ली। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह बिलकुल इसके विपरीत है क्योंकि किसी बहुत पतली चीज से उसका गला दबाया गया है, घोंटा गया है तार जैसी चीज से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। गर्दन पर उसके निशान पाया गया। अगर पंखे से लटक कर वह लड़की मरी होती तो उसकी आखें बन्द नहीं होती, जीभ मुंह के अन्दर नहीं होती। इसी तरह दूसरे सिमटम्स जो फांसी खाने से हो सकते हैं वह उसमें मौजूद होते। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसा नहीं कह रही है। यह सारे प्राइमाफेसी सबूत होने पर भी पैसे के प्रभाव में या किसी अन्य प्रभाव में आकर इस केस को दबाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक केस है पर ऐसे सैकड़ों केसेस रोज हो रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि हाउस में हमारे माननीय सदस्यों ने और सरकार ने इस चीज को जैसे रूटिन घटना समझ कर छोड़ दिया है। इस तरह की दो चार घटनाओं पर कार्यवाही होगी तब इस तरह की वारदातों और खबरों का आना समाप्त होगा। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि इस केस की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाई जाय और लाजिकल कन्कलुजिन तक पहुंचने तक सरकार के मन्त्री स्वयं इस बात पर निगरानी रखें कि यह केस किसी तरह से दबे नहीं, तभी आगे आने वाली इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था। इसका उत्तर आ गया है। मैंने आज भी दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर दो मिनट बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आज आपका है नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यही विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : यही है, तो जरूर बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और इसका उत्तर आ चुका है। आप कहें तो मैं बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने काफी इस पर बताया है लेकिन कुछ बातें इसमें रह गयीं। वह यह थीं कि पुलिस के डी. एस. पी. थे जिस समय गिरधारीलाल जी

(64)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

.कोठारी उनके यहां पहुंचते हैं तब घर पर थे। जितना मेरी जानकारी में है लड़के वालों ने, सत्यनारायण ने, जो अजमेर में रहते हैं उन्होंने इनको पैसा देकर इस केस को खतम करने की कोशिश की है। जहां तक सवाल आता है पुलिस का, अगर वह इस तरह से मिल जाती है तो मैं समझती हूं कि न्याय का तो गला ही घुट जाता लगता है। मेरी तो मान्यता है यह है कि जो इस तरह से लड़कियों को मार दे या जला दे, उनका गला घोट दे या उनको जहर की गोलियां दे दे तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो। इस तरह के 40 केसेस जनवरी से अब तक सात महीने में राजस्थान में हुए है बाहर के तो और हैं। इस तरह के केसेज को रोका जाय। लड़का अगली बार शादी नहीं कर सके, इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए। जिस तरह क्रिमिनल केस में आजीवन की सजा होती है, यदि पुलिस ऐसे केस में शामिल हो जायेगी तो आजीवन कारावास नहीं होगा। तो अन्य लोग, जो लोभी लोग है, जो लालची हैं, जो पैसे के लालची हैं, जिनमें न तो मानवता है और न वह आदमी को आदमी समझते हैं, ऐसे हत्यारों को किस तरह से दण्डित किया जा सकेगा। यह एक सामाजिक अपराध है। अगर इस सरकार ने इस तरह केसेज के लिये कड़े कानून बनाने की कोशिश नहीं की तो यह बात सत्य है कि हम यहां बोलते रहेंगे और लड़कियां मरती रहेंगी। समाज में लड़कियों की कहीं कोई रक्षा नहीं है, कहीं उनके अभिमान और स्वाभिमान की कोई रक्षा नहीं है और न उनके जीवन की रक्षा है। कल्याणकारी सरकार अगर ऐसा कदम नहीं उठाये तो शोभाराम जी यहां नहीं हैं वे यहां एक बिल लाने वाले थे, ऐसा बिल जब सरकार की तरफ से नहीं आता है और हम लोग रखते हैं तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज इस तरह से खिलती कलियां, 20 साल की, 23, साल की, 22 साल की, 19 साल की, 16 साल की लड़कियों की रिपोर्ट है। ममता की रिपोर्ट में है, 4 महीने में दो दिन ही कम थे तब उसको जान से मार दिया गया। तो इस तरह के केसेस, मैं समझती हूं, नहीं होने चाहिए स्वतंत्र भारत में। स्त्रियों की रक्षा का दायित्व समाज का और सरकार का है। अगर समाज उसको नहीं समझ पाता है और इस तरह के प्रलोभन में पड़ता है तो सरकार का दायित्व है कि कड़े कानून इस तरह के बनाये कि आगे से इस तरह के अपराध न हों। यही मेरा कहना है। 40 केसेस हैं मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष : संबंधित मन्त्री ... मांग. संख्या 27 पेयजल....

श्री किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था...

श्री शिवचरण सिंह : मेरा भी एक एडजोर्नमेन्ट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष :....की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

किरोड़ीलाल जी आप एबसेन्ट थे। दो बार बोला था मैंने।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बात हो रही है। प्रस्ताव कहां रखवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : काहे का ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनको भी तो बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : इनका नाम बोल चुका यह एबसेन्ट थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह माफी मांगते हैं इसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप खेद करते हैं इसके लिए ?

श्री किरोड़ी लाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : Right। माननीय सदस्य का विषय हिन्डोन की नगरपालिका का है।

श्री किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्डौन नगरपालिका में गत 40-50 दिनों से सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल चालू कर रखी है जिसके कारण हिन्डौन की स्थिति खराब हो रही है। वहां पर कचरा और मलवा पड़ा हुआ है, कुत्ते बिल्ली सड़े हुए पड़े हैं जिससे गर्मी के मौसम में नगर की स्थिति खराब है। वायु प्रदूषण के कारण वहां बहुत ही बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों का वहां रहना मुश्किल हो पा रहा है। इस स्थिति को चैक करने के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष ने उनकी मांगें थीं अपने स्तर पर उन मांगों को पूर्ण करने के लिए कर्यवाही की लेकिन इस कार्यवाही के बाद भी कुछ हरिजन और सफाई कर्मचारियों को कुछ लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है, कुछ नगरपालिका के कर्मचारी हैं जिनके द्वारा भी उनको उकसाया जा रहा है जिसके कारण से स्ट्राइक लिगर आन होती जा रही है। नगरपालिका के अध्यक्ष इसमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं उसके बाद भी कुछ गुण्डे लोगों के द्वारा और कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा सफाई कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है और कुछ नगरपालिका के कर्मचारियों की शह से यह हड़ताल चल रही है। मेरा इस बारे में आपसे निवेदन है कि ऐसे सफाई कर्मचारी और ऐसे नगरपालिका के कर्मचारी, जो इस हड़ताल को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। सफाई कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था को आज पैरेलाइज किया है उसकी आल्टरनेटिव व्यवस्था वहां के नगरपालिका अध्यक्ष ने की। आगरा से कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया। उन आगरा के सफाई कर्मचारियों को वहां के सफाई कर्मचारियों ने मार पीटने के बाद जब पुलिस में रिपोर्ट

66

(श्री किरोड़ी लाल)

दर्ज कराई गई तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो वहां के कुछ कर्मचारी लोग, नगरपालिका के कुछ कार्यकर्ता और आठ दस स्वीपर्स, जो बाहर से बुलाये गये थे, सफाई करने गये तो एकदम 100-150 हरिजनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया जिससे वहां की स्थिति आज और भी खराब हो गई है। वहां के सफाई कर्मचारी नगरपालिका के अधिकारी के घर पर मरा हुआ कुत्ता डाल गये। निरीक्षक के घर पर मरा हुआ कुत्ता डाल गये। कानून की स्थिति खराब होती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन असामाजिक तत्वों ने इस चीज को बढ़ावा दिया। आज जो लोग नगरपालिका में हैं इस चीज को बढ़ावा देते हैं। उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। हड़ताल को तुड़वाने का एक ही रास्ता है. जो असामाजिक तत्व हैं और जो ऐसे कर्मचारी नगरपालिका में लगे हुए हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तो यह हड़ताल टूट जायेगी वरना यह हड़ताल चलेगी और सरकार की स्थिति खराब हो जायेगी व वहां के लोग बीमारियों से ग्रसित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि हड़ताल को तुड़वाने की राज्य सरकार उचित कार्यवाही करे।

(1.00 म. प.)

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित मन्त्री जी। मांग संख्या 27 पेयजल योजना के....

(व्यवधान)

जानकारी के लिये भेजा गया है। सवाई माधोपुर में चारे और पानी का....

श्री शिवचरण सिंह : सरकार देती है क्या जानकारी? जानकारी देगी भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी के लिये गया है। उस पर व्यवस्था भी हो चुकी है। आप थे नहीं।

(व्यवधान)

सम्बन्धित मन्त्री जी। मांग संख्या 27 पेयजल योजना मांग के बारे में अपना प्रस्ताव करेंगे।

श्रीमती कमला : वही रख रही हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

सम्बन्धित मन्त्री की अनुपस्थिति में अन्य मन्त्री द्वारा मांग की प्रस्तुति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के मन्त्री मुख्य मन्त्री हैं। मुख्य मन्त्री इस सदन में रहना नहीं चाहते। अपनी मांग के सम्बन्ध में कल जब बहस हो रही थी मुख्य मन्त्री जी से....

श्रीमती कमला : बीच बीच में आये भी थे फिर जवाब भी दिया है। ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिये जो उनका उत्तर कल आया है वह निराशाजनक रहा। माननीय सदस्यों ने परिश्रम करके जो जानकारी इस सदन को दी इस जानकारी के संबंध में एक किताब बता दी कि सारे कट मोशन्स के जवाब इसमें लिखे हुए हैं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये भेज रहे हैं उसका कारण साफ था कि उन्होंने डिबेट में भाग नहीं लिया। जो मुख्य मन्त्री के पास विभाग है उत्तर देने के लिए श्रीमती कमला जी यहां आ गई, यह जानकारी देंगी लेकिन विभाग इनके पास नहीं है, जिनके पास विभाग नहीं है वह पूरी जानकारी नहीं दे सकते। आप यह कहें कि कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है इस आधार पर कोई भी मन्त्री उत्तर दे सकता है। लेकिन कोई भी मन्त्री, जिसका विभाग नहीं है, उत्तर देने के लिये यहां प्रस्तुत होगा तो सवाल यह है कि डिबेट किस आधार पर करनी चाहिये, क्यों करना चाहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को बुलाया जाये। मुझे यह आपत्ति नहीं कि मांग इनकी तरफ से न रखी जाये लेकिन सवाल यह है कि डिबेट में मुख्य मन्त्रीजी भाग लेते हैं। डिबेट में मुख्य मन्त्री जी भाग नहीं लेते हैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि सदन की अवमानना कर रहे हैं और सारे सदन की कार्यवाही के प्रति उनकी दुर्भावना है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दीजिये कि जिसका विभाग हो वह मन्त्री यहां उपस्थित रहे। आज मैं नहीं कहता कि मुख्य मन्त्रीजी व्यस्त या अस्वस्थ हैं जिसके कारण से नहीं आ सकते लेकिन उन्होंने एक आदत बना ली है, मुख्य मन्त्रीजी कोई भी, किसी भी विभाग के मन्त्री को खड़ा कर देंगे और खुद सदन में रहना नहीं चाहेंगे। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जहां तक इस मॉग का प्रश्न है मन्त्रीजी इजाजत मांगें तो इजाजत दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इजाजत तो मांगी नहीं है। इजाजत मांगने के लिये उनको प्रेरणा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी इजाजत मांगेंगे तो विचार करके इजाजत दूंगा। जहां तक आसन का प्रश्न है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह नहीं है। आप इस सम्बन्ध में इजाजत दीजिये। वह फार्मेलिटी पूरी कर लेंगी

श्रीमती कमला : मुख्य मन्त्रीजी आयेंगे, डिबेट के समय बैठेंगे। अगर विभाग हमारे पास भी हो तो भी हम बीच-बीच में जाते हैं, दूसरे हमारे साथी बैठे रहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी भी पधार गये हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा मुख्य मन्त्रीजी ! और वे खड़ी हो गई। मैंने सोचा मुख्य मन्त्री जी कैसे बदल गये।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : मेरे लिये कह रहे थे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता को बिना मुख्य मन्त्री के चैन नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो मुख्य मन्त्री जी को ही पेश करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका लगाव है। आपका और मुख्य मन्त्री जी का।

(68)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो आपके माध्यम से उनसे लगाव है।

श्रीमती कमला : आपकी आज्ञा से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब पाइन्ट आफ आर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अब तो मुख्य मन्त्रीजी स्वयं ही प्रस्तुत करें हाउस में उपस्थित हैं इसलिये आप इजाजत मत दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं चला जाऊं। चला जाता हूं।

श्रीमती कमला : मैं प्रस्ताव करती हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी मौजूद हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है मैंने इस सचिवालय को, अध्यक्ष महोदय को, सूचित भी कर दिया है, मेरी अनुपस्थिति में उपस्थिति में सभी मन्त्री मेरी सहायता करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सहायता नहीं करते तो आप मन्त्री किसी को बनाते ही नहीं। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अपनी सहायता के लिए मन्त्री बना दिये हैं। और भी सहायता देने के लिए तैयार बैठे है लोग, उन्हें नहीं बना रहे हैं। सवाल यह नहीं है। सवाल सदन की सैंक्टिटी का है। मुख्य मन्त्री जो यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कोई मन्त्री मांग रखे, तो मेरा आपसे निवेदन करना है आप अनुमति मत दीजिये। अगर आप अनुमति देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा तो निवेदन यह है कि मुख्य मन्त्रीजी उपस्थित हैं और दूसरे विभाग के मन्त्री मांग रखते हैं तो अनुचित है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दिया है, और यह सर्कुलेट हो चुका है कि मेरे पार्लियामेंट्री वर्क में, लेजिस्लेशन वर्क में अमुक अमुक विभागों में अमुक अमुक मन्त्री मेरी सहायता करेंगे। यह परिपाटी कायम की है इसको आपने स्वीकार किया है। मैं यहां होऊं न होऊं यह चीजें चली आ रही हैं। व्यवस्था इसी आधार पर दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री अपने सहयोगी किन-किन मन्त्रियों को बनाते हैं इसका जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता उस समय तक इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं आज यह कह सकता हूं, कि आपके लिखने से काम नहीं चलेगा। आज आपके विभाग की किसी फाइल पर यह दस्तखत नहीं कर सकतीं, यह कोई निदेश नहीं दे सकतीं यह किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकतीं तो फिर सहायता किस बात की? सहायता केवल इस बात की कि आप नहीं रहे, आपकी छुट्टी हो जाये हाउस से यही तो सहायता है। अब इस सहायता के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था कीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : आप व्यवस्था नहीं दें, आप यह कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, व्यवस्था दीजिये। यही कह रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, परमिशन के लिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें जिद्द क्या है। आप रख दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : जिद्द नहीं है, यह व्यवस्था की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो व्यवस्था है। आप सदन को बड़ा मान कर चलिये, मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी : यह खूब रही। जबरदस्ती मेरे मुंह से यह कहलाना चाहते हैं कि मैं सदन को बड़ा नहीं मान रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मान रहे हैं तो आप रख दीजिये मांग। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। अनुमति मत दीजिये आप क्योंकि आप यहां मौजूद हैं। अनुमति देने का प्रश्न उस समय पैदा होता है जिस समय कोई उपस्थित न हो। अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में आपको सूचना मिली नहीं। मुख्यमन्त्रीजी उपस्थित हैं। अनुपस्थिति के लिये आपके पास कोई सूचना नहीं है। मुख्य मन्त्री का आपसे निवेदन नहीं है इस सम्बन्ध में कि आप बैठे रहेंगे फिर भी कोई दूसरे विभाग का मन्त्री इनके विभागों की मांगें रखेगा। यह गलत परम्परा पड़ रही है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्णय देने का पहला अवसर मिल रहा है और मैं समझता हूं आप चूकेंगे नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई जिद्द नहीं है। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके व्यवस्था मांग ली। इस व्यवस्था को आप उलटना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस व्यवस्था को आपने हाउस में नहीं बताया है। आप और अध्यक्ष के बीच में कोई बात हो जाये, We are not concerned with that.

श्री हरिदेव जोशी : बात नहीं हो जाये लिखित निवेदन हो जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निवेदन हो जाये, वे हमको सूचना दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह विधान सभा का बुलेटिन नं. 2 है द्वितीय सत्र का। भाग दो। 27 जून 85 संख्या 40, इसमें यह है कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 34 के अन्तर्गत यह बंटवारा किया है, इसकी हमारे पास सूचना है। मैं सूचना देना चाहूंगा....

श्री पंकज पंचोली : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचना हम सब को मिल गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तोसावड़ा जी....

(व्यवधान)

कृपया....।

आठवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में मन्त्रियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के लिये राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 34 के अन्तर्गत नियत दिन निम्न प्रकार हैं :—

श्रीमती कमला, राजस्व मन्त्री, इसमें (क) राजस्व एवं भूमि विभाग तो इसमें यह (ट) पर आता है जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कह दिया, यह तो प्रश्नों के उत्तर के लिये है। इसमें बहुत फर्क है। मांग और प्रश्न में तो बहुत फर्क है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : विधायी कार्य लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल प्रश्न की बात है। आप पढ़ लीजिये।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा : नियम संख्या 34 है.... ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपके बस की बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कहीं जिद् की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन-सा रूल है, बता तो दीजिये ?

एक माननीय सदस्य : 44 ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : यह तो प्रश्न के लिये है।

अनुदान की माँग

मांग संख्या 27–पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 अरब 81 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक पेय जल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय,

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

1. जयपुर नगर में जल वितरण की व्यवस्था एवं नलों में उचित प्रेशर के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रेवत राम (श्री डूंगरगढ़) :

श्री रामदेव (मुंडवा) :

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :

2. डूंगरगढ़ क्षेत्र के ऐसे ग्राम जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है उसे प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

3. सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल की दरों में की गयी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. नवलगढ़ मुकुन्दगढ़, कस्बे तथा नवलगढ़ तहसील के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

5. राज्य के प्रत्येक गाँव में पीने योग्य पानी की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

6. सवाई माधोपुर जिले के करौली, गंगापुर, हिण्डौन की पेयजल योजना को आबादी व समय के अनुसार परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम सिंह (लूणी) :

7. जोधपुर जिले की लूणी विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के उचित समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

8. पुष्कर सरोवर के जल को दूषित होने से बचाने हेतु चर्चा के लिये।

9. 1500 से 3000 की आबादी के गांवों में जल प्रदान योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. अपूर्ण जल प्रदान योजनाओं को तुरन्त पूरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जहां टी. एस. एस. स्कीम फेल हो गयी है वहां पर हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. पेयजल योजनाओं में आर. सी. सी. टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

13. जिला बांसवाड़ा के खान्दू कॉलोनी में पेयजल की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

14. माण्डल क्षेत्र की कीड़ीमाल पंचायत में नल कनेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. पेयजल टी. एस. एस. स्कीम की असफलता पर चर्चा के लिये।

16. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र में हैण्डपम्प लगाने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये।

17. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या हल करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

18. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र के मन्दोरकी पहाड़ी पर टैंक बनाकर पेयजल की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

19. जयपुर जिले के जमवारामगढ़ बांध से एशियाड के अवसर पर 5 फुट पानी निकाले जाने से पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20 बनास नदी योजना से अजमेर, टोंक, ब्यावर तथा जयपुर को अभी तक पेयजल सुलभ न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

21. जयपुर नगर के चार दरवाजा-बाहर मण्डी डकोतान में पिछले 6 महीने से जल वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. जयपुर नगर में लगाये गये हैण्ड पम्प्स में से आधे खराब हो जाने से सरकार को हुई धनराशि की हानि पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

23. ग्रामीण जल प्रदाय योजना मीठड़ी फिरवासी तहसील लाडनूं जिला नागौर में जल वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. ग्राम सींधाना आजवा तहसील डीडवाना जिला नागौर की पेयजल योजना से पानी का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

25. पंचायत समिति सराड़ा की पंचायतों में जलदाय योजना बनाकर जल वितरण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

26. पंचायत समिति गिर्वा सराड़ा एवं खेरवाड़ा के क्षेत्रों में हैण्डपम्प नहीं लगाने एवं खराब पड़े हैण्डपम्प्स के कारण स्थानीय नागरिकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

27. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

28. भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध से कस्बा बनेड़ा, गुलाबपुरा एवं रायला में पर्याप्त मात्रा में पेयजल वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

29. गंगानगर शहर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़) :

30. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

31. चूरू जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या एवं राजगढ़ व गधेली साहवा जलदाय योजनाओं का कार्य ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अश्कअली (फतेहपुर) :

32. रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिये अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक धनराशि का प्रावधान कर पेयजल सुलभ कराने हेतु विशेष योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अश्क अली)

33. फतेहपुर क्षेत्र, जिला सीकर में पेयजल हेतु राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्र शेखर (खैरथल) :

34. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में कस्बा खैरथल ग्राम-नंगला डूंगर की हरिजन बस्ती मूडियायत मोठूका में पेयजल की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

35. ग्राम जीनमाता, रलावता-मोहनपुरा तहसील दातारामगढ़ (सीकर) में पीने के खारे पानी की समस्या के निदान हेतु रीजनल योजना स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) की 200 जनसंख्या की आबादी की ढाणियों में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) क्षेत्र के दो हजार की आबादी वाले ग्रामों में पम्प एण्ड टैंक योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

38. राज्य का पेयजल समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. दूदू विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की योजनाओं की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

40. चौमूं क्षेत्र में प्रस्तावित पेयजल योजनाओं से जल वितरण में अव्यवस्था एवं हैण्डपम्प्स के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

41. चौमूं क्षेत्र में टी. एस. एस. की योजनायें बन्द पड़ी रहने से आम जनता में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री लाल चन्द (भादरा) :

42. भादरा तहसील के गांवों में पेयजल की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) :

43. भीनमाल (जिला जालौर) में पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु एक अलग नया खण्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. सांचौर की क्षेत्रीय नलजल योजनाओं के जरिए ग्रामीण जनता को पीने का पानी मुहैया न कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

45. ग्राम सिवाड़ा रणोदर ग्राम, रणोदर में पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु पंचायत समिति सांचौर को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

46. तहसील सांचौर की क्षेत्रीय ट्यूबवेल योजनाओं को ठीक कर ग्रामीण लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल (हिण्डोली) :

47. बून्दी जिले में पेयजल व्यवस्था के विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) :

48. पंचायत समिति नीम का थाना के कस्बों व देहाती क्षेत्रों में पेयजल की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. नगर नीम का थाना छावनी स्थित पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह (श्री माधोपुर) :

50. ग्राम आसपुरा तहसील श्री माधोपुर में पेयजल योजना मन्जूर नहीं करने से उत्पन्न गम्भीर संकट पर चर्चा के लिये।

51. ग्राम गढ़ भोपजी तहसील श्री माधोपुर के कुए में पेयजल हेतु बिजली की मोटर, पाइप तथा सीढी वगैरह फिट करने के तीन माह बाद भी चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. पंचायत समिति श्री माधोपुर में टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत लगाई गयी विद्युत मोटर के बार-बार जलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. ग्राम अजीतगढ़ में पेयजल योजना सही ढंग से नहीं चलने व टंकी की क्षमता कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) :

54. पंचायत समिति नीम का थाना में टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत लगी विद्युत मोटरों के बार-बार जलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह (श्री माधोपुर) :

55. ग्राम पंचायत समिति श्री माधोपुर में पेयजल वितरण व्यवस्था में बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : (सरदार शहर) :

56. सरदार शहर तहसील के गांवों में पानी नहीं पहुंचने से पानी की गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल (लालसोट) :

57. तहसील लालसोट में टी. एस. एस. स्कीम के विफल होने पर विलाना, दलितपुरा शिवसिंह पुरा में रीजनल स्कीम की स्वीकृति कर समस्या का समाधान कराने हेतु चर्चा के लिये।

58. नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में पेयजल समस्या के निराकरण एवं नगरपालिका क्षेत्र की ढाणियों में हैण्डपम्प लग-

(श्री परसादी लाल)

वाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) :

59. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लगे हैण्डपम्पों का जल स्रोत 15-20 फीट नीचे चले जाने पर उनका बोरिंग गहरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. बहरोड़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महराजवास, लगसीवास, खापरिया आदि ग्रामों में पुराने कुओं को जलस्तर नीचे चले जाने से पेय जल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भूदरमल (दौसा) :

61. दौसा देहात के दस गांवों के लिये एक बड़ी रीजनल स्कीम बनाई जाकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने का आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिकुमार (रामगंजमण्डी) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

62. तहसील रामगंज मण्डी के मोड़क गांव में पेयजल संकट के निराकरण हेतु विभाग द्वारा टंकी निर्माण की स्वीकृति के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. रामगंज में व्याप्त पेयजल संकट के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुलताना राम (जैसलमेर) :

64. जैसलमेर जिले में नाचना, मोहनगढ़ रामगढ़ के ग्रामीणों को नहर से [illegible] उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. जैसलमेर जिले में पेयजल की 40 एल. पी. सी. लाइन से जुड़े हुये गांवों को 70 एल पी. सी. से जोड़ा जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) :

66. जालोर जिले की आहोर तहसील में टी. एस. एस. स्कीम्स के पूर्णतया विफल हो जाने पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

67. पाली जिले की पेयजल योजना के क्रियान्वयन में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

68. झुंझूनू जिले में विभाग द्वारा चलाई जा रही जल योजनाओं की क्रियान्विति में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों के

(श्री सुन्दरलाल)

लिये विशेष पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

70. तहसील सांचौर के नलकूपों को चालू कराने संबंधी योजना में आ रहे अवरोध को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) :

71. बिसलपुर पेयजल योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

72. उदयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) :

73. सलुम्बर में पानी की टंकी फटने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) :

74. पाली जिले में पेयजल समस्या एवं उसके समाधान पर चर्चा हेतु।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

75. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के आलमपुर भिवाड़ी नगलिया बाँध में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का तेजाबी पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कोट कासिम में पाइप लाइन अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

77. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कुओं का पेयजल सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में लगे हैण्डपम्पों पर मशीन नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. ग्राम ईस रोड़ा, सिलारपुर कढीदावल, लुहादेश गोदड़ा, खिरदपुर, नसोपुर को आज तक नल योजना से नहीं नहीं जोड़ने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

81. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भगाना, जकोपुर, आलमपुर, बिलाहेड़ी, बीरनधाम, तालपुर उज्वोली कान्हड़ का सिलवरा व अनाका में टंकिया बन जाने के बावजूद भी जल वितरण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

82. झुन्झुनू जिले की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इन्दिरा गाँधी नहर से पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. नवलगढ़ में पेयजल योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रेवत राम (श्री डूंगरगढ़) :

श्री राम देव (मुंडावा) :

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :

84. क्षेत्रीय योजनाओं की असफलता से चूरू क्षेत्र को पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

85. ग्राम झरडीया चरनांवा तहसील लाडनूं जिला नागौर के पेयजल कूप खराब होकर बन्द हो जाने के उपरान्त भी दूसरे नलकूप नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. ग्राम बांकलीयां से सारडीं तहसील लाडनूं-जिला नागौर में छोटी पाइप लाइन डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना में प्रर्याप्त मात्रा में जल वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. ग्राम मंगलपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर की हरिजन बस्ती में स्वीकृत शुदा पाइप लाइन नहीं डालने पर चर्चा के लिये।

89. ग्राम गोलो ढाणी तहसील लाडनूं जिला नागौर में पीने को पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

90. टिबी विधान सभा क्षेत्र के गांवों की जल प्रदाय योजना के सुचारु रूप से नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

91. पंचायत नूरडा पंचायत समिति मावली में हैण्डपम्प लगाने में विभाग द्वारा मनमानी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) :

92. जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र ग्राम नोरंगपुर, भामोद, टोडामीना, डोगरवाड़ा, थली, मेहुगी, सान कोटड़ा. फूटोलाल में शीघ्र पी. एण्ड टी. योजना बनाकर पानी की टंकी व नल लगाये जाने की चर्चा के लिये।

93. पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों का दुबारा सर्वे कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

94. सीकर को इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राज्य के पेयजल समस्या ग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. राज्य में हैण्ड पम्पों के बार-बार

78

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खराब होने से हैण्डपम्प योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

97. राज्य में पेयजल योजनाओं के वास्तविक मूल्यांकन पर चर्चा के लिये।

98. राज्य में पेयजल की बढ़ी हुयी दरों को वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सीकर नगर में पाइप लाइनों के विस्तार, ओवर हैड टंकी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सीकर ग्राम तारपुरा तथा अन्य गांवों में बनाये गये ओवर हैड टैंक्स के रिसने का अथवा गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की पेयजल योजना को पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम मण्डी सुरेरा, गोगावास तथा अन्य ग्रामों की पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने एवं राजनैतिक भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामलानी) :

103. बाड़मेर जिले के पीने के पानी के स्थाई हल के लिए इन्दिरा गांधी नहर की पोकरण लिफ्ट से संतरा, सिन्धरी, नगर गुडामलानी गांधव आदि ग्रामों से होती हुई पाइप लाइन की योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. बाड़मेर जिले में गुडामलानी एवं चौहटन तहसील के लिए नया अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराडा) :

105. उदयपुर शहर को पेयजल सुलभ कराने हेतु देवास योजना की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल तांबी (जहाजपुर) :

106. नगर एवं ग्रामों की पेयजल योजनाओं के निर्माण में विलम्ब तथा अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

107. बूंदी शहर को मांगली नदी अथवा चम्बल नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) :

108. ग्रामीण पेयजल योजनाओं का विस्तार तथा हैण्डपम्प्स के रख रखाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

109. कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (हवामहल) :

110. जयपुर शहर की पुरानी बस्ती में दीनानाथ जी के रास्ते में तीसरे चौराहे

(श्री भंवरलाल)

से पांचवे चौराहे तक 4 इंच की राजकीय पाइप लाईन को 9 इंच की पाइप लाइन में परिवर्तित कराकर पूरे दवाव से पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. पुरानी बस्ती, जयपुर के दीना नाथ जी के रास्ते में एक भी हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

112. कँवर नगर, ब्रह्मपुरी, पुरानी बस्ती, मोहन नगर आदि बस्तियों में अन्य बस्तियों की भांति उचित दवाव से जल वितरण नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

113. जयपुर नगर में विभाग द्वारा हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्थान चयन में किये गये भेदभाव पर चर्चा के लिये।

114. जयपुर में लगाये गये हैण्डपम्पों में प्लेटफार्म नहीं बनाये जाने से फैलने वाले पानी से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

115. जयलाल मुन्शी का रास्ता व राजा शिवदास जी के रास्ते में डाली गयी गटर लाइन के छोटा होने से आये दिन गन्दे पानी के मार्ग पर फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

116. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

117. पंघोर की पेयजल टंकी के पिछले आठ साल से बनी होने पर भी उपयोग में नहीं लेने तथा पंघोर क्षेत्र की पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

118. पूगल ब्रांच में से खशानवाला माईनर को आर. डी.-35 से निकलने वाली पी. आर. एम. के काश्तकरों को पीने तक का पानी देने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

119. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्रामों की प्रस्तावित क्षेत्रीय जल योजना के आरम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. राधा स्वामी बाग, चौमू के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल को चौमू जल प्रदाय योजना से नहीं जोड़ने से उत्पन्न समस्या के निराकरण के संदर्भ में चर्चा के लिये।

121. तहसील सांगानेर के कस्बा नेवटा में बिड़ला ट्रस्ट द्वारा बसायी गयी नई बस्ती के अलावा पुराना आबादी के नागरिकों को पेयजल सुविधा से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. तूंगा जल प्रदाय योजना में 5 होर्स पावर के विद्युत पम्प के स्थान पर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

10 होर्स पावर का विद्युत पम्प लगाकर ग्रामों की पेयजल समस्या का निवारण करने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

123. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी चकासू की जिन हरिजन बस्तियों में पेयजल कूप अथवा हैण्डपम्प सुविधा नहीं है वहां अविलम्ब पेयजल सुविधा प्राथमिकता के आधार पर सुलभ कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

124. जयपुर जिले में बांसखो जल प्रदाय योजना में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये।

125. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी, चाकसू, दौसा, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई, फागी के सार्वजनिक पेयजल कुओं में बोरिंग करवाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

126. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की टी. एम. एस. योजना बडावा, टहरडा, जटवाड़ा, झर, सांभरिया को ग्रामीण जल प्रदाय योजना में परिवर्तित करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

127. खराब हैण्डपम्प सुधार की जिम्मेदारी पंचायतों से वापिस ले कर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को दिये जाने तथा हैण्डपम्पों की सूचना देने के तीन दिवस में ठीक कराये जाने की व्यवस्था के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

128. स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाये जाने में अनावश्यक विलम्ब की प्रवृत्ति को रोके जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

129. ग्राम गिरधारीपुरा तहसील बस्सी की बैरवा बस्ती का हैण्डपम्प बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. जयपुर जिले की पंचायत समिति चाकसू, बस्सी, सिकराय, बांदीकुई, लालसोट, दौसा एवं फागी के ग्रामों में समाज के कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

131. ग्राम असरपुरा, केशुपुरा तहसील सांगानेर में पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. मांग्यावास, मान्यावास, सिंगारपुरा तहसील सांगानेर में पेयजल सुविधा से वंचित बस्तियों में स्वीकृत हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. ग्राम कशुपुरा तहसील सांगानेर में पेयजल सुविधा से वंचित हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रणवीर (भीलवाड़ा) :

134. भीलवाड़ा नगर में पेयजल समस्या की गम्भीरता होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (रायसिंह-नगर) :

135. हरिजन वस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के अभाव से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) :

136. कई गांवों को 14 वर्ष से अधिक लम्बे समय से कमीशन दिखाया हुआ है परन्तु गांव आज भी कमीशन नहीं हुआ है । इस पर चर्चा के लिये ।

137. झुन्झुनूं जिले में कई गांवों में पानी की टंकियों से पेयजल वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

138. गांवों में पंप और टंक स्कीम से दिये जाने वाले पानी के पैसे नहीं वसूल किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री भंवरा राम (डीडवाना) :

139. राजस्थान की ग्रामीण जलदाय योजनाओं में पशु गणना को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (राजगढ़) :

140. राजगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के लिये बीलपुर खेड़ा डग-डगा, खोहरा-चोहान, भजेड़ा, बेरा नागल-सोहान, पाली खड़कपुर, बीघोता, लाकी, योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) :

141. हरिजन वस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. सूरसागर पहाड़ पर पानी की टंकी बनाकर पेयजल का स्थायी हल करने बाबत चर्चा के लिये ।

143. सूरसागर क्षेत्र के जिन-जिन ग्रामों में हैण्डपम्प खराब तथा असफल रहे हैं उन गांवों में पाइप लाईन शीघ्र डलवाने बाबत चर्चा के लिये ।

144. पहाड़ी खान क्षेत्र की बस्तियों में पेयजल पहुंचाने हेतु लोहे के पाइप की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये,

श्री कमला भाई मीणा

145. जिला उदयपुर की तहसील सलुम्बर एवं धरियावद के आदिवासी लोगों को पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

146. चौरासी क्षेत्र डूंगरपुर में गांवों को पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) :

147. नागौर जिले में अकाल राहत विभाग से पेयजल योजनाओं के लिये प्राप्त की गयी राशि को योजना अनुसार खर्च नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री पोकर लाल परिहार (देसूरी) :

148. देसूरी क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

149. धाणेराव में पानी की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये ।

150. रानी स्टेशन पर जवाई नहर से पीने का पानी सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

151. देसूरी क्षेत्र में हैण्डपम्प्स की व्यवस्था कर पेयजल सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बिरद मलसिंघवी (जोधपुर) :

152. जोधपुर जिले के खाराबेरा ग्राम में खेजड़ला के स्थान पर मोडी से पीने का पानी लाने पर चर्चा के लिये ।

153. जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर द्वारा पेयजल लाने वाली योजना को बदल कर नई योजना लागू करने पर चर्चा के लिये ।

154. जोधपुर नगर में पुरानी पाइप लाईनें बदल कर नई व बड़ी पाईप लाईनें बिछाने पर चर्चा के लिये ।

155. जोधपुर नगर में भीतर भागों में पानी के दबाव के लिये टंकियों के निर्माण किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

156. तहसील चौहटन, जिला बाड़-मेर में ग्राम रत्तासर, जेसार भोजारिया रमजान की पेयजल आदि हेतु क्षेत्रीय जल योजना पर चर्चा के लिये ।

157. तहसील चौहटन के समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल योजना की क्रियान्विति समय पर न की जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरि मोहन शर्मा (बूंदी) :

158. बूंदी विधान सभा क्षेत्र में स्थित करूंदी, पडियाल, थडी ग्राम में पानी के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुन सिंह (रानीवड़ा) :

159. रानीवाड़ा क्षेत्र को प्रर्याप्त पानी न मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

160. गांव चाटवाड़ा, लाखावाल में पेयजल की समस्या का तानीदर की समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजी राम (लाडनूं) :

161. ग्राम बाकलिया से सारड़ी तह-सील लाडनूँ, जिला नागौर में डाली जा रही पाईप लाईन में कम डाईमीटर के पाईप लगाने पर चर्चा के लिये ।

कुमारी गिरजा व्यास (उदयपुर) :

162. देवास योजना को पेयजल योजना में अपेक्षित प्रगति लाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

163. उदयपुर शहर के लिये प्रभावी

(सुश्री गिरिजा व्यास)

पेयजल योजना शीघ्र आरम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) :

164. विधान सभा क्षेत्र महुवा में जिन-जिन गांवों में हैण्ड पम्प स्वीकृत हो चुके हैं उनकी क्रियान्विति न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

165. सवाई माधोपुर जिले के कस्वा महुआ में पानी के रिजर्वायर को क्षतिग्रस्त होकर गिरने की संभावना से बचाने तथा उसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी) :

166. नारायण पुर गांव में टंकी के खराब हालत में हो जाने पर भी नई टंकी के निर्माण न होने से पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

167. अलवर जिले के बहुत से गांवों को पेयजल समस्याग्रस्त सूची में सम्मिलित न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषि केष (सपोटरा) :

168. सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के डॉग क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

169. पेयजल योजना में राजगढ़ तथा तारानगर के तमाम ग्रामों में पानी देने पर चर्चा के लिये।

170. चूरू जिले में पानी की भारी समस्या तथा जलदाय योजनाएं बन्द रहने पर चर्चा के लिये।

171. गंधेली साहवा पेयजल योजना तारानगर के फिल्टर प्लान्ट न लगाने से गंदा पानी पीने के कारण होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

172. गंधेली-साहवा पेयजल योजना पर बड़े तालाब न होने पर स्टॉक की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

173. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना की शीघ्र व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

174. मल व्ययन योजना को विभाग द्वारा ब्यावर में लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. सार्वजनिक नलों पर मिलने वाला अनुदान ब्यावर में नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

176. ब्यावर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प खोदने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

177. पेयजल वितरण पर ब्यावर नगर परिषद को होने वाले घाटे की पूर्ति

(श्री माणक चंद डाणी)

पर विशेष अनुदान देने बाबत चर्चा के लिये।

178. ब्यावर में पाईप लाइनों की सफाई, नई पाइप लाइन डालने एवं बदलने बाबत चर्चा के लिये।

179. ब्यावर में पेयजल संकट को देखते हुए एक्स. इ. एन. (अधिशाषी अभियन्ता) का पद कायम करने बाबत चर्चा के लिये।

180. निम्बाज जल योजना पर तुरंत कार्य प्रारम्भ करने बाबत चर्चा के लिये।

181. राजियावास, कोटड़ा, काबरा, टाटगढ़, जवाजा की नल कूप योजनाओं बाबत चर्चा के लिये।

182. ब्यावर में नगर परिषद द्वारा संचालित योजना को पी. एच. इ. डी. को स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (रूपवास) :

183. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में गहनोली मोड पर पानी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

184. हैण्ड पम्पों की जगह पर पाताल तोड़ नलकूप योजना चलाकर जनता की समस्या को दूर करने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

185. बगरू नगरपालिका क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में पेयजल की समुचित मात्रा में वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. विवेकानन्द कालोनी, घाटगेट बाहर गिरजाघर स्कूल के पीछे जयपुर एवं धन्नादास की बगीची की कोलोनी में गटर लाइन न होने से अव्यवस्था उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

187. पीपल्दा क्षेत्र के करीब 50 गांवों में पेयजल का अभाव है उनमें पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. केथोदा, असीदा, खेड़ली (खखन) कीरपुरा, बिजावता, राजपुरा, गिरधरपुरा, लालगंज, सीमोल्या, बबूलिया, शहनावदा, बाड़ोली, कांकरा आदि गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. अयाना व बमोलियां वखुर्द में नल योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. श्यामपुरा, चेनपुरा, केका खेड़ी, बलवन खेड़ी, बोरदा, कुश्या, कुंडला आदि गांवो में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. इटावा, पीपल्दा, खातौली, इन्द्रगढ़, बगोरी कलां, करवाड आदि कस्बों में हरिजन बस्तियों में नल लाइनें बिछाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

192. मीठोद जलदाय योजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. बलवन, चाणदा खुर्द, चाणदा कलां, डोबरली, धाकड़ खेड़ी, देवपुरा, कंवरपुरा, गुढ़ा शेरगंज, अनघोरा, दरामाताजी आदि गांवों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. मांगरोल नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टंकी की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)

195. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

196. टी. एस. एस. योजना को राज्य सरकार को अपने अधीनस्थ लेकर चलायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. रायपुर निर्वाचन क्षेत्र के गांव अटपड़ा को कुशलपुरा योजना से पानी पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये।

198. राजस्थान के समस्याग्रस्त गांवों का सर्वे करा कर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

199. बस्सी नगरपालिका क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी जो नल योजना की सुविधा से वंचित है उनको नल योजना से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

200. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में 150 फिट से कम गहरे हैण्ड पम्पों को पुनः उन्हीं ठेकेदारों से गहरा करवाया जाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

201. वर्ष में दो बार हैण्ड पंप चैक कर उन्हें ठीक कराने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों के साथ-साथ जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की होने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

202. जयपुर शहर में उपभोक्ताओं को कम राशि का बिल दिलाने के बदले मीटर रीडरों द्वारा माहवारी बांधने के कारण सरकार को आय में हो रही हानि के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

203. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की आबादी में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र जालौर में पेयजल योजना से अलाभान्वित ग्रामों में पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जालौर विधान सभा क्षेत्र में रीजनल स्कीम के अन्तर्गत बनी टंकियों की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र जालौर में हैण्ड पम्पों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (केशोरायपाटन)

207. ग्राम चौतरों का खेड़ा में नल योजना स्वीकृत कर समस्या का समाधान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. ग्राम रड़ी की नल योजना स्वीकृत होने के बाद भी क्रियान्विति न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

209. कापरेन नल योजना को नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 एवं 2 अडीला एवं बालापुरा वार्ड नं. 10 तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. टंकी बनवाकर जलस्थल में पेयजल समस्या का अतिशीघ्र समाधान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. भालीजी का बराना, चितावा एवं लाखेरी पानी की टंकियों में सुधार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. बोरदा काछीयान, लवान रेलवे स्टेशन अपायता, झूंवासा, देवली धड़िया खेड़ा, बलदेवपुरा, कोटड़ी, गुहाय, बालोद आदि गांवों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाईमाधोपुर)

213. सवाई माधोपुर के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुआ)

214. विधान सभा क्षेत्र महुआ के मण्डावर कस्बा में पेयजल समस्या की पर्याप्त व स्थाई समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. महुआ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के लिये विशेष कर ग्राम पंचायत टुडियाना, गगवाना व पाखर में पाताल तोड़ कुए खोदे जाकर स्थाई समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (रूपवास)

216. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में पेयजल समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश (खानपुर)

217. झालावाड़ जिले की खानपुर पंचायत समिति में पेयजल की भारी कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

218. झालावाड़ जिले की इकलेरा तहसील के गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

219. कोटा जिले के रामगंजमण्डी नगर में बनी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी को पेयजल उपलब्ध नही करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. झालावाड़ जिले में लगे हैण्ड पम्पों में से 80 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

221. सोइडा (नगडीया), रेवारियों की ढाणी (धोडप) माताजी के मन्दिर के पास (अनवास) भीलवस्ती (इनवाण) बीजनोल तथा वाहनहेडा स्थानों पर पीने के पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

222. ड्राई पोइन्टस् की जगह नये पोइन्टस् स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. हैण्ड पम्प बोरिंग तथा हैण्डल लगाने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. गांव कठार, लोसींग, सालोर एवं कडिया में जल योजना हेतु सर्वे कराकर उसको क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. गांव कोशीवाड़ा की वावरिया तलाई, मोरी भागल गांव मुण्डीयसा की हैदरा ढाणी में अविलम्ब हैण्ड पम्प स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. स्वीकृत जलयोजना के गांवों की ढाणी को जलयोजना से लाभ उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

227. गांव बीजनोल, वाहनहेडा में हैण्डपम्प से पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

228. नाथद्वारा क्षेत्र की विभिन्न स्वीकृत पेयजल योजना के लिए पाइप आदि उपलब्ध नहीं होने से कार्य प्रगति के अवरुद्ध होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जकिया इनाम (टोंक)

229. टोंक जिले में पेयजल समस्या के निराकरण पर चर्चा के लिये।

श्री दामोदर दास (नागौर)

230. ग्राम तलेकी अत्यधिक आबादी वाली ढाणियों के लिए पेयजल साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. विश्व बैंक योजना का पूरा पैसा जलयोजना पर नहीं लगने से नागौर विधान सभा क्षेत्र के विरलोका एवं पांचला सिद्धा ग्राम में पेयजल व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाने पर चर्चा के लिए।

232. ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्प योजना से ग्राम गुडिया जोरावरपुर धारणावास आदि ग्रामों में पर्याप्त पानी नहीं आने से योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा)

233. पंचायत समिति सराड़ा के पंचायत समिति सेमारी में जल वितरण हेतु लगाई गई 10 हार्स पावर की मोटर हटाकर 5 हार्स पावर की मोटर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

234. पंचायत समिति गिर्वा के पंचायत टी. डी. एवं पंचायत नगावदा के बिखरे हुए गावों की ढाणियों

(श्री भैरूलाल मीणा)

(घरों) में जल वितरण नहीं होने से हैण्ड पम्प लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर पंचायत क्षेत्र में लगने वाले हैण्ड पम्प की स्वीकृति मिल जाने के बाद भी योजना की क्रियान्विति के अभाव पर चर्चा के लिये।

236. अजबरा पंचायत अदवास में दो हजार की आबादी होते हुए भी आज तक नल योजना लागू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

237. पंचायत जावद में पेजयल योजना लागू की जाकर नागरिकों की जल समस्या हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. जिला उदयपुर के खासकर गांवों में पशुओं को पीने का पानी मुहैया कराने हेतु चर्चा के लिये।

239. उदयपुर शहर को निकट भविष्य में पेयजल समस्या उत्पन्न होने की आशंका पर चर्चा के लिये।

240. जिला उदयपुर क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

241. पंचायत समिति सराड़ा की पंचायत पाड़ला में हैण्ड पम्प अधिक मोहल्लों और लेवाललाई में लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

242. जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति में पांचूडा, धौराला, रामपुरा बास गोनेर बाड़ा पदमपुरा, बरखेड़ा की टंकियां नल योजना से जुड़ी होने के बावजूद उनमें कभी पानी नहीं भरे जाने पर चर्चा के लिये।

243. वर्ष 1984-85 फागी, जिला जयपुर के 8 में से 6 हैण्ड पम्प भारी जल श्रोत में खोद दिये जाने पर चर्चा के लिये।

244. पेयजल के अभाव में डाबेरा, (कोटा डिविजन) बाड़ी, टोंक, देवली, बनेडिया आदि गांवों में दूषित जल से पीलिया व अन्य बीमारी उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

245. दूषित पेयजल पीने से राजगढ़ (अलवर) खाराबेरा (जोधपुर) व अन्य कई स्थानों पर हुई मौतों पर चर्का के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

246. टी. एस. एस. पेयजल योजना के लिये पंचायतों द्वारा टंकी नहीं बनाने और बिजली के बिल नहीं जमा कराने के कारण योजना को असफल कर राज्य को लाखों की क्षति पहुँचाने के क्रम में चर्चा के लिये।

247. जलदाय विभाग में विभिन्न श्रेणियों के इन्जिनियरों के पदों का सृजन कर मनमानी करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

248. नगर-सीकरी क्षेत्र के गांवों में पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

249. ग्राम हिंगोनिया पंचायत समिति, बस्सी की बैरवा बस्ती में पेयजल समस्या निवारण हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने में उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये।

250. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के ग्राम मनोहरपुरा में न्यू बुनकर बस्ती में लगाये गये हैण्ड पम्प की गहराई कम होने के कारण पानी के बजाय, कीचड़ आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

251. ग्राम गोला की नांगल पंचायत समिति बस्सी में रैगरों की हरिजन बस्ती में एक हैण्ड पम्प अधूरा छोड़ देने व दूसरा हैण्ड पम्प अभी नहीं लगाने के कारण हरिजन बस्ती के नागरिकों की पेयजल समस्या का निदान नहीं होने से उत्पन्न घन जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

252. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के ग्राम दुवापुरा में हरिजन बस्ती (कोली एवं बैरवा बस्ती) में लगाये गये हैण्ड पम्प से पानी कम कीचड़ अधिक आने से उत्पन्न समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. हरिनारायणपुरा पंचायत समिति, चाकसू में तूंगा, कोट खावदा रोड़ पर कोली बस्ती में हैण्ड पम्प नहीं लगाने से उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के ग्राम रजवास में हरिजन बस्ती के स्वीकृत हैण्डपम्प लगाने में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

255. पंचायत समिति चाकसू के ग्राम बालमुकन्दपुरा में हरिजन बस्ती में लगाया गया हैण्ड पम्प लगाने के समय से ही खराब होने व अपूर्ण अवस्था में छोड़ने से उत्पन्न पेयजल समस्या पर चर्चा के लिये।

256. पंचायत समिति बस्सी में ढाणी बनखा, रोजवाड़ी छतरी वाली ढाणी व बैरवा ढाणी रजवास में पेयजल सुविधा सुलभ कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

257. पंचायत समिति बस्सी में पेयजल सुविधा रहित ग्रामों का पुनः सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह)

258. देवली (टोंक) क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये।

259. देवली नगर (टोंक) में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. टोडारायसिंह क्षेत्र के गांवों तथा कस्बों में पीने के पानी की समस्या के निवारण हेतु चर्चा के लिये।

(90)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :

261. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के कस्बा बुटेरी में पीने के पानी को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मोहम्मदपुर पहाड़ी में तीन साल से पेयजल योजना पास होने पर अभी तक योजना की क्रियान्विति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम मौजी की ढ़ाणी बालाढ़ाव अधेणा की ढ़ाणी, गिदाजी की ढाणी में पीने के पानी की समस्या का समाधान हैण्ड पम्प लगाकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भूपसेड़ा, बूठवाल, दहमी, हुजमापुर माचल के खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर, हमीरपुर बानसूर व बडोंद के कुओं को पानी सूखने से उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के गांव मिलकपुर में गत 8 वर्ष से पानी की टंकी बनने के बावजूद जल वितरण के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र बानसूर (57) के ग्राम भीटेड़ा में पीने का पानी शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. विधान सभा क्षेत्र बानसूर (57) के ग्राम मांत्री में खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ईसरा का वास में लगे हैण्ड पम्पस् को वहाँ से हटवाकर हरिजन बस्ती में लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बसई चौहान में द्वेषता के कारण गांव के एक ही छोर पर दो हैण्ड पम्पस् लगवा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

271. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जयसिंह पुरा, देवसन आलमपुर, धामला का वास अधेरा मेड़ा ढ़ाणी दामोदर व्यास, ढ़ाणी नाथू सहलोज में हैण्ड पम्पस् लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

272. जिला बाड़मेर हेतु इन्दिरा गाँधी नहर से पेयजल नहर योजना का निर्माण अविलम्ब करवाने हेतु चर्चा के लिये।

273. जिला बाड़मेर के समस्याग्रस्त ग्राम, ढ़ाणियां एवं क्षेत्रों को जल योजनाओं

(श्री गंगाराम चौधरी)

से जोड़ने में प्राथमिकता तय करने पर चर्चा के लिये।

274. क्षेत्रीय जल योजना को उंडू-पनाउडा एवं बोथियाजायड़ू में विस्तार किये जाने पर चर्चा के लिये।

275. तहसील बाड़मेर के नये राजस्व ग्राम खारिया नला, कालानाड़ा, बिसाला आगोर आदर्श बस्ती को जल्दी नल योजना से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

276. तहसील बाड़मेर के ग्राम चोखला बायतू भोपजी, बायतू चिमनजी, होथमा व इन्द्रोई को जल्दी नल योजना से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

277. नगर बाड़मेर की कच्ची बस्तियों को नल योजनाओं से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

278. पश्चिम राजस्थान में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा केवल 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी वितरण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

279. सिहोड़, टीबाबसई, किशनपुरा, हूरड़िया, दलेलपुरा, कांकरिया, सुनारी का ढहर, रसूलपुरा ग्रामों में पेयजल सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

280. खेतड़ी शहर, पपुरना ग्राम, बूरका ग्राम, सेपरा गंवार, बाढों की ढाणी में तथा ठोसी, ढूडवा आदि स्थानों पर पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री पन्ना लाल मांणा (बागीडोरा) :

281. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में गरीब आदिवासियों के लिए हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. बागीडोरा क्षेत्र में पाईप लाईन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीमका थाना) :

283. नीम का थाना क्षेत्र में टी. एस. एस. योजना में आने वाले गांवों की विभाग द्वारा अनदेखी करना तथा वहां अन्य पेयजल व्यवस्था न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

284. ग्रामों में टी. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत लगाये विद्युत मोटर, स्टार्टर आदि खराब किस्म के होने से बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

285. ग्रामों में जहां टी. एस. एस. की स्कीमें हैं उन गांवों में जहां 50 से अधिक कनक्शन होते हों उन ग्रामों की स्कीमें पी. एच. ई. डी. के अधिकार में लेकर चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. नगरपालिका श्री माधोपुर में मोहल्ला जाल वाली (ढाणी) में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

287. ग्राम आसपुरा की आबादी तीन हजार से अधिक हो जाने एवं सर्वे हो जाने के बाद भी पेयजल योजना स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

288. ग्राम गढटकनेते की पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी उपयुक्त न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

289. ग्राम आभली की मालियों का मोहल्ला (बड़ी ढाणी) में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

290. ग्राम अजीतगढ में पानी की टंकी की जल क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. नगरपालिका श्री माधोपुर के वार्ड संख्या 3 में पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. ग्राम गढ भोपजी के कुएं में विद्युत की फिटिंग पूरी हो जाने के बाद भी पेयजल हेतु चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

293. उदयपुर शहर में पेयजल वितरित करने वाली झीलों में जल-प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) :

294. बेगूं विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. टी. एस. एस. की स्कीम जहां-जहां फेल हो गयी है, वहां पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

296. रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना में जल वितरण निर्धारित समय तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

297. रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना में जल वितरण पूर्ण दवाब से नहीं होने पर चर्चा के लिये।

298. रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना में गटर लाईन के अभाव पर चर्चा के लिये।

299. झुंझुनूं जिले के ग्राम लाडूसर में विश्व बैंक की सहायता से पानी की टंकी

(श्री बिहारी लाल पारीक)

के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

300. रामनगर नाहरी का नाका (पूर्व) आवासीय योजना में पेयजल हेतु एक अतिरिक्त ओवर हैड टैंक बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

301. पंचायत समिति लालसोट के सभी गांवों में हैण्डपम्प या रीजनल स्कीम द्वारा पेयजल सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. ग्राम पंचायत किशोरपुरा के ग्राम खुर्मा में पेयजल सुलभ करवाने के लिये रीजनल स्कीम मंजूर करवाने हेतु चर्चा के लिये।

303. ग्राम मण्डावरी में नेहरू कालोनी ढाणी कोठीवाला में पानी सुलभ करवाने के लिये नई पाईप लाईन डलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

304. नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में पेयजल समस्या को दूर करने के लिये परिवर्तित योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

305. शास्त्री नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर में पाईप लाईन के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

306. पंचायत समिति बस्सी के ग्राम बैनाड़ा, घाटा, कूंथाड़ा, मानसरखेड़ी, बराला, फाल्यावास, कंचोलिया एवं खेडलाबास के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. पंचायत समिति बस्सी के ग्राम गढ़, दूधली सुजानपुरा, झर मोहनपुरा, दनाऊकला, काशीपुरा, मूंडली, सांभरिया, खिजूरिया ब्राह्मणान एवं पालावाला जाटान के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. पंचायत समिति चाकसू के ग्राम महादेवपुरा, रूपाहेड, देहलाला, गरूडवासी, ठीकरिया गूजरान, मालपुरिया, राढोली के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

309. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पड़ासोली, बड़वा, टहूरड़ा, जटवाड़ा, पाटण, राजपुरा-पातलवास, रोजवाड़ी, भूडला, माधोगढ़-गशालनी एवं अणतपुरा की पेयजल समस्या निवारण हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :

310. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के गांव आगर की नल योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

311. थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के

(श्री जगत सिंह दायमा)

ग्रामों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (पाली) :

312. ग्राम पंचायत मुडारा (जिला-पाली) द्वारा संचालित पेयजल योजना को अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

313. बाली नगर (जिला-पाली) में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. नाणा-वीरमपुर (जिला-पाली) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से सम्बन्धित गांवों की पेयजल समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

315. ग्राम सूडसर व टेहू पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के ग्रामों के लिये जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जान बूझकर आज तक योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

316. ग्राम सूरपुरा तहसील नोखा की जल प्रदाय स्कीम के पास ही की ढाणियों को लाभान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

317. ग्राम कक्कू तहसील नोखा में जल प्रदाय योजनान्तर्गत कुए में मिट्टी भर जाने से पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

318. ग्राम साधूना तहसील नोखा में जल प्रदाय योजना सही ढंग से चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

319. ग्राम भांभटसर व मान्याणा, तहसील नोखा जल प्रदाय विभाग स्कीम से जनता को पानी देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

320. जिला चूरू के तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम सांवतसर को वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत बनाई गई टंकी में जल नहीं आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

321. ग्राम उदसंयू तहसील नोखा की जल प्रदाय योजना के अधीनस्थ ग्राम सेखसर व हैसासर को पूरा पानी देने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

322. ग्राम नोरंगदेसर पंचायत समिति बीकानेर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम से ग्रामीण हरिजनों व काश्तकारों को पीने का पानी सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

323. ग्राम माढ़ीया पंचायत समिति नोखा को विभाग द्वारा इस गांव को स्कीम में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

324. ग्राम उच्छसर व साजनवासी करजड़ी आदि गांवों को जल प्रदाय विभाग द्वारा अपनी योजना में सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न जन कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

325. पंचायत समिति नोखा के ग्राम जसरासर में रिवाइज्ड पेयजल स्कीम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. ग्राम पांचू जिला बीकानेर की जलदाय विभाग की स्कीम ग्रामीण जनता पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

327. ग्राम पंचायत नाथूसर में पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. ग्राम झझू पंचायत समिति कोलायत के अधीनस्थ ग्राम चकड़ा में जलदाय विभाग द्वारा टंकी का निर्माण कराने के बावजूद उसमें पानी नहीं भरने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

329. ग्राम खिदासर पंचायत समिति कोलायत के सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

330. ग्राम एवानुवाला (बेरियावाली) पंचायत समिति बीकानेर की वाटर सप्लाई स्कीम से जनता को शुद्ध जल वितरण कराने में विभाग द्वारा बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

331. ग्राम दातोर पंचायत समिति बीकानेर को जल प्रदाय योजना में टंकी का निर्माण किये जाने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं करने पर चर्चा के लिये।

332. ग्राम जयसिंह देसर मगरा तहसील नोखा की जल प्रदाय योजना में टंकी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. ग्राम जेसलसर तहसील नोखा जल प्रदाय स्कीम के अन्तर्गत अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

334. चूरू जिले की तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम रीडी को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. नोखा क्षेत्र के ग्राम झाड़ेली की पानी की टंकी की मरम्मत कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

336. बीकानेर जिले के ग्राम सादासर की वाटर सप्लाई स्कीम के अधीनस्थ ग्रामों को सही ढंग से पीने का पानी, उपलब्ध न कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

337. नोखा क्षेत्र के ग्राम सारून्डा की अधूरी वाटर सप्लाई स्कीम को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

338. नोखा तहसील के ग्राम चित्राण जल प्रदाय योजना में ढाणियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. नोखा तहसील के ग्राम हिम्मत-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सर में वाटर सप्लाई स्कीम की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. नोखा क्षेत्र के ग्राम थावरिया की जल प्रदाय योजना स्वीकृत होते हुये भी ये योजना की क्रियान्विति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) :

341. पाली जिले में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

342. पाली विधान सभा क्षेत्र के खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

343. कोटा जिले की सुल्तानपुर एवं सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति में मंडावरा तथा बूढादीत में वाटर एण्ड टैंक स्कीम की असफलता पर चर्चा के लिये।

345. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

346. सुल्तानपुर व सांगोद क्षेत्र में अनेकों ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

347. कोटा नगर के नयापुरा क्षेत्र में बावड़ी से जल आपूर्ति की जाने से स्वास्थ्य विकार को रोकने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

348. कोटा नगर में वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत प्रारम्भ की गई नल योजना को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिये।

349. कोटा जिले के ग्राम दरा में पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

350. कनवास में बने हुये टैंक पर्याप्त मात्रा में जल वितरण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

351. हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये।

352. कोटा जिले के ग्राम निमोदा व टाकरवाड़ा में वाटर स्कीम चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

353. हैण्डपम्प ठीक करवाने की जिम्मेदारियाँ विभाग पर डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

354. झालावाड़ जिले की पंचायत गागरोन में हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

355. सांगोद क्षेत्र के ग्रामों में जहां पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां शीघ्र

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

356. बाली क्षेत्र (जिला-पाली) में पेयजल योजना वाले गांवों/नगरों में अनुसूचित जाति/जनजाति मोहल्लों में प्राथमिकता के आधार पर जल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

357. पंचायत समितियों को हैण्डपम्प संधारण हेतु सुपुर्द योजना पर चर्चा के लिये।

358. बाली पंचायत समिति (जिला-पाली) में, पेयजल समस्याग्रस्त गांवों के चयन पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

359. जयपुर जिले की पंचायत, पापड़ा के गांव, साऊ में हीरावाला, मालावाल, रूपवास में प्रथम सूची में स्वीकृत हैण्ड पम्प आज तक भी न लगाये जाने से ग्रामीणों में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

360. जयपुर में जल पूर्ति सेवा में की जा रही उपेक्षा पर विभाग को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

361. पंचायत लांगड़ीवास, पंचायत सहारी, पंचायत ग्राम पापड व ग्राम पालेडा व तहसील जमवा रामगढ़ जिला जयपुर की अपूर्ण पेयजल टंकियों को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

362. भूतल में उपलब्ध जल का व्यापक पैमाने पर सर्वे करवाया जाकर जल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. पेयजल योजना का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

364 ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

365. पेयजल की पाइप लाईनें गटर लाइने तथा गन्दी नालियों से दूर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

366. जयपुर नगर में जलदाय विभाग द्वारा दूषित जल वितरण के बावजूद विभाग को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

367. राजस्थान के समस्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने में विभागीय अक्षमता पर चर्चा के लिये।

368. जयपुर नगर में पूरे दबाव से व पूरे समय पर जल उपलब्ध न कराये जाने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से हो रही नागरिकों की असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही)

369. सिरोही विधानसभा क्षेत्र की रीजनल स्कीम योजना को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

370. सिरोही जिले की ढाणियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

371. सिरोही जिले में जहां जहां टी. एस. एस. स्कीम है वहां हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

372. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में खराब हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्ड-पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

373. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के रामपुरा गोयली अरठवाड़ा, रोवाड़ा देल-दर, नारादरा, नून, जुवलीगंज, खाम्दल, केराल, तंवरी में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

374. शिवगंज पंचायत समिति के गांवों में अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

375. पंचायत समिति सिरोही के गांव नून में हैण्डपम्पों का पानी सूखने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

376. सिरोही जिले को बन्द पड़ी मेव रीजनल स्कीम को पुनः चालू करके 16 गांवों को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

377. पंचायत समिति शिवगंज के ग्राम ओडोली, मनादर उम्मेदगढ़, लोटीवाड़ा, में पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु चर्चा के लिये।

378. सिरोही पंचायत समिति के ग्राम कृष्णगंज वेलागरी, कालन्ड्री नून, चाआल, बावली में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

379. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उधमण, अरठवाड़ा, खन्दरा, वागसीन ओडा, गोल, अणगोर व अन्य गांवों में बनी हुयी पानी की टंकियों से जल उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

380. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जोयला, आलपा, जोगापुर, मेव जावाल, अरठवाड़ा, कैलाशनगर में अनुसूचित जाति व जन जाति में पाईप लाईन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

381. शिवगंज तहसील के ग्राम जुब्लीगंज (वीठडा) में पीने का पानी के अभाव में

(श्री राम लाल सोलंकी)

तालाब का गंदा पानी पीने से उत्पन्न बीमारी पर चर्चा के लिये।

382. सिरोही के गांव कालन्द्री में पीने के गन्दे पानी से हुई मौतों पर चर्चा के लिये।

383. सिरोही जिले की रीजनल स्कीम शिवगंज गोल भेव, जोयला व अन्य गांवों के सहायक अभियन्ताओं को शिवगंज के लिये वाहन उप-लब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (पाटन) :

384. केशवराय पाटन क्षेत्र में प्रति हैण्ड पम्प 20/-रख रखाव की राशि को बढ़ाकर 300/-रु. करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

385. केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में हैण्डपम्प के रखरखाव हेतु, कुशल मिस्त्रियों को लगाना एवं मिस्त्रियों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

386. दरेखेड़ा में घाटका बराना नल योजना से पानी वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

387. ग्राम पंचायत रेबारपुरा, उत-राना एवं सखावदा के गांवों में हैण्डपम्प्स में वृद्धि कर पेयजल समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

388. ग्राम सेरदा, बालोद में पेयजल की विशेष परेशानी को देखते हुए हैण्ड पम्प लगायें जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

389. गेन्डोली, गोठड़ा जगन्नाथा, जहुरियां आदि गांवों में नल योजना द्वारा पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ (बाली) :

390. बाली, सादड़ी (जिला-पाली) जल प्रदाय योजना में सेवारत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर चर्चा के लिये।

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) :

391. टी. एस. एस. की योजना जलदाय विभाग को सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

392. चूरू तहसील में हैण्डपम्प योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

393. चूरू शहर में पीने के पानी की व्यवस्था में आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

394. सहेवा-गन्धोली योजना से चूरू तहसील को पेयजल सुविधा में अधिकतम लाभ देने की चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूण-करणसर) :

395. बीकानेर जिले की ट्रेडिशनल सोर्स आफ सप्लाई स्कीम्स को राज्य सर-

कार द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये ।

396. लूणकरणसर, जैतपुर व महाजन व नापासर में जल प्रदाय योजनाओं की अभिवृद्धि पर चर्चा के लिये ।

397. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

398. रीजनल जल प्रदाय योजनाओं के उचित रखरखाव न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

399. शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर अधिक राशि खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

400. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के रख रखाव में आम जनता की सहूलियतों का सम्पूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिश (खानपुर)

401. झालावाड़ जिले की पंचायत समिति खानपुर के ग्राम होचर बौड़दा में पेयजल के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरुलाल मीणा (सराड़ा)

402. पंचायत समिति गिर्वा की पंचायत टीडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

403. उदयपुर की झील पिछोला, स्वरूप सागर, फतेहसागर में जल कुम्भी से पेयजल को दूषित होने से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

404. पंचायत समिति गिर्वा के पंचायत कडवास के शेष मोहल्लों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

405. पंचायत समिति गिर्वा पंचायत पड़ना के अमरपुरा गांव में स्वीकृत हैण्ड-पम्प शीघ्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

406. पंचायत समिति गिर्वा पंचायत जावर कलां गांव में हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

407. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा एवं टीडी में जिन हैण्ड पम्पस् का पानी पीने योग्य नहीं है उनके एवज में अन्य स्थान पर हैण्ड पम्प खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

408. जिला उदयपुर की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के टैंक्स की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम चन्द्र जाट (बनेड़ा)

409. भीलवाड़ा जिले के ग्राम बनेड़ा व रायला में आवश्यक जल आपूर्ति और वितरण हेतु एक-एक और ओवर हेड टंकी का निर्माण कराने और पाइप लाइन का विस्तार सभी मोहल्लों में किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री रामचन्द्र जाट)

410. भीलवाड़ा जिले के कस्बा गुलाबपुरा में जल वितरण आवश्यक मात्रा में कराने के लिये एक और ओवर हेड टंकी बनाने एवं पाइप लाइनों को सभी जगह बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

411. ग्राम हुरड़ा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाडा में जल वितरण आवश्यक मात्रा में कराने के लिए एक और ओवर हैंड टंकी बनाने एवं सभी मोहल्लों में पाइप लाइन का विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़)

412. कच्ची बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

413. पंचायत समिति चाकसू के ग्राम कोटखावदा में नट बस्ती एवं ढाणियों को पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्ड पम्प लगाने की अथवा कोट खावदा जल प्रदाय योजना से पाइप लाइन डालकर जल उपलब्ध कराने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

414. जमवारामगढ़ के रिसाव को विभाग द्वारा रोकने पाने की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

415. जमवारामगढ़ बन्धे के रिसाव का गन्दा पानी जयपुर में पीने के लिये वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

416. ग्रामीण जलदाय योजना के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

417. पेयजल के पीने से पेट में विभिन्न बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

418. जयपुर नगर में पेयजल योजना की अत्यन्त खराब स्थिति पर चर्चा के लिये।

419. जयपुर नगर की ड्रेनेज की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

420. ग्राम पंचायत पापड, नटावा, मानपुर कला वासना, लांगड़ीवास, नायला, सायपुरा, रूपवास, इण्द्रगढ़ राहोरी, जमवा रामगढ़, जयसिंहपुरा खोर सुमेल के गांवों की ढाणियों में 250 की जनसंख्या पर नल योजना को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

421. जयपुर के अस्पतालों के पास पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

422. राजस्थान में स्कूलों के पास पेयजल के नल या हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

423. ग्राम मानपुर सड़वा पंचायत जयसिंहपुरा खोर के अधूरे पड़े हैण्ड पम्प से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

424. जयपुर नगर में प्रत्येक पी. एस. पी. के हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

425. जलमल निस्तारण की लाइनें चोक होने एवं बड़ी लाइनों में न बदलने से भट्टों की गली हरिजन बस्ती जयपुर चौकड़ी ओझा जी का घेर रामचन्द्र जी की चोकड़ी शंकर गूजर की गली चौकड़ी रामचन्द्र जी मोहल्ला पन्नीगरान सिलावटान उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

426. भूजल व पेयजल विभाग में तालमेल न होने के फलस्वरूप हैण्ड पम्प लगाने में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

427. जयपुर नगर के पेयजल विभाग के अधिकारियों के अभद्र व्यवहार से नागरिकों में असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

428. पिलानी शहर और चिड़ावा शहर में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

429. इन्दिरा गांधी नहर से झुंझुनू जिले को लिफ्ट के जरिये पानी पहुँचाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

430. पिलानी नगर एवं चिड़ावा नगर जिला झुंझुनु की संशोधित पेयजल योजना के क्रियान्वयन करने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

431. जिला बीकानेर की समस्याग्रस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कर पुनः सर्वेक्षण करा कर शीघ्र निराकरण करने पर चर्चा के लिये।

432. जलदाय विभाग की बीकानेर में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत डाली जा रही सीवरेज के गलत व धीमी गति के निर्माण से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

433 जलदाय विभाग बीकानेर द्वारा वर्ष 1979 से 1982 में बनाई गई पेयजल योजनासे ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

434. जयपुर जिला आयोजना समिति द्वारा भेजी गई पेयजल योजना की प्राथमिकता को विभाग द्वारा बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

435. जल योजनाओं में पशुओं की संख्या न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

436. जमवा रामगढ़ बन्ध से सील्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

437. नायला गांव की पेयजय योजना की टंकी की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

438. पंचायत समिति जमवारामगढ़ के महीनों से खराव पड़े हैण्ड पम्प ठीक न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

439. नगरीय एवं ग्रामीण जल योजना के लिये विभाग का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, हमेशा से, यह परम्परा है, पिछले हाउस में मैं यह देखता रहा हूं कि चर्चा की शुरुआत विरोध पक्ष की तरफ से होती है। तीन डिमाण्ड पर बहस हो गई, हमेशा आपने सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य की ओर से शुरुआत कराई है। अपने यहां ऐसी परम्परा रही है कि शुरुआत विपक्ष की तरफ से होती है....

(व्यवधान)

बजट की डिमाण्ड पर जो बहस होती है....

(व्यवधान)

बजट पर भी तो बहस होती है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कल भी गोविन्दसिंह जी ने शुरू की थी। गोविन्द सिंह जी विरोध पक्ष के सदस्य थोड़े ही हैं। डिमाण्ड पर यह कभी नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल हमने यह प्रश्न उठाया था....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कल यह कहा था कि अभी माहोल गरमा-गरमी बहस का हो रहा है और चूंकि मैं नाम बोल चुका हूँ इसलिये मैंने इसको ठीक नहीं किया। यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था थी कल। डिबेट हमेशा विपक्ष की तरफ से शुरू कराई जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नाम ले लिया, इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है।

श्री नाथूसिंह : कल भी ऐसा कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : कोई दिक्कत नहीं है कल से हो जायेगा। कभी इधर से तो कभी उधर से हो सकता है। यह मतलब नहीं है कि उधर से ही हो। कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की मांग के सम्बन्ध में

(श्री सी. पी. जोशी)

अपनी बात शुरू करने से पूर्व मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं भगवान को कि आज जब हम पेयजल की समस्या के बारे में विधान सभा में चर्चा कर रहे हैं, कम से कम जयपुर शहर में पानी जो बरसा वह हमारे लिये खुशी की बात है कि पेयजल की थोड़ी बहुत जो आंशिक समस्या है, उसका निराकरण इस बरसात के माध्यम से होगा। हम आशा करते हैं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : भगवान ने तो कर दी अब आप क्या नूर बरसायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या के बारे में पिछली छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने हैण्ड पम्प के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। यदि हम इस हैण्ड पम्प की उपलब्धियों को आगे नहीं बढ़ा पाते तो जो कठिन समय हमारा अभी अकाल का निकला उसमें पीने के पानी की समस्या भयंकर हो सकती थी। इस दृष्टि से हम देखें तो पिछले पांच साल में हैण्ड पम्प के माध्यम से हमने गांवों में पीने का पानी का आंशिक निराकरण किया है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन हैं, उसको ध्यान में रखना इस पेयजल की समस्या के निदान के लिये नितान्त आवश्यक है। मैं खास तौर से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे गम्भीरता से इस बात को सोचें कि राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन है, उसमें वेस्टर्न राजस्थान में पीने के पानी की समस्या मेवाड़ में जो आदिवासी भाई रहते हैं, उनके पीने की पानी की समस्या और हमारे भरतपुर में रहने वाले भाई है, उनके पीने के पानी की समस्या का निदान हम एक ही आधार पर करना चाहें तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30-35 साल में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए हमेशा हमने वेस्टर्न राजस्थान में रीजनल पाइप स्कीम को चालू करने का प्रयास किया। उसके परिणाम सुखद नहीं आये। करोड़ों रुपया हमने खर्च किया लेकिन पीने की पानी की समस्या का निदान हमें वेस्टर्न राजस्थान में जिस ढंग से करना चाहिये था, उस ढंग से नहीं कर पाये। आप स्वयं जानते हैं, आज हमें यह सोचना पड़ रहा है और राजस्थान केनाल के पानी, जो हमें उपलब्ध है, को हम इरिगेजन से डाइवर्ट करना चाहते हैं पीने के पानी की समस्या के निराकरण करने के लिये। यह इस बात का द्योतक है, उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो पीने के पानी की समस्या का निराकरण करना है राजस्थान में, उसके बारे में हमारी जो तैयारी है वह जिस ढंग से समस्या है उस हिसाब से ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस बात को गम्भीरता से सोचें कि कितना पीने का पानी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं, सिंचाई के लिये कितना पानी उपलब्ध करा पायेंगे। सिंचाई के लिये जितना पानी आवश्यक नहीं है उससे ज्यादा

(श्री सी. पी. जोशी)

आवश्यकता पीने के पानी की व्यवस्था करने की है । उस दृष्टि से राजस्थान केनाल हमें कम्पलीट करानी है तो हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि इतने करोड़ों रुपया हमने जो वेस्टर्न राजस्थान में इन्वेस्ट किया है उसके नतीजे क्या निकलेंगे ।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में हमने जगह-जगह हैण्ड पम्प खुदवाये । हैण्ड पम्प से भी हम सोचते हैं कि ठीक तरह समस्या का निराकरण हो जायेगा तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हैण्ड पम्प से आंशिक समस्या का निदान हो सकता है लेकिन राजस्थान की ज्यादातर जनसंख्या है उसके पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं हो पायेगा । उसका कारण यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कितना अन्डर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है, इसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं, अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो अवेलेबल है उससे हम कितना हैण्ड पम्प के माध्यम से यूज कर पायेंगे और उसके बाद हैण्ड पम्प की स्थिति क्या बनेगी । मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ के अन्दर अकाल के अन्दर जो पीने के पानी का वाटर लेवेल नीचे गया है, उसको यदि हम आधार मानें तो जितने हैण्ड पम्प हमने खोदे हैं उसमें से 60 पर्सेन्ट, 70 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प का उपयोग इसलिये नहीं हो पाया कि हम 120 फीट या 140 फीट खोदते हैं, इससे वाटर लेवल नीचे चला जायेगा । हैण्ड पम्प पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद यदि फिर वाटर लेवल नीचे चला गया तो आने वाले पांच सालों में मेवाड़ में पीने के पानी की समस्या भयंकर हो जायेगी । इस दृष्टि से हम देखें तो पेयजल की समस्या का निराकरण करने के लिये हम चाहे टी. एस. एस. की स्कीम लें, चाहे हैण्ड पम्प स्कीम लें और चाहे टंकी की योजना लें–ये तीनों ही योजनायें राजस्थान की दृष्टि से किसी ज्योग्राफिकल कन्डीशन में ठीक हो सकती है, किसी पर्टीक्यूलर एरिया में ठीक हो सकती है लेकिन सम्पूर्ण राजस्थान में हमने पिछले पांच सालों में या फिर इससे भी पिछले सालों में जो व्यवस्था की है उसमें एक साथ जल योजना हमने लागू कर दी, एक साथ टी. एस. एस. लागू कर दी, एक साथ हैण्ड पम्प की कर दी । मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय कि अलोकेशन ऑफ फन्ड्स की प्रायोरिटी बदली जाय, प्रायोरिटी बदली जाय कि कितना पैसा इरिगेशन पर खर्च होगा । पी. एच. ई. डी. की नीड पूरी करने के लिये वेस्टर्न राजस्थान में केनाल को पूरी करना है तो आप उसमें अलोकेशन ऑफ फन्ड्स पी. एच. इ. डी. का उस माध्यम से करिये । जहां हैण्ड पम्प की योजना करनी है वहां हैण्ड पम्प के माध्यम से करिये लेकिन मेवाड़ के अन्दर आपके हेण्ड पम्प के माध्यम से करिये लेकिन मेवाड के अन्दर आपके हैण्ड पम्प तभी सक्सेसफुल जायेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उनके साथ आप एनीकट बनाये । यदि आपने एनीकट का निर्माण नहीं किया तो वाटर लेवल नीचे चला जायेगा और वाटर लेवल नीचे चला जायेगा तो आपके हैण्ड पम्प बेकार हो जायेंगे । मैं चाहूंगा जितने हैण्ड पम्प आपने लगाये हैं, उन हैण्ड पम्प की इफेक्टिविटी आगे आने वाले वर्षों में

(श्री सी. पी. जोशी)

जारी रहे। उसके लिये आवश्यकता है है कि हम मेक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। मेवाड़ के अन्दर एनीकट को पूरा करने के लिये। एनिकट यदि हमने कम्पलीट नहीं कराये तो जिस प्रकार आज वेस्टर्न राजस्थान की रीजनल स्कीम इन-इफैक्टिव हो गई है वैसे ही मेवाड़ के अन्दर यह इन-इफेक्टिव हो जायेगी। उस दृष्टि से मैं चाहूंगा जो पेयजल की समस्या है, उसके निराकरण के लिये हमारी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलोकेशन ऑफ फन्ड्स जो आपने इस साल किये हैं, जितनी हमारी रूरल पापुलेशन है उसको यदि हम आधार मानें तो अलोकेशन ऑफ फन्ड्स में जो हमने रूरल और अरबन सेन्टर में दिया है, वह रूरल सेन्टर में पीने के पानी के लिये आपका अलोकेशन ऑफ फन्ड से बहुत कम है। इसलिए आवश्यक इस बात की है कि गाँवों में रहने वाले दूर दराज के जिस आदमी की आशायें और आकांक्षायें हैं, जिसकी पत्नी या माँ या बहिन चार किलोमीटर, तीन किलोमीटर सिर पर पानी लेकर आये और जयपुर और उदयपुर में रहने वाले व्यक्ति के घर पर नल की व्यवस्था हो जाय तो यह जनता के प्रति न्याय नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस दृष्टि से हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रूरल पापूलेशन की नीड को पूरा करने के लिये जो हमने इस साल अलोकेशन ऑफ फण्ड्स किये हैं वह इस दृष्टि से सफिसियन्ट नहीं है। मैं चाहूँगा आने वाले वर्षों में जितना आप अलोकेशन ऑफ फन्ड करें। उसमें ज्यादा डाइवर्ट करें रूरल पापूलेशन की नीड को पूरा करने के लिये।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि आज पी. एच. इ. डी. के पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम कितने रिवर के पानी को डाइवर्ट करेंगे अगले पांच साल से पीने के पानी की नीड को केटर करने के लिये। अन्डर ग्राउन्ड वाटर का कितना पानी हमारे पास एवेलेबल है जिसके द्वारा हम हैण्ड पम्प के माध्यम से लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। ट्यूब वैल के माध्यम से हम इरिगेशन की फैसेलिटी भी करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि.... सबसे पहले साईंटिफिक ढंग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है राजस्थान की ज्योग्राफिकल कण्डीशन को देखते हुए। जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन है और जितना पानी अवेलेबल है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना करके स्कीम्स में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है वह करें तब ही हम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले वर्षों में राजस्थान की पीने के पानी की समस्या का निराकरण कर पायेंगे। लेकिन पीने के पानी की समस्या का निराकरण करें, एलोकेशन आफ फण्ड्स करें और फण्ड्स का एलोकेशन करने के बाद अगर उसका यूटिलाइजेशन पब्लिक के लिए नहीं हो, जैसा कि पिछले 35 साल का हमारा अनुभव है तो वह हमारा ठीक अनुभव नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से आपका ध्यान और माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, पिछली विधान सभा सत्र में हमने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सदन में बार-बार कही थी कि हैंड पम्प

(श्री सी. पी. जोशी)

को जिस तरीके की स्कीम लागू हुई है राजस्थान में, उसको लागू करने में हमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए तकलीफ नहीं है, हमने स्पेसिफिकली राजस्थान विधान सभा के सदन में कहा है कि इसमें घोटाला है। उस विधान सभा सत्र में विधान सभा के प्लेटफार्म पर यह कहा गया था कि हम जाँच करायेंगे। मुझे यह कहते हुए दुःख है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ तब मुझे पता लगा कि जांच के अन्दर एक डिप्टी सैक्रेटरी को सस्पेंड किया गया। आज जब हम नई विधान सभा में मिल कर पेयजल की समस्या का निराकरण कर रहे हैं तो वह डिप्टी सैक्रेटरी री-इंस्टेट होकर आई.ए.एस. अफसर बन गए हैं। जितने केसेज अजमेर के अन्दर पेंडिंग थे, जिस कम्पनी ने तीन साल तक फाइल्स को स्टाल कर रखा था उन सारे केसेज का आज फेट क्या हो गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि जितने केसेज डिस्पोज आफ करने चाहिए थे, गवर्नमेंट को जितना इनीशियेटिव लेना चाहिए था, उन केसेज का आज फेट क्या हो गया है, इसकी भी आज जांच करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर विधान सभा के माध्यम से जो हैण्ड पम्प की स्कीम है उसके बारे में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा और इसकी प्रासीडिंग्स को राजस्थान की जनता इवेल्यूएट करेगी। राजस्थान विधान सभा के पटल पर हमने यह कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन आफ स्कीम के अन्दर ये खामियां हैं, उनकी जाच करवाई जावे, उस पर कार्यवाही की जावे। मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदया जब जवाब दें तब इस बात को बतायें कि पिछली विधान सभा में, सत्र में जो बात कही थी उसके लिए अकाउण्टेबल कौन था कौन आदमी जिम्मेदार था, किसके खिलाफ कार्यवाही हुई, कार्यवाही नहीं हुई तो उसके कारण क्या थे और कार्यवाही नहीं होने के कारण आज उसका डी-मोरलाईजिंग इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है, उसके पीछे अकाउण्टेबिलिटी क्या होगी? मैं चाहूँगा, माननीय मन्त्री महोदया इसके बारे में जवाब दें कि कौन आदमी सस्पेंड था, सस्पेंड जिन लोगों को किया यदि वे जिम्मेदार थे तो क्या कारण थे कि आज वे री-इंस्टेड हो गए? अजमेर के अन्दर जो केसेज चल रहे थे, हाई कोर्ट के अन्दर जो केसेज चल रहे थे उन केसेज का फेट क्या हुआ, डिस्पोजल क्या हुआ? आखिर में उसके अन्दर यदि कोई घोटाला हुआ तो कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ हम क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? यह भी जब तक हमारे सदन के सामने स्पष्ट नहीं करेंगे माननीय मन्त्री महोदया तो आने वाले वर्षों में यह जो हैंड पम्प की स्कीम है, पी. एच. ई. डी. की स्कीम है, रीजनल पाईप की स्कीम है, और दूसरी भी कोई स्कीम सदन के सामने आएगी, उस स्कीम के इम्पलीमेंट होने के बाद, एलोकेशन होने के बाद, मनी इन्वेस्ट होने के बाद यदि हमारी चैकिंग करेंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं,

108

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैंड पम्प की स्कीम अभी कण्टीन्यू कर रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कहा है कि ढाणियों के अन्दर, हेमलेट्स के अन्दर हम हैंड पम्प के माध्यम से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने हैंड पम्प के माध्यम से एक चीज उठाई, उसके बाद हमने, राजस्थान सरकार ने कुछ काम किया। स्कीम में जो सारे प्राइवेट कांट्रेक्टर हैं उनको हमने रोका है। आज स्थिति क्या बन गई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, यह एक स्टेटिस्टिक्स बतायें माननीय मन्त्री महोदया हाउस के अन्दर कि हमने पिछले तीन महीनों में जितने हैंड पम्प बोर किये हैं, उतने हैंड पम्प बोर करने के बाद हमारे पास जी. एस. आई. पाइप अवेलेबल नहीं थे। आज हालत यह है कि हैंड पम्प बोर हो गया इन दी मन्थ आफ मई-जून और हैंडिल लग रहा है इन दी मन्थ आफ अक्टूबर, नवम्बर। ठीक है, आपके सदन के रिकार्ड के अन्दर है कि हमने हैंड पम्प खोद दिया लेकिन आपके पास जी. एस. आई पाइप अवेलेबल नहीं, हैंडिल अवेलेबल नहीं। आपके पास अपना खुद का असेसमेंट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछले तीन महीने में जितना हैंड पम्पों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया है उसका दो तिहाई अमाउण्ट खर्च करने के बाद भी आज हैंडिल नहीं लगने से गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। इसलिए सबसे पहले इस बात को देखें कि हमने यह तो आर्डर दे दिया कि जगह-जगह हैंड पम्प खोलें और दूसरी तरफ जगह-जगह पर जी. एस. आई. पाइप अवेलेबल नहीं हैं तो हैंड पम्प बोर होने से पीने के पानी की समस्या का समाधान तो नहीं होगा। कम से कम एक बात की तो विभाग निर्धारित स्कीम बनाये कि जब हैंड पम्प बोर हो जाय और हैंडिल लगे इसके बीच में कितनी डिस्क्रिप्रेंसी रहेगी। एक महीने का गैप रहेगा दो महीने का गैप रहेगा, तीन महीने का गैप रहेगा जब तक हम इस बात को कमिट नहीं करेंगे तब तक पीने के पानी की समस्या का जो निदान हैंड पम्प के माध्यम से करना चाहते हैं वह आंशिक रूप से होगा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। मैं चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया इस बात को स्पष्ट करें।

जिन गांवों में टी. एस. एस. की स्कीम लागू की गई है उस टी एस. एस. के गांवों में हमने कहा है कि पांच सौ की जन संख्या पर एक हैंड पम्प लगेगा। तो टी. एस.एस. के गांवों में तो पांच सौ की जनसंख्या पर हैंड पम्प लगेगा और जिनमें टी. एस. एस. की स्कीम नहीं है वहीं पर ढाई सौ की जन संख्या पर हैंड पम्प लगेगा। यह दोहरी नीति है, दोनों में डिस्क्रिपेंसी है। इसलिए जहां पर टी एस. एस. की स्कीम नहीं चल रही है उनके लिए निश्चित रूप से विभाग को यह घोषणा करनी पड़ेगी कि टी. एस. एस. के रेवेन्यू विलेजेज के अन्दर हम ढाई सौ की जन संख्या के आधार पर हैंड पम्प लगायेंगे। जो रेवेन्यू विलेज हैं, माननीय मन्त्री महोदया, आप स्वयं राजस्व मन्त्री भी हैं, एक रेवेन्यू विलेज के हेलमेट पांच से नगा-

109

(श्री सी. पी. जोशी)

कर दस किलोमीटर की डिस्टेंस के अन्दर फैले हुए हैं । यदि आपने ढाई सौ की जन-संख्या का आधार बना लिया तो जो दस हेमलेट की जनसंख्या रेवेन्यू विलेज की है उस दस हेमलेट के अन्दर कहीं 25 घर हैं, कहीं 50 घर हैं, कहीं 30 घर हैं । आपकी ढाई सौ की जन संख्या पर चार हेमलेट के बीच में एक हैंड पम्प लगेगा तब ऐसे भी हेमलेट में रहने वाले आदमी को तीन किलोमीटर क्षेत्र से पानी लेकर आना पड़ेगा । तो जिस जगह पर जहां ऐसी स्थिति है, जैसे उदयपुर के अन्दर मेवाड़ में रहने वाले आदिवासी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनके कहीं पांच घर, कहीं पचास घर हैं, कहीं पच्चीस घर हैं । आपने कह दिया कि हम ढाई सौ की जन संख्या पर एक हैंड पम्प लगायेंगे तो ढाई सौ की जन संख्या में रहने वाले आदमी को आज भी चार किलोमीटर की दूरी से जाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है । इसलिए मैं चाहूँगा कि जहां मेवाड़ जैसा इलाका हो, जिसमें हेमलेट में रहने वाले आदिवासी भाई हैं उनके लिए पचास की जनसंख्या का भी आधार नहीं होना चाहिए । जो उनका डिस्टेंस है, अप्रोच है उसके आधार पर हैंड पम्प खोदने की आवश्यकता है । जहां पर हेमलेट एक रेवेन्यू विलेज में संख्या 12 और 13 है उन हेमलेट को कवर करने के लिए आपको डिस्टेंस को आधार मानना चाहिए, जन-संख्या को आधार नहीं मानना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में जल प्रदाय योजना लागू कर कर दी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कुछ जगहों का, कम से कम मैं मेरे क्षेत्र का उदाहरण देकर मैं चाहूँगा कि कम से कम माननीय मन्त्री महोदया आज स्थिति देख लें । गामागुड़ा एक गांव है । गामागुड़ा में आपने जन संख्या के आधार पर जल योजना लागू कर दी लेकिन गामागुड़ा हेमलेट से दो तिहाई आदमी दूर रहता है । आपके सरकारी कागजों के अन्दर गामागुड़ा में तीन हजार की जन संख्या है उसके लिए पेयजल की व्यवस्था कर दी है लेकिन दो तिहाई जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । ऐसे गांवों को भी आपकी इस हैंड पम्प की योजना में कवर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा । अब जो आप जल योजना बनाते हैं उसमें पापूलेशन स्केटर्ड है या डेन्स है या एग्रीगेटेड है, उसको यदि आधार मानेंगे तब तो जल योजना का लाभ पूरे गांव को मिलेगा वरना जनसंख्या को रेवेन्यू विलेज के साथ टाई कर रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह राजस्थान के लिए पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं है । आप जहां-जहां पर भी जायं, उदयपुर जिले के अन्दर तो यह स्थिति है कि जिस गांव के अन्दर नल योजना लागू है उस रेवेन्यू विलेज की दो तिहाई जनसंख्या शुद्ध पीने के पानी से वंचित है । इसलिए जनसंख्या और रेवेन्यू विलेज के आधार पर हम जो पीने के पानी की समस्या का निदान कर रहे हैं वह गांवों के लिए न्याय नहीं है । आज आपकी ज्योग्राफिकल कण्डीशन में कितनी पापूलेशन स्केटर्ड है, हेमलेट कितने हैं, हेमलेट का डिस्टेंस रेवेन्यू विलेज से कितना है उसको

(श्री सी. पी. जोशी)

जब तक आधार नहीं बनायेंगे तब तक यह जो आपने यूनिफार्म पालिसी बना दी है कि ढाई सौ की जनसंख्या के आधार पर हम एक हैंड पम्प लगायेंगे, इससे भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैंड पम्प की समस्या के आधार पर न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की विचित्र ज्योग्राफिकल कण्डीशन है, आज गंगानगर के जो हमारे विधायक आते हैं, उनके यहां पर जो रेवेन्यू विलेज हैं वहां पर दो हजार, तीन हजार, पांच हजार की पापूलेशन है। जैसलमेर के अन्दर स्केटर्ड पापूलेशन है। जब आपने यह निर्णय कर दिया कि हम ढाई सौ की जनसंख्या पर हैंड पम्प लगायेंगे....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसका मतलब यह हुआ कि ढाणियाँ हैं राजस्थान में छः हजार आप इस व्यू के हैं कि इन ढाणियों में हैंड पम्प लगाए जाने चाहिए।

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो परफेक्टली इस व्यू का हूं कि ढाणियों में ही नहीं, हेमलेट में रहने वाली जो भी जनसंख्या है, जहां प्लेन इलाका है वहाँ ढाणियों का कंसेप्ट अलग है लेकिन जो मेवाड़ का इलाका है वहाँ ढाणियों का कंसेप्ट अलग है। जो हमारे हेमलेट्स हैं उनमें हमारे आदिवासी भाई पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं, पांच घर, 25 घर बनाकर। आपने वहां पर भी कह दिया कि ढाई सौ की जन संख्या पर एक हैण्ड पम्प खोदेंगे। तो आज जो हैण्ड पम्पों का लोकेशन कर रहे हैं उससे आज भी तीन किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो जब तक जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन है राजस्थान के अन्दर उसको आधार नहीं मानेंगे और किस एरिया के अन्दर हेमलेट की दूरी मानें या हम पापूलेशन की दूरी मानें या हेमलेट और रेवेन्यू विलेज के बीच की दूरी मानें, इन सब आधारों को अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के आधार पर नहीं बदलना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे तब तक यूनिफार्म पोलिसी जो हमने बना रखी है उससे समस्या का निदान नहीं हो पायेगा।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के पास यह स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है कि एक हैण्ड पम्प से कितना पानी सरफेस पर आ रहा है। कितने हैण्ड पम्प आपने लगाये उनसे कितना पानी पर डे सरफेस पर आ रहा है। यदि यह पानी आपने अण्डर ग्राउण्ड का इस तरह से बेकार कर दिया तो आने वाले 25-30 सालों में अण्डर ग्राउण्ड वाटर डवलपमेंट के आधार पर आप इरिगेशन करना चाहें, पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहें तो वह भी इस राजस्थान के साथ अन्याय हो जायेगा। विभाग को सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान का अन्डर ग्राउण्ड वाटर कितना अवेलेबल है और हैण्ड पम्प के माध्यम से कितना पानी सौर हो रहा है, सरफेस पर कितना पानी आ रहा है नीचे कितना पानी रिजर्व रहेगा। जब तक हम साइंटिफिक आधार पर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पायेंगे।

(111)

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हैण्ड पम्प तो मजाक हो गया है सिटी के अन्दर भी हैण्ड पम्प। उदयपुर में कितने हैंड पम्प? ढाई सौ हैंड पम्प। जोधपुर में कितने हैंड पम्प? तीन सौ हैंड पम्प। भंवरलालजी शर्मा कहेंगे कि जयपुर में और भी हैंड पम्प होने चाहिए। अब हर घर के बाहर एक हैंड पम्प लगना चाहिए। कौन ज्योलोजिस्ट सर्वे करेगा कि अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्कीम में पानी ठीक ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा है आपने हैंड पम्प खोद दिया, पानी निकल रहा है लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी हैंडपम्प लगे हैं उनसे पर डे जितना पानी सरफैस पर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाले 10-15 सालों के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो हमारा है, वह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खतम हो जायेगा। इसलिये सबसे पहली आवश्यकता यह है कि एक स्कीम लें, वह स्कीम किस आधार पर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक डिकेड चला, वर्ल्ड डिकेड सैल्फ ड्रिंकिंग वाटर का। सैल्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला। वर्ल्ड बैंक में हमने कण्डीशन डाली, हमने एग्री किया इस बात को कि पीने के पानी को मुहैय्या कराने के लिए हम पानी पर टैक्स लगायेंगे। Well of good. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने इस स्कीम को इम्प्लीमेण्ट किया, कुछ समस्या का आंशिक निदान भी हुआ है लेकिन हमारे विभाग के पास यह आंकड़े अवेलेबल नहीं है कि राजस्थान के अन्दर कितना अन्डरग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है और कितने हैण्ड पम्प लगाये हैं, उनसे कितना पानी सरफेस पर आयेगा। तो आप हैण्ड पम्प का नॉन साइण्टिफिक ढंग से बोर कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में जितना पानी अवेलेबल है सबसे जरूरी चीज है, आने वाले वर्ष में पीने के पानी की राजस्थान में और ज्यादा कठिनाई पैदा होगी, उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों चीजों में सामंजस्य बनाना होगा। न केवल यह देखें कि कितना बजट डाईवर्ट करें पीने के पानी के लिए, बल्कि जहां एनीकट बना कर हमें वहां कुए के पानी का लेवल बढ़ाना है, वहां हैण्ड पम्प के द्वारा सरफेस वाटर बढ़ाना है तब जाकर हम राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का समाधान कर पायेंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक हम इस सारी कण्डीशन को समझेंगे नहीं तक तक इस सारे मामले को ठीक ढंग से नहीं कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दोहरी व्यवस्था कर रखी है मरम्मत की, यह दोहरी व्यवस्था ठीक नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा इस बात को कि आज व्यवस्था किस तरह की है। हैंण्ड पम्प ड्रिलिंग डिपार्टमेंट एक है, एक्स. ईएन पी. एच. ई. डी. एक है। अब जिम्मेदारी, अकाउन्टेबिलिटी किसकी है? यह आज गांव के सरपंच को मालूम नहीं है, एक्स ईएन. पी. एच. ई डी. के पास जाना है या एक्स. ईएन. हैण्ड पम्प के पास जाना है। विभाग को नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। जब आप हैण्ड पम्प के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो एक्स. ईएन. चाहे हैण्ड पम्प का हो, चाहे पी. एच. ई. डी. का हो, एक्स. ई एन. एक रेस्पांसिबल होना चाहिये। आपने दोनों

(श्री सी. पी. जोशी)

एजेन्सियां बना रखी हैं। पी. एच. ई. डी. भी हैंण्ड पम्प खुदवायेगा, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट भी हैण्ड पम्प खुदवायेगा और सबके लिये एक्स ई एन. अलग है। मैं समझता हूं कि यह दोहरी व्यवस्था ठीक नहीं है; हमको यह व्यवस्था ठीक ढंग से करनी चाहिये कि इसके लिये जिम्मेदार कौन होगा।

फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिटी के अन्दर जो हैण्ड पम्प लगा रहे हैं हम, यह ठीक निर्णय नहीं है। यह ठीक निर्णय इसलिये नहीं है, इमरजेंसी में आपके प्राब्लम हो गई जयपुर में पीने का पानी नहीं है तो समस्या का निदान क्या है; हैण्ड पम्प लगा दो। जब पानी हो जायेगा तब हैण्ड पम्प की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। हमने पिछले पांच साल में सिटी में जितना अमाउन्ट इन्वेस्ट किया है उसको यदि मल्टीप्लाई करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो हम ज्यादा पाइप लाईन की व्यवस्था कर सकते थे लेकिन माननीय भंवरलालजी और माननीय गिरधारी लालजी नाराज हो जायेंगे अभी, इन्होंने कहा कि पीने के पानी की समस्या के लिए जयपुर में हैण्ड पम्प खुदने चाहिये, और हैण्ड पम्प जोर से खुदने चाहिये। 400 हैण्ड पम्प खुदा लिये हैं इन्होंने....

श्री भंवरलाल शर्मा : हैण्ड पम्प के हम तो खुद खिलाफ हैं। यह कोई समाधान नहीं हैं। आप जो कह रहे हो वह ठीक ठीक कह रहे हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी सरकार को कहिये कि इस तरह की गलत नीतियों से पैसे का दुरुपयोग नहीं करे इन हैण्ड पम्पों के नाम पर।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भाभड़ा साहब, मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार तो यह करे लेकिन विरोधी पक्ष भी खड़ा होकर यह कहे कि साहब, हैण्ड पम्प की आवश्यकता नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विरोधी पक्ष को पानी चाहिये। विरोधी पक्ष तो पानी की बात करता है हैण्ड पम्प की नहीं। आप जल प्रदाय योजना से पानी दीजिये, हमें हैण्ड पम्पों की जरूरत नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव माननीय भंवर लालजी शर्मा और गिरधारीलालजी भार्गव, नाथूसिंह जी, कालीचरणजी सर्राफ ने रख कर मांग की कि जयपुर शहर में पीने के पानी की भयंकर समस्या है इसलिये हैण्ड पम्प लगाये जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं कभी नहीं कहा।

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हैण्ड पम्प पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं है। हमको इन्टीसिपेट करना पड़ेगा कि किस प्रकार इस पीने के पानी की समस्या का शहर के अन्दर समाधान किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आप ही एग्री नहीं करते इससे। यह तो आपने मनमाने ढंग से लगा दिये और मनमाने ढंग से फैसला कर लिया।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में पीने के पानी की जो स्थिति पैदा हुई....

(व्यवधान)

दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। आन्दोलन आप करोगे तो भी सरकार को वही प्राब्लम आयेगी, आप आन्दोलन नहीं करोगे तो भी कोई न कोई समस्या का समाधान होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पानी की व्यवस्था नहीं करोगे तो आन्दोलन होगा ही।

श्री सी. पी. जोशी : पानी की व्यवस्था भंवरलालजी शर्मा साहब, जो राजस्थान में पानी अवेलेबल है जिस तरह की स्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लॉग टर्म प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो इमिजियेट नेल्स के लिये उस पानी की समस्या का निदान कर लेंगे लेकिन उस समस्या का निदान नहीं हो पायेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह बात इनसे कहो भाई, हम भी आपके साथ इस बात से सहमत हैं कि लॉग टर्म की कोई योजना बनाइये, यह हैण्ड पम्प वैण्ड पम्प फालतू हैं। यह तो केवल कांग्रेस के लोग कुछ गये उनको राजी करने के लिये आपने हैण्ड पम्प लगा दिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसीलिये बीसलपुर की योजना बनायी है।

श्री भंवर लाल शर्मा : हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। हमसे तो आपने पूछा ही नहीं। हमसे तो आपने कहा ही नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसलिये बीसलपुर की योजना बनायी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह ठीक है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा....

श्री शिवचरण सिंह : बीसलपुर की योजना फोर्थ प्लान की योजना है। वह पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिये नहीं होगी, पहले ड्राप की गई सुखाड़िया जी के जमाने में जब भीलवाड़ा और चित्तौड़ के सारे बंध बने। अब बीसलपुर की योजना प्लानिंग में लाये हैं, आप बाद में फिर इसको ड्राप करेंगे। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी।

एक माननीय सदस्य : किसने कहा नहीं बनेगी।

श्री शिवचरण सिंह : चित्तौड़ कहां जायेगा? भीलवाड़ा-चित्तौड़ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कैसे बनाओगे? प्लानिंग कमीशन इसे अलाऊ नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इन्टरप्ट नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : थोड़े दिनों में हम आपको रेलापेल कर देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं, पीने के पानी की समस्या का निदान करने के लिये राजस्थान कैनाल का पानी डाइवर्ट करके जोधपुर लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यह ठीक व्यवस्था है। बीसलपुर से आप पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक व्यवस्था है। मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उदयपुर जिले से उसके पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में, माननीय मन्त्री महोदय, जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जो उदयपुर का इलाका है, जहां पीने के पानी की भयंकर समस्या आने वाली है, चाहे आप देवास योजना बनायें चाहे आप वाकल की योजना बनायें, चाहे तीसरी जो योजना है वह बनायें,, उन तीनों योजनाओं में से एक योजना आपने एन्टीसिपेट नहीं की तो आने वाले पांच साल में, आने वाले दस साल में उदयपुर और मेवाड़ संभाग के लोग माननीय मन्त्री महोदय, आपको भी याद करेंगे इस बात के लिये कि आप राज के अन्दर थे, आप उस स्थिति में थे कि पीने के पानी की समस्या का समाधान कर सकते थे, लांग टर्म प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन ब्यावर में पानी की समस्या है, अजमेर में पानी की समस्या है, 15 साल से समस्या है लेकिन हमने स्कीम आज बनायी है। जोधपुर में पानी की समस्या है, वहां रीजनल पाइप स्कीम बना दी हमने लेकिन उसकी समस्या का निदान नहीं हुआ, अब हम वाकल से वहाँ पानी ले जा रहे हैं। उदयपुर में पीने के पानी की समस्या है। इस आधार पर कि जोधपुर में जो कुछ हुआ, अजमेर में जो हुआ, उदयपुर में वैसा नहीं हो, कम से कम यह तो निर्णय लें आप। ऐसी आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि जब माननीय मन्त्री महोदय, जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि उदयपुर में भी स्थिति जोधपुर जैसी नहीं बनेगी, अजमेर जैसी नहीं बनेगी। इसलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपको किसी न किसी एक योजना का आधार लेकर उदयपुर में पीने के पानी की समस्या का निदान करना पड़ेगा अन्यथा आने वाले समय में पीने के पानी का अभाव रहेगा।

अन्त में मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, पोस्टेरिटी इवेल्यूएट करेगी इस बात को कि छठी पंचवर्षीय योजना में हैण्ड पम्प में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। और हमने स्पेसिफिक तौर पर यह कहा कि हैण्ड पम्प के इम्प्लीमेंटेशन में यह गड़बड़ियां हैं, उनको यदि हम आज जनता के सामने स्पष्ट नहीं करें तो पोस्टेरिटी हमको ईवेल्यूएट नहीं करेगी। हैण्ड पम्प में हमने इतना टाइम खराब किया, विधान सभा में हमने यह कहा कि हैण्ड पम्प के अन्दर यह घोटाला है, हमने यह कहा कि हमारी सरकार ने भीलवाड़ा में एक मजिस्ट्रेट के सामने, सी. जे. एम. के सामने केस प्लीड नहीं किया इसलिए तीन साल तक वह हैण्ड पम्प ठीक ढंग से लग नहीं पाये। जिन अधिकारियों को सस्पेण्ड किया वह अधिकारी आज रिइंस्टेट हो गये हैं। प्रमोशन हो गया उनका। तो या तो हमने गलत आदमी को सस्पेण्ड किया या रिइंस्टेट किया....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बड़े शर्म की बात है कि जिस अधिकारी ने गड़बड़ की उसका प्रमोशन आपकी सरकार ने कर दिया।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि वह अधिकारी रेस्पांसिबल था या नहीं। सदन के सामने मैं आशा करता हूँ जो रेस्पांसिबल है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जो रेस्पांसिबल नहीं है उसका प्रमोशन करने में तकलीफ नहीं है। लेकिन कुल मिला कर हमें सोचना पड़ेगा। यदि इस हैण्ड पम्प के बारे में हम जनता के सामने नहीं बतायेंगे कि हुआ क्या, तब तक यह विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेगा। फिर अन्त में मैं निवेदन करता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग को अपनी नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का निदान हो पायेगा। अन्यथा करोड़ों रुपये रीजनल पाइप स्कीम पर खर्च कर दिये, हैण्ड पम्प पर खर्च कर दें, दस साल बाद फिर हम राजस्थान में मांग करें कि पीने के पानी की समस्या का निदान नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा, हमें विश्वास है माननीय मन्त्री महोदय, जब जवाब देंगे तब उदयपुर के पीने के पानी की समस्या के बारे में कोई कमिटमेंट करेंगे।

आपने अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज हमारी बात बोले हो आप पूरी।

श्री सी. पी. जोशी : रोज ही आपकी बात बोलता हूँ मैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : रोज तो नहीं बोलते हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारी पार्टी की ओर से श्री गिरधारीलाल भार्गव पेयजल योजना के बारे में पूरा विस्तृत भाषण देंगे, मुझे तो केवल मेरा जो एडजोर्नमेंट मोशन था उसके सम्बन्ध में बोलने के लिये कहा गया है इसलिये मैं उसी तक सीमित रहूंगा, और केवल सूरतगढ़ और रतनगढ़ दो क्षेत्रों की बात करूंगा।

मान्यवर, सूरतगढ़ के अन्दर पिछले एक महीने से पानी की समस्या को लेकर एक बहुत बड़ा प्रबल आन्दोलन चल रहा है। उस आन्दोलन में सैकड़ों महिलायें भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं वहां तो हरिजन नेता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनको फोर्स फीडिंग करा कर,

(1. 38 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

सरकार ने अनशन तुड़वाया है लेकिन अनशन अभी चालू है। सूरतगढ़ और उसके आस पास में जो पेयजल योजना बनी हुई है, जैसे राजियासर, उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। यहां तक कि राजस्थान कैनाल का जो ओवर हैड टैंक हैं उसमें डीजल द्वारा पानी चढ़ाया जाता है उसका कनेक्शन भी अभी तक नहीं किया गया है इसलिये वहां अभी लोगों को पीने के पानी का बड़ा भारी संकट है। दुर्भाग्य की बात

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

यह है कि सूरतगढ़ जो कैनाल एरिया है वहां पर राजस्थान सरकार ने अपनी अक्षमता के कारण, अयोग्यता के कारण यह स्थिति कर रखी है तो फिर राजस्थान के उस इलाके, जहां नहर है नहीं, रेतीला इलाका है, जहां लोग प्यासे मर रहे हैं की बात करना तो और भी बड़ी मुश्किल बात है। मान्यवर, मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ में जो आन्दोलन पानी की समस्या को लेकर और उसके आसपास के गांव की समस्या को लेकर चल रहा है उस पर अविलम्ब ध्यान दें और वहां की जनता को और अधिक बड़े कदम उठाने को बाध्य करें।

जहां तक रतनगढ़ का प्रश्न है, मान्यवर मैंने 18 अप्रेल को मुख्य मन्त्री महोदय को रतनगढ़ के बारे में पूरी स्कीम बना कर भेजी है। रतनगढ़ में मेरे क्षेत्र में सौ गांव हैं जिनमें से 50 गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 10 गांव तो बिल्कुल ऐसे हैं जहां एक बूंद पीने का पानी नहीं है और वहां का पानी इतना खारा है कि उसको कोई पी नहीं सकता। उनके लिये कोई जल प्रदाय योजना नहीं है। उस क्षेत्र में जो जल प्रदाय योजना बनी हुई है वह भी सरकार की अक्षमता, अयोग्यता और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण काम नहीं कर रही है। इसलिये जिन गांव को पानी देना चाहिये उनको पानी नहीं मिल रहा है। सरकार कभी कहती है कि चार कुएं और खुदवाने है। अभी एक बिराणिया स्कीम है, बिराणिया पड़ता है सीकर में पानी सारा सप्लाई होता है रतनगढ़ के गांवों में सीकर से। वहाँ बिजली का कनेक्शन दिया है। सीकर से बिजली में कट होता रहता है, वहां पूरी बिजली मिलती नहीं यदि इस बिराणिया स्कीम को रतनगढ़ से बिजली सप्लाई कर दी जाय तो वहां पर पर्याप्त रूप से पानी मिल सकता है। सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ अपने ही लोन सोर्सेज हैं, पानी के कुएं हैं बीरमसर, ठठावता, जावंदा, साँगासर, टीडियासर, खाजूसर, आबूसर, चंपासी, यहाँ पानी है लेकिन इतना गहरा है कि जब तक बिजली की मोटर नहीं लगाई जाय पानी निकालना बड़ा कठिन है। आलसर की ढाणी एक ऐसा गांव है जहां साढे तीन सौ फीट से गहरा पानी है, चार ऊंटों से पानी निकालते हैं, चार ऊंट लगते हैं तो वहां पानी निकलता है। सामान्य बात है कि वहां बिजली का कनेक्शन देकर बिजली की मोटर लगा दें तो लोगों को आसानी से पानी मिल सकता है। बिरमसर, ठठावता गांवों में तो पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन का बायकाट किया था। एक भी आदमी गांव का वोट देने के लिए नहीं आया। इसलिए कि हमारे यहां पर बिजली नहीं होने की वजह से पानी की परेशानी है। वहां सरकार ने सात लाख रुपये लगाकर पहाड़ों में टैंक बनाये कि इनमें पानी इकट्ठा होगा और वहां से लोग पानी लेंगे। पर दुर्भाग्य की स्थिति है कि वहां सात लाख रुपये वेस्ट गए, टैंक सब टूट रहे हैं, उनमें कोई पानी नहीं है, इनसे लोग पानी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बिरमसर में कुएं हैं और कुओं में पर्याप्त पानी है। यदि सरकार इस बिरमसर, ठठावता, जावंदा, सांगासर, आबूसर के अन्दर केवल बिजली का कनेक्शन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

देकर वाटर वर्क्स लगा दें तो वहां पानी आसानी से मिल सकता है और 10 गांव आसानी से पानी ले सकते हैं। इसी तरह से कोटड़ी, नूंवा दो ऐसे गांव हैं जहां पानी पर्याप्त है जहां कुएं भी हैं लेकिन वहां टी. एच. एस. स्कीम में केवल एक-एक कुएं पर इंजिन लगाया हुआ है जब कि गांव काफी बड़े हैं, दो ढाई हजार की आबादी है। वहां पर यदि दो कुओं पर बिजली लगाई जाय तो पानी आसानी से लोगों को मिल सकता है। मेरा कहना है कि यह सामान्य बातें हैं इन पर कोई लम्बा-चौड़ा खर्च भी नहीं होगा।

एक योजना मालपुर योजना बनाई गई, आपको मैं एक नमूना पेश करता हूं सरकार का, मालपुर योजना साल डेढ साल पहले बन जाती, हर सर, कादिया 3-4 गांवों को पानी मिल रहा था परन्तु वह पाइप लाइन रेलवे लाइन के नीचे से आनी थी। रेलवे वालों ने 96 हजार का एस्टीमेट दिया। अब तक यह योजना इसलिये क्रियान्वित नहीं हुई कि रेलवे वालों ने 96 हजार से कम एस्टीमेट नहीं दिया। मैंने पूछा तो कहा कि साहब, रेलवे वाले बहुत पैसा मांग रहे हैं इसलिए स्कीम बना नहीं रहे हैं। मैंने बंसीलाल चौधरी को पर्सनल लेटर लिखा उनका पांच जुलाई को मेरे पास जवाब आया है। उन्होंने 96 हजार की योजना को घटा कर 19 हजार का एस्टीमेट बना दिया एक मेरे पत्र से। इसमें कोई लम्बा-चौड़ी बात नहीं थी, यदि सरकार चाहती, कोशिश करती तो यह पहले भी हो सकता था। मैं अभी भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम आप नहीं कर सके, मैंने आपको मदद की है, रेलवे मन्त्री ने स्वयं इंट्रेस्ट लेकर 96 हजार से 19 हजार का एस्टीमेट बनाया है, कृपया अब जल्दी से जल्दी आप जमा कराइए और इन 3–4 गांवों को पानी देने की कोशिश करिए। इसी प्रकार से टीडियासर गांव है वहां पर वाटर वर्क्स की स्कीम बनी हुई है लेकिन वहां पानी पहुंचता नहीं। भीचड़ी नाम का एक ऐसा गांव है जो बिरयाणी स्कीम से जुड़ा हुआ है लेकिन पानी पहुंचता नहीं। हालत वहां यह है कि लोगों ने एक पाइप बना रखा है शहर के गन्दे पानी को घड़ोई में इकट्ठा करते हैं और एक पाइप से कुएं में डालते हैं। इस तरह से जो शहर का गन्दा मीठा पानी है उसको कुएं में डाल कर मिला कर पी रहे हैं। यह स्थिति है, इस स्थिति को ठीक करने के लिए मैंने स्कीम सारी माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखित में भेजी है, वहां के एक्स. ई. एन. ने भी मेरे कहने से पूरी स्कीम बना कर आपके पास भेजी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो स्कीम्स प्रपोज्ड है वह बहुत लम्बी-चौड़ी नहीं है। इन स्कीम्स को पूरा करिए और जो कमियां हैं उनको दूर करिये। अभी आपके डिपार्टमेंट ने लिखा है, रतनगढ़ प्रोपर की हालत यह है कि आज रतनगढ़ प्रोपर में 47 हजार की आबादी है, 47 हजार वहां आबादी को पानी चाहिए, आपके हिसाब से पूरा पानी उनको देना चाहिए। वो हैं 47,700 की आबादी, उसके अनुसार रतनगढ़ में प्रति दिन 47.70 लाख लीटर पानी की जरूरत है, यह आपके विभाग का एस्टीमेट है लेकिन इस समय वहां पर पानी सप्लाई किया जा रहा है 22.7 लाख लीटर जहां 47 लाख लीटर प्रति दिन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की जरूरत है वहां केवल 22 लाख लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है जब कि स्थिति यह है कि चार कुंए वहां पर ऐसे हैं, मैंने स्वयं जल प्रदाय विभाग को कहा है कि इन चार कुओं के मालिक कुएं जल प्रदाय विभाग को देने के लिए तैयार हैं, इन कुओं को लेकर आप पानी की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जल प्रदाय विभाग इसमें अभी तक कोई रुचि नहीं ले रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पानी के कुंए आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, लोग दे रहे हैं कुए, इन कुओं को जल प्रदाय विभाग स्वीकार करे और उनके माध्यम से रतनगढ़ शहर की जो 47 लाख लीटर से कमी पड़ती है उस पानी की पूर्ति करे और खास तौर से वहां जो हरिजन बस्तियां हैं उन बस्तियों में पाइप लाइन नहीं है वहां पाइप लाइन डालने का प्रयास करें। मैं एक आश्वासन और देना चाहता हूं, यदि आपके चीफ इंजीनियर या आपका विभाग मेरे को कोआपरेट करें तो मैं उनको सारी स्कीम बनाकर देने के लिये तैयार हूं जिससे कम से कम पैसे में वहां पर अधिक से अधिक पानी की सप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि आप मेरा कोआपरेशन करें। मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री महोदय ने कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा है लेकिन आपका जल प्रदाय विभाग इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है कुछ तो अधिकारी ऐसे हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने इसमें मेरा सहयोग लिया तो इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत कम पैसे में त्वरित गति से सुलझाई जा सकती है।

इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई, एक इधर से, एक उधर से। एक हां पक्ष से एक ना पक्ष से। आपका भी नम्बर आएगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति जी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानि जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में जो मांग 27 है और विभाग का हैड 282 है, उसके अन्तर्गत आपके मार्फत माननीय मन्त्री जी का कुछ योजनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह स्पेसिफिक मांग है इसलिए कट मोशन के जरिये जो स्पेसिफिक कठिनाइयां हैं सीधे उन्ही के बारे में मैं कहूंगा और अन्य मुद्दों पर कोई बात कहना उचित नहीं समझूंगा। यह जो विभाग है ग्रामीण लोगों, शहरी लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करने का विभाग है। 1965 में यह विभाग कायम किया गया था। इस विभाग का काम पुरानी योजनाओं को ठीक करना, नई योजनाओं को बनाना, और पानी के सोर्सेज उपलब्ध करके, रीजनल पाइप लाइन, पंप एण्ड टैंक्स स्कीम्स और अलग-अलग विलेज स्कीम्स और हैण्ड पम्प द्वारा ग्रामीण इलाकों में पानी की व्यवस्था करना है, सभापति जी इसके सम्बन्ध में मैंने कट मोशन नं. 43 से 46, चार कट मोशन और पांचवां 70, यह पांच प्रस्तुत किये हैं, वह आपके मार्फत मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं और उनके जरिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला जालौर में पानी की गम्भीर समस्या है। उसके लिए एक खण्ड जालौर में स्थापित किया गया है। अभी दुबारा इस विभाग द्वारा अच्छी तरह से सुचारू रूप से सर्वेक्षण और इंप्लीमेंटेशन दोनों तरह से हो सके उसके बारे में मैंने प्रस्ताव दिया है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। भीनमाल जो बिल्कुल जिले के मध्य में स्थित है उसमें अलग खण्ड की स्थापना की जाय क्योंकि भीनमाल तहसील और सांचौर तहसील, दोनों तहसीलों में आधे से ज्यादा जिला आता है। पूरे जालौर क्षेत्र का इस खण्ड से इन्तजाम होना असम्भव है क्योंकि भीनमाल और सांचौर क्षेत्र में लम्बी-लम्बी रीजनल योजनायें कार्यरत हैं। उसके अलावा दूसरे बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका अण्डर ग्राउण्ड वाटर बिल्कुल खारा है और बहुत से ऐसे समस्याग्रस्त गांव हैं जिनके अन्दर पीने के पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में पानी का इन्तजाम करना और रीजनल योजनायें जो कार्यरत हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग खण्ड स्थापित करने की आवश्यकता है। इतनी योजनाओं को देखते हुए और नयी योजनाओं जिनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है, को मद्देनजर रखते हुए एक अगल खण्ड की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। बिजली खण्ड तो अलग से स्थापित किया जा चुका है। तो, यह जलप्रदाय योजना के लिए भी लग खण्ड बनाने के लिये आपके जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मन्त्री महोदय तो, यहां नहीं हैं परन्तु जो दूसरे मन्त्रीजी बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि यह बात उनको नोट करा दें। मैं चाहूंगा कि आज ही इस विधान सभा में आश्वासन दें इस खण्ड के अलग से कायम करने के बारे में।

दूसरा, पंचायत समिति सांचौर, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के बारे में मैंने यहां जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रथम मैंने अभी कटौती का प्रस्ताव रखा, दूसरे कटौती प्रस्ताव के जरिये आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सांचौर क्षेत्र में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पिछले 10-15 वर्षों से सर्वेक्षण के बाद शुरू की गयी थी। सांचौर हाडौती क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है उसके अन्तर्गत 35-40 गांवों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी का जो सोर्स है वह सिर्फ सांचौर में स्थित हैं, बीच के गांव में कोई पानी का सोर्स नहीं है। इस पानी के सोर्स पर इतनी लम्बी रीजनल पाइप लाइन स्कीम है। उसमें करीब 10-15 टैंक हैं। इस लम्बी योजना में पानी का सोर्स सांचौर से स्टार्ट है और सांचौर, जो नगर-पालिका क्षेत्र है, भी इसमें शामिल है। इसलिये मैं आपके जरिये आग्रह करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि सांचौर नगरीय क्षेत्र की जो जलप्रदाय योजना है उसको अलग कर दिया जाय और जो पानी सांचौर सोर्स से जा रहा है उस पानी को गांव के लिये निर्धारित किया है वह अलग स्कीम से चलाया जाय। उसके लिये ओवर हैड टैंक बन चुके हैं, एक ओवर हैड टैंक और बनाया जा रहा है, सांचौर में। क्योंकि पानी को इकट्ठा नहीं रखेंगे तो इस गांव में पानी की कोई समस्या हल नहीं हो सकेगी। 3-4 टैंक्स के अन्दर सांचौर के अन्दर पानी आता है। पहले सांचौर में सप्लाई करते हैं उसके बाद इस रीजनल योजना, जो सांचौर की है, से 3-4 गांवों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया है। वह पहले के तीन-चार गांवों में पहुंचता है बाद में पहुंचता ही नहीं है और वह भी आल्टर-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नेटिव ढ़े से पानी सप्लाई करने का अरेन्जमेंट कर रखा है। पहले तो मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि साँचौर की जो रीजनल पाइप लाइन है उसको ठीक तरह से चलायें जो कि समस्याग्रस्त स्कीम है। जब से बनायी है आज दिन तक यह समस्याग्रस्त है और उसको समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। तो समस्याग्रस्त स्कीम को ठीक किया जाकर जितने भी गांव उसके अन्तर्गत आते हैं उनमें पानी का इन्तजाम किया जाय। इसके अन्तर्गत बहुत गांव आये हैं। उनमें अण्डर ग्राउण्ड पानी नहीं है, कोई बीच का कुआं नहीं है जैसे गांवों में हुआ करता है। वहां बीच का कुआं भी नहीं है। जो भी पानी इस योजना के तहत जा रहा है उसी के जरिये इससे लोग पानी पीते हैं। तो इसलिये मेरा आपसे आग्रह हैं कि इस स्कीम के जरिये पहले जो भी छोटी-छोटी ढाणियां हैं, वस्तियां हैं उनमें पानी उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की योजना नहीं थी एक गांव की वस्ती में ही पानी उपलब्ध कर दिया करते थे परन्तु अब आपको भली-भांति मालूम है कि ढाणियों में लोग रहते हैं। इसलिये एक ही जगह पानी का बन्दोबस्त करके सारी जनसंख्या को इस तरह से पानी पिलाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस किया है। आज जगह-जगह जहां वस्तियां हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ग्रामीण लोगों को पानी उपलब्ध हो उसके बारे में आवश्यकता को राज्य सरकार ने महसूस किया है और जगह-जगह पानी पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। मेरा इसमें आग्रह है कि जहां-जहां आपकी आबादी को पानी पहुंचाने की आवश्यकता है, अब समय को देखते हुए सब लोग चाहते हैं कि हमको पानी मिले। होशियार लोग ही पानी पीते थे, दूसरे प्यासी नजर से देखते थे परन्तु आज वे भी उन्हीं के बराबर पानी पीते हैं तो हमको पिलाना पड़ेगा। इस हालत में सब जगह पानी का अच्छा इन्तजाम हो। इस रीजनल पाइप लाइन के जरिये सब लोगों को पानी मिले। सुचारु रूप से यह स्कीम चले। इसके लिए जिन लोगों को वर्क चार्ज पर लिया है वे भी लोगों से मिल कर किसी जगह पानी टाइम पर खोलते हैं और किसी जगह नहीं खोलते हैं। इसके बारे में राज्य सरकार को इन्तजाम करने में भारी कठिनाई आती है। उसके पास पूरे साधन नहीं हैं और इतने लम्बे एरिया में पानी की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। जितनी भी कठिनाई आती है विभाग को, उसके बारे में बड़े-बड़े अधिकारी मौके पर जाकर ध्यान दें। चीफ इंजीनियर, एस. ईज. को मौके पर जाना चाहिये। गांव की समस्या को सुनकर मौके पर ही व्यवस्था की जा सकती है, उसके उपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यहां पर मामला आया था। खाराबेरा का, उसके अन्दर पानी कभी जाता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं आता और विभाग कहता है कि जाता है। तो इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो ढाणी में टैंक हैं जब से टैंक बने हैं एक भी गांव के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अन्दर, मैं लिस्ट दे चुका हूं, पिछले 10 साल से एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है। यह वस्तु स्थिति है।

इसके बाद मेरा निवेदन है कुडा ग्राम है जिसमें पाइप लाइन के अन्दर टैंकर की स्कीम दी हुई है परन्तु पानी बिल्कुल नहीं जाता है। उसमें इतने कनेक्शन दे दिये, इतने टैंक बना दिये उसमें पानी उपलब्ध ही नहीं होता। वे टैंक पड़े-पड़े खराब हो गये, वहां पानी नहीं जाता।

इसके अलावा दूसरे भी कई टैंक्स हैं। उनमें भी पानी जाता ही नहीं। इसलिये राज्य सरकार को, विभाग को जहां जहां भी पानी नहीं, रास्ते में ओपन वैल में अगर कहीं सम्भव है तो उस जगह सप्लीमेंट करने के लिये, जहां-जहां समस्या है, पानी लाकर वाटर लेकर वहां इसे सप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा, एक गांव केसरी में टैंक राज्य सरकार ने बना दिये उसमें आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा। इसके अलावा भाटकी नरदड़ा, वालेरा और आगे, ठेट हिन्दपुरा तक कई2 टैंक बना दिये इस स्कीम के तहत, 5-6 ट्यूब वैल वहां पहले बनाये थे, सारे सोर्स खतम हो गये। आज वापस 3-4 ट्यूब वैल और बनाये हैं। अण्डर ग्राउण्ड पानी इतना है नहीं। वहां पर जितनी भी स्कीम बनायी जा रही है पहले पानी का सोर्स ढूंढा जाय उसके बाद स्कीम इम्प्लीमेंट की जाय। तो मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रीजनल पाइप लाइन स्कीम सांचोर वाली और सींदू वाली, साकल, सादड़ीपुर और हरियाली वाली ये 4-5 रीजनल स्कीम, पिछले 15-20 सालों में बनायी है, राज्य सरकार ने सारी स्कीमें अभी तक समस्या-ग्रस्त हैं क्योंकि लोगों को पूरा पानी जो पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचता है। मैं इसको ज्यादा विधान सभा में नहीं उठाना चाहता हूं परन्तु मैं आपके जरिये विभाग को इतना आगाह करना चाहता हूं कि जो भी आपने स्कीम बनायी है और जो धन इसमें लगाया है उसको ज्यादा से ज्यादा जनहित में, ग्रामीण जनता के उपयोग में लाया जाय। इस बारे में विभाग पूरी तरह से एक महीने में मौके पर जाकर सर्वेक्षण करे उसमें पानी कहां-कहां नहीं पहुंचता है, कहां कहां पहुंचता है, इस बारे में तमाम व्यवस्था करें, उसकी पूर्ति करें। इतना ही मैं कहना उचित समझता हूं। बाद में जब भी आप जायेंगे मौके पर लोग डिफिकल्टी बता देंगे। मैं इतना ही पर्याप्त समझूंगा।

इसके अलावा दूसरी डिफिकल्टी सांचोर में लटे एण्ड पर होती है सारी समस्या वहां आती है, बिजली टेल एण्ड पर नहीं आती है। रीजनल पाइप लाइन समस्या का जल-प्रदाय विभाग समाधान करते हैं। यह सम्भव नहीं है। क्योंकि दूसरा इससे कनेक्टेड जो विभाग है वह बिजली का विभाग है। माननीय बिजली मन्त्री जी बैठे हैं इनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि करीब 40-50 गांव है उसमें रीजनल पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचता है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जितने पावर कनेक्शन दिये हैं उनको बिजली नहीं देते हैं। जब बिजली नहीं देते हैं, बिजली नहीं आती है तो पानी पूरा सप्लाई नहीं होता है। तो यह दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी है। लोग तो समझते हैं कि पी. एच. ई. डी. वाले ही जिम्मेदार हैं क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है। इसलिए इसके बारे में जब पानी वालों से पूछते हैं, अधिकारियों से कि पानी कैसे नहीं आया, वह कहते हैं कि बिजली वालों से कहो। तो बिजली मन्त्री जी सांचौर क्षेत्र में और भीनमाल क्षेत्र में जो नलकूप हैं जिनको पावर कनेक्शन दिये हैं कृपा करके कम से कम पीने के पानी के लिए पूरी बिजली दें। लाखों रुपया पी. एच. ई. डी. ने आपको नलकूपों के कनेक्शन देने के लिए लाइन के जमा करा रखे हैं। विभाग का पैसा बिजली बोर्ड साल साल दो-दो साल तीन साल जमा रखे और आप पावर कनेक्शन नहीं दें यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इस बारे में पी. एच. ई. डी. तो लाखों रुपया जमा करा देता है और छोटी-मोटी गलती के कारण या एक्स. ई. एन. की जिद के कारण उनको कनेक्शन नहीं मिलता है तो यह जनता दुखी होती है। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से बिजली मन्त्रीजी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि आप जो अधिशाषी अभियंता हैं बिजली वाले और जलदाय विभाग वाले दोनों अभियन्ताओं को बैठा कर कैसे कोआर्डिनेट करें। जब आप जालौर आये थे तो कितना हल्ला हुआ था मीटिंग के अन्दर। हजारों लोग आपको मिलने गये थे क्योंकि मन्त्रीजी आ रहे हैं। कोआर्डिनेट करें और जहां कनेक्शन पैंडिंग है उनको सब कनेक्शन दिला दें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

तीसरी बात नेड़ क्षेत्र है उसमें 63 गांव है। वह लूणी नदी का क्षेत्र है। वहां लूणी का सारा नीचे का पानी है जो समुद्र सतह से लगता हुआ पानी है नीचे 1500 फीट के आसपास ही पहले से रेत आ रही है। जिस समय नाथूराम जी मिर्धा मिनिस्टर थे। उस समय सरदारशहर रोड पर 1500 फीट नीचे से लिफ्ट के जरिये अण्डर ग्राउण्ड पानी निकालने की कोशिश की परन्तु वह उपलब्ध नहीं हुआ। नीचे पानी नहीं है। खारा पानी है। अण्डर ग्राउण्ड पानी है ही नहीं। इसलिए जो नेड क्षेत्र के 63 गांव हैं पहले तो मिट्टी की वजह से रेत चली जाती थी और पेट बढ़कर 27 साल की उम्र में ही आदमी मर जाता था। 63 गांव के लोग मर जाते थे परन्तु अब पानी को गरम करके पीने से कुछ रेट बढ़ गयी है लेकिन आज भी इन गांवों को पीने को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। उसकी वजह से डिजीज होती हैं। पीने का पानी नेड क्षेत्र के 63 गांवों को मिले उसके लिए कम से कम एक टैंक बनायें। एक गांव में एक टैंक की तो व्यवस्था पी. एच. ई. डी. कर दे। रीजनल स्कीम न बन सके तो तो कोई बात नहीं, उसमें करोड़ों रुपये लगेंगे और आगे तो जब नर्मदा स्कीम का पानी आयेगा तभी समस्या असल तौर पर मिटेगी। परन्तु जितना भी राज्य सरकार के पास धन है इन 63 गांवों में पीने के पानी की समस्या के समाधान करने हेतु जहां-जहां ऊपर वाले गांवों में पानी उप-

123

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लब्ध हो सके उनको रीजनल पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचा दें। क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी वहां पाने के लिए लोग तड़फ रहे हैं। राज्य सरकार ने सर्वेक्षण तो किया है, सैंट्रल की टीम भी सर्वे करने के लिए आयी परन्तु उनकी समस्या का किस तरह समाधान करेंगे, मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहें, इन गांवों में पानी का बंदोबस्त कब तक कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं एक मेरा निवेदन है कि काफी बड़ी सूची ह्विप से प्राप्त हुई है हर दल की। इसलिए आप 7 मिनट का समय लेंगे। यह मेरा विशेष तौर से निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, यह विनम्र निवेदन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव....

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा। श्री भंवरलाल शर्मा। एक हां पक्ष से एक ना पक्ष से।

एक माननीय सदस्य : भंवरलाल (हवामहल) अभी आ रहे हैं।

श्री सभापति : भंवरलाल शर्मा लोक दल के।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, इस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है जिस ढंग से जिस अच्छे चिकने कागज पर दिया गया है उतनी ही चिकनी चुपड़ी बातें इसमें लिखी गयी हैं, यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए विशेष तौर से आगाह कर दूं। जितने आंकड़े दिये गये हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया अपनी बात कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरे राजस्थान का नहीं कह सकता हूं, मेरे जिले के लिए ही कहना चाहूंगा कि जिन गांवों के आंकड़े दिये गये हैं, जिन गांवों में आज की तारीख में पानी पहुंचना बताया गया है वह कतई असत्य है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : कतई क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल असत्य है। इससे पूर्व भी कई बार इस विभाग में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पुराने वित्त मन्त्री और गृह मन्त्री ने मैं उस समय पचायत समिति का प्रधान था....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : आंकड़ों के हिसाब से कौन कौन से गांवों में पीने का पानी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सोमासर, पनपाडिया, माणक देसर, खेसड़ा, खेजड़ा, आप लिखते जायें रायपुरा, राकूसर, भगवाडा है, नीमडासर है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आंकड़ों के हिसाब से ही बता रहा हूं। 400 गांवों में पानी पहुंचा है वहां पर।

एक माननीय सदस्य : आपको तो आंकड़ों पर विश्वास ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मन्त्री जी, आप अपने विभाग की पैरवी मत करो, समस्या हल करिये। उसके लिए मैं आपको अलग से मिलूंगा। मुख्य मन्त्रीजी से मिला हूं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मन्त्रीजी आपकी पैरवी करेंगे तो गलत हो जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरदारशहर तहसील में जो पानी की स्कीम बनायी गयी है वह बिल्कुल गलत तरीके से बनायी गयी। 15-20 किलोमीटर लाइन डाली गयी है 6-7 साल पहले। वह सूची है मेरे पास में परन्तु आपने समय नहीं दिया है 15-20 मिनट में तो नाम ही बता पाऊंगा। 7 मिनट का समय दिया है। तो पूरी सूची मैं मन्त्री जी को दे दूंगा। आज सात आठ साल के बाद भी इन गांवों में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। स्कीम बना दी गयी है, पानी का टैंक बना दिया गया है इन गांवों में जैसे रायपुरा, नीमडासर, भगवाडा, फलासिया, जेसीसर, सोमासर, बरदानसर, भागमदेसर, पनपाडिया, राजासर...

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मन्त्री-समाज कल्याण) : सब ही सर हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सर ही सर हैं हम तो आपको भी सर कहकर पुकारते हैं। ऐसी स्थिति में इन गांवों की स्कीम बनायी जाय और पानी नहीं जाय तो ये महज टंकियां किसलिए बनायी गयी हैं। आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं, इन्हीं दिनों की बात है मेरे पास आपके विभाग का एक ठेकेदार आया, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि आपके मुख्य मन्त्री जी से कैसे सम्बन्ध हैं। बोलिये कोई काम ? मामला ऐसा है कि किसी जमाने में सोने का अण्डा देने वाली पी. डब्ल्यू. डी. थी आज कल पी. एच. ई. डी. है। मामला क्या चल रहा है,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्या रेट है ? मैंने कहा कि नीचे बैठा रखा है क्या ? तो उन्होंने कहा कि नीचे तो मैंने चीफ इंजीनियर को बैठा रखा है

(व्यवधान)

आप सुनते जायं ।

श्री रेवतराम चौधरी : सरदार शहर की बात करो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके पास भेजूंगा मैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा कहने का मतलब यह है कि स्कीम सिर्फ इसलिए बनायी, यह टंकी इसलिए बनायी गयी कि ठेकेदार को ज्यादा ऊंची रेट पर ठेका दिया जाय । सीमेंट की चोरी हो अगर आप संख्या पूछना चाहते हैं तो मैं आपको नाम नोट करा देता हूं आप नाम लिख लीजिये । वे टंकियां फट गयीं और जो ग्राम सिमला में एक टंकी बनी हुई है उसमें आज तक एक बूंद पानी नहीं गया । दस साल पहले, वह टंकी बनी है क्या विभाग यह बतायेगा कि सिमला ग्राम में एक भी बूंद पानी उस टंकी के अन्दर डाला गया है ? एक भी बूंद पानी नहीं डाला है । ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया है । इसके पीछे के एक बड़ा कारण यह है कि इसमें नीचे से लेकर, जे. ई. एन. से लेकर ऊपर चीफ इंजिनियर तक पैसे बंधे हुए हैं । पानी पहुंचाने की वजह से ही नहीं महज दिखाने के लिये उन गांवों को रिकार्ड में लाभान्वित दिखा दिया जाता है । उनमें पानी पहुंचता नहीं है । टंकियों में क्रेक आ जाता है । उनमें आज तक एक बूंद पानी नहीं गया है ।

दूसरी बात, जहां तक पाइप लाइन का सवाल है, पाइप लाइन 20-20, 30-30 किलोमीटर लम्बी डाल दी गयी । अगर गांव के लोकल सोर्स को इन्होंने डवलप किया होता तो उस गांव में मीठा पानी मिल जाता और ऐसा कई मामलों में हुआ भी है । उदाहरण के तौर पर आसासर और मेजासर दोनों गांव के लिये आपसे कह रहा हूं, ग्राम आसासर और मेजासर को पाइप लाइन से जोड़ा था जबकि उन गांवों में लोकल वाटर सोर्स हैं । वहां से उन गांवों में एक बूंद पानी नहीं गया । दोनों गांवों में ट्यूबवेल खोद दिया गया और उन दोनों के गांवों के लोग उससे मीठा पानी पी रहे हैं । यह बात विभाग को पहले भी कही । जो पाइप लाइनें हैं उसको उखड़वाया गया । मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि उसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जो पानी गया नहीं और 13-14 किलोमीटर लम्बी लाइन डाल दी गयी और बाद में उस पाइप लाइन को उखाड़ा गया ? अब लोकल सोर्स से पानी दिया जा रहा है तो क्या उस समय नहीं दिया जा सकता था । इसमें मेरा एक सुझाव है यह जो लम्बी-लम्बी लाइनें डालने की बहुत बड़ी स्कीम है इतनी लम्बी लाइन डाल दी है उन पाइपों की खरीद में ऊपर से कमीशन तय होता है, फैक्ट्री वाले से कमीशन तय होता है फिर ठेकेदार से लाइन डलवाने का कमीशन तय होता है और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोडिंग अनलोडिंग में कमीशन तय होता है। सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं ।.मैं इसमें संशोधन कर देता हूँ मेरे ख्याल में अधिकतर अधिकारी इसमें लिप्त हैं आप जगह-जगह देखेंगे, आप सुपरिंटेण्डेंट इंजीनियर के आफिस में चले जाइये, एक्स, ईएन. के आफिस में चले जाइये ऐसे ढेर सारे पाइप जिनकी कि कोई उपयोगिता नहीं है, ले लिये जाते हैं महज इसलिये कि उनमें उनका कमीशन बंधा होता है अगर ये लोकल सोर्स को ले लें और उनसे पानी दे दिया जावे तो लोगों को पानी मिल जाय अब तो क्या है आंकड़ों के आधार पर गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने तो शुरू ही किया है. माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : शुरू कहाँ किया, दस मिनट हो गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी पार्टी का टाइम है उसमें आप देख लें मेरा एक छोटा सा सुझाव है, स्थानीय सोर्स जो हैं, मैंने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि स्थानीय सोर्स हैं मैं वहां से उपलब्ध कराऊंगा। मुझे यह पता नहीं था कि मुख्य मंत्रीजी उस क्षेत्र वाले ही मुख्य मंत्रीजी हैं या इनमें बदलाव आ गया। आज के अधिकारी इनकी बात नहीं मानते हैं। यह मुझे पता नहीं था वरना मैं कहता ही नहीं। इन अधिकारियों से बात करना ठीक रहता अधिकारियों ने उस मामले को घुमाया। मुख्य मन्त्रीजी से मैंने कहा कि स्थानीय सोर्स है, बिजली उपलब्ध नहीं है. अगर इन गांवों में पानी पहुंचा दिया जाता है तो गांव के गांव में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होगा, और किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ेगा, एक टंकी आपको नहीं बनानी पड़ेगी। मैंने सुझाव दिया और उन्होंने इस बात को भिजवा दिया। मेरे पास मुख्य मन्त्रीजी की सूचना आ गयी कि आपका सुझाव मैंने विभाग को भिजवा दिया है, विचाराधीन है, अगर वहां मीठा पानी हुआ तो वहाँ ट्यूबवैल खोदा जायेगा। अगर वहाँ ट्यूबवैल खोदा जाय तो यह सरकार आंकड़ों की सरकार नहीं रहेगी। इन गांव वालों को पानी मिल जायेगा। गांव वालों को पानी मिल जायेगा तो आज इन अफसरों की क्या जरूरत है क्योंकि ट्यूबवैल जो खुदता है, डिपार्टमेंट की मशीनें हैं उसमें कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। डिपार्टमेंट की मशीनों से लगेगा और इंजन से चलेगा वहाँ बिजली को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी स्थिति में माननीय सभापति जी, एक छोटा सा सुझाव है, जिन गांवों में बिजली नहीं है आप बिजली की प्रतीक्षा करेंगे वहाँ पर ? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने एक चिट्ठी लिखी है उस मामले को घुमाया है। अगर नहीं घुमायें तो उनको मिलने वाला क्या है। उन्होंने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ये लिखा है इस गांव में बिजली नहीं है। आप कहते हैं कि आप पैसा जमा कराते जाइये। प्राथमिकता के आधार पर इस गांव को ले लिया जायेगा। जितना आप बिजली का पैसा जमा कर रहे हैं आप 5 साल की, वर्षों की, पीढ़ियों की बात करते हैं, पीढ़ियों की न तो, मन्त्रीजी आपकी जिम्मेवारी होगी, न मेरी जिम्मेदारी होगी। आज की तारीख में जो बालक हैं मेहरबानी करके उनके लिये पानी का इंतजाम कर दें जब तक ट्रांसफार्मर सही था, बेहतर स्थिति मेरी तहसील की थी। आज मैं सोचता हूं कि मनुष्य और पशु में इस आजादी के बाद में मेरी तहसील में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है क्योंकि बरसात का जो पानी तालाब में आ जाता है उसी को हम पी लेते हैं और उसी को पशु पी लेते हैं। बल्कि मैं....

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अंत: कृपया मेहरबानी करके आपको जो नाम मैंने दिये हैं, वहां मीठा पानी है। आपने जेनरेटर भेजा, बिजली नहीं थी, जेनरेटर भेजा, ट्यूबवैल खोदने की बात थी गांव वालों ने जेनरेटर लगाने नहीं दिया कि जेनरेटर से पानी मिलने वाला नहीं है और लोकल जो वैल हैं उसको आप बोर नहीं सकते। इसलिये मेरा एक सुझाव है, माननीय मन्त्री जी, आप मेरी बात को नोट करते जाइये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब न करे इस प्रकार।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : भोजासर छोटा, राजासर कुंवारा, रंगाईसर, मुकुंदसर बड़ा, इन गांवों में लोकल सोर्स हैं, मीठा पानी है मेहरबानी करके इन गांवों को मीठा पानी उपलब्ध करायें। यहां ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस बात का और आप सर्वे करा लीजिये जो खर्च आपका पाइप डालने से होगा उससे कम ही होगा और इस गांव में मीठा पानी आ सकता है। दूसरी बात....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, पिछले साल पिछड़ा वर्ग और कच्ची बस्तियों के नाम से शहरों में जो ऋण दिये गये हैं मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं आप मेरी बात का रिप्लाई दें, इस पर ध्यान दें, जो कच्ची बस्ती हैं कलेक्टर के द्वारा सर्टिफाइड हैं, कलेक्टर ने अंकित किया है कि कितनी बस्तियां फलां-फलां जगह हैं, सरदार शहर की जितनी कच्ची बस्तियों का बजट आया है उस बजट का कहां उपयोग हुआ है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कच्ची बस्ती का बजट उनमें उपयोग नहीं हुआ है। किसी भी जगह पर नहीं होता इसलिये इस मामले की विशेष तौर से जांच करायें। गरीबों के नाम से और कच्ची बस्तियों के नाम से जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकें। जिस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नाम से पैसा दें उसी पर पैसा खर्च होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि स्कीम का पैसा आ गया, तकनीकी सैंक्शन उसको हो गयी इसके बावजूद मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है कि जिसके कारण पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार यहाँ टैंकरों से पानी पहुंचा रही है, दूसरी तरफ ऐसी स्थिति आ गयी कि बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के, बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के आपने कई ट्यूबवैल भी खुदवाये हैं। सरदार शहर में आपकी कौन सी मजबूरी हो गयी थी कि उस दिन बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के, बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के ट्यूबवैल खुदाये थे और लाईनें डलवा दी जबकि इसका पैसा आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आ गयी। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आपके यहाँ से होने के बाद आपको वहां उस काम को करने में क्यों देरी हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका भी माननीय मन्त्री जी थोड़ा जवाब दिलवा दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत लम्बा समय हो गया।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं तो मन्त्री जी कह देंगे मैं पानी के बारे में बोला ही नहीं।

श्री सभापति : पानी की बात तो सभी कहेंगे। आप कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने बजट में बहुत कम पैसे रखे हैं, सरदार शहर तहसील में....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : टेम्प्रेरी अरेंजमेन्ट्स और किसी तरीके से कर सकते हैं लेकिन उन स्कीम्स में जो खारे पानी के गांव हैं उनको लिया जाकर उनको लाभान्वित करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मुझे घन्टी बजाने के लिये कृपया मजबूरन करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके साथ-साथ मेरा निवेदन सरदार शहर छोटा कस्बा है, एक्स. ईएन. हैड क्वार्टर तारानगर में है। मेरी कोई आपत्ति नहीं है कि एक्स. ईएन हैडक्वार्टर तारानगर में नहीं हो लेकिन इसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि 1977-78 में एक्स. ईएन. हैड क्वार्टर सरदार शहर में था, तो कृपा करके वहां की स्थिति को देखते हुए, वहां की स्कीम्स को देखते हुए एक्स. ईएन. हैडक्वार्टर सरदार शहर में बनाये जाने का मेरा सुझाव है। इसकी स्वीकृति जारी करें।

श्री सभापति : सुश्री गिरिजा व्यास।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सेवन्थ प्लान में पेयजल को जो विशेष महत्व दिया है, उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं और इस बार पुनः मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। किन्तु मैं सदन को आगाह करना चाहती हूं कि केवल मरुस्थलीय भाग या अति पर्वतीय श्रेणियां ही पेयजल समस्या से ग्रस्त नहीं हैं अपितु राजस्थान का हृदय कहलाने वाला या कश्मीर कहलाने वाला उदयपुर शहर भी इस समस्या से बहुत अधिक ग्रस्त है। मैं सदन का ध्यान, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस समस्या के बारे में....

श्री सभापति : कृपया जरा जोर से बोलें।

सुश्री गिरिजा व्यास : आकर्षित करना चाहती हूं। उदयपुर शहर में पेयजल वितरण के दो साधन हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री गिरिजा व्यास : पिछोला और फतहसागर। पिछोला में पानी भराव की क्षमता 483 एम. सी. एफटी. और फतहसागर में 427 एम. सी. एफटी. है। पानी का जो वितरण उदयपुर शहर के लिये होना चाहिये, जो देय है वह एक सौ लाख गैलन है लेकिन पानी जो अभी वितरण किया जा रहा है वह 90 लाख गैलन है, 10 से 15 लाख गैलन पानी प्रतिदिन कम वितरित हो रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में निश्चित रूप से काफी अधिक है क्योंकि पिछली ग्रीष्म ऋतु में केवल 70 लाख गैलन पानी वितरित किया जा रहा था। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार और जो अभी वहां अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, कि उनकी तत्परता से उनकी सक्रियता से इसमें कुछ बदलाव आया है। पिछले वर्ष विशेष अनुदान उदयपुर के लिये 123 लाख का मिला था और इसके द्वारा कुछ जो हमारी पुरानी पाइप लाइन्स थीं उनको बदला गया, कुछ हैंड पम्प्स लगे, कुछ नये पानी के स्रोत ढूंढे गये और कुछ नये फिल्टर हाउस लगाये। इस के लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहती हूं कि उदयपुर की जो गम्भीर समस्या है उस सन्दर्भ में यह छोटी सी राशि बहुत छोटी है। इस सन्दर्भ में मुझे एक शेर याद आ गया "खिलौना देकर बहलाया गया हो"। लेकिन फिर भी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : झुनझुना देकर।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री गिरिजा व्यास : लेकिन फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में यह काफी अ[illegible] प्रयास है। मैं माननीय मुख्य म[illegible] कहना चाहूँगी कि वे विशेष [illegible]

(सुश्री गिरिजा व्यास)

इस संदर्भ में और दें। उदयपुर में अभी काफी हैंड पम्प्स भी खुदे हैं लेकिन 25 प्रतिशत हैंड पम्प पानी की कमी के कारण फुंक गये हैं या और कुछ तकनीकी कमी के कारण खराब पड़े हुये हैं। जैसा मेरे साथी नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था कि हैण्ड पम्प शहरों के लिये बीमारी है, उनकी बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि वास्तव में हमारे यहां पर जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है वह बहुत कम है और उदयपुर में तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण केवल रॉक में फंसा हुआ पानी ही अण्डर ग्राउण्ड वाटर के नाम से जाना जाता है। इसलिये मैं चाहूंगी कि उदयपुर में एक स्थायी योजना लागू हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मेवाड़ के महाराणा ने एक योजना तैयार की थी। मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी उस योजना का एक सर्वे करवाया था। उस समय मुख्य मन्त्री, श्री सुखाड़िया साहब थे, उन्होंने सर्वे करवा कर उस देवास योजना का फर्स्ट स्टेज पूरा करवाया था। पानी भी शुरू हुआ। उदयपुर संभाग की जनता ने समझा कि हमें गंगा मिल गई, हमें भागीरथी मिल गई लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दो प्लान्स में वह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी भी सेवन्थ प्लान में देवास योजना का कहीं जिक्र नहीं है। मैं उदयपुर के सब लोगों के माध्यम से आपका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जब तक उदयपुर संभाग में देवास योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक उदयपुर संभाग की पेयजल समस्या समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपकी सीमितता भी समझती हूँ लेकिन यह भी जानती हूँ कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो देय राशि थी उससे अधिक राशि बाद में केन्द्र से प्राप्त कर ली गई थी। यदि इस योजना को वहां सीरियसली प्रस्तुत किया जाय तो इस संदर्भ में राशि वहां से मिल जायेगी।

एक बात और, जब यह योजना प्रारंभ की थी तो हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर ने विशेष रुचि दिखाई थी और अब मैं कहना चाहूँगी कि सबसे अधिक पानी यदि देवास योजना का जायेगा तो हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर को जायेगा इसलिये हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर से भी कुछ राशि लें, रीको के बहुत से कारखाने हैं उनसे राशि लें। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, देवास योजना केवल पेयजल योजना नहीं है उससे काफी भाग में सिंचाई होगी इसलिये यदि योजना को मूल रूप में सिंचाई योजना में तब्दील करके राज्य सरकार अभी लागू कर सकती है। मैं इस बात को समझती हूँ कि यदि यह योजना अभी लागू हो जाती है तो भी इसके पूरे होने में 10 वर्ष लगेंगे जो कि बहुत लम्बी अवधि है। पिछले वर्ष जो हमको 123 लाख रुपया मिला था वह एक छोटा सा इमर्जेन्सी अनुदान था। उस राशि से जो कुछ काम शुरू हुये हैं उससे जो पानी हमें मिलेगा उसको

(सुश्री गिरिजा व्यास)

1987 तक की योजना है। 1987 में यह सारा पानी समाप्त हो जायेगा। इससे उदयपुर की विभीषिका के सम्बन्ध में आप सोच सकते हैं कि झीलों की नगरी एक-एक बूंद पानी के लिये तरस जायेगी। इसलिये मैं आपसे विशेष प्रार्थना करती हूं कि आप मुख्य मन्त्री जी से यह आग्रह करें कि उदयपुर में देवास योजना में विलम्ब हो और यदि लम्बी अवधि उस योजना को लाने में लगे तो एक शार्ट टर्म योजना इस सम्बन्ध में लागू की जाय।

वाकल योजना की बात अभी मेरे साथी विधायक ने कही थी लेकिन मैं एक बात और करना चाहूंगी कि उदयपुर के पास जयसमन्द बड़ी झील है। जयसमन्द झील से उदयपुर में पानी लाया जाय तो एक शार्ट टर्म योजना होगी और लौंग टर्म योजना देवास या वाकल की जब तक पारित हो उसके पहले हमें अच्छा पेयजल मिल जायेगा। मैं मुख्य मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगी इसी सत्र में कम से कम जो हमारी जयसमन्द योजना है उसकी घोषणा तो अवश्य ही कर दें।

सभापति महोदय, जैसी की एक कहावत है–"सत्यमूवद प्रियमवद"। उसी की तरह पेयजल के सम्बन्ध में एक बात है कि पानी मिले और स्वच्छ मिले। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर में जो आज पानी सप्लाई हो रहा है वह पिछोला और फतहसागर झील से हो रहा है। उसमें काफी प्रदूषण है। पर्यावरण दल की रिपोर्ट के अनुसार पिछोला झील में प्रति वर्ष 36 क्यूबिक मीटर मलवा डाला जा रहा है और प्रति वर्ष 4 इंच इसकी गहराई इसकी वजह से कम हो रही है। 80 वर्ष के बाद उदयपुर की पिछोला और फतहसागर झील अमेरिका में जैसे बहुत सी झीलें बिल्कुल समतल हो गई हैं उस प्रकार की हो जायेंगी। इसलिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी वह पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण मन्त्रीजी को विशेष योजना के लिये इस सम्बन्ध में आगाह करें।

मेडिकल कालेज के सर्वे के अनुसार प्रति दिन 3 क्विंटल कार्बिक पदार्थ इन झीलों में डाला जा रहा है। हरिशहवाली की मात्रा बढ़ रही है–दस्त, उल्टी और पीलिया बीमारी से उदयपुर शहर के लोग ग्रस्त हैं। 52 प्रतिशत जनता इन बीमारियों से हर वर्ष ग्रसित होती है। मैं इस संदर्भ में एक विस्तृत योजना की बात आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहूंगी।

आपके माध्यम से अन्त में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उदयपुर झीलों की नगरी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी आपसे चाहते हैं और जैसा कि रहीम ने कहा था–"बिन पानी सब सून"। आप इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना, एक स्थाई योजना उदयपुर को देंगे ही, साथ ही एक शार्ट टर्म की योजना की घोषणा शीघ्र करेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, यह वर्ष जो 7वीं पंचवर्षीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

योजना का पहला वर्ष है, 430 करोड़ रुपये की पेयजल योजना पांच सालों में आज की सरकार क्रियान्वित करना चाहती है। सभापति महोदय, करीब 12700 गांव समस्याग्रस्त गांव हैं, 9 हजार गैर समस्या-ग्रस्त गांव हैं। 12700 के करीब ऐसे गांव हैं जिनको पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करना अभी हमें शेष है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों में अभी पानी पहुंच गया चाहे रीजनल जल प्रदाय योजनाओं से, चाहे हैण्ड पम्प के द्वारा, चाहे पम्प एण्ड टैंक स्कीम के द्वारा, समस्या उन गांवों में भी विकट है। जो गांव जल योजनाओं से अभी कवर्ड हैं उनकी भी अभी काफी समस्या है और जिनमें अभी योजनायें पहुंचनी है, खैर उनकी समस्या तो विकट है ही। देखना यह है, सभापति महोदय, जो रिपोर्ट हमको पी. एच. ई. डी. के द्वारा सक्यूं लेट की गई है उसमें एक स्थल पर यह भी कहा गया है कि 493 करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने में हम खर्च करेंगे। लेकिन जो प्रावधान रखा है मुख्य मन्त्रीजी ने 76 करोड़ कुछ लाख रुपये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मैं इस बात से परिचित हूं कि प्रत्येक वर्ष यह प्रावधान योजना में बढ़ता है, आज 77 करोड़ है तो कल 85 होगा, फिर 90 भी होगा। इस तरीके से भी हम 430–440 करोड़ रुपये से अधिक नहीं पहुंच पायेंगे और 493 करोड़ का जो फिगर सक्यूं लेट किया है वह फिगर सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम अचीव नहीं कर पायेंगे।

मुख्य रूप से, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा बीसलपुर योजना का काम शुरू कर रहे हैं। टौंक जयपुर अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद सब चाहते हैं कि बीसलपुर की योजना क्रियान्वित हो ताकि पानी मिले। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने कह तो दिया कि बीसलपुर योजना क्रियान्वित होगी लेकिन एक सवाल के जवाब में इस राज्य सरकार ने चार पांच दिन पहले इस हाऊस को यह सूचना दी कि योजना आयोग द्वारा यह योजना पंचवर्षीय योजना में अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। बीसलपुर योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई और भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी श्री शिवचरण माथुर ने 20 जनवरी, 1985 को इसका उद्घाटन कर दिया और 31 मार्च तक इस योजना पर सिर्फ 19600 रुपया व्यय हो गया। इस बजट में, सभापति महोदय, 1 करोड़ 17 लाख जो आपने बीसलपुर जलप्रदाय योजना के लिये रखा था, परिवर्तित बजट के द्वारा वह 1 करोड़ 17 लाख रुपया काट दिया गया और सिर्फ केपीटल प्लान ऑन हेवी इरिगेशन में बीस लाख का प्रावधान बीसलपुर योजना के लिये कर दिया गया। सभापति महोदय, यह बीस लाख रुपये का प्रावधान करके इस सदन को आपने सूचना दी है कि इस बीसलपुर योजना का 84-85 के मूल्य स्तर, जो अभी हमने आंका नहीं है, पर क्या खर्चा होगा। जो भी खर्चा आपने आंका है वह खर्चा 70.38 करोड़ और 21.22 करोड़ के करीब 92 करोड़ का खर्चा आपने 82 के मूल्य स्तर पर आंका। इसमें यदि 30 पर्सेन्ट का इजाफा कर दिया जाय तो यह

(श्री मानिक चन्द सुराना)

योजना आज के मूल्य स्तर पर सवा सौ करोड़ की होगी। सभापति महोदय, सवा सौ करोड़ की योजना को एन्वीसेज करना जिसके लिये योजना आयोग की स्वीकृति नहीं, आश्चर्य की बात है। 1 करोड़ 17 लाख जो पेयजल में आपने दिया था वह काट लिया। मैं समझता हूं आपने सोचा है कि इसको हम इरिगेशन और जलप्रदाय दोनों की संयुक्त योजना बनायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं 91 करोड़ 82 लाख की योजना में 20 लाख का प्रावधान मायने क्या रखता है। यदि हम इस बीसलपुर योजना को भी तीस साल में क्रियान्वित करना चाहते हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि योजना का क्रियान्वयन यह नहीं है। यह तो वही है जैसा उदयपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि खिलौना दे दिया। टौंक, अजमेर, जयपुर के लोगों के लिये एक सन्तोष, सान्त्वना देने के लिये हां शुरू कर रहे हैं, 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर के लोगों के लिए, माननीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री बैठे हैं, जोधपुर पानी इंदिरा गांधी नगर नहर के द्वारा पहुंचाया जायेगा। जल प्रदाय बोर्ड ने 38 करोड़ की एक योजना बनाई कि हम पानी जोधपुर शहर में पहुंचायेंगे। अब आप उस जल प्रदाय योजना और सिंचाई की योजना लिफ्ट कैनाल दोनों को सम्मिलित करके पानी लाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने इस वर्ष 11–12 करोड़ का प्रावधान किया, फलोदी लिफ्ट कैनाल योजना के लिये। इस लिफ्ट कैनाल को भी आप 10 साल में पूरी करेंगे। 10 साल में यदि आपने इस लिफ्ट कैनाल को पूरा किया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को यह तय करना है, इस सरकार को तय यह करना है।

Shri Narendra Singh Bhati You are challenged from that.

Shri Manik ChandSurana : for what ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इससे जल्दी होगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : इससे जल्दी होगी क्योंकि आप मन्त्री हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, आपकी चूरू वाली भी इससे जल्दी होगी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अपन इस पर डिटेल में बात कर लेंगे।

श्री नाथूसिंह भाटी (टोडारायसिंह) : यह आप दोनों का मामला नहीं है, सदन का मामला है।

श्री नरेन्द्रसिंह : आपकी समझ में तो नहीं आयेगा, नाथूसिंहजी, आप टोडाभीम तक रहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मानिक चन्द सुराना : नाथूसिहजी ने हाल ही में एल. एल. एम किया है ऐसा तो मत कहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : साठ साल के हो जायेंगे तब भी नाथू सिहजी एल. एल. एम. करते रहेंगे।

श्री नाथूसिंह : आप तो एल. एल. एम. का मतलब भी नहीं समझते होंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने एडमीशन ले रखा है।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं इस पर गम्भीरता से सोचें पीने का पानी प्रथम है या खेतों का पानी प्रथम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पानी पहुंचा दीजिये जोधपुर। 30 करोड़ की योजना क्रियान्वित होते-होते शायद 45-50 करोड़ तक पंहुच जायेगी। आपके पास जो बजट प्रावधान है उससे जोधपुर शहर में पानी पहुंच सकता है चार साल में लेकिन पीने का पानी हम लिफ्ट कैनाल के द्वारा नहीं पहुंचा पायेंगे। यह संभव है कि आप पांचों लिफ्ट कैनाल के प्रोविजन को खत्म करके सिर्फ फलौदी लिफ्ट कैनाल को जोधपुर ला करके पहुंचा देंगे। 20 करोड़ राजस्थान नहर में भारत सरकार ने दिया है, हमें जानकारी है। गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान भी उसमें लगायेगी, हमको जानकारी है। लेकिन उसकी कास्ट जो आपने एक सवाल के जवाब में कही है, 988 करोड़ रुपया इन्दिरा गांधी नहर की सैकिण्ड स्टेज की कास्ट आपने दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आप कौनसी योजना को प्राथमिकता देंगे यह अलग बात है लेकिन जोधपुर शहर, जयपुर शहर, अजमेर शहर, ब्यावर, नसीराबाद, सब चाहते हैं कि पानी मिले। बीसलपुर में आपका कास्टिंग अलग है जो जल प्रदाय योजना है उसकी कास्ट अलग है, सिंचाई की कास्ट अलग है। उसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं को नम्बर दो पर रखें पीने के पानी की योजना को यदि राज्य सरकार नम्बर एक पर प्राथमिकता देगी तो यह योजना क्रियान्वित होगी अन्यथा यह बीसलपुर का झुनझुना जो आपने पकड़ा दिया जयपुर, टौंक और अजमेर के लोगों को, यह पूरी होने वाली नहीं है। बीस लाख के प्रावधान से सौ करोड़ की योजना कब तक पूरी करायेंगे? खैर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसको प्राथमिकता दी जाय।

श्री नाथूसिंह : इसमें भी इन्होंने क्या किया ?

श्री मानिक चन्द सुराना : वो तो लम्बी हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, रीजनल जल प्रदाय योजना के बारे में माननीय मन्त्री जी, आप जवाब देंगे या मुख्य मन्त्रीजी जवाब देंगे, रीजनल जल प्रदाय योजना में मैं किसी एक योजना की बात नहीं कहूंगा, आप देखेंगे कि दस-बारह गाँवों की योजना है, पीछे के पांच गांव, छह गांव, चार गांव ऐसे रह जाते हैं कि जहां पानी नहीं पहुंचता। कई बार हमारे गांव वालों का व्यवहार भी ऐसा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

होता है; यह नहीं है कि इसमें कोई सरकार का ही दोष हो कई बार गांव वालों के व्यवहार से भी ऐसा होता है कि वह दूसरे गांव में पानी नहीं जाने देते। गांव वालों की मजबूरी होती है, जब उनके गांव को पानी न मिले तो वह भी सोचते हैं कि अपने गांव की मजबूरी है, मवेशियों को पानी पिलाना है। इसलिए रीजनल जल प्रदाय योजना का आप सर्वेक्षण करें और उसके मॉनिटरिंग का सिस्टम करायें। सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर के लेवल पर, एडीशनल चीफ इंजीनियर्स आपके सब डिविजन्स पर बैठे हैं उनके लेवल पर किस गांव में कितने दिन पानी मिला है इसका आप सर्वेक्षण करवाइये। कोई रिकार्ड बनवाइये कि किस गांव में कितने घंटे किस योजना से पानी मिला। यह रिकार्ड आपके अधिकारी बनायें, अब तो कम्प्यूटर की सेवा भी आप उपयोग में ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि जल प्रदाय विभाग में इस मानिटरिंग सिस्टम और यह सारी-इन्फार्मेशन राज्य सरकार को फीड हो इसके लिए इसको कम्प्यूटराइज करना जरूरी है।

रीजनल जल प्रदाय योजना का आप सर्वेक्षण करें।

(टी. एस. एस) ट्रेडीशनल सोर्स सप्लाई योजना को मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने शुरू किया था, जनता राज में यह हमने शुरू की थी। जिन गांवों में जहां पर ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, कुओं से लोग पानी ले रहे हैं, कम से कम हम उनको इतनी सुविधा दें कि वहां पर पम्प लगा दें। हम पम्प लगा दें उसके बाद में सैकिण्ड स्टेज में और सुविधा उनको दी जाय, कई जगह हम मोटर पम्प लगायें। लेकिन फिर हैंड पम्प हर गांव को, एक हैण्ड पम्प 1200/–की....

श्री रेवत राम चौधरी (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, यह टी एस एस स्कीम तो बिल्कुल फेल हो गई है, रीजनल स्कीम तो कुछ ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : डूंगरगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं इसकी डिटेल रखूंगा कि गांव वाले उन योजनाओं को चलाने में असमर्थ रहे और यह योजना मुख्यतः रेगिस्तानी जिलों में ही प्रभावित हुई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज गांवों के अन्दर यह योजना चल नहीं पा रही है। आम तौर पर टी एस एस स्कीम में गांव का आदमी कहां से 15 हजार रुपये, बीस हजार रुपये की व्यवस्था करे वह व्यवस्था कर नहीं सकता। पी. एच. ई. डी. की जितनी भी टी एस एस योजना है उनमें मेन्टीनेन्स का काम, मोटर पम्प देने का काम राज्य सरकार अपने जिम्मे ले। बिजली का पैसा राज्य सरकार उनको दे गांवों के लोगों को जितनी बिजली उनको चलाने में चाहिये वह दे, चलाने की व्यवस्था गांव वाले कर लेंगे लेकिन उसकी मेन्टीनेन्स की, और मोटर पम्प की जो भी कुल कास्ट है उसकी व्यवस्था मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा कि राज्य सरकार इन सारी टी एस-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एस योजनाओं में स्वयं करे तभी यह योजना चलेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सारा वो ही करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय रामसिंहजी, सारा वो ही करें, मैं बहुत खुश होऊंगा।

कैपीटल कास्ट राज्य सरकार टेक-ओवर करले और यह इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले, एक ही स्टेज पर अगर यह हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ा रिलीफ एन. टी. एस. एस. स्कीम के गांवों के लिये होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि यह हैण्ड पम्प का जो मामला है, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से मैंने पूछा कि आपके यहाँ पर जिले में हैण्ड पम्प किस प्रकार काम कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे हैं। यह अलग-अलग बात हो सकती है मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री बिहारीलाल पारीक : यह तो आप मुझ से ही पूछ लेते।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो बिहारीलाल जी, आप भी यही बताते जो मैंने बताया है, दो में एक हैंड पम्प जरूर खराब है। दो में से एक हैंड पम्प खराब है। अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि कहीं हैण्ड पम्प लग गये हैं तो उनमें हैंडल नहीं लगे हैं पाइप नहीं लगे हैं। 6-6 महीने का गैप हो जाता है उसके बाद में हैंडल लगता है। उसके बाद में मशीन आने में समय लग जाता है। 6-6 महीने का गैप हो जाता है इसी बीच में वहां पर लोग पत्थर डाल देते हैं या बच्चे पत्थर डाल देते हैं इसलिये हैंड पम्प के माध्यम से आप इस समस्या का समाधान करने आ रहे हैं। इसमें आपको और अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सारे वर्क जहां आपके डिपार्टमेंट द्वारा हो रहे हैं वहां जरूर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तत्काल हैंडल लगा दिये जाते हैं और जहां पर ठेकेदारों के माध्यम से काम हो रहा है वहां पर को आर्डिनेशन नहीं है। वहां ठेकेदार आपके विभाग को धोखा दे रहा है वह उस पुरानी रेट पर काम नहीं कर रहा है इसमें मेरा निवेदन है अधिक कड़ाई और सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान में जितनी भी योजनायें है वह सभी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चलेंगी। इसमें मुख्यतया पैसा भारत सरकार के द्वारा मिलेगा। केन्द्रीय परिवर्तित योजना यहां पर जलप्रदाय की अधिकतर बनेंगी। उसमें आपने 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उस 40 करोड़ में से आपको कितना भारत सरकार ने दिया। आपको पहले साढ़े सत्रह करोड़ रुपया दिया और इतना ही, साढ़े

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सत्रह करोड़ और आपको मिलेगा। और आपने दिखाये हैं 40 करोड़ रुपये तो यह पांच करोड़ रुपये का गैप हो गया यह पांच करोड़ रुपये का गैप का मतलब हुआ कि हमारे सैंकड़ों गांव, जिसमें आप सोच सकते हैं कि हम पानी पहुंचा देंगे, में पानी नहीं पहुंचेगा। भारत सरकार के पास से पैसा आयेगा कुल 40 करोड़ रुपया। अपने पास से, अपने सोर्सेज से साढ़े 25 करोड़ रुपये आपने दिये। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार अपने साधन जुटा रही हैं यह बहुत कम हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसमें और प्रावधान बढ़ायें। साढ़े 25 करोड़ रुपये और बढ़ायें मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में सिंचाई की जो बड़ी योजनायें हैं मध्यम योजनाये हैं। आज यदि आप दस करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करेंगे तो अपने रिसोर्सेज से, 37½ करोड़ रुपये राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से द्रुत गति से समस्या हल होगी। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि प्रायोरिटीज तय करने का, प्राथमिकता तय करने का सवाल है उसमें पीने के पानी को सिंचाई के ऊपर रखा जाय इस बात की पैरवी मैं करना चाहता हूं इस सदन में।

सभापति महोदय, इस सदन में कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो यह महसूस करते हैं, मैं समझता हूँ कि सदन का प्रत्येक सदस्य यह चाहेगा कि 20वीं शताब्दी खतम होने जा रही है और हम 21 वीं शताब्दी में जाने वाले हैं हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि हमें 21 वीं शताब्दी में देश को ले जाना है तो मैं माननीय इन्दिरा गान्धी नहर परियोजना मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि हम लोग इस 21 वीं सदी में लोगों को प्यासे ही ले जायेंगे या पानी पिला कर ले जायेंगे। इस बात को भी आप सोचें। इसलिये जहां आदमियों के लिये पानी की जरूरत है वहां पशुओं के लिये भी व्यवस्था हमें करनी होगी। मैं मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी जो आज तक जितनी भी योजनायें बनी हैं वह सभी योजनायें आधारित हैं प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी के हिसाब से यह मापदण्ड अब परिवर्तित हो गया है। 40 लीटर का यह मापदण्ड 70 लीटर हो गया है लेकिन हमारी योजनाओं में परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिये हमारी जो पहले स्कीम है उनको तेजी के साथ रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। अब हमें 60 लीटर के बजाय 70 लीटर के पैमाने के हिसाब से हमारी सारी की सारी योजना को रिवाइज करना होगा। इसमें 30 लीटर और बढ़ाया जाय तो इसके बढ़ जाने से जो पानी हम देते थे गांवों को, वह अब उससे पीने दो गुना हम अधिक देंगे। मैं मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में पशुओं की संख्या पांच करोड़ है इस बात को हमें योजना आयोग के सामने रखना चाहिये। हमारी जो भी योजनायें बने उन स्कीम्स में उनके लिये व्यवस्था हो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदमी पानी पीए और पशु नहीं पीये। यह तो हो नहीं सकता है। तो सभापति महोदय, राजस्थान की विशेष परिस्थितियों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को देखते हुए पेयजल की योजनाओं के अन्दर आदमियों के साथ-साथ पांच करोड़ पशुओं की जनसंख्या को भी जोड़ा जाना चाहिये। यहां के पशुधन का अगर हमें विकास करना है तो हमारे पशु हमारी जान से अलग नहीं हैं। गांव में आदमी और पशु दोनों की को-एग्जिस्टेन्स है। यह हमारी बहुत बड़ी इकानामी है। आज इन पशुओं से हमें दूध, ऊन और कई तरह की चीजें मिलती हैं। इन पशुओं से जो उत्पादन होता है उससे हमारे यहां गावों में 20 प्रतिशत आमदनी होती है इसलिये हमारी जो जल प्रदाय योजनायें गांवों की हो उनमें पशुओं की संख्या की भी योजना आयोग के सामने राज्य सरकार के द्वारा पैरवी की जानी चाहिये। हमारी योजनाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे कितने रेगिस्तानी गांवों में पानी पहुंचा और कितने पर्वतीय क्षेत्रों में पानी पहुंचा इस बात का भी विशलेषण करने की आवश्यकता है एक गांव, जो कि रेगिस्तान का है, में पानी पहुंचाने की कास्ट कम से कम पांच या छह लाख रुपये आयेगी और तो रीजनल जल प्रदाय योजना के माध्यम से हमें पानी लाना पड़ेगा। आप यह जो 50 हजार, 60 हजार या 30 हजार हैंड पम्प 250 की आबादी वाले क्षेत्र में लगा कर पीने के पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं इससे समाधान नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी पार्टी में सिर्फ पांच मिनट ही बोलेंगे।

श्री सभापति : आपके अलावा दो माननीय सदस्य और भी हैं। दो और बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : पांच मिनट ही दो और बोलेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन रेगिस्तानी गांवों में पांच लाख या छह लाख रुपये की कास्ट पर यह योजना बन जावे। पीने के पानी की योजनाओं की क्रियान्विति जल्दी करायी जावे।

इसके अलावा इन योजनाओं पर जो खर्चा हो रहा है यह आप देखें, शहर में जो हो रहा है 28 करोड़ और गाँवों में हो रहा है साढ़े 11 करोड़ रखरखाव के लिये जल प्रदाय योजनाओं पर अधिक खर्च हो रहा है। यह 44 करोड़ रुपये का खर्चा आपने किया है 84-85 में हमने उसका प्रतिशत देखा तो आप 30 करोड़ रुपया शहर में खर्च करते हैं और गांव में करते हैं सिर्फ 12-13 करोड़ ही। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 80 प्रतिशत जनता हमारी आज भी गांवों में रहती है इसलिये आपको ज्यादा खर्चा करके गांवों की जल प्रदाय योजनाओं को बढ़ाने में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

संकोच नहीं करना चाहिये। आपको इसे बढ़ाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, जैसी हमें जानकारी मिली है ओवर हैड टैंक बनाने के लिये प्राथमिकता सरकार नहीं देना चाहती है न दे प्राथमिकता पर एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप ओवर हैड टैंक बनायें या आप अण्डर ग्राउण्ड टैंक बनायें लेकिन आप उसमें रिजर्वायर की व्यवस्था जरूर रखना। हमारे जो बड़े-बड़े कस्बे हैं जैसे होल्टा, गुलाबपुर, बनेड़ा वराह जो भीलवाड़ा के कस्बे हैं इनमें आप ओवर हैड टैंक या अन्डर ग्राउन्ड टैन्क में 35 हजार लीटर का रिजर्वायर अवश्य बनावें। वहां पर आज तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को दूर करने की आज आवश्यकता है सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा, मैं एक-एक गांव की बात नहीं करता हूँ मैं तो नीतिगत प्रश्न है वह बता रहा हूँ अगर हम रिजर्वायर नहीं बनायेंगे तो यह हमारा जो आग्मेन्टेशन प्लान है उसमें फर्क पड़ेगा। हमारे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिये जितनी जल्दी हो, उपाय किये जाने चाहिये।

मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूँ एक बात आखिर में कि आप शहर और गांवों के बीच भेदभाव की नीति को छोड़ दें। आज जैसे गंगानगर, ब्यावर में पानी का काम नगरपालिका के जिम्मे है। आज ब्यावर इतना बड़ा शहर बन गया है कि वहां की नगरपालिका उसके खर्च को वहन नहीं कर सकती है हमने सुना है कि आप उसे टेकओवर करने जा रहे हैं। नहीं किया है तो आप अब करलें इसी तरह गंगानगर में भी नगरपालिका इसकी व्यवस्था करती है। तो इन जल प्रदाय योजनाओं की खर्च आपने इन नगरों पर डाल रखा है। गंगानगर की नगर पालिका हर साल दस लाख रुपये लोस में जाती है वह इसको बरदाश्त नहीं कर सकती है इसी तरह गंगानगर की तरह दूसरे बड़े शहर हैं वहां भी आपको टेक ओवर करना चाहिये। आज गंगानगर की जनसंख्या तीन लाख है इसी तरह ब्यावर भी एक बहुत बढ़ता हुआ शहर है जहां पर आज सीमेन्ट का कारखाना लग गया है। गंगानगर तो एक ऐसा शहर है जहां पर, सभापति महोदय, तीन कैनाल का सेन्टर है वहां पर जल प्रदाय योजना हमने चलाई, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल प्रदाय योजना को राज्य सरकार टेक ओवर करे।

सभापति महोदय, इस सुझाव के साथ में कि प्रतिवर्ष आप सक्यूलेट कर देते हैं कि हमने इतने गांवों में पानी दे दिया, कम से कम इस रिपोर्ट के साथ में ऐसे गांवों की सूची भी दे दिया करें कि इस साल इस जिले में इतने गांवों में हमने पानी पहुंचाया है। जहां बिजली व्यवस्था करें, जिन गांवों को आपने विद्युतीकृत किया है उसकी भी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिस्ट दे दें। अन्यथा आप भी धोखे में रहेंगे और हम भी आंकड़ों के जाल में फंसे रहेंगे। मैं इस बात की ओर तवज्जोह नहीं दे रहा हूं जहां जल प्रदाय योजना है वहां भी कमियां हैं, उनकी तरफ से आप भी वाकिफ हैं, कुछ बातें मैंने आपसे कहीं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस पर कार्य करेगी।

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि पेयजल की समस्या के बारे में जो सदस्य बोलना चाहते हैं वह 10 मिनट में अपनी बात कहें, ज्यादा समय न लें मैंने पहले भी निवेदन किया था। श्री अश्क अली टाक।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : मेरा नाम नहीं है मुझे बताया था।

श्री सभापति : आप बोलें इसके बाद। श्री अश्क अली टाक।

श्री अश्क अली टाक (फतेहपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान शेखावटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। शेखावटी वह क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की बात तो दूर, पीने के पानी की भारी कमी है। मेरे अपने क्षेत्र फतेहपुर शेखावटी में 114 गांव हैं। विभाग के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो मेरे यहां कोई पीने के पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि जून, 1985 तक विभाग ने 114 गांवों में से 113 गांव ऐसे बताये हैं जो कि इस समस्या से मुक्त हैं। यानि किसी न किसी माध्यम से विभाग ने वहां पीने के पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए कोई न कोई अरेंजमेंट चाहे वह हैण्ड पम्प हो, चाहे वह टी. एस. एस. हो या कोई और व्यवस्था हो वह उन्होंने कर रखी है। आंकड़ों के आधार पर आपने कहा पानी मिलता है। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शेखावटी के क्षेत्र में वस्तुस्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। यह सही है यहां ट्रेडीशनल सोर्स काम कर रहे हैं या हैंड पम्प काम कर रहे हैं लेकिन अभी दो महीने पहले अकाल राहत कार्य भी चला, वस्तुस्थिति यह है कि यहां पर पानी की बूंद नहीं बरसी, पानी का स्तर नीचे चला गया। आपके हैण्ड पम्प खराब हो गये, फिर ठीक हो गये, फिर खराब हो गये फिर ठीक हो गये। पानी का जो प्रवाह आना चाहिए वह नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में गांव में जहां दो हजार मतदाता हैं, उस गांव में दो हैण्ड पम्प हो या तथा टी. एस. एस. चल रहा हो तो वहां की समस्या को मान लें कि इस गांव की समस्या खत्म हो गई? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र में पानी आ रहा है और एक मात्र गांव ऐसा रह गया रिकार्ड के आधार पर जहां विभाग द्वारा पानी नहीं पहुंचाया गया है गत वर्ष में जो धन प्राप्त हुआ है सीकर जिले में, ग्यारह करोड़ रुपये पी. एच. ई. डी. द्वारा लगाये गये हैं। वहां पर चार डिवीजन हैं। 11 करोड़ रुपया मिला है, जिसके अन्तर्गत मेरे को मिला मेरे क्षेत्र को या मेरी तहसील को समझ लीजिए, कोई तीन करोड़ रुपया। उसमें

(श्री अश्क अली टाक)

काम हुए। यह नहीं कहता कि काम नहीं हुए। लेकिन उस इलाके की हालत को देखते हुए क्या यह जरूरी नहीं हो जाता कि और पैसा है। अन्य इलाकों को दृष्टिगत रखते हुए, जो मापदण्ड बनाया गया है, रेगिस्तानी इलाकों में, यहां की समस्या न केवल आज बल्कि लम्बे समय तक चलती ही रहेगी। इसका कोई समाधान नहीं हो पायेगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पुरजोर अनुरोध करना चाहता हूँ इस क्षेत्र को विशेष रूप से देखा जाए। यहां की समस्या मुंह बाये खड़ी है। एक तरफ राज्य सरकार गंगानगर में इन्दिरा गांधी नहर ला रही है। हमारे राजस्थान में जिसको माइनस लाइन कहा जाए, में केवल आज ही नहीं बल्कि युग-युगान्तर तक इस बात को याद किया जायेगा कि उसका पानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ले जाया जा रहा है, सिंचाई हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। हम इस प्रदेश के निवासी हैं, प्रदेश का कोई भाग विकास की दौड़ में आगे आता है तो उस प्रदेश के हर निवासी को उसका लाभ मिलता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकास की इस दौड़ में सन्तुलन बिगड़ जाता है। शेखावटी न केवल मेरा क्षेत्र है बल्कि झुन्झुनू, चूरू और आपके बीकानेर का कुछ इलाका भी है जो किसी भी योजना से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे लिफ्ट योजना का नाम ले लें उसके नाम में भी नहीं है और जिलों में चूरू भी आ गया। हमारे नजदीक आ गई नहर, लिफ्ट योजना से पानी मिलेगा। सिंचाई की बात हम नहीं कहते लेकिन यह जरूरी नहीं हो जाता क्या जब विकास की बात हो तो फतेहपुर या शेखावटी की तरफ भी आप देखें जब वे आकड़े देखते हैं तो वहां का आदमी सरकार की तरफ देखता है। बड़ा दुर्भाग्य रहा है मेरे क्षेत्र का। इसका विकास होना चाहिए था लेकिन विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। हमारे यहां पानी की टंकियां बना दी गई हैं। उनकी हालत क्या है? आज भी उन टंकियों को पानी की लाइन से नहीं जोड़ा गया। वहां एकमात्र रूरल स्कीम है जो बड़ी स्कीम है, काटिया की स्कीम। वह आठ दस लाख की स्कीम है। उस स्कीम के अन्दर पांच गांव आते हैं, कुछ ढाणियां भी आती हैं रास्ते में। लेकिन हालत यह है कि सवाई लक्ष्मणपुरा, जो काटिया से केवल दो फर्लांग दूर है, पर पानी रोक लिया जाता है। आगे के चार गांवों को हमारे रिकार्ड के हिसाब से काफी ज्यादा पानी मिलना चाहिए, पास में ढाणियां हैं उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में काटिया स्कीम, काटिया गांव तक सीमित रह गई है। सवाई लक्ष्मणपुरा में पानी दो किलोमीटर रोक लिया जाता है। वहां बड़ा चरागाह है, पीने का पानी नहीं है। अभी विभाग द्वारा ऐसे आदेश निकाले गये कि मवेशियों को पानी नहीं देंगे। हुआ यह कि सरकार ने कुओं पर सुपरवाइजर बैठा दिये वहां पर ऐसी नौबत सामने आई कि जिन लोगों के पास मवेशी थे चाहे भेड़, बकरी, भैंस, गाय या ऊंट थे उन लोगों के लिए पानी रोक दिया गया विभाग द्वारा। सम्पर्क करने पर, बड़ी भाग दौड़ करने पर, विभाग के लोगों द्वारा कोआपरेशन मिलने पर इस समस्या का समाधान हो गया और वहां पर पानी मिला पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई कि रास्ते में

(142)

(श्री अश्क अली टाक)

पानी रोक लिया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाये। इस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो गई। इन विसंगतियों में कोआर्डिनेशन की जरूरत है, सर्वे करने की जरूरत है, ऐसे कितने ही गांवों में टंकियां बना दी गई हैं उनको नहीं जोड़ा गया है। इस बात की जांच की जरूरत है। ऐसे कितने हैण्ड पम्प हैं। आज भी किसी न किसी बात पर चाहे एक रोड़ निकल गई हो उसके बाद खराब हो गया, बड़ी खराबी नहीं है यह कह देते हैं जैसा अभी हाल ही में वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने बताया एक प्रश्न के जवाब में कि वह विभाग द्वारा इस तरह का काम चलायेंगे और इस तरह की जो खराबी है उसको चैक करेंगे। पहले पंचायतें करती थीं। पंचायतों को मिलता क्या था? वह कहती हैं कि टेक्नीशियन को एक बार बुलाया वह आने का इतना पैसा ले लेता है। जो हम नहीं दे सकते। विभाग ने इस बात को स्वीकार किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ-साथ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की मेरे क्षेत्र में है, जिस प्रकार इन्होंने बताया 114 गांव हैं, इन 114 गांव में से 90 ऐसे गांव हैं जिनके पास में हरिजन बस्तियां हैं। यह बस्तियां कहां से आ गई? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह हरिजन बस्तियां वह बस्तियां हैं, आज के पांच या दस साल पहले हरिजन गांव के मध्य में रहता था और मध्य में कहाँ रहता था, जहां कुआं था, वहीं रहता था, लेकिन स्थानाभाव के कारण, सामाजिक विसंगतियों के कारण वह हरिजन परेशान होकर अपने गांव से दो कोस दूर रहने लगा। आज 90 गांवों के अन्दर ऐसी ढाणियां आबाद हो गई हैं, दो दो किलोमीटर की दूरी पर जहां न पानी की सुविधा है और न कोई और सुविधा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा

(3.00 म.प)

कि हरिजन ढाणियों की कोई विशेष योजना बनाई जानी चाहिये। हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार 30 घरों की कोई ढाणी या गांव है उसके अन्दर कोई न कोई सेवा की सरकार की तरफ से कार्यवाही हो। इसके अन्दर काफी कुछ कराया गया है लेकिन वह ढाणियां आपके सर्वे के रिकार्ड में नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां सामने आई हैं। मैंने पहले सेशन में इस बात को उठाया था, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उस पर भी एकमात्र ढाणी ऊनियों की ढाणी जो मेरे क्षेत्र में आती है, रेवेन्यू रिकार्ड में इस बात के लिए आई है कि गांव का दर्जा दिया गया है। इन 90 गांव के पास में जो हरिजन ढाणियां बनी हुई हैं जो कि संख्या की दृष्टि से बहुत ज्यादा हैं वहां पर न स्कूल है, न पीने के पानी की व्यवस्था है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बात का विशेष ध्यान दें, उन हरिजन ढाणियों में एक विशेष अभियान चलाकर विभाग द्वारा।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में।

श्री अश्क अली टाक : जल्दी ही समाप्त करता हूं।

(श्री अश्क अली टाक)

विभाग द्वारा कुछ न कुछ व्यवस्था कराई जाये ताकि यहां के लोग जो दो कोस पानी लेने के लिए जाते हैं या 4 मील पानी लेने के लिए जाते हैं उनकी अपनी उस ढाणी में कम से कम पानी की आवश्यकता तो पूरी हो सके। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था।

अन्त में मैं मेरे टाउन फतेहपुर कस्बे की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहां के लिए एक योजना बनी थी 55 लाख 50 हजार रुपये की। उसको काफी समय हो गया। जिस प्रकार अजमेर की बनी थी, ब्यावर की बनी थी, जोधपुर की बनी थी, गंगानगर की बनी थी, ठीक उसी प्रकार की योजना का यहां पर सर्वे हुआ था और टेक्नीशन की रिपोर्ट भी आई थी। उसका पूरा असेसमेंट होने के बाद बजट बनाया था, राज्य सरकार ने स्वीकार किया था और यहां की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भिजवा दी गयी थी। उस 55 लाख 50 हजार की योजना, जो कि फतेहपुर कस्बे के लिए बनाई गई थी, की आज तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं मिलती है जिससे हमें सन्तोष मिल सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): कोई कारण है क्या विशेष ?

श्री अश्क अली टाक : सीकर जिले की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाह रहा था कि मेरे अपने कस्बे फतेहपुर में जो समस्या है इस समस्या का भी एक कारण है कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी दिया जाता है। यह मापदण्ड था पहले का, और जो मापदण्ड अब बताया गया है वह आज 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देने का है। मेरे अपने शहर फतेहपुर की समस्या क्यों पैदा हो गयी इसके पीछे भी एक सीधा सा कारण है जो मेरे दिमाग में भी आता है कि फतेहपुर में जब यह स्कीम बनी थी 40 लीटर को आधार मानकर बनाई थी और तब फतेहपुर की आबादी मात्र 23 हजार थी....

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त में।

श्री अश्क अली टाक : और आज फतेहपुर की आबादी 52 हजार है। अब 52 हजार को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता है तो केलकूलेशन करने के बाद में 7-8 लीटर पानी एक व्यक्ति को मिलता है। अब ऐसे कस्बे की समस्या के लिए मैं विभाग को दोष दूं या अपने आपको दोष दूं या फिर जनता को दोष दूं।

पानी की दरों को बढ़ाने का जहां तक सवाल है, विकास के लिए अगर हमें काम करना है तो कुछ धन की आवश्यकता है और सरकार के पास साधन बहुत सीमित हैं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री अश्क अली टाक : इसके लिए पानी की कीमत ज्यादा हमें देनी पड़े तो कोई गिला नहीं है। पानी की कीमत बढ़ाओ। हम पानी की कीमत स्वीकार करते हैं लेकिन मेरे अपने क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से मैंने अनुरोध किया कि मेरे जिले सीकर को अधिक से अधिक धन दिया जाये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अश्क अली टाक : छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर यमुना के पानी को लाने, की बात की गयी थी। यहां के लोगों ने शेखावटी के लोगों ने बड़ा स्वप्न देखा था और आज भी देख रहे हैं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र तक नहीं है ?

श्री समापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अश्क अली टाक : इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर में यमुना से पानी लाने की बात की थी उसी बात को मानते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था....

श्री सभापति आपने अच्छी बात कही है लेकिन अन्य कई सदस्य बोलेंगे। कृपया समाप्त करें।

श्री अश्क अली टाक : फतेहपुर में 55 लाख 50 हजार की स्कीम है वह तुरन्त प्रभाव से लागू हो।

श्री सभापति : यह बात आपने पहले कह दी। रिपीट हो रही है।

श्री अश्क अली टाक : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं आपके आदेश से। धन्यवाद मुझे मौका दिया।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : मान्यवर सभापतिजी, सबसे पहले तो मैं आज इन्द्र भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वसम्मत धन्यवाद हाउस को देना चाहिये वरना शायद आज इसके लिए भी मुझे स्थगन प्रस्ताव रखना पड़ता कि बारिश हो और कीर्तन 200 एम. एल. एज. करें इसलिए आज भगवान ने वर्षा कर दी उसके लिए मैं समझा हूं कि सदन की ओर से भगवान को सर्वसम्मत धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव से वर्षा थोड़े ही होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आखिर सारे एम. एल. ए. रामधुनी ही तो करते हैं।

श्री सभापति : नेचर के खिलाफ थोड़े ही स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा कहना यह है कि राजस्थान की सरकार के भरोसे तो यह राजस्थान की जनता मैं समझता हूं कि देख रही है विधान सभा में लोग बैठे हुए हैं, पेयजल की समस्या के बारे में राज्य सरकार बिलकुल असफल रही है। राज्य की सरकार असफल रही है और राज्य सरकार ने पानी की दरें आज पहले से दुगुनी कर दीं। 80 पैसे प्रति हजार लीटर जो पानी की दर थी, मान्यवर सभापतिजी राज्य सरकार ने 1 रुपया 60 पैसा कर दिया उस पीने के पानी की दर को प्रति हजार लीटर के हिसाब से, चाहे वह कामर्शियल हो चाहे वह इण्डस्ट्रियल हो। एक ओर पीने को पानी मिल नहीं रहा और दूसरी ओर राज्य सरकार पानी की दरों को दुगुना कर रही है। तो सब लोग निहार रहे थे कि आखिरकार हमारे यह नुमाइन्दे कर क्या रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि यह सारी एक प्रकार की अव्यवस्था है। यदि इस सारी अव्यवस्था को रोक लिया जाये। इन घपलों को रोक लिया जाये, इस लीकेज को रोक लिया जाये, माननीय सभापतिजी, तो पानी की दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान वाटर सप्लाई सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है उसके मंत्री जी अध्यक्ष हैं और उसमें इनके चहेते मैम्बर्स हैं। प्रतिवर्ष 32 लाख रुपये इस राजस्थान वाटर सप्लाई मैनेजमेन्ट बोर्ड पर खर्च होते हैं। आखिरकार इस बोर्ड का उपयोग क्या है? बड़े-बड़े लोगों को, चहेते लोगों को मेम्बर बना रखा है और मैम्बर्स ही नहीं बना रखा है वहां मैम्बर्स घपले करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चार-चार मुख्य अभियन्ता बने हुये हैं जलदाय विभाग में किसी को पाल्यूशन बोर्ड में लगा रखा है किसी को कहीं पर लगा रखा है और वह भी राजनैतिक आधार पर कि किस मुख्य अभियन्ता से कहां पर उल्लू सीधा होता है, कहां पर इस प्रकार का काम हो सकता है। राजनैतिक आधार पर प्रेरित होकर चार मुख्य अभियन्ताओं को काम बांट रखा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बोर्डों के सदस्यों के द्वारा, माननीय सभापति जी, पिछली बार घपला किया गया। पिछली विधान सभा में मान्यवर सभापतिजी, यह चर्चा हुई थी 19 मार्च को राजस्थान विधान सभा में और उस समय के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री श्री परसरामजी मदेरणा ने घोषणा की थी कि हैंड पम्पों की खुदाई में जो घोटाले हुए हैं और शिकायतें हुई हैं उनकी तकनीकी समिति से जांच कराई जायेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को सजा दी जायेगी। यह पिछली बार सदन में मसला उठा था। यह हैंड पम्प के घोटालों का आज तक क्या हुआ? श्री परसराम जी मदेरणा ने यहां पर झूठा आश्वासन दिया, परमात्मा ने भी उनको सजा दे दी और चुनाव हार गए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो असत्य बोलेगा सदन में उसको इसी प्रकार से, मान्यवर सभापतिजी सजा मिलेगी। मदेरणाजी ने कहा था, हैंड पम्प के घोटालों के बारे में यहां आरोप लगाये उसका विस्तार में उन्होंने उत्तर दिया था। मान्यवर सभापतिजी, यह आखिरकार घोटाले कोई कम घोटाले नहीं हैं। यह बहुत बड़ी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रकम का घोटाला है। उन्होंने तो यहां पर कहा था कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है उनके मामले अदालतों में विचाराधीन हैं और प्रथम दृष्टया कोई मामला कहीं पर नजर आता है तो जो कुछ होना चाहिए वह होगा। यह मदेरणाजी ने सदन में कहा था। मदेरणाजी ने बताया था कि राज्य में हैंड पम्पों की खुदाई में कथित घोटालों के मामलों की शिकायतों की जांच के लिए गठित तकनीकी समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और इस पर शीघ्र निर्णय लेंगे। जब सरकार के विचाराधीन है परसराम जी मदेरणा चले गए, नये मुख्य मंत्रीजी आ गये, नये जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी आ गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार उन हैन्ड पम्प के घोटालों का हुआ क्या ? वह सदन में आना चाहिये। बोर्ड के जो सदस्य हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इन्हीं सदस्यों की जिम्मेदारी है। उन व्यक्तियों के ऊपर एन्टीकरप्शन के केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। जिनको सस्पैण्ड कर दिया गया उनको बहाल करके प्रमोशन कर दिया गया। इस लिये माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में इस प्रकार का जो घोटाला है, 100 करोड़ रुपये का घोटाला है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिये।

मैं समझता हूं आज जयपुर में जो हैंड-पम्प लगाये हैं 12 हजार रुपये का एक हैंड पम्प लगाया है। एक नहीं 335 हैंड पम्प लगाये हैं। अब 150 हैंड पम्प खराब पड़े हैं और पीने का पानी उनमें आ नहीं रहा है। एक बूंद पानी उसमें नहीं आया। जहां पर हैंड पम्प लगे हैं उनमें मिट्टी आ रही है किसी में हैण्डल नहीं हैं। 12 हजार रुपया हैंड पम्प पर खर्च होता है, मैं समझता हू 6 हजार का हैंड पम्प हो सकता है 12 हजार रुपया उन पर किस प्रकार से खर्च हो सकता है ? आखिर यह एक सोचनीय बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा हैंड पम्प लगाना कब चालू हुआ ? 23-11-84 को राज्य सरकार ने जयपुर शहर में हैंड पम्प लगाने का निर्णय लिया। और माननीय सभापति जी, आज कौन सी तारीख है ? आज तारीख है 12-7-85। 9 महीने हो गये 9 महीने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लोग हैंड पम्प नहीं लगा पाये। मैं समझता हूं, आप जानते हैं आखिर 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है, एक बच्चा पैदा हो सकता है लेकिन 335 हैंड पम्प 9 महीने के कार्यकाल में यह खोद नहीं सके 135 लाख रुपया प्रतिवर्ष बोर्ड पर हम खर्च करते हैं, क्या आवश्यकता है ?

इन्होंने यही नहीं किया। हमने कहा आखिर आप विधायकों को कान्फीडेन्स में लो, जयपुर में हैंड पम्प खोद रहे हो, हमको अपने साथ में ले लो। इन्होंने हमको अपनी सूची नहीं बताई। जवाब क्या दे रहे हैं, हमने चयन किया है हैंड पम्प कहां लगायेंगे तकनीकी जांच के आधार पर....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जहां पर दूसरे कुएं हैं उनको देखकर वहां पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कुएं खोदे जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा, तकनीकी जांच हुई नहीं, पास के कुओं की जांच हुई नहीं, जहां पर कांग्रेस के लोगों ने कहा, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर हैंड पम्प लगा दिये गये। जहां पर आवश्यकता थी आज भी लोग, मैं समझता हूं, तरस रहे हैं। आज आधे से ज्यादा हैंड पम्प खराब हैं। किसी के हैंडल नहीं हैं, कहीं खारा पानी आ रहा है। खारा पानी क्यों आ रहा है, उसमें मिट्टी क्यों आ रही है? तकनीकी जांच की नहीं गई, पास के कुओं की जांच की नहीं और विधायकों को कान्फीडेंस में लिया नहीं गया। मेरा सिर्फ निवेदन करना यह है कि आखिरकार यह व्यवस्था क्यों की गई।

मुझे कहा गया है जवाब में, कार्य बड़ी तत्परता से किया गया। यह तत्परता से किया। 9 महीने में 335 हैंड पम्प लगाये गये। माननीय सभापति जी, इस कार्य को तात्परता से किया गया। यह जवाब दिया जाता है, और जहां कहीं भी और कहीं भी आवश्यकता होगी हम हैंड पम्प लगायेंगे। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा 335 हैंड पम्प लगाये इसकी जांच होनी चाहिये। कहां पर लगे, इसमें इतना व्यय क्यों हुआ, खराब स्थानों पर क्यों लगाये, खारा पानी क्यों आ रहा है, उनमें मिट्टी क्यों आ रही है और विधान सभा में क्यों आश्वासन दिया है।

माननीय सभापतिजी, आज जयपुर शहर में 335 हैंड पम्प लगाये। 125 हैंड पम्प खराब पड़े हैं। वे तो अनोपयोगी हो गये, कूड़े से दब गये। मैं यह जो चित्र लेकर आया हूं आपको टटोलना पड़ेगा इन हैण्ड पम्प की खोपड़ी पर हाथ फेरना पड़ेगा, हैंड पम्प हैं क्या। उन सारे हैंड पम्पों में खारा पानी आ रहा है। अनोपयोगी हैण्ड पम्पों को ठीक करायें। हैण्ड हम्प की संख्या जयपुर शहर में और बढ़ायेंगे। उनका कहना है जहां पर सार्वजनिक नल हैं, जयपुर शहर में 1200 नल हैं, वहां सारे हैण्ड पम्प लगायेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है अस्पताल में लगे, स्कूल में लगे, श्मशान में लगे, कब्रिस्तान में लगे, सार्वजनिक स्थानों पर लगे, कालेज में लगे। यह आखिरकार ट्राइबल के लिये होने चाहिये ट्राइबल के लिये नहीं लगाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमने कहा था जयपुर शहर में पेयजल के जो कुएं हैं उनकी सफाई कराई जाये। कमला जी ने यहां कहा था पेयजल के कुओं की सफाई होगी। एक कुए की सफाई नहीं हुई जो कुएं सूख गये हैं उनको बोर कराया जायेगा। वह व्यवस्था हुई नहीं। यह सारे जयपुर में हैण्ड पम्प का घोटाला है, मनमाने तरीके से हैंड पम्प लगाये गये हैं। माननीय सभापति जी, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं पहले तो सारे घोटाले की सदन में रिपोर्ट आनी चाहिये जो इन सारे हैंड पम्प का गबन घोटाला है, जो अनियमितताएं बरती गई हैं। कहा गया 9 महीने में इतने हैण्ड पम्प लगा दिये। बड़ी वाहवाही लूटने का काम हो गया। इसकी जांच के लिये आपको कमेटी बैठानी चाहिये, माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूँ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राज्य सरकार ने कहा है कि राजस्थान में 25 हजार कुओं में पीने के पानी की व्यवस्था हमें करनी है, 22 हजार कुओं में हमने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है यह खोखला नारा है। आखिरकार पीने के पानी की व्यवस्था क्या है यह विचार किया जाना चाहिये। आज ढाणी के लोगों को कई किलोमीटर बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। यही नहीं जो सीमा पर गांव है वहां 6000 सैम्पल लिये हैं पानी के उसमें 95 प्रतिशत पानी खराब है और ऐसा पानी है जिससे दांतों का रोग हो जाता है, कुबड़ापन आ जाता है। आखिरकार क्या राज्य सरकार ने यह पीने की पानी के व्यवस्था है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो पीने का पानी खराब आता है समय-समय पर उनकी जांच करने के लिये कोई व्यवस्था की है ? और यह मैं नहीं कह रहा हूं यह आपकी पुस्तिका कर रही है, यह सुन्दर पुस्तिका जिसके ऊपर सुन्दर फोटो लगाये गये हैं बहुत सुन्दर पुस्तिका है इसमें फोटो लगाया गया है गांव के एक मात्र कुएं से पानी भरने वाले प्रतीक्षारत ग्रामवासी की। यह क्यू लगी हुई है। यह पुस्तिका स्वयं कह रही है राजस्थान में पीने के पानी का अभाव है। यह पुस्तिका ही कह रही है, प्यासा पशुधन कुएं पर पानी की प्रतीक्षा में। यह पुस्तिका में छपी हुई फोटो है मैं नहीं लाया हूं मेरी ओर से। पुस्तिका आपकी है, आपके विभाग की छपी हुई पुस्तिका है। इसी पुस्तिका में, माननीय सभापति महोदय, कहा गया है ऊंट पर लगी मश्क से भरती ग्रामीण महिलायें। यह राजस्थान की हालत है।

एक माननीय सदस्य : यह आप हम सब ने देखा है।

श्री सभापति : आप कृपया बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक पेज पर और दिया गया है राजस्थान में जो दूषित पानी है उसके बारे में। इसमें यह और कहा गया है। इसमें दिखाया गया नारू नाम का रोग जो पीने का पानी है उससे होता है नारू नाम का कीड़ा निकलता है, लोगों के कूबड़ हो जाती है। इन्होंने और जिक्र किया है, जल की हर बूंद कीमती है इसकी रक्षा करें। नारू रोगी का फोटो दिया गया है साईक्लोप से नारू तक, गन्दा पानी पीने से नारू का फैलाव। यह दर्शाता हुआ चित्र दिया गया है और युवक के पैर में से निकलता नारू का कीड़ा दिखाया गया है। आखिर यह बतायें, यह इतनी सुन्दर बनाकर के अपनी गलती अपने आप, मैं जो बात कह रहा हूं वह पुस्तिका से सिद्ध हो गई। इतनी बड़ी सुन्दर पुस्तिका है।

श्री सभापति : नुकसान क्या हुआ इसमें ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है जो जल आकाश में बरसने वाले और खुदी हुई नहरों में बहने वाले स्वयं झील रूप में उत्पन्न होने वाले और समुद्र की ओर जाने वाले हैं जो पवित्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और पावन हैं वे जल देवियां यही मेरी रक्षा करें। संस्कृत में श्लोक लिखकर कहा और फोटो में सारी बात दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो गबन घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिये। जयपुर में जो हैण्ड पम्प लगे उसकी जांच होनी चाहिये और जो यह प्रमोशन कर दिया गया है सस्पेन्ड अधिकारी का उस संबंध में भी विचार किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जल निस्तारण योजना उत्तर क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की बनी। उत्तर क्षेत्र की योजना तो पूरी हो गई और दक्षिण का जो एरिया जयपुर शहर में है उसके लिये विश्व बैंक से 14 करोड़ रुपया मिला था। शैतान-सिंह कालोनी बनीपार्क, पूरा का पूरा शास्त्री नगर, राम नगर, हाउसिंग बोर्ड और यह सारा आपका मिर्जा इस्माईल रोड हिस्सा, इसमें गटर लाइनें कब डाली जायेंगी ? उसकी अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। इस-लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर शहर में जिस प्रकार क्षेत्र में जल निस्तारण योजना बनाई गई है उसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र के लिये भी जल निस्तारण योजना जिसके लिये विश्व बैंक से हमने पैसा रखा है, जल्दी से जल्दी प्रारम्भ होनी चाहिये।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में पाइप की लाइन छोटी है, जगह-जगह छोटी लाईनें हैं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे दल का समय है जयपुर शहर में जो छोटी लाइन डाली गई है उसको बड़ी पाइप लाइन में बदला जाना आवश्यक है। पानी का प्रेशर नहीं आने से जनता परेशान है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह आव-श्यक है। यह मेरी दूसरी मांग है। इसके बाद में निवेदन करना चाहता हूं जो पानी की दरें बढ़ाई हैं राज्य सरकार उस पर पुनः विचार करे। इस पानी की दरें बढ़ाना कोई आवश्यक नहीं है, इस की कोई आव-श्यकता नहीं है। पानी के बिल जयपुर में शहर में वैसे ही दुगने आते हैं। मिस्त्री खाने में लोग घूमते हैं, फिर पानी के बिल दुगुने आयेंगे, पानी के बिलों में गड़बडियां आयेंगी, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, पानी के मीटर बन्द पड़े हैं। पानी के मीटर का नाम रखा गया है गंगा जमुना। सभापति महोदय, सुनें मेरी ओर-पानी के मीटर का नाम है गंगा जमुना। कितना सुन्दर नाम रखा है लेकिन पानी का मीटर बन्द है। पानी के जो मीटर खरीदे गये हैं उनका नाम रखा है राहुल। राहुल का मतलब है बन्धन और बन्धन का मतलब बन्द हो जाय। यह राहुल नाम का मीटर सप्लाई किया जा रहा है यह तो इसकी हालत है। फिर सरकार कार्माशियल दरें अलग ले रही हैं। यदि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किसी मूर्तिकार के एक बूंद पानी काम में नहीं आता, जवाहरात का धन्धा जो व्यक्ति करता है उसके एक बूंद पानी काम में नहीं आता, इसी प्रकार मदा उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति के नहीं आता, किसी स्थान पर शिक्षण संस्था चलती हो वहां किसी वकील साहब का बोर्ड लग जाय तो उसके कामर्शियल बिल आ जायेगा। किसी गरीब का मकान है और मकान में एक दुकान है, दुकानदार पानी का उपयोग करता नहीं है लेकिन पूरे मकान पर कामर्शियल बिल आयेगा। आखिरकार इस ओर भी आपको विचार करना चाहिये। पेयजल की जो रेट है वही ली जानी चाहिये। एक छोटी सी दुकान उस गरीब के मकान में हो जाने से कोई मतलब नहीं है, वह पानी का उपयोग करता नहीं है लेकिन कामर्शियल की रेट ली जायगी। मान्यवर, यही नहीं सरकार सीवरेज टैक्स और लेती है जयपुर शहर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में 20 पर्सेन्ट, 100 रुपये पर 20 रुपये सरकार सीवरेज टैक्स ले रही है एक जुलाई से। वह सीवरेज टैक्स कहा गया? जहां पर गटर लाईन नहीं है वहां पर भी सीवरेज टैक्स ले रहे हैं आज तक बीस रुपये के हिसाब से राजस्थान की सरकार के पास सीवरेज टैक्स जमा हो गया। वह आज तक म्युनिसिपैलिटी को नहीं लौटाया गया। म्यूनिसिपैलिटी कहती है कैसे गटर लाइन साफ करें। 20 लाख रुपया जो राज्य सरकार ने वसूल किया है, मान्यवर, वह उनको तुरन्त वापस दिया जाना, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। जयपुर शहर में जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वह भी चरमरा गई है। जन स्वास्थ्य विभाग की आखिर ड्रेनेज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है इसलिये जयपुर शहर में प्रापर ड्रेनेज की व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है। वरना वर्षा आ गई, आज सुबह वर्षा आ गई, यहां पानी भर गया, चौड़ा रास्ता में पानी भर गया, जौहरी बाजार में पानी भर गया, एम. आई. रोड़ पर पानी भर गया और राम निवास बाग जहां पर इतनी सुन्दर व्यवस्था हो जाने के बाद भी आज पानी भर जाता है, जयपुर शहर की इस व्यवस्था को भी देखा जाना चाहिये और इसमें आवश्यक सुधार किया जाने चाहिये।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा यह हालत है जयपुर शहर में जहां गटर लाइन डली हुई है उस गटर लाइन के सहारे वाटर लाइन डली हुई है। मलमूत्र का पानी लोगों के पास आता है, सड़ा हुआ पानी आता है, गन्दा पानी आता है क्योंकि गटर लाइन है, गटर लाइन के साथ वाटर लाइन है। जब आप सुबह पानी की सप्लाई करते है, उसमें छेद पड़ गये, गटर का पानी उस वाटर लाइन में घुस जाता है और शाम को जब नल को खोलते हैं तो उसमें मलमूत्र का पानी आता है। मैं समझता हूं उसके नाते भी जो वाटर लाइन गटर लाइन के साथ जुड़ी हुई है, उसको चेन्ज किया जाना, माननीय सभापति महोदय, बहुत जरूरी है। अन्त में मैं आपसे यही निवेदन करना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहता हूं जयपुर शहर के लिये पर्याप्त पेय-जल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये और सरकार ने जो 35 गैलन प्रति व्यक्ति जयपुर शहर में पानी की आवश्यकता रखी है उसे बराबर सप्लाई करें और ठीक ढंग से करें।

रामगढ़ का बन्धा सूख गया, रामगढ़ के बन्धे में पानी आ जाय, भगवान करें थोड़े दिनों में, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि रामगढ़ के बन्धे में पानी नहीं आये लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ के बन्धे में आज पानी सूख गया है। पानी सूख गया और वहां पर केवल दस फीट पानी है।

श्री सभापति : वर्षा आने पर भर जायेगा वह तो।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पानी आ गया तो बात अलग है लेकिन रामगढ़ के बन्धे में आज निवेदन करना चाहूंगा...

श्री भंवर लाल शर्मा : ये हटेंगे तब बरसात आयेगी।

श्रीमती कमला : ठीक है, ठीक है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : रामगढ़ बन्धे में, माननीय सभापति महोदय, जो मिट्टी भर गई है, उस मिट्टी को साफ किया जाना चाहिये। उस सिल्टिंग को साफ किया जाना चाहिये। रामगढ़ के बन्धे को पांच फीट ऊपर उठाकर जो पानी की क्षमता बढ़ाई जा रही है, वह ठीक है लेकिन जो पानी का रिसाव होता है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस पानी को भी हम लिफ्ट करके उपयोग में लायें। जयपुर शहर में 1265 सार्वजनिक नल हैं उसमें मेरी मांग है वहां पर हैंड पम्प लगे। अलग अलग जो जनोपयोगी स्थान हैं, स्कूल हैं, कालेज हैं, अस्पताल है, इन सहित हैंड पम्प की संख्या 335 जयपुर शहर में कम है। यह एक मेरी मांग है। रामगढ़ के बन्धे के रिसाव को रोका जाना चाहिये।

अन्त में मैं जो राज्य सरकार ने एक घोषणा की थी और जो हम वर्षों से सुनते आये है, बनास योजना का एक झुनझुना दे दिया है। फिर वापस सरकार ने पकड़ लिया है। सुखाड़ियाजी के समय से गीत गाते चले आ रहे हैं, मैं समझता हूं जयपुर शहर में इसको साथ-साथ तो करें ही लेकिन जयपुर शहर में जो पेय योग्य कुए है उनकी हम सफाई करें, उनमें हैंड पम्प लगायें और जो सूखे कुए हैं उनको बोर करें। बोर करने के बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं बनास योजना, जिस पर 94 करोड़ रुपया तो बान्ध बांधने पर खर्च हो जायगा और 100 करोड़ रुपया जयपुर शहर में इस पाइप लाइन को जोड़ने में खर्च हो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आयेगा, इसकी प्लानिंग शुरू होनी चाहिये। यह नहीं कि कह दिया और वाहवाही लूट ली।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वाह वाही लूटने के नाम से न करें।

सभापति महोदय, विश्व बैंक से और जीवन बीमा निगम से जो कुछ भी इसके लिये धनराशि चाहिये, राज्य सरकार वह धनराशि लाये। अन्त में मैं निवेदन करूंगा यह जो गबन और घोटाले की बात पिछली बार श्री परसरामजी मदेरणा ने सदन में स्वीकार की थी, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निश्चित रूप से उत्तर देगी। इतना मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस का निर्धारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय सभापति जी, मैं नियम 23 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सदन की कार्य सलाहकार समिति की सलाह है कि गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिये जिस दिन सम्भव हो सकेगा उसको आवटंन करेगी। परन्तु ऐसी व्यवस्था रहते हुए, जैसा अध्यक्ष महोदय द्वारा आवंटित है, उसको आवश्यकता न समझा जाय और इस प्रकार एक मास में गैर सरकारी सदस्य कार्य सम्पादन के लिये दो दिन आवंटित किये जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह हमारी परम्परा रही है कि हर एक सप्ताह में शुक्रवार प्राइवेट मेम्बर डे होता है। इस प्राइवेट मेम्बर डे में....

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों का अधिकार है जिसको करटेल करने का अधिकार न कार्य सलाहकार समिति को है और न माननीय को। मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार के दिन गैर सरकारी कार्य के लिये आवंटित होना चाहिये थे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, आपसे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य मैं सूचित कर रहा हूँ कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और वह अपना विचार दे चुकी है, वह निर्णय ले चुकी है। अब उसी हिसाब से आगे को कार्यवाही चलेगी।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्य सलाहकार समिति ने साफ लिखा है कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : जब आपने ही अप्रूव किया है तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने अप्रूव क्यों किया ? जब आपने अप्रूव कर दिया, कार्य सलाहकार समिति में जो निर्णय हुआ उसके बाद हाउस ने अप्रूव कर दिया....

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : शुक्रवार का दिन आगे निश्चित हो चुका है। सदन की अनुमति मिल चुकी है और उसके हिसाब से आगे शुक्रवार का दिन गैर सरकारी दिन रख दिया गया है। वह हाउस ने पारित कर दिया इसलिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो, सभापति महोदय, साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाता है और उसके बाद प्राइवेट मेम्बर डे अपने आप आ जाता है।

श्री सभापति : आइन्दा से व्यवस्था हो जायेगी। वह व्यवस्था में है....

(व्यवधान)

आइन्दा शुक्रवार को आयेगा। क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो निर्णय लिया था हाउस ने उसको अप्रूव कर दिया ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो व्यवस्था दे रहे हैं पिछले शुक्रवार को भी अप्रूव किया है।

श्री बी. डी. कल्ला : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश किया जा चुका है। स्वयं माननीय सदस्य हाउस में उपस्थित थे और वह हाउस से पारित किया गया है। आप मौजूद थे। सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मौजूद होने का सवाल नहीं है।

श्री बी. डी. कल्ला : आपने और आपकी पार्टी ने उसका समर्थन किया है।

श्री सभापति : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो निर्णय है, वह मैं पढ़कर सुना देता हूं तारीखवार। यह हाउस ने स्वीकार किया है उसके बाद कोई एतराज नहीं उठता है। सदन ने स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आइन्दा शुक्रवार रहता है तो स्पीकर महोदय....

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : आज आपकी तैयारी नहीं है तो बाद दूसरी है।

श्री जयकिशन तोषावड़ा (दूदू) : आपको तो कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के

154

(श्री जयकिशन तोषावड़ा)

लिये चाहिये। मेहरबानी करके बैठ जायं।

श्री सभापति : मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ जब आपने कोई निर्णय स्वीकार कर लिया अब उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं सदन में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राईवेट मेम्बर डेज होते हैं, यह माननीय सदस्यों का मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को रखा जाना चाहिए। हर एक सप्ताह का अंतिम दिन नॉन आफिशियल डे होता है और उसका जैसा भी चाहेंगे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

माननीय सदस्य, सदन में जो पारित कर दिया है उसके हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो लिखित में दे दें वह स्पीकर साहब के पास में पहुंचा दिया जाएगा और वह अपना निर्णय दे देंगे। मेरा निर्णय यह है कि आज की तारीख में जो सदन में प्रस्ताव पारित किया हुआ है उसी के हिसाब से कार्य चल रहा है। उसी के अनुसार प्रक्रिया चल रही है।

श्री हेमाराम।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, इधर भी आप देखें साहब। माननीय गिरधारीलालजी भार्गव ने जयपुर के मामले में बड़े विस्तार से रखा है, मैं भी जयपुर से जीतकर आता हूं, तो मैं केवल दो प्रश्न रखना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, कि जो हैंड पम्प आपने लगाए उनसे जो प्रेशर की कमी है जयपुर शहर में उसका समाधान आप किस तरह से करेंगे और छोटी लाइन पड़ी है उसको बड़ी लाइन में कैसे परिवर्तित करेंगे ?

(व्यवधान)

I am saving time of the House.

श्रीमती कमला : आपकी जब भाषण करने की बारी आए तब आप आराम से बोलना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। जब आपका टर्न आये तब अपनी बात कह दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे कहना ही नहीं है, साहब।

श्री सभापति : कहना नहीं है तो मन्त्री महोदया को अलग से बता दें। आपको पूरा अधिकार है उनसे मिलने का, अपनी बात कहने का।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माननीय मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में, विशेष कर बाड़मेर जिले में जो पीने के पानी की भयंकर समस्या है उसको हल करने के लिए सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किये जाने के बावजूद भी उस समस्या का सही ढंग से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के जरिये गांवों में पानी पहुंचाने के लिए बहुत लम्बी-लम्बी पाइप लाइनें बिछा दी गई हैं परन्तु उन गांवों में नियमित तो अलग रहा अनियमित रूप से भी पानी नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, इन गांवों को विभाग ने कमीशंड बता रखा है और अपने प्रगति प्रतिवेदन में इनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना बताया है। सभापति महोदय, केवल पाइप लाइन बिछ जाने से क्या उनकी पीने के पानी की समस्या हल हो गई ? क्या उनको पानी मिल गया ? उस पाइप लाइन के जरिये से उस गांव में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या विभाग ने कभी इस बात को देखा ?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि कई ऐसे गांव हैं जिनको विभाग ने हाल ही में कमीशंड इस वर्ष बताया। कुछ गांवों को पिछले वर्ष कमीशंड बताया लेकिन पानी इन गांवों में एक दिन भी नहीं गया। इन गांवों के मैं नाम लेना चाहूंगा, सभापति महोदय। ऐसे गांव तो सैकड़ों की तादाद में हैं लेकिन सभी का नाम लेने में तो बहुत समय लगेगा, कुछ गांवों को एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना चाहता हूं।

मँगले की बेरी की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम बनी है, इसके तहत चार गांवों को लिया गया है, मँगले की बेरी, गोलिया गिर्वा और खाडाली। इस जल प्रदाय योजना का उद्घाटन हमारे केन्द्रीय राज्य मन्त्री श्री रामनिवासजी मिर्धा ने किया था। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वह उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद आज दिन तक उस स्कीम से जुड़े हुए गांव मँगले की बेरी गोलीया गिर्वा और खाडाली में एक दिन भी पानी नहीं गया है और उन गांवों को विभाग ने कमीशंड बता रखा है जिसमें एक प्रतिशत भी सत्य नहीं है। तो सभापति महोदय, आखिर यह विभाग चाहता क्या है? मतलब आंकड़े आप लोगों के सामने रख करके लोगों को यह क्या दिखाना चाहता है। इन लोगों को पानी एक बूंद भी मुहैया करवाया नहीं और कागजों में उस गांव में पानी जाना बता दें इससे ज्यादा तो और क्या घटिया बात हो सकती है और इसके लिए हम क्या कहें।

सभापति महोदय, इसी तरह की कई और योजनायें हैं। रानासर कलां से कोलीयाना, भागपरी की बेरी और भलेसर तीनों गांव जोड़े गये हैं। भागपरी की बेरी को पिछले वर्ष कमीशंड बता दिया। लेकिन भागपरी के बेरी गांव तक अभी तक पाइप लाइन बिछी नहीं है। गांव से एक किलोमीटर पीछे है अभी तक और पानी तो उस लाइन में जाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि गांव से भी लाइन पीछे पड़ी है और पाइप डाल दिये हैं और पड़े हैं तो बीच में, उसको वापस पूछने वाला नहीं है। उस लाइन को गांव तक पहुंचाने के

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिए प्रयास ही नहीं है। इसके बारे में किसी को चिन्ता ही नहीं है। इसी तरीके से जैसा पहले मैंने मंगले की बेरी योजना का उल्लेख किया, उसमें भी खाडाली गांव तक पाइप लाइन नहीं बिछी है और उस गांव को कमीशंड बता रखा है। पानी के हौज नहीं बनाये तो अच्छा ही किया। जिन गांवों में पानी नहीं जा रहा है वहां पर हौज बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। इतना खर्चा कम हुआ। लाइन बिछाई उसको बिछाने का और पाइप का खर्चा हुआ वह फालतू है सब। तो इस तरह से और कई योजनायें हैं जैसे भाखलपुरा से रतनपुरा और कुडा को जोड़ा गया है। सभापति महोदय, भाखलपुरा से कुड़ा और रतनपुरा में आज दिन तक पानी नहीं गया है और इन गांवों को कमीशंड बता रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री हेमाराम चौधरी : इसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं क्योंकि जनता ने मुझे यहां भेजा है। मैं तो मेरा ही दोष मानता हूँ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो इस्तीफा दे दो।

श्री हेमाराम चौधरी : इस्तीफा नहीं देंगे तो अलगे वर्ष ले लेगी जनता। लेकिन सभापति महोदय, रतनपुरा और कुड़ा को कमीशंड बता दिया और पानी नहीं पहुँच रहा है। मैं इन गांवों में कई बार गया, अब इन गांवों में वापिस जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि पानी पहुंचता ही नहीं है। विभाग को हमने कई बार लिखा लेकिन कोई समस्या का हल नहीं, कोई उसका समाधान नहीं है। इसी तरह से पालीखाल को जोड़ता गया है। पालीखाल में विभाग ने बहुत कोशिश की पानी पहुंचाने की लेकिन एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। लाइन किस तरह से डाली पता नहीं किस ढंग से डाली, आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन पानी पहुंचा नहीं है। तो फिर आपने उसको कमीशंड क्यों बताया है ? आप मेहरवानी करके उन गांवों को बताओ जो हमने लाभान्वित कर दिये और हमारे एक्स. ई एन. ने रिपोर्ट दे दी। उसमें यह फिर लिखा है कि नियमित रूप से पानी जा रहा है। अव इससे ज्यादा तो क्या बात हो सकती है, सभापति महोदय, इसी तरीके से सीलगण है। एक लोहरवा भीमताल योजना है जो आज से कई वर्ष पहले बनी थी। लोहरवा उसका सोर्स है जहां ट्यूबवेल बनाया हुआ है उस योजना का। उस ट्यूबवेल से उस योजना के अन्तर्गत जो आने वाले गांव हैं, भीमताल समावडिया, बाबूबेड़ा, कोठाला, पीपराली, कुडावा इनको पानी दिया जाता था। सभापति महोदय, जो लोहरवा का सोर्स था, ट्यूबवैल था उसका पानी बिल्कुल खारा हो गया है। पशु भी आज उस पानी को नहीं पी रहे हैं। तो वह योजना पूरी तरह से फेल हो गई फिर भी उस योजना से एक गांव सीलगण और जोड़ दिया। सीलगण खास पास में पड़ता है वहां से, पाइप लाइन और डाल दी वहां पर। मेरी समझ में नहीं आता, सभापति महोदय, योजना, जिसका मैंने उल्लेख किया, से

(श्री हेमाराम चौधरी)

जुड़े हुए हैं उनमें पानी पहुंचा दिया लेकिन लोहारवा का पानी पीने लायक नहीं। लोहारवा गांव के लोग उस ट्यूबवैल का पानी नहीं पीते। पास में एक छोटा सा कुआं है, उसमें चड़स से निकाल करके, बाल्टी से निकाल करके पानी पीते हैं। तो फिर यह दूसरा एक गांव आपने क्यों जोड़ा? पाइप लाइन का खर्चा क्यों कर रहे हैं? फालतू पैसा सरकार का क्यों खर्च कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, लोहारवा गांव के अन्दर जैसा मैंने दूसरे कुएं का उल्लेख किया, उस कुएं का कुछ पानी ठीक है। जो ऊपर का पानी है उस कुएं पर मोटर लगा दें और मोटर से चला कर पानी पिला दें। उस मोटर को भी खराब हुए एक साल हो गया है। पिछले लोक सभा के चुनाव में इन्होंने लगा दी उसके बाद खराब हो गयी। आज तक उसको ठीक कराने की बात दिमाग में नहीं है। तो सभापति महोदय, यह हालत है लोहारवा भीमथल योजना की मैंने बतायी। इसी तरह से कई वर्ष पहले एक होडू भाटाला स्कीम बनी थी। उस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों में कामचा और होडू को पानी नहीं जाता था फिर भी इस योजना से एक गांव आडेल को और जोड़ दिया। जब किसी योजना से जुड़े हुए गांव में पानी नहीं जा रहा है फिर आप दूसरे गांव को उस योजना से आगे जोड़ते जा रहे हो, क्योंकि आपको आंकड़े बताने हैं। दूसरी लाइन लगाओ तो और ज्यादा खर्चा आयेगा, इसलिए दूसरी योजना बनाओ मत उसी योजना में उसको घुसेड़ दो। सभापति महोदय, यह होडू भाटाला स्कीम है इसका भी सोर्स फेल हो गया। भाटाला लूणी नदी पर आया हुआ है। लूणी नदी जब आती है तो उसकी वजह से पानी ठीक रहता है, जब नदी नहीं आती है तो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं रहता। वह सोर्स फेल हो गया। उसका पानी खारा भी है। कम से कम लोग खुद पीयें और पशुओं को पिलायें, अपने टांकों से कुछ मीठा पानी मिला मिलाकर किसी तरह से पीयें। आडेल को जोड़ दिया, वहां पानी नहीं जाता है। इसके लिए कोई दूसरी योजना बनाई जाय। लोहारवा से भीमथल और होडू भाटाला के लिए आप पुनः विचार करें। यह योजना आपकी कामयाब नहीं हुई है। सरकार करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर चुकी है आप, फिर भी जिन गांवों को आपने इस योजना से जोड़ा है, पाइप लाइन बिछायी है, होदियां बनायी हैं उनमें पानी कतई नहीं जा रहा है। लोगों में उल्टा असन्तोष बढ़ रहा है। आप कोई योजना हाथ में लें तो कम से कम पानी तो उस गांव में पहुंचायें। इसलिए मेरा निवेदन है कि भविष्य में आप कोई भी पाईप लाईन बिछायें, कोई काम लें, मेहरबानी करके उसमें पानी पहुंचायें। नहीं तो आप यह काम बन्द कर दें। क्यों फालतू आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग उल्टे गालियां देते हैं। इसीलिए सभापति महोदय, जो होडू भाटाला स्कीम है इसकी आगमेंटेशन स्कीम रिवाइज करके बनानी पड़ेगी, लोहारवा भीमथल की योजना है उसकी आगमेंटेशन स्कीम रिवाइज करके बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं विभाग को कई दफा निवेदन कर चुका हूं लेकिन इनके दिमाग में कोई बात अभी तक नहीं बैठ रही है। योजना बनाने के लिए

(श्री हेमाराम चौधरी)

सर्वे करना पड़ाता है, काफी कागजों का काम करना पड़ता है। यह काम करने को कोई इच्छुक नहीं है, इंट्रेस्टेड नहीं है। लाइन बिछाने का काम हो, होदी बनाने का काम हो, कोई और काम हो जिसमें ठेकेदारी का काम हो उसमें तो इच्छुक रहते हैं लेकिन सर्वे करने और दूसरी योजना बनाने के बारे में किस तरह से टैक्निकली फिजिबल हो सकते है दूसरा आल्टरनेट क्या हो सकता है इस बारे में कतई रुचि नहीं है।

इसी तरह की और भी कई योजनाएं हैं जिनकी यही हालत है। धोरीमन्ना से इस लोहरवा भीमथल योजना को इन्होंने एक पाइप लाइन से जोड़ा लेकिन धोरीमन्ना से कभी लोहारवा पानी नहीं गया। आगे के गांवों में तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। यह जवाब में यह भी बता सकते हैं कि हमने इसको धोरीमन्ना से जोड़ दिया। धोरीमन्ना से लोहारवा पानी कभी पहुंचा नहीं। क्या जोड़ दिया आपने ? पाइप लाइन बिछायी है यह जरूर है, खर्चा जरूर आपने एडीशनल कर दिया है। इसी तरह से धोरीमन्ना के पास डांगरिया की बेरी से मोठड़ा, थारी, कातरला, सुडाबेरी, कबूली तक पाइप लाइन इन्होंने डाल दी है लेकिन पानी कहीं नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, जगह जगह पाइप लाइन डाल रहे हैं, पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है। यह किस तरह से व्यवस्था आप करना चाहते हैं। इसके लिये मैं चाहूंगा मन्त्रीजी जब अपना जवाब देंगी तो इस सम्बन्ध में इस बात को अवश्य स्पष्ट करेंगी।

इसी तरह से बेरी गांव की जो योजना बनी है उससे घोलीनाड़ी, पनावली, गांधव कलां, डावरिया आदि गांवों को जोड़ दिया है। वहां पानी नियमित तो क्या अनियमित रूप से भी कहीं नहीं जा रहा है। इन गांवों में जो पानी जाने की बात बतायी, यही बात मैंने जिला स्तरीय मीटिंग में बराबर उठायी। फिर बाद में जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन करने के लिये जो कमेटी बनी, जिलाधीश ने जो कमेटी मुकर्रर की, उसमें भी मैम्बर हूं, वह कमेटी वहां जाकर आयी है उन गांवों की जो स्थिति है वह देख कर आई है, इनके विभाग के ए.ईएन. हमारे साथ थे, उन्होंने भी उसको देख लिया फिर भी उसमें सुधार अभी तक कुछ नहीं किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा आप ऐसी योजनाएं बनायें जो व्यावहारिक हों और जिनसे उन गांवों में पीने का पानी पहुंचे। कोई योजना जिस गांव में बनी है वहां पर कोई कुआं बना कर पानी उपलब्ध नहीं करा कर, दूर से पानी लाते हैं वहां का पानी ठीक नहीं है। जबकि उस गांव के गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे गांव का पानी ठीक है वहां पाइप लाइन बिना मतलब फालतू बिछा रहे हैं और सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर यह कहते हैं हमारी योजना टैक्निकली इस तरह सैंक्शन हुई है, हम तो इसमें रद्दोबदल कुछ नहीं कर सकते हैं, यह तो ऊपर से सैंक्शन्ड है, भारत सरकार से ऐसी सैंक्शन होकर आयी है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : इस तरह से यह सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार पैसा बहुत खर्च कर रही है, पैसे की कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही है।

सभापति महोदय, बोला का डेर में दी ट्यूब वैल बनाये। बोला का डेर से राणासर को जोड़ा। राणासर खुद के अन्दर मीठा पानी है। उन गांव वालों ने उस पानी को लिया नहीं। राणासर में ट्यूब वैल बना तो वह मीठा पानी अब राणासर से बोला का डेर वापस भेजते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : मतलब यह है कि किस तरह से स्कीम बनती है, समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। हमारी योजना का यह हाल है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान नहर से पीने के पानी के लिये बाड़मेर जिले की योजनाएं बनाने की जरूरत है। एक पोकरण लिफ्ट योजना बनायी उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस योजना को आप संतरा, हीरे की ढाणी, सिणधरी, नगर, गुडामालानी होते हुए गांधव तक बनायें। जो योजना बनायी है इस योजना में मुझे मालूम हुआ है केवल 339 गांवों को लिया है जबकि बाड़मेर जिले में 900 गांव है। 900 गांवों में से आप 339 गांवों को पानी देने की योजना बना रहे हैं बाकी गांवों का क्या होगा ? पंचायत समिति सिणधरी जो है, वह पूरी पंचायत समिति ऐसी है जिसके अन्दर पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो फिर आप उन गांवों को पीने का पानी कहां से देंगे ? अब आपने जो योजना बनायी है, जो दूसरी ट्यूब वैल वगैरह बनाये हैं, यह भी आखिरी सतह का पानी समाप्त हो जायगा और इसी तरह से हमारी पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना को आप गांधव तक बढ़ायें और इसके बीच में आने वाले सभी गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : पीने के पानी के लिये राजस्थान नहर से पांच लिफ्ट योजनाओं के लिए पहले 500 क्यूसेक्स का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर आपने 1200 क्यूसेक्स किया। यह भी अभी कम है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इसको आप बढ़ाकर 2000 क्यूसेक्स करें। आप सिंचाई के लिये विशेष ध्यान देना चाहते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले पीने के पानी का इंतजाम करो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। कृपया इन्टरप्ट न करें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति, महोदय, मैं निवेदन करूंगा हमको प्राथमिकता

(श्री हेमाराम चौधरी)

तय करनी पड़ेगी। यदि पीने के पानी को हम प्राथमिकता नहीं देंगे सिचाई और दूसरी योजनाओं से, पीने का पानी भी मुहैया कराने की स्थिति में नहीं हों तो मैं समझता हूँ यह सब बजट, दूसरी और सारी बातें व्यर्थ हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा पीने के पानी को प्राथमिकता दें। राजस्थान नहर से पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल हो सकता है। इसलिये आप जो 1200 क्यूसेक्स पानी है उसको बढ़ा कर 2000 क्यूसेक्स करें। सिचाई में आपको कम करना पड़े तो कम करें। इसके लिये आप निश्चित रूप से ध्यान दें। दूसरा, जो मैं ढाणियों के लिये निवेदन कर रहा हूँ....

श्री सभापति : अब रिपीटीशन हो रहा है बात का। कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : गांव के अलावा लोग तो ढाणियों में रहते हैं। हमारे वहां की स्थिति भिन्न है। भारत सरकार ने भी इस बात को नहीं माना था लेकिन भारत सरकार की जो टीम आयी, अब उन्होंने मान लिया है। उनको यह बात समझ में नहीं आयी कि करोड़ों रुपयों की स्कीम है और केवल 8-10 गांव हैं। पीने के पानी के लिये करोड़ों की स्कीम है, कैसा बाड़मेर जिला है। वह आये, उन्होंने देखा, ढाणियों की बात उनके दिमाग में बैठी। लेकिन ढाणियों में पानी देने की जब तक आप योजनायें नहीं बनायेंगे, एक गांव 20-20, 30-30 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लोग अपने खेतों में जगह-जगह बैठे हैं इसलिये ढाणियों की योजना आपको हाथ में लेनी पड़ेगी। कुछ ढाणियों में व्यवस्था हुई है लेकिन सभी ढाणियों में आपको पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिये आपको धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी जो योजनाएं हैं उनमें भी इसका प्रावधान करना पड़ेगा, पशुओं के पीने के लिये पानी देने का प्रावधान करना पड़ेगा। 40 से आपने 70 लीटर किया है, यह तो अब आगे बढ़ाने के लिये किया है। पुरानी जो योजनाएं हैं उनमें 40 से 70 नहीं हुआ। इसलिये उनका आगमेन्टेशन बहुत ही जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसमें भी पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान करें। अब जो योजनाएं हैं उनमें भी पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान करें। आदमी हमारे यहां पहले पशु को पानी पिलाता है फिर खुद पीता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिपीटीशन हो रहा है। कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : पशुओं की बात अभी आयी। सभापति महोदय, रिपीटीशन की क्या बात है। आदमी के पीने के पानी की हम बात कर रहे हैं लेकिन पशुओं के

(श्री हेमाराम चौधरी)

पीने के पानी की बात हम करें ही नहीं....

श्री सभापति : पशुओं के लिये कह दिया आपने।

श्री हेमाराम चौधरी : पश्चिमी राजस्थान के लोग पशुधन पर जिन्दा हैं। आज हमारे वहां का पशुधन समाप्त हो जायगा तो मैं कहता हूं लोग भूखे मरेंगे। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार अकाल के कामों के जरिये व्यवस्था नहीं कर सकती है, यह सही है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पीने के पानी को प्राथमिकता देकर इसमें चाहे कितने भी रुपये खर्च करने पड़ें, करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसे अधिकारियों को लगाए जो बहुत ही ईमानदार हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप आसन की व्यवस्था पर भी ध्यान दें...

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, इस विभाग में अच्छे काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाओ, नहीं तो यह पैसा व्यर्थ में ही चला जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री कल्याणसिंह कालवी।

(अनुपस्थित)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, कम से कम निर्दलियों पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे पार पड़ेगी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : हंसराजजी को अवसर दें, सभापतिजी।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। मैं नाम पुकार चुका हूं। कृपया, सब के नाम आएंगे। कालवी साहब पधारेंगे तब वह बोलेंगे। पहले उपस्थित नहीं थे, उनका नाम पुकारा गया।

श्री बिहारीलाल पारीक (मण्डल) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई बीमार हो जाय या ऐसी बात हो जाय तो हमारे अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं।

श्री सभापति : मुझे पता लगा है, अभी आप बोलेंगे नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक

(श्री सभापति)

नहीं है आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे। आपके बाद बोल देंगे। नाम पुकार दिया मैंने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति जी, पेयजल की योजना जब प्रभारी मन्त्री जी यहां.....

श्री सभापति : सरकार उपस्थित है यहा पर, मन्त्रीजी बैठे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार तो उपस्थित है, प्रत्युत्तर देने वाले तथाकथित स्टेपनी मन्त्री भी नहीं हैं।

श्री सभापति : पर आपको सबका उत्तर देंगे, विश्वास रखिए। कृपया बोलें। मन्त्री महोदय बैठे हैं बराबर नोट कर रहे हैं और कन्वे करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आपने बताया कि आपको सबका उत्तर मिलेगा यह आप कह रहे हैं।

श्री सभापति : हमेशा उत्तर मिल ही रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी फरमाया....

श्री सभापति : मैंने इसलिए कहा कि सरकार की ओर से मन्त्री उपस्थिति हैं वे हर बात आपकी नोट कर रहे हैं, वे कन्वे करेंगे, जो आपको उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि हर बात का उत्तर मिलेगा।

श्री सभापति : उत्तर तो मिलता ही है, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप जानते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो, सभापतिजी, 5 बजे के लिए दिया है तो सरकार टाइम तो बढ़ाऐगी ना ?

श्री सभापति : हां बढ़ायेगी, आपका नम्बर आयेगा। श्री चतुर्वेदी जी।

श्री छोगाराम बकोलिया (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) माननीय सभापतिजी, वह ध्यान आकर्षित करा के हर पाइन्ट को लिखवाना चाहते हैं मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं।

श्री सभापति : आप कृपया नोट कर लीजिए, विपक्ष के नेता महोदय ने बात ठीक कही।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, बजट प्रस्तुत करते समय बिजली और सिंचाई पर प्राथमिक प्रायोरिटी दी गई है परन्तु आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि पीने का पानी ऐसी प्राथमिक आवश्यकता है कि जिस पर राज्य सरकार को बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जो 34 हजार गांव और 6 हजार ढाणियों का सामने लक्ष्य है अगर राज्य सरकार के मन में इस प्रकार की स्ट्रांग पालिटिकल विल हो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उनको पीने का पानी मुहैया कर सकती है किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, भाषण का विषय जरूर है, सूत्रों में वर्णन है, सूत्रों को बताते समय इस बात को बहुत जोर से कहना होता है राज्य सरकार की स्ट्रांग पालिटिकल विल राजस्थान के 34 हजार गांव और 6 हजार ढाणियों में पानी की व्यवस्था करने की नहीं है। मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर यह नहीं होता तो प्लान बनता राजस्थान के सारे गांवों को पानी मुहैया करने की दृष्टि से। क्या मास्टर प्लान होगा वह केवल दिल दिमाग पर नहीं होता उनकी जानकारी विधान सभा के सदस्यों को होती। उसकी जानकारी राजस्थान की जनता को होती। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल मास्टर प्लान होना चाहिए बल्कि टाइम बाउण्ड प्रोग्राम लेकर राजस्थान में मास्टर प्लान को पूरा करने के लिये राज्य सरकार कौन सी योजना बनाएगी इस बात का राजस्थान की जनता को ज्ञान होना आवश्यक है। माननीय सभापतिजी, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाते समय सबसे अधिक चिन्ता करनी पड़ेगी सतही पानी की जो प्रगति विवरण में लिखा है, 11 जिले हैं जिनमें सतही पानी के स्रोतों का वर्णन किया गया है और छठा स्थान बताया गया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं आज सब जानते हैं कि राजस्थान एक डेजर्ट प्रदेश है किन्तु हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में जमीन पर बहने वाला पानी जिसका उपयोग पेय जल के नाते करने की आवश्यकता है उसमें राजस्थान हिन्दुस्तान भर के प्रदेशों में किस स्थान पर आता है? यह बात सच है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर की तो अपनी सीमाएं हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जो पानी वह कर चला जाता है जिस पानी को स्थान-स्थान पर बांध कर, मैं सिंचाई की बात नहीं करना चाहता किन्तु विशेष रूप से पेयजल के नाते इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता राज्य सरकार को है, उसको प्राथमिकता के नाते पहला स्थान देने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 जिलों में छठा स्थान नहीं रहे कभी प्रगति विवरण पढ़ने का मौका आये तो चर्चा बहुत की जाती है....

श्री सभापति : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल 20 लाख रुपए इस साल हमें मुहैया कराये गये। 100 करोड़ से अधिक की योजना बना रहे हैं, क्या मन्त्री महोदया जवाब देंगी, सदन में कहने की स्थिति में हैं कि बीसलपुर योजना बनाते जा रहे हैं उसका सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिक्र किया हो इस वर्ष में इस योजना को पूर्ण कर लेंगे? मैं कैटेगरकली प्रश्न करता हूं कितने वर्षों में इस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

योजना को पूर्ण कर जयपुर, अजमेर और टौंक के सारे स्थानों को पानी देने की दृष्टि से क्या वहां इसका स्थान तय कर सकते हैं ? किस तरह की योजना है, किस तरह की विल में कमजोरी है पीने का पानी देने का आग्रह ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल 20 लाख इस वर्ष मंजूर किये हैं यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान सरकार बीसलपुर योजना के बारे में सीरियस नहीं है कि इसको पूरा करेंगे या नहीं। इसकी कोई बात नहीं की जा सकती।

यह 17 बांध जो दर्ज किये गये हैं अगर इसको देखेंगे तो कोटा बैराज है सबसे अधिक पानी उसमें है सबसे अधिक गहराई वहां है। उससे 11 मील की दूरी पर 25 गांव ऐसे हैं जहां 400 पशु पिछले 10 दिनों में मरे हैं। कोटा में पानी बहुत अधिक है, कोटा बैराज में जितने पानी का स्टोरेज है मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या जल योजना केवल कोटा नगर के लिए ही है ? जल योजना क्या लाडपुरा तक विस्तृत नहीं की जा सकती ? लालगढ़ तहसील से जहां के माननीय विधायक श्री हरिकुमार जी बैठे हैं, दीगोद से आने वाले श्री दाऊदयालजी हैं उनके क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां के पानी में इतना फ्लोराइड है, इस प्रकार का दूषित है जिससे आज भी वहां के लोग कुबड़े हो रहे हैं। क्या कोटा बैराज में इतना पानी होने के पश्चात् भी सतही स्रोत का उपयोग करके कोटा, बूंदी, झालावाड़ में सभी गांवों को पीने के पानी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, यह मेरा प्रश्न है ?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान कैनाल जोधपुर पहुंचाने का वर्णन किया गया किन्तु मैंने कहा कि स्ट्रांग विल की कमी है। पिछले पांच वर्ष से देख रहे हैं ऐसी बातों की चर्चा कई बार हो चुकी है। जोधपुर में पीने के पानी का संकट है जिसकी चर्चा पुस्तकों में की जाती है किन्तु फाइनेन्शियली पता नहीं जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना कब पूरी होगी ?

4.00

ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक बैठे हैं, ब्यावर की समस्या कितनी भीषण, है कितने समय से चली आ रही है। एक मात्र कारण उसका है राज्य सरकार की स्ट्रॉग पालिटिकल विल नहीं है जो मन यह धारण करके चले। राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का सुधार करना चाहते हैं। सतही पानी एक बात है, अन्दर का पानी दूसरी बात है। केवल मात्र एक चर्चा कर लो स्टॉप गैप आप कर रहे हैं, अरेन्जमेन्ट चल पड़े हैं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हैण्ड पम्प की चर्चा क्यों चल पड़ी कोई योजना नहीं थी। जो पानी निकला वह दूषित है या नहीं, यह पता नहीं कि उसके अन्दर किस प्रकार के एलीमेन्ट्स हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। किसी केमिकल लेबोरेट्री द्वारा उस पानी को ठीक रूप से देखते नहीं और फिर जोधपुर में जगह-जगह कहना पड़ा कि इसका पानी उपयोगी नहीं है। विरोधी दल के नेता ने इस बात को यहां उठाया क्या योजना है यह। अण्डर ग्राउण्ड जल को ऊपर हम लाना चाहते हैं, उसके कारण पीने का पानी देना चाहते हैं। जो कुछ पानी निकाला हैण्ड पम्प के द्वारा उस पानी की पहले लेबोरेट्री के द्वारा टेस्टिंग आवश्यक है कि नहीं? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो जाती है जिसके कारण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को नाक नीचे करके बैठना पड़ता है और राजस्थान सरकार को नजरें झुकानी पड़ती है और स्वीकार करना पड़ता है कि जोधपुर में हैण्ड पम्प लगाते समय हमने इस बात की कोई चिंता नहीं की। रेगिस्तान के क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है, आप लोगों ने चर्चा की अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं होकर आया हूं उस क्षेत्र में, मीलों-मील लम्बी पाइप लाइन है किन्तु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पता नहीं कि जो गांव जुड़े हैं उनमें लांग पाइप लाइन के आधार पर पानी पहुंचता है। या नहीं पहुंचता है। रिकार्ड में लिखा है, कागज बोल रहे हैं। गांववालों को पानी मिलता है या नहीं मिलता है? मन्त्री महोदय यहां तो हैं नहीं, उनको कहना चाहता हूं कि ऐसे कई गांव उस रेगिस्तानी इलाके में हैं जिनमें पाइप लाइन लगाने के पश्चात् एक भी बार पानी उपलब्ध नहीं हुआ। क्या मतलब है योजना का? क्या मतलब है ऐसी योजना देने का? हम कौन सी बात का हल करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सरकार की जो लांग पाइप लाइन स्कीम है वह तुरन्त स्टार्ट हो। कितने दिन पानी पहुंचा, कितने दिन पानी नहीं पहुंचा? अगर पहुंच नहीं सकता तो उस पाइप लाइन को हटा दीजिये। क्यों गांव वालों को इस प्रकार से तड़फाना चाहते हैं कि पाइप लाइन को देखते रहें। वे गंगा के किनारे तो बने रहें, चम्बल के किनारे बने रहें किन्तु पानी के दर्शन उनको नहीं हो। जले पर नमक छिड़कना जैसा व्यवहार हुआ है उस गांव के लोगों के साथ, उस रेगिस्तान के लोगों के साथ जिनके यहां केवल पाइप लाइन बिछा कर उसके दर्शन कराये जा रहे हैं और हमारे रिकार्ड में उस गांव में हमने पानी उपलब्ध करवा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि बजट सत्र आ रहा था, कौन इन्तजार कर सकता है? मुख्य मन्त्रीजी को तो पता था कि बिजली पर इतना बड़ा टैक्स लगा देंगे, बिक्री कर बढ़ा देंगे इसलिए पहले ही पानी की दरें बढ़ा दीं, रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया। वेलफेयर सरकार है, मैं चाहता हूं। अगर मन्त्री महोदय यहां हों, राजस्थान के आस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पास के सारे प्रदेश हैं उनमें रेट्स क्या है पानी की, इस बात का जिक्र करें। जरा वेलफेयर स्टेट के नाते कुछ तो व्यवहार करने की कोशिश करिये। कर बढ़ाये जाते हैं, क्यों? महात्मा गांधी का स्मरण करें, नमक सबके प्रयोग में आता है इसलिए नमक पर बढ़ने वाले कर पर छोटी सी बात को लेकर उन्होंने सत्याग्रह खड़ा कर दिया। पानी की आवश्यकता के बाद वह दूसरी चीज है व्यक्ति के लिए। राजस्थान सरकार वर्णन करे कि राजस्थान के चारों तरफ जो प्रदेश हैं, उनमें दरें क्या हैं? राजस्थान में पीने के पानी की दरें बजट अधिवेशन के थोड़े दिन पहले चोर दरवाजे से बढ़ा दीं। राजस्थान की जनता पर यह कर भार सौंपने का अधिकार है, कर दिया, हो गया, लोग अपने आप देंगे। इस प्रकार का वर्णन किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 6 करोड़ की उपलब्धि हुई है, केवल 6 करोड़ की उपलब्धि। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, डी. सी. एम., कोटा में जिसको नहर का पानी दिया जाता है, के क्या रेट हैं? 25 नया पैसा था, कुछ समय पहले 50 नया पैसा हुआ है। उसी को बढ़ा दीजिए। जो पानी दे रहे हैं बढ़ा दीजिए। पौने दो करोड़ का उसमें फायदा हो जायेगा नहीं, वहां पर हाथ नहीं लगाया जायेगा। क्योंकि चुनाव के समय उनसे चन्दा लिया जाता है। उन पर हाथ नहीं डाला जायेगा, हाथ डाला जायेगा राजस्थान की गरीब जनता पर। वह भी कर लिया। सरकार चोर दरवाजे से पानी की दरें बढ़ा दें, राजस्थान भर में आन्दोलन खड़ा हो जायें, 15 हजार लोग गिरफ्तारी प्रस्तुत कर देंगे, चारों तरफ से इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाय, हम राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी से मिलने गये, कहने लगे बीसलपुर की योजना लानी है इसलिए पानी पर दर बढ़ानी आवश्यक है। बीसलपुर की योजना के बारे में मैंने केटेगरिकल सवाल किया। उत्तर देते समय राजस्थान के पानी मंत्री जो भी हों, स्थानापन्न में हों या सचमुच में हों, वे इस बात का उत्तर दें कि बीसलपुर की योजना कब लाना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? केवल दो बात केटेगरिकली कहने के बाद मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं, आपने कोटा बैराज का वर्णन किया, विश्व बैंक के आधार पर कुछ योजनाएं शहरों में बनी हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, कोटा में दो वर्ष पहले वहां के एक सुपरिन्टेन्डेण्ट इंजीनियर ने 40 लाख रुपया बेकार कर दिया जो प्रयोग में आना था उसका प्रयोग नहीं किया। मुझे पता नहीं पिछले साल क्या आंकड़े दिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने आज से डेढ़ वर्ष पहले सिंगापुर में प्राइवेट फर्म को डेढ़ हजार टन सरिये का आर्डर दे दिया। सरिये किस काम में आने थे? विश्व बैंक की जो योजना चल रही है, राजस्थान भर के बड़े-बड़े शहरों में डेढ़ हजार टन सरिये का उपयोग होना था। उसमें से 800 टन बेच दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय को, जो पूरी योजना ठेट तक है उसमें डेढ़ हजार से ज्यादा सरिया लगने वाला नहीं है और 8500 टन सरिया कोटा के अखेलगढ़ में पड़ा हुआ है। जहां से पानी की योजना शुरू होती है, जलधार। डेढ़

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हजार टन में से 800 टन बेच दिया, डेढ़ हजार टन उपयोग में आना था वह भी शायद पूरा होगा या नहीं। यह डेढ़ हजार टन सरिया था 90 लाख का। 9 पर्सेन्ट की दर से कमीशन खाया गया। मैं आरोप लगा रहा हूं, इन्क्वायरी करेंगे, पता नहीं कौन अधिकारी थे जिसने 8 लाख 10 हजार रुपया कमीशन के रूप में सिंगापुर की फर्म से, जिसकी कीमत 90 लाख रुपया है, खाया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं डेढ़ हजार टन सरिये की क्या आवश्यकता है, 6500 टन सरिया बेकार पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : वह प्रतिशत क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, 6500 टन सरिया पड़ा है वह 30 लाख रुपये का है। मैं पूछना चाहता हूं यह किस काम आयेगा वहां ? जब इसकी चर्चा शुरू हुई तो वहां से उठाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कर दिया वहां, अब जब चर्चा शुरू हो गयी है, कुछ सवाल भेजे दिये मैंने, कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ अखबारों में चर्चा हो गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 30 लाख रुपया डेढ़ साल से डम्प पड़ा हुआ है, उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप एक तो तारीफ करो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 800 टन पहुंचे गये लेकिन जब उनका तोल किया गया तो 50 टन सरिये कम निकले 50 टन का पेमेंट भी हो गया। सिंगापुर से अपने देश की सीमा में उतरते ही पेमेंट कर दिया गया। 50 टन सरिया कम पहुंचा, कौन जिम्मेदार है ? 50 टन सरिये का जिम्मेदार कौन है ? तीन लाख की कीमत थी, उसका कौन जिम्मेदार है ? डेढ़ वर्ष हो गया, एक कौड़ी वापस नहीं आयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई बैठा है तो सुन ले। मन्त्री महोदया आ गयी है मैं कहना चाहता हूं कि कागजों में हेराफेरी की जा रही है, उस 50 टन को 5 टन करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। सील करें कागजों को। जांच करें, उसकी इन्क्वारी करें और देखें कि इस प्रकार की स्थिति कैसे पैदा हो गयी है। मैं इसलिए चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति है, हेराफेरी की कोशिश की गयी है। जांच की आवश्यकता है, इस बात की जांच की जाय।

एक बात का मैंने जिक्र किया था। सिंचाई के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि मोहनगढ़ से मिट्टी खोदने का जो मशीन आयी थी इसी सहावा स्टेशन पर इसी लाइन पर आयी थी। इसी पर आयी अब वे मन्त्री महोदय तो नहीं हैं, विधान सभा के सदस्य भी नहीं हैं। विधान सभा के चुनाव जीतने के लिए, लोगों को बताने के लिए करोड़ों रुपये की मशीनों को बड़े ट्रैक्टर में रखकर पांच लाख रुपये खर्च करके साढ़े पांच सौ

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

किलोमीटर लाया गया और साढ़े पांच सौ किलोमीटर जो लाया गया जो मशीन मात्र 4 किलोमीटर चलनी चाहिए एक दिन में उसको 50-55 किलोमीटर चलाया अपनी पावर से। अब पांच लाख उसके सुधरने में लगेगे। मुझे लगता है कि 10 लाख रुपये कहीं आपके पी. एच. ई. डी. में डेबिट नहीं हों। कहा गया था कि यह मशीन प्रदर्शन के लिए आयी है। मन्त्री महोदय बैठे हैं। हालांकि इंदिरा गांधी नहर वाले मन्त्री नहीं हैं। वहां से आयी थी पी. एच. ई. डी. वालों के पास। वह टेल तक पहुंच गयी। वहां टेल पर एल सैक्शन बना हुआ नहीं था, न डिजाइन बना हुआ था। किन्तु मन्त्री महोदय प्रदर्शन करना चाहते थे तारा-नगर क्षेत्र के चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए यह 10 लाख का चूना राज्य सर-कार को लगाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है ? क्या पी. एच. ई. डी. में यह पैसा डेबिट किया गया है या राजस्थान कैनाल इसको देना चाहती है ? मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जब उत्तर दें तो इस बात को बतायें कि मशीनों का गांव में क्या उपयोग किया गया ? मिट्टी खोदी गयी है या मिट्टी डाली गयी है ?

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ और उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं।

एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया था पर वह तो बहुत शोर्ट में कर गये। एक आन्दोलन चला पानी के लिये। सूरत-गढ़ की आबादी थी 12 हजार और उसी हिसाब से जल प्रदाय योजना बनी थी। इस बार के सेंसस से 36 हजार की आबादी आयी। किन्तु जिस रफ्तार से राजस्थान कैनाल का एरिया डवलप हो रहा है आबादी बढ़कर 42 हजार पहुंच गयी है। पीने का पानी 12 हजार के लिए था उसके कारण वहां नहीं पहुंच पाता है। राजलदेसर सब-योजना से 15 गांवों को जोड़ना था। 7 गांव तो जुड़ गये, 8 गांव हैं जहां अभी भी पानी नहीं पहुंचा है। लोगों ने आन्दोलन किया, 10 जून से चला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि एक हरिजन नेता बैठा 15 दिन तक भूख हड़ताल पर। 10 तारीख को चालू हुआ और 22 तारीख तक भूख हड़ताल पर बैठा। 9 किलो वजन गिर गया। गिरफ्तार करके जेल में ले गये। फोर्स फीडिंग हो गया फिर दूसरा व्यक्ति बैठा 22 जून से 30 जून-एक जुलाई तक। उसका 12 किलो वजन कम हुआ। फोर्स फीडिंग शुरू हुआ। तीसरा हरिजन नेता बैठा दो जुलाई से लेकिन राजस्थान की सरकार सो रही है। बिजली वाले बिजली नहीं दे सकते हैं राजलदेसर की योजना को।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इस-लिए कहना चाहता हूँ कि पोलिटिकल विल नहीं है। राजस्थान की जनता को पानी मुहैया कराया जाय, इस प्रकार की मन में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इच्छा नहीं है। कोई संवेदनशील सरकार इस बात को सहन कर सकती है कि तीन हरिजन नेता 15 दिन से पीने के पानी के लिए जान की बाजी लगाकर प्रयत्न करें और राजस्थान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगे।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रश्न नहीं उठे, प्रयत्न नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मन्त्री महोदय बैठे हैं। सूरतगढ़ में चलने वाले इस आन्दोलन में, मन्त्री महोदय, लोग गिरफ्तार हुए हैं 400–67 महिलायें और 313 पुरुष। सारा सूरतगढ़ बंद रहा। हड़ताल चलती रही, आन्दोलन चलता रहा। चर्चा हो रही है किन्तु राजस्थान के मन्त्रिमण्डल, मुख्य मन्त्री और राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कोई चिन्ता नहीं करता है उनके पीने के पानी के लिए।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो इतनी ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय बैठे हैं। मैं केवल सवाल दोहरा रहा हूँ। मैंने तीन-चार सवाल किये हैं औरदो घटनाओं का जिक्र किया है। एक तो बीसलपुर योजना का और एक 10लाख की फिजूलखर्ची का। मन्त्री महोदय दोनों बातों का उत्तर दें।

मैं आपके माध्यम से एक अन्तिम बात कहकर समाप्त करता हूं। राजस्थान के रेगिस्तान में पीने के पानी के जो गांव बचे हैं वह अब इस प्रकार के गांव हैं जो अत्यन्त कठिन गांव हैं। उनकी कोई योजना बनाकर राजस्थान के सामने लायें चुने हुये प्रतिनिधियों के सामने लायें उस पर विचार-विमर्श करें, मास्टर प्लान बनायें और टाइम बाउण्ड प्रोग्राम लेकर उसको हल करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप इनके बाद बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने कहा था कि उनके बाद बोलेंगे फिर बिहारी लालजी का नाम ले लिया।

श्री सभापति : आप बोलेंगे। सब बोलेंगे, ऐसी क्या बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सब बोलेंगे लेकिन....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बिहारी लालजी कृपया बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनें। मेरा कहना है कि आज हम को मौका दिया जा रहा है।

श्री बिहारीलाल पारीक : मोदी जी, आप बिराज जायें मैं आपकी बात कहूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनें, माननीय सभापतिजी। राजीव गांधी जी ने

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जब बिल दिया, पालियामेंट में पास हो गया तो हम भी एक पार्टी हो गये लेकिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम निर्दलीय एक भी नहीं बोले हैं।

श्री सभापति : अब आप बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, निर्दलीयों की तरफ से एक भी नहीं बोला है। दूसरी हर पार्टी की तरफ से दो-तीन बोल लिये हैं।

श्री सभापति : निर्दलीयों में और पार्टी में बड़ा फर्क है, माननीय सदस्य, नोट कर लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनें, 10 में से एक भी नहीं बोला है।

श्री सभापति : आपका कोई दल नहीं है। अलग से ही आपका नाम पुकारा जायेगा। श्री बिहारी लाल जी, कृपया बोलें।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : एक विशेष सूचना दे रहा हूं, आज वह जबर्दस्त घटना हुई है कि अकाले का माथा टूट गया है, इन्द्र की कृपा हुई है।

सभापति महोदय, वास्तव में अकाल जब होता है तो पहले पानी को खा जाता है। जो मेरे क्षेत्र में जाता हूँ तो हाय-हाय, हाय-हल्ला होता है। आज मैंने सूचना भेजी है। वह क्या भेजी है ? घणा गया थोड़ा रहया, थोड़ा भी मिट जायेगा। इन्द्र बरसण लाग्यो। सभापति महोदय, अब आनन्द ही आनन्द हो जायेगा।

श्री सभापति : आप तो कवि भी मालूम पड़ते हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : जब काम विगड़ जाता है तो उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। मैं कोई बुराई नहीं करता हूं। राजनीति अलग है, व्यवस्था अलग है। जनता पार्टी का राज आया। चलते-चलते अच्छी व्यवस्था में 1977 में विघ्न आ गया। 77 में जो विघ्न आया, सभापति महोदय, यह कहने का समय नहीं। मैं थोड़े समय में कहना चाहता हूं। जैसा अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम योजना बनाकर गये, ऐसी योजना बनाकर गये, मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं इनकी योजना बताता हूं, सभापति महोदय, कि वह कैसी बेकार थी। इन्होंने टी. एस. एस. स्कीम लागू की सबसे पहले। तब 1977 की शुरूआत थी और 1980 में हमारे आन पड़ी। सरपंच साहब तो मेरे ही पल्ले पड़ गये कि टी. एस. एस. स्कीम बनी तो न मोटर चली, न पंचायत में पैसा, न बिजली जली और न पानी दे सके। हालत बड़ी खराब। जनता पार्टी का अच्छा प्रोग्राम था, जहां भयंकर पानी की समस्या थी वहां टी. एस. एस. लागू की। इतनी बात बिगड़ी कि अब तक उसको सुधार नहीं सके। इसका कारण यही है, सभापति महोदय, "बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहिमन फटे दूध को मथे न माखन होय।" कैसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि सारा मामला बिगड़ गया....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बिहारी लाल पारीक : छः वर्ष हो गये, सभापति महोदय, इसको हम ठीक नहीं कर सके।

श्री सभापति : आप अपनी बात कीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं प्रार्थना करूंगा। मन्त्री महोदय पधार गयी हैं, इनकी मार्फत मैं मुख्य मन्त्री तक मेरी बात पहुंचा रहा हूं। टी. एस. एस. स्कीम मेरे क्षेत्र में 14 पंचायतों में है। 14 पंचायतों में इसलिए कि जनता पार्टी के राज में पानी का भयंकर अभाव था। वहां टी. एस. एस. लागू की लेकिन केवल 25 हजार का बजट था। 25 हजार में आजकल पाइप भी नहीं लगता। वहां कुए बहुत गहरे हैं। टी. एस. एस. स्कीम जहां पानी है, बिजली की स्थिति ठीक है, ऐसी केवल दो जगह चालू है। वह भी हम किस तरह से चलाते हैं, मैं ही जानता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले टी. एस. एस. की स्कीम की जगह पातालतोड़ कुएं बनाकर जहां पानी आ सकता है, इसका सर्वे करायें। 14 जगह में से 8—9 जगह ऐसी हैं, मैं नाम अलग-अलग बताऊं तो देर लग जायेगी। वहां पर 25 हजार-तीस हजार में एक कुआं बन जाता है और उसमें मोटर लग जाती है। रीजनल स्कीम, जो आपकी पुरानी स्कीमें चल रही हैं उस तरह से अगर वहां कर दिया जाता है तो निश्चित तरीके से जनता पार्टी ने स्थिति बिगाड़ी है उसमें सुधार हो जायेगा। जनता जय करेगी आपकी। इसलिये मैंने आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित किया है।

सभापति महोदय, यह भी बहुत बड़ी बात है कि पानी की दरें बढ़ा दी गयी हैं। जब पानी हम दे ही नहीं सकते, भयंकर अकाल की स्थिति है, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, आधे घंटे मोटर चलती नहीं, पानी मिलता नहीं तो फिर पानी की 40% दर क्यों बढ़ा दी है? मैं चाहूंगा कि हमारे बजट में कहीं किसी और मद पर, उद्योग पर यह टैक्स लगा दें, पर नलों पर कृपा करें। जो पहले दस रुपये लिया करते थे वह भी ज्यादा था जब हम पानी नहीं देते। फिर कोई अधिकारी भी नहीं है कि हम उनसे वसूल करें।

(4.24 म.प.)

(श्री मोहनलाल छंगाणी, सभापति पदासीन)

हम जन प्रतिनिधि हैं। हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं। हमारे क्षेत्र से विरोध पक्ष के माननीय सदस्य, एक हैं चाहे दो, इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और इस बात को कहते हैं। ये दरअसल कहते उपरले मन से हैं। अगर इनका विकास के काम में अन्दरूनी मन रहे, तो हम भी इनके साथ लगकर कुछ करें लेकिन ये परोकार नहीं करते हैं, ये केवल सस्ती राजनीति करते हैं। अच्छे सुझाव न देकर अनमने ढंग से काम करते हैं, और हमारे भोले किसान इनके साथ लग जाते हैं। ये न तो स्थिति को सम्भाल पाते हैं न ठीक ही कर

(172)

(बिहारीलाल पारीक)

पाते हैं। शोपत सिंहजी, मैं 1977 साल की बात कर रहा हूं टी. एस. एस. स्कीम की, आपको भी मेरे साथ इस पर जोर देना चाहिये। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिये मैं अपनी सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जो बात बिगड़ गयी, हलांकि देर लगेगी पर अब इसको सुधारा जाय। इस पर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये बात सही है कि इनके राज में राजस्थान सरकार ने कुछ खाया नहीं इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि सब कह रहे थे। जब कुछ हुआ ही नहीं तो खायेंगे कहां से? जब कुछ भी हुआ नहीं तो खाते कहां से? 1977 से 80 में आपने कुछ किया ही नहीं इसलिये खाते क्या? तब आपने खाने की योजना बनायी और टी. एस. एस. स्कीम जोड़ दी। मन्त्री महोदय, इस हैंड पम्प की शुरुआत नहीं करते तो, मैं समझता हूं, आपकी भी स्थिति वही रहती। जो राज चलाते हैं उनके लिए, मैंने जो समझा है, स्थितियां बड़ी विकट होती हैं। हम तो ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और वास्तव में आपने पानी की समस्या सुलझाने में कोई कसर नहीं रखी, इसमें कोई दो राय नहीं। अनेक जगह हैंड पम्प लगाये, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जब से एम. एल. ए. बनकर आया हूं हमने जहां भी हैंड पम्प के लिये कहा है वहां पर हैंड पम्प मिले हैं। पर इसमें कमी क्या रह जाती है कि जो अधिकारी हैं, जिनके हाथ में यह काम है वे इनमें ध्यान नहीं देते हैं और जब ध्यान नहीं देते हैं तो जिनकी 200 फीट की गहराई होनी चाहिये वह 80 फीट रह जाती है, 100 फीट रह जाती है 60 फीट रह जाती है। और इस अकाल की स्थिति में जल स्रोत बहुत नीचे चला गया। और इनकी राड किसी हैंड पम्प में पांच कम। पानी कम किसी में चार कम, किसी में तीन कम होने से सारी की सारी सड़ गयीं और राजस्थान सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की उस सब पर पानी फिर गया। मैं कहना चाहूंगा कि जितने हैंड पम्प लगे हैं वे सारे के सारे बेकार हैं। कमी क्या रह जाती है कि जब हैंड पम्प लगाये जाते हैं तो बहुत दिन तक तो उसमें हैंडल नहीं लगता। कभी पाइपों की कमी रह जाती है। ऐसे में अधीक्षण अभियन्ता, एक्स. ईएन. या ए. ईएन. जो भी हैं, इस पर ध्यान दें कि केवल मशीन आकर ही न रह जाय। बाकायदा जांच करें हमारे जैसे जन प्रतिनिधि लोग भी कि पूरा खुदता है या नहीं खुदता है। पैसा तो सरकार का लगता है और माननीय विरोध पक्ष के सदस्य विधान सभा में और अन्य जगहों में यह उठाते हैं कि इतना खा गये, इतना खा गये। ये खाने वाली बात....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इसमें केवल अधिकारी दोषी हैं या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है?

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं आगे बता रहा हूं आपको। आप अपनी कार्यवाही चालू रखिये, मैं भी उसी स्थिति पर आ रहा हूं।

मैं स्थिति को बताना चहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मेजा डैम बना हुआ है जिसका पानी भीलवाड़ा को जाता है। भीलवाड़ा

(श्री बिहारीलाल पारीक)

बड़ा शहर है। भीलवाड़ा में, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार ने बड़ा पैसा खर्च किया है। बड़ी पाइप लाइन दी, इसमें कोई दो राय नहीं। लाखों रुपये उसमें लगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मांडल क्षेत्र को उसका पानी मिलना चाहिये। उसके लिये 19 लाख रुपये की स्कीम सेंक्शन्ड है, जिसे सैंक्शन हुए, मैं समझता हूं, 5 वर्ष हो गये। जनता पार्टी का राज गया, हमारी सरकार आयी और सरकार ने स्वीकृति दी। लेकिन उसके बाद में आज तक कोई काम नहीं हुआ। पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज तो इन्द्र की कृपा हुई, मैं समझता हूं, शान्ति होगी वहां पर परंतु कल रात तक तो भयंकर स्थिति थी। लोग-बाग कह रहे थे कि विधान सभा में हमारी पैरवी आज जरूर करना इसीलिए उनकी मर्जी मैं आज यहां रख रहा हूं। वहां के लोगों ने आकर कहा कि हम कहां जायं। हमारे यहां की नगर पालिका ने, 24 गांवों को छोड़कर जो नगर पालिका बना रखी है, वहां पर एक टंकी बना रखी है लेकिन बहुत पुराने समय से टंकी बनी हुई है और जनसंख्या बढ़ रही है। आज की जनसंख्या को देखते हुए वह पानी की टंकी पर्याप्त नहीं है। वह 20 साल पुरानी टंकी है। नयी टंकी के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था और तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी माथुर साहब से भी, जब वे पधारे थे वहां पर निवेदन किया था। उन्होंने स्वीकृति दी थी कि मांडल का जो ऊंचा पोइंट है वहां पर टंकी बनायी जाय। वहां पर कुंए भी खुद गये लेकिन कुंए केवल खुदे रहे गये, उसके बाद एक भी पैसा बजट का नहीं मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि यह किस की कमी है? हमारी सरकार करोड़ों रुपये पेयजल पर खर्च कर रही है, हमारे राजीव गांधी कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पानी नहीं हो, हमारी राज्य सरकार का पानी लाने का बड़ा संकल्प है, 20 सूत्री प्रोग्राम का यह आठवां सूत्र है, सिंचाई का सूत्र पहला है, दोनों जुड़े हुए हैं। मनुष्य के लिये पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। पांच तत्वों में एक तत्व पानी है। अगर पानी नहीं रहता है तो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है, शरीर नहीं रह सकता। इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्रीजी जब जवाब दें, चाहे लिखित जवाब दें तो यह बतायें कि 19 लाख की माण्डल की पेयजल स्कीम कहां अटक गयी, क्या कारण है कि अब तक वहां पर पानी नहीं आ रहा? जब लोगों ने प्रदर्शन किया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, क्या हो गया?

श्री सभापति : दूसरे बोलने वाले काफी हैं इसलिये आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी बात को संक्षिप्त रूप से निवेदन करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : ज्यादा तो नहीं हुआ, सभापति महोदय, मैंने तो अभी कोई बात भी शुरू नहीं की है। मैंने ध्याना-कर्षण प्रस्ताव दिया है, मैंने मेहनत की है। एक भी माननीय सदस्य ने अब तक मेरे

(श्री बिहारीलाल पारीक)

क्षेत्र की बात नहीं की इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मुझे समय दें।

श्री शोपत सिंह : ये चेयर का अनादर कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहिये।

श्री बिहारीलाल पारीक : शोपत सिंहजी, अंकलजी, आप कृपा करें ताकि मैं कह सकूं।

मेजा डैम का पानी भीलवाड़ा की जनता को मिले, यह तो सौभाग्य है माण्डल का पर मांडल को भी मिले उसके लिये इसमें प्रावधान रखें यही मेरा निवेदन है।

मैं भूला नहीं हूं। आपने व्यवधान कर दिया इसलिये मैं कह नहीं सका। मैं कहना चाहता हूं कि टी. एस. एस. स्कीम के अलावा जितनी रीजनल स्कीमें हैं वह बहुत पुरानी बनी हुई हैं। मेरे क्षेत्र में किसंबा, घुमाला, ज्ञानगढ़, थाना ये सब स्कीमें ऐसी हैं। इनमें क्या है कि आधे घंटे-पौन घण्टे ही पानी आता है, क्योंकि बिजली का अभाव है।

खैर, अब तो भगवान की कृपा हो रही है। मुझे मालूम है, बरसात शुरू हो गयी। अब तक तो हमने कहा, भई अकाल है, पानी नहीं है। मैंने अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षण किया। मैं बताना चाहूंगा, थाना में जो स्कीम सैंक्शन हुई, उसको चार बरस हो गये। चार बरस में वहां पर कितना पैसा लगा, यह अधिकारी आपको बतायेंगे। मैंने कटमोशन भी दिया है, उसमें आया होगा। चार साल में एक पैसा नहीं लगा। सरकार ने एक कुआं खोद दिया। उसके बाद में पानी के लिए दबाव पड़ रहा है इसके कारण पानी पैदा नहीं हो रहा। करेड़ा, जो हमारा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, माण्डल और करेड़ा में भयंकर अकाल की स्थिति है। छः साल से वहां अकाल है। वहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे है। सर्वे करके कुए खोद दिये गये कि पानी है। उसके अनुसार पानी हमें दे सकते हैं। फिर क्या कारण है कि वहाँ पर लाइन जोड़ी नहीं जा रही है, पानी नहीं दिया जा रहा है? कीड़ीमाल पर मैंने कटमोशन भी दिया है। कीड़ीमाल में मैंने जिला परिषद में एक प्रश्न उठाया था। प्रासिडिंग में है वह। मैं रिजाइन दे दूंगा, यह बात अगर गलत कहता हूं तो। मैंने कहा, उस कुएं में पानी खूब है, आप लोगों को कनेक्शन दीजिए। उस पर व्यवस्था दी गयी। शायद कमेटी बनी लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। मैं चाहूंगा कि रिपोर्ट मंगायें जिससे अधिकारियों को मालूम हो कि मैं गलत था या वहां के अधिकारी गलत थे। इस प्रकार की गलत सूचना अधिकारियों ने दी। पानी है। जनता में त्राहि-त्राहि मच रही है। कुआं हमारी सरकार ने खुदवा दिया, वहाँ पर बिजली का कनैक्शन दे दिया पर वहाँ किसी आदमी को नल के कनैक्शन नहीं दिये गये। मैंने यह बात उठायी थी। मैं चाहूंगा कि इसकी जानकारी मुझे मिले। मैं विधान सभा में भी इस बात को रख रहा हूं। मैंने जिला

(श्री बिहारीलाल पारीक)

परिषद् में भी इस बात को रखा था। माण्डल क्षेत्र में—

श्री सभापति : अब आप माननीय सदस्य, कृपया, संक्षेप में। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप आज्ञा दें तो भले ही बैठ जाऊं। मैं तो वाद-विवाद करता भी नहीं। मैं तो तत्काल मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ।

मैं आपकी मार्फत कह रहा हूं कि जितने भी हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें 80 परसेन्ट खराब हैं। पंचायत समिति के मार्फत आप हैण्ड पम्प सुधरवाते हो। पंचायत समिति कहती है कि हमारे पास बजट ही नहीं है। जिन आदमियों को वहां पर रख रखा है उनके पास टूल्स नहीं, साधन नहीं, कुछ कर सकते नहीं। गांव वाले हमारे पास आते हैं, हम भेजते हैं पंचायत समिति में। पंचायत समिति वाले उस आदमी को ढूंढते फिरते हैं। उस आदमी का पता नहीं, तीन महीने से आ नहीं रहा, दो महीने से आ नहीं रहा। हालत बड़ी खराब है। इससे हमारी सरकार की बदनामी होती है। मैं चाहूँगा कि अधिकारियों को आप निर्देश दें। पंचायत समिति को बजट ज्यादा दें या हैण्ड पम्प सुधारने की व्यवस्था पी. एच. ई. डी. को दें ताकि जितने हैण्ड पम्प खराब हैं, वे जल्दी ठीक हों। छोटी-छोटी खराबी है, किसी में केवल रॉड लगानी है, किसी में कोई व्यवस्था करनी है। टूलों के बगैर, क्योंकि टूल्स नहीं हैं, ट्रेण्ड आदमी नहीं हैं इसलिए लगे हुए हैण्ड पम्प भी खराब रहते हैं और पानी नहीं मिलता। इसलिए मैं व्यवस्था चाहूँगा।

राजस्थान भर में और मेरे क्षेत्र में पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पीने के पानी की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी रीजनल स्कीम्स निकलती हैं वहां पर उन से कुइयां बना दी जायें। हमने एक आध-जगह तो बड़ी मुश्किल से लगवाई थी। अधिकारी कहते हैं, साहब, चीफ इंजीनियर से परमिशन आयेगी। फिर कहेंगे, अधीक्षण अभियन्ता के हाथ में है। अधीक्षण अभियन्ता कहते हैं, सैक्रेटरी महोदय परमिशन देंगे जब होगा। मेरे समझ में नहीं आयी और यह करते-करते साल भर निकल गया। मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी लाइनों से पानी जाती है लेकिन पशुओं को पानी की बूंद नहीं है। पशुओं में और आदमी में अकाल के वक्त में क्या फर्क है ? मनुष्य तो फिर भी पानी ला सकता है, पशु पानी लाकर पी नहीं सकता, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके लिए जगह-जगह कुइयां बना दें।

हरिजन बस्तियों में हैण्ड पम्प की बाबत मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमने कई बार जिला परिषद् में भी कहा। हमने यहां पर भी प्रस्ताव भिजवाये। खेड़ा, गणेशपुरा-सितारों का, बड़ायू का खेड़ा, यहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगे। हमारी सरकार की मंशा है लेकिन बीच में पता नहीं यह कहां पर अटक जाती है। इसके लिए भी मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

(व्यवधान)

आप क्यों चुका रहे हो ? मैं तो आपकी बात में विघ्न करता नहीं हूं। निवेदन करने के लिए कभी तो मौका मिलता है और आप बीच में अड़ंगा लगा देते हो। खुद अच्छे सुझाव देते नहीं हो। मैं तो आपकी कोई बुराई करता नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि राज किसी का भी हो, राज किसी का भी रहे, अच्छी व्यवस्था के लिए सभी की ड्यूटी है कि अच्छा काम करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चर्चा संक्षिप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। आप सुबह तो यह फर्मा रहे थे कि आप खूब बोलना और आप अभी कुछ का कुछ बोलने लग गये।

मैं एक निवेदन यह कर रहा था, जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी फर्मा रहे थे कि वास्तव में कांग्रेस सरकार आने के बाद स्थिति में उथल-पुथल हो गया। उथल-पुथल नहीं होगा तो आनन्द भी नहीं आता। भगवान बरसात नहीं करे तो पानी कहां से आये ? बजट मिलता है, इसका हम सदुपयोग करना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप इस पर बोलने नहीं दोगे इसलिए जल्दी समाप्त कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति : आप अपनी समस्याओं के बारे में एक मिनट में बोल लें, एक मिनट में।

श्री बिहारी लाल पारीक : एक मिनट में कर रहा हूं मैं। मैं यह कह रहा था कि राम नगर, नाहरी का नाका पूर्व आवासीय योजना में जल वितरण निर्धारित समय तक नहीं किये जाने से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान दें। राम नगर, नाहरी का नाका पूर्व आवासीय योजना में जल वितरण दबाव से नहीं होता है, वहां पर पानी कम रह जाता है उसके लिए भी ध्यान दें। राम नगर, नाहरी का नाका पूर्व आवासीय योजना में गटर लाइन के अभाव पर चर्चा के लिए भी मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। झुन्झुनू जिले में ग्राम लाडसर में विश्व बैंक की सहायता से पानी की टंकी का जो निर्माण हो रहा है उसमें विलम्ब किया जा रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। रामनगर, नाहरी का नाका पूर्व आवासीय योजना में पेयजल हेतु अतिरिक्त ओवर हैड टैंक बनाने के लिए भी निवेदन कर रहा हूं।

एक निवेदन राजस्थान राज्य की बात पर मैं करना चाहता था पर आप कहने नहीं देना चाहते। मैं कहता हूं, कि आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गयी, बहुत अच्छा रहा।

"जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना।

जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना॥"

इसलिए हम सब मिलकर हमारे मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इनको और फोर्स करें जिससे पानी की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में अच्छी हो सके।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

यही बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । माननीय कल्याण सिंह जी कालवी । आप शान्त रहिये । सबकी बारी आ जायेगी ।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : माननीय सभा पति जी, एक मिनट के लिए । सुबह अध्यक्ष महोदय ने यह फर्माया था कि जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको भी पेयजल पर बोलने के लिए समय दिया जायेगा । क्या मैं जानना चाहता हूं कि उनको ।

श्री सभापति : निश्चित रूप से सब माननीय सदस्यों को समय मिलेगा । बारी-बारी से आ रहे हैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलने वाले जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन सबको समय मिलेगा ।

माननीय सदस्य कालवी साहब ।

श्री कल्याण सिंह कालवी (डेगाना) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आज पेयजल के ऊपर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जहां तक प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सवाल है प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि हमारे यहां पर भौगोलिक परिस्थिति विभिन्न तरह की है । कहीं हमारे यहां पर पानी 5-7 फीट गहरा ही मिल जाता है तो कहीं पर हमारे यहां 500-700 फीट गहरे कुएं खोदे जाते हैं

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

तो भी पानी उपलब्ध नहीं होता । इन परिस्थितियों के बावजूद आज यदि प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वह इस बात की आवश्यकता है कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो । आज सुविधा और आवश्यकता की दृष्टि से पीने का पानी सबसे पहली जरूरत है और प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से बिजली सबसे पहली जरूरत है । इन दोनों प्राथमिक आवश्यकताओं को जनहित में और प्रदेश के हित में पूरा करने के लिए सरकार को कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा तभी जाकर इन सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है । आज चर्चा में एक समस्या यह भी सामने आयी कि हम यदि ज्यादा हैण्ड पम्प खोदेंगे तो पानी री-चार्ज नहीं होगा और पानी री-चार्ज नहीं होगा तो हमको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा ।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहिये । माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें ।

कालवी साहब ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : यह केवल एक बौद्धिक भ्रम मात्र है कि पानी री-चार्ज होगा नहीं और नीचे से भू-जल मिलेगा नहीं । इस भ्रम जाल से ऊपर उठकर के हमको भू-जल उपलब्ध करवाकर लोगों को पीने का पानी देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी । इसके सिवाय हमारे पास राजस्थान में कोई बहुत बड़ा दूसरा स्रोत नहीं है । जहां तक व्यवस्था का सवाल है,

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

दोहरी व्यवस्था आजकल की गयी हैं कि वितरण की व्यवस्था किसी एक फर्म के पास में है तो ड्रिलिंग की व्यवस्था किसी दूसरे सेल के पास में है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग सेलों के पास में है। इन सारी व्यवस्थाओं का....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहिये। माननीय सदस्य।

श्री कल्याण सिंह कालवी : सभापति महोदय, हम कम से कम यह तो उम्मीद करें कि सदन में आपस में लोग बातचीत नहीं करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप से नम्र निवेदन है, कृपया शांत रहिये। माननीय कालवी साहब।

श्री कल्याण सिंह कालवी : आपस में बात कर लें, फिर बोल लूं, साहब।

श्री सभापति : नहीं आप बोलिये।

श्री कल्याण सिंह कालवी : यदि इस जन समस्या को सुलटाना है, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना है तो इन सारी दोहरी व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाकर आपको यूनिटी ऑफ कमाण्ड रखना ही पड़ेगा। इसके सिवाय कोई दूसरा इलाज हो नहीं सकेगा।

जहां तक हैण्ड पम्प का सवाल है, जैसा कि आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने गद्य और पद्य में अपने ओजस्वी भाषण में कहा था कि हमारे यहां हैण्ड पम्प की जो योजना है वह पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। मैं भी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प की योजना कहीं सफल नहीं है।

हमारे नागौर जिले में पानी बहुत ज्यादा गहरा है लेकिन पानी उपलब्ध खूब है और उसमें सैलेनिटी ज्यादा है। सैलेनिटी ज्यादा होने के कारण जहां हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं वहां पर लवण के कारण से लोहे में जंग आकर के पाइप अपने आप जाम हो जाते हैं इसलिये वहां पर इनके सफल होने की कोई स्थिति नहीं है। इससे केवल एक ही क्षेत्र बचता है और वह है लूणी का उद्गम स्थान जहां पर कि पानी सेवा है। वहाँ पर हैण्ड पम्प लग सकते हैं बाकी और जगह हैण्ड पम्प लगाने की बात सोचना ही गलत है।

जहां तक टी. एस. एस. योजना का सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं दोहराना चाहता हूं कि यह योजना राजस्थान के हित में बहुत लाभप्रद हो सकती है, परन्तु पिछले दिनों में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने इस योजना को असफल करने के लिये अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जहाँ पंचायतों को साधन देने की घोषणायें की गई थीं वहां पंचायतों को साधन उपलब्ध नहीं कराये जा सके। आर्थिक स्थिति पंचायतों की सुदृढ़ नहीं की। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के अभाव में पंचायतें इन योजनाओं को सुचारु रूप से चला नहीं सकी इसलिए ये योजनायें अपने आप में असफल हो चुकी हैं, सरकार ने इनको असफल मान लिया है। अब तो इन सारी योजनाओं के रख-रखाव का जिम्मा,

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

इन योजनाओं के विभाग को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ताकि पीने के पानी की व्यवस्था का जिम्मा हमारे यहां पर एक ही विभाग के जिम्मे रहे ताकि हम किसी को जाकर कह तो सकें। हैण्ड पम्प खोद दिये आपने उनकी मेंटीनेन्स का जिम्मा दे दिया पंचायत समिति को टी. एस. एस. की योजना लगा दी आपने उसके रख-रखाव और उनके पानी का खर्चे की व्यवस्था का जिम्मा दे दिया पंचायत को। हम चाहते हैं कि पीने के पानी की कोई भी योजना जो आप लागू करें वह केवल एक ही डिपार्टमेन्ट पी. एच. ई. डी. के पास होनी चाहिये, दूसरे किसी के पास नहीं होनी चाहिये।

जहां तक रीजनल स्कीम्स का सवाल है, आज राजस्थान में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करके पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर भविष्य के अन्दर, कोई सबसे शक्तिशाली विभाग होगा तो पी. एच. ई. डी. होगा। इस विभाग के पास में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिये और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। यदि आज जनता का किसी विभाग से सीधा ताल्लुक है, जिस पर कि जनता का जीवन निर्भर करता है तो वह यही विभाग है। इस विभाग के कर्मचारियों को, इस विभाग के अधिकारियों को और इस विभाग के मन्त्री को जनता के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है, उसी के अनुसार उस चीज को क्रियान्वित करना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा, उनकी कठिनाइयों का हल करना पड़ेगा। कई बार गांवों में छोटी-छोटी समस्यायें हो जाती हैं, साहब, आपने हमारे यहां पर ट्यूब वैल खोदा है, वह ठीक नहीं है। हमारे यहां की भौगोलिक परिस्थिति कई प्रकार की है। जिस तरह की जमीन के हमारे यहां स्ट्रैटाज हैं और पानी की पोटेंशियलिटी है उसके अनुसार विभिन्न तरह का पानी, विभिन्न मात्रा में विभिन्न जगह पर मिलता है। कहीं ट्यूबवैल खोदा गया, पानी खारा है। गांव वाले कहते हैं कि ओपन वैल के अन्दर आप मशीन लगा दीजिये मोटर लगा दीजिये जनरेटर लगा दीजिये और उसके माध्यम से पानी देना शुरू कर दीजिये। तब विभाग को संवेदनशील होना चाहिये, गांव वालों के कथानानुसार। उनकेपास अनुभूतियां हैं, इनके पास टैक्निकल ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान, दोनों का सामन्जस्य बैठाना पड़ेगा तभी जाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हम टेक्निकल ज्ञान पर अड़े रहें और उस अनुभूत ज्ञान का कोई लाभ नहीं लिया तो हम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। इसलिये ऐसी जहां कहीं भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का समाधान करने के लिये इनको तैयार रहना चाहिये।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आज जहां शहरों को पानी देने की व्यवस्था पर 30 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं वहां पर गांवों में

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

पानी देने की योजना पर करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इस विभाग के प्रगति प्रतिवेदन, जो हमें वितरित हुआ है आमुख के अन्दर ही यह लिखा हुआ है, "सभी नगरों में जल वितरण योजना लागू करने का लक्ष्य"। उनका लक्ष्य नगरों का है, गांवों का है ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूँ उसमें एक भी म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र नहीं है। तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि चूंकि मेरे क्षेत्र में गांव ही गांव हैं इसलिए वहाँ पर इस विभाग के द्वारा जल वितरण की कोई भी योजना हाथ में नहीं ली जायेगी? गांवों के साथ में इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता। आज नागौर जिले के अन्दर कुल 1223 गांव हैं जिनमें से समस्या ग्रस्त गांव 1205 हैं। केवल 18 गांव ही ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त नहीं हैं। उनमें कहीं तो पानी के अन्दर नाइट्रेट्स ज्यादा है, कहीं सैलिनिटी ज्यादा है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं क्लोराइड है और कहीं इस तरह का कीटाणुयुक्त पानी भी है जिसके पीने से कहीं नारवा हो जाता है, हड्डियां गलने लग जाती हैं, दांत पीले होने लग जाते हैं। यह हमारे यहाँ की समस्या है। हमारे यहाँ पर एक क्षेत्र तो केवल बांकापट्टी के नाम से ही जाना जाता है जिसका हर आदमी कुबड़ा होता है; हर आदमी की हड्डी मुड़ जाती है, हड्डी गलने लग जाती है, दांत पीले होने लग जाते हैं। उस क्षेत्र के अन्दर इस विभाग की पानी देने की व्यवस्था ऐसी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा, कहने में कतई कंजूसी नहीं करूंगा, गत वर्ष अकाल के कारण पेयजल की समस्या खड़ी हो गई थी और हम शंका कर रहे थे कि पानी देने में यह विभाग पूर्ण रूप से असफल रहेगा। लेकिन मैं इस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और माननीय मन्त्री महोदय की प्रशंसा करूंगा और यह कहना चाहूँगा कि समस्याओं के समाधान के लिये इन्होंने प्रयत्न किये हैं। इन्होंने जो प्रयत्न किये हैं उसके परिणाम भी मिले हैं। परिणाम के लिए जिन विपरीत परिस्थिति में उन्होंने काम किया है उसकी सराहना करने में मैं कंजूसी नहीं बरतूंगा। परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इस विभाग का और भी ज्यादा विस्तार करना होगा। इस बात की आज सबसे ज्यादा जरूरत है।

पशुओं के पेयजल की बात है। आज आपको पशु गणना का भी आधार मानना पड़ेगा, केवल व्यक्तियों को पीने का पानी देने से काम नहीं चलेगा। आज तक आप 40 लीटर दे रहे थे अब 70 लीटर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। 70 लीटर पानी देने की व्यवस्था पूरे महीने यदि कर दी गई तो हमारे यहाँ हड्डी गलने दाँत पीले होने, कुबड़े होने और अशुद्ध पानी पीने से मृत्यु को प्राप्त होने से, इन सारी चीजों से बचाव हो जायेगा। ढाणियों को पानी देने की बात जो विभाग ने स्वीकार कर ली है उसका हम स्वागत करते हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी)

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल स्रोत के अन्दर केवल ओपन वेल को ही नहीं लिया जा सकता, केवल खुले कुओं को ही नहीं लिया जा सकता। हमारे यहां ट्रेडिशनल स्रोत कई तरह के हैं, माननीय सभापति महोदय। जोधपुर के अन्दर का इलाका, फतहसागर, उम्मेद सागर, ये सारे के सारे पेयजल के लिये ट्रेडिशनल स्रोत हैं। परन्तु दुर्भाग्य के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि एकाकी दृष्टिकोण से उस सारे केचमेन्ट एरिया के अन्दर माइनिंग का काम शुरू कर दिया गया, खनन का काम शुरू कर दिया गया जिसके कारण से हमारे पानी के ट्रेडिशनल स्रोत सारे के सारे खाली रहने लग गये। यही कारण है कि आज जोधपुर के अन्दर पानी का संकट उत्पन्न होने लग गया और आज जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये करोड़ों रुपयों का प्रोविजन हमें बजट में करना पड़ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में, जहां से कि मैं निर्वाचित होकर आया हूँ, पीने के पानी का प्रमुख स्रोत तालाव है। आज हर गांव की जनसंख्या बढ़ गई है। पहले तालाव बने थे, उनसे गांव की पेयजल की व्यवस्था थी जो आज बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये कम पड़ने लग गई। आज उन तालावों का रीनोवेशन कराने की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम पीने के पानी के तालाबों का रीनोवेशन नहीं करेंगे, उनकी क्षमता नहीं बढ़ायेंगे, वहां के केचमेंट एरिया को सुधारेंगे नहीं तब तक उन तालाबों में पर्याप्त पानी नहीं आयेगा और पर्याप्त पानी नहीं आयेगा तब तक गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा, यह निश्चित बात है।

आज जहां पर अकाल घोषित हो गया वहां पर तालावों की खुदाई के लिये पैसे दे दिये गये परन्तु जहां पर अकाल घोषित नहीं हुआ वहां पर भी बारिश के देरी से होने के कारण से तालाबों में पानी समाप्त हो चुका है। उन तालावों का रीनोवेशन का काम युद्ध स्तर पर हाथ में लेकर के सरकार को काम करना चाहिये। हमारे जिले में कई तालाव ऐसे हैं जो पिछले 30-30 साल से खाली नहीं हुये थे, परन्तु इस साल खाली हो गये हैं, भगवान की कुमेहरबानी से, प्रकृति की कुमेहरबानी से, हमारे यहां के तालाबों का पानी इस साल समाप्त हुआ है। यदि उनका रीनोवेशन इसी साल करवा दिया जाय, युद्ध स्तर पर करा दिया जाय तो गांवों में पीने के पानी का स्रोत बहुत बड़ी तादाद में मिल सकता है।

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इन तालावों के रीनोवेशन का काम भी इसी विभाग को दे देना चाहिये ताकि हर परिस्थिति में पानी उपलब्ध कराने का जिम्मा केवल एक विभाग पर, एक मन्त्री के ऊपर रहे और हम कह सकें कि इस अव्यवस्था के लिये जिम्मेवार है तो यह विभाग है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला (सरकारी मुख्य संचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

करता हूँ कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : समय बढ़ाया गया एक घण्टे के लिए।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि हम जहां इस विभाग को शक्तिशाली बनाने की बात कर रहे हैं वहां इस विभाग के बजट के अन्दर बीस करोड़ की कटौती कर दी गयी। यह हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली विभाग बनाना पड़ेगा। इस विभाग के पास कुएं खोदने के लिए पर्याप्त मात्रा में रिग्स होनी चाहिये लेकिन केवल 13 रिग्स हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यहं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 में से भी तीन तो हरदम खराब रहती हैं और पांच ट्रांजिट में रहती हैं, यहां से वहां, रास्ते में रहती हैं। केवल पांच हैं जो वर्किंग कण्डीशन के अन्दर हैं और वर्क करती रहती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए इस विभाग के पास रिग्स ज्यादा होनी चाहिये ताकि यह विभाग को जितनी जरूरत है उसके आधार पर पूर्ति करने के लिए कुएं खोद सके।

आज आप बीकानेर की ही बात ले लीजिये, जिस नहर से बीकानेर शहर को पानी देना था उस नहर से पानी आता है 85 क्यूसेक्स जबकि आज बीकानेर में पानी मिल रहा है केवल 10 क्यूसेक्स। वहाँ पर चार करोड़ का खर्चा करके रिजर्वायर बना था, फिल्टर हाउस बना था। दस क्यूसेक्स पानी वहाँ महीने में 7 या 8 दिन से ज्यादा नहीं मिलता है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद जो नतीजा सामने आ रहा है वह आपके सामने है। इसलिए सन्देह है जोधपुर में पानी लाने के लिए नहर की योजना पर भी इस नहर पर सवा करोड़-ड़ेढ़ करोड़ रुपया अनुमानित व्यय रिवाइज होता जायेगा, बढ़ता ही जायगा और कोई ताज्जुब नहीं कि जोधपुर नहर आये और जोधपुर में पाँच-सात दिन तो पानी दे, फिर नहीं दे। इन सारी बातों को देखते हुए आज इस बात की सबसे बड़ी जरूरत है। पाइप लाइन से पानी लाना था और अनुमानित खर्चा था 38 करोड़ रुपया। उसकी जगह हम ज्यादा खर्चा करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को आपको देखना होगा। आज इन सारी बातों का पुनरावलोकन या पुनः मूल्यांकन करने की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि हम री-असेस कर सकें री-एस्टिमेट कर सकें।

आज भूजल विभाग की तरफ से हमारे प्रदेश में ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं। भूजल विभाग केन्द्र का भी है, प्रदेश का भी है। इस तरह के ट्यूबवैल्स हमारे प्रदेश के अन्दर, मैं सही आंकड़े तो नहीं बता सकता परन्तु करीब साढ़े चार हजार-पाँच हजार हैं। उन पांच हजार ट्यूबवैल्स को भूजल विभाग पी. एच. ई. डी. को हैण्डओवर कर दे। इसके अन्दर इनके बीच में केवल कागजी कार्यवाही चल रही है, रिजल्ट

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

कुछ भी नहीं मिल रहा है। यदि आज पांच हजार, चार हजार या तीन हजार ट्यूबवैल्स पी. एच. ई. डी. को मिल जाय तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, इस विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उस उपलब्धि के आधार पर हमारे यहां की जनता को पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है।

आज आर. सी. पी. से पेयजल योजना बनाई गई है। माननीय सभापति महोदय, वह योजना उठाई गई है माइनर से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइनर के अन्दर महीने में पांच-सात दिन से ज्यादा पानी नहीं मिलता। इसलिए पानी उठाने के लिए यां तो डिस्ट्रीब्यूटरी चुने या ब्रांच को चुनें जिससे कि पानी का स्रोत उनको ज्यादा दिन तक के लिए मिल सके और उस योजना का पाजिटिव रिजल्ट आ सके।

आज पी. एच. ई. डी. की डिमांण्ड है। नोट जारी हो जाते हैं और उसके आधार पर पैसे जमा करा दिये जाते हैं। इस तरह के उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि साल भर पी. एच.ई. डी. बिजली विभाग से मांग करता है कि पावर का कनेक्शन दिया जाय, लेकिन आपस में केवल कागजी का कोरेस्पाण्डेंस होता रहता है। मैं यह चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एच. ई. डी. और बिजली विभाग के बीच में एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर कर दी जाय चाहे वह दो आदमियों की कमेटी हो। उसके माध्यम से पी. एच. ई. डी. की तरफ से जहां बिजली की मांग की जाय, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो सके।

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री कल्याण सिंह कालवी : दो मिनट लूंगा।

श्री शोपतसिंह : मैं भी दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति : आप तो नेता महोदय हैं, थोड़ा शान्त रहें। दूसरे बोल लें उसके बाद आपकी बारी आयेगी। कालवी साहब।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, योजना कोई भी बनती है उस योजना की यदि सदन में केवल घोषणा कर दी जाय और उस योजना की क्रियान्विति नहीं हो तो हम भूखे आदमी का पेट नहीं भर सकते। योजना कोई भी हो उसको पाजेटिव तब आंका जाता है जबकि वह पूरी-पूरी चलने लगती है। जैसे खारा बेरा की चर्चा आई इस हाउस में कि उसको मांडी और एक दूसरे गांव खेजडली, दोनों गांवों से जोड़ा हुआ था। परन्तु उन टंकियों में वहां से पानी नहीं पहुंचा। इसी तरह का निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ईडवा में टंकी बने आज दो साल हो गये लेकिन उस टंकी में पानी की

(184)

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

एक बूंद भी, दो साल हो गये, नहीं मिली। आज तिलोलिस की यही हालत है, आज नवेली की यही हालत है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि कोई भी योजना बनाई जाय लेकिन जब तक उसके पूरे परिणाम नहीं आते हैं, पाजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब तक तो वह केवल राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करके फिजूल खर्ची ही मानी जायेगी, उस योजना को जनहित में नहीं कहा जा सकता। इस तरह के हमारे यहां पर कई काम हैं। उन सारे कामों को पूरा करना इस विभाग का प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है, प्रायोरिटी पर आना पड़ेगा तभी जाकर के इसके अनुकूल परिणाम आ सकते हैं, मैं तो यही निवेदन करूंगा। समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री रेवतराम चौधरी।

श्री मुश्किलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह तो अन्याय कर रहे हैं आप।

श्री सभापति : आप कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये।

श्री सभापति : आपका दल दे, मुझे स्वीकार है।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बारे में मैं मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि पेयजल में चार प्रकार की योजना आती हैं, हैण्ड पम्प रीजनल स्कीम, टी. एस. एस. स्कीम और टी. एण्ड. पी. स्कीम। इसमें सबसे खराब व्यवस्था टी. एस. एस. स्कीम की है जिसको जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया था। वही माननीय कल्याण सिंह जी ने बताया कि यह सबसे ज्यादा गांवों में फेल है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस योजना को तुरन्त बन्द कर दें क्योंकि इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। गांवों के अन्दर गरीब रहते हैं ज्यादातर हरिजनों की बस्तियाँ होती हैं। आप जानते हैं, पंचायतों के पास पैसा नहीं। इन सब हालात को देखते हुए इसको तो बिल्कुल खत्म ही कर दें। एक भी सदस्य आज इस सदन में ऐसा नहीं है जो यह कहे कि इस स्कीम को चालू रखो। इसलिए मेरा एक सुझाव तो यह है, माननीय मन्त्री महोदय, आप नोट करिये।

अब नवम्बर दो आपकी रीजनल स्कीम है। मैं चूरू जिले का रहने वाला हूं। चूरू सबसे खतरनाक जिला है पानी के मामले में, बहुत गहरा पानी है, सात सौ फीट-आठ

(श्री रेवतराम चौधरी) पानी तो आप देंगे ही। पशुओं को पानी देना बहुत जरूरी है। सौ फीट, 500—साढ़े तीन सौ फीट से कम तो कहीं नहीं है। पहले जो रीजनल स्कीम बनी वह गांवों को एक साथ जोड़ करके इस तरीके से बनाई गई थी कि ज्यादा से ज्यादा गांवों के लोगों को पानी हम दे सकें। कुछ लाइनों पर काम किया भी लेकिन 1965 से 1970 तक तो यह काम ठीक चला। उसके बाद में धीरे-धीरे कम होता हुआ 1977 में जाकर के तो बिलकुल ही खत्म हो गया। इसलिए जो बड़ी लाइन से पानी दिया जाता है उस लाइन को छोटा किया जाय।

श्री सभापति: आप कृपया अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलें।

श्री शोपतसिंह: कटौती प्रस्तावों पर बोलना जरूरी नहीं है।

श्री रेवतराम चौधरी: उसको आप थोड़ा सा छोटे रूप में कर लेंगे तो लोगों को पानी मिलेगा।

(5:00 म.प.)

सभापति महोदय, पानी एक ऐसी चीज है कि हर आदमी चाहता है कि उसको पानी मिले। दूसरी मेरी बात यह है कि जो चूरू, बाड़मेर, बीकानेर का इलाका है वहां पर पशु अधिक हैं। लेकिन पशुओं को पीने के लिये पानी बिलकुल ही नहीं देते हैं। बताइये कि हम पानी पीवें और हमारे पशु पानी नहीं पीवें तो क्या हमारी हालत होगी? तो इस पाइन्ट को आप जोरदार ढंग से नोट करिये, मन्त्रीजी, कि पशुओं को

अब मैं सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां पर 1970 और 1975 के बीच में कुछ स्कीम बनी थी लेकिन आज तक भी उन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। उन गांवों के नामों को माननीय मन्त्री महोदया, आप नोट कर लें। कृपया यह सभी डूंगरगढ़ तहसील के गांव हैं, इन गांवों में पानी बिलकुल ही नहीं पहुंचता है: बीझासर, धोलिया, लाहड़ीया, जालबसर, लाखनसर, रीड़ी, नपालसर, बीस गसाईसर के चार गांव और कल्पालसर, सोनीयासर के दस गांव, सूडसर, टेड अमरसर, कातर छोटी, संडू, बाढ़सर। यह तो ऐसे गांव हैं, मन्त्री महोदया, जो मैंने आपको नोट करवाये हैं। यह गांव हालांकि स्कीम के अन्दर हैं पर उनमें आज तक पानी नहीं मिला। इन सब हालात में हम कितने दिन तक लोगों को टरकायेंगे? इससे हमारी सरकार की बदनामी होती है, साथ में हमारी पार्टी की भी बदनामी होती है। हम उनको इतना कह सकते हैं कि भाई इस साल पानी नहीं दिला सके अगले साल दिला देंगे। पर जब एक बार वचन दे दिया तो उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिये। यह गलती, सभापति महोदय, सरकार की तरफ से नहीं है, यह गलती है हमारे अधिकारियों की तरफ से जिनकी लापरवाही की वजह से इतने दिनों तक गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके लिये मैंने सुझाव भी दिये। मैंने उनको पूछा कि पानी क्यों नहीं

(श्री रेवतराम चौधरी)

पहुंच रहा है ? कुओं में पानी मिल सकता है पर वह कुएं गहरे नहीं हैं । वहां के पी. डब्लू. डी. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन गांवों में बहुत पानी है और मीठा पानी है पर उन कुओं को गहरा नहीं किया जाता है, उनमें बोरिंग नहीं किया जाता है ट्यूबवैल नही लगवाये जाते हैं । मैंने उन्हें कितनी ही बार निवेदन किया, सभापति महोदय मन् 1980 से मैं एम. एल. ए. हूं । जब से मैं एम. एल. ए. बना हूं तब से इस बात को बराबर कहता आ रहा हूं पर कोई सुनता ही नहीं है ।

श्री शोपतसिंह : आप इधर आ जाओ ।

(व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी : इसलिये, कमलाजी, मेहरबानी करके इसकी ओर ध्यान दें । थोड़ा बजट भी दीजिये क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि चूरू जिले के लिये स्पेशल बजट दीजिये । आप बजट नहीं देंगे तो आपका काम कैसे होगा ?

एक माननीय सदस्य : आप तो इधर आ जाओ, आपका काम हो जायेगा ।

श्री रेवतराम चौधरी :वहां क्या धरा है ? आप अपनी पोजीशन समझते हो ।

(व्यवधान)

इसलिये इन गांवों के नाम, जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं, मैं जल्दी पढ़ दूंगा, आप कृपया नोट कर लें । यह तहसील डूंगरगढ़ के गांवों के नाम हैं : तोलखासर, तनन्दसर, मणकरासर,त्रीभासर, लोडेरा, ब्रह्मसर, जालवसर, लाखनसर, बितासर, भाटीयान, ठूकरीयासर, कितासर, विदावतान, गुसाईसर, तावालान, थरमान, इनपालसर, सोखलाव, किल्याणसर पुराणा, बाडेला, किल्याणसर नया, रोडी का नया-कुआं लालजीवारा, जारवासर, पुराना, सांयाम शिवदानसिंह, गिर्वरसर, तहसील सुजानगढ़, इयांरा भीम, इयांरा, बैरासर, सुजानगढ़, सहू बड़ी, उटालडा, नोडीया, बाढसर, कातर छोटी आदि । और भी गांव हैं लेकिन यह स्कीम के अन्दर हैं, इन गांवों के अन्दर मीठा पानी है । यह पी. डब्ल्यू. डी. की रिपोर्ट में भी है कि इन कुओं को गहरा करके पीने के पानी की भयंकर समस्या का समाधान हो सकता है । इसलिये मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा आदेश करें, इन कुओं को गहरा करायें । हालांकि, सभापति महोदय, और भी अनेक गाँव हैं जिनमें ज्यादा पानी है, और मीठें हैं लेकिन आप बजट नहीं दे रहे हैं इसलिये आपको मेरा निवेदन है कि आप अभी इनको ही बजट दीजिये । जब हम इनके पास जाते हैं तो यह कहते हैं कि पैसा नहीं है । मेरा निवेदन है कि आप इनको पैसा दें और कुछ गांवों को इसमें जोड़ दें । यह गाँव हैं : अमृतसर, बाढसर, मालासर । इनको कानासर की नई योजना में जोड़ दें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया ।

श्री रेवतराम चौधरी : काफी समय हो गया है, मैं अभी खतम करता हूं।

इसके अलावा एक बहुत ही खास बात मुझे निवेदन करनी है यहां पर इन्दिरा गान्धी नहर के मन्त्री जी बैठे है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरगढ़, रतनगढ़ और सुजानगढ़ तक आप इस नहर से पानी दें। पीने का पानी आप हमारे पशुओं को दें तथा उन पशुओं के लिये हरे चारे की भी व्यवस्था करावें। थोड़ा पैसा आप हमारे पशुओं के लिये भी दें। आप, मन्त्री-महोदय, पानी को बहुत दूर यानि 700 किलोमीटर आगे ले जा रहे हैं, हम तो 50 किलोमीटर पर ही पास बैठे हैं। इसलिये मेहरबानी करके आप हमारे डूंगरगढ़ को भी कम से कम कागजों में तो चलाइये, बाकी आगे बजट आज नहीं तो कल आ जायेगा। इसलिये, भाटी जी, थोड़ी मेहरबानी करें।

सभापति महोदय, अब मैं लास्ट में एक खास बात कहना चाहूंगा। 56 सैकण्ड हेण्ड हेल्पर लेने की जरूरत हुई थी। इसमें जिन कर्मचारियों को लेना था उसमें दो टाइप के लोग कर दिये एक तो वह जो तीन हजार रुपये देने वाले कर्मचारी थे और दूसरे वह कर्मचारी जो पांच हजार रुपये देने वाले थे। सभापति महोदय, इन 56 कर्मचारियों को लेने की शिकायत की गयी। रतनगढ़ खण्ड की बात कर रहा हूं, मन्त्री महोदया, कि 56 कर्मचारियों को लेने की शिकायत आई। जब वह लोग आये थे तब मैं यहां पर नहीं था, बाहर गया हुआ था। एक आदमी की मैंने भी सिफारिश की थी जो कि मुसलमान था। वह मेरे यहाँ कुए पर पिछले 15 सालों से काम कर रहा था मैंने उसकी सिफारिश की लेकिन उसको नहीं लिया गया। मैंने उस से पूछा कि तुमको क्यों नहीं लिया तो उसने कहा कि साहब, वहां तो पैसे मांगते हैं, पांच-पाच हजार रुपये मांगते हैं। मैंने कहा, तुमने नही दिये, कोई बात नहीं। मन्त्री महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात की सच्चाई पता लगावें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : आपने सिफारिश की थी तो भी नहीं लिया ?

श्री रेवतराम चौधरी : नहीं लिया। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपको मैंने हमारे यहाँ पानी की समस्या का समाधान करने वाली बात कही। दूसरी, जो शिकायत आपके पास आयी है उसकी जाँच करावें। इन्दिरा गान्धी नहर मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप चूरू जिले के डूंगरगढ़ क्षेत्र जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में पानी पहुंचाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अब्दुल हादी।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय,

(एक माननीय सदस्य) हमें बोलने का मौका दें, हमारी गाड़ी चली जायेगी।

श्री सभापति : आप तो सुन लें, आप तो नेता लोग हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपको भी समय मिलेगा। सभी को समय मिलेगा।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति जी मैं आपकी मार्फत पानी की समस्या के बारे में बाड़मेर जिले के मसले की ओर मन्त्रीजी की तवज्जोह चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सभी को समय मिलेगा, सभी बोलेंगे।

श्री अब्दुल हादी : सभापति महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाड़मेर जिले में कई पेयजल स्कीम बनी पर उसके बावजूद वहां के लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जितनी भी स्कीम्स बनी हैं उसमें रुपये में चार आने भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है स्कीमें जरूर बनी हैं, पाइप लाइन भी काफी जगह पर बिछी हैं। टंकियां भी बनी पर नतीजा कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर आपसे गुजारिश करूं एक स्कीम सेड़वा से गंगासरा, सेड़वा से आलू का तला, सेड़वा से फीरू का तला और गंगासरा पाइप लाइन के जरिये पानी लाने की बनी।

मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेवल में पानी का सोर्स अच्छा है, आलू का कला और पीर का कला में भी पानी का सोर्स अच्छा है, इन गांवों को पाइप के जरिये से पानी ले जाने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी पच्चीस किलोमीटर के फासले पर वहां पाइप के जरिये पानी पहुंचाया गया, लेकिन आज तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। आप समझिये एक किलोमीटर पर पचास हजार रुपये खर्चा होता है, बीस लाख रुपयों पर आपने पानी फेर दिया, नतीजा कुछ नहीं। डेढ़-दो साल हो गये आज तक एक भी गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा। इसी तरीके से कुरान का कला में स्कीम बनी है, दस गांव को जोड़ दिया गया, लाइन के जरिये कुरान का कला से पूसारा गंगवा, सियार, फलारिया, पालसर, सैयद मोदली का कला, अब्दुल रहीम का कला, तमाम गांवों को जोड़ दिया गया। एक दो गांवों को छोड़कर बाकी में पानी नहीं मिल रहा है, करीबन पांच साल हो गये हैं। इसी तरीके से एक स्कीम बनी है, सुरवे का कला, मठड़ाऊ का कला, मीर का कमला, जहां पांच-चार गांव हैं वहां भी पानी नहीं जाता है। मैं मन्त्री महोदय को यह तवज्जोह दिलाना चाहता था कि जिस इलाके में पानी का सोर्स है वहां पर पाइप लाइन के जरिये पानी क्यों पहुंचाया गया? पहले ही पैसा कम है, पैसा ज्यादा खर्च हुआ, लोगों की शिकायतें आईं, लोगों को आज तक पानी नहीं मिला है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह सेवल और आलू का कला बड़ी स्कीम है, सिघानिया, हड़पा की स्कीम है, कुरान का कला से दस गांवों की जो पाइप लाइन की स्कीम है,

(श्री अब्दुल हादी)

उसकी कम से कम जांच करनी चाहिए। इस इलाके में पानी का सोर्स है अगर ओपन वेल खुदवा दें तो लोगों को पानी दिला सकते हैं, ताकि लोगों की शिकायत भी मिट जाये और सरकार का खर्चा भी बच सकता है।

इसी तरीके से कुछ गांव ऐसे हैं चौहटन में जैसे रमजीन की गप्पन, आर.ई.पी. गप्पन, सोबाला, ये सारे इलाके हैं जहां पर पानी बिलकुल खारा है। यहां पर आज तक न तो स्कीम बनी है, स्कीम की जरूर सुनी है कि बन रही है न आज तक इस गांव में स्कीम का काम वगैरह शुरू हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि जिन गांवों का पानी वाकई खारा है, जिन लोगों को जरूरत है, पानी पीने के बिलकुल लायक नहीं, उन लोगों को पाइप लाइन के जरिये पानी देना चाहिए लेकिन आज तक उनको पानी नहीं मिला। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कीम गलत बनी हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि इस तरह पैसे का क्यों सत्यानाश किया गया। जहां पानी का सोर्स है, उन गांवों में ट्यूबवैल या ओपन वैल खोदकर लोगों को पानी दिलायें, जहां पर पानी खारा है उन लोगों को पाइप के जरिये पीने का पानी देना निहायत जरूरी है। मैंने जो गांव बताये हैं उन गांवों को पानी दिया जाए।

मैं यह गुजारिश करना चाहता था कि जहां पर स्कीम बनी हुई है जहां टंकिया बनी हुई हैं, जिनको चार-पांच साल हो गये, आज तक वहां पर पानी नहीं जा रहा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार के लिये शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जहां सरकार की स्कीम बनी है वहां लोगों को पानी मुहैया कराने की व्यवस्था करें। सरकार की बदनामी हो, हम नहीं चाहते हैं न हम इसके खिलाफ हैं कि विकास का काम हो। हम यह

श्री सभापति : श्रीमती हमीदा बेगम।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर। जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको बराबर

श्री सभापति : जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं या कट मोशन्स हैं उन सबको मौका मिलेगा। निश्चित तौर से बोलेंगे।

श्री शोपत सिंह : मुझे गाडी से जाना है, अगर यह जरूरी समझते हैं।

श्री सभापति : आपका कटमोशन नहीं है, फिर भी आप बोलेंगे।

(व्यवधान)

माननीय श्री मुक्तिलाल जी, आप बैठ जायें। आप सब को मौका मिलेगा। कृपया शान्त रहें।

माननीय श्रीमती हमीदा बेगम।

श्रीमत हमीदा बेगम : माननीय सभापति

(श्रीमती हमीदा बेगम)

महोदय, मांग संख्या 27 के ऊपर चर्चा चल रही....

एक माननीय सदस्य : मैंने आठ-दस दिन पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैं अभी तक नहीं बोला।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं आपको भी मौका मिलेगा। शोपत सिंहजी, माननीय सदस्य, आप नेता हैं आपको मैं जान बूझकर पीछे बुलाना चाहता हूं।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, पेयजल की समस्या बहुत लम्बे समय से सदन में बैठी सुन रही हूं। कानों में एक ही तरह की आवाज आती है कि पीने का पानी नहीं है। आज मेरे क्षेत्र में चलिये। चिलचिलाते रेगिस्तान के अन्दर मृगतृष्णा में घूमता हुआ व्यक्ति चारों तरफ पानी ढूंढ रहा है, मगर पीने का पानी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शेम, शेम।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहूंगी कि आगे भी मुझे सुनें, फिर आप शेम कहे या चेन कहें, बात एक है।

रेगिस्तान के अन्दर अधिक समस्या है। पानी अत्यधिक गहराई पर है। अगर खोदकर निकाला जाय तो इस बात की हमें गारण्टी नहीं कि निकलने वाला पानी पीने योग्य भी होगा या नहीं। हमारे क्षेत्र के अन्दर न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं तक को पानी नहीं मिलता। नमकीन पानी है, अगर जुबान पर रख दिया जाए तो जुबान के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र का आदमी....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इतना मीठा बोलती हैं, फिर कैसे हो जायेंगे।

श्रीमती हमीदा बेगम : मेरे में उदयपुर का भी थोड़ा सा रंग है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे वहां के शहर एक और दो हैं, एक तो नगर परिषद का और एक नगरपालिका का। आप सभी कह रहे है टी. एस. एस. की योजना बन्द कर दी जाय लेकिन कोई यह नहीं बताता कि क्या वजह है। टी. एस. एस. की योजना जिस गांव के अन्दर चल रही है, सभापति महोदय, पंचायत के पास धन का अभाव है और धन के अभाव के साथ उनके पास तकनीकी ज्ञान रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छी तरह से पहले खर्च करे और बाद में टी. एस. एस. की योजना चालू करें। टी. एस. एस. की योजना के लिए, जिसके अन्दर मेरी तहसील के पन्द्रह गांव आते हैं, मेरे गांव का हर निवासी मुझे आकर एक ही बात कहता है कि विधायिका जी, इतना खर्चा हमसे वहन नहीं होता। पंचायत इसे चलाना नहीं चाहती, जलदाय विभाग इसे लेना नहीं चाहता। हम सरकार से कोआपरेट करने को तैयार हैं बशर्ते कि वह भी हमसे मदद ले। हम चाहते हैं कि जो पैसा खर्च हो

(श्रीमती हमीदा बेगम)

रहा है वह नाजायज तरीके से खर्च है और लोगों को फायदा हो। हालांकि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है इसके बावजूद सरकार की बदनामी हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूं कि मन्त्री महोदय से गुजारिश की है, उस पर कार्य करेंगे। हमें बड़ी तकलीफ है। पानी की मोटरें जल जाती हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं। मैं आज आसन के माध्यम से अपने क्षेत्र की प्यासी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं कि अगर टी. एस. एस. योजना को चलाना है तो आपको पंचायत समिति को अधिक धन देना होगा और उन्हें साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान रखने वाला अधिकारी भी उपलब्ध कराने होंगे। तभी जाकर आपकी टी. एस. एस. योजना चल सकेगी, वरना उसका कोई महत्व नहीं, उसको खत्म कर दीजिए।

मेरे क्षेत्र के लिए मैं एक ही प्रस्ताव और सुझाव देना चाहती हूं। जलदाय विभाग को, जो कि फुलफ्लेज्ड विभाग है और नजदीक के लगते हुए गांवों के अन्दर पानी देता है, उस टी. एस. एस. की योजना को खतम करके इन सभी गावों को भी सौंप देना चाहिए ताकि गावों की पीने के पानी की समस्या खतम हो सके।

दूसरा, कटौती प्रस्ताव के अन्दर मैंने हैंड पम्प की बात कही है। हास्यास्पद सा लगता है रेगिस्तान के अन्दर हैंड पम्प का लगाना। क्योंकि पानी 300 फीट, 200 फीट या 250 फीट कहां मिलेगा पता नहीं। जब हमें यही पता नहीं तो 150 फीट पर काम करने वाले नये हैंड पम्प हैं उनसे हम रेगिस्तान के प्यासे लोगों को कितना पानी पिला सकते हैं। मैं इसमें कोई आंकड़े पेश नहीं कर सकती हूं। इस समय मेरे वहां के चरकोई, धमीरोता और खीवासर के अन्दर दो हैंड पम्प काम कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में उस समय वह काम करेंगे ? उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो जायेगी नमकीन पानी से कि वह चलने के रूप में भी नहीं रहेंगे। जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केवल हैंगर ही हैंगर रह जायेंगे। यह हालत होगी। इस आसन को और गवर्नमेंट को मैं अर्ज करना चाहती हूं कि वह इस हैंड पम्प की योजना को जहां इतना गहरा पानी है लागू ही नहीं करें और वह पैसा भी जलदाय विभाग को दें ताकि हम रीजनल पाइप लाइन स्कीम को बढ़ावा दे सकें और जिन गांवों में पानी है उनसे लगते हुए गांवों में जहां टी. एस. एस. की योजना है वहां पानी दे सकें। जिन गांवों के अन्दर वाटर वर्क्स की स्कीम का पानी चलता है उन्हीं में हम हैंड पम्प लगाते हैं और हैंड पम्प वहां नहीं चलेंगे तो हैंड पम्प को भी हमें बन्द करना चाहिए।

अब मैं कटौती प्रस्ताव के तीसरे बिन्दु पर आती हूं। हमारा चूरू शहर धोरों की धरती कहलाती है। कहीं पर बहुत ऊंचाई है और कहीं पर बहुत निचाई है। चूरू शहर जिसकी आबादी 62061 है, वहां पानी की उपलब्धि केवल 18.60 लाख गैलन है। प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा किया जाये तो, सभापति महोदय, एक व्यक्ति को 20 से

(श्रीमती हमीदा बेगम)

कि 22 गैलन पानी मिलता है, लेकिन वह भी कहां? जो ऊंचाई पर बसे हुए लोग हैं, उन्हें पानी का बिलकुल अभाव रहता है। हमारे यहां पर कुओं से कनेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से ढलान पर रहने वाले व्यक्ति को 15-15 और 16-16 घंटे तक पानी मिलता है। मन्त्री महोदय को मैं अर्ज करना चाहूंगी कि ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति जहां पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं, वहां हमारे नीचे बसने वाले भाइयों को 15-15 और 16-16 घंटे तक पानी मिलता है। इससे शहर के अन्दर एक अजीब सा तनाव लोगों के मनों में रहता है। एक खूब पानी से नहाता है और दूसरा भाई अपने को मिट्टी से नहलाकर टाइम निकालता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे शहर का आजकल 18.60 गैलन का पानी, जो ऊपर चढ़ता है वह बहुत कम है। इसकी वजह लाइट कम होना, बिजली का चला जाना और बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण कई-कई टार्क ए चलते ही नहीं हैं और पीने का पानी घरों में ही नहीं रहता। ऐसी हालत में मेरा एक सुझाव है कि जो ऊंचाई पर बसे हुए हमारे शहर हैं, वहां पर जलदाय विभाग ऊंचे जलाशय बनवाये और उनमें पानी का स्टोरेज किया जाये जिससे कुछ हिस्सों के अन्दर दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम को पानी नियमित रूप से उन हिस्सों को भी दिया जा सके, जो बहुत ऊंचाई पर हैं, ठीक रूप से जिनको अपने पानी का कनेक्शन देते हैं। तो वहां पर उच्च स्तर पर जलाशय बनाये जायें और पानी का स्टोरेज किया जाये....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, शीघ्र समाप्त करें।

श्रीमती हमीदा बेगम : आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैं मेरे एक लास्ट कटौती का जो सबजेक्ट है, उसको लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी।

इस तपते हुए रेगिस्तान में पीने के पानी की एक ही आशा हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यदि कोई है तो साहिवा कांधेली की योजना है। इन्दिरा नहर से निकलने वाली यह लिफ्ट योजना, जिससे आज की तारीख में हमारे चूरू जिले में तारानगर, राजगढ़ और चूरू के मिलाकर, के 353 गांवों को पानी मिलता है। माननीय सभापति महोदय, आज यह लिफ्ट 35 फीट तक ऊंची उठाई गयी है। मेरा एक सुझाव है, सरकार व इन्दिरा नहर मन्त्री को मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक इस रेगिस्तान के लोगों के सम्बन्ध में, इनको पीने को पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में सोचें और इस लिफ्ट को 60 फिट ऊंचा उठायें ताकि उससे हम 1500 गांवों को कवर करेंगे, जिसमें मेरे तहसील के जहां आज 9 गांव आते हैं वहां 30 से 35 हो जायेंगे।

साहिवा गंधेली योजना में 7 दिन तक पानी स्टोरेज होता है 15 दिन यह कैनाल बन्द रहती है जब 15 दिन के बाद इस कैनाल को खोला जाता है तो हमारे वहां पहले 7 दिन का स्टोरेज करके फिर पानी को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो अगले वाले गांवों के अन्दर तो

(श्रीमती हमीदा बेगम)

पानी पहुंच जाता है लेकिन इस अव्यवस्था के कारण जो स्टोरेज वाला पानी है वह हमारे दूसरे गांवों तक नहीं पहुंचता। अगर 15 दिन की जगह यह नहर 7 दिन ही बन्द रहे तो हमारे पास जो स्टोरेज का पानी है वह हम 7 दिन के अन्दर काम में ले लेंगे और वहां की जो पीने के पानी की भयंकर समस्या है उसका हम अच्छी तरह से समाधान कर लेंगे। इसके अन्दर 8.5 एन. सी. एफ. तो हम 7 दिन के लिए स्टोरेज करते हैं, फिर कितना पानी छोड़ा जाता है यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इसलिए सभापति महोदय, जहां रेगिस्तान में पीने के पानी की बात आती है वहां प्यासे मरते हुए जानवरों की भी बात हमें नहीं भूलानी चाहिए। हमारे यहां पर आज की तारीख में शहर में पानी की वितरण की व्यवस्था बिलकुल अस्तव्यस्त चल रही है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसकी तरफ भी पूरा ध्यान दें और जो भी कार्यवाही हो चूरू के लोगों को राहत पहुंचाय। आपको माननीय सभापति महोदय, फिर नहीं कहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आज ही हमारी तकलीफ को दूर करें मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति जी....

श्री सभापति : माननीय मुक्तिलाल जी मोदी, शांत रहें। आपको भी मौका मिलेगा। शांत रहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं, आपसे कि उनको टाइम दें कोई बात नहीं, परन्तु....

श्री सभापति : माननीय मुक्तिलाल जी मोदी आप कृपया बैठ जायं।

श्री मुक्ति लाल मोदी : आपने कांग्रेस वालों को इतना टाइम दिया....

श्री सभापति : कांग्रेस के 115 सदस्य हैं। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ....जनसंघ वालों को बोलने दिया, लोकदल वालों को बोलने दिया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नहीं नहीं, बैठ जाय। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपने निर्दलीय को एक को भी नहीं बोलने दिया। यह क्या तरीका है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठ जाय। माननीय सदस्य कृपया शांत रहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी :

(अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप कृपया बैठिये।

194

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, यह तरीका नहीं है आपका....

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन ।

श्री मांगीलाल आर्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय । 2 बजे से यह चर्चा चल रही है, 2 बजे से जलदाय विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही है और 2 बजे से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने व्यक्ति बोले ? क्या उसमें नाम नहीं है ? क्या उनके क्षेत्रों में पेयजल की समस्या नहीं है ?

श्री सभापति : ऐसा है कि जब आप कांग्रेस में आ गये या किसी पार्टी में आ गये, तो उसके सदस्य हो गए, माननीय सदस्य हो गए । अब इसमें पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ? आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस दल के माननीय सदस्य हैं । इसलिए जो भी बोलते हैं आप शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । माननीय सदस्य, शांत रहें इसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । आपको भी मौका मिलेगा । आप शांत रहिये ।

श्री मांगीलाल आर्य : मुख्य सचेतक जी ने जो लिस्ट दी है....

श्री सभापति : आपके और सचेतक के बीच में यह बात है । माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । इसमें पाइन्ट आफ आर्डर कोई नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, पीने के पानी के लिए इस सरकार से मांग करूं, उम्मीद नहीं कि सरकार जनता की, पशुओं की प्यास बुझा सकेगी । इसलिए बोलने से पहले भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर, अगर तू सुन रहा है तो जरूर हमारी इज्जत रखना और इतना बरसना ताकि प्यासे लोगों की, पशुओं की प्यास बुझ जाये और प्यासी धरती सिंचित हो जाये । उसके बाद थम जाना ताकि बाढ़ न आ जाये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

सुश्री पुष्पा जैन : उसके बाद थम जाना ताकि बाढ़ न आ जाये ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने अपने आंकड़ों में कहा है कि 24 हजार समस्याग्रस्त गांवों में से 22 हजार गांवों में पानी की समस्या का समाधान कर दिया है । अब सभापति महोदय, इतनी देर से पूरे हाउस में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन किसी का भी भाषण पानी की दृष्टि से संतोषजनक नहीं रहा चाहे वह रूलिंग पार्टी की तरफ से था चाहे वह विरोधी दल की तरफ से था । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार यह कैसे सन्तोष करती है कि 24 हजार में से 22 हजार गांवों में उन्होंने पीने के पानी की समस्या का समाधान कर दिया है । 24 हजार कुंओं में और भी बढ़ गया ।

सभापति महोदय, हैण्ड पम्प राज्य सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में लगाये । उनका हाल तो इतना अजीबोगरीब है, तीन बार इनके अभियान हुए, उन्होंने अपनी

(सुश्री पुष्पा जैन)

रिपोर्ट में कहा कि 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प बिलकुल बेकार पड़े हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला ही नहीं है और एक भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य सरकार द्वारा जोधपुर आपातकालीन जल पूर्ति योजना के तहत लगाये गये हैंड पम्प में से 319 हैंड हम्प बेकार पड़े हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा 82-83 की रिपोर्ट, 400 हैंड पम्प के अभियान में पानी उपलब्ध नहीं करा सके क्योंकि उनका पानी पीने योग्य ही नहीं है। इन्हीं महालेखाकार साहब ने यह भी कहा है, 1982 से जो सरकार है जोधपुर में उसने नगरपालिका चुनाव के समय अन्धाधुन्ध हैंड पम्प लगाये थे। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि 81-82 में इन्होंने 2 करोड़, 28 लाख और पांच हजार रुपये की हैण्ड पम्प योजना को स्वीकृत किया लेकिन उस योजना का हश्र क्या रहा? 345 हैंड पम्प खुदवाये और उसका प्रावधान किया, जिनमें से 13 लाख 12 हजार रुपया भी स्वीकृत किया। जलदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता ने इस बात की सिफारिश की थी कि पानी की क्वालिटी की जांच हैंड पम्प खुदवाने से पूर्व करवा ली जाये। वह जांच हुई नहीं और हैण्ड पम्प पहले लगवा दिये गये। हैंड पम्प लगवाने के बाद जांच हुई तो उसमें उन्होंने यह कहा कि 419 गांवों में हैंड पम्प लगाये उसमें 319 हैंड पम्प का पानी पीने योग्य नहीं था। 121 हैण्ड पम्प इनके कारगर रहे जिसमें इन्होंने करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इन हैण्ड पम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है लिहाजा उन पर तख्ती लगवा दी जानी चाहिये। सारे के सारे 319 हैंड पम्पों पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ग्रामीण जनता को जहर पीने से रोका नहीं। सभापति महोदय, नतीजा यह हुआ कि 15 हैण्ड पम्प पर इन्होंने तख्ती लगाई कि पानी पीने योग्य नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से कि आखिर करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया वह भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कम से कम आप गरीब जनता को जहर पीने से रोक नहीं सकते थे? उस पीने के पानी के हैण्ड पम्पों पर आप तख्ती नहीं लगा सकते थे कि वे पानी न पियें? आज हालत क्या है? लोगों को जहर पीने से कूबड़ हो रहा है, उनके दांतों में अजीब प्रकार की बीमारी हो रही है गेस्टोएन्टाइटिस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। पशु मर रहे हैं।

मैं पाली जिले के बारे में ही कहना चाहूंगी। सभापति महोदय, पाली जिले की हालत खराब है। पिछले विधान सभा सत्र में, मन्त्री महोदया, आपको याद होगा मैंने पीने के पानी की मांग करते हुए एक सूची पेश की थी। उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि जवाई बांध से तालाबों में पानी भर दिया जाये और जिनकी बहुत ज्यादा मांग थी, जहां पानी की एक-एक बूंद के लिये लोग तरस रहे हैं, पशु मर रहे हैं। वह सूची मैंने आपको पेश की थी। मैंने उस समय आपका आभार प्रकट किया था। आपने जिला कार्यालय को यह निर्देश दिये थे सूची के साथ कि इन तालाबों में पानी भर दिया जाये। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने निर्देश देने के बाद भी 17 गांवों में

(सुश्री पुष्पा जैन)

उन्होंने तालाबों को पानी से भरने के लिये जनवरी, 85 में तय किया, लेकिन पानी उन सब में भरा नहीं गया। उसके बाद उन्होंने पांच गांवों में फरवरी में देने को कहा। जब जनवरी में पूरा नहीं हुआ था तो फरवरी में कहां पूरा करते। फिर उन्होंने कहा जो बाकी के 12 गांव बचे हैं, उनमें अप्रेल, 85 में तालाबों में पानी भरवा देंगे। तो जनवरी, फरवरी का कोटा भी पूरा नहीं था उस समय 5 प्रतिशत गांवों को भी जवाई बांध से पानी छोड़ा नहीं गया था तो अप्रेल में गांवों को पानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी हालत यह है कि जो सूची मैंने आपको पेश की थी तालाबों में पानी भरवाने के लिये, उनमें से 50 प्रतिशत गांव आज पानी की एक-एक बूंद के लिये तरस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पानी की कौनसी आपने नल योजनायें बनाई हुई हैं जिससे लोग पानी पी लें ? लोगों के पास एक ही सहारा है कि जो तालाब बने हुए हैं, उनमें या तो इन्द्र देवता जी पानी बरसा दें, वे तालाब भर जायें और वे पानी पी लें, या जवाई बांध से आप पानी छोड़ दें। अब हालत यह है कि जवाई बांध से आप जोधपुर की प्यास बुझा दें। मुझे जोधपुर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि आप जोधपुर को पानी मत दीजिये, लेकिन मैं यह बात भी स्वीकार नहीं करती कि आप पाली को प्यासा छोड़कर पानी जोधपुर लेकर जायें, उनकी छाती से पानी लेकर जायें और वे एक-एक बूंद के लिये तरसते रहें। यह कहां का न्याय है ? पहले आप हमारी प्यास बुझायेंगे, क्योंकि हमारे यहां से आ पानी लेकर जोधपुर जा रहे हैं। हम टुकर-टुकर एक-एक बूंद को देखते रहें और हम आपके साथ जोड़ जोड़ कर विनती करते रहें ? गरीब किसान और प्यासा इन्सान उस पानी की चोरी करता है रास्ते में जवाई बांध से रोक लेता है, तो उसके ऊपर सजा मिलती है उनको।....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, भावावेष में आ जाती हैं बहुत।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, विषय ही ऐसा है। लोग तो पानी के लिये प्याऊ चलाते हैं। बड़े-बड़े सेठ और गरीब लोग भी पानी की प्याऊ पर बैठते हैं, गरीबों को पानी पिलाते हैं लेकिन आप तो सरकार में बैठें हैं आप पानी नहीं दे सकते ? लोगों के ऊपर आप करोड़ों रुपये का टैक्स लगाते हैं, इस गरीब जनता की खून पसीने की कमाई पर सरकार बनाकर बैठे हुए हो, राजकीय कोष पर सर्प कुण्डली यहां की तरह बैठे हुए हैं यहां आप। गरीब जनता ने बैठाया है आपको। उसकी कोड़ी-कोड़ी पर गरीब जनता का अधिकार पहले है बाद में आप लोगों का। क्या हालत है जोधपुर पानी पीता है और पाली प्यासा रहता है। जोधपुर की भी प्यास बुझाइये। राजस्थान नहर से आ सकता है तो दीजिये, दूसरी कहीं से आ सकता है तो उससे दीजिये, और नहीं तो कम से कम इतना तो दीजिये कि जवाई बांध से जो पानी आता है उसमें प्रतिशत तय कीजिये, 50 60, 40 प्रतिशत इतना तो पाली को दीजिये उसके बाद जोधपुर को दीजिये। तो हमारे कोई उजरदारी नहीं होगी। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं राजस्थान की धरती का हर प्यासा

(सुश्री पुष्पा जैन)

आदमी पानी पिये, हर पशु पानी पिये, हर खेत को पानी पिलाओ और खेतों में खेती हो, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।

सभापति महोदय, इन्होंने टैंकरों से पानी देने के लिये 22 गांवों में कहा, टैंकरों से पानी देंगे। टैंकरों की हालत क्या है? शर्म आती है जब टैंकरों की बात की जाती है। पांच-पांच हजार की आबादी में एक टैंकर पानी के लिये जाता है। सारी जनता उस टैंकर के सामने, जैसे कोई भगवान हो, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, हमें पानी पिलाओ हम प्यासे हैं और टैंकर के साथ गये हुए अधिकारी कहते हैं पहले कम से कम पांच केस नसबन्दी के लिये लाओ तो आपको पानी मिलेगा। **धिक्कार है शासन को।** लोग पानी के लिये प्यास से तरसते रहे और आपको नसबन्दी की लगी हुई है। लोग तो वैसे ही मर जायेंगे, नसबन्दी का अभियान चला ही क्यों रहे हैं आप? पानी की प्यास से तो वैसे ही लोग मर जायेंगे। इन्सान भूख के बिना जिन्दा रह सकता है, खाने को नहीं मिले तो वह जी सकता है लेकिन पानी नहीं मिले तो कोई नहीं जी सकता। माननीय मन्त्री महोदया, आप तो महिला हैं, आप इन लोगों की तड़फ का अनुमान लगा सकती हैं। मुझे आपसे उम्मीद है आप कुछ न कुछ करेंगी। जितना सम्भव हो कीजिये। हम आपके साथ भगवान से भी दुआ करेंगे, इन्द्र देवता भी बरसेंगे। कुछ करने की मन में कल्पना करेंगे, चिन्ता करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी आपसे खुश होगा।

सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रही हूं। पश्चिमी राजस्थान की बहुत चर्चा होती है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जाने का मुझे मौका मिला। बाड़मेर जिले में चौहटन तहसील के केन्नोर गांव में अधिकारियों की मौजूदगी में बताया कि 40 किलोमीटर दूर जाकर हमको मीठा पानी लाना पड़ता है। इसी बाड़मेर जिले में एक गांव और है नाचना। माननीय नहर मन्त्रीजी बैठे हुए हैं वे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। इस नाचना की छाती पर नहर आ गई, पानी भरा हुआ है। सिंचाई विभाग का जो गेस्ट हाऊस बना हुआ है, उसमें बैठे हुए अधिकारी तो राजस्थान केनाल का पानी पी सकते हैं लेकिन नाचना गांव के आदमी पानी नहीं पी सकते हैं। वे पानी की बूंद-बूंद के लिये तरसते हैं और उस गेस्ट हाऊस में बैठे अधिकारी लोग राजस्थान केनाल का पानी पीते हैं। इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी इस राजस्थान की?

श्री सभापति : अब माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : खतम ही कर रही हूं, सभापति महोदय, पानी मिलता नहीं लोगों को लेकिन बिल मनमाने आते हैं। आज जिस तादाद में पानी मिलना चाहिये था, उस तादाद में पानी नहीं मिल रहा है। मैं ऐसे बिल, मन्त्री महोदय, आपको

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिखा सकती हूं जो पहले से भी तीन गुणा और चार गुणा ज्यादा आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं? अब लोगों पानी ही खर्च नहीं कर रहे हैं तो यह बिल किस तरह से आ रहे हैं? ये अधिकारी सुनते नहीं, कोई देखता नहीं और लोग बिल नहीं दें तो उनके कनेक्शन काट दिये जायं। सभापति महोदय, पानी की किल्लत आज इतनी कि लोग गांव छोड़ने के लिये मजबूर हो गये हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि लोगो के लिये पानी की व्यवस्था कीजिये।

हैण्ड पम्प जो आपने लगाये हैं. उनको सुधारिये। पंचायत समितियों के भरोसे उन्हें मत छोड़िये। पंचायत समितियों की कमी, आपने खैर, खबर भी ली कि आपने जो पैसा उनको दिया, उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग भी किया या नहीं किया। कितने हैण्ड पम्प आज गांवों में बेकार पड़े हैं या तो उन्हें उखाड़ कर फैंक दीजिये या फिर उनको ठीक कराइये लेकिन सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था कराइये। पंचायत समितियाँ या पंचायतें उन हैण्ड पम्पों की मरम्मत नहीं कर सकती है। इतना तो आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्री सभापति : अब माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें। बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति, महोदय, आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पानी से रोग बहुत हो रहे हैं। राजस्थान में 7371 गांवों में नारू रोग उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का नारू रोग उन्मूलन अभियान क्यों चलाया जा रहा है? और यदि आप अच्छा पानी, स्वच्छ पानी लोगों को दे रहे हैं तो यह रोग उन्मूलन क्यों हो रहा है? सरकार का इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्यों कर रहा है? पीने का पानी स्वच्छ नहीं है।

आज आप पाली जिले में चलिये, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलिये। लोग तालाब में से जो पानी भरकर पीने के लिये लाते हैं, मुझे कहते हुए शर्म आती है, उस पानी की शकल देखकर घृणा से परिपूर्ण हो जाता है कि यह पानी कैसे पिया जा सकता है, लेकिन वे लोग जिन्दा हैं उस पानी को पीकर। उससे रोग हो रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अभी एक सवाल करते हुए मैंने कहा था कि पाली में 150 पशु मर चुके हैं। पानी से बच्चों की मृत्यु हुई हैं, लेकिन उसके आंकड़े नहीं लिये गये जिला कार्यालय से कि पानी खराबी से मरे या कैसे मरे। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहती हूं कि पाली के अस्पताल में चार-चार बच्चे एक दिन में मर गये सिर्फ पानी के कारण, गन्दा पानी पी कर। अतः इन सबकी जांच करवाइये।

पाली जिले में पीने के पानी की व्यवस्था करवाइये। जिन गांवों में तालाबों से पानी अभी तक नहीं भरा है, आप चाहे तो मैं सूची दुबारा दे सकती हूं, उनमें पानी

(सुश्री पुष्पा जैन)

भरायें और टैंकर्स की मरम्मत करवाइये। गांवों में टैंकर हैं, वे सब खराब पड़े हैं। उनमें पानी जाते समय आधे से ज्यादा रास्ते में बह जाता है। क्या फायदा ऐसे पानी ले जाने से ? उन टैंकर्स की मरम्मत होनी चाहिये और टैंकर्स और जाने चाहिये। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शोपत सिंह।

कृपया संक्षेप में।

(व्यवधान)

जो हमारे पास दल की लिस्ट है, उसके अनुसार आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अश्कअली टाक : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अश्क अली टाक : आपने एक ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि एक पक्ष का और एक विपक्ष का।

श्री सभापति : यह आसन जो भी व्यवस्था करे, उसे आपको मानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : I am in centre न मैं इधर हूँ और न मैं उधर हूँ। मैं तो बीच में हूँ।

(व्यवधान)

श्री जय किशन तोसावड़ा : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मुझे मालूम है। माननीय सदस्य, आप (श्री शोपत सिंह) चालू करें।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : सभापति महोदय, एक इधर से एक उधर से।

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री शोपत सिंह : I am in centre, भाई।

श्री सभापति : आप शान्त रहिये, माननीय सदस्य। समय का अभाव है।

एक माननीय सदस्य : गंगानगर जिले में पानी की कोई समस्या है ही नहीं।

श्री शोपतसिंह : मैं गंगानगर जिले की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान की बता रहा हूं। मैं तो दो मिनिट में बोल लेता, भाई, ज्यादा लम्बा चौड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन के अन्दर लगातार पानी के बारे में चर्चा हो रही है। पानी सिर्फ व्यक्तियों के लिये ही नहीं, पशुओं के लिये भी होना चाहिये। दो मसले हैं इस राजस्थान के अन्दर। जब हम यह हालत देखते हैं कि राजस्थान के बहुत बड़े-भू-भाग की आबादी

(श्री शोपत सिंह)

पर जानवर और आदमी एक साथ पानी पी रहे हैं तालाब में। एक तरफ यह हालत, दूसरी तरफ पानी पीने लायक नहीं है। अगर पानी पी ले तो बीमारी से ग्रस्त हो जाय आदमी।

श्री सभापति : आप जो भी समस्या है, उस के प्रति ही कहें। भूमिका नहीं बनायें।

श्री शोपत सिंह : इससे ज्यादा भूमिका और क्या होगी। मैं माननीय भाटीजी से एक बात कहूंगा-पश्चिमी राजस्थान को हम पानी दे सकते हैं। हमारे पास इन्दिरा नहर ही नहीं है, चूरू जिले को अगर आप गंभीरता से पानी देना चाहते हो तो सिद्धमुख नहर ऐसी है जो उस रेतीले इलाके में सिंचाई के काम आ रही है तो, सिंचाई मन्त्रीजी, आप इतने ज्यादा फिक्रमन्द मत होइये। मैं जानता हूं वह जमीन कैसी है और वहां पैदावार कैसी होती है। जो जमीन रेतीली है और उपजाऊ नहीं है, उसमें सबसे पहले पानी पिलाने के लिये जरूरी है, उन पशु धन के लिये जरूरी है, उन भेड़ों के लिये जरूरी है। आप यह कह दें कि हमने हैण्ड पम्प की योजना बनाई लेकिन हैण्ड पम्प की योजना के साथ-साथ मैं आपसे यह सवाल पूछ सकता हूं कि आदमियों के लिये तो हैण्ड पम्प ठीक है, पानी पिला देंगे मगर उन जानवरों को कौन पिलायेगा, कैसे हासिल होगा? उनके लिये आपने कुछ भी नहीं सोचा।

हैण्ड पम्प को लगाने से पहले सबसे बड़ी जो गलती की है, बहुत से हैंड पम्पों का पानी पीने लायक नहीं है। आपने पहले उन्हें टैस्ट नहीं किया। यह कामन सेन्स की बात है गांव के अन्दर लोग अगर हैंड पम्प लगाना चाहते हैं प्राइवेट पर तो वे यह देखते हैं कि कहां मीठा पानी मिलेगा और कहां खारा पानी है। मगर आपकी सरकार ने इतने बड़े-बड़े साधन होते हुए, इतने बड़े-बड़े इंजीनियर होते हुए, बड़ी-बड़ी मशीनें होते हुए, क्या इस बात की जरूरत नहीं समझी? उसका नतीजा क्या हुआ? माननीय सभापतिजी, जब आदमी प्यासा होता है तो यह नहीं देखता है कि यह पानी कैसा है, खारा है कैसा भी हो। जब आपने खाली नलके लगा करके छोड़ दिये तो जब प्यासा होता है तो वह यह नहीं देखता है कि किस तरह का पानी है। मुसीबत में हमने देखा है, हमने सुना है जब आदमी रेगिस्तान के अन्दर जब प्यासा होता था तो वह आदमी, अब क्या कहूँ, वह हर चीज खाने के लिये मरता है। वह यह नहीं देखता है कि यह पानी हाई है कि नहीं, हर तरह का पानी पीने को तैयार हो जाता है और पी लेता है। वह यह भी नहीं देखता है कि इस पानी के पीने से बीमारियां हो जायगी। इसलिये मेरा कहना है कि आज सबसे बड़ा गुनाह राजस्थान सरकार ने किया है तो वह यही किया है कि बिना टैस्ट किये ऐसे-ऐसे हैण्ड पम्प लगा दिये जो पानी किसी भी प्रकार पीने योग्य नहीं है। भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाय कि जहां भी हैंड पम्प लगाने जा रहे, हैं, उसके पहले महरबानी करके आप टैस्ट कीजिये।

अभी दौराने उप चुनाव किशनगढ़

(श्री शोपत सिह)

जाने का मौका मिला। पानी कितने फीट पर कितना पानी मिलेगा, इस बात का तो ज्ञान होना चाहिये। 200 फीट पर पानी मिला, उस की क्वान्टिटी कितनी होगी, वह पानी पीने लायक है या नहीं है। इससे ज्यादा नीचे भी पानी मिल सकता है तो और ज्यादा नीचे जाना चाहिये। आज हमारे हैण्ड पम्प इसलिये बेकार हो गये कि 300 फीट की गहराई पर जाना चाहिये था, लेकिन उतनी गहराई पर नहीं गये। तकनीकी ज्ञान का कोई ख्याल नहीं रखा गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : एक घण्टे के लिये समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री शोपत सिह : 300 फीट की जगह हैण्ड पम्प हम 150 फीट पर ले गये। उसमें हमारा खर्चा भी हुआ और पानी भी नहीं मिला। सभापति महोदय, मेरे एरिया में कुछ ऐसे डिप्रेशन हैं, पानी आज राजस्थान केनाल में तो नहीं है मगर कुछ डिप्रेशन्स हैं, जिनमें पानी है। अगर वह पानी हम उन इलाकों में ले जाते हैं जिन इलाकों में पानी नहीं है नोहर, आदरा और उस से एडज्वाइनिंग चूरू का इलाका। उन डिप्रेशन्स से एक तरफ तो हमारी जमीन बरबाद हो रही है। हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गई। डिप्रेशन्स का पानी पड़ा है, उसमें मछली पाल रहे हैं, पालिये। मुझे मछलियों से कोई परहेज नहीं है। यह भी एक स्कीम है। जहां पर साधन हैं मछलियां पालन का, वहां मछलियां पालें। That is a source of income. माननीय सभापति महोदय, वह पानी का यूज नहीं करना, पानी डिप्रेशन में पड़ा रहे, वह किसान का खेत बरबाद करता है और एक तरफ हमारा किसान प्यासा मरता है। माननीय सभापति महोदय, हम इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो तरह की व्यवस्थायें हैं। एक वह जो पांच करोड़ पशुधन गांवों में रहता है और करीब ढाई करोड़ आबादी गांवों में रहती है। इसके लिए आपको पानी की फिकर नहीं। इनके बच्चे गन्दा पानी पीकर मौत का शिकार हो रहे हैं। कितने लोग मरे, कितने लोगों की रिपोर्ट आई, वह मैं नहीं बता रहा। कई ऐसी बीमारियां हैं जो रफ्ता-रफ्ता मारती हैं। ऐसा गन्दा पानी पीकर कई लोग जल्दी मर जाते हैं। पशुओं की शायद गिनती नहीं है, न आपने कभी ख्याल ही किया है। इस साल बेशुमार पशु मरे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपकी पांच सितारा होटलों पर छलांग मार कर पानी जाय, आपकी कोठियों में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी समस्यायें रखें।

श्री शोपत सिंह : समस्यायें ही बता रहा हूं। This is discrimination. यह डिस्क्रिमिनेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो हमारे पानी की व्यवस्था कीजिए वरना हम आपकी व्यवस्था को तहस-नहस कर देंगे। यह छलांग मार कर अट्टालिकाओं पर पानी ले जा रहे हैं। हम आपको पीने नहीं देंगे। हम आपको इजाजत नहीं देंगे....

श्री जयकिशन तोसावड़ा : किस बात की ?

श्री शोपतसिंह : × × × यहाँ नल एक घण्टा बन्द हो जावे....

(व्यवधान)

आपके यहाँ एक घण्टा नल बन्द हो जावे तो सारे घर में कोहराम मच जाय,

(व्यवधान)

× × × घर में एक घण्टा नल बन्द हो जावे तो × × × घर में कोहराम मच जाता है और हमारे बच्चे गन्दा पानी पीकर मौत के शिकार हों, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की छूट नहीं है, प्रिविलेज नहीं है इस देश के अन्दर कि बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े इंजीनियर बड़े-बड़े अधिकारी और पूँजीपति, इनके यहां पर पानी चौबीसों घण्टे चले और किसान का बच्चा बिना पानी के प्यासा मर जाय, सड़क पर गिर कर मरे, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तोड़ कर रख देंगे।

(व्यवधान)

श्री जयकिशन तोसावड़ा : किस को तोड़ोगे ?

श्री शोपत सिंह : जो भी हमको मिलेगा, उसको तोड़ेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्रीमती जकिया इमाम।

(व्यवधान)

माननीय मुक्तिलालजी। आपका न तो स्थान प्रस्ताव है, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और न कटौती प्रस्ताव है। इसके बाद भी माननीय सदस्य को मौका मिलेगा, आप शांति से बैठिये।

श्रीमती जकिया इनाम।

श्रीमती जकिया इनाम : माननीय सभापतिजी, मानव जीवन के अनिवार्य साधनों में पेयजल का स्थान सबसे पहले है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह मेरा कटौती प्रस्ताव है, आपको पता नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आपका न भी हो तो। आपकी प्रतिष्ठा इतनी है कि हम बोलने देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : फिर आपने गलत कैसे कहा ?

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती जकिया इनाम : सभापति महोदय, मानव जीवन के अनिवार्य साधनों में पेयजल का स्थान सबसे ऊपर है। भारत को आजाद हुए अभी चालीस वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस छोटे से समय में राजस्थान की सरकार ने जो पेयजल के लिए साधन उपलब्ध कराये हैं, वे सराहनीय हैं और अपने आप में एक कीर्तिमान भी है। राजस्थान क्योंकि एक रेगिस्तानी इलाका है, यहां की पानी की समस्यायें दूसरे प्रान्तों की समस्याओं से ज्यादा जटिल हैं। पानी काफी नीचे स्तर पर है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस वक्त आती है जब कई सौ गज नीचे खोदने के बाद पता लगता है कि यह पानी पीने के लायक नहीं है, बहुत खारा है। इन सारी समस्याओं के बावजूद राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री मुबारकबाद के मुस्तहक हैं क्योंकि 29-6-85 को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत पेयजल समस्या को श्रेष्ठ क्रियान्विति देने के लिए चार करोड़ रुपयों का बोनस राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ है। पिछले साल इसी पानी की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2900 गांवों को पेयजल से जोड़ा है जबकि टार्गेट 2500 का था। छठी पंचवर्षीय योजना में तकरीबन 80 परसेंट गांव पेयजल योजना से जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान का पश्चिमी इलाका ज्यादा रेगिस्तानी है। जहां पर कि दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर चालीस लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जाता था, मगर मैं आपको यह खुशखबरी सुना दूं कि वहां चालीस की जगह सत्तर लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इन सारी कोशिशों के बावजूद भी आज कई गांव बहुत प्यासे हैं। इन्हीं सब को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने पचास करोड़ रुपयों का प्रावधान इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले अकाल की स्थिति थी और कुछ गांव ऐसे थे जहां हैंड पम्प न तो लगाए जा सकते थे और न कुएं खुदवाए जा सकते थे। ऐसी स्थिति में 700 गांवों को टैंकरों से पानी दिया गया। मुख्य मन्त्री एक बार फिर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस पानी की समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए 250 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। कोटा शहर में भी पानी की समस्या को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 11 करोड़ रुपया दिया है जो कि वहां काम चालू है। यह तो उपलब्धियां हुईं जो राजस्थान सरकार ने पेयजल के लिए प्राप्त की हैं।

अब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी की तरफ आऊंगी। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बीसलपुर

(2 0 4)

(श्रीमती जकिया इनाम)

डेम बनाया जा रहा है, जो मेरा ख्याल है कि 40 किलोमीटर दूर है। इसको बनाने के लिए 95 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। जब यह डैम पूरा हो जाएगा तो जयपुर, अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद की पेयजल समस्या पूरी तरह सोल्व हो जावेगी। मगर मैं इस बात को क्या कहूं, जिस शहर में यह बांध बनाया जा रहा है उसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है? पेयजल समस्या के लिए टौंक को बीसलपुर से नहीं जोड़ा गया है। मुझे आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कराना है कि जब यह बीसलपुर डैम बन कर पूरा हो जावेगा तो नीचे के स्तर के जो कुए हैं उनका पानी सूख जाएगा और बनास का जो एरिया टौंक को कवर करता है वहां भी पानी नहीं रहेगा। उस वक्त उन किसानों की क्या स्थिति होगी? सभापति महोदय, खरबूजे की फसल राजस्थान में क्या पूरे हिन्दुस्तान में टौंक की मशहूर हैं। वहां का किसान लाखों रुपया इस खरबूजे की फसल से कमाता है। जब बनास में पानी रहेगा तो फसल का क्या बनेगा? कितने लोग बेकार होंगे? इसलिए मैं अभी भी निवेदन करूंगी कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर योजना को फाइनलाइज किया जावे।

पी. एच. ई. डी. कुछ-हैंडपम्प हमारे यहां लगाए गए हैं, साहब। पी.एच. ई. डी. के इंजीनियर जाकर हैंड पम्प लगाते हैं। यहां जयपुर से जाते हैं या शहरों से जाते हैं, ये गांवों की समस्याओं को कितना समझते हैं? ये जाते हैं और चाहे जहां लगाकर आ जाते हैं, जिस जगह, चाहें जहां लगाते हैं। इसके कुछ ओब्जेक्शन किए गए। तो आज यह स्थिति आकर खड़ी हो गई कि पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर साहब से आज भी पूछा जाता है, अभी इनसे एक बात पूछिये कि पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर साहब गांव में कितनी बार जा चुके हैं, उन्हें कहां तक मालूम है कि कहां पर हैंड पम्प लगाना है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो जन प्रतिनिधि हैं, हमारे सरपंच हैं, प्रधान हैं, एम. एल. ए. हैं, इनसे पूछने के बाद ये ज्यादा बेहतर जगहों को बता सकते हैं कि हैंड पम्प कहां लगाया जावे। होता यह है कि जो साधन सम्पन्न लोग है उनके घर पर ये इंजीनियर जाकर ठहरते हैं और वहीं वहीं लगाए जाते हैं हैंड पम्प।

(6·00 म. प.)

वह हैण्ड पम्प वहीं लगाये जाते हैं जहां साधन-सम्पन्न लोग हैं और गरीब जनता उसी तरह तड़पती रहती है। यह छोटी सी बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान दिया जायगा तो इसमें इम्वप्रूमेंट आ सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के जो पांच साल हैं उसमें जितना सा मैंने अभी सैक्शन बताया है आपको, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण ने 6 करोड़ डालर का प्रावधान राजस्थान के लिये किया है। इन सारे पैसों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ऐसा ख्याल है अगले पांच साल में पानी की समस्या पूरी तरह से हल हो जायेगी और नेक्स्ट सैशन जब शुरू होगा तो यहां पर

(श्रीमती जकिया इनाम)

इस समस्या का कोई वजूद नहीं होगा। हम दूसरी समस्याओं को अपने सामने हल करने की कोशिश करेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मुक्तिलालजी मोदी।

एक माननीय सदस्य : अब निर्दलीय को मौका मिला है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, इस जल योजना पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं, माननीय सभापतिजी, यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर हमेशा कांग्रेस का शासन रहा, 52 से 77 तक।

श्री सभापति : आप अपनी समस्या पर आइये। माननीय मोदी साहब।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं समस्या पर ही आता हूं, सुनिये।

श्री सभापति : 52 से शुरू होंगे तो····

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो-तीन साल जनता पार्टी का शासन रहा। मैं, माननीय सभापतिजी, यह कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है, करोड़ों अफसर इसके अन्दर बैठे हैं, टाउन प्लानर हैं, डिपार्टमेंट के अन्दर कोई इंजीनियर है, सुपरिन्टेंन्डेन्ट इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ड्राफ्टसमैन हैं, दुनियां भर का डिपार्टमेंट फैला रखा है परन्तु कांग्रेस शासन ने किसी भी गांव का किसी भी शहर का पूरी तरह से सर्वे किया जाय, पूरी तरह से प्लानिंग किया जाय वह नहीं किया। इधर के माननीय सदस्यों ने और उधर के माननीय सदस्यों ने जो बड़े-बड़े शहर हैं उनके अन्दर अपने स्वार्थ की दृष्टि से छोटी-छोटी को आपरेटिव सोसायटी की तरफ से लोग बसा दिये हैं, मकान बनवा दिये हैं जिनमें भले ही हैण्ड पम्प लगाओ, पाइप लाइन ले जाओ या कुछ भी ले जाओ। कोई योजना नहीं है। लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है कोआपरेटिव सोसायटी के अन्दर। आज कहते हैं पानी की समस्या है।

मैं कहता हूं, भले ही इधर के, उधर के दोनों तरफ के सदस्यों ने किया, आज जनता उसको भुगत रही है। हम लोग, जो चुनकर आये हैं, वह सिर्फ बात करते हैं। माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूँ कि उस जनता की तरफ देखो, कितनी परेशानी और दुख का सामना कर रही है। मकान बना लिया किसी एक व्यक्ति ने, सोसायटी की तरफ से लाखों मकान बन गये। आज पानी की समस्या का सवाल है, सड़क का सवाल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, जहां मैं रहता हूं वहां गटर लाइन एक जगह और पानी का नल भी एक जगह। पानी का नल टूट जाता है तो गटर लाइन का पानी उसमें आ जाता है, लोग उसको पीते रहते हैं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी))

मैं आपको सही बात कहता हूं, कोई झूठ नहीं कहता । माननीय सभापति जी, सरकार की न सड़क की पूरी तरह से प्लानिंग है, न गटर लाइन की कोई पूरी तरह से प्लानिंग है, न पानी की पूरी तरह से प्लानिंग है । फिर वह टेलीफोन वाला अलग तोड़ जाता है । टेलीफोन की न कोई प्लानिंग है ।

श्री सभापति : आप टेलीफोन की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : न बिजली की प्लानिंग है । बिजली वाले तार बिछा देते हैं । मेरी समझ में नहीं आता, आज सरकार के पैसे को अपना पैसा नहीं समझते हैं कोई माननीय सदस्य । अपना पैसा समझें कि जैसे मैं कमाता हूं उस पैसे का जिस तरह से उपयोग करता हूं उस तरह से उपयोग करें । आज हैण्ड पम्प लगा दिये । हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं । पहले तो लोगों ने सरकार से कहा हैण्ड पम्प लगाओ । भाई, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक गांव के अन्दर कोई स्कीम बनाये····

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : माननीय मोदी जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी सुनिये, आप तो बैठ जाओ । बैठ जाओ आप । आप बीच में डिस्टर्ब मत करो ।

श्री सभापति : माननीय भारद्वाज साहब, ये अभी समाप्त कर देंगे । आप क्यों इनको डिस्टर्ब करते हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह कहना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार ने तो कुछ किया नहीं, आप····

(व्यवधान)

तो अब निर्दलीय की सरकार बनाने का इरादा है ? निर्दलीय की सरकार बनालो, मोदीजी, ताकि वह सारा मामला ठीक बैठ जायगा ।

एक माननीय सदस्य : वह बनी हुई है, आप रिकगनाइज नहीं करते हैं ।

श्री सभापति : माननीय मुक्तिलाल जी, आप बोलिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, न तो निर्दलीय की सरकार बनेगी, न जनता पार्टी की सरकार बनेगी न जनसंघ की बनेगी । अब तो राजीव गांधीजी ने ऐसा विधान बना दिया है···

श्री सभापति : आप तो अपनी समस्या पर मुक्तिलालजी, आइये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसा विधान बना दिया कि कोई सरकार बन ही नहीं सकती है । मैं आपको सही बात कहता हूं ।

माननीय सभापतिजी, मेरा माननीय

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मुख्य मन्त्रीजी को कहना है कि पानी के लिये 70 करोड़ रुपया इस बजट के अन्दर रखा है। 70 करोड़ रुपया है। इस 70 करोड़ रुपये को पानी की तरह न डालें। आज योजना बनाकर डालें। उस के अन्दर नाली की, गटर लाइन की, बिजली की, सड़क की, पानी की पूरी तरह की किसी भी गांव की योजना बनाये। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे इलाके में अगर सरकार रुपया खर्च करे तो मैं 3% रुपया पब्लिक से सरकार को दिला सकता हूं। 5% रुपया पब्लिक से दिला सकता हूं, अगर यह सरकार रुपया खर्च करे।

श्री सी. पी. जोशी : कहां से दिलाओगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पब्लिक से दिलाऊंगा।

(व्यवधान)

माननीय सभापतिजी, सरकार आज से 15 वर्ष पहले ढाई पर्सेन्ट रुपया गांव से लेती थी और गांव के अन्दर वह स्कीम चालू करती थी। तब गांव वालों को यह अहसास होता था, विचार होता था कि स्कीम पूरी तरह से चालू की जाय क्योंकि वह ढाई पर्सेन्ट रुपया अपने पास से इकट्ठा करके देते थे।

(6.08 म.प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

आज सरकार पर सारी बात छोड़ते हैं। सरकार के ऊपर सारी बात छोड़ने से यह होता है कि न प्रधान उस बात पर ध्यान देता है, न सरपंच उस बात पर ध्यान देता है, न एम. एल. ए. उस बात पर ध्यान देता है। मैं तो सरकार से यह कहना चाहूंगा, जैसे एजूकेशन के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक करोड़ रुपया रखा है, आधा रुपया पब्लिक देगी, आधा सरकार देगी तब भवन बनेंगे, वैसे ही भले ही कितना पर्सेन्ट रुपया रखें, 70 करोड़ रुपया सरकार इस बजट में खर्च करेगी, भले ही दो पर्सेन्ट रखें, ढाई पर्सेन्ट रखें, एक पर्सेन्ट रखें जो उचित समझें वह रखें। मैं इधर के और उधर के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, जब वह पब्लिक से रुपया मांग कर देंगे तो उनके दिल में दर्द होगा कि आज हमारा रुपया, एक पर्सेन्ट हो, दो पर्सेन्ट हो, ढाई पर्सेन्ट हो जायेगा जब वह रुपया जायेगा तो आज जो पब्लिक इस बात का विचार नहीं करती है कि हैण्ड पम्प बंद पड़ा रहे, कौन सुधराये, नल टूट गया है टूटा रहे कौन सुधराये, गटर लाइन का पानी नल में जाता है तो जाता रहे कौन सुधराये, सब सरकार करे तो पहले यह बात नहीं थी सभापतिजी, आज हर आदमी के दिमाग में सभापति जी यह बात आ गई कि जो कुछ भी करे, सरकार करे, जब तक सरकार इस वातावरण को नहीं बदलेगी जनता के अन्दर, कि आज शहरों में जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह लाखों और करोड़ों रुपये की जमीनें बेच कर लोगों के मकान बना दिए। वहां पर न कोई सड़क का इंतजाम है, न कोई पानी का

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इंतजाम है न बिजली का इंतजाम है और फिर मेरे भाई कहते हैं कि हैंड पम्प गलत लगाए, बन्द पड़े हैं, वह नहीं है, वह नहीं है इंतजाम तो हम लोगों को करना है, सरकार क्या करे, तो मैं कहता हूं, सभापतिजी, आज 70 करोड़ की जगह माननीय सी. एम. साहब से कहना चाहता हूं कि कितना पैसा रखें और पब्लिक के नाम पर जो रुपया....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम 5 से 6 का ही बढ़ाया गया था ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह बढ़ा दिया गया, एक घंटे और बढ़ा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बढ़ा दिया गया, अब तो 6.10 हो गए, आर्डर, माननीय सदस्य संक्षेप में,

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं 15 दफे तो उठा, 20 दफे, तब तो टाइम दिया है, मैं तो आपका ही सपोर्ट कर रहा हूं, अध्यक्षजी, आज अगर यह काम मजबूती से होगा, ऐसी कमजोरी से काम नहीं होगा। मजबूती से आज अगर सरकार के अन्दर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड और उसके अन्दर जियोलाजिस्ट हैं, वाटर वर्क्स के अन्दर जियोलाजिस्ट है, अब आप देखिए सरकार आज तक भी पूरे राजस्थान का, पूरे गांवों का कि इस गांव में खारा पानी है या मीठा पानी या और है, उनको लाखों करोड़ों रुपये तनख्वाह देती है उस तनख्वाह का फायदा तो उठावें, फायदा ही नहीं उठाते हर डिपार्टमेंट में जियोलाजिस्ट है। आज हमारे भाई चिल्लाते हैं मेरे ही इलाके के अन्दर कड़वा पानी है, मैंने कहा, दो हैण्ड पम्प मैं चुन कर आया उससे पहले लगा दिये फिर चिल्लाने लगे कि कड़वा पानी है मैंने पीया तो वाकई कड़वा था । तो मैंने एक सेठ से कहा कि भई तेरे पास मीठे पानी का कुआ है, दे दो तो उस सेठ ने कहा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बात न कीजिए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षजी, आगे जो कुछ हो गया, हो गया एक पी. एच. सी. स्कीम, उसकी मोटर का पता नहीं, पाइप का पता नहीं, किसी सरपंच के घर में मोटर पड़ी है, किसी के घर में पाइप पड़ा है। यह स्थिति है, तो इसके अन्दर, इस पी. एच. सी. के अन्दर मैंने एक इंजिनियर साहब से पूछा कि कितना खर्च होता है तो उन्होंने कहा कि कि 60-70 हजार खर्च होते हैं तो आप देखिये राजस्थान का कितना रुपया खर्च हुआ। आप देखिए यह हमारे खून का पैसा है, अध्यक्षजी, हमारे खून के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करते हैं सरकार और सरकार के अन्दर मुलाजिम बैठे हैं वह, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब बरदाश्त नहीं किया जाएगा यह पैसा जितना बरदाश्त कर लिया, वह कर लिया वह सदस्य भी ऐसे ही थे, चुन कर आये वह सदस्य भी ऐसे ही थे लेकिन अब जो चुन कर आये वह बड़ी हिम्मत और बड़े ईमानदार और सच्चाई से जनता ने वोट दिया है। इधर के या उधर के सदस्य हों और मैं उन सबसे

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

निवेदन करूंगा कि बाकायदा सरकारी अफसरों का मुकाबला करेंगे कि गलत काम करें तो उन अफसरों की सिफारिश नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्षजी, 2-3 बातें। माननीय अध्यक्ष जी, जो नलकूप लगाए, उसके अन्दर सरकार का काफी रुपया खर्च हुआ और वह बन्द पड़े हैं मैंने आज आपके पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर साहब से बात करी वह पैसा देने के लिए तैयार हो गये परन्तु पैसा नहीं देते वह बन्द पड़े रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पैसा यह आफिसर दे देते, गवर्नमेंट-गवर्नमेंट को कह दे कि हम नहीं देंगे, फिर बन्द पड़े रख कर क्या करोगे आज 15-20 वर्ष हो गये जो गांवों के अन्दर सर्वे करा कर और उन्होंने पाइप फिट किए थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें कृपया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्यूब वैल फिट किए थे, अब याद आ गया माननीय अध्यक्षजी, जो ट्यूब वैल का काम लेते हैं और जो मोटर बिजली के लिए पी. एच. ई. डी. वाले आप देखें उनमें दुभात उनका एस्टीमेट बनाएंगे पी. एच. ई. डी. वालों का बिजली वाले तो एक का चौगुना पैसा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपसे अध्यक्षजी कहना चाहता हूँ कि आज मेरे इलाके के अन्दर करीब 6-7 स्कीम चल रही हैं उनका पैसा जमा कराए हुए 6-7 महीने, 10 महीने हो गये एल. फार्म पर वह बिजली नहीं दे रहे हैं, भाई, मेरा कहना यह है कि सरकार से नम्र निवेदन है कि अगर बिजली नहीं मिले तो उनके आदमी तो रहते ही हैं, या तो जनरेटर लगादें या इंजन लगादें तो झगड़ा मिटे बिजली वालों से बात करने का तो मेरा आपके माध्यम से अध्यक्षजी कहना है कि सरकार को आगे जो रुपया खर्च किया जाय वह सर्वे करके किया जाय, जियोलोजिस्ट और जो ग्राउण्ड वाटर बोर्ड हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास जो मशीनें, आज ग्राउण्ड वाटर बोर्ड इसलिए बनाया सरकार ने, कि बैंकों से रुपए ले लें और नो प्रोफिट नो लोस पर चले पर उसमें भी आज लोस है इस ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को छोड़ देना चाहिए सरकार को और पी. एच. ई. डी. में श्री अध्यक्षजी बता देना चाहता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उसमें भी यह पाइप लाइन लगाने का डिपार्टमेंट है, यह सब होना चाहिए। इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री माणक डाणी।

श्री संपतसिंह : माननीय अध्य क्ष जी मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, हमारा स्थगन प्रस्ताव 10 दिन से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें, व्हाट पाइन्ट आफ आर्डर, समय का ध्यान रखें, इट इज नो पाइन्ट आफ आर्डर, सदन का टाइम जाया न करें,

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी का अत्यधिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस राज्य का शासन संभालते ही ब्यावर के अन्दर साढ़े तीन करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कर दी यह बहुत ही अहम् मसला था। अजमेर जिले में पानी का जो संकट है, आज सारे राजस्थान की निगाह ब्यावर की ओर लगी हुई है और सब इस बात को मान कर चलते हैं कि जहां 4-4 दिन से पानी मिलता है उस ब्यावर नगर की क्या हालत होगी। आज बरसात के आंकड़ों को उठा कर देखें तो 82 आंकड़ों के हिसाब से अजमेर जिले का 19वां नम्बर आता है जहां पर बहुत बरसात हुई है और अगर 81, के हम आंकड़े लें तो राज्य में वैसे 16वां स्थान है जहां 22.73 सेंटीमीटर्स बरसात हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सब डिवीजन है 84 और जो टाउन और सिटीज हैं 201 उसके अन्दर, ब्यावर की जो स्थिति है वह जिला मुख्यालय के हिसाब से नवें नम्बर पर आती है। आप अन्दाज लगाइये कि कितने दिनों से बना ब्यावर। जहां चार अन्य तहसील की जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्यावर नगर, मैं इस बात में नहीं जाकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 2400 समस्या ग्रस्त गांवों के विरुद्ध 17730 गांवों को पानी उपलब्ध कराया है। 2500 गांवों के विरुद्ध में 2359 गांव जो समस्या ग्रस्त थे, 327 समस्याग्रस्त थे, उन गांवों को लाभान्वित किया है। आज उसी के तहत पी.एच. ई. डी. के अधिकारियों की भी जो लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं तो निश्चित रूप से उनकी तारीफ कर सकता हूं, निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक। जिन्होंने निश्चित रूप से ब्यावर की समस्या का समाधान करने के अन्दर स्कीमों के माध्यम से ही नहीं बल्कि हैण्ड पम्पों के माध्यम से भी राजस्थान सरकार के दिये हुए आदेशों की तुरन्त पालन करते हुए नौकरशाही इस डिपार्टमेंट में हावी नहीं होकर उन्होंने निश्चित रूप से सहयोग देकर। अगर यह डिपार्टमेंट आज ब्यावर को सहयोग नहीं देता, आज अगर उसमें नौकरशाही हावी होती तो निश्चित रूप से ब्यावर नगर को खाली करने की स्थिति पैदा हो जाती। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात न कह करके, मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं, सर्वप्रथम अजमेर जिले की बीसलपुर परियोजना के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 40 करोड़ की यह योजना जो पहले बनी, आज 95 करोड़ की योजना के रूप में पहुंच गयी है, आज यह योजना 20 साल में जाकर के पूरी होगी, कितने साल लगेंगे। अभी कुछ देर पूर्व टौंक से आयी माननीय सदस्या ने यह कहा उसकी स्कीमों के बारे में, मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, न उन कुओं पर इफेक्ट पड़ने वाला है, न कोई पानी खत्म होने वाला है, सिंचाई के लिए

(श्री माणकचन्द डाणी)

योजना बनी है, हमें तो मात्र पेयजल ही मिला है। आज अजमेर और जयपुर, इन दोनों जिलों की पेयजल समस्या बीसलपुर योजना पूरी होने से होगी। बीसलपुर की योजना का शिलान्यास 16-11-84 को माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथुर ने किया। लेकिन उस योजना पर आज तक कितना कार्य हुआ, कितना लाख रुपया खर्च किया गया, कितने व्यक्ति, कितने मजदूर अभी तक कार्यरत हैं, कितने अधिकारियों का पदस्थापन इस योजना में वहां किया गया, कितनी इस योजना की स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कितना पैसा इस योजना के लिए रखा गया है। यह बहुत दुःख और तकलीफ की बात है मेरे लिये। 96 करोड़ की योजना अगर 20 और 25 साल में जाकर पूरी होगी तो उस समय यह योजना 150 करोड़ रुपये के आस पास पहुंच जायेगी। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मन्त्री जो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया इस योजना के लिए अधिकतम धन राशि की आप व्यवस्था करें और कम से कम इस योजना के लिए आप जब तक 20-20 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं करेंगे, प्रत्येक साल तब तक यह योजना प्रारम्भ नहीं हो सकती और इसके लिए तो सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट से अधिकतम अनुदान मिल रहा है। माननीय मन्त्री महोदय, आप हमारी इस बात को माननीय संबंधित मन्त्री तक पहुंचाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर नगर के लिए जो यह योजना, एक जो जल संकट है, यह आज की नहीं, 50 सालों से है, 50 सालों से लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जिस समय 1835 को ब्यावर नगर की स्थापना हुई उस समय जालिया और मकरेडा स्कीम थी और मात्र 8-10 लाख गैलन पानी की आवश्यकता के अन्दर आज एक लाख की जनसंख्या वाले इस नगर के अन्दर जालिया और मकरेडा पानी के जो जल स्रोत हैं यह आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते। आज जो नगर परिषद् हमें पानी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री माणकचन्द डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो प्रारम्भ हुआ, उन्हें पानी का पैसा देना पड़ता है और 3.25 लाख रुपया आज भी सिंचाई विभाग के मकरेडा और जालिया के तालावों का उनको देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3.3 के वी मरकेडा और जालिया के जो ट्रान्सफार्मर हैं वह भी हटाना चाहते हैं और जल विभाग को सौंपना नहीं चाहते, बिजली विभाग को क्योंकि उनकी लाइनें जाती हैं। 1973 में हमें टैंकरों द्वारा पानी मिला, 1983 में फिर टैंकर लगाये गये, आज 4-4, 5-5 फोट के गहरे खड्डे हैं। वहां की औरतों की कुवे निकल आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको पीने का पानी नहीं मिल पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री माणक चन्द डाणी)

जो योजना बनी और उसके लिए 350 करोड़ रुपये की नयी योजना, जो इस बार मन्जूर की गयी है उसके लिए मेरी जानकारी में आया कि शायद 20 लाख या 50 लाख रुपया इस साल के लिए स्वीकृत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना को कम से कम 2 साल या 3 साल के अन्दर पूरी करवादें और 350 करोड़ रुपये यह खर्च हो जाये इन दो या तीन सालों के अन्दर तो कम से कम एक करोड़ रुपये का प्रावधान इस ब्यावर नगर की योजना के लिए हो, निश्चित रूप से इस योजना के लागू होने से सन् 2000 तक जो भी जन संख्या बढ़ेगी, या जो भी परिस्थिति रहेगी उस तक वहां पर व्यवस्था हो पायेगी और लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा।

इसके अलावा गोमादेवी बांध, सुराघाटा फीडर पर केवल मात्र 5 लाख रुपया खर्च होना, अगर यह योजना पूर्ण हो जाती है, पांच लाख रुपया खर्च करने से तो निश्चित रूप से गाजियावास के तालाबों से होता हुआ यह पानी देवास से होता हुआ जालिया तक पहुंचेगा। लेकिन जो बांध, अगर आप इस ओर ध्यान दें तो तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी, औद्योगिक राजस्थान के निर्माता, स्व. मोहन लाल जी सुखाड़िया ने इस योजना का शिलान्यास किया। आज उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए बांध की योजना को पूर्ण कर दिया जाय तो निश्चित रूप से ब्यावर को पानी के अन्दर सहयोग मिल सकता है, वहां के गांवों के कुओं का जल स्तर बढ़ सकता है। हैण्ड पम्प की और आवश्यकता है लेकिन आज 350 करोड़ रुपये की योजना जो स्वीकार की गयी है, ब्यावर में एक एक्स. ई. एन. का पद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कायम कराया जाय, गांवों में नलकूप योजना लागू की जाय, जवाजा के अन्दर पानी की टंकी बनाने का प्रावधान है, जवाजा में कुएं को गहरे करवाने का प्रावधान है। गाजियावास की योजना प्रारम्भ करने के लिए मेरा निवेदन है। कोटड़ा और कावरा की योजना स्वीकृत की जा चुकी है लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर नगर की जो, नगर परिषद् द्वारा संचालित की जा रही है यह पानी की स्कीम उसके बारे में बहुत बड़ी तकलीफ है हमको, उसकी वजह से आज हमें पीने का पानी सही ढंग से नहीं मिल पाता। पानी आता है निमाज में तो निमाज के लोगों का बड़ा आभारी हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका बहुत बड़ा दिल, निमाज के लोगों का है, उन्होंने यह कहा, माननीय मुख्य मन्त्री जी से जब मिले, पीने का पानी हम ब्यावर को देने के लिए तैयार हैं लेकिन उद्योगों को नहीं दिया जाना चाहिए, मैं भी उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं, मैं भी उनकी भावनाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, निमाज के लोगों को, वह जब पीने का पानी देने को तैयार हैं। लेकिन उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ-11 (93) डी. एल. पी/65/661/15795-100 डेटेड 10-11-76 को जो घोषणा इस

(श्री माणक चन्द डाणी)

बात की की गयी, कि इस आदेश की संख्या के तहत पी. एच. ई. डी. को यह स्कीम ट्रान्सफर होनी थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं 13 तारीख को मिला तो स्वयं मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात के लिए आश्चर्य किया कि जो स्कीम अजमेर और ब्यावर को पी. एच. ई. डी. को ट्रान्सफर करने की बात कही गयी है, वह स्कीम आज तक ट्रान्सफर क्यों नहीं हुई और उन्होंने तुरन्त अपने सचिव, जो अभी उद्योग सचिव भी हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री माणक चन्द डाणी : उनको आदेश दिया कि वह स्कीम को तुरन्त स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करें लेकिन स्कीम की कार्यवाही आज तक नहीं हो पायी। नगर परिषद को इस स्कीम से घाटा है और सारा विकास का काम रुका हुआ है। लेकिन जब पी. एच. ई. डी. इस स्कीम को अपने हाथ में ले लेगी तो उसे घाटा नहीं होगा और 9 लाख 80 हजार रुपये मात्र नगर नगर परिषद् को इन्कम है जबकि 35.25 लाख रुपया इस पर खर्चा आता है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री माणक चन्द डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में दो बिन्दु और आपके सामने कहना चाहता हूं पानी की पाइप लाइन पुरानी है और जाम हो रखी है, छोटी पाइप लाइनें और कनेक्शन बढ़े हुए हैं। आज नयी पाइप लाइन डालने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त मन्त्री जी के कक्ष में 14.12.81, 24.3.82 को बहस हुई छोटी पाइप लाइन को बड़ी पाइप लाइन में बदलने की, बात तय हुई और उसके लिए एक्स ई. एन. पी. एच. ई. डी. अजमेर द्वारा 76.75 लाख की योजना भी राज्य सरकार को भेजी गयी। लेकिन आज तक इस योजना को अमल में नहीं लाया गया और उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट पर अपनी बात कह कर मैं बात समाप्त कर दूंगा। अगर पी. एच. ई. डी. इस स्कीम को अपने हाथ में ले लेती है तो सारी समस्या का समाधान निकल जायेगा। मैं मानता हूं कि राजनैतिक आधार पर इस बात की तकलीफ मुझे उठानी पड़ेगी क्योंकि इसके रेट्स बढ़ गये लेकिन रेट बढ़ने के बावजूद भी, मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम पीने का पानी तो मिले ब्यावर नगर के नागरिकों को। 354 सार्वजनिक नल ब्यावर के अन्दर हैं और उन पर नगर परिषद् द्वारा निःशुल्क जल का वितरण किया जा रहा है लेकिन उस जल के ऊपर अनुदान मिलना चाहिए। अन्य जगह पी. एच. ई. डी. की स्कीम है इसलिए पैसा वहां समायोजित हो जाता है लेकिन ब्यावर नगर परिषद् की जल व्यवस्था का पैसा ब्यावर नगर परिषद को पी. एच. ई. डी. को देना पड़ता है। अतः उस पैसे को ब्यावर, नगर परिषद् को दिया जाना चाहिए। 1981-82 से 1984-85 तक 50.30 लाख रुपया इनको दिया जाना है अनुदान के रूप में लेकिन 1983-84 में मात्र 8.47 लाख रुपया अनुदान स्वीकृत होकर हमें प्राप्त हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 41.83 लाख रुपये अनुदान

214

(श्री माणक चन्द डाणी)

के जो आज बाकी है और हमें मिलने चाहिए और अगर यह बात लागू हो जाती है तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है। एक मात्र छोटा सा पाइन्ट है सिवरेज योजना का, माननीय अध्यक्ष महोदय, मकरेडा जो वाटर वर्क्स है उसके अन्दर ब्यावर नगर की सारी गन्दगी नून्दरी की नदी के माध्यम से और आगे अन्य नदियों के माध्यम से जाकर उस मकरेडा के अन्दर मिलती है। आज मल मूत्र के रूप में वह पानी पीने को ब्यावर नगर के नागरिकों को मजबूर होना पड़ रहा है।

आज मल मूत्र मिले पानी को पीने को नागरिकों को मजबूर होना पड़ रहा है। सिवरेज योजना ब्यावर में लागू है और उससे निकास की व्यवस्था करें। आज हम भाषण देते हैं मैं इस बात को जानता हूं कि आज हम जो बात कहते हैं उसका प्रभाव 10 साल में पड़ेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार कहीं जाने वाली नहीं। सालों राज करने का काम कांग्रेस का ही है। राज करना ही कांग्रेस पार्टी जानती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरी योजना को स्वीकृत करायें। जिनका काम विरोध में बैठना है वे विरोध में बैठकर ही अपनी बात कह सकते हैं। उनका उद्देश्य मात्र आलोचना करना ही है। हमारा उद्देश्य आलोचना को सुनना....

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री माणक चन्द डाणी : बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको. आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज मिढा! आपको भी मौका मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : कब मौका मिलेगा। गरीब लोगों को मौका ही नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च से लगातार पीने के लिए पानी की समस्या चल रही है जब भी कोई यहां असेम्बली में बोलता है, तो पीने के पानी पर, इसके सिवाय कोई बात नहीं। सूरतगढ़ शहर की यह हालत है कि कई दिनों से भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी बैठता है 15 दिन के बाद उसको उठाकर पुलिस ले जाती है दुबारा फिर बैठ जाता है और उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज किये जाते हैं कहते हैं आत्म हत्या कर रहा है पानी पीने को नहीं मिलता है इस लिए आत्म हत्या के नाम पर उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज कराते हैं। आप पानी नहीं देंगे तो, आत्म हत्या तो नहीं करेगा मगर पानी जरूर मांगेगा। यह हर एक आदमी का हक बनता है पानी मांगने का। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि पानी के बगैर कोई भी जिन्दा रह सकता है। इसके बाद आज भी वहां हड़ताल है और

(श्री हंसराज मिढ़ा)

वहां के लोग भूख हड़ताल पर हैं 200 महिलाओं ने जुलूस निकाला। हरिजनों में 113 भूख हड़ताल पर बैठे। इस तरह यह कैसे कार्य चलेगा। पानी के अभाव में लोग भूख हड़ताल पर बैठे, उनको जेल में डाल दिया गया, मुकदमे कर दिये गये यह बहुत बेजा है इसके बाद जितनी रिपोर्ट आयी है। बहुत सही नहीं है। असत्य है। विजयनगर की जो पानी की समस्या है वह कभी हल नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि बिजली की मोटर कभी छोटी बतला देते हैं कभी कहते हैं कि ट्रान्सफारमर छोटा है इसलिए पानी पहुंचता नहीं है। यही हालत जैतसर की है रायसिंहपुर में वह जबसे यह स्कीम पेश की है मगर अभी तक उनको पानी नहीं मिला है मण्डी होते हुए भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अनूपगढ़ के वार्ड संख्या 3,9 और 10 की यह पोजिशन है कि कई दफा एक्स .ई. एन. से मिला, सूरतगढ़ जाकर, के उन्होंने कहा कि पाइप लाइन छोटी है, 8 इंच की नहीं है 6 इंच की है और फलां तारीख को मेरे पास नोट है हम इस पाइप लाइन को बड़ी कर देंगे, जिस वार्ड में पानी नहीं पहुंचा है, हम पहुंचा देंगे। मगर कोई परवाह नहीं की गयी, झूठे आश्वासन सरकार देती है, झूठे आश्वासन अफसर देते हैं। इस तरह से जब जनता के सामने असत्य भाषण करते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

फिर आ गया घड़साना। टंकी नहीं है उसमें यह पोजिशन है कि जो कार्य है वह बिलकुल सुस्त चल रहा है। कोई कच्ची बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं है। जहां भी कच्ची बस्तियां हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है। 1971 की जनसंख्या के हिसाब से वहां पर 200 गांव थे, आज 900 गांव हो गये हैं, नहर क्षेत्र बनने के बाद नहर का पानी आ जाता था नहर के पानी से गुजारा कर लेते थे। अब नहरों में पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हंसराज मिढ़ा : न तो पशुओं के तालाब हैं, न कच्ची बस्तियों में डिग्गी की व्यवस्था है। छोटी सी मण्डी है, छोटी-छोटी स्कीम बनी हुयी है। पानी की।

शिवपुरी में पानी की टंकियां बनी हुयी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

श्री हंसराज मिढ़ा : दो साल से खाली पड़ी हुयी है मगर पानी नहीं भर पाता है। क्या कारण है? कभी कहते हैं कि आर. सी. पी. ने बनाया है कभी कहते हैं कि पी. एच. ई. डी. बनाया पता नहीं किसने बनाया है परन्तु इसमें पानी नहीं डाला जाता है। केवल पीने के पानी को डालें तो व्यवस्था सही हो सकती है।

फिर आ गया-मीटर, जितने मीटर लगे हुए हैं या तो खराब हैं या कभी 200 का बिल आ गया, किसी को 500 रु. का बिल दे दिया। अव्यवस्था है और कोई सम्भालने वाला नहीं है।

इसी तरह से रायसिंहनगर की यह स्थिति है, बहुत पुरानी स्कीम है। पानी

(श्री हंसराज मीढ़ा)

पूरा नहीं आता है। हरिजन बस्तियों में पानी नहीं है। उसकी वजह से हर जगह अव्यवस्था है। हाँ एक बात जरूर है कि एक नहर फ्लड कंट्रोल बना रहा है। वह 36 आर. डी. बनी है दो ढ़ाई साल में और 95 आर. डी. नहर है अगर वह नहर बन जाये और उसमें पानी डालकर करें तो उस एरिया को पानी दे सकते हैं। 25 साल से लगातार पाकिस्तान को घग्घर फ्लड का पानी जा रहा है अगर इस पानी को यूटीलाइज किया जाता तो यह पानी की समस्या हल हो सकती थी। इसके अलावा पम्प लगा देते। रोपड में सीम आ गयी है पंजाब में सीम आयी तो पम्प लगाया तो सीम दूर हो गयी और पीने को पानी मिला इसलिए यह सारी व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से स्पष्ट करता हूं कि, व्यवस्था करें, जिससे लोगों को परेशानी न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा महत्वपूर्ण जन को और प्राणी मात्र की कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पेयजल पर चर्चा चल रही है। शास्त्रों में भी इसका समर्थन किया गया है।

अदबिर गात्राणी शुद्धयन्ति
मनसत्य शुद्धयति,
विद्यातयो भयाम् भूतात्मा,
बुद्धिर ज्ञानेन् शुद्धयति :

मनुष्य के जीवन की सबसे पहली अगर कोई आवश्यकता है तो जल की है तो हम एक ऐसी महत्वपूर्ण जन आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भूमिका में नहीं पड़कर के चूंकि समय के अभाव को मद्देनजर रखते हुए आपके माध्यम से जो मेरे क्षेत्र में इस जन आवश्यकता का अभाव है उसके संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और साथ में उनके समाधान के लिए कुछ सुझाव भी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय मेरे चुनाव क्षेत्र में बागरा, बाकरा, बालवाड़ा ये तीन बड़े-बड़े कस्बे हैं परन्तु यहाँ पर कम से कम 2 साल से रीजनल स्कीम की जो टंकियां बनी हुयी हैं वह डेमेज पड़ी हुयी हैं जिसके कारण इन गाँवों में पेयजल की गम्भीर समस्या हो गई है। उपभोक्ताओं को, जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, उनको पानी नहीं मिलता है इन टंकियों के अभाव में। इसके बारे में मेरे क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को, जिला परिषद की मीटिंग में और मन्त्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया परन्तु अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान होगा।

अध्यक्ष महोदय, जो बिशनगढ़ के अन्दर जो टंकी है वह उस समय की बनी

(श्री मांगीलाल आर्य)

हुयी है, जिस वक्त में वहां आबादी के हिसाब से और पास के गांव जो कि रीजनल स्कीम और जो कमीशन में नहीं आये थे, परन्तु इस वक्त गांवों की बढ़ती हुयी संख्या है कमीशन के आये थे, जिसका जंक्शन बिशनगढ़ टंकी से है। पर्याप्त नहीं है टंकी छोटी है और कनेक्शन ज्यादा हैं गांवों में इस वास्ते पानी पर्याप्त नहीं पहुंचता है। मेहरबानी करके इसकी क्षमता बढ़ायी जाय या दूसरी टंकी बनायी जाय।

इसी प्रकार से उम्मेदाबाद में भी यही समस्या है वहां टंकी बहुत पहले की बनी हुयी है। छोटी है। इसलिए दूसरी टंकी का निर्माण कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेड़ा उपरला के अन्दर जी. एल. आर. स्कीम लागू है करीब दो वर्षों से। ये स्कीम वहां पर लागू है परन्तु दो वर्ष के बाद आज तक भी उस गांव में पानी नहीं दिया गया। इसी प्रकार वासन में भी जी. एल. आर. स्कीम करीब डेढ़ साल से लागू है परन्तु हौद वहां पर भी इसी तरह खाली पड़ा है चाहे वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में चांदना मंडगांव में हैण्ड पम्प स्कीम लागू है। हैण्ड पम्प जो लगे हुए हैं उनमें मुश्किल से एक आध कोई चालू होंगे बाकी खराब पड़े हैं। उनकी समय-समय पर मरम्मत भी की जाती है मगर फिर भी पता नहीं वे बराबर नहीं चलते। इसलिये उस गांव के अन्दर पेय जल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अतः हैण्ड पम्प की जगह रीजनल स्कीम में इसको लिया जाय। सियाना पास में है। सियाना से अगर इनको जोड़ा जाय तो इस गांव की पेय जल समस्या ही हल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत शेड्यूल कास्टस की बस्तियों, शेड्यूल ट्राइब्स की बस्तियों की पेय जल समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पूरे गांव की, हरिजन बस्तियों की लिस्ट विभाग को प्रेषित की है। मन्त्री महोदय को भी दिया है परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में चाहे आपकी रीजनल स्कीम हो, चाहे जी. एल. आर., चाहे टी. एस. एस. स्कीम हो जिस गांव में भी लागू हो मगर वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पेय जल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनको वहां पर पानी भरने में भी वह सुविधा नहीं जो कि दूसरे समाज को है। इसलिये इनके लिये तो सुधार की स्कीम लागू नहीं हो बराबर उस पर अमल हो इसलिये मेरा विशेष तौर से निवेदन है। मैं आपकी मारफत से सरकार को विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बस्तियों में योजना बना करके आप पी. एस. पी. लगाये चाहे वह आपकी रीजनल स्कीम हो, चाहे टी. एस. एस. स्कीम हो, चाहे जी. एल. आर. स्कीम हो। पी. एस. पी. ओ. के अलावा उनके पेय जल की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। मैं

(श्री मांगीलाल आर्य)

आशा करता हूं कि आप अविलम्ब ध्यान देंगे। देवाड़ा बिक्तसर, डागरा, उमेदाबाद, केसवना, एलाना, सेलाना, बागरा, रेवतरा, देवाडा, पीबलसर, सुसेरगढ़, सरदारगढ़, महेशापुरा आवलोज वालेरा, डकातरा, आलासण, बाकरा इन गांवों के अन्दर भयंकर समस्या हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राईब की बस्ती हैं। ये सुविधाओं से वंचित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ ट्यूबवेल जो हैं, जिनकी आवश्यकता है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी रायपुरिया से जो अभी स्कीम बनायी है मगर अभी-तक वह पूरी नहीं हुई है देवाना बीबलसर, आकोली और सुमेरगढ़ इनको पानी पहले आकोली से दिया गया था परन्तु आकोली बिल्कुल नीचे है और ये चारों गाँव हैं ऊपर आने से आठ साल से स्कीम लागू है परन्तु पानी नहीं पहुंचता है। अब जो यह पानी दिया जाने वाला है वह रायपुरिया से। रायपुरिया में पर्याप्त पानी है। मीठा पानी है। अगर जरूरत हो तो एक हैण्ड पम्प, एक ट्यूबवेल और खोद दिया जाय वहां तो इन गाँवों को पानी वहां से मीठा पर्याप्त मिल सकता है क्योंकि रायपुरिया ऊंचाई में आया हुआ है। पानी इन चारों गांवों में आसानी से पहुंच सकेगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य : जी सर। उम्मेदाबाद के अन्दर पानी की जटिल समस्या है। पानी खारा हो गया है और ऊण्डा चला गया है। इसलिये उम्मेदाबाद केसवनरा के रास्ते में जो नदी आती है वहां पर मीठा पानी है। अगर वहां ट्यूबवैल खोदा जाय तो उम्मेदाबाद और ऐलाना, डांगरा और नीमलाना इन चार गांवों की समस्या इस ट्यूबवैल से हल हो सकती है ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत से जो ट्यूबवैल खुदे हुए हैं मगर वे यों ही पड़े हैं जिसके कारण उन गावों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है ध्यान दिलाना चाहता हूं। डूडसी के अन्दर ट्यूबवैल खुदा हुआ है। रेवतड़ा के अन्दर ट्यूबवैल खुदा हुआ है। बांगरा के अन्दर ट्यूबवैल खोदने के लिये एक स्कीम जो है वह चालू नहीं हुई है अगर वह ट्यूबवैल खोदते हैं तो बागरा की समस्या हल हो सकती है। भागली के नीचे जो ट्यूबवैल है उसकी संगति में सात गांव हैं और सात गांवों में एक ट्यूबवैल से पानी पर्याप्त नहीं पहुंचता। एक-एक गांव में हफ्ते के अन्दर एक-एक दिन पानी जाता है और वह भी एक आधा घण्टा पानी मिलने से। उन गांवों में पेय जल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिये खेत की ट्यूबवैल....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री मांगीलाल आर्य)

चालू हो जाता है तो इन गांवों की समस्या आधी उस ट्यूबवैल से और आधी दूसरे ट्यूबवैल से भागली से होकर के ये पेय जल की समस्या का समाधान हो सकता है। धनाणी में ट्यूबवैल खुदा हुआ है। वह भी शुरू नहीं हुआ है। धानाजी, लोदरोऊथ लवाड़ इस ट्यूबवेल से तीनों की समस्या हल हो सकती है। ट्यूबवैल खुदा हुआ पड़ा है। अगर वह चालू हो तो कुआवेर और कुआवेर की ढाणी में इनकी समस्या हल हो सकती है। मेटाला सियाना का ट्यूबवैल खुदा हुआ है धौरा ढाणी इसके नीचे 9 गांव हैं और 9 गांव होने से पर्याप्त पानी वहां नहीं पहुंचता है। सियाना का ट्यूबवैल खुदा पड़ा है। अगर वह शुरू होता है तो इन गांवों की समस्या हल हो सकती है। लैटा ट्यूबवैल से अगर मेहरापुरा की समस्या हल हो सकती है। ट्यूबवैल खुदा हुआ है। गांव डांगरा में पानी भी खारा है किन्तु कुदरत से यही एक ट्यूबवैल है जहां पानी मीठा निकला है। अगर ये ट्यूबवैल चालू होता है तो डांगरा की समस्या आसानी से हल हो सकती है, मैं इसी के साथ गांव डागरा में—

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मांगीलाल आर्य : पशुधन पेय जल की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। चूंकि जालौर एक ऐसा क्षेत्र है····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य····

श्री मांगीलाल आर्य : वहां पर पानी की जटिल समस्या है और जानवरों के लिये भी अत्यन्त समस्या है। इसलिये मेहरबानी करके पशु धन के लिये आलासण, कतरोसण, महेशपुरा आदि। इन गांवों के अन्दर तो अत्यन्त समस्या है। मेहरबानी करके जो सरकार की योजना है वह लागू की जाय और इन गांवों में पशुधन की पेय जल समस्या को भी हल किया जाय। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह। मैं दूंगा नम्बर, आप बैठें। आर्डर प्लीज····

(व्यवधान)

सात बजे तक बढ़ाया जाय····

श्री सी. पी. जोशी : सात बजे रिप्लाई हो जाय····

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय आज की मांग पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से आज की निर्धारित मांग पारित होने तक

(श्री अध्यक्ष)

के लिये समय बढ़ाया गया ।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देता हूँ कि सरकार की ओर से उत्तर 7.30 बजे दिलवाना उचित रहेगा····

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे लम्बी लिस्ट पकड़ा रखी है । आर्डर प्लीज । आपने खुद ने मुझे इतनी लम्बी लिस्ट दे रखी है । या तो आप माननीय सदस्यों को कह दीजिये न बोलें, मुझे क्या आपत्ति है ? आर्डर प्लीज । आपने खुद दी हुई है लिस्ट । श्री सम्पतसिंह,

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिये आपसे····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखते हुए ।

श्री सम्पत सिंह : मैंने निवेदन किया था और वह था भरतपुर जिले में कस्बा नगर, कस्बा गोपालगढ़, कस्बा सीकरी और गुलपाड़ा की बावत । सबसे पहले मैं नगर के पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । मैंने जिस वक्त स्थगन प्रस्ताव दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी सरकार से जानकारी कर लेंगे मुझे नहीं मालूम सरकार की तरफ से वहां क्या जानकारी हुई लेकिन मेरी जो ओपिनियन है और वहां से पता किया है वहां टी. डी. एस. की मात्रा आयी है 5 हजार और दूसरे जो तत्व हैं वह भी मालूम हुआ है कि स्वास्थ्य के लिये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है । ऐसी हालत में सामने देखने से ही पता लग जाता है कि उस पानी का क्या असर हो रहा है । छोटी उम्र में ही सफेद बाल हो रहे हैं बच्चों के दांत पीले हो रहे हैं और कंपन उनके हाथों में होता है । इस तरह से खुले रूप में पानी में ही जहर देने का काम हमसे हो रहा है जाने में, अनजाने में । एक मैंने पहले ही निवेदन किया था माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा और न कहें तो भी सब जानते हैं पानी से ज्यादा कीमती चीज इन्सान के जीवन में कोई नहीं लेकिन वहां आदमी की बात नहीं । नगर कस्बे में पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है । वहां के बारे में एक सुझाव दिया था कि जाटोली जो गांव है रियासत के टाइम से बावड़ी है और उसमें इतना पानी है कि नगर का जो है और नगर के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई हो सकता है । लेकिन क्या वजह रही होगी वहां से उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया और दूसरी जगह से कनेक्शन लिया और जो पानी नुकसानदायक है । मैं आपकी मारफत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस युग में भी अगर हम पानी को इतनी बेशर्मी से देते जाय, इन्सान की उसकी मौत नजदीक आयी है, हमारे ही प्रयासों से और फिर उसको हम काबू नहीं कर सकते, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूँ कि इन छोटी समस्याओं

(श्री सम्पत सिंह)

के लिये हम सदन का वक्त नहीं लेना चाहते लेकिन यह दर्शाने के लिये कि पानी जैसी अहम् समस्या के लिये हमें फ्लोर को उपयोग में लाना पड़ता है इसलिये सरकार तुरन्त ध्यान दे। इस बात को चलाते-चलाते कम से कम दो या तीन वर्ष हो गये हैं। कस्बा गोपालगढ़ के बारे में भी यही व्यवस्था है। खारा पानी है और उस पानी को नहीं बदला जा रहा है। पड़ौस में आधवाड़ी गांव है जहां पहाड़ीवाला का अच्छा पानी है लेकिन वहां से पता नहीं क्यों विभाग के विशेषज्ञ पानी लेना नहीं चाहते। कस्वा सीकरी की बाबत भी यही समस्या है और गुलपाड़ा गांव में तो जो बहुत बड़ा गांव है इस क्षेत्र का। तत्कालीन मुख्य मन्त्री माननीय शिवचरणजी माथुर वहां गये थे और उन्होंने उद्घाटन किया था उस क्षेत्र की विषम समस्या को देखते हुए ही। पता नहीं क्या वजह रही होगी अब तक वहां वह अण्डरग्राउण्ड नलकूप का जो उद्घाटन किया था वह चालू नहीं है तो मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार तुरन्त ध्यान दे। और कई गांवों को पानी नहीं मिले। गांवों के हिसाब से भी नगर, सीकरी, गोपालगढ़ गुलपाड़ा के इर्द-गिर्द जितने गांव हैं, 223 गांव हैं नगर क्षेत्र में कुल और कम से कम नहीं तो 150 गांवों में मैं व्यक्तिगत होकर आया हूं, चुनाव के बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां यही किल्लत है पानी की और देहाती इन्सान की बातों में कोई फरेब नहीं दिखता, वह पानी पी पी कर के हमने देखा है। बहुत ही संघन समस्या पानी की वहां पर है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ गांवों में भी पीने के पानी की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मेरे ख्याल से....

श्री अध्यक्ष : काफी कह चुके, माननीय सदस्य....

आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

आपसी बातचीत नहीं।

श्री सम्पत सिंह : फिर भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही काफी नजदीक में ही यह समस्या हल हो सकती है। बहुत से गांव ऐसे हैं बड़े गांव, जहां पर टंकी बन चुकी है, पाइप लाइन बिछ चुकी है लेकिन न मालूम क्यों बिजली विभाग से, जबकि पानी के विभाग द्वारा पैसा जमा करा दिया गया है फिर भी कनेक्शन नहीं हो रहे हैं यह भी बड़े ताज्जुब की बात है। दोनों विभाग आपस में इस तरह से बात करते हैं गोया अलग-अलग मुल्क की कोई सल्तनत हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह समस्या अगर हल हो जाय। इसके साथ-साथ हर गांव में, हर कस्बे में, हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हरिजन के यहां अगर कुआ है, हरिजन के हैण्ड पम्प है तो वहां जाटव जाने पर गुरेज करता है, जाटव का अगर कुआ है, जाटव का अगर

(श्री सम्पत सिंह)

हैण्ड पम्प है तो वहां पर हरिजन जाने से गुरेज करता है। अव्वल तो हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं की कमी हम मानते हैं कि उनका सोच हम इतना नहीं बढ़ा पाये कि कम से कम अभावग्रस्त जगह में एक चीज से काम चला लें। लेकिन फिर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इन कमजोर वर्ग की समस्याओं को पानी के बाबत तुरन्त सुलझाया जाय क्योंकि उनकी समझ इतनी हैं। इसलिये जैसे वह कहते है वैसे करना चाहिये····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : मैं निवेदन करूंगा, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसमें कोई मजाक की बात नहीं गांव देहात में, इन तीनों-चारों कस्बों का जो मैंने नाम गिनाया है उनमें यह एक आम चलन हो गया है कि छोटी उम्र के बच्चों के लिये भी मां-बाप यह डर करने लग गये हैं कि शायद हमारे बच्चों को रिस्ते नाते भी आयेंगे या नहीं आयेंगे। लोग रिस्ते नाते करने में भी झिझकते हैं, यहाँ तो इतना नुकसानदायक पानी है। एक आम इम्प्रेशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी और हम भी यहां पर देख रहे हैं जितने भी माननीय सदस्यों ने बात कही है और वह अपने इलाके की कही है, उनको या तो इल्म नहीं है या हम अपनी समस्यायें नहीं बता पाये हैं अब तक माननीय सदन को, कि भरतपुर में 80 फीसदी पानी खारा है, पूरे जिले में। इसलिये रियासत के जमाने में जहाँ-जहाँ बड़े कूए बनाये गये सबके पास डिग्गियां बनाई गई जिससे वहाँ पर बारिश का पानी इक्ट्ठा हो जाय तब उस कुएँ का मीठा पानी बना रहता था, वाटर लेविल भी ऊपर बना रहता था लेकिन अब ऐसी व्यवस्थायें हुई हैं, हर कस्बों से एनक्रोचमेंट बढ़े हैं, पुराने रास्ते बन्द हुये हैं पानी के, वह डिग्गियाँ सूखी रहती हैं इसलिये वह कुएं भी सखे रह गये हैं। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। खास तौर से डीग के तालाबों के किनारे जितने कुएं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इसलिये सूख गये कि तालाबों में पानी नहीं था। पिछले दिनों पानी आया तो पीने के पानी की थोड़ी बहुत समस्या हल हुई। अध्यक्ष महोदय, गाँव का आदमी चाहे यहाँ आकर अपनी गुहार नहीं कर सकता हो लेकिन वह अफसोस जरूर करता है अपने मन में और जब हम यहाँ से जाकर चर्चा करते हैं, हम यह नहीं चाहते हैं कि शहर में पीने के पानी की व्यवस्था न हो, यहाँ फव्वारे नहीं चलें लेकिन हमारे छोटे मन में यह दिक्कत जरूर महसूस होती है कि एक तरफ तो

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इतना पानी और दूसरी तरफ वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं। और आम आदमी के

(श्री सम्पत सिंह)

दिल से यही अफसोस निकलता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो इत्तफाक से माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी विराजे हुये हैं उनको हमसे ज्यादा गांव की दिक्कतें मालूम हैं लेकिन आज आम आदमी यह चाह रहा है कि जितना पैसा शहर में लग रहा है उसका अगर एक हजारहवां हिस्सा भी अगर गांव में हो और वह भी पानी जैसी समस्या पर लगा दिया जाय तो वह बड़े अहसानमन्द होंगे और इसीलिये मैं सूक्ष्म में निवेदन कर दूं कि वह आदमी क्या सोचता है, चाहे उसके मुंह में जुबान नहीं है अपनी दिक्कत को कहने के लिये लेकिन उसका सोच वही है जो पुराने सूफी सन्त की जुबान में अर्ज कर अपनी बात कह कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

"उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा, गालिब ।

घर में बहार आई है और हम वियावां में हैं ।।"

जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री पन्नालाल ।

आर्डर प्लीज ।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश गांवों का प्रदेश है । इस प्रदेश में अधिकतर गरीब लोग रहते हैं पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के लिये काफी काम किये हैं । सदन में माननीय सदस्यों ने पानी के बारे में समस्यायें रखी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्रीजी बहुत मजबूत हैं, हमारी सरकार मजबूत है । लेकिन प्रदेश में जिन व्यवस्थाओं की कमी है उनकी पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की है । हमारी पार्टी ने इस प्रदेश में और देश में जो काम किये हैं उनके बारे में सारे देश की जनता जानती है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में जिस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है उसी प्रकार की व्यवस्था गांवों में भी होनी चाहिये ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाड़ा जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में है इस क्षेत्र में अधिकतर गरीब आदिवासी लोग रहते हैं, मेरा क्षेत्र गुजरात की सीमा से भी लगा हुआ है । इस क्षेत्र में आजादी के बाद में हमारी सरकार ने बहुत काम किये हैं और जिन कामों की कमी है वह स्वयं सरकार के ध्यान में है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी सरकार ने गुजरात सरकार को मंजूरी देकर के कनाडा डेम बनाया । एक तरफ उस डेम में पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा इलाका बसा हुआ है । जिस समय उसमें पानी भरा रहता है उस समय तो हमारे इलाके को पानी मिलता है लेकिन पानी का लेविल नीचे जाने पर उससे गांवों में पानी की विकट समस्या हो जाती है । आज ऐसी हालत हो गई है कि जो हमारे

224

(श्री पन्नालाल मीणा)

मवेशी वहां पर पानी पीने जाते हैं वह कीचड़ में फंस जाते हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो समस्यायें हैं, जो कमियां हैं उनको पूरी करने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारा क्षेत्र आज काफी पिछड़ा हुआ है और जहां बिजली पिछले वर्षों में स्वीकृत हुई है लेकिन हमारी गन्दी आबादी के जो कुछ गांव हैं उन्हीं में बिजली की व्यवस्था की गई है और काफी आदिवासी इलाके में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पानी की समस्या के बारे में केवल।

श्री पन्नालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी से जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है। इसलिये हमारे क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अधिक समय न लेते हुये यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो काम किये हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं। हमारे माननीय सदस्य जो इस सदन में चुनकर आये हैं जो इस सदन में विराजे हुये हैं उन सबकी यह जिम्मेदारी है, जो भी प्रतिनिधि चुने हुये हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिये सरकार की अधिक आलोचना नहीं करनी चाहिये क्योंकि सरकार आपकी है, जनता की है, यह प्रदेश आपका है, देश आपका है इसलिये इस सरकार को चलाने की जिम्मेदारी आप सब की है। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जो पीने के पानी के लिये समस्याग्रस्त प्रांत है। इस समस्या के लिये हमारे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां

(7·00 सायं)

और इस भौगोलिक परिस्थितियों के होने के कारण यह प्रान्त पेयजल में सबसे पिछड़ा हुआ है। इस भौगोलिक परिस्थितियों में एक तरफ तो बहुत बड़ा राजस्थान का एरिया है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में अपने क्षेत्र के बारे में कहिये।

श्री विजयसिंह : दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली पर्वत की श्रेणी फैली हुई है। इन परिस्थितियों के कारण हमारा क्षेत्र पेयजल की समस्या से ग्रस्त रहता है। इस सबके बावजूद भी हमारी सरकार ने

(श्री विजयसिंह)

पानी के लिए बहुत कुछ किया है और आज यह स्थिति है कि बड़े-बड़े शहरों में हर जगह नल मिलेंगे यहां पर टेप नहीं लिये जाते हैं पब्लिक टेप लगे हुए हैं। दूसरी तरफ गांवों में नल योजना चालू है और जहां पर नल योजना चालू नहीं कर पाये हैं वहां पर हैण्ड पम्प की योजना चालू की हुई है और जहां पर निकलते हैं देखते हैं सार्वजनिक रास्तों पर भी पानी के लिये किसी प्रकार समस्या उपलब्ध नहीं होती। इन सबके बावजूद भी कुछ हमारी कमियां इस बारे में है। मैं बताना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प योजना एक ऐसी योजना है कि समस्याओं से ग्रस्त हो गई है सब जगह नहीं हो पाती है, कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं पर पाइप नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। इस योजना को यदि फेल करके पाताल तोड़ स्कीम चालू की जाय तो उससे फ्री हो सकते हैं और वहां पाताल तोड़ कुए लगवा करके टंकी प्रपोज की जाय तो पानी की समस्या सोल्व हो सकती है। तो इस हैंड पम्प योजना के बारे में तो यही कहूंगा कि इसकी अपेक्षा पातालतोड़ स्कीम चालू की जाय क्योंकि जितना पैसा हैंड पम्प में खर्च किया जाता है, एक गांव में चार-पांच हैंड पम्प कम्पलसरी होते हैं अक्सरकर, तो उनकी जगह एक पातालतोड़ ट्यूबवेल लगा करके टंकी प्रपोज की जाय और टंकियों से पानी उपलब्ध किया जाय तो हमेशा हमेशा के लिए पानी की समस्या से फ्री हो जायें। मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में ले जाना चाहता हूं, मेरे रूपवास क्षेत्र में एक तो खारा पानी एरिया है मतलब, खारा पानी है वहां पानी उपलब्ध नहीं होता। दूसरा पहाड़ी एरिया है वहां पर पातालतोड़ सैक्शन हो सकते हैं और कोई कुआ वगैरह या ऐसी समस्या है जिनके कारण पानी की समस्या रहती है तो पहाड़ी क्षेत्र में माननीय अध्यक्षजी से यह कहना चाहता हूं आप पहाड़ी क्षेत्र में पानी के लिए पाताल तोड़ स्कीम चालू करवायें। दूसरा खारा क्षेत्र है वहां भी कुए वगैरह पानी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लोगबाग बीमार रहते हैं, उनके पेट बढ जाते हैं, जिगर बढ़ जाते है और भारी रहते हैं इसके लिए भी टंकी प्रपोज करवा करके पाताल-तोड़ स्कीम चालू की जाय। दूसरा मेरे यहां पर बांध बारेठा है, उससे भरतपुर के लिए पानी जाता है तो एस. ई. साहब हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जहां-जहां भी जो कोई समस्या आती है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो इसके बावजूद पानी पीते हैं बांध बारेठा से तो इनको अगर बढ़ाना नहीं चाहें, भरतपुर तक सीमित रखना चाहिये। मैंने सुना है कि इसको डीग ले जाया जा रहा है तो बंध बारेठा से इरिगेशन होता है सिंचाई होती है। जो पानी की पाइप जाती है वहां पर रास्ते में लीकेज है और रोड़ों पर बहुत ही पानी भरा हुआ है तो उसका समाधान होना चाहिये। दूसरा पानी के लिए रूदरूवास पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हैंड पम्प सैक्शन हो चुका है और अभी तक लग नहीं पाया है ड्रिलिंग मशीन भिजवाई जाय एस. ई. साहब से बात की, अभी कुछ नहीं हो पाया है।

तीसरा गेलोड़ी मोड़ पर सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पर तीन चार रास्ते निकलते हैं, सैकण्डरी स्कूल है और वह डवलप एरिया अच्छा है वहा पर गम्भीरी नदी पर

(श्री विजयसिंह)

ट्यूब वैल लागू करके वहां पर ट्यूब वैल प्रपोजल की जाय गैलोडी मोड पर और वह स्कीम चालू है वहां पर मशीन वगैरह नहीं पहुंची है तो वहां गैलोनी रोड़ पर समस्या सोल्व हो सकती है और बच्चों को और आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

तीसरा इब्राइमपुर में पानी की स्कीम चालू है और वहां पर भी अभी पानी की स्कीम चालू नहीं हो पायी है इसके लिए भी मैं माननीय अध्यक्ष जी यह कहना चाहूंगा कि वहां पर आप जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें।

तीसरी स्कीम यह है, मेरे यहां बिचूना और गेलोय स्कीम है वहां पर अभी बरसात होने वाली है, बरसात के कारण पानी भर जायेगा और वहां पर फिर पानी भरने की पाइप लाइन डालने की वह स्कीम रह जायगी टंकी प्रपोजल हो गई है बिचूना में और स्कीम चालू नहीं हुई तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें।

परताय गांव में भी टंकी का प्रपोजल है और वहां पर भी अभी स्कीम चालू नहीं हो पायी है। एक नागला हीरापुर है ओर गेलोय और बिचूना स्कीम से इनको वंचित कर दिया गया है जबकि उस क्षेत्र में आते हैं, तीन चार गांव हैं उसमें और वहां भी खारा पानी है इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर एक गम्भीरी नदी नालना निकलती है और उसका पानी उस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाला है इस एरिया में तो वहां पर एक ट्यूब वैल लगवा करके टंकी प्रयोजन करके इन तीन चार गांवों की समस्या का समाधान हो सकता।

होटफतहपुर में उच्चैन से मतलब पानी की स्कीम रखी है और वो अभी चालू नहीं कर पाये हैं वहां पर पाइप नहीं डाली है तो होटफतहपुर को उससे वंचित रखा गया है वहां पर भी पानी की समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

तीसरा मेरे क्षेत्र में मेड़तपुरा आता है वो पंचायत समिति ज्ञाना में आता है तो यह क्षेत्र मेरी पंचायत समिति ज्ञाना का आता है तो उसमे अभी टंकी प्रयोजल हो गई थी और उसमें अभी पानी चालू नहीं हुआ तो पानी चालू करवाने की कृपा करें क्योंकि वहां पर एक ट्यूब वैल लगाया था वो सक्सेस नहीं हुआ। इस परपज से वो रखरखा है तो इन्होंने यह भूल की, पहले इनको देखना चाहिये था कि खारापानी है या कैसा है सक्सेस होगा या नहीं तो दिखवा करके इनको चालू करना चाहिये था वो अभी चालू नहीं कर पाये हैं। तो वहां जो किसान हैं वो कुए देने को तैयार हैं और ज्यादा दिन तो नहीं दे सकते। इस पीरीयड में साल दो साल के लिए दे सकते हैं। तो वहां से उस टंकी के लिए पानी भिजवाया जाय कुओं से वहां वो स्कीम चालू हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री विजयसिंह : थोड़ा करनसानाम बनास योजना है वहां पर पानी की समस्या

(श्री विजयसिंह)

है और पंचायत समिति थानों में भी तो वहां भी शीघ्र से शीघ्र भिजवाने की कृपा करें। यह मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कहना चाहता हूं और आपके लिए धन्यवाद देना चहता हूं, माननीय सभापतिजी ने इस छोटे, सदन के विधायक को समय दिया, बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजानखाँ

श्री रमजानखां (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, करीब पौने तीन करोड़ जनता गांवों में बसती है और पिछले दो महीनों के समय में एक अजीम किस्म का सरक्यूलर जो कि मन्त्रिमण्डल का प्रस्ताव था या अधिकारियों की तरफ से ऐसा सरक्यूलर राज्य की तरफ से आया कि गांवों के अन्दर आर-सीसी का कोई भी टैंक नहीं बनाया जाय। जो कुछ टैंक बनते हैं वे और गांवों के अन्दर किसी तरह की पाइप लाइन नहीं बिछाई जाय इस तरह का एक सरक्यूलर आया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद स्वयं ने मेरी आंखों से देखा है तो यह ग्रामीण जनता के साथ घोर अन्याय है क्योंकि शहरों के अन्दर तो पांच मन्जिल की बिल्डिंग है वहां पर तो कनेक्शन दिये जाते हैं और गांवों के अन्दर ग्रामीण जनता के लिये कह दिया जाता है कि आपको कनेक्शन नहीं दिया जायेगा, आपके लिए मोटी टंकी नहीं बनाई जायेगी आपके गांवों के अन्दर पाइप लाइन नहीं बिछाई जायेगी अगर इस तरह का सरक्यूलर है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सरक्यूलर्स को निरस्त किया जाय।

दूसरी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो पी. एन. टी की स्कीम्स को जो शुरू किया गया उसमें यह कहा गया है कि उनको भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाया जाय तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह से टी. एस. एस. की स्कीम पहले ग्राम पंचायतों के माध्यम से शुरू की गयी थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन टी. एस. एस. की स्कीम्स में से 90 प्रतिशत टी. एस. एस. की फेल हुई थी उसी तरह यह पी. एण्ड. टी. की स्कीम्स अगर ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलायी गयी तो निश्चित रूप से यह जिस ढंग से टी. एस. एस. की स्कीम्स फेल हुई थी उसी तरह यह टी. एन. पी. की स्कीम्स फेल हो जायेगी।

दूसरी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि....

एक माननीय सदस्य : टी. एस. एस. स्कीम्स का विरोध कर रहे हो क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रमजानखां : लेकिन जहां तक पुष्कर के अन्दर पेय जल समस्या सवाल है, अध्यक्ष महोदय, पुष्कर एक ऐसा नगर है जहां कि हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदमी वहां पर आते हैं तीर्थ-

(श्री रमजानखां)

यात्री वहां पर आते हैं मगर पुष्कर के अन्दर पेयजल की स्थिति इतनी भयंकर है खराब है कि मुश्किल से वहां पर एक घन्टा पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर पुष्कर की धरती के पास ही ग्राम गनैड़ा से करीब 20 लाख गैलन पानी अजमेर शहर को दिया जाता है मैं यह इनकार नहीं करता हूं कि अजमेर को पानी न दिया जाय पर पुष्कर तो सिर्फ डेढ़ लाख गैलन पानी और अजमेर शहर को 20 लाख गैलन पानी दिया जाता है। मेरा यह निवेदन है कि जब पानी पुष्कर से जा रहा है। उस पानी से पहले पुष्कर की पूर्ति की जाय और अगर उस पानी से पुष्कर की पूर्ति नहीं करते हैं तो आप दो नये ट्यूबवैल खुदवाकर पुष्कर शहर के अन्दर पानी की व्यवस्था की जाय।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ग्राम गगवाना में सन् 1960 के अन्दर और सन् 1963 के अन्दर जब हमारे, प्रधान मन्त्रीजी माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू पधारे थे तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जलप्रदाय योजना का उद्घाटन किया था। उस जल प्रदाय योजना को सन् 1962 में टंकी गगवाना में बनाई थी और पाइप लाइन भी बिछायी गयी थी और गगवाना में हजारों रुपये सरकार के इसके लिये खर्च हुए परन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक न तो टंकी में पानी ही आया और कालेसरा के अन्दर जब श्री जवाहरलालजी नेहरू पधारे थे उस उक्त जलदाय योजना का शिलान्यास किया गया था। पर अभी तक न तो वहां टंकी बनी है और न वहां अभी तक वहां पानी आया है। अभी कोई नये अधिकारी पी. एच. ई. डी. आये हैं उन्होंने कुआ खुदवाना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1963 में जो योजना बनी थी वह अभी तक पेन्डिग पड़ी है। मैं एक चीज की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि छठी पंचवर्षीय योजना में एक व्यवस्था की गयी थी कि डेढ़ हजार से तीन हजार के बीच में जिन गांवों की आबादी है उनमें पेयजल की मुहैया करायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आठ ग्राम ऐसे बड़े-बड़े हैं जिनकी आबादी दो हजार से लेकर पांच हजार तक है। इसमें नामनेर की ढाणी अरडका, ऊटड़ा, नांद, पिंचोलिया, डूमाड़ा, नागेलाव, अल्लीपुरा इन गांवों की आबादी दो हजार से लेकर पांच हजार के बीच में वहां पर टी. एस. एस. की स्कीम लागू की गयी थी पर वह फेल हो गयी वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगाये है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बड़े-बड़े गांवों में टी. एन. पी. की स्कीम्स को लागू की जाय और इन गांवों की जल की समस्या को हल किया जाय।

दूसरी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि अजमेर शहर में पिछले दस वर्षों से कुछ गांवों को सम्मिलित कर लिया गया था और वह अजमेर नगर परिषद में आगये है अब जब भी हैण्ड पम्प की स्कीम आती है तो जब भी हैण्ड पम्प लगाने की बात आती है तो उन गांवों की तरफ अध्यक्ष महोदय कोई देखता ही नहीं है इसलिये यह हैण्ड पम्प की स्कीम के तहत अगर सौ हैंड पम्प लगाने की बात हो तो

(श्री रमजान खां)

वह सो ही हैण्ड पम्प अजमेर शहर में लगा दिये जाते हैं । इसलिये इन गावों को जिनको कि अजमेर नगर परिषद की सीमा में लगा दिया है जिनमें एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है । मैं अध्यक्ष महोदय, आपको गिना सकता हूं जहां पर हैण्ड पम्प इन गांवों में अभी तक नहीं लगाया है इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि यह हैण्ड पम्प जनसंख्या के आधार पर अजमेर शहर के बाहर भी लगाये जायं नहीं तो इनको अजमेर शहर से बाहर निकाले जाय । और अगर नहीं निकालते हैं तो आप वहां पर हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था करावें एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जहां पर ब्यावर मैं रहता हूं ब्यावर शहर की जन समस्या के बारे में मेरा बहुत बड़ा नाता है । ब्यावर के बारे में हालांकि एक माननीय सदस्य बोल कर गये हैं पर एक चीज उन्होंने नहीं बोली ब्यावर के लिये निम्बाज से पानी आ रहा है और करोड़ों रुपये इसमें सरकार के खर्च होते हैं और अगर आप अध्यक्ष महोदय कभी जोधपुर पधारे हों तो निम्बाज और बर के बीच में 6 किलोमीटर के रास्ते में बीच में अध्यक्ष महोदय, कम से कम सो जगह पर वहां रास्ते में नल फूटे हुए हैं और हमारे अभियान्त्रिकी विभाग ने वहां पर कच्चे नल लगाये हैं और मैं कम से कम चार साल से देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उन टूटे हुए नलों की रिपेअर नहीं करा सके हैं । वन विभाग ने सड़क के किनारे वहां पेड़-पौधे लगाये हैं वहां पर उन पेड़ पौधों को पानी पिलाया जा रहा है पर ब्यावर को पानी नहीं मिल रहा है । ब्यावर के अन्दर अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ऐसी स्थिति खराब हो गयी थी और वह अखबारों में भी आई और उन अखबारों की कतरन मेरे पास है वहां पर पानी की बहुत भारी समस्या है और ब्यावर शहर के लिये अगर जल समस्या को हल करना है तो एक ही व्यवस्था है वह यह है कि देवासा फीडर जो पिछले अकाल के समय में 6-7 लाख रुपये भी खर्च हुए थे तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देवासा फीडर को पूरा कर दिया जाय और पाली रायपुर में जो फालतू पानी जाता है उसको रोक कर ब्यावर के तालाब में डाल दिया जाय तो ब्यावर शहर की जल समस्या का हल हो जायेगा और वहां की जल योजना पूरी हो जायेगी और अध्यक्ष महोदय, कोई झन्झट ही नहीं रहेगा इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवराम शर्मा ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. की मांगों पर मैं भी जयपुर शहर और जयपुर जिले के बारे में कुछ मेरे सुझाव देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, पाछला दिन में जयपुर शहर के सामने जमवा रामगढ़ में पानी की कमी आवा की वजह से काफी लोगों में असन्तोष हो गयो । मुख्य मन्त्रीजी ने जयपुर शहर में तत्काल

(श्री शिवराम शर्मा)

हो हैंड पम्प लगवा दिया उससे अठ के लोगो ने काफी राहत मिली । 335 हैण्ड पम्प जयपुर शहर के वास्ते लगाया पर वह जयपुर शहर के वास्ते बहुत ही कम छै यह तो जयपुर शहर के परकोटे के मायने लगाया छै परकोटे के बाहर बस्तियां कच्ची बस्तियां छै और बाहरी बस्तियां के मायने पानी की कमी छै । जयपुर शहर के बाहर भी हैण्ड पम्प लगाबा बहुत जरूरी छै । जयपुर जिला के मायने जो अधिकार छै चाहे वे जयपुर का है या जयपुर जिला का हैण्ड पम्प के मार्फत जो म्हाके अठ लोगों ने राहत दी छै वा तो सराहनीय छै । पिछला दिना जयपुर जिले के मायने जो 2700 गांव छै, जयपुर जिला की आबादी ने हैण्ड पम्प से काफी राहत मिली छै पर कुछ गांव अभाव ग्रस्त छै और कुछ गांव प्रबल मेटिक छै और कुछ गांव प्रबलमैटिक नहीं छै अब तो बरसात की कमी के कारण ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नान प्राब्लमैटिक ।

श्री शिवराम शर्मा : हां नानप्राबलमैटिक कह दो समस्या ग्रस्त कह देओ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आज भाई लोग कहवे छै कि जयपुरी में ही बोलो ।

अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प सू काफी राहत मिली छै । जयपुर में हैण्ड पम्प की योजना चालू की गयी छै । काफी लोग जो कि गांव में ढाणियों में रहवे छै, हाल ताणी वह लोग सरकार की सुविधा सु वन्चित रह गया छै जिन्हे कुआ में पानी नहीं छे उन्हे या कम छो, वा में पानी की सतह करीब 10, 15 और 20 फीट की नीचे व्हेगी छे । जिन्हे हैण्ड पम्प लगाया गया छा वह बेकार साबित हो गया । जिन्हे कुछ पानी छो उन कुओं के पानी का स्तर नीचे चल्यो गयो और गांवों में जयपुर जिसी जल समस्या व्हेगी छै ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत पी. एच. ई. डी. जी मन्त्री ने और सम्बन्धित अधिकारियां ने निवेदन करू छू, जो जल योजनाओं के द्वारा पानी दिया जावे छे, वाने चूंकि बिजली पांच सात घण्टा मिली छै ई कारण सु यह बेकार साबित हुई छै । इसलिये मैं आ निवेदन करनो चाहू हूं कि राज्य सरकार जयपुर शहर और जयपुर जिला के मायने हैण्ड पम्प लगाकर सारी प्राब्लम ने दूर करे । साथही साथ समस्या ग्रस्त गांव जो जयपुर जिला के समस्या ग्रस्त गांव की सूची में नहीं गांवों ने समस्याग्रस्त गांव घोषित कियो जावे पथरीली जमीन वाला इलाका में हैण्ड पम्प लगाबा में काफी दिक्कत आवे छै, मशीन की भी कुछ कमी छै, पावर फुल मशीना होणी चाहिजे । तो पावरफुल मशीन खरीदी जाये बी. एस. जी. जिसी ताकि जिन गांवां की पथरीली जमीन छै जो इलाका बहुत पथरीला इलाका छै....

एक माननीय सदस्य : वी. एस. जी. मशीनें।

श्री शिवराम शर्मा : हां बहुत जबरी छै वह जबरी मशीन खरीदी जावे। ताकि इन गांवों के अन्दर भी हैंड पम्प लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही छे, जल्दी से जल्दी उन गांवों की समस्या दूर की जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर, पिछले दिनों तत्परता से 335 हैंड पम्पों के वास्ते माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मन्जूरी दी छी मैं समझता हूं कि 300 से ऊपर हैंड पम्प लाग गिया और बाकी का कार्य चालू छे। लेकिन इसके साथ ही साथ जयपुर के बाहरी क्षेत्र के अन्दर हैंड पम्प की बहुत आवश्यकता छे। क्योंकि बाहरी कालोनियों के अन्दर जो पाइप लाइन डाली छी वह छोटी छी, उसके अन्दर प्रेशर कोनी। पानी की बड़ी दिक्कत छे। कच्ची बस्तियों में भी पानी की काफी दिक्कत रही छे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवराम शर्मा : बाहरी कालोनियों में सुबह और शाम काफी कम समय पानी मिल रियो छे। अगर कोई जानवर ने पानी पीनों हो, कोई राहगीर ने पानो पीना हो, तो उनके लिए पानी कोनी। पानी की बड़ी समस्या छे जयपुर की बाहरी बस्तियों के अन्दर पानी की खासकर बहुत प्राब्लम छे इसलिये, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगो कि बाहरी बस्तियों में भी कम से कम चार-पांच सौ हैण्ड पम्प लगाया जाय तो जयपुर की पेयजल की समस्या पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके छे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शिवराम शर्मा : मैं तो बोलू ही नहीं, कंजूसी बरतू हूं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की पेयजल की समस्या पर कंट्रोल करने के वास्ते विश्व बैंक योजना के तहत एक स्कीम बनाई गई छी उसमें चालीस लाख गैलन की क्षमता और जमवा रामगढ़ का पांच फुट और भी ऊंचा उठा करके पानी सप्लाई करने के वास्ते योजना बनाई छी। 40 लाख गैलन पानी काणुका नदी को पहुंचाने के वास्ते और 120 लाख गैलन पानी ट्यूबवैल से लेने की योजना छी। ट्यूबवैल वाली योजना कामयाब हुई छी, उने कार्यान्वित कियो गयो है। बाकी जो योजना रामगढ़ वाली छे मुझे पता नहीं कि पांच फीट करने का काम हुयो या नहीं हुयो। अगर नहीं हुयो है तो उसको चालू करवाया जाय।

दूसरा, ढूंढ नदी से पानी....

(7.18 सायं)

(श्री मोहन छंगाणी, सभापति, पदासीन)

जयपुर में लाने की प्राब्लम छे, अगर बाण्डी नदी से पानी लायो जाये तो ज्यादा आसान रहेलो।

(श्री शिवराम शर्मा)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जयपुर में पेयजल के लिए विश्व बैंक ने बीसलपुर योजना मंजूर की छे वह बीसलपुर योजना मंजूर तो हो गई, बांध के काम के वास्ते शायद स्वीकृति मिल चुकी छे, लेकिन अगर बंधे का काम पहले करायें और पाइप लाइनों का पम्पिंग स्टेशनों का और फिल्टर प्लांट का काम बाद में करायें तो इसे पूरा होने में पांच साल का समय लग जावे तो। इसलिए बंधे के साथ ही इन कामों को हाथ में लिया जाये तो दोनों काम एक साथ होवेला और जयपुर की एक स्थाई की समस्या पानी छे। वह अगले पांच साल में दूर हो सके छे। यह भी मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगो।

(व्यवधान)

मैं इसलिये निवेदन कर रियोछो इनको भी साथ-साथ लिया जाये क्योंकि पानी सबसे पहली जरूरत छे।

भसातपि महोदय, एक बात और कहनो चाहूंगो कि इसके मार्फत प्रदूषण की बीमारी फैलती जा रही छे। विश्व बैंक की मार्फत गटर लाइंस की योजना जयपुर के वास्ते लागू की गई छी, लेकिन पूरी तौर से जो उसमें जोर देना चाहिए छो वह नहीं दियो गयो और कुछ हिस्सों में ही पाइप लाइन डाली गई छे। इसकी वजह से जगह-जगह जो नई कालोनियां बन रही छे, पुरानी कालोनियों में भी, सी-स्कीम बहुत पुरानी कालोनी छे, उसके कुछ हिस्सों में पाइप लाइन अभी डाली गई छे जहां बोरिंग से पानी ले रिया छा, वहां प्रदूषण हो रहो छे। सभापति महोदय, जल्दी से जल्दी जयपुर के अन्दर गटर लाइन डाली जाये ताकि जो प्रदूषण से बीमारी का खतरा होने वालो छे उने रोका जा सके। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगो कि इस योजना में जो कुछ कटौती की जा रही छे वह न कर वास्तव में उने अपनी गति से चलने दियो जाय ताकि यह योजना जल्दी पूरी हो सके। मैं इतनी बात ही कहूंगो और ज्यादा नहीं कह कर अपनी बात यहीं समाप्त करूं छूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनसिंह जी।

श्री अर्जुनसिंह (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 के बारे में सदन में विचार हो रहा है। राजस्थान में पेयजल की भारी समस्या है। इसकी सभी को जानकारी है, लेकिन इसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाकर मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय को उन समस्याओं से अवगत करना चाहता हूं। वह कृपया इन समस्याओं पर ध्यान देकर इनका निवारण करें।

सर्वप्रथम मैं रानीवाड़ा की उस योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। रानीवाड़ा में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर पानी पर्याप्त है और कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पानी की काफी कमी है। ये साल सरकार ने कुछ ऐसी योजनयें बनाई कि जहां पर पानी पर्याप्त था, वहां पर पाइप लाइन लगा दी और जहां पर पानी की भारी

(श्री अर्जुन सिंह)

कमी थी उस क्षेत्र के बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्रीमहोदया को यह निवेदन करूंगा कि खैर जो कुछ पूर्व में हो चुका है वह तो हो चुका है, लेकिन अब नये कोई भी प्लांट हो, उस जगह पर हों जहां पर पानी की भयंकर समस्या है ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

दूसरा मेरा निवेदन आपसे यह है कि कुछ कुएं ऐसे हैं, जहां एक-एक कुवे से चार-चार, पांच-पांच गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। बिजली की कमी है, बिजली दो-चार घण्टे आती है, उस दरम्यिन या तो एक गांव को या दो गांव को पानी सप्लाई किया जाता है, बाकी बचे हुए गांव पानी से वंचित रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में पी. एच. ई. डी. ने 14 लाख रुपये बिजली विभाग को जमा कराये पांच-छः महीने हो गये हैं मेरा आपसे निवेदन है, मन्त्री महोदया, विद्युत विभाग को पाबन्द करें कि जब पैसा जमा हो चुका है, तो उन गांवों को डायरेक्ट लाइन से जोड़ा जाये, वहां 24 घण्टे बिजली मिले और उस कुएं से जिन-जिन गांवों को पानी मिलता है, वहां पानी पहुंचे और ये गांव पानी के लिए तरसे नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कुछ गांवों ये वाटर वर्क्स ने झील बना रखी है और पाइप लाइन लगा रखी है जैसे लाखवास, मेढक, आजोदर, डूंगरी, चान्दूर जहां पर टंकियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन लगी हुई है और टंकी से पाइप लाइन करीब बीस-बीस, तीस-तीस फुट लाकर छोड़ दिया गया है। पानी की टेस्टिंग कर ली गई है। आपने कागजों में यह बता दिया है कि टंकियां जिन गांवों में हैं, वहां कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज दिन तक उन गांवों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। सिर्फ विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा किया गया है। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना है कि आपके विभाग में जो अधिकारी हैं, उनसे कम से कम यह पूछें कि क्या कारण है, जब कि बीस,-पच्चीस या तीस फुट की दूरी पर पाइप लाइन को छोड़ दिया गया है, पानी है, मोटर लगी हुई है, कुएं हैं, सब कुछ है? लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण यह सब हुआ है। मेरा निवेदन है कि ऐसी समस्याओं का जल्दी से जल्दी से निवारण किया जाये।

दूसरा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कुछ गांव ऐसे हैं जिनके पास ऐसे कुएं नहीं है, वहां से अगर उनको जोड़ा जाये तो उपयुक्त होगा। लेकिन राज्य सरकार की ऐसी स्कीम है कि पास के जो गांव हैं, जिनकी दूरी दस किलोमीटर है, वहां से उनको जोड़ा जाय। जैसे पावली को परपड़ा से जोड़ा जाय तो उसकी दूरी दो किलोमीटर है, जबकि परपड़ा को चौत्ररोड़ी से जोड़ा गया जो दस किलोमीटर दूरी पर है। मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदया को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह राज्य सरकार का आठ किलोमीटर का खर्चा ज्यादा हुआ है, यह किस कारण से हुआ है? आठ किलोमीटर की लाइन जहां पर डाली है, अगर वह दूसरी जगह पर जहां दूरी दो किलोमीटर है, लगाये तो वहां की

234

(श्री अर्जुन सिंह)

जनता को भी राहत मिलेगी । मेरा आपके मार्फत मन्त्री महोदया से अनुरोध है कि ऐसा स्कीम बनायें जिससे कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।

तीसरी चीज। मेरे ही क्षेत्र में जसवन्तपुरा बड़ा गांव है, जिसकी पहले ही काफी आबादी थी और अब उसमें और बढ़ोतरी हो गयी है, वहां एक टंकी बनी हुई है, वह काफी छोटी है वहां पर पानी सप्लाई किया जाता है तो पूरे गांव को पर्याप्त नहीं हो पाता है और पीछे से बिजली कट जाने के कारण लोगों को दो-दो दिनों में पानी मिलता है। तो मेरा आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो-जो ऐसे गांव हैं जैसे कि जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, बडगांव, इन गांवों में जो टंकी पहले बनी हुई है और जिसकी कैपेसिटी छोटी है तो उनकी केपेसिटी बढ़ाकर उनको ऐसा किया जाये ताकि हर एक आदमी को पर्याप्त पानी मिल सके और कोई भी व्यक्ति जहां पानी की पर्याप्त मात्रा है इस चीज से वंचित न रह सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि मेरे ही क्षेत्र में एक सातरू गांव हैं जहां पर करीब 14-15 साल पहले का एक ओवरहैड टैंक बना हुआ है और आस पास उसके क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इतना पैसा लगाया है लेकिन आज दिन तक उस ओवरहैड टैंक में पानी नहीं पहुंचाया गया है जब कि पानी पर्याप्त है। पाइप लाइन लगी हुई है, लेकिन क्या मालूम क्या कारण है कि या तो ओवरहैड टैंक में कुछ तकनीकी खराबी है या सरकार के जो अधिकारीगण हैं वे यह जानते हैं अगर हमने उसको भर दिया तो वह गिर जायेगा। तो यह मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसका पता लगाया जाये कि सरकार का करीब 14-15 साल पहले का इतना पैसा लगाया हुआ है और वह जनता के किसी काम में नहीं आ रहा है। अगर उस ओवरहैड टैंक में पानी चढ़ाया जाये तो आसपास के क्षेत्र में जहां पर आज पानी की समस्या है कम से कम वह तो हल हो सकती है।

दूसरे, माननीय सभापति महोदय, मेरे ही क्षेत्र में एक चाटवाड़ा गांव है। माननीय अकाल राहत मन्त्री अभी हमारे सांचोर में पधारे थे और मैंने उस वक्त भी उनके सामने यह समस्या रखी थी कि इस गांव में करीब 7-8 कुवे हैं और वे सब सूखे पड़े हैं। माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि हम इन गांवों में टैंकर की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह गांव वाले आज भी गरीब 1½-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं जिसमें रात को महिलायें, क्योंकि एक ही कुआ है, वहां पर जाने में कतराती हैं। तो मेरा आपके द्वारा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि ऐसे जो गांव हैं जिनमें विशेष तौर से ऐसी समस्या नहीं है और पानी पर्याप्त है, लेकिन थोड़ी दूरी के उन गांवों को जोड़ा जाये तो वहां यह समस्या नहीं रहेगी।

हैंड पम्पों के बारे में तो सदन में काफी चर्चा भी हो चुकी है। यह सर्वविदित

(श्री अर्जुन सिंह)

है कि जो हैंड पम्प लगे हुए हैं उनमें से करीब आधे से ज्यादा तो खराब पड़े हुए हैं। इन हैंड पम्पों की रिपेयर के लिए पंचायत समितियों को कहा गया है, लेकिन पंचायत समिति के माध्यम से इनकी रिपेयर अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और करीब-करीब होती ही नहीं है। तो वह हैंड पम्प जिनके ऊपर राज्य सरकार ने इतना खर्चा किया था, वे मेरे हिसाब से तो बेकार ही हैं क्योंकि जिस ऐम से हैंड पम्पों को लगाया गया था वह काम नहीं आ रहे हैं और बन्द पड़े हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां पर मेरे क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा है, इन हैंड पम्पों को नहीं लगाकर अगर ट्यूबवैल खोदे जायें तो यह समस्या दूर हो जायेगी। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज हम लोग राजस्थान की उस गम्भीर समस्या पर विचार कर रहे हैं जो न केवल शहरों तक ही बल्कि गांवों में भी बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। वैसे राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों से अनेक योजनाओं के जरिये पेयजल का समाधान करने का प्रयास किया है किन्तु मेरी यह मान्यता है कि इन वर्षों में इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी यह समस्या अभी भी गम्भीर रूप लिये हुए है। यह सही है कि राज्य सरकार ने हैंड पम्पों की योजना के जरिये बहुत प्रयत्न करके पेयजल समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। आप और हम सब जानते हैं कि लगभग 24 हजार समस्याग्रस्त गांव राजस्थान में माने गये और मानने के बाद इस योजना के जरिये उनकी पेयजल समस्या का समाधान करने की भी कोशिश की गयी और मेरी एक मान्यता यह है कि जितना जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है उसके हिसाब से यह योजना भी राजस्थान के बहुत सारे गांवों में असफल हुई है। पिछले दिनों में मेरे क्षेत्र के गांवों में जहां तीन चार वर्ष पहले हैंड पम्प लगे थे। उनमें से अधिकांश जलस्तर नीचे जाने से प्रायः बेकार से हो गए। इसके साथ ही साथ एक बात गम्भीरता से सोचने की यह है कि हमारे कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ द्वारा जांच करने के बाद गांवों में हैंड पम्प खोदे जाते हैं। लगभग 15-20 परसेन्ट हैंड पम्प, जहां चयन करते हैं, उसके बावजूद भी असफल हो जाते हैं और पानी ही नहीं निकलता है। इसलिए विशेषज्ञों की यह राय, एक विडम्बना की बात है, गलत मिलती है, जिसके कारण लाखों रुपये बेकार चले जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पेयजल मानव जीवन के लिए हवा के बाद सबसे ज्यादा अनिवार्य है, उसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अधिक से अधिक आज हमें बदलने की जरूरत है ताकि यह गहराती समस्या का समाधान योजनाबद्ध ढंग से हो सके। इसके लिए आज भी कई जलस्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, वनास नदी, जिसके बीसलपुर बांध की बड़ी चर्चा हो रही है, उसके दोनों ओर सैकड़ों गांव आज भी पेयजल समस्या से पीड़ित

236

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। मैं यह जानता हूँ कि आप जयपुर, अजमेर जैसे बड़े शहरों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कई वर्षों से मांग की है और पूरा करने का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ कि इन शहरों की समस्या पर आपका ध्यान जाना जरूरी था किन्तु इसके साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि उसके किनारे बसे हुए ऐसे गांव हैं जहां आज भी फ्लोराइड का पानी उपलब्ध हो रहा है, जहां पर लवण मिश्रित पानी उपलब्ध हो रहा है, उन गांवों के लिए अब तक बनास नदी की क्षेत्रीय योजना तैयार नहीं की जायेगी तब तक उन गांवों का भविष्य क्या होगा, यह आज देखने की आवश्यकता है। फ्लोराइड का पानी भी जगह-जगह सर्वेक्षण के बाद में मिला है और लोग बहुत पीड़ित हैं। हमारे कुछ गांवों में पानी को लेकर कुछ बिमारियां भी हो गयीं और पानी की इस तरह की स्थिति रहेगी तो आगे जाकर क्या भविष्य होगा, इसके लिए भी मैं समझता हूं कि बहुत सोचने की आवश्यकता है।

हमारी इस पेयजल की तीन चार स्किमें हैं। एक में टी. एस. एस. के मामले में कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में लगभग 13 जगह टी. एस.एस. स्कीम जनता पार्टी के राज्य में आरम्भ की गयीं और 13 ही जगह आज के दिन की बात नहीं कहना चाहता हूं कि उस राज्य के टाइम से भी वह प्रारम्भ नहीं हुई और आज भी ज्यों की त्यों स्थिति है। गांवों में 500 की जनसंख्या पर हैंड पम्प लगाने की बात की जाती है। कहीं लगे हैं और कहीं नहीं भी लगे हैं। लगे उनमें बहुत सारे असफल हैं और बहुत सारे खारे पानी के निकलने से बेकार हो गए। कुछ जगह लगे, वे आज जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि टी. एस. एस. राजस्थान में, जैसा कि मैं चर्चा में सुन रहा हूं, सब जगह असफल हुए हैं और इसलिए राज्य सरकार को अपनी नीति और मापदण्ड के अन्तर्गत उनको प्राथमिकता देकर टी. एस. एस. के स्थान पर पाइप एण्ड टैंक वाली स्कीम लागू करनी चाहिए जहां जनसंख्या 2000 से अधिक है।

उससे कम जनसंख्या में किसी दूसरी प्रकार की स्कीमें हाथ में लेकर वहां की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की नितान्त आवश्यकता है। एक बात और जो सामने है, अभी भी हमारे यहां दो तरह, 1971 और 1981, की जनसंख्या के आधार पर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। 1971 की जनसंख्या के आधार पर जहां हैंड पम्प लग गये, उनकी संख्या बहुत अधिक है वहां आज नये हैंड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। जहां पम्प एण्ड टैंक की स्कीम है उन गांवों की ढाणियां दो तीन किलोमीटर्स के बीच स्थित है। एक तरफ सरकार ने पूरी जनसंख्या को आधार मानकर पेयजल उपलब्ध करा दिया जब कि स्थिति यह है आधी जनसंख्या को पानी मिलता है, आधी को नहीं मिलता है ऐसे भी कई उदाहरण हैं। जहाजपुर नगर की एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर 10 वार्ड हैं।7।। वार्ड में तो पानी मिलता है, 2।। वार्ड में आज भी पानी उपलब्ध नहीं है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की मांग के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जहाजपुर क्षेत्र से चार किलोमीटर पर बनास नदी है। दुर्भाग्य से पांच वर्षों से मेरे क्षेत्र में कोई नल योजना नहीं बनी जबकि बहुत बड़े गांव हैं और बहुत गम्भीर समस्या है। यह जहाजपुर नगर के लिये मैं चाहता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले विभाग को और मुख्य मन्त्रीजी को निवेदन किया था, लगभग 50 लाख की योजना बनास नदी की बनना बहुत आवश्यक है और वहां की टंकिया वगैरा भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं, उनकी क्षमता बहुत ही अपर्याप्त है। इस-लिये पहाड़ पर ऊंची कुछ टंकियां बनाकर जहाजपुर नगर की जो 18,20 हजार की जनसंख्या है, आज के दिन वहां की करीब करीब आधी जनसंख्या पानी की दिक्कत किल्लत महसूस कर रही है, उस ओर ध्यान राज्य सरकार का जाना चाहिये। यह मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। इस मौके पर एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे गांवों में 15, 20 वर्ष पहले जल योजना बनाई गई उसके बाद जनसंख्या काफी बढ गई, अतः वे टंकियां बहुत कम क्षमता की हैं। ईन्टूदा गांव मेरे क्षेत्र में है वहां की 30 प्रतिशत जनता को पानी मिलता है और 70 प्रतिशत जनता आज भी महरूम है, क्योंकि वहां की टंकियों की क्षमता अप-र्याप्त है। इसी तरह टंकियों और कुओं की क्षमता यथावत है। अभी कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र में जहां 16 साल पहले जन सह-योग से जनता ने पैसा जमा कराया, उस समय की नीति के अनुसार पीपुलूंद गांव वाले आज तक नल योजना के लिये बराबर मांग करते आ रहे हैं। नहीं बनी। वहां की महिलाओं ने पिछले कुछ दिन तक लगातार भूख हड़ताल की और कई दिन तक इस बात के लिये आन्दोलन किया। पिछले मई और जून के महीने में हमने उन्हें निवे-दन किया कि हम किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां महिला समाज अपनी परेशानियों को महसूस करके भूख हड़ताल करें या आन्दोलन करें, ऐसी स्थिति आज अगर वहां पैदा होती है तो विशेष प्राथमिकता के तौर पर इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाये, यह मेरी मांग है।

इसके साथ ही जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, पडेर गांव, वह 5।। हजार से अधिक जनसंख्या वाला गांव है, बनास से डाइरेक्ट सप्लाई है लेकिन वहां जलाशय नहीं हैं। आधी बस्ती को पानी नहीं पहुं-चता है और वहां के लोग बड़े परेशान हैं। पिछले 3 वर्ष से टंकियों के स्वीकृत हो जाने के बावजूद राज्य सरकार ने टंकियां नहीं बनाई है और जनता बहुत परेशानी का अनुभव कर रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप खासतौर से इस समस्या की ओर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ समस्याग्रस्त गांवों की स्थिति में भी बहुत बदलाव आ गया है। आपने 1973 और 1974 में सर्वे कराके जिन गांवों को समस्याग्रस्त घोषित किया और जिन गांवों को समस्यारहित माना, उसमें आज फर्क आ गया है। उसकी सर्वे के और आज की स्थिति के बीच में बड़ा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अन्तर है। इसलिये मैं चाहता हूं कि 11 वर्ष बाद गांवों की स्थिति बदल गई है, जल स्तर नीचे चला गया। इसलिये हर दस वर्ष में नया सर्वे हो, जिससे समस्याग्रस्त गांवों को पहिचाना जा सके। इसलिये मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करता हूं कि जिन गांवों को हमारे इलाके में ठीक माना गया, उनकी हालत भी आज गम्भीर है। ऐसे मौके पर जो आपका आधार है 1.6 किलोमीटर की दूरी और इसके साथ-साथ 15 मीटर से अधिक, जहां पानी गहरा है, उनको समस्याग्रस्त मानते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड या लवण के पानी जहां उपलब्ध हैं, वे भी समस्याग्रस्त मानते हैं और पेयजल स्रोत में हैजा और इसी तरह के नारु रोग आदि के कीटाणु जहां विद्यमान हों, उनको आप समस्याग्रस्त मानते हैं। मैं समझता हूं इस सीमा से आप फिर सर्वे करायें तो शत-प्रतिशत राजस्थान के गांव इस समस्या के आधार पर समस्याग्रस्त घोषित होने की स्थिति में हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच चुका है, जैसा आप बताते हैं कि 24 हजार के आसपास गांवों को हमने पेयजल की व्यवस्था कर दी है, मैं समझता हूं उन गांवों की आप फिर से समीक्षा करायें तो यह अनुमान आपके स्पष्ट रूप से सामने आ जायेगा कि पेयजल समस्या आज भी अधिकांश गांवों में मौजूद है। इसलिये इस बात को आप देखें।

खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव भी हैं, धुआंला और कालाबाटा से होकर केशवबिलास, जहां फलोराइड का पानी है, उन गांवों की हालत बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र की योजनाओं के लिये बराबर निवेदन किया और आपके विभाग के मापदण्ड में भी कई वर्ष पूर्व प्रस्तावित भी हुये हैं, योजनाओं में लिया हुआ है, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र की उपेक्षा निरन्तर हो रही है। मेरे पास पिछले दिनों काफी प्रार्थना पत्र आये। उन गांवों में बड़ा असन्तोष है। मैं गांवों में गया विभाग के अधिकारियों में मैंने कहा आप जाकर देख लें। ऐसे ही भरनी बागुन्दार चारनान सरसिया कई ऐसे गांव हैं जहां पर लवण मिश्रित पानी है। एक देवरा गांव, जहां हैंड पम्प खोदा तो कड़वा पानी निकला। यह स्थिति है। इसी तरह से पारोली गांव से पानी गया। ढाणियां बीच में आती हैं उनको तो पानी पहुंचा नहीं और आपने कह दिया जनसंख्या ढाणियों सहित में पानी की व्यवस्था कर दी है। तो मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की आप हमारे यहां क्षेत्रीय योजना, बनास नदी के आसपास खजरी, उलेरा जैसे बड़े गांव में, सरसिया, लौहारी कलां और टीकर जैसे तीन-चार-चार हजार की जनसंख्या के गांव हैं और आपने दो-चार हैंड पम्प लगा दिये और वह भी अब खराब पड़े हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे वहां की जनता परेशानी से मुक्त होगी?

मैंने पिछले दिनों...

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

अपने क्षेत्र के गांवों का चुनाव के बाद दौरा किया, बड़ी गम्भीर समस्या पाई और विभागीय अधिकारियों का ध्यान

(श्री रतनलाल तांबी)

आकर्षित किया। मुझे खुशी है कुछ जगह पाइप लाईन पहुंचाने का काम, कुछ हैण्ड पम्प का काम हो गया मगर बड़ी मात्रा में आज भी समस्या ज्यों की त्यों मौजूद है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे बनास नदी से क्षेत्रीय योजनायें 7-8 तैयार की जाये जिससे 30,40 हजार की निश्चित रूप से पीड़ित जनसंख्या वह पानी पीयेगी और इस पानी को पीकर के इस सरकार को दुहाई देगी। इस वक्त सातवीं पंच वर्षीय योजना जिसमें 494 करोड़ रुपया राज्य स्तर पर और 230 करोड़ रुपया केन्द्र से ग्रामीण योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने की सम्भावना बताई है, अगर इसी तरह इन योजनाओं के आधार पर आप काम करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं, राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगले वर्ष का अभी से प्लानिंग कीजिये, मास्टर प्लान बनाइये और जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्राथमिकता के आधार पर, अगली सातवीं योजना में हम चल रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो यह संभव जल्दी हो जायेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्यथा आज जिस तरह की व्यवस्था है उससे जनता बड़ी परेशान है। राज्य सरकार और हमारी प्राथमिकता से तय हुआ है कि हरिजन और पिछड़ी बस्तियों को हर साल प्रथम रखें। हैण्ड पम्प लगते हैं तो उन बस्तियों की कई जगह उपेक्षा हो जाती है। तो मैं चाहूंगा, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिस गांव में आप हैण्ड पम्प लगाना चाहते हैं, सबसे पहले शीडयूल्ड कास्ट की बस्ती में हैण्ड पम्प लगें उसके बाद दूसरी बस्तियों में लगने चाहिये। कई गांवों में भेदभाव हो गया और पिछड़ी बस्ती के लोग ज्यों के त्यों परेशान होते रहते हैं। ढाणियां रह जाती है। इन सब बातों को देखने के लिये राज्य सरकार और विशेष रूप से जल प्रदाय विभाग को ध्यान देना चाहिये। यहि तो निश्चित रूप से इस विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विभाग ने आधुनिकीकरण करके पिछले वर्षों की स्थिति से इसमें विस्तार किया है और काफी योजनाओं को बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि योजनायें इस तरीके से मास्टर प्लान में जिलेवाइज या क्षेत्र वाइज बनाई जायें और उस योजना के अन्तर्गत काम हों तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। जहां पर रोग का, बीमारियों के फैलने का अन्देशा है और जहां गन्दा पानी या दूसरे प्रकार से नुकसान होने वाली स्थिति है, उन गांवों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अगर यही स्थिति बराबर चलती रही तो आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से इस पानी की समस्या पर ध्यान देना होगा।

अन्त में एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हैण्ड पम्प लगाने के मामले में आपके सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ध्यान करके लगाये जायें क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे इलाके में कम से कम 50-60 बोर खुदे पड़े हैं, पिछले

(श्री रतनलाल तांबी)

तीन-चार साल से खुदे पड़े हैं। मेरे इलाके में हाजीवास गांव है। चार बोर किये, चारों फेल हो गये। बनास नदी के किनारे में गांवों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बोर करने से पहले पूरी तरह जाँच करके इनको खोदा जाये, क्योंकि जल स्तर काफी नीचे चला गया है। 10-15 दिन पहले मैं उस गांव में गया केवल 9-9 पाइप वहां लगाकर आ गये, जहां करीब-करीब 150, 125 फीट पानी गहरा है। इसलिये जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हैण्ड पम्प लगें वरना एक साल में, दो साल में वे हैण्ड पम्प लगाना नहीं लगाना बराबर हो जायेगा। पानी का स्तर पहले ही बराबर नीचे गिरता जा रहा है। इसलिये यह भी आवश्यक है।

किसी जमाने में मेवाड़ और खास तौर से उदयपुर डिवीजन में पानी की प्रचुरता महसूस की जाती थी और आज जगह-जगह यह स्थिति पैदा हो गई, पश्चिमी राजस्थान में के गांवों में यह स्थिति हो गई। मैं चाहता हूं कि इन गांवों में कई नदी नाले हैं, एनीकट बनाकर के और दूसरे विकास करके इस समस्या का समाधान किया जाये और आने वाले वर्षों में इस समस्या की ओर यदि ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बड़ी गम्भीर हो जायेगी। कई गांवों के लोग आज बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं 16 दिन चुनावों के बाद गांवों में घूमा। एक-एक गांव की समस्या अपनी डायरी में नोट करके लाया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सबसे बड़ी समस्या पेयजल की आई है। मेरे से तो अधिकारी भी काफी तंग आ गये। मैंने उनसे सम्पर्क किया, चिट्ठियां लिखीं। कुछ हद तक मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोशिश करके समस्या का समाधान किया। इनकी समस्या पर मैं समझता हूं, गम्भीरता से ध्यान दिया जायेगा। मुख्य मन्त्री जी का ध्यान भी मैंने पत्रों द्वारा आकर्षित किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है उन्होंने पत्र का जवाब देकर के अधिकारियों को योजना बनाने के आवश्यक आदेश दिये हैं। उन अधिकारियों और मुख्य मन्त्री जी से मैं आपकी मार्फत अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में 50 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है, जहां देश की सेना में काम करने वाले 8,10 हजार परिवार रहते हैं, महिलायें बहुत दूर-दूर से पानी लाकर बहुत परेशानी का अनुभव करती हैं। इसलिये मेरे इलाके का विशेष ध्यान रखते हुए, पिछले पांच वर्षों में एक भी योजना उस इलाके में पेयजल की नहीं बनी और बड़ी गम्भीर हालत को देखते हुए हमारे इलाके को विशेष प्राथमिकता देंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नारायण राम जी बेड़ा।

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीब 2·70 करोड़ जनता गांवों में बसती

(श्री नारायण राम बेड़ा)

है और गांवों में राजस्थान सरकार की तरफ से चार योजनायें विशेष रूप से चालू की गई-हैण्ड पम्प टी. एस. एस., पम्प एण्ड टैन्क और रीजनल स्कीम। हैण्ड पम्प योजना करीब-करीब हर गांव और पंचायत में है, मगर वह टूटने के कारण या किसी गड़बड़ियों के कारण हर स्थान पर आधे से ज्यादा खराब पड़े हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कह रहे हैं आपका ही महकमा आपके पास है।

हाँ, यह भी है, लेकिन कुम्हार हमेशा फूटी में खाता है और दूसरे को साबुत में खिलाता है। इस हिसाब से हम पीछे रहे गये।

तो मैं रीजनल स्कीम पर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। यह रीजनल स्कीम बनी, उस स्कीम के बाद हर माननीय सदस्य का यह आरोप आया कि जो अन्तिम गांव है उनमें कहीं भी पानी नहीं पहुंचता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं राजस्थान जल दाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल जो बना हुआ है उस मण्डल में पांच कमेटियां हैं, जैसा कि इस किताब में दे रखा है। उसमें एक कमेटी टेक्निकल कमेटी है जो टेक्निकल जांच करती है। तो क्या जो आखिर में गांव हैं, उन गांवों में पानी पहुंचाने के लिये टेक्निकल हिसाब से कितना पानी हमें मिल रहा है और कितना पानी हमें आगे चाहिये, यह हिसाब जोड़ा नहीं या फिर कोई प्रशासनिक गलती रह गई? जिस रीजनल स्कीम को हम चलाने जा रहे हैं, या तो उस स्कीम को चलाने वाले सही हिसाब से काम नहीं करते ठीक काम नहीं करते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि टेक्निकल गलती ही रही है, नहीं तो रीजनल स्कीम के मुताबिक जो हमें उपलब्ध है और जितना हमें आगे पंजीयन करना है उन दोनों को जोड़ने से ऐसे हालात नहीं बनते। तो मेरा निवेदन है कि रीजनल स्कीम जो आप भविष्य में बनायें, उसमें जरूरी मवेशियों के साथ जोड़ा जाय और ट्यूबवैल्स में जितने डिसचार्ज अपने को मिलते हैं जैसा कि 70 लीटर पर डे माना है, उस हिसाब से उसकी आबादी को मानते हुए अगले 10 साल में कितनी आबादी किस प्रतिशत से बढ़ेगी, किस परसन्टेज से बढ़ेगी, उसको देखते हुए कोई नई रीजनल स्कीम हाथ में लें अन्यथा हालात बहुत खराब हो जायेंगे।

इस रीजनल स्कीम के बारे में मेरा पूर्व प्रश्न में भी जवाब आया था। उसके मुताबिक कई जगह जहां ट्यूबवैल खोद दिये गये और ट्यूबवैल्स खोदने के बाद टंकी भी बन गई, कहीं जी. एल. आर. बन गई, कहीं एस. एल. आर. बन गई, मगर आज तक दो-दो साल के बाद उन टंकियों को जोड़ा नहीं गया। इसके कारण क्या है? टोड ऐसा गांव है जहां आज से 5-10 दिन

(श्री नारायण राम बेड़ा)

पहले, मेरे पास पत्र भी आया है, वहां पर पानी के बंटवारे पर बड़ा झगड़ा हुआ। एक दूसरे का सिर फोडा गया और कानून व्यवस्था भंग हुई। एक दो पार्टियों पर मुकदमें चले हैं। मैं यह चाहता हूं एस. एल आर. और जी. एल. आर., दोनों को जोड दिया जाए तो सारी स्थिति ठीक हो सकती है।

मेरे यहां पर टंकी बनी हुई है, उसको अगर जोड़ दिया जाय तो तकलीफ कही आने वाली नहीं है। सांवला कलां में आज एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं है और कुडका पीपाता गांव, जहां तक होना चाहिये था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

आपको ज्ञान नहीं है, मुझे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि चुनाव लड़कर मैं आया हूं।

मैं सांवता कलां की बात कह रहा हूं और बड़ी मुश्किल से आया हूं इसलिये कह रहा हूं ...

(व्यवधान)

इनको जरूर ले जाऊंगा और सारा यह दिखाऊंगा। जैसा कि गडोर का सवाल था, आपके जवाब में मुझे मिला था। इसी प्रकार मंगरिया ढढ़ेरा, रडोक, यहां पर टी. एस. एस. की स्कीम है आज की तारीख में। वहां आपके टैंकर चल रहे हैं, टी एस. एस. स्कीम का कुछ मालूम ही नहीं है। जहां न आपका कोई मीटर है, न कोई पाइप लाइन है, न कोई टबल वगैरह है, कोई कुछ है ही नहीं। कोई कुछ भी चीज नहीं है। आसन्डा और लाहौरी में मुझे बताया और जवाब में भी माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि वहां पर हैण्ड पम्प चल रहे हैं। यह सरासर गलत है। आज की तारीख में वहां टैंकर चल रहे हैं। न कोई हैण्ड पम्प है, न आपकी पी एन्ड टी की कोई योजना में है। योजना जरूर आपकी है लेकिन बनी कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में यह कह देना चाहता हूं छोटी मोटी और हमेशा की तकलीफें हैं, उनको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

दूसरे, रतपुडिया को पानी देने में भोपालगढ़ से एक स्कीम ट्यूबवैल खोदकर पहुंचाने की। अब या तो उसमें टेक्निकल गलती है या कुछ और कारण है, या पानी कम है, मालूम नहीं, लेकिन पांच लाख रुपया लगा है और आज तक रतपुडिया गांव में बहुत कम पानी पहुंचा है। पीने के पानी की बहुत समस्या रही है। माननीय सदस्य, लूनी वाले कह रहे हैं, इनके भी कुछ क्षेत्र तारातोडा आता है। अगर उसका लेवल ऊंचा है तो क्या जरूरत थी उधर से लाये? यह गनापा से भी आ सकता था। जहां पानी भी बढ़िया है। यह टेक्निकल मिसटेक है, कोई मेरी मिसटेक नहीं है, जनता की मिसटेक नहीं है, रतपुडियां गांव की गलती नहीं है, यह भोपालगढ़ के गांव की गलती नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता

(श्री नारायण राम बेड़ा)

हूं यह टेक्निकल मिसटेक या तो वहां हैण्ड पम्प छोटा लगा हुआ है कि पानी ऊपर जा नहीं सका या कोई डिसचार्ज की गलती है। कुछ टेक्निकल मिसटेक है तभी नहीं जा सकता है या फिर कोई प्रशासनिक मिसटेक भी हो सकती है।

मैं 27 तारीख को थांन्दि गांव में गया था। मैं ठेठ गांव में पहुंचा पांच बजे, तो वहां कोई ट्यूबवैल चलाने वाला नहीं था। 6 किलोमीटर बारा से टैंकर आये थे और वह ऊंट टंकी लेकर आये थे, वापस गये हैं। इसमें क्या है? यह बनी हुई है, पाइप लाइन बिछी हुई है। इस हालत में भी सरकार का पैसा खर्च हो गया और उसके बाद भी पानी नहीं मिलता है तो उसका दर्द हमारे दिल में होता है और तो कुछ नहीं। यह जरूर कहते हैं कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद जो सहूलियत जनता को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है।

इसके साथ ही मैं आपसे बाराथोक और हठूण्डी, इन टंकियों को जोडने के लिये कहूंगा और पुरजोर निवेदन करता हूं कि इनको जोड़िये ताकि ढाणी में बसे हुए जो लोग हैं और जो पाइप लाइन बिछी है, उसका उपयोग हो सके।

इसके साथ ही ढाई परसेन्ट जिन पंचायतों ने जमा करवाये हैं, उनमें मेरे गांव की भी पंचायत है। इसमें नाथ और नहरों की पंचायत है। या तो पैसे वापस दिलवायें और अगर नहीं देते हैं तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी जो स्कीम पहले बनी हुई है उन गावों में, उसके मुताबिक काम करिये, उसको ठीक करिये ताकि पीने का पानी मिल सके। ढाई परसेन्ट जो पंचायतों का जमा है, उसके जवाब में तो यह आया है और उसके हिसाब में तो यह है कि पानी पहुंचा दिया गया है मगर हालत यह है कि मौके पर पानी पहुंचा ही नहीं है।

मैं भोपालगढ़ के भी कुछ गांव लेना चाहता हूं, झालामिनियां गांव है जहां से पाइप लाइन तो जोड़ दी, मगर आज झाला मिनियां में आज की तारीख तक एक बूंद पानी नहीं आया। हमें दुख होता है या तो पाइप लाइन जोड़नी नहीं चाहिये थी और अगर जोड़ दी है तो पानी आना चाहिये था। इसका हमें बहुत दुखः है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जहां पॉइन्ट्स हैं उनको तो जल्दी टेक ओवर करें तो अच्छा रहेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के कनेक्शन तो करीब-करीब जहां हमको चाहिये थे वहां हो गये, लेकिन रात को बिजली आती है। गांव के आदमी तो होद भर लेते हैं मगर हमें देखना होगा कि मवेशियों को कहां से पानी मिलाया जायेगा। रात को तो मवेशियों को ले जा करके पिलाया नहीं जा सकता है क्योंकि न कोई होद है, न कोई खेली है जिसमें पशुओं को पानी पिलाया जा सके। मेरा निवेदनी है कि पशुओं की हालत बड़ी विकराल होत

(श्री नारायण राम बेड़ा)

नजर आ रही है। इसलिये मैं, माननीय सभापति जी, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मवेशियों के लिये बिजली दिन को दी जाय ताकि सारे गांव के पशु पानी पी सकें।

(8·00 रात्रि)

कुछ ट्यूबवेल, चुनावों के दौरान बड़ी खुशी की बात है, पी. एच. ई. डी. महकमे ने खोद दिए। उनकी बड़ी मेहरबानी है। मगर मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि खोद दिए वह तो अच्छी बात है, मगर अब अगर आप चालू करवा दें तो जनता का भला हो जावेगा। आपके खोदने से मेरी समस्या का समाधान हो गया, मगर मैं समझता हूं कि मेरी समस्या के समाधान के साथ-साथ जनता की समस्या का समाधान भी हो जावे तो उचित रहेगा। गांव केलवा और बेरा मेडावा में ट्यूबवेल खुदे हुए हैं। कई बार मिल भी चुके हैं जिलाधीश महोदय से और दूसरे कई अधिकारियों से और और वहां अगर जल्दी चालू करवा दिया जायेगा तो उचित रहेगा। वरना खारावेरा वाली स्थिति वहां पर भी बन सकती है। कोई इसमें अंदेशा नहीं है। उनके पास दस 15 किलोमीटर के अन्दर कहीं दूसरी जगह से पानी लाने की व्यवस्था है नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैंने मेरी तरफ से जो कुछ आपको बताना चाहिए था वह सारी स्थिति बताई।

बावड़ी गांव में एक रीजनल स्कीम बनी हुई है। उसके पास ही गोविन्दपुरा और चार पांच गांव हैं। रेवेन्यू विलेज बावड़ी में आता है और वहां सारी जगह पाइप लाइन बिछी हुई है। उनको पाइप लाइन से कनेक्ट कर दिया जाय तो जो भी अपने पास पानी है और बावड़ी में पानी है, मैं चाहता हूं कि जल्दी इनको कनेक्शन दे दिया जावे ताकि गांवों में, ढाणियों में रहने वाले गरीब लोगों को पानी समय पर मिल सके। इतना ही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री थानसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भूदर मल जी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जयकृष्ण जी तोसावड़ा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : माननीय सभापतिजी, आज पेयजल पर मांग पारित की जा रही है। इसके उपलक्ष में मेरा तो एक ही निवेदन है कि हमारे राजस्थान के अन्दर पानी की बड़ी भारी कमी है और पानी की बड़ी भारी कमी के सा

श्री जयकृष्ण (तोसावड़ा)

साथ यदि हम इसको ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हमारे इस प्रान्त के लिए बड़ी भारी दिक्कत सामने आ सकती है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक पानी की समस्या को सही रूप से हल नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता और जब व्यक्ति का जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो विभिन्न प्रकार की योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम समाज को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए मानव जीवन को ही नहीं, बल्कि

श्री सभापति : आप कृपया समस्या पर आइये माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण (तोसावड़ा) : मैं समस्या पर ही बोल रहा हूं। मानव जीवन को ही नहीं बल्कि पशु जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए पानी की व्यवस्था हमें अवश्य करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि हैंड पम्प खोदने से पहले, नल योजना स्थापित करने से पहले इस प्रकार की योजना हमें अवश्य बनानी पड़ेगी और उस योजना के लिए पूरे राजस्थान के हर जिले और हर तहसील का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह देखना पड़ेगा कि किस गांव के अन्दर कैसा पानी है, मीठा है या खारा है। यदि वह मीठा है, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसको पिलाना चाहिए या नहीं और यदि वह खारा है तो उस पानी को किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध करके हर प्राणी को पहुंचाना चाहिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार से सीमित व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा तो माननीय सरकार से निवेदन है, क्योंकि जो भी पैसा पानी के लिए आता है वह सेंटर से आता है, राजस्थान सरकार इसमें कितना हिस्सा देती है या कितना इसमें भाग लेती है, यह दूसरी बात है लेकिन पानी की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि राजस्थान सूखा प्रदेश है, यहां पर पानी नहीं बरसता, यदि बरसात नहीं होती है तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं होने के कारण यहां के हर प्राणी के सामने समस्या आ जाती है कि वह पानी कहां से लाए। क्योंकि हर तहसील और हर जिले के अन्दर जमीन के नीचे पत्थर है। उस पत्थर का जब तक ठीक ढंग से सर्वेक्षण नहीं कर लिया जाय तब तक यह मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें कितना गहरा पानी है, मीठा है या खारा है। इसलिए उस पानी की वास्तविकता को मालूम करने के पश्चात् जैसे हैण्ड पम्प हमारी सरकार खोदती है या लगाती है उससे पहले पानी का सर्वेक्षण करवा लेना चाहिए। एक हैंड-पम्प लगाने में आठ, दस या पन्द्रह हजार खर्च होते हैं और कई गांवों के अन्दर कई तहसीलों के अन्दर हैण्ड पम्प हमारे वाटर वर्क्स के कर्मचारी मशीन ले जाकर के गाड़ी ले जाकर के खोदते हैं, लेकिन वहीं पानी खारा आने के कारण जितना भी

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

पैसा उसमें लगाते हैं, वह वेस्टेज में चला जाता है, बेकार चला जाता है और किसी भी काम में नहीं आता। कई गांवों के अन्दर पाइप पड़े हैं, जमीन के अन्दर उनको डाल कर छोड़ दिया जाता है। पानी खारा होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं बैठती और वास्तविकता हमारे सामने नहीं आती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन हैण्ड पम्पों को लगाने से पहले उस पानी का अवश्य सर्वेक्षण करवा लेना चाहिए। यदि मान लो उस गांव के अन्दर पानी नहीं है तो दूसरे गाँव में, जिस गांव में अच्छा पानी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आपकी स्पेसिफिक प्राब्लम्स हैं, उस पर ज्यादा स्ट्रेस करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हाँ, पानी की ही तो बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, स्पेसिफिक जो आपकी प्राब्लम्स हों, जिसमें आपने कटौती प्रस्ताव दिये हों ...

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यही तो बता रहा हूं, साहब।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये हमारे प्रान्तीय नेता हैं साहब।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : प्रान्तीय नेता तो बनने में बड़ा जोर आता है, रामसिंहजी। आप बन कर दिखाओ तो मालूम पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आसन से यह व्यवस्था हुई थी....

श्री कल्याणसिंह कालवी : बनते नहीं हैं, बनाते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : On a point of order.

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि पानी पर बोलिये आप। जो स्पेसिफिक प्राब्लम्स हों आपकी, जिसके बारे में कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : भाई साहब, बीच-बीच में टोकोगे तो जो मैं कहना चाहता हूं, वह...

श्री सभापति : नहीं, यह नहीं है। समय कम है इसलिए कहा है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इससे तो बोलने नहीं देते, वही अच्छा रहता। काहे के लिए आपका और मेरा टाईम वेस्ट कर रहे हैं?

श्री सभापति : अच्छा साहब, आप चालू रखिये । बोलिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, On a point of order.

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बीच-बीच में कोई ××× आवश्यकता ही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आसन से यह व्यवस्था हुई थी कि हर बोलने वाले माननीय सदस्य को सात मिनट का टाईम दिया जाता है । इसलिए सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर आप कह दें कि सात मिनट से अधिक का समय नहीं लें ।

श्री सभापति : इसमें, माननीय सदस्या पाइन्ट आफ आर्डर किसका है ? यह तो आपके बीच में तय करने की बात है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका ध्यान आकर्षित किया है आसन की व्यवस्था की ओर ।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन से जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था की अवहेलना हो रही है ।

श्री सभापति : आसन सिर्फ निवेदन करता है आपसे कि कृपया, आप समय का ख्याल रखिये । अभी आसन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन को याद दिला रही हैं ।

श्री सभापति : आसन की कोई व्यवस्था नहीं थी । आसन का यह है कि सदन के समय को ध्यान में रख कर इस तरह की····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन ने व्यवस्था दी थी, वह आपके ध्यान में ला रही हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । माननीय श्री जयकृष्ण तोसावड़ा ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : तो मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि हमें छोटी-छोटी योजना बनाकर छोटे-छोटे गांवों के अन्दर जहां पानी की व्यवस्था नहीं है और खारा पानी है, जिस गांव के अन्दर मीठा पानी है वहां से हम नल योजना छोटी-छोटी बना कर, व्यवस्था करके हम व्यवस्था स्थापित कर दें तो वास्तव में यह

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

जो हमारे सामने समस्या है, वह दूर हो सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार इन्दिरा गांधी नहर जो हमारे गांवों में आई है, उससे छोटी-छोटी नहरें निकाल कर या कई स्थानों पर इस प्रकार का स्थान कायम करके वहां से पानी छोटे-छोटे गांवों के अन्दर पहुंचा दिया जावे नल योजना बना करके तो उस पानी का सिंचाई में तो लाभ हो ही सकता है, साथ ही पीने के लिए भी बड़ा भारी उपयोग हो सकता है। इसलिए जो सूखा इलाका है, जहां पर रेतीली जमीन है, जहाँ पर पत्थर है, जमीन के अन्दर पानी नहीं मिल सकता, पानी के व्यवस्था वहां तक पहुंचाई जा सकती है।

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है, सभापति महोदय, बीसलपुर बांध जिसका अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी ने शिलान्यास किया था, केवल मात्र शिलान्यास करके किसी काम को छोड़ देना समाज के लिये सार्थक नहीं है। उनको जल्दी से बनाये। साधारण जनता के लिये, गरीब जनता के लिये छोटे-छोटे गांवों के अन्दर जहां पानी के लिये आदमी तरसते हैं, जल्दी से उस योजना को पूरा करके यदि पानी पहुंचा दिया जायगा तब जाकर बीसलपुर योजना से हमें फायदा हो सकता है। राजस्थान नहर को कई वर्षों से अब तक घसीटा जा रहा है। उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उससे जितना फायदा मिलना चाहिये, वह पूरा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार ऐसी पेयजल योजना बनाकर, हमारी सरकार शिलान्यास करके योजना बनाती है तो उसको तुरन्त पूरा करवाना चाहिये चाहे किसी योजना के मद से पैसा हटाये। ऐसे ऐसे हमारे मद हैं, राजस्थान के अन्दर ऐसी योजनाएँ हैं जो कोई काम की नहीं है उनमें जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इस मद में गठित करके यदि नल योजना को पूरा करेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तो वास्तव में हमारे प्रान्त का भला हो सकता है।

मेरा एक निवेदन यह है, सभापति महोदय, जो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, उनको डिपार्टमेंट की ओर से खोदा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, उनका हत्था बाँधने के लिये, उनमें पाइप फिट करने के लिये या उनमें किसी प्रकार का सिलेंडर डालने के लिये कोई दूसरा डिपार्टमेंट है या कोई किसी ठेकेदार से करवाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है वह हैण्ड पम्प लगा कर डिपार्टमेंट छोड़ देता है, वह यों का यों खाली पड़ा रहता है, बच्चे उसमें पत्थर डाल देते हैं फिर वह कोई काम नहीं आता। डिपार्टमेंट के अन्दर हम लाकर कहते हैं तो तो वह कहते हैं यह खराब हो गया दूसरा खोदना पड़ेगा। बड़ी भारी समस्या हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, खोदने के साथ ही उसको फिट कर देना चाहिये। यदि उसकी फिटिंग हो जाय तो सरकार का नुकसान भी नहीं हो और साधारण जनता को पानी भी मिल सकता है।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार जो योजना बना कर देती है उसमें किसी प्रकार की डिले नही होनी चाहिये। यदि उसमें देर होती है तो राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे, हमारे मुख्य मन्त्री को तुरन्त जाकर सेंटर में किसी न किसी प्रकार की योजना बना कर इस पैसे को लाकर यहां पर खर्च करवाना चाहिये, तब जाकर यह पेयजल की समस्या दूर हो सकती है। मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, नरेना एक कस्बा है। यहां के जो चीफ इंजीनियर हैं, जो एक्स. ईएन. हैं, एस. ई. हैं ए. ईएन. हैं उनको मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरे क्षेत्र की ओर से। मेरे क्षेत्र में करीब 40 गांवों की बिल्कुल ऐसी स्थिति है, वहां पानी की समस्या बड़ी भयंकर है। कम से कम पांच मील दूर जाकर औरतें और बच्चियां पानी भर कर लाती हैं। वहां पर बिल्कुल खारा पानी है, उसके कारण पांच मील, तीन मील, दो मील दूर जाकर मीठा पानी भरकर लाते हैं। इसलिये छोटी-छोटी योजना बना कर जहां पानी मीठा है, स्पेशल फण्ड हमारी तहसील को दे दिया जाय तो चालीस गांवों की समस्या दूर हो सकती है। मैं पी. एच. ई. डी. को धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि कई गांवों के अन्दर जो समस्या थी, जैसे नरेना की समस्या थी, दूदू की समस्या थी और कई गांवों की समस्या थी, वहां तुरन्त ही जैसे ही इनको मैंने कहा ट्यूबवेल लगवा दिये। इससे बड़ी भारी समस्या दूर हो गई। कई जगह हैण्ड पंम्प खुदवा दिये गये वहां समस्या दूर हो गई है। लेकिन मेरा निवेदन है कि विशाल रूप से, विस्तृत रूप से····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक योजना बना दी जाय जिससे गांवों के अन्दर जो समस्या है वह दूर हो जाय।

× × ×

श्री सभापति : आप काफी बोल चुके।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : बार-बार मैं चिट्ठियां आपके पास भेजता रहता हूं। पता नहीं क्या कारण है, सभापति महोदय, × × ×

श्री सभापति : कभी नहीं। आपको तो प्रिफरेंस दिया जाता है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आपके पहले जो सभापति महोदय बैठे हुए थे, उनको भी मैंने चिट्ठी भेजी। मैं वहां वकालत करता हूं और वहां मेरे कोर्ट के अन्दर दो तीन केस तो ऐसे लगे हुए थे, माननीय सभापति महोदय।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : मैं, माननीय सदस्य, आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : जहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई होगी।

श्री सभापति : आपने सचमुच····

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × × इसलिये, माननीय सभापति महोदय, × × × हम फालतू तो बैठे नहीं है इस सदन के पीछे कुछ न कुछ काम बीच में और कर आयें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमको समय टाइम से दिया जाय।

श्री सभापति : अब कृपया आप बोल चुके काफी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × ×

श्री सभापति : नहीं, नहीं। हम तो सुनना चाहते हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं, माननीय सभापति महोदय, हमें एलर्जी तो है नहीं कि हम बोले ही।

श्री सभापति : सीमित समय में···

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हम तो वैसे भी हमारे इलाके में जाकर बोल लेंगे····

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य सीमित समय में।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : या वैसे ही मिनिस्टर से और डिपार्टमेंट के अफसरों से काम करवा लेंगे।

× × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसी बात नहीं है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम यहां पर जीत कर आये हैं। एक लाख जनता ने हमें वोट दिया है। करीब पांच लाख जनता हमारे पीछे हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उनको सारी समस्या हम यहां आकर के नहीं सुनायेंगे तो कितनी सारी दिक्कत होती हैं····

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री देवी सिंह भाटी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : अब, माननीय सदस्य, काफी हो चुका।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : × × × ।

श्री मानिक चन्द्र सुराना : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सत्ता पक्ष के या विपक्ष के कोई भी माननीय सदस्य बोलें, कम से कम इस सदन में हमको चेयर की गरिमा का निश्चित रूप से ध्यान रखना है । मैं बहुत इज्जत करता हूं दूदू से आने वाले माननीय सहानुभाव की लेकिन हम बहुत बड़े वकील हैं हमारे कोई भी मुकदमें हैं उनका रेफरेंस देकर हम चेयर से यह कहें कि आप बार-बार घण्टी बजाते हो । हमको चेयर को निवेदन करना है लेकिन ऐसे रिमार्क्स और ऐसी भाषा, जो अभी आपने उपयोग की है, मैं समझता हूं यह चेयर की शोभा के लिये, हमारी गरिमा के लिये, सदन की गरिमा के लिये अनुकूल नहीं है ।

(व्यवधान)

इसलिये आप कन्टीन्यू करें, हम तो रात भर सुनना चाहते हैं । मैं, सभापति महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस लहजे में आब्जर्वेशन दिया है मैं सिर्फ उस पर आपत्ति कर रहा हूं । आपको समय अधिक से अधिक मिले और माननीय सदस्य बोलें, हम सुनने के लिये आये हैं और सुनने के लिये बैठे हैं और कहने के लिये भी बैठे हैं ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सदस्य ने जिस तरह की भाषा और जिस तरह की मंशा अपने शब्दों में व्यक्त की है या तो माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वे खड़े होकर चेयर से और सदन से, दोनों से क्षमा याचना करें और अपने शब्द वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं इनकी ओर से खेद प्रकट करता हूं, आइन्दा ऐसा नहीं होगा ।

श्री सभापति : यह यहीं समाप्त कर दिया जाय ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं, मैंने अपशब्द बोले ही नहीं हैं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हंसराज जी मिढा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्वयं से कहलवाइये ।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

252

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जो बात कही है····

(व्यवधान)

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये, सर।

ये जो भावना इन्होंने व्यक्त की है, मेरा विचार ऐसा है ही नहीं कि मैं चैयर को····

श्री सभापति : इसीलिये तो आपको मैंने उस ढंग से लिया ही नहीं। अच्छा हो यह प्रकरण यहीं समाप्त कर दिया जाय।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक मिनट साहब। एक मिनट। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चैयर के प्रति मेरा बड़ा भारी सम्मान है। चेयर के सामने हमारा सिर झुकता है। मैं भी सिर झुकाता हूं चेयर के सामने। मेरा कभी कोई इस प्रकार का मानस नहीं है कि मैं चैयर का अपमान करूं। यह तो माननीय सदस्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिये। यह तो कोई न कोई चीज इस प्रकार की उछालना चाहते हैं····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहीं समाप्त कर दें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : एक मिनट। इसलिये यदि मान लो, चैयर के प्रति यदि मेरे शब्दों से कोई किसी प्रकार का वातावरण ठीक न हुआ हो तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हंसराज मिढा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको सब को समय मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, चैयर के प्रति जिस प्रकार की जिन शब्दों में भावना प्रकट की गई है वह रेकार्ड में नहीं रहे।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी : एक्सपंज होने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह जो बोले हैं····

श्री सभापति : इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिये, नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वापस ले लिये तो रेकार्ड पर तो हैं ना!

श्री सभापति : वापस ले लिये। रेकार्ड पर आ गये जो वापस ले लिये।

253

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वापस इन्होंने तो नहीं लिये ना।

श्री सभापति : इन्होंने लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री सभापति : इन्होंने ले लिये, खेद प्रकट करता हूं....

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब सदस्य ने वापस ले लिये तो वह रेकार्ड से निकाल दें हमारी तरफ से उसको स्वीकार है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक्सपंज कर दिया जाय हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : एक्सपंज कर दिये जांय।

माननीय श्री हंसराज मिढा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : सभापति महोदय, वारिश के दृष्टिकोण से बहुत कम एवरेज, आबादी के घनत्व के हिसाब से बहुत कम, यहां पर रहने वाले आदमी के लिए विस्तृत भू भाग पर एक भी बारहमासी नदी नहीं, जहां आधा रेगिस्तान, आधा अर्द्ध रेगिस्तान और कहीं पर पहाड़ और चट्टान, पानी पहुंचने का काम बहुत मुश्किल है। यह बात तो सही है, लेकिन देश को आजाद हुए 38 साल हुए, हम अपनी 6 पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुके, 1981 से लेकर 1990 तक हम जलदाय और सेनीटेशन का अन्तर्राष्ट्रीय दशक मनाने जा रहे हैं, जलप्रदाय और सेनीटेशन का जिसमें हमें सभी गांवों में, सम्पूर्ण राजस्थान के गांवों में पानी पहुंचा देना है। 2.70 करोड़ की छितरी और बिखरी हुई आबादी, पानी पहुंचाने का काम मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रही थी, मुझे याद आता है मैं भी रेगिस्तान में पैदा हुई और, सभापति महोदय, उस इलाके का आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे। मैं आपको यदि मारवाड़ी का एक दोहा कहूं तो मैं समझती हूं कि आपको राजस्थान के सारे हालात, कथा और व्यथा इससे स्पष्ट हो जाएगी।

श्री बिहारीलाल पारीक : वनस्थली का बोलें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : वनस्थली का कहां सवाल आता है ?

मैं निवेदन कर रही थी आपसे कि एक सखी ने दूसरी सखी से पूछा कि खड्यो न दीखै पारधी जी, लग्यो न दीखै तीर, मैं तनै पूछूं हे सखी, किंस विध तज्यो शरीर। कि न तो इसमें तीर दिखाई दे रहा है, हिरण मरे पड़े हैं, दो हिरण। न तो शरीर पर तीर दिखाई दे रहा है, न कहीं शिकारी खड़ा दिखाई दे रहा है, दोनों ने प्राण कैसे दे दिए। ये कैसे मर गए तो दूसरी सखी ने जवाब दिया कि तेह घणो, जल थोड़ो, तू पी, तू पी, केवतां दोनों तज्यो शरीर। पानी तो बहुत कम है, स्नेह बहुत है, इसलिए उसने कहा तू पी उसने कहा तू पी। नेह घणो, जल थोड़ो, तू पी तू पी केवतां, दोन्यू तज्यो शरीर। राजस्थान में यह हालत है। रेगिस्तानी इलाकों में पानी मीलों दूर से आज भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लोगों को लाना पड़ता है, आज भी समस्याग्रस्त गांव बाकी हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रही थी सबसे पहले इस बात का, इसके बाद दूसरी बात पर आऊंगी, यह जो रिपोर्ट आपने दी है, इस रिपोर्ट का बाहरी आवरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आंकड़े बड़े गलत-सलत दिये हैं। एक जगह पेज पांच पर विभाग ने कहा है कि मार्च, 85 तक 2830 गांवों को लाभान्वित किया जा चुका है और पेज 14 पर अब तक 2909 गांवों को जल सुविधा से लाभान्वित किया गया। एक जगह 2830 और दूसरी जगह 2909 गांव, इनमें से कौनसा सही और कौनसा गलत है, यह बात मेरे समझ में नहीं आई।

(व्यवधान)

इस किताब का प्रथम पृष्ठ सही होगा, बाद का तो फिर भी गलत हो सकता है। इसको कैसे माना जायेगा ? केवल, यही नहीं इसी तरह से झुंझुनू जिले के अन्दर एक जगह तो दर्शाये हैं 689 विलेजेज टोटल और लास्ट पेज में, जो मैप दिया है, उसमें दर्शाये हैं 692 और वास्तव में वहां गांव हैं 697। इसलिए मैं कह रही हूं कि केवल बाहरी आवरण चिकना कर देने से काम नहीं चलता, इसके तथ्य, इसकी रिपोर्ट, ये सब विश्वास के काबिल नहीं है। अलग-अलग जगह अलग-अलग फीगर है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती थी कि न केवल इन आंकड़ों में हेराफेरी और गलती है, बल्कि कुछ और बातों की भी कमी है। जैसे आखिरी पेज पर चित्र दिखाया गया है, गांव के एक मात्र कुए से पानी भरने के लिए प्रतीक्षारत ग्रामवासियों के बजाय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि समस्याग्रस्त राजस्थान खुद ही ऐसा प्रदेश है कि पानी की किल्लत, पानी की कमी है, लेकिन इसमें यह भी लिखा जा सकता था, राजस्थान की पनघट की संस्कृति, यह बात लिखी जा सकती थी, वह अच्छा जचता। राजस्थान के पनघट की अपनी संस्कृति है, वे जानते हैं इस बात को जो गांवों में रहते हैं कि औरतें पीहर से कपड़ा लाती हैं, जितनी बार घड़ा भरते जाती हैं उतनी बार ही कपड़े बदल-बदल कर जाती हैं। तो यह पनघट की संस्कृति है। अपने घर का, अपने पीहर का वैभव, वहां से लाये हुए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का केवल एक मात्र जब पानी भरने जाती है, तभी उनको मौका मिलता है। अतः यह बात भी लिखी जा सकती थी कि राजस्थान की पनघट की संस्कृति का दृश्य।

माननीय सभापति महोदय अब मैं इधर उधर की बातों में न जाकर अपने कटौती प्रस्ताव पर आती हूं।

श्री सभापति : आपका सात मिनट का वायदा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी मेरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा कि जितने गांव कमीशंड विलेज बताये गये हैं, उन गांवों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, और जगह से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी इस बात को दोहराया और मैं भी इस बात को कह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रही हूं कि एक नहीं, अनेक इस तरह के उदाहरण हैं जहां कागजों में कमीशंड विलेज बता दिया गया लेकिन पानी वास्तव में पहुंचा ही नहीं, रीजनल स्कीम में कहीं पर टेल के गांव को कमीशंड बताया गया है, लेकिन आज दिन तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है।

माननीय मन्त्री महोदया तो गायब हो गई। मैं सोचती हूं मैं जो कहना चाहती थी, उसको वे लिखतीं और लिख कर जवाब देतीं। कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं?

श्री बी. डी. कल्ला : मैं लिख रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए ताकि मन्त्री महोदया हमें जवाब दे सकें।

झुंझुनूं जिले से एक नहीं, अनेक गांव ऐसे हैं जो 71 से कमीशंड बताए गए हैं, लेकिन आज तक वहां पानी नहीं पहुंचा है। एक तो टीबा, वसई। वसई में पानी है टीबा में पानी नहीं है। हरदिया, दलेलपुरा, परेवा। कितने नाम गिनाऊं? आप ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे और भूल और जाएंगे।

मैं निवेदन कर रही थी, सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ, न केवल हम अभी तक कमीशंड विलेज में पानी नहीं पहुंचा सके बल्कि इसके साथ ही साथ मैं यह और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी 2.70 करोड़ की जो आबादी गांवों में रहती है, उसको पानी देने से लिए हमारा जो मैंटिनेंस का खर्चा है और उसका जो घाटा है वह घाटा दो करोड़....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यही तो इंपारटेन्ट बात कह रही हूं और आपने घंटी बजा दी। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : आपका सात मिनट का वायदा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आपने कौनसा 7 मिनट के वायदे को सबके साथ लागू किया है, जो मेरे साथ लागू कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप चालू रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चूरू से आने वाली माननीय सदस्या, आप उत्तेजित क्यों हो रही हैं, मैं तो काम की बात कह रही हूं?

श्रीमती हमीदा बेगम : आपकी ही तो वकालत कर रही हूं मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत अच्छा, धन्यवाद।

मैं निवेदन करूंगी कि 2.70 करोड़ लोग पानी ले रहे हैं ग्रामीण विकास

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

योजनाओं के जरिए। उसमें संधारण घाटा है, 464.02 लाख, और शहरी जनता जो 73 लाख है उसका हमारा घाटा है, संधारण व्यय, मतलब आय को घटाने के बाद 1274.89 लाख का। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो भेदभाव है, शहर में रहने वाले लोग टी. एस. एस. से पानी भरने के लिए जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता, जबकि गांव के लोग चाहे वे पम्प से लायें चाहे रीजनल स्कीम से लाएं, उनको पानी का पैसा देना पड़ता है, यह अन्याय है गांव में रहने वाले लोगों के साथ।

मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहां म्यूनिसिपलिटीज को, नगरपालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से टी एस एस का खर्चा अनुदान के रूप में दिया जाता है उसे चुकाने के लिए। तो पंचायतों को भी इन जलप्रदाय योजना के संधारण हेतु यह खर्चा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए और यह भेदभाव खत्म होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करते हुए कि अभी भी 3760 गांव समस्याग्रस्त हैं और बाकी गांवों के अन्दर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमें 1990 से पहले-पहले करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार अपनी इस घोषणा को पूरा कर पायेगी या नहीं कर पायेगी, यह तो वह ही जाने। लेकिन अपने आपको यह सरकार कल्याणकारी सरकार कहती है। कल्याणकारी राज्य के अन्दर हर आदमी को मीठा, स्वच्छ और बीमारी से मुक्त जल मिल सकें, इस बात की यहां पहली व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार को अपनी ओर से करनी चाहिए। लेकिन सरकार यह करने में असफल रही है। यह सरकार इस मामले में बिल्कुल ही नाकामयाब रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादी लाल जी।

एक माननीय सदस्य : एक बात याद आ गयी, सूचना है यह। लेख लिखा वे लिखा देख देख कर, लेखा लिखा वे लिखा देख देख कर लगाया तीर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है क्यों सुमित्रा जी घटावो थ्यारो नीर।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादी लाल जी।

श्री परसादी लाल (लालसोट) : माननीय सभापति जी, आज मुख्यमन्त्री जी ने मांग संख्या-27 सदन में पेश की। इस बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उनके बारे में मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को सूचित करना चाहूंगा कि पेयजल समस्या लालसोट तहसील में बहुत ही गम्भीर है। विशेषकर लालसोट कस्बे में करीब 20 साल पहले योजना बनी थी वह पहले की आबादी के हिसाब से थी और आज वहां की आबादी बढ़कर लगभग दुगुनी हो चुकी है। बहुत ही कम, मैं समझता हूं लालसोट कस्बे में बहुत कम प्रेशर से पानी मिलता है, वह भी एक टाइम, केवल सुबह उसके अलावा वहां

(श्री परसादी लाल)

कोई पानी की व्यवस्था नहीं है । मैंने पहले भी मुख्यमन्त्री जी को इस बारे में कई पत्र लिखे और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कम से कम इस समस्या को इस सत्र में दूर करने के लिए 25 हैंड पम्प के लिए मांग की थी । मैं मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी तक वहां एक भी हैंड पम्प नहीं लगाया है । पानी की समस्या बड़ी विकट है । ग्राम दौलतपुरा, विलौना, शिवसिंहपुरा, थूणिया थिराजपुरा में पहले टी एस एस की स्कीम लागू की गयी थी, वह बिल्कुल फेल हो गयी । करीब 10 साल से ज्यादा समय इस स्कीम को बन्द हुए हो गये, उसके बाद वहां पर कोई भी विभाग द्वारा ऐसी स्कीम लागू नहीं की गई जिससे ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, न ही वहां कोई हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गांवों में बड़ी स्कीम बनायें और तुरन्त गांवों के लिए पानी की व्यवस्था करिये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक निझरना ग्राम पंचायत पड़ती है और पूरे ग्राम पंचायत की आबादी पहाड़ी पर बसी हुई है । वहां पानी नीचे से पहाड़ पर महिलाएं ले जाती हैं । जब मैं इलेक्शन के टाइम वहां गया तो महिलाओं ने एक ही मांग की थी कि भारत को आजाद हुए 30-35 साल हो गये, लेकिन हमारे लिए कोई आजादी नहीं आयी । अब भी हम 50 मीटर नीचे से पानी लेकर ऊपर आते हैं, हमारी हालत बड़ी दयनीय है । इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री जी और विभागीय अधिकारियों को पहले ही कई पत्र लिखें । वहां जल के काफी स्रोत हैं । वहां आपको कोई कुआं नहीं बनाना पड़ेगा, केवल टंकी के माध्यम से वहां पानी की सप्लाई हो सकती है परन्तु विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

विभाग द्वारा हैण्ड पम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगाये गये हैं, उनमें से करीब 50 पर्सेन्ट आज की तारीख में बिल्कुल ही बन्द हैं, न उनमें कोई पानी आता है । एक ग्राम जयसिंहपुरा है । वहां पर दो हैण्ड पम्प करीब दो वर्ष पहले विभाग द्वारा लगाये गये । मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी का ध्यान विशेषकर इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उन हैण्ड पम्पों के विभाग द्वारा पैसे का पेमेन्ट हो गया. लेकिन उनसे एक दिन भी ग्रामवासियों को एक बूंद भी पानी नहीं मिला । ऐसी क्या अनियमितता है ? विभागीय अधिकारियों ने उनको पेमेन्ट कैसे कर दिया, जबकि पानी नहीं मिला ? मैं कहना चाहूंगा इसकी विशेष जांच करायी जाय । एक बूंद पानी नहीं मिला और उस ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया । मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिन्होंने बिना पानी आये पेमेन्ट कर दिया । ग्रामवासियों को दो साल से बिल्कुल लटकाये रखा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करता । जब मैं इलेक्शन के टाइम पर गया, तब मैंने वहां वायदा किया था और उस वायदे के मुताबिक मैंने विभागीय अधिकारी को और से मुख्य मन्त्रीजी को भी कई बार चिट्ठियां लिखीं परन्तु आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया । आज भी वहां पानी की व्यवस्था

(श्री परसादी लाल)

नहीं है। क्या सरकार पैसे लगाकर भी पानी नहीं दे सकती है? यह विभाग के अधिकारियों की भूल है। इस ओर मुख्य मन्त्रीजी को विशेष ध्यान देना चाहिए और उन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है और उस ठेकेदार को पेमेन्ट किया है।

ग्राम पंचायत मण्ड़ावरी में एक बड़ी स्कीम है पर वहां ऐसी पाइप लाइन डाली गयी है कि वहां पानी थोड़े प्रेशर से जाता है, प्लास्टिक की पाइप लाइन होने के कारण सारी लाइनें लीकेज हो जाती हैं और कनेक्शन बढ़ा दिये जाते हैं। तो मैं मुख्य मन्त्रीजी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां सारे मौहल्ले में पाइप लाइन डाली जाय और विशेष व्यवस्था की जाय जिससे वहां हरिजन बस्तियों को, एस. सी. की बस्तियों को भी पानी मिल सके। जब बड़ी स्कीम वहां लगाई गयी है तो क्या एक छोटे से मोहल्ले को पानी दिया जाना पर्याप्त है? सारे गांव को जब तक पानी नहीं मिले इस स्कीम की क्या उपयोगिता है?

लालसोट पंचायत समिति पुरीमाण्डा में करीब 185 गांव माडा योजना में चयनित हैं। परन्तु मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि उन माडा गांवों में एक भी रीजनल स्कीम नहीं बनायी गयी है और जहां हैण्ड पम्प लगाये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 50 पर्सेन्ट आज बन्द पड़े हैं। वहां औरतें यह कहती हैं कि यह काहे के हैण्ड पम्प लगाये, पानी नहीं देते हैं, यह केवल सरकार को धोखा देने के लिए है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे जो हैण्ड पम्प बन्द पड़े हुए हैं उनको दुबारा इन अधिकारियों से कहकर दुबारा बोरिंग करा कर पानी की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवर दयाल जी।

श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : परम सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की फ्लेट रेट में जो वृद्धि की गयी है, वह अत्यन्त असहनीय है, भारी कर भार है।

माननीय सभापति महोदय, यह तो आप जानते हैं कि जो फ्लेट रेट 75 पर्सेन्ट बढ़ाये ग्रामीण क्षेत्रों में, वह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथ अन्याय है क्योंकि पानी पूरा मिलता नहीं और जो पानी मिलता है, वह अत्यन्त अस्वास्थ्यकर और पीने के अयोग्य हैं। मैं समझता हूं यह सब ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ, जबकि पानी पूरा मिलता नहीं और पैसे बढ़ा दिये जाये, जले पर नमक छिड़कने के अलावा और कोई विशेष बात नजर नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार जनहित में पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से करे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में जिस तरह का भेदभाव जल वितरण में होता है, उसका एक कारण आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों

(श्री रघुवर दयाल)

और शहरी क्षेत्रों में बिजली का वितरण की व्यवस्था के दो तरीके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो सप्लाई की जाती है वह सीमित होती है और शहरी क्षेत्र में जो बिजली की सप्लाई की जाती है, वह असीमित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां इस प्रकार की जल सप्लाई की योजनायें हैं वे मोटर से चलती हैं और इस जल योजना की पूर्ति मोटर के द्वारा होती है। वहां पर थोड़े समय जब बिजली मिलती है तब ही पानी की सप्लाई हो पाती है, जब कि शहरी क्षेत्र में पूरे समय जल योजना की मोटर चलती है और पूरे समय के लिए पानी की सप्लाई हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में चूं कि बिजली की सप्लाई ही नहीं हो पाती है, इसलिए पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो पेयजल की दरों में वृद्धि निश्चित रूप से हमारे पर एक प्रकार से नाजायज कर भार है। असहनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र पर बढ़ाया गया कर भार, जो 75 प्रतिशत फ्लेट रेट का किया गया है, समाप्त किया जायं।

अध्यक्ष महोदय, जो जल योजनायें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चालू हैं, चाहे वह टी. एस. एस. हों या बिजली से चलने वाली योजनायें हों, उन सब में सरकार की बिजली की पूर्ति और पेयजल की योजनायें पूरी तरह से उपयोगी नहीं है क्योंकि पूरा पानी सप्लाई नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बिजली का अभाव रहता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी ग्रामीण जल योजनाओं में जहां बिजली की मोटर चलती है, वहां बिजली की स्पेशल लाईन खींच दी जाय, जिससे 24 घंटे बिजली की पूर्ति होती रहे। यदि ऐसा नहीं हो पाये तो मैं सुझाव देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां जल योजना चालू है वहां, डीजल जनरेटर सेट लगाया जाय। जब उद्योगों को 50 प्रतिशत अनुदान जनरेटर सेट के लिए देते हैं तो मैं समझता हूं कि इन गांवों की जल योजनाओं के लिए भी जनरेटर सेट उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार का यह दावा कि उसने ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे गांवों में पानी की समस्या हैंड पम्प लगाकर पूरी कर दी है, मैं समझता हूं कि शायद यह भी उसका विचार ठीक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हैंड पम्प लगाये गये सब के सब पंचायतों के माध्यम से सरपंच के कहने से लगाये गये चाहे पानी आया या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने सरपंच को वोट नहीं दिया वहां पर सरपंच ने हैंड पम्प नहीं लगाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर

(व्यवधान)

क्या फरमाया ?

श्री सी. पी. जोशी : 10 बजे तो होटल भी बन्द हो जाता है। घनश्याम जी से बात कर रहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे होटल में नहीं खाना है।

श्री रघुवर दयाल : घनश्याम जी की बात घनश्याम जी जानें। जिस प्रकार की

(श्री रघुवर दयाल)

मांग इसमें आयी, मैं समझता हूं, उसकी पूर्ति मानवता की दृष्टि से सोचकर निश्चित रूप से हैंड पम्प लगाये जायें।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन आपसे कर दूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 5 पंचायतें ऐसी हैं, जिनके नाम मैं बता रहा हूं कृपया आप नोट कर लें,— अलावडा, मालपुर, मिलकपुर, चिडवाई, इन्दपुरा इनमें चालीस गांव हैं जहां न पीने के लिए पानी उपलब्ध है, न सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि वहां पानी एकत्र करने के लिए कचरवाल नामक बांध था, तीन चार वर्ष पहले वह टूट गया है। सारा पानी 100 फुट चौड़ी, 100 फुट गहरी और 3 किलोमीटर लम्बाई में बहकर रूपारेल नदी में जा मिलता है। सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि इन 40 गांवों को बचाना है तो उस बंधे में पानी को रोकने के लिए उसको बांधना चाहिए जिससे लोगों को पानी मिल जाये और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होता रहे। यदि समय पर ऐसा नहीं किया गया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस काम को बाद में हाथ में लेते हैं, तो 10 गुना खर्चा होगा और इतने समय में वहां के किसान, वहां के लोग वहां से पलायन कर जायेंगे और वह क्षेत्र एक तरह से बंजर हो जायेगा।

सभापति महोदय, 26/3 को एक और निवेदन किया था। मेरे क्षेत्र गोविन्दगढ़ की चर्चा, जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, की थी और उसी समय मैंने बताया कि वहां की टंकी गिरने वाली है, उसकी सीढ़ियां टूट चुकी हैं। चढ़ने के लिए साधन नहीं है। कोई दवाई नहीं डाली जाती है। टंकी गिर सकती है। वहां पर जो इस वक्त पानी दिया जा रहा हैं, वह अस्वास्थ्य कर है, इससे बीमारी हो रही है। वहां के लोगों को कुबड़ापन हो रहा हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप उन्हें पानी नहीं पिला सकते हैं, तो कुबड़ा होने से तो बचाने की कृपा करें। महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कि बहुत से गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन गांवों में पानी की सुविधा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, उनके लिए शीघ्र स्वच्छ पानी की व्यवस्था करायी जाय।

महोदय, कुछ जलदाय योजनाओं के कुओं में और बोरिंग में पूरा पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, जैसे जलावड़ा, खैवासा, बागोडी, नगली गांव हैं वहां का पानी अस्वास्थ्यकर है, वहां के लिए आप तुरन्त कोई योजना शुरू करायें ताकि लोगों को स्वास्थ्यकर पानी मिले, अच्छा पानी मिले और वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके।

महोदय, इस 38 साल के अन्तराल में हम जीवन की प्रथम आवश्यकता पूरी नहीं कर पाये तो हमारी यह असफलता का

(श्री रघुवर दयाल)

प्रमाण है। इससे बढ़कर और असफलता क्या हो सकती है? मेरा सुझाव है कि शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार बिजली की आपूर्ति करते हैं, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का भी ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्र भी आपके हैं। अधिकांश माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आये हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, रेट बढ़ाने में, जल पूर्ति न करने में, इसमें आप भी मेरे साथ-साथ मांग करें तो सरकार जल्दी मांग पूरी करेगी। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय सभापति जी, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का आपके द्वारा मौका मिला। आभारी हूं। सभी माननीय सदस्यों से भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, पेयजल के बारे में, राजस्थान प्रदेश के बारे में बातें की। मैं इतनी गहराई में न जाकर मेरे जिले और तहसील के बारे में बताऊंगा।

चूरू जिला डेजर्ट है। सबको विदित है। सभापति महोदय, सालों अकाल की चपेट में रहता है। पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। यह सही है कि तारानगर, तहसील, चूरू तहसील और राजगढ़ तहसील में कुछ इन्दिरा नहर से पानी लाया जा रहा है। कितने कामयाब हैं, मैं नहीं कह सकता।

सुजानगढ़ तहसील से मैं नव निर्वाचित होकर आया हूं। मेरा गांव कालासर है। पिछले साल में 156 गांवों में से 134 गांव अकाल की चपेट में हैं। जिस क्षेत्र में इतना भंयकर अकाल हो तो पानी कहां, मैं, माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे सुजानगढ़ तहसील में पेयजल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इधर सीकर जिले से सेठ की ढ़ाणी से, मेगलूणा से पानी आता है और उधर नागौर से लाडनूं से पानी आता है। मेगलूण जो सेठ की ढाणी से पानी आता है, वह टूड़ी, स्यानण मालासी, बामनियां, तौलियासर, ढाकाली, अनखोलिया डूंगर आदि गांव हैं। इनके पेयजल की योजना हेतु तो हमारे यहां लाइनें लगी थी। बिजली का फीडर सीकर जिले में जाजोत में है। वहां के कर्मचारी चूरू जिले के कन्ट्रोल में नहीं हैं। वे अपनी मर्जी से बिजली देते हैं और इसलिए पानी नहीं के बराबर आता है। तालियासर में टंकी बनी हुई है, आज तक उसमें पानी नहीं आया। आज तक नहीं आया। तीन अन्य गांवों में बिल्कुल नहीं आया। माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि वे जाजोत (सीकर) में जो बिजली का फीडर बना हुआ है, उस स्कीम के लिए, वे हमारे न्यांमा में, ग्राम तहसील में अगर वह ट्रांसमीटर लगा दिया जाय तो कर्मचारी इनके कन्ट्रोल में होंगे। चूरू जिले से सम्बन्धित ये मेरी मांग हैं। मैं वास्तव में आपको मेरी तहसील की वास्तविकता का दर्शन करा रहा हूँ। ये गांव हैं : ढढेरू, ढाणी रिणवा, रूपेली, मींगणा, खोचीवाला, निमड़ी, चुवास, बिलासी, राजपुरा, घातरी, जोली, मलसीसर, हेमासर, बोधियाबारा, कोडासर, रणधीसर, डूंगरी, करेजेड़ा व उसके आसपास की

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

ढाणियों में हैंड पम्प की स्कीम में आज तक पानी नहीं आया और बडावर के सारे हैंड पम्प बन्द पड़े हैं, न तो नल स्कीम से जोड़े गये और न हैंड पम्प के साथ जोड़े गये। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कि चरला, भामसर, पारवतीसर जो पानी आता है, पशु पक्षी पीते ही मर जाते हैं। उनके लिए कोई पानी का साधन नहीं है। बिल्कुल भी पानी का साधन नहीं है। मैं आगे बताऊं, आपको, यह तो हमारे गांव की कहानी है। पानी की इतनी बड़ी समस्यायें हैं, हजारों जानवर मर चुके हैं। चाहे आप रिपोर्ट ले सकते हैं, ढडेरू आदि इन गांवों के अन्दर रिपोर्ट ले सकते हैं। पानी के बिना हजारों जानवर मौत के घाट उतर रहे हैं और यह जो मैंने बताया है पालासी है, चरला आदि गांव हैं, इन गांवों के अन्दर तो पूछो ही मत, क्या कहानी है। एक और रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं सदन में आज। सांडवा में पानी की स्कीम लुहारा चरला होती हुई आती है और एक टंकी बनायी है लुहारा में, सात वर्ष हो गये एक बूंद तक उस टंकी में पानी नहीं आया। कौन था उसका टेकनीशियन? जानकारी नहीं। आज तक बूंद नहीं गया उसमें, मेरा चैलेंज है। लुहारा टंकी में आज तक एक बूंद नहीं गया, हजारों लाखों रुपये लगे होंगे स्कीम में। क्या हुआ उनका? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसका?....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार की गलती मानूं, अधिकारियों की गलती मानूं, टेकनीशियन की गलती मानूं या हमारी जनता की गलती मानूं? माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वास्तव में हमारी जनता भूख से तो पीड़ित है ही लेकिन पानी से तो मत मरने दो आप। यह मेरा निवेदन है। भूख से तो मरेंगी क्योंकि वर्षा समय पर होती नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि पानी से प्यासा तो मत मरने दो। यही कहूंगा। नहर मन्त्री भी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि यह स्कीम बैठे तो बैठे वरना इन्दिरा परियोजना लागू कर नहर दें तो सुजानगढ़ के लोग आपका बहुत बड़ा अहसान मानेंगे। इतना ही कह कर मैं पुन: कहूंगा, मन्त्री महोदय, यह समस्या बड़ी विकट समस्या है। सुजानगढ़ की पेयजल समस्या के बारे में आप अवश्य सोचिये।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश सिंह। माननीय श्री नवरंग सिंह।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : सुजानगढ़ की समस्या रखूंगा। पानी इतना खराब है, इससे क्या स्थिति हो गयी है, देखिये आप। मैं चाहता हूं कि लेबोरेटरी में पानी की जांच करवाई जाय। लोगों के मरने की नौबत है, तरह-तरह के रोग हैं। यह मैं लाया था सदन में दिखाने के लिये। इसको देखते हुए पानी की जांच करवाई जाय। अगर पानी दूषित हो तो नये कुओं की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : आप नीचे रख दीजिये।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : समय कम था,

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

इसलिए मैं जल्दी में हूं। अगर चाहें तो सदन की पटल पर....

श्री सभापति : बता दीजिये आप। मन्त्री महोदय को बता दीजिए आप। पधारो....

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ) : माननीय सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : एक मिनट। बात कर के वापस दे देना उनको।

श्री नवरंग सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जैसा आपने आदेश दिया है अपने कटौती प्रस्ताव....

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम पहले बोल गये थे।

श्री सभापति : हां बोलिये, बोलिये आप।

एक माननीय सदस्य : मैं किसी कारण से बाहर था, मेरे को मौका दिया जाय।

श्री नवरंग सिंह : बाद में दिया जाये, सभापति महोदय। मैं आपसे....

श्री सभापति : हां बोलिये आप।

श्री नवरंग सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। पहला मेरा है सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पेय-जल की दरों में की गयी....

श्री सभापति : आप दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिये। सरकार का उत्तर शीघ्र ही आयेगा।

श्री नवरंग सिंह : दूसरा नवलगढ़ के कस्बे और ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा। ये दो, सभापति महोदय। मेरा यह है झुंझुनू जिले की पेयजल की समस्या के समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर से पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा। एक है नवलगढ़ में पेयजल योजना की असफलता पर चर्चा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इन कटौती प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करता हूं और आपसे बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र के समय में भी मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। फिर मैं माननीय मन्त्रीजी से कहता हूं उस समय तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि झुंझुनू के एक्स. ई. एन. और एस. ई. से बात नहीं हो सकी, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। वह समाधान नहीं हुआ है। लेकिन मैं, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं औरयह चार्ज लगाना चाहता हूं कि जनता सरकार ने 1977 से 80 तक झुंझुनू में 79 टंकियां बनी थीं और वे 79 की 79 टंकियां, सभापति महोदय, खाली पड़ी हैं। एक बूंद भी उसमें

(श्री नवरंग सिंह)

सरकार नहीं डाल पायी है। इसलिए उन टंकियों का जहां सरकार का लाखों करोड़ों रुपय बर्बाद जा रहा है, वे कहीं टूट रही हैं फूट रही है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार तो आपने मेरा नाम लेकर ये कहकर कि एक्स. ईएन. और एस. ई. यहां नहीं हैं कि मैं उन समस्याओं का समाधान कराऊं। मैं माननीय मन्त्री महोदया पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि अगर उनके पास यह विभाग नहीं है तो इस तरह की वे सदन में घोषणा नहीं करें और अगर वे घोषणा करें तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतना समय निकलने बाद भी उन 79 टंकियों में पानी क्यों नहीं आया? उसका क्या इन्तजाम सरकार की ओर से किया गया है?

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आपकी मार्फत कि झुंझुनूं हिन्दुस्तान का एक नामी जिला है, जहां के लाखों-करोड़ों नौजवानों ने इस देश की सेवा की है बहुत बड़ी मात्रा में और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है खेतड़ी का, मैं चाहता हूं कि पानी के बाहर के जो सोर्सेज हैं, वे भी वहां लाये जायं। एक स्रोत के रूप में इन्दिरा गांधी नहर है। जो आज तक योजनायें राज्य सरकार ने बनायी हैं, उन योजनाओं के तहत झुंझुनूं और सीकर को नहीं लिया गया है। इसलिए मैं कह देता हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि पेयजल के रूप में, सिचाई के रूप में झुंझुनूं और सीकर को पानी दिलाया जाय।

दूसरा सवाल मन्त्री महोदय, आपकी मार्फत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1972 में भारत सरकार और हरियाणा की सरकार ने राजस्थान की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि जवाहर लाल नेहरू नहर से दो हजार घन फुट पानी राजस्थान को दिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान की सरकार बराबर यह कह कर कि हमारे पास आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, वह पानी नहीं ले पा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को मैंने पढ़ा है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको शामिल करें और झुंझुनूं की पानी की समस्या का समाधान किया जाय। क्योंकि खेतड़ी प्रोजेक्ट, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पानी आसपास का खराब हो गया है। पानी का वहां कोई दूसरा स्रोत नहीं रहा। इसलिए हमको मजबूरी में जवाहर लाल नेहरू नहर से या इन्दिरा गांधी नहर से झुंझुनूं जिले को पानी देना पड़ेगा।

एक निवेदन आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं अपने इलाके और खासकर नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बारे में माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ बहुत बड़ा शेखावाटी का कस्बा था और बड़ा पोपुलर कस्बा था, जिनमें आजादी के पहले भी पानी और बिजली का इन्तजाम था।

(9.00 रात्रि)

(श्री नवरंग सिंह)

लेकिन वहां की जनता आज सही व्यवस्था न होने की वजह से पानी के लिए तरसती है। मैंने, माननीय सभापति महोदय, जनता पार्टी के शासन के समय इस विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिंह जी को कह सुनकर वहां पर एक अतिरिक्त छोटी टंकी की व्यवस्था तो करवाई थी। वहां पर टंकी बनी भी लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल तक तो वह टंकी सूखी पड़ी रही। अब कुछ अर्से पहले उस टंकी को चालू किया गया है। उसका भी एक सीमित दायरा है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदया से मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार भी कहा था कि उस टंकी का उपयोग, हरिजन मोहल्ले, मुसलमानों के ऊंचे मोहल्ले हैं और दूर-दराज की ढाणियां हैं, उनमें करने का था लेकिन पाइप के अभाव में वह सारा काम रुका हुआ है।

इसी सन्दर्भ में मैं मुकुन्दगढ़ के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर पानी का अभाव है, क्योंकि सेठों के जो पुराने स्रोत थे वह आपकी टंकी लगने से धीरे-धीरे बन्द हो गये। इसलिए वहां भी एक अतिरिक्त टंकी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मेरे नवलगढ़ क्षेत्र में करीब 500 छोटी बड़ी ढाणियां हैं, 32 ग्राम पंचायतें हैं।....मैं संक्षेप में, चूंकि आपने संकेत दे दिया मुझे, मैं आपके संकेत की पालना करूंगा। मैं माननीय मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि उन 500 ढाणियों में से कराब 30 ढाणियों का पैसा 6 महीने से आपके डिपार्टमेंट में विचाराधीन है। आपके डिपार्टमेंट और आपके बीच में वह प्रस्ताव घूम रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनका निपटारा करके जिन-जिन ढाणियों की आप जिस-जिस किस्म की व्यवस्था कर सकते हैं, वह करें ताकि पानी की समस्या का हल हो सके।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदया से कि पेयजल पर एक बहुत बड़ा गरीब लोगों पर, आम लोगों पर पेयजल की 20 प्रतिशत दर बढ़ाकर जो आर्थिक भार डाला है, उससे सारे राजस्थान के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा जायेगी। इसलिये आपके माध्यम से, सभापति महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको वापस लेने की सरकार घोषणा करे। इससे राजस्थान की जनता में असंतोष है, आक्रोश है। वह आपको पता चलेगा जिस तरह से आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में, सभापति महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। कटौती प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किये हैं उन्हें मैं पुनः पेश करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (जयपुर ग्रामीण क्षेत्र) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती

(श्रीमती कमला)

हूं कि उन्होंने काफी लम्बे समय तक बहस में भाग लेकर जल प्रदाय व्यवस्था के सम्बन्ध में....

(9.08 रात्रि)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

आपने बहुत से बहुमूल्य सुझाव दिये, अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और मूलभूत समस्याओं की ओर भी इशारा किया। इस सारी चर्चा के दौरान में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यहां की जलवायु, यहां के इन्सानों, पशुओं के रहन-सहन, उनकी आवश्यकतायें, प्रकृति का प्रकोप, इन सारी बातों की पृष्ठ भूमि में माननीय सदस्यों ने इस निर्विवाद सत्य को फिर से प्रतिपादित किया कि राजस्थान में काफी समय योजनाओं के निकल जाने के बाद भी आज पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। यह सत्य भी निर्विवाद है कि इस राज्य की जो योजनायें हैं उनकी सर्वाधिक प्राथमिकता में जल योजनाओं का इन्तजाम जल का प्रबन्ध है। राज्य की छोटी से छोटी ढाणी के अन्दर, गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था किये जाने की आज सबसे बड़ी मांग, आज सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी कठिनाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी समस्या का इतना बड़ा समाधान जो वांछित है, इसके पेटे कई माननीय सदस्यों ने भावावेश में या रफ्तार में बिना आंकड़ों को देखे हुये यह बात कही कि सरकार इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिये मुस्तैदी के साथ में, चुनौती के साथ काम करने की तैयारी नहीं रखती और सरकार की कोई पालिटिकल विल नहीं है। मैं इस बात को इसलिये मानना नहीं चाहती कि समस्या के निराकरण में बहुत सी कमियां रही हैं और हैं उन कमियों को निकालने के लिये, उनके समाधान के लिये पहले व्यवस्थायें की गई लेकिन बावजूद इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि जितनी गम्भीर, व्यापक और बड़ी समस्या है और जितनी प्राथमिकता और मुस्तैदी से इसका निराकरण किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है कांग्रेस की हुकूमत ने उसको उतनी ही बड़ी चुनौती के रूप में लिया है और उतनी बड़ी तैयारी करने में भी चेष्टा की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। 1980 तक राजस्थान के कुल साढ़े 4 हजार गांव पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हुये थे, लेकिन अकेली छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर बहुत मेसिव प्रोविजन करके यह कोशिश की गई कि मूलभूत समस्या का जल्दी से जल्दी, समयबद्ध तरीके से हमको निराकरण करना है इसलिये प्रति वर्ष उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर इसका प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977-78 में 7.92 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के लिये रखा गया, 1978-79 में 10.29 करोड़ रखा गया और 1979-80, में 15.59 करोड़ रखा गया जो कि कुल 33.90 करोड़ रुपये होता है। उसके मुकाबले अकेले 1981-82 में 42.71 करोड़ रखा गया, 1982-83 में 53.02 करोड़

(श्रीमती कमला)

रखा गया, 1983-84 59.93 करोड़ रखा गया, 1984-85 में 68.50 करोड़ रखा गया और सेवंथ प्लान में 430 करोड़ रुपया रखा गया। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने इस बात की गम्भीरता का अहसास किया, चुनौती को हिम्मत के साथ में लिया और उसके निराकरण के लिये प्रयत्न बड़े व्यापक पैमाने पर किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 1980 तक 4859 गांव सिर्फ लाभान्वित हुये थे, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 3480 गांवों को लाभान्वित करने के औसत से 17400 गांवों को लाभान्वित किया गया जिसमें नगरीय क्षेत्र थे उसके अलावा हैं। आज हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सी कमियां हैं और उनको दूर करना है, फिर भी राजस्थान के जितने गांव हैं, 34 हजार कुछ गांव 201 नगरीय क्षेत्र हैं वह सारे लाभान्वित हो चुके हैं।

मुस्तैदी के साथ में चाहे वर्ल्ड बैंक की योजना हो चाहे भारत सरकार की योजना हो या सरकार की वार्षिक योजना का प्रावधान हो उन सबको साथ में लेते हुए इस बात की कोशिश की गई है कि हम अपने साधनों से उस स्थिति में पहुँचे कि राजस्थान के आज के युग में किसी गांव में, किसी कस्बे में पानी की समस्या न रहे। 34968 गांवों में से 22262 गांव और 201 कस्बे लाभान्वित किये गये हैं। जो बचे हुए गांव हैं उनमें से 1985-86 में 1600 गांवों का, और सेवन्थ प्लान के अन्दर 3800 गांवों का और प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जो गांव बचते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें प्रकट की हैं, पूर्व में भारत सरकार की तरफ से एक सिद्धान्त कायम किया गया, समस्याग्रस्त गांव और समस्यारहित गांव का, जब से यह सिद्धान्त कायम किया गया, उसके बाद से पिछले सालों के अन्दर राजस्थान में बरसात बहुत कम होने के कारण पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण से और बहुत से अच्छे जल स्रोत खराब हो जाने के कारण जो समस्या रहित गांव थे वह समस्यारहित गांव भी आज समस्याग्रस्त हो गये। इसलिए पिछले समय में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा है और हम भी इस बात को मानते हैं कि जितने भी और समस्यारहित गांव माने गये हैं, उनके बारे में भी भारत सरकार से बात करके राजस्थान के प्रत्येक गांव, जहां पर पानी की आज समस्या है, चाहे वह घोषित रूप से समस्याग्रस्त नहीं है, के बारे में भी उस सिद्धान्त, जो किसी वक्त कायम किया गया है, के बारे में विचार करके आज की आवश्यकता के मुताबिक उसको तरमीम किया जायेगा। इस बात का प्रयत्न है राज्य सरकार का जितने भी गांव हैं और जितने भी कस्बे हैं, उन सबको हम जल्दी से जल्दी पानी पहुंचायें, जिसके जरिये से आज बहुत सी समस्याओं चाहे वह मौत की समस्या हो, चाहे कुबड़ा होने की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य खराब होने की समस्या हो, सामना यहां के जनों को नहीं करना पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कही है, आम तौर पर

(श्रीमती कमला)

सरकार तेजी से कहती रही है कि हम पुनर्विचार बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्र में बहुत भेदभाव बरत रही है, इसलिए उसको आप कोकम करके ग्रामीण क्षेत्र की तरफ और ध्यान देना चाहिये। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले समय में जितना भी कुल प्रावधान अर्बन एरियाज के लिए सिक्स्थ प्लान में था, वह 62.04 करोड़ का है और उसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 242 करोड़ से भी कुछ अधिक प्रावधान किया गया और उसको ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए, उसको जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए उपयोग में लिया गया। इन योजनाओं के माध्यम से जहां एक ओर गांवों को लाभान्वित किया गया, उसके अलावा 11 ऐसे जिले हैं जिनमें कि पशुओं के लिये पानी का पहले प्रावधान नहीं था, सिर्फ 40 लीटर इन्सान के लिए रखा गया था लेकिन इन योजनाओं के तहत उन 11 जिलों के अन्दर मवेशियों के लिये भी पानी का प्रावधान करके 40 लीटर के बजाय 70 लीटर का प्रावधान किया गया है। इस मामले में माननीय सदस्यों ने एक बात की तरफ सही ढंग से इंगित किया है, जो विभाग भी महसूस करता है कि जिस दिन से यह प्रावधान किया गया, उसके पहले की जो योजनायें बनी हुई हैं उन योजनाओं को उस हिसाब से पुनर्गठित करने का जो काम स्वीकृत होना चाहिये वह अभी भारत सरकार ने नहीं माना है। लेकिन हम चाहते हैं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी की मदद से भारत सरकार से बातचीत करें। जो आगामी योजना है उसको तो उन्होंने माना ही है, वहां इस हिसाब से करके तुरन्त स्वीकृति दें। लेकिन जो पीछे योजनायें बन चुकी हैं और जिनके अन्दर 70 लीटर के हिसाब से प्रावधान किया गया है, उनको भी हम पुनर्गठित करके स्वीकृति देने का काम करें तो जो समस्या माननीय सदस्यों ने जाहिर की उसका हम मुकाबला कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी समस्याओं के बावजूद भी हम आम तौर पर इस बात को मानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों में हैण्ड पम्प की योजना लगने से काफी राहत लोगों को मिली। आज हमारे यहां 48689 हैंड पम्प हैं उनमें से कई खराब हैं। पिछले वर्ष विभाग की तरफ से एक कैम्पेन चलाकर आइडेन्टिफाई किया गया कि कितने ऐसे हैण्ड पम्प हैं जिनको हम सुधार सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं सुधरेंगे, उनकी जगह दूसरे लगाने या जहां पर इतने पानी के स्रोत नहीं है कि हैंड पम्प लगाये जा सकें वहां दूसरी योजना बनाना जरूरी है। तो सारे अभियान के दौरान में जितने हैंड पम्प खराब थे, उनको ठीक करने के बाद 2699 ऐसे हैण्ड पम्प विभाग ने आइडेन्टिफाई किये जो दुरुस्त होने लायक नहीं थे या उन क्षेत्रों में हैंड पम्प लगाने की स्थिति नहीं थी और गलती से लगा दिये गये। इसलिए हैण्ड पम्प जहां बदले जा सकते हैं, वहां बदले जायेंगे और जहां हैण्ड हम्प नहीं लग सकते, वहां दूसरी योजना लागू की जायगी लेकिन फिर भी

(श्रीमती कमला)

एक बहुत बड़े पमाने पर हैण्ड पम्प से आम जनता को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की है और उसको लाभ भी मिला है।

माननीय सदस्यों ने इस बारे में 2-3 सुझाव दिये कि हैण्ड पम्प लगाने के पहले एक तो इस बात की तस्दीक की जानी चाहिये कि जहां हैंड पम्प लगा रहे हैं वहां पानी कैसा है। यह बात सही है कि बहुत से नगरीय क्षेत्रों में और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड, पम्प लगा दिये गये हैं लेकिन उनका पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए निर्देश विभाग को दिये कि जब कभी हैण्ड पम्प वहां लगायें तो पीने लायक पानी अगर है इसको टेस्ट करने के बाद ही खर्चा करें। पहले खर्चा करने के बाद अगर पानी पीने लायक नहीं निकले, तो उस जगह खर्च करने का विभाग का जो प्रावधान है, उसका अपव्यय करना होगा।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया और हम भी इस बात को जानते हैं कि हैंड पम्प जब लगाये जाते हैं, तब कुछ समय तक तो वह अच्छी तरह से चलते हैं, उसके बाद में उसके रखरखाव का जिम्मा पंचायतों को या पंचायत समितियों को दिया जाता है, तो उसका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं होता, उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि पंचायत समिति को जो धनराशि दी जाती है और जो मिस्त्री दिया जाता है वह अपने आप में उसका व्यवस्थित ढंग से उपयोग नहीं कर पाती। कई जगह यह भी होता है कि जितना उनके पास में प्रावधान है वह आम तौर पर उस काम को करने के लिए कम पड़ता है। हालांकि विभाग से हर साल स्टॉफ के लिए भी, मरम्मत के लिए भी बहुत कुछ प्रावधान पंचायत समितियों को दिया जाता है लेकिन फिर भी वह कम पड़ता है। इसलिए रखरखाव और इनकी मरम्मत उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिये। जो बड़ी खराबी है, उसके लिए तो आज भी विभाग जिम्मेदार है और उसकी दुरुस्ती करवाता है, लेकिन दैनिक रख-रखाव के लिए जो प्रावधान है, किसी प्रकार से उसको और बढ़ाने की या जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार से और बदली करने की आवश्यकता है, जैसे कि आज की व्यवस्था के अन्दर हैंड पम्प तोड़ देते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं या कोई मवेशी तोड़ देता है या उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो इस तरह की व्यवस्था न हो, इसको भी देखा जायगा।

इसके बाद जो रीजनल योजनायें हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा शिकायत और सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं दर्शित हो रहा है तो इन क्षेत्रीय योजनाओं के अन्दर हो रहा है। यह बात सही है, इससे भी नहीं कर सकते कि जितनी बड़ी आकांक्षाओं के साथ में योजनायें बनाई गई कि इतने गांव इसके अन्दर आ जायेंगे तो इतनी तो समस्या हल हो गई और इतना इसका स्रोत है, इतनी इसकी केपेसिटी है तो इतना पानी तो उनमें पहुंच जायगा और इतने घण्टे बिजली मिलेगी तो इतने घण्टे में वहां तक पानी पहुँच सकता है, यह आधार मानकर यह योजनाएं इतनी बड़ी लम्बी रखी गई, और इतने सारे गांव और जनसंख्या

(श्रीमती कमला)

इसमें रखी गई, दरअसल में व्यावहारिक नहीं।

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहूंगी। मैंने अभी राजस्थान के जितने भी खण्ड अधिकारी हैं, जिसमें एस. ई. एडीशनल चीफ इंजिनियर और चीफ इंजिनियर वगैरह है उन सभी को यहां पर बुलाया उनमें विभाग के सचिव भी हैं, मैंने उनकी मीटिंग बुलाई खास तौर से मैंने उनसे यह बात कही कि आप यह नहीं सोचें कि अगर आप योजनाओं की कमी और खामी बतायेंगे तो आपकी बात में कमी आयेगी, या आपकी बात में कमी-खामी जाहिर होगी। अगर आप यह सोचें कि पहले हमने यह सुझाव दिये, अब यह दे रहे हैं तो ऐसी बात आपको नहीं सोचनी चाहिये। गांवों में पानी जहां तक पहुंच सकें उसके लिये आप सही ढंग से योजनायें बनावें ताकि वहां पर पानी पहुंचा सके। आज तक हमने यह रिपोर्ट दी अब यह दें, यह नहीं सोचें। आपकी योजनायें घट जायेंगी, इसलिए आपको दवाये रखना चाहिये, यह नहीं होना चाहिए। आप अपनी इज्जत का सवाल बनाये हुए, या कोई डर से अपनी बात पहली वाली बात को दोहराते रहें, यह बात नहीं है। हमको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखना है। मैंने तीन बातें उनसे चाही हैं। एक तो एडीशनल योजनायें जहां तक सफाई से और कारगर ढंग से काम कर सकती है, उतने ही गांव उन योजनाओं में रखे जायं। उसके बाद जितने गांव बचें, उनके लिये दूसरी योजनायें किस स्रोत से कहां से बनायी जायं, उनके अन्दर कितने गांव रखे जायं। आज तक जो अरबों-खरबों रुपया लगा है और उससे आधे से ज्यादा गांवों को पानी नहीं पहुंच रहा है, यह विभाग को आइडेन्टिफाई करना है। उसके बाद में आप इस बात की शिकायत नहीं रखें मैंने उनको यह निवेदन किया है कि उनको आइडेन्टिफाई करने के लिये उनके सुझाव लावें। यह भी उनको कहा कि जहां कहीं हैं आपके पास जितनी अब सामग्री है उसके मुताबिक आपको देनी चाहिये। जल प्रदाय योजना जब शुरू की उस वक्त यह कल्पना की थी कि हमको बिजली 16 घण्टे मिलेगी। उस वक्त यह सोचा कि इतना पानी डिस्चार्ज होगा और 16 घण्टे पानी चलेगा। लेकिन आज 16 घण्टे तो क्या 6 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है। तो बिजली की उपलब्धि का भी सवाल है। दूसरी बात बिजली की उपलब्धि में भी गड़बड़ी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर को हमने ब्लाक्स में कर रखा है। अगर ब्लाक को बिजली देते हैं तो ठीक है। बिजली ब्लाक में हमारी जल प्रदाय योजना में 6 घण्टे ही मिल पाती है लेकिन 6 घण्टे ब्लाक में बिजली नहीं मिलती है, वहां पर पाइप लाइन बिछी है पर बिजली नहीं पहुंच रही है तो उसके लिये विभाग विद्युत विभाग से तकाजा करे और उससे मिल कर इस बात की कोशिश करे कि इस ब्लाक में जितनी हमारी जल प्रदाय योजनायें है उनको डाइरेक्ट फीडर से जोड़ा जाय, उनको रूरल एग्रीकल्चर फीडर के साथ न रखा जाय। यह आम तौर पर होता है, ऐसी समस्या पहले पैदा हो रही थी बिजली की उपलब्धि न होने के कारण से भी। यह भी एक कारण है जिस कारण बहुत से गांव वालों जिसमें जनप्रतिनिधि

(श्रीमती कमला)

भी थे, यह सोच कर कि यह योजना तो बन रही है इसमें एक गांव को लगा दिया जाय, यह कह दिया जाय कि इतना पानी तो एक गांव को और मिल जायगा। इस प्रकार आपने हमने या अधिकारियों ने इस आकांक्षा से क्षमता से अधिक गांव जोड़ डाले। बिजली की कमी होने से पहले लाइन में पहुंच जाता है और बाद में पूरा पानी अन्दर टेल एण्ड वाले इलाके तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिये, अब व्यावहारिक ढंग से, व्यावहारिक तौर से, वापिस योजनाओं को संशोधित रूप से तैयार करने की जरूरत है। इसके लिये विभाग को निर्देश दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है, एक अभियान चलाकर हमारे यहां पर जितने भी हैण्ड पम्प खराब हैं उनको आइडेन्टीफाई किया जाय। ऐसा मैं समझती हूं कि बहुत से हैंड पम्प काम नहीं कर रहे बिना संकोच के, बिना किसी दूसरी बात का विचार किये हुए दुबारा अपने-अपने क्षेत्र के गांवों में जाकर हर एस. ई. डिटेल्ड रिपोर्ट हर हैंड पम्प की बनाये। फिर यह देखें कि कितने हैण्ड पम्प खराब हैं उन्हें किस प्रकार से अगर सही कर सकते हैं, उसके लिये प्रयास करें। तो जो दो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में आपको कुछ बताने की चेष्टा करनी है कि किस प्रकार आप अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक समस्याओं का निराकरण करने के लिये काम करें।

तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वह इस समय है टी. एस. एस. योजना की। इनमें से कुछ इकाइयां हमारे डेजर्ट के इलाके के अन्दर, सीकर, झुंझुनू में काफी सफल रही हैं लेकिन आम तौर से टी. एस. एस. योजना असफल रही है। इसका मुख्य कारण है, यह योजना सही ढंग से इन्स्टाल नहीं की गयी है। कुछ कारण और भी हैं, जैसे पंचायतों पर उनकी जिम्मेदारी डाली हुई है कि आप इनको चलाइये, अब, अध्यक्ष महोदय, उनके पास बिजली का बिल चुकाने के लिये पैसे नहीं हैं। और अगर मशीनें खराब हो जायं तो इनको सुधारने के लिये पैसा नहीं है, उनके रखरखाव के लिये भी उनके पास साधन नहीं हैं, इसके लिये एक कैबीनेट मीमो बनाने के लिये निर्देश दिये गये हैं। सोचा यह जा रहा है कि जो टी एस. एस. योजनायें वहां कतई तौर पर चलाई नहीं जा सकती हैं उनके समाप्त करने के लिये निर्णय किया जाय और बजाय उनके हैंड पम्प लगाये जायं और हैण्ड पम्प अगर नहीं लगाये जा सकें तो वहां पर रीजनल योजनायें बनायी जायं या पम्प एण्ड टैंक वाली स्थायी योजना से सब्सटीटयूट की जाय। जहां पर यह योजनायें चल सकती हैं वहां पर पाइप, बिजली की मशीनों के सुधारने के लिये जो खर्चा आये उसको विभाग अपने स्तर पर करे या विभाग को सरकार सीधी ग्रान्ट दे देवे जिससे कि पंचायतों के पास यह काम नहीं रहे या फिर अगर पंचायत समितियों के पास रखते हैं तो पंचायत समितियों को सरकार सीधी ग्रान्ट दे दे। पंचायत समिति क्षेत्र में टी. एस. एस. की योजनाओं को देवें। यह दो तीन आल्टरनेटिव्स हैं।

(व्यवधान)

सुनिये सुनिये। यह दो तीन आल्टर-

(श्रीमती कमला)

नेटिव्स हैं जो हो सकते हैं केबिनेट मीमो बनाने के लिये विभाग को निर्देश दिये गये हैं। बैस्ट आल्टरनैटिव, मैं समझती हूं, और आप भी समझते हैं, लोकल एजेन्सी को देने के बजाय अगर यह विभाग को ट्रान्सफर हो जाय तो विभाग बहुत अच्छी तरह उनको मैनटैन कर सकेगा। मैं यह मानती हूं कि बहुत से इलाकों में यह योजनायें बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। जहां पर नहीं कर सकती हैं वहां पर उनको चेन्ज करने की बात की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं। यह सही भी है कि अब बहुत ही साइन्टिफिक ढंग में, व्यवस्थित तरीके से इनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिये। इन योजनाओं को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा और करना भी चाहिये ताकि जो सारा राजस्थान का सरफैस वाटर है और जो हमारा ग्राउन्ड वाटर जितना है, कहां-कहां पर उसकी किस तरह से उपलब्धि हो सकती है, उसकी पूरी तरह से किस प्रकार से उपलब्धि हो उसकी एक आथेन्टिक रिपोर्ट तैयार कराके उसके मुताबिक एक मास्टर प्लान बनाया जाय बचा हुआ हिस्सा है उन इलाकों में हमें पानी देना है, उसके हिसाब से हमको कारगर ढंग से योजना बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो समस्या का कारण है, वह बरसात है। बरसात की कमी हमारे यहां पर रहती ही है। अगर कभी बरसात होती है तो हमारे राजस्थान को जितना पानी है वह सरफेस वाटर बह कर चला जाता है। इसके लिये हमने इरिगेशन की छोटी योजनायें गांवों में बनाई हैं, उनमें तालाब हैं, एनीकट हैं या अपने फ्लड रिलीफ के काम हैं। अब अध्यक्ष महोदय, पहले के वक्त तो इस काम के लिए पंचायत समितियों के पास बहुत से फण्ड्स दिये जाते थे। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाना चाहती हूं, जब सामुदायिक विकास योजनायें शुरू हुई थीं तब फण्ड्स उपलब्धि के साथ-साथ पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन इस तरह से, इस हिसाब से इतने बड़े व्यापक पैमाने पर उपलब्ध कराया जाता था कि उस वक्त यह समस्या ही नहीं थी। जो सरफैस वाटर बह कर आज चला जा रहा है उसको बान्ध बना कर या चाहे छोटे-छोटे एनीकट बना कर रोकने के व्यापक तौर पर प्रोग्राम हाथ में लिये हुए थे और रिलीफ वर्क्स में छोटे इरिगेशन के ताल बना दिये जाते थे। पर इन 35-36 वर्षों के अन्दर ऐसे काम बहुत कम हुए हैं। खास तौर से मैं आपको ईस्टर्न जोन की बात कहना चाहती हूं जिसका मुझे व्यक्तिशः अनुभव है, वहां पानी काफी नीचे चला गया है जैसे जयपुर जिले में कभी सोचा ही नहीं गया था कि यहां पर भी कभी पानी की किल्लत आ सकती है और उसके कारण लोगों में त्राहि-त्राहि मच सकती है। आज बहुत से कारणों से सारा पानी नीचे चला गया है। उसके लिये कार्यवाही करना जरूरी है इसके लिये राजस्थान सरकार ने वाटर डवलपमेन्ट कार्पोरेशन बनाया हुआ है। यह वाटर डवलपमेन्ट कार्पोरेशन करीब ढाई साल पहले बना है। अभी तक इसने अपना काम शुरू नहीं किया है इसलिये मुझे यह कहना है कि इसको एक्टिवाइज किया जाय ईस्टर्न जोन में जितना

(श्रीमती कमला)

पानी है उसको एक्सप्लोइट करके ट्यूब वैल्स जगह-जगह पर लगाये जाय और उस पानी का पीने के लिये और सम्भव हो तो इरिगेशन के लिये उपयोग किया जावे। तो जैसा आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पानी की समस्या हो रही है वह इस कारण से हो रही है कि हम पानी को रोक नहीं पा रहे हैं। उसको रोकने के लिये हम काम करें तो इस समस्या के समाधान में हमें मदद मिल सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी रीजनल पाइप लाइन योजना के लिये कहा, उसमें एक तो मैंने कहा कि उनको आइडेन्टिफाई करें, दूसरे संशोधित योजनायें बनाने के लिये भी हमें कुछ प्रावधान रखना पड़ेगा, वरना आइडेन्टिफाई करने के बाद संशोधित योजना बनाकर रखने के बाद, हम उनके लिये फण्ड्स नहीं रखेंगे तो उनका कोई उपयोग नहीं रह पावेगा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि इस प्रकार की तमाम योजनाओं को संशोधित जब करेंगे तो उसके लिये भारत सरकार से कुछ और फण्ड्स लेने की अगर व्यवस्था कर सकें तो हम इस समस्या का प्रभावी ढंग से निराकरण कर पायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बहुत सी नगर परिषद ऐसी हैं जो स्वयं योजनायें चला रही हैं लेकिन समुचित ढंग से नहीं चला रही हैं इसलिये वहां के निवासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने इस बारे में विभाग से बात की है। उनका यह कहना है कि फण्ड वे जो सात-आठ नगरपालिकायें इस तरह की योजनायें स्वयं चला रही हैं उनको सरकार अपने हाथ में लेगी। फिर भी जब उनके हाथ में यह योजनायें हैं तो भी सालाना उनको कुछ ग्रान्ट्स विभाग की तरफ से दी जाती है ताकि वे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो समस्यायें हैं उनका निराकरण करने के लिए उसका उपयोग कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने हैण्ड पम्प घोटाले की कार्यवाही के बारे में काफी कहा। मैं कहना चाहती हूं कि उसके बारे में काफी जांच-पड़ताल हुई है। हम जानते हैं कि यह काफी बड़ा मुद्दा और गम्भीर मुद्दा था। इसके बारे में जानकारी चाही माननीय सदस्यों ने कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं इतना ही कह सकती हूं कि मामले में टेक्निकल कमेटी ने मामलों की जांच की, दोषी अधिकारियों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में दो बरस का अर्सा निकल गया। उनको निलम्बित करने के बाद उनके रिकार्ड के कारण उनको बहाल किया गया, लेकिन विभागीय कार्यवाही उनके खिलाफ चल रही है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रमोशन दे दिया।

श्रीमती कमला : विभागीय कार्यवाही का परिणाम नहीं आया इसलिये किस आधार पर आप उस को रोकना चाहते हैं? अगर विभागीय कार्यवाही का परिणाम आता और वह दोषी पाये जाते तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता। लेकिन विभागीय कार्यवाही

(श्रीमती कमला)

चल रही है। जो कम्प्रोमाइज करने का मामला था तो जिन मामलों में विभाग में जिन अधिकारियों ने किया उसकी ए. सी. ई. ने जांच की थी। उसके मुताबिक जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन करने के लिए, कुछ फर्म्स के पार्टनर्स को प्रोसीक्यूट करने के लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ए. सी. ई. में केस रजिस्टर करवाया है। दो साल में राज्य सरकार यह फैसला नहीं कर सकी, आप प्रोसीक्यूट करने के बारे में निर्णय नहीं ले सके। आप क्या करना चाहते हैं ? आप इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को बचाने में क्यों लगी हुई हैं, समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : आप नोट कर लीजिए। आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि लोहे के सरियों की खरीद में बड़ा भयकर गबन-घोटाला हुआ है और उसमें करोड़ों रुपये का लेन-देन और कमीशन-बाजी की न मालुम कितनी बातें उन्होंने कही हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन लाख रुपये कहे थे।

श्रीमती कमला : इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई सत्यता नहीं। किसी ने कमीशन लेने की दृष्टि से कोई गबन या घोटाला करने की....

(व्यवधान)

सुनने की चेष्टा करें।

कोशिश नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की स्कीम के ग्लोबल टेंडर काल किये थे। उसके तहत जिनको यह टेंडर दिया गया उसके टेंडर भी विश्व बैंक की तरफ से एक्सेप्ट किये गये। यह सारा काम डी. जी. एस. और डी. की मार्फत राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करवाया। यह बात सही है कि उसके अन्दर जितनी अराइवल्स होनी चाहिए थीं उसमें कुछ कमी रही, अराइवल्स रहने के बाद जो खण्डों में पहुंचा उसके अन्दर भी कमी रही और काफी फर्क दोनों के अन्दर निकला। उस फर्क की जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा अभी इस महीने के आखिर, आठवें महीने के आखिर तक उनकी बैंक गारंटी है। जितना माल कम है उस माल की लगभग सवाई गारंटी जमा है। मुख्य रूप से डी. जी.एस.और डी. वालों का कर्त्तव्य था कि वह नोटिस लेते, वह करते, लेकिन चूंकि हमने अपने लिये मंगाया था हम पूरी तरह से सतर्क हैं और डी. जी. एस. और डी. को अलर्ट किया गया है कि इसके मामले की छानबीन करें और तुरन्त इंतजाम कियाजाय। अगर कम्पनी नहीं करती है तो उसकी जो बैंक गारन्टी जमा है उसको जब्त करने का अधिकार है, वह जब्त की जा सकती है। इसलिये कहीं किसी की नीयत खराब होने की, जानबूझ कर घोटाला करने की स्थिति नहीं है जिसको इतना जोर देकर कहा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग में कमियां हैं, जो आम आदमी की दुरुस्ती

(श्रीमती कमला)

न होने के कारण परेशानी होती है, वह हमारे सामने है, लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के पी. एच. इ. डी. का तमाम राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी परफारमेंस रही है। 1983-84 और 1984-85 के लिए भारत सरकार ने उनको लगभग साढ़े-ग्यारह करोड़ रुपये बोनस के रूप में इसलिये दिये क्योंकि उनका काम दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छा रहा है। मैं यह कहकर जो कमियां हैं उनको छिपाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले हम ठीक काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले की समस्या, कोई बीसलपुर बांध की, कोई उदयपुर की योजनाओं की, इस तरह कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की योजनाओं का जिक्र किया। यह दो-तीन बड़े-बड़े मुद्दे हैं और आम तौर पर सवालों के सन्दर्भ में काफी बार आ चुके हैं। इसका जवाब भी सदन में काफी बार दिया जा चुका है कि उदयपुर की योजना की क्या स्टेज है, जयपुर की जल-समस्या के निराकरण के लिए क्या-क्या किया गया है और क्या-क्या किया जा रहा है और बीसलपुर योजना की क्या स्थिति है। यह स्थिति सदन में कई बार बताई जा चुकी है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की दरें बढ़ाने का माननीय सदस्यों ने, खासकर विरोधी दलों के काफी सदस्यों ने उल्लेख किया है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम हम किसी भी विभाग से लेना चाहते हैं, उसको कुशलता के साथ अंजाम देना चाहते हैं तो, आम तौर पर उसको चलाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत नो प्रोफिट नो लास में करें, उसकी व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। आज नगरीय क्षेत्रों में पानी के रख-रखाव और संचालन का जहां 51.25 करोड़ का खर्चा आ रहा है उसके पेटे उनसे सिर्फ 15.89 करोड़ आता है। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके रख-रखाव में 61 करोड़ का खर्चा आ रहा है और उसके पेटे में 6.23 करोड़ की आवक होती है। मैं यह नहीं कहती कि खर्च जनता देगी, ग्रामीण क्षेत्र के सब लोग जो देने की स्थिति में नहीं हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है उनको सरकार की तरफ से ग्रांट के तौर पर मदद चाहिए, एक्टिविटीज के तौर पर। लेकिन यह स्थिति ऐसी नहीं है। इतने टैक्स लगा दिये हैं, जितना रिलीफ नहीं मिला उससे दुगुना-तिगुना टैक्स लग गया है, इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसको इतना हाइलाइट किया जाए।

इसके अलावा, अन्त में, हरिजन बस्तियों के लिए माननीय सदस्यों ने जो बात कही है यह हमारी प्राथमिकता भी है, चाहे विद्युतीकरण के मामले हों, चाहे जल प्रदाय के मामले हों। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने इलाकों का जिक्र किया है कि नई ढाणियां बन रही हैं और गांवों में न बिजली है, न स्कूल है, न जल योजना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना

(श्रीमती कमला)

चाहती हूं कि राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक जब कभी भी नल योजना लगे, जब कभी विद्युतीकरण हो, पहले इन बस्तियों में किये जाने का निर्देश सरकार का है। बार-बार तकाजा भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बस्तियां रही हुई हैं, इस बात को हम और आप सब जानते हैं। इस बात को फिर से बड़े तकाजे के साथ किया जा रहा है कि इस प्रकार की बस्तियों में कोई न बचे। जहाँ-जहाँ भी जल प्रदाय योजनायें चालू हो चुकी हैं विभाग द्वारा इन बस्तियों के अन्दर जरूरी तौर पर यह व्यवस्था की जाये, इस बात की कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, जो बहुत सारी समस्यायें पेश की हैं और जो बहुत कुछ मांग हैं, उन सबको हमने दर्ज किया है और कुछ कटमोशन के जरिये आ रहे हैं। उन सबका आगामी बजट प्रावधान में कहाँ-कहां कितना निस्तारण कर सकते है, व्यवस्थायें कर सकते हैं इसको यथा-सम्भव करने की, समस्या के निराकरण की चेष्टा की जायेगी। आपकी जो समस्या है वह राज्य की समस्या है, आम आदमी की समस्या है। उसका निराकरण कर देने की व्यवस्था लोगों तक पहुंचे, यह सरकार का दायित्व है और कर्त्तव्य भी है। इसमें हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे प्रावधानों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी समस्यायें है, इतनी व्यापक, इतनी गम्भीर समस्यायें हैं कि इसका निराकरण करने में समय लगेगा। आपके सहयोग से, आप सबके सुझावों से हम इसका मुकाबला कर पायेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आभार प्रकट करती हूं और निवेदन करती हूं कि मांग पारित की जाए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया के वक्तव्य से और प्रगति विवरण जो इस विभाग का आया है उसके हिसाब से 22,262 गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया गया है। इनमें 2277 गांव समस्याग्रस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने यह बताया कि रीजनल स्कीम्स एक प्रकार से असफल हुई है। आज के दो दिन पहले इन्होंने बताया था कि यह टी. एस. एस. की स्कीम बिलकुल असफल हुई है और आज भी बताया। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि 2699 हैण्ड पम्प ऐसे हैं कि जिनकी रिपेयर नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि हमने हैण्ड पम्पों का जो अभियान चलाया उस हैंड पम्पों के अभियान के अन्तर्गत जो एवरेज आता है उस हिसाब से एक चौथाई हैण्ड पम्प खराब रहते हैं। अब इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आधार पर, अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प 13,501 गांवों में लगें, 3350 गांवों में टी.एस.एस.स्कीम चली और 3,307 गांवों में रीजनल स्कीम चली। यदि खराबी का अनुपात लिया जाये तो जैसा मन्त्री महोदया स्वयं ने कहा था, टी. एस.एस. स्कीम पूर्णतया असफल रही। टी. एस. एस. स्कीम में आते हैं 3350 गांव। इसका मतलब 3350 गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज इन्होंने कहा कि रीजनल स्कीम है वह भी पूर्णतया असफल हो गयी। वह पूर्णतया तो असफल मैं नहीं मानता····

श्रीमती कमला : मैंने भी नहीं कहा पूर्णतया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंशिक असफल हो गयी। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जहां दस-दस और बारह-बारह गांव एक रीजनल स्कीम में आने चाहिए वहां दो तीन गांवों को ही पानी मिलता है बाकी के गांवों में पानी नहीं पहुंचता। बहुत से हैण्ड पम्प बिलकुल खराब हो गए, रिपेयर नहीं हो सकते। जो रिपेयर करने का अभियान चला उसका एवरेज निकालें तो उस एवरेज के आधार पर हैण्ड पम्पों की स्थिति भी बहुत ही खतरनाक-सी साबित होती है। 6750 गांव ऐसे बसते हैं इस औसत के आधार पर कि जिनमें हैण्ड पम्पों के आधार पर पीने का पानी नहीं मिला। आपने 20,277 गांवों की तो फिगर दे दी। आपके वक्तव्य का यदि सारा निष्कर्ष निकाला जाये, अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर तो 14,752 गांव आपके इस आधार पर आते हैं। इतना खर्चा करने के बावजूद, हैण्ड पम्प योजना चालू करने के बावजूद, रीजनल स्कीम चालू करने के बावजूद और टी. एस. एस. स्कीम चालू करने के बावजूद इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर 14 हजार गांव ऐसे बचते हैं जिन गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है।

दूसरा प्रश्न, मैं यह कहना चाहूंगा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चार्ज लगाया था कि कोटा में इतने सरिये क्यों गये जब कि वहां इतनों की आवश्यकता नहीं थी। यह आरोप नहीं था कि खरीदे क्यों गए, आरोप यह था कि मैं जहां तक सुन पाया हूं 850 टन या 800 टन, कहा था कि कोटा में 160 टन की रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट में 850 या 800 टन भेजा है और वहां से वापस उठाया जा रहा है। इसका आपने उत्तर नहीं दिया। आपने डी. जी. एस. एण्ड. डी. रेट्स और बैंक गारन्टी की बात कही लेकिन मैं जानता हूं कि बैंक की गारन्टी की अवधि क्या है। डी. जी. एस. एण्ड डी. उसमें कोई एप्रूव करे या नहीं करें, बैंक गारन्टी का एक पीरियड होता है कि किस समय बैंक गारन्टी आपरेट हो सकती है या जिस फर्म से आपने सामान खरीदा है उसको इस बात को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सूचना दे दी गयी है कि हमने जो माल प्राप्त किया है उसमें इतना टन, 1½ या 2 टन माल की कमी है। उनको इस बात की सूचना दे दी ? मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि माल कम है तो जिस समय आपने माल रिसीव किया उस समय यह फैक्ट्स उनकी नालेज में क्यों नहीं लाये कि आपने जो डिस्पेचेज किये हैं उनके अगेन्स्ट में केवल इतनी रिसीट है ?

तीसरे, हैण्ड पम्पों के बारे में आपने इन्क्वायरी की बात कही। मुझे, अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र-सी बात लगी जब मन्त्री महोदया ने यह कहा कि सस्पेन्शन में दो वर्ष की अवधि हो गयी थी इसलिए हमने उन को रीइन्सटेट किया। मेरी समझ में नहीं आता कि दो वर्ष की अवधि के कारण से रीइन्सटेट करने का सवाल कहां से पैदा हुआ ? और दो वर्ष का समय किस ने लगाया ? किस एजेन्सी ने दो वर्ष का समय लगाया ? क्या गवर्नमेंट उनका यह इन्तजार करती रही कि दो वर्ष का समय निकल जाये तो हम इनको रीइन्सटेट कर दें ? मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि दो वर्ष का समय क्यों लगा ? आप यह कह सकते हैं कि कुछ मामले एन्टीकरप्शन में दिये हुए थे। मैं आज आपको कहूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की जैसी हालत पिछले दो-ढाई वर्षों में रही थी वह एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट नहीं था वह करप्शन डिपार्टमेंट था। यदि आप उस डिपार्टमेंट से जांच के आधार पर लोगों को रीइन्सटेट करने की बात कहें और अवधि निकल गयी दो वर्ष की तो कोई ऐसी लक्षमण रेखा नहीं है। लक्षमण रेखा है तो 6 महीने की है, 6 महीने के अन्दर यदि इन्क्वायरी खतम नहीं हुई सरकार के आदेशों के अनुसार या उनको चार्जशीट नहीं दी लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आज अभी इस समय तक कहता हूं कि जो इसमें दोषी हैं उनको बाकायदा चार्ज शीट अभी तक नहीं दी गयी है। आप तो इन्क्वायरी की बात कह रहे हैं मैं कहता हूं कि उनको चार्ज शीट भी नहीं दी गयी है। उनमें जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेन्शन में रखा हुआ है हालांकि उनकी भी इन्क्वायरी खतम नहीं हुई दो वर्षों में, लेकिन उन्हें तो अण्डर सस्पेन्शन रखा हुआ है और जो सीनियर आफिसर थे उनको रीइन्सटेट कर दिया गया। समझ में नहीं आता, यह किस प्रकार की व्यवस्था है ? यह तो आपने कम्प्रोमाइज के मामले की बात कही कि जिस मामले में फर्म से समझौता किया था उसको इसी सदन में चुनौती दी गयी थी। उसकी इन्क्वायरी के संबंध ये तो बात कह दी लेकिन बाकी की जिन-जिन फर्मों, खास तौर से भीलवाड़ा की फर्म और दूसरी फर्म थीं जिन फर्मों के माध्यम से यह सारे हैण्ड पम्प खुदवाये गये, उनको कान्ट्रेक्ट देने में गलती हुई। उसके लिए टैक्निकल कमेटी जांच करने वाली थी, उस जांच के बाद में एक्शन लेने वाली बात थी। उस संबंध में सरकार ने आज तक क्या किया ? यह मेरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझ में नहीं आता ?

अध्यक्ष महोदय, चौथा प्रश्न छोटा सा है। माननीय मन्त्री महोदया ने कहा कि 2699 हैण्ड पम्प ऐसे हो गए जिनकी रिपेयर नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी बात में यह बात भी कह दी कि कहीं गलती से भी लगे हैं। 2699 हैण्ड पम्प की कीमत यदि 10 हजार एक का आधार या अनुमान लगायें तो 2 करोड़ 69 लाख रुपये का नुकसान राज्य सरकार को किस की गलती से हुआ ? इसमें कितना तो डिपार्टमेंटल मशीन ने काम किया और कितना ठेकेदारों ने काम किया ? यह 2 करोड़ 69 लाख रुपये का खर्च आज किस से वसूल किया जा रहा है ? यह टेक्स के रूप में जनता से वसूल किया जा रहा है। टी. एस. एस. स्कीम में पैसा लगा या रीजनल पाइप लाइन स्कीम में पैसा लगा, जिसको आज आप डिफेक्टिव मानते हैं, असफल मानते हैं उसका पैसा आज टेक्स के रूप में जनता से वसूल किया जा रहा है और इसीलिए हम टैक्स का विरोध कर रहे है। एक सिद्धान्त का सवाल आता है, अध्यक्ष महोदय कि यदि इनएफीशियेन्सी से डिपार्टमेंट की कास्ट बढ़ती है तो क्या जनता को उस इनएफीशियेन्सी का पेमेंट करना पड़ेगा ? किसी डिपार्टमेंट में यदि तीस लाख का घाटा हो जाये बिकाज आफ इट्स इनएफीशियेन्सी तो क्या पेमेंट जनता को करना पड़ेगा ? क्वेश्चन यह विचार करना पड़ेगा कि जनता को इनएफीशियेन्सी की कास्ट नहीं चुकानी पड़े। इनएफीशियेन्सी की कास्ट सरकार को भोगनी पड़े, सिद्धान्त आपको यह तय करना पड़ेगा और यही मेरे प्रश्न हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक-एक का उत्तर आ जाये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने मेरी बात के आधे हिस्से को तो जोर से पकड़ लिया और आधे हिस्से को पीछे धीरे से अपने मन में ही रख लिया। मैंने टी. एस. एस. के लिए भी और क्षेत्रीय योजनाओं के लिए भी साफ तौर से यह कहा है कि क्षेत्रीय योजनायें हैं उनमें जितने गांव शामिल किये हुए हैं उनमें टेल एण्ड के जो गांव है उनको पानी नहीं मिल रहा है इस

(श्रीमती कमला)

लिए वह व्यावहारिक ढंग से योजना नहीं बनी है। इसलिए जिस स्तर तक उन योजनाओं का पानी गांवों तक आ रहा है उस स्तर तक उस योजना को रख करके बाकी के गांवों की एक संशोधित योजना बनाकर पानी दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, माफ करना। जो टेल एण्ड पर गांव हैं क्या सरकार ने उन टेल एण्ड के गांवों का सर्वे करके इन 22 हजार गांवों में से उनको हटाया है या वह टेल एण्ड वाले गांव उस 22 हजार में शामिल हैं ?

श्रीमती कमला : शामिल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शामिल हैं तो पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिगर्स गलत हैं।

श्रीमती कमला : मैं यह नहीं कह रही हूं कि तमाम गांवों को रेगुलर मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिगर्स गलत हैं ना ?

श्रीमती कमला : फिगर्स इसलिए गलत नहीं हैं कि एक प्री-कण्डिशन मान करके कि इतनी बिजली आयेगी, इतना पानी आयेगा इसलिए इनको पहुंच जायेगा, इस हिसाब से वह योजनायें बनाई गई लेकिन उस हिसाब से बिजली क्योंकि नहीं मिलती है इसलिए वह व्यवहारिक नहीं रहे और इसलिए पानी उन गांवों तक नहीं पहुंचता।

जो वस्तु स्थिति है उसको आज मैं न भी बयान करूं तो भी उसमें कोई तन्त नही निकलेगा कि आप उसको हाइलाइट करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस 22 हजार की फिगर में लोग प्यासे नहीं मर जायें।

श्रीमती कमला : 22 हजार की फिगर में कोई प्यासा नहीं मरेगा। अगर आपकी टी. एस. एस. से कोई प्यासा नहीं मरा तो इससे कतई ही कोई प्यासा नहीं मरेगा। उसकी आप चिन्ता मत करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह मानकर चलूं वह हटने वाला नहीं है ?

श्रीमती कमला : मैं कह चुकी हूं कि सबसे पहला काम हमको यह करना है कि डाइरेक्ट फीडर्स उन योजनाओं में दें। डाइरेक्ट फीडर्स देने में जितने घंटे आम तौर पर बिजली मिलती है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके जितने गाँव फिर भी वंचित रह जाते हैं उनकी हम संशोधित योजनायें बनायें। इसका तात्पर्य यह नहीं

(श्रीमती कमला)

है कि रीजनल योजनायें सारी की सारी असफल हैं। मैं मानती हूं कि उनमें से कम से कम 60-65 प्रतिशत आज भी सफल हैं। बाकी असफल तो सिर्फ इसलिये हैं कि हमने 16 घण्टे बिजली का एस्टिमेट बनाकर रखा था। आप कैलकुलेट करके हाउस को मिसगाइड करना चाह रहे हैं कि मैंने यह कहा कि क्षेत्रीय योजना असफल रही है ऐसा नहीं है।

जहां तक टी. एस. एस. योजनाओं का मामला है उसके बारे में, अध्यय महोदय, मैंने साफ कहा है कि जितने डेजर्ट एरियाज हैं झुंझुनूं के....

एक माननीय सदस्य : 90 प्रतिशत हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 22 हजार में से निकल दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती कमला : 90 प्रतिशत इसमें असफल नहीं है सिर्फ वे असफल हैं जहां पर पंचायतें उनको चलाने की स्थिति में नहीं हैं। वे असफल इसलिये नहीं हैं कि पानी डिस्चार्ज नहीं कर सकते या फंक्शन नहीं कर सकते। वे फंक्शन करने की स्थिति में हैं, काम देने की स्थिति में हैं लेकिन काम लेने वाले नहीं हैं कि उसका बिल चुकारा कर सकें। इसलिये उसका आल्टरनेटिव क्या लिया जा सकता है, इसके में सोचा जायेगा वैसी असफलता कुछ जगहों पर हो सकती है जहां पर इनका इन्सटालेशन सही नहीं हुआ है जो आपरेशन कर नहीं सकते बिकाज आफ फाईनेन्शियल स्ट्रेस उनको असफल नहीं कह सकते बल्कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, हैण्ड पम्प का मामला बहुत तादाद में गड़बड़ है। मैंने 2,699 की आपको जो फिगर दी वह विभाग के हिसाब से दी है। उन्होंने जो कैम्पेन किया, उस वक्त खराब पाये गये 13 हजार कुछ में से 11 हजार कुछ उन्होंने दुरुस्त किये। यह दो हजार ऐसे पाये कि जिनको उन्होंने बदलना जरूरी समझा, वह सही नहीं थे या रिपेयर नहीं हो सकते। यह ठीक है कि आपने इसकी कीमत कैलकुलेट करके बताया और कहा कि अगर 2699 खराब थे तो इनकी लागत के लिये कौन जिम्मेदार था, इनका पैसा किस तरह वसूल किया जायेगा। जैसा आपने कहा, इसके बारे में हम भी उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, जवाब-तलब करेंगे। उसकी कार्यवाही की जा सकती है, उसके उसके बारे में हम एक्शन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने यह पूछा कि बैंक गारन्टी की तारीख कब तक की है, मैंने आपसे बताया कि आठवें महीने तक की है, 3-8-85 तक बैंक गारन्टी की अवधि है। उसके पहले ही बड़ी तत्परता से इस बात की कार्यवाही की जा रही है और बैंक गारन्टी उसके पेटे रखने की स्थिति में है। बाकी आपने जो कहा कि 800 सरिये कोटा में चाहे नहीं गये थे फिर वहां क्यों भेजे गये,

(श्रीमती कमला)

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सभी खण्ड अधिकारियों से पहले मांग की गई थी, पूछा गया था कि आपके क्षेत्र में कितना-कितना चाहिये और जितने की उन्होंने मांग भेजी है उसी के हिसाब से सरिये भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। उसमें आपने जो कहा कि इतनों की जरूरत नहीं थी, यह भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने पहले तो मांग इतनी क्यों की और आज क्यों मना कर रहे हैं। अगर ज्यादा भेजे गये, और उनका यहां उपयोग नहीं है तो दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। यह तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मांग से ज्यादा भेज दिया तो अब क्या समस्या पैदा हो जायेगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना के बारे में बताना भूल गई, वदासर की योजना के बारे में मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि जो पीने के पानी की फालौदी क्षेत्र और जोधपुर क्षेत्र की वृहत योजना बनी है, उसके लिये करीब 40-42 किलोमीटर तक पाइप पड़े हैं, 19 किलोमीटर तक जाइंटिग हो चुका है। कुछ मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करें कि वह सिंगल कैनाल से, सिंगल चैनल से इस योजना का पानी जोधपुर ले जायेंगी या ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का अलग-अलग चेनल होगा ? इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? मन्त्री महोदया, अगर दो अलग-अलग चैनल से ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर जायेगा तो उनका एलाइनमेंट कहां से शुरू होगा ? तीसरा, अध्यक्ष महोदय, वहां बुदासर की योजना का काम बन्द पड़ा है हालांकि 42-43 किलोमीटर तक पाइप पड़ा है। इस बारे में राज्य सरकार ने, जल प्रदाय विभाग ने क्या निर्णय लिया है ? जहां तक पाइप पड़े हैं, जहां तक एलाइनमेंट है वह दोनों जगह अलग-अलग रहेंगी या ज्वइण्ट का काम शुरू कर दिया जायेगा ? चौथा प्रश्न यह है कि रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम, जैसा मन्त्री महोदया कहती हैं मैं भी मानता हूं कि काफी हद तक फेल हो चुकी है। अब इनकी डिपार्टमेंटल तकनीकी अनभिज्ञता और अज्ञानता का खामियाजा हमको चुकाना पड़ता है। वह खामियाज भी हम चुका देंगे। जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम फेल हो चुकी हैं, मैं यह नहीं मानता कि वह टेल एण्ड के गांवों में ही फेल हुई है, वह कई गांवों में फेल हो चुकी है। 1971-72 में जो टंकियां बनाई गई उनमें आज तक एक बूंद पीने का पानी नहीं पहुंचा है, कई योजनाओं में मैं मेरे क्षेत्र की योजनाओं की बात कह रहा हूँ, नही पहुंचा। अब उसके लिये क्या आल्टरनेटिव सोर्स पानी के ढूंढ लिये गये ? मैं मानता हूं कि अगर अल्टरनेटिव सोर्स या उनके गांवों के सोर्स मिल जाये तो उन योजनाओं को कामयाब किया जा सकता है। क्या इस बारे में कोई सर्वे इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है ? अगर हो चुका है तो क्या उसके बारे में विभाग द्वारा फण्ड्स की व्यवस्था तकनीकी व्यवस्था हो चुकी है ? इतने ही प्रश्नों का उत्तर मैं मन्त्री महोदया से चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, कृपया सुन लें सबको, ठीक रहेगा। श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अनावृष्टि के कारण कई ग्राम जो समस्या रहित थे उस समय, आज वे समस्याग्रस्त हो चुके हैं। क्या राज्य सरकार पुनः सर्वे कराके ऐसे गांवों के लिए जो सर्वे के समय समस्याग्रस्त नहीं पाये गये, कोई योजना बनाने का विचार रखती है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि सहायता विभाग के द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में कुए गहर कराने के लिये और हैंड पम्प लगाने के लिए जो राशि दी गई, उसका उपयोग इस विभाग ने अब तक क्यों नहीं किया? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जलप्रदाय योजनाओं में आबादी का कहीं एक तिहाई हिस्सा लाभान्वित हुआ कहीं 50 प्रतिशत आबादी लाभान्वित हुई। हरिजन बस्तियों के लिये तो मन्त्री महोदया ने कह दिया कि उनको हम लाभान्वित करेंगे। लेकिन जहां आबादी केवल एक तिहाई लाभान्वित हुई, दो तिहाई आबादी आज भी जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित नहीं है उनके लिए आप क्या कहती हैं, राज्य सरकार क्या विचार रखती है कि कब लाभान्वित करेंगे? राज्य सरकार क्या विचार रखती है? एक प्रश्न मेरा यह है कि आपने जयपुर शहर की पेयजल समस्या के लिये हैण्ड पम्प और बाकी योजनाओं पर इतनी राशि खर्च की लेकिन विभाग ने कानोता का प्रोजेक्ट पहले हाथ में क्यों नहीं लिया? इस कानोता प्रोजेक्ट को अगर हाथ में लिया जाता तो उससे जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या, जिसे हम आज हैण्ड पम्प से दूर करना चाहते हैं, हमारे सामने नहीं आती। राज्य सरकार ने कानोता प्रोजेक्ट को हाथ में क्यों नहीं लिया? और पांचवां प्रश्न मेरा यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को जिन हरिजन बस्तियों को जानबूझकर पेयजल से वंचित रख दिया गया। उन हरिजन बस्तियों को पेयजल व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा देंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री भारद्वाज।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदया से यह पूछ रहा हूँ, कि विश्व बैंक के सहयोग से चालू योजनाओं में 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार को दी जाती है। फिर उसमें से 70 प्रतिशत यानि 50 में से 35 भारत सरकार देती है। तो क्या राजस्थान ने उस योजना का समुचित लाभ इसलिये नहीं उठाया कि उनको पहले 100 रुपया लगाने के बाद फिर 35 रुपया मिलता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को मिलता वह उठाया नहीं गया। प्रावधान करके पहले 108 रुपया राजस्थान सरकार को देना पड़ता है फिर 35 प्रतिशत फ्री ही आता है लेकिन वह नहीं ले पाये। तो क्या भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा कि पेयजल योजना के अन्तर्गत जो 35 प्रतिशत फ्री मिलता है उसको प्राप्त करेंगे और राजस्थान को यह नुकसान न हो? क्या तेजी से कोशिश की जायेगी? दूसरा मेरा कहना यह है कि जिन गांवों ने 10-12-13 साल से 2½ प्रतिशत पैसा उस समय के हिसाब से पेयजल योजना के तहत जमा करा दिया,

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

उनको पेयजल की योजना में अब तक शामिल नहीं किया गया। क्या राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर अब जो कुछ भी बजट में प्रावधान करेगी, उन लोगों को पहले रखेगी ?

(10.00 रात्रि)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 20 सूत्री योजना बहुत बड़ी योजना है, 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की है। कुछ लाख रुपये अबके हमने रखे हैं इस बड़ी योजना के लिए। मैं केवल पेयजल के मामले में अजमेर, ब्यावर और जयपुर की बात कहता हूं। क्या इस योजना में अधिक प्रावधान करने का विभाग प्रयत्न करेगा ताकि यह योजना जल्दी ही पूरी हो सके और बीसलपुर का पानी आ जाय तो जमुवारामगढ़ का बन्ध वापस कृषि में सिंचाई के लिये पानी दे सके ? यह बांध पहले तीन तहसीलों को पानी देता था, वह हो जाय तो जमवारामगढ़ बन्ध से अभि भी सिंचाई का पानी इन तीन तहसीलों को उपलब्ध हो सकता है। ये तीन प्रश्न हैं मेरे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बार हो गया। मुझे ध्यान है कौन-कौन बोलने वाले हैं। आप कृपया विराजिये। श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

मैंने सी. पी. जोशी का नाम ले लिया है। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो इस बारे में है कि ढाई सौ की जनसंख्या का आधार बना रखा है। क्या मन्त्री महोदया उदयपुर डिवीजन में आदिवासियों की जो स्केटर्ड पापुलेशन की रेवेन्यू विलेज से और एम. एल एज. के निर्वाचन क्षेत्र की दूरी को आधार बना कर इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार रखती हैं या नहीं, पहला प्रश्न ? दूसरा प्रश्न है, इसी सदन के अन्दर तत्कालीन मन्त्री ने कहा था कि हैंड पम्प घोटाले की जो भी एन्क्वावरी रिपोर्ट है उसको सदन की मेज पर रखा जायेगा। आज दिन तक उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। आज मन्त्री महोदय ने यह कहा कि दो साल हो गये इस डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी को पेन्डिग हुए इसलिये हमने री-इन्स्टेट कर दिये। क्या मन्त्री महोदय, यह बतायेंगी कि तत्कालीन मन्त्री महोदय ने जो इस सदन को आश्वासन दिया था कि जो भी तथ्यों की रिपोर्ट बनेगी, उसको सदन की मेज पर रखा जायेगा, उसका क्या हुआ ? मन्त्री महोदय ने जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन कराये हैं, चाहे ए. सी. डी. से करवाये हों और चाहे डिपार्टमेंटल कमेटी से कराये हैं, उसमें जो तथ्यों की रिपोर्ट है और उसमें जो बातें हैं उसकी सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देने की आपकी मन्शा है या नहीं ? उस आधार पर इस रिपोर्ट को इस सत्र में कब रखेंगे, यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कुओं की सतह नीचे चले जाने पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की । मैं आपसे जानना चाहती हूं, अभी आप जों ब्यावर को पानी सप्लाई कर रहे हैं वह जैतारण तहसील के नीमाज गांव से कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, 21 कुओं से आप पानी दे रहे हैं और 21 और खोदना चाहते हैं । पहले फुल टाइम आता था पानी नीमाज के खेतों में, अब दो घंटे उन के कुए चलते हैं । आप उसमें से 11 मिलियन पानी ब्यावर की सीमेन्ट फैक्ट्री को दे रहे हैं । तो आप चाहते क्या हैं ? अगर आप 21 कुए और खोद देंगे वहां पर, तो वहां तो पानी के लिए लोग मर जायेंगे, बूंद-बूंद के लिये तरसेंगे । ब्यावर को पानी पिलाकर आप नीमाच को प्यासा मारना चाहें तो बात अलग है लेकिन अगर आप ब्यावर को भी पानी पिलाना चाहते हैं और नीमाच को भी पानी पिलाने के लिये जिन्दा रखना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि सीमेन्ट फैक्ट्री को पानी देना बन्द कर दें । पेयजल को प्राथमिकता देनी है तो फैक्ट्रियों को पानी देना बन्द करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम बुरड़क ।

श्री हरजी राम बुरड़क : मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी जो विरोधी दल के नेता को मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया उसमें ही एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो स्कीमें मंजूर की हैं वह 8 घण्टे की बिजली मानकर की हैं या 16 घंटे मानकर इन स्कीमों को स्वीकृत किया गया है ? आज पानी वहां इसलिये नहीं पहुंचता है कि बिजली कम मिलती है । वास्तविकता यह है कि भारत सरकार ने जो भी योजनायें स्वीकृत की हैं उनमें 8 घण्टे बिजली मिली है । आपने यह गलत उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती हमीदा बेगम ।

श्रीमती हमीदा बेगम : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस सम्बन्ध में कट मोशन रखे थे उनमें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जरूरी नहीं है । मुझे मालूम है, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : अध्यक्ष महोदय, मैंने टी. एस. एस. योजना के लिये कहा था । मैंने बताया था कि हमारे यहां की 15 पंचायतें, जिनमें टी. एस. एस. योजना चल रही है उसको चलाने में सक्षम नहीं हैं, गांव वालों को उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है । न पंचायत उन्हें चला पा रही हैं न पेयजल विभाग उसको ले रहा है जबकि नजदीकी गांव में....

(व्यवधान)

क्या टी. एस. एस. स्कीम को सरकार भविष्य के अन्दर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया इसका ।

2'86

श्रीमती हमीदा बेगम : इसको पेयजल विभाग में देना पसन्द करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया इसका। श्री सुजान सिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती हमीदा बेगम : एक सवाल और है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठें, माननीय सदस्या। बैठें, कृपया बैठें। माननीय सदस्या।

श्रीमती हमीदा बेगम : मैं कहना चाह रही हूं कि टी. एस. एस. योजना के लिये या तो अधिक धनराशि पचायतों को दिलायें या फिर पेयजल विभाग इसको ले नम्बर एक। नम्बर दो, मेरा कहना यह है कि चूरू शहर के अन्दर पानी की इतनी अव्यवस्था है कि निचले भाग के अन्दर 16 घंटे या 20 घण्टे पानी मिलता है जबकि ऊंचे भाग में रहने वालों को केवल दो घण्टे ही पानी मिलता है।

श्री अध्यक्ष : यह मन्त्री महोदय ने कह दिया है, अपने क्षेत्र की जो समस्या आपने रखी है उनका अलग से विस्तार से जवाब दे दिया है। आपने सुना नहीं है। श्री सुजान सिंह।

(व्यवधान)

अब कोई प्रश्न रहा नहीं है, फिर पूछने से क्या मतलब ?

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष रीजनल स्कीम और टी. एस. एस. का विस्तार होता हुआ जा रहा है और स्टाफ की बहुत कमी है। डेली वेजेज पर दो-दो, तीन-तीन साल से स्टाफ लगा हुआ है। उनके भविष्य के मामले में राज्य सरकार क्या विचार करती है, उनको परमानेन्ट करना चाहती है या डेली वेजेज पर ही रखना चाहती है ? यह मेरा स्पेसिफिक प्रश्न राज्य कर्मचारियों के हित में है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी छंगाणी जी ने बताया कि जहां स्थानीय सोर्स हैं, जहां मीठा पानी है और आपकी रीजनल स्कीमें फेल हो चुकी हैं, टी. एस. एस. फेल हो चुकी है, जैसे मेरा क्षेत्र डूंगरपुर, उन गांवों के बारे में क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया, माननीय सदस्य। आप कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक हरिजन बस्ती के नाम से जो बजट था उसको दूसरे उपयोग में ले लिया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत समस्या

(श्री अध्यक्ष)

बता दी। यह नोटेड है। अब आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अभी मन्त्री महोदया ने कोटा में स्टील इकट्ठा किये जाने के बारे में फरमाया था कि जिस खण्ड अधिकारी ने जितनी स्टील की मांग की उस आधार पर उसको वहां स्टील भेज दिया और अगर ज्यादा मांग कर ली तो उसको दूसरी जगह ट्रान्सफर किया जा सकता है। तो क्या कोटा से खण्ड अधिकारी ने जितने स्टील की मांग की थी....

श्री अध्यक्ष : नहीं की....

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अगर मांग की थी तो क्या कोटा क्षेत्र में इतने स्टील का उपयोग करने की आवश्यकता थी? उसकी मांग करने का आधार क्या था?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आपने बताया कि टी. एस. एस. की कुछ स्कीम तो फेल हो गई और कुछ चल रही हैं, रीजनल पाइप लाइन की कुछ स्कीम फेल हो गई, कुछ ठीक हैं और कुछ चल रही हैं और इसी प्रकार हैंड पम्प कुछ गांवों में खराब हो गये और कुछ में चल रहे हैं। क्या राज्य सरकार केलकुलेशन करके यह बतायेगी कि इन 22 हजार गांवों, जिनको अपन ने पेय जल देना मान लिया है, में से कुल कितने गांवों में ये स्कीमें फैल हो चुकी हैं और कितनों में चल रही हैं? आपके विधान सभा में विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों से यह स्पष्ट हुआ है कि कुल 11 हजार से अधिक गांवों में यह स्कीम फेल हो चुकी है और 11 हजार गांवों में ही पेयजल सप्लाई कर चुके हैं। यह 22 हजार का आंकड़ा गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : एक महीने से हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने देख लिया है, नोट कर लिया है। आपका हड़ताल से सम्बन्धित मामला है, वह व्यक्तिगत है। वह मैंने बता दिया, इसके बाद भी और क्या हो सकता है? वह और बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, नये सदस्य हैं। इनको अवसर दे दें। भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा । माननीय सदस्य, अब समय नहीं है, कृपया बैठें । समय न लें कृपया ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने मुझे कहा था, समय देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब मैं कोई समय नही दूंगा । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्य, कृपया विराजें । माननीय सदस्य ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे अधिकारों का हनन है ।

(व्यवधान)

जयपुर शहर में पेयजल की समस्या है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में बहुत सारी कच्ची बस्तियां है, बहुत सारी चौकड़ियां हैं जिनमें पानी नहीं मिलता है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में हैण्ड पम्प की संख्या बहुत कम है । मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जनोपयोगी स्थानों पर हैण्ड पम्पों की संख्या बढ़ाई जाय और गबन घोटालों की जो एन्क्वायरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को यहां रख देनी चाहिये । विधान सभा के पटल पर वह रिपोर्ट रखी जानी चाहिये । माननीय परसरामजी ने सदन में घोषणा की थी....

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया है आपने । एक बार आपने बात रख दी अब रिपीट कर रहे हैं । कृपया बैठें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसकी रिपोर्ट सदन मे आनी चाहिए । हैंड पम्पों की व्यवस्था जयपुर शहर में कच्ची बस्ती में, कृषि भूमि में और शहर की अन्य चौकड़ियों में करनी चाहिए । 325 हैंड पम्पों से, माननीय अध्यक्ष महोदय असन्तोष बढ़ा है । हैंड पम्प खुदे पड़े हैं, चालू नहीं है कई, उनको चालू कराने की व्यवस्था की जावे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य । माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने क्या गुनाह किया है कि एक छोटा सा प्रश्न नहीं पूछने देना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : आप कभी भी आसन की आज्ञा की पालना करते नहीं हैं। आसन की आज्ञा की पालना करना सीखिये। पूछिये प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने तो हमेशा ही की है, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री हेमाराम चौधरी : इन्दिरा गांधी नहर से पीने के पानी के लिए जो बारह सौ क्यूसेक्स का प्रावधान किया है, क्या आप उसको बढ़ा कर दो हजार क्यूसेक्स करने का विचार रखते हैं ? बाड़मेर जिले में केवल 331 गांवों को इसमें लिया गया है, बाकी गांव ऐसे ही रह जायें। मैंने मालूम किया था तो पता चला कि वह पानी बारह सौ क्यूसेक्स बाकी के गांवों को दिलाया नहीं जा सकेगा। अगर इसको बढ़ा कर दो हजार क्यूसेक्स कर दिया जाय तो जो गांव बाकी रह गए हैं उनको भी पानी मिल सकता है। इसलिए क्या आप इसको बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं क्षमा चाहूंगी, आपने एक विशिष्ट योजना के विशिष्ट पहलू पर कुछ अचानक सवाल किया है। मेरे पास अचानक से सूचना नहीं है कि कहां से एलाइनमेंट होगा, कौन-कौन से आपरेशन किस-किस ढंग से उसके हो रहे हैं। आप उसको जानना चाहते हैं, मालूम तो है आपको, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं और विस्तार से पूछ कर आपको बाद में बता सकूंगी।

श्री मोहन छंगाणी : मन्त्री महोदया से सदन में जानना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : अगर आप मुझ को पहले से अवगत कराते तो मैं बता सकती थी। अचानक मैं क्या कह सकती हूं ?

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि समस्याग्रस्त और गैर समस्याग्रस्त गांवों का किसी वक्त में जो क्राइटेरिया था उसके बारे में पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा क्या ? मैं पहले भी इसके बारे में कह चुकी हूं कि अभी वह पद्धति थी जो अपने आप में प्रभावी नहीं है इसलिए अब तमाम गांवों का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार को इसी प्रकार से कैसे प्रस्तुत किए जायं जिससे कि तमाम गांवों को ही आवश्यकता और जरूरतमन्द गांव समझ करके इसके मुताबिक स्वीकृति वे दें। एक बात यह भी कही गई कि अकाल सहायता के अन्तर्गत जयपुर जिले में कुछ हैण्ड पम्प वगैरह लगाने का पैसा दिया गया था, विभाग ने उसका उपयोग नहीं किया। मेरे पास में अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं इसका विस्तार से विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने यह कहा कि

(श्रीमती कमला)

बहुत से ऐसे गांव हैं जिसको आपने लाभान्वित किया है लेकिन उनमें कुछ मोहल्ले अभी भी ऐसे है कि जो अभी लाभान्वित नहीं हुए, जितनी पाइप लाइन एक्सटेंड होनी चाहिए या कुछ सार्वजनिक टैंक और लगाने हैं। इस मासले में जब-जब भी नए प्रावधान आते हैं योजना के तहत में, तो जिन-जिन मोहल्लो में....

श्री देवीसिंह भाटी : पाईन्ट आफ आर्डर। पूर्व में कई दफा आसन से इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि माननीय सदस्य फ्लोर क्रास नही करें। कृपया इसके लिए फिर हिदायत दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्रीमती कमला : स्पीकर और बोलने वाले के बीच में से होकर नहीं जाना चाहिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अदरवाइज भी नहीं आ सकते। इस प्रकार से बीच में से फ्लोर क्रोस कर आना गलत मैथड था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में आसन से यह व्यवस्था दी गई है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष की योजनाओं के अन्दर बजट प्रावधानों के मुताबिक जहां भी जो भी इस तरह की बस्तियां अधूरी लाभान्वित हैं उनमें कुछ-कुछ प्रावधान किया जाता रहा है। आगे भी किया जायेगा जिससे कि जो बस्तियां पूरी तरह से लाभान्वित नहीं है उन्हें पूरी तरह से लाभान्वित किया जा सके।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आई. डी. ए. का हमने पूरा लाभ नहीं लिया इसलिए कि हमको पहले अगाऊ खर्च करना पड़ता था इसलिए हमने कोताही बरती। ऐसा नहीं है। लगभग 138 करोड़ की इस तरह की योजनाएं हमने आई. डी. ए. से ली हैं और बराबर और प्रस्ताव भी हमने भेजे हैं। जो हम योजनाओं में लेते चले जा रहे हैं उनका खर्चा भी किया है, उनका उपयोग भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है।

यह भी कहा गया कि ढाई पर्सेन्ट राशि कई गांवों ने जमा करा रखी है, उनको अभी तक उसका कोई लाभ नहीं मिला है। इस बारे में कोई जनरल डिसीजन हुआ नहीं कि जिन-जिन का ढाई पर्सेन्ट पैसा जमा है उनको प्राथमिकता से लाभान्वित कर दिया जावे। लेकिन मैं समझती हूं कि जिस हिसाब से पैसा जमा करा रखा है उस हिसाब से कंसिडर करके क्योंकि यह धन राशि कई वर्षों से है और कई गांवों की शिकायत चली आती है, उसको हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं।

इसके अलावा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि ढाई सौ की जनसंख्या का आपने आधार बना रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग हिल एरियाज के अन्दर, डैजर्ट एरियाज के अन्दर रहते हैं और जहां डैजर्ट या हिल एरियाज

(श्रीमती कमला)

नहीं भी. हैं तो आज लोग अपने खेतों पर जाकर बसने लगे हैं, वहां पर दो-दो, पांच-पांच घर बस गए हैं और गांव छोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस क्राइटेरिया को छोड़कर नया क्राइटेरिया बनावें और दो-दो किलोमीटर में जरूर एक हैण्ड पम्प लगा दें। मैं समझती हूं कि अभी तक न तो इस पर कोई विचार किया गया है और न कोई निर्णय लिया गया है। इसलिए अचानक ही इसके बारे में क्या किया जा सकेगा, मैं अभी यहां कहने की स्थिति में नहीं हूं।

हैण्ड पम्प घोटाले के बारे में माननीय विरोधी दल के नेता ने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि आपने दो वर्ष क्यों गुजार दिए और इस सम्बन्ध की जो जांच रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखने का आश्वासन दिया गया था, उसको रखा जाना चाहिए। मुझे उस आश्वासन का ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है तो जरूरी तौर पर वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। जो दो वर्ष निकाल दिए उसकी जांच में, यह तो माननीय विरोधी दल के नेता भी जानते हैं और इस काण्ड से जो रुचि रखते थे उनको भी मालूम है कि जिस तरह से जांच कराई गई है, जिस तरह से उसकी टेक्निकल कमेटी द्वारा या ए. सी. डी. से जांच वगैरह हुई उसमें लम्बा समय निकाल दिया गया। इसलिए दो वर्ष का समय निकल गया। दो वर्ष के बाद में अधिकारी को यह अख्तियार है कि वह री-इंस्टेट हो सके और उसकी जांच चलती रहे।

नीमाज के कुओं के लिए पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि एक तरफ तो गांवों के कुओं को बेपानी किया जा रहा है और दूसरी तरफ दूर-दराज के गांवों में पानी ले जाया जा रहा है और ब्यावर की सीमेंट फैक्ट्री को पानी दिया जा रहा है। आम तौर पर इतने बड़े पैमाने पर किसी एक क्षेत्र के कुओं से किसी दूर दराज के कस्बे को पानी दिया जाय, यह शायद पहला उदाहरण है। यह स्थिति मुझ को मालूम नहीं है कि क्या योजना बनाई गई है, क्या इतने कुएं बना करके उस इलाके के कुओं के जल स्तर को घटाने की नौबत की परिस्थितियां आन पड़ी है या ब्यावर को कितनी जरूरत है, उसमें से सीमेंट फैक्ट्री को कितना दिया जा सकता है और सीमेंट फैक्ट्री को काटने के बाद अगर कस्बे को जल आपूर्ति के लिए दिया जाय तो कितने कुओं की जरूरत पड़ेगी। इन सारे मुद्दों को मैं देखकर ही आपको कुछ कहने की स्थिति में होऊंगी।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने जो 16-16 घण्टे कहा है यह गलत है, यह 8 घण्टे है। आपकी बात भी सही है। 1983-84 से पहले 16 घंटे को आधार बनाया गया था और 1983-84 के बाद में जो नई योजनायें हैं वह 8 घंटे के हिसाब से बनाई गई हैं। इसलिये जो मैंने कहा उसमें कोई गलती नहीं है।

एक माननीय सदस्य जो गुढ़ामलानी से आते हैं, ने कहा कि इन्दिरा गांधी नहर से पानी ज्यादा दिलाया जाय, बहुत से इलाके छूट गये हैं उनको पानी मिलना चाहिए। तो यह तो इन्दिरा गांधी नहर के मन्त्री और जो इस विभाग में काम करने

(श्रीमती कमला)

वाले सब अधिकारी हैं उनको पता है कि कितना पानी कहां लेना है, क्या करना है। इसका मेरे से ताल्लुक भी नहीं है और मैं कह भी नहीं सकती कि आपको इतने क्यूसेक्स पानी और दे दिया जाएगा या नहीं दे दिया जाएगा। इसको यहां सदन में कहने की स्थिति में कोई भी नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मांग पारित की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था....

श्री अध्यक्ष : अब सब के जवाब आ गए हैं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया यह बतायें कि राजस्थान में अनावृष्टि के कारण पानी की प्राब्लम है, क्या राज्य सरकार आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रावधान करेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

मांग संख्या 27 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,81,14,96,000 (एक अरब इक्यासी करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 15 जुलाई, 1985 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10-20 बजे सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1985 के प्रातः 1·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 242 का विवरण)

परिशिष्ट (अ)

आवासन मण्डल की ब्यावर में विभिन्न आय वर्गों में आवेदकों की संख्या—

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	335
2. अल्प आय वर्ग	321
3. मध्यम आय वर्ग 'अ'	286
4. मध्यम आय वर्ग 'ब'	247
5. उच्च आय वर्ग	75
कुल	1264

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

ब्यावर में तकनीकी परीक्षण के परिणामों का ब्यौरा—

क्र. संख्या	मिश्रण का अनुपात	नमूनों की संख्या	श्रेणी/परिणाम अ	ब	स
1—	चूना बजरी का मिश्रण 1 : 3	212	212	—	—
2—	सीमेंट बजरी का मिश्रण 1 : 6	15	15	—	—
3—	चूने बजरी का मिश्रण 1 : 2	48	48	—	—
4—	सीमेंट चूने बजरी का मिश्रण 1 : 2 : 9	26	26	—	—

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 244 की रिपोर्ट की प्रति)

कार्यालय पंचायत समिति, देवली जिला टोंक (राज.)

क्रमांक 1231/पंचायत/78–79 दिनांक 18.11.76

श्री थाना प्रभारी
पुलिस थाना नगर,
जिला टोंक ।

विषय :—श्री रतन लाल जैन भू. पू. सरपंच ग्राम पंचायत नगर पंचायत समिति देवली के द्वारा ग्राम पंचायत नगर की धनराशि का वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 में गबन तथा दुरूपयोग तथा ग्राम पंचायत के रेकार्ड में हेराफेरी किये जाने के आरोप में श्री रतनलाल जैन भू. पू. सरपंच ग्राम पंचायत नगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने के बाबत ।

श्री रतनलाल जैन वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक ग्राम पंचायत नगर के सरपंच पद पर था ।

महालेखाकार के अंकेक्षण दल ने ग्राम पंचायत नगर के लेखों 1974–75 से 1976–77 तक की जांच माह सितम्बर 1977 में की थी । महालेखाकार के जांच दल संख्या 34 ने उपरोक्त जांच की थी । ग्राम पंचायत नगर के लेखों में गम्भीर अनियमिततायें तथा भारी गबन के साथ धन का दुरूपयोग तथा रिकार्ड में हेराफेरी पाये जाने पर महा लेखाकार की उक्त आडिट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ग्राम पंचायत नगर का वर्ष 1974–75 से 1976–77 का समस्त उपलब्ध रिकार्ड को विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली अपने अधिकार में लेकर उक्त रिकार्ड का श्री परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पूरी विस्तृत जांच करावे और उचित कार्यवाही करे । तदनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण दल ने दिनांक 24.5.78 से 2. 6. 78 तक की अवधि में पंचायत नगर के वर्ष 1974–75 से 1976 तक की अवधि के लेखों की जांच विस्तृत करवाई जावे ।

श्री सहायक परीक्षक स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के जांच दल जिसमें जांच अधीक्षक श्री अजय शर्मा, अंकेक्षक, श्री रामेश्वर-दयाल शर्मा, श्री ब्रजमोहन भाटिया तथा श्री राजगोपाल महर्षि एवं निरीक्षणार्थ राजपत्रित अधिकारी श्री भोजराज फागना (सहायक परीक्षक) थे, ये दिनांक 24-5-78 से 2-8-78 तक पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम पंचायत नगर के लेखा वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक विस्तृत जांच थी।

श्री सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ने अपने पत्रांक एफ. 4 डी) 46 एलए/अज/77-78/168 दिनांक 30·6.78 से उपरोक्त विस्तृत जांच की जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली को दो प्रतियों में भेजी थी। जिसकी एक प्रति निर्देशानुसार सरपंच ग्राम पंचायत नगर को अनुपालना हेतु भेज दी गई थी। श्री सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर ने अपने पत्रांक एफ. 4 (डी) 46/एलए/अज/77-78/168 दिनांक 30-6-78 से भेजी गई उक्त आडिट रिपोर्ट ने ग्राम पंचायत नगर के लेखों में गम्भीर अनियमिततायें तथा भारी गबन के साथ धन का दुरूपयोग एवं ग्राम पंचायत नगर के लेखों में हेराफेरी के तथ्य अंकित किये हैं। उपरोक्त विस्तृत आडिट रिपोर्ट के मुताबिक श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक ग्राम पंचायत नगर की धनराशि का भारी गबन, धन का दुरुपयोग तथा लेखों में हेराफेरी की है। श्री सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के द्वारा भेजी गई उपरोक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सामने आये है—

1. श्री सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर के पत्रांक एफ. 4 (डी) 46/एलए/अज/77-78/168 दिनांक 30-6-78 से प्राप्त ग्राम पंचायत नगर की वर्ष 1974–75 से 1976-77 तक की विस्तृत आडिट रिपोर्ट पेरा संख्या 4 के मुताबिक श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने वर्ष 1975-76 व 1976-77 में पंचायत समिति से प्राप्त अनुदान राशि 5999·90 रूपयो को मुख्य रोकड़ (जनरल कैश बुक) में जमा नही कर गबन किया है। विस्तृत जानकारी के लिये संबधित जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर के जाँच दल द्वारा की गई विस्तृत जाँच की संलग्न जांच रिपोर्ट के पैरा नम्बर 6 (ग) के अनुसार

श्री भंवरलाल ग्राम पंचायत नगर के तत्कालीन कर्मचारी ने पशु मेला मांडकला वर्ष 1975-76 में प्राप्त ग्राम पंचायत नगर की निजी आय के रूप में जमीन टैक्स की वसूल शुदा राशि रुपया 74-75 पंचायत कोष में जमा नहीं कराकर 74-50 का गबन किया है। यह अपराधिक कृत्य तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर की जानकारी व प्रोत्साहन से किया है जिसके लिये ग्राम पंचायत नगर की सम्बन्धित विस्तृत जांच रिपोर्ट संलग्न है।

3. आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 6 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत नगर में वर्ष 1975-76 में आयोजित पशु मेला मांडकला से पंचायत की निजी आय के रूप में प्राप्त धन राशि के रूप में दिनांक 29-11-75 को अंतिम नकद राशि, बचत राशि रुपये 5372·38 को मुख्य रोकड़ में जमा न कर पंचायत निधि का श्री रतन-लाल तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने गबन किया हैं। विस्तृत जानकारी के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर से प्राप्त संबन्धित आडिट रिपोर्ट संलग्न है।

4. आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 (क) के अनुसार पशु मेला मांडकला में ग्राम पंचायत नगर को प्राप्त जमीन टैक्स की वसूल शुदा राशि रुपया 388·40 कम जमा करवाकर श्री भंवरलाल, ग्राम पंचायत नगर के तत्कालीन अस्थाई कर्मचारी ने गबन किया है।

आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 (ख) के अनुसार श्री भंवरलाल ग्राम पंचायत नगर के तत्कालीन अस्थाई कर्मचारी ने वर्ष 1976-77 में आयोजित नगर पशु मेला मांडकला में पंचायत नगर को प्राप्त सफेद चिट्टी की वसूल शुदा आय रुपयों 22·50 पंचायत की कोष में जमा नहीं कराकर गबन किया है।

आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 (ग) के अनुसार श्री भंवरलाल तथा श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम पंचायत नगर के अस्थाई कर्मचारियों ने मेला मांडकला वर्ष 1976-77 से प्राप्त पंचायत की आय रुपया क्रमशः 36·60 तथा रुपया 3·00 कुल रुपया 39·60 पंचायत कोष में जमा नहीं करवाकर ग्राम पंचायत नगर की निजी आय का गबन किया हैं।

आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 (घ) के अनुसार श्री भंवरलाल ग्राम पंचायत नगर ने वर्ष 1976-77 में आयोजित पशु मेला मांडकला में पंचायत को गन्ना शुल्क से प्राप्त रुपये 208·00 का गबन किया है। विस्तृत जानकारी के लिये सम्बन्धि आडिट रिपोर्ट संलग्न है।

आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 (च) के अनुसार ग्राम पंचायत नगर ने वर्ष 1976-77 में आयोजित पशु मेला मांडकला से पंचायत को प्राप्त धनराशि रुपया 2737·55 मुख्य रोकड़ में जमा न कर श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने पंचायत की धनराशि का गबन किया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 80 के अनुसार उपरोक्त गबन के लिये श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर जिम्मेवार है। विस्तृत जानकारी के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर द्वारा किये गये विस्तृत आडिट की रिपोर्ट संलग्न है।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर द्वारा किये गये विस्तृत अडिट की रिपोर्ट के पैरा संख्या 12 के अनुसार श्री भंवरलाल ग्राम पंचायत नगर के तत्कालीन अस्थाई कर्मचारी ने पशुमेला मांडकला में वर्ष 1976-77 में गन्ना शुल्क राशि वसूली रसीदों में हेराफेरी व दोहरा लेखन कर, ग्राम पंचायत नगर का निजी रुपया 841·00 का गबन किया है। विस्तृत जानकारी के लिये सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट संलग्न है।

6. उपरोक्त आडिट रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 के अनुसार श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर वर्ष 1974-75 की रोकड़ पुस्तिका आडिट पार्टी को पेश नहीं की जबकि उन्हें उक्त रोकड़ पुस्तिका आडिट पार्टी के समक्ष आडिट हेतु पेश करना चाहिये था। श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर से ग्राम पंचायत के अहम रिकार्ड को गायब कर अपराधिक कृत किया है। वर्ष 1974-75 में भी श्री रतनलाल तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर के कोष का गबन किये जाने की पूर्ण सम्भावना है।

श्री सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के जांच दल द्वारा वर्ष 1975-76 से 1976-77 तक के ग्राम पंचायत के लेखों के विस्तृत अंकेक्षण के पश्चात अपने पत्रांक एफ. 4 (डी) 46/एलए/अज/77-78 168 दिनांक 30-6-78 से प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर ने ग्राम पंचायत नगर के सरपंच पद पर रहते हुये ग्राम पंचायत के कोष का रुपया 15283·83 की गबन किया है। तथा अपनी जानकारी में करवाया है। गबन आदि के जो अपराधिक कृत्य श्री भंवरलाल तथा श्री लक्ष्मण सिंह आदि पंचायत के अस्थाई कर्मचारियों ने किये है वे भी श्री रतनलाल तत्कालीन सरपंच नगर की जानकारी व प्रोत्साहन से किये है जिसके लिये श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर राजस्थान पंचायत अधि-

नियम 1953 की धारा 16 के अनुसार जिम्मेवार है। श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर के वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक के दौरान उनके सरपंच पद पर रहते हुये संलग्न आडिट रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नगर के लेखों में गम्भीर अनियमितताये भारी गबन के साथ धन का दुरुपयोग तथा पंचायत रिकार्ड जैसे लेखों आदि में हेराफेरी तथा दोहरे लेखन के कई अपराधिक कृत्य हुये है जिसके लिये राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 16 के तहत श्री रतनलाल जैन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नगर जिम्मेदार है।

अतः श्रीमान जिलाधीश (पंचायत) महोदय टोंक के आदेश क्रमांक 3536/पंचायत/78 दिनांक 24-10-78 की अनुपालना में जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है लेख है कि श्री रतनलाल जैन भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नगर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

ह.
गजराज सिंह हाडा
विकास अधिकारी, देवली

एक प्रति प्राप्त हुई
ह. एस. एच. ओ. 20-11-78

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जैसलमेर उप खण्ड में मशीनरी की खरीद

248. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1984-85 में जैसलमेर उप खण्ड में किस-किस प्रकार की किस-किस मूल्य की कौन-कौन सी मशीनें खरीदी गई ?

(2) इस खरीद में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस खरीद की प्रक्रिया में जिन संस्थाओं ने कम मूल्य की निविदायें दी थीं उनसे यह मशीनरी नहीं खरीद कर उन संस्थाओं से खरीदी गयी जिन्होंने अधिक मूल्य की निविदा दी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आमन्त्रित निविदाओं के आधार पर मुल्यों का एक तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। इस क्रय के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जैसलमेर संभाग (zone) सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न है।

(2) अखबारों में प्रकाशित करने के पश्चात् निश्चित तिथि को प्राप्त निविदायें उपस्थित सप्लायरस के समक्ष खोली जाती है।

प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक विवरण एवं पूर्ण जानकारी परियोजना के प्रत्येक स्तर पर गठित क्रय समितियों (purchase Committee) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इन समितियों में वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी भी सदस्य होते हैं। यह समितियां निविदाओं को एवं संबन्धित समस्त पहलुओं पर जांच कर खरीद हेतु अपनी सिफारिश देती है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर निर्णय लेने के पश्चात् खरीद की जाती है।

(3) जी हां केवल दो प्रकरणों में ही सम्बन्धित तुलनात्मक विवरण प्रेषित है जिसमें इस प्रकार की गई खरीद करने के कारण भी अंकित है। इन दो खरीदों के प्रकरणों के लिए निर्णय परियोजना स्तर पर गठित क्रय समिति की सिफारिश पर लिये गये जिसके मुख्य लेखाधिकारी अति. मुख्य अभियंता (या) जैसलमेर. अति. मुख्य अभियंता बीकानेर. अति. मुख्य अभियंता जैसलमेर सदस्य हैं। एक प्रकरण में मुख्य अभियंता परियोजना बीकानेर भी सम्मिलित थे।

सन् 1984-85 में प्रत्येक खरीद हेतु तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	मशीन का नाम	निविदा प्राप्ति की तारीख	खरीदी गई संख्या	निविदा देने वाली फर्म का नाम	दर	न्यूनतम रेट जिसके आधार पर खरीद की गई एवं फर्म	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	
1.	वाईब्रिटिंग टेबल	15-10-84	37	(अ) मै. प्रिवेज कॉटन एवं क. लि. एम. आई. रोड़, जयपुर।	रु. 17600/		
				(ब) मै. रामेश्वर नारायण सोभाग नारायण, अजमेर	रु. 18390/		
				(स) मै. रामेश्वर दयाल एण्ड क. स्टेशन रोड, जयपुर।	रु. 17880/		
				(द) मै. मंजू श्री एण्टर प्राइजेज बीकानेर	रु. 16880/	मै. मंजू श्री की दरें रिजक्ट इस लिए कर दी क्योंकि डिलीवरी समय व प्रिंसीपल के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं था तथा द्वितीय न्यूनतम मै. प्रिवेज कॉटन को दर पर हो मै. रामेश्वरनारायण सोभागनारायण को आदेश दिया गया क्योंकि यह फर्म राजस्थान लघु उद्योग संस्थान से पंजीकृत है।	

1	2	3	4	5	6	7
2.	10 के. वी. ए. डिजल जनरेटिंग सेट	24-11-84	8	(अ) मे. जे. एन. मारशल कोटा	रु. 45000/	मै. राजस्थान इन्जिन एवं पम्प भरतपुर ने प्रभात मेक जनरेटिंग सेट की थी लेकिन आल्डरलेटर भारतीय मानक के अनुसार नहीं प्रतीत होते थे, जिसके लिए उनसे प्रमाण पत्र मांगे गये थे जो फर्म ने नहीं दिये मै. ब्लेक स्टोन ने भी आल्टरनेटर का पटन किलोस्कर का नहीं आधार किया। अत : ततीय न्यूनतम फर्म से खरीद की गई जोप्रिबज कॉटन, जयपुर है।
				(ब) मे. जी. बी. के एस. इलेक्ट्रीक्स स्टोर्स एवं इन्डस्ट्रीज, जयपुर।	रु. 33000/	
				(स) मै. जक्सन ट्रेडर्स, श्री गंगानगर	रु. 30450/	
				(द) मै. ब्लेक स्टोन टेरी इ ओनियरिंग क. जोधपुर।	रु. 27200/	
				(य) मे. प्रिवज कॉटन एण्ड क. जयपुर।	रु. 30000/	
				(र) मै. जोवन डिजल, कलकत्ता।	रु. 31400/	
				(ल) मै. राज. इन्जन एवं पम्प इन्डस्टीज, भरतपुर।	रु. 23500/	

क्रमांक	वस्तु का नाम	निविदा प्राप्ति का दिनांक	वस्तु की मात्रा जिसके लिए क्रय समिति से स्वीकृति दी	दर	कुल मूल्य	विशेष विवरण
1.	बाइब्रटिंग टेबल	17-9-84	25 नग	रु. 18390/	5,06,547·25	
2.	बाइब्रटिंग टेबल (Vibrating Table)	15-10-84	37 नग	रु. 17600/	7,18,279·52	
3.	कांक्रीट मिक्सर 10/7 घनफुट (Cancrete Mixturd)	15-10-84	65 नग	रु. 28912–95	23,12,467·30	दर 1% छूट के बाद लिखो गई है ।
4.	कांक्रीट मिक्सर 14/10 घनफुट	15-10-84	4 नग	रु. 72500/	3,01,600·00	
5.	किर्लोस्कर इन्जन					
	5 बी. एस. पी.	17-11-84	10 नग	रु. 4700/		
	6 बी. एस. पी.	17-11-84	10 नग	रु. 6900/		
	(Wrbskar Eugine)				1,16000·00	
6.	10 के. वी. ए. डीजल जनरेटिंग सैट (10 KVA desiel generating set)	24-11-84	8 नग	रु. 30,000/	2,40,000·00	

नोट—कुल मूल्य की गणना निविदा की समस्त शर्तों में दर्शाए मदों को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

कारागृह के बन्दी

249. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):—क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने 5 वर्ष से 7 वर्ष सजा काट लेने के पश्चात् बन्दी को बन्दी शिविर सूरतगढ़ भेज देने के निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो वर्ष, 1982 से जनवरी 1985 तक कितने बन्दियों की प्रार्थना पर बन्दी शिविर में भेजा गया तथा कितने बन्दियों के प्रार्थना-पत्र किन कारणों से निरस्त किये गये?

(2) सरकार को वर्ष 1981 से मई 1985 में किस-किस बन्दी गृह के बन्दी की जेल अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया शिकायत पत्र की प्रति सदन पटल पर रखें।

(3) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क वर्ष "1980 से जनवरी 1985" तक कितनी फिल्में दिखाई गयीं तथा खेल कूद मनोरंजन हेतु क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(4) राज्य सरकार को वर्ष 1983 से जनवरी 1985 तक आजीवन बन्दी द्वारा चौथाई सजा काटने के उपरांत 15 दिन पैरोल छुट्टी पर जाने के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, व किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये? पैरोल छुट्टी स्वीकृत करने के क्या आधार हैं?

(5) राज्य सरकार किस-किस श्रेणी के बन्दी को क्या-क्या खाद्य पदार्थ कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराती है तथा इनके स्तर व मात्रा की कौन जांच करता है?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1973 के नियम 4 (ग) के प्रावधानुसार बन्दी मुख्य दण्डादेश अवधि का 1/3 भाग छूट सहित भुगत लेने पर खुले शिविर पर भेजे जाने के पात्र होते हैं। वर्ष 82 से 31-3-85 तक 16 बन्दी खुला शिविर सूरतगढ़ में भेजे गये। बन्दी खुले शिविरों के लिए किसी शिविर विशेष के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित नहीं किये जाते हैं। प्राप्त प्रकरणों पर कैदी खुला शिविर सलाहकार समिति विचार करती है और संदर्भित खुलाशिविर नियमों के प्रावधान के अनुसार चयनित बंदियों को शिविर में भेजे जाने का निर्णय लेती है।

(2) वर्ष 1981 से मई, 85 तक राजस्थान के बन्दीगृहों एवं बन्दी खुले शिविरों से जेल अधिकारियों के विरुद्ध 64 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गई। शिकायतों

304

की 46 प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में वर्ष 1980 से जनवरी, 85 में कुल 23 फिल्में दिखाई गई जिसमें जनसम्पर्क विभाग द्वारा 9 फिल्में, प्रौढ़ शिक्षा समिति द्वारा 3 व क्षेत्रीय प्रभार अधिकारी द्वारा 11 फिल्में दिखाई गई। इसके अतिरिक्त इस कारागृह पर बन्दियों को खेलकूद के लिए वालीबाल, कब्बड़ी, कुश्ती एवं लोंग-जम्प, शतरंज, केरमबोर्ड आदि खेलने की सुविधा दी हुई है।

(4) राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 1958 के संशोधित नियमों के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों को 1/4 भाग सजा छूट सहित सजा भुगत लेने के पश्चात् 15 दिवस का अवकाश (कारावास कालीन अवकाश) पर जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-एफ 21 (58) गृह-61, गृह-76 दिनांक-15-11-76 से अपराधी बन्दियों एवं विचाराधीन बन्दियों की दी जाने वाली श्रेणियां समाप्त कर दी गई है। अतः सभी अपराधी बंदियों व विचाराधीन बन्दियों को बिना किसी भेद भाव के निम्न तालिका के अनुसार भोजन सामग्री दी जाती है—

नाम वस्तु	श्रमिक मात्रा ग्राम में	अश्रमिक मात्रा ग्राम में
	2	3
प्रातः कालीन नास्ता		
(1) चाय	3	3
(2) चीनी	20	20
(3) दूध	25	25
(4) भुना हुआ चना या धानीयां नमकीन भिगोया हुआ चना या नमकीन भिगोया हुआ मोठ या नमकीन भिगोया हुआ मूंग या चपाती	60	60

दोपहर एवं सायंकाल का भोजन

1	2	3
आटा	600	550
या चावल	400	360
दाल	90	60
तेल	20	20
हरी सब्जी	200	200
मसाले	15	15
नमक	20	20
ईंधन (लकड़ी)	900	900
गुड़ (प्रतिदिन)	20	20
चटनी, पोदीना, धनियाँ, अमचूर मसाले सहित	10	10

राजस्थान की कारागृहों में अपराधी बन्दियों के अतिरिक्त इस प्रकार के बन्दी भी हैं जिन्हें सुधारात्मक अथवा अन्य कारणों से नजर बन्द बनाया गया है। ऐसे बन्दियों को राज्य सरकार के विशेष आदेशान्तर्गत भोजन में निम्न सामग्री देने की सुविधा दी हुई है—

प्रातः काल का नाश्ता

नाम वस्तु	मात्रा ग्राम में
चाय	10
दूध	250
चीनी	45
ब्रेड स्लाईड या गेहूं का दलिया (नमकीन) या भुना हुआ चना या चना, मूंग, मौठ (सौकड़)	50
एण्ड ग्राईड (मक्खन) ब्रेड एवं दलिया सहित या मूंगफली का तेल अन्य वस्तुओं सहित)	15

दोपहर एवं सायंकाल का भोजन

नाम वस्तु		मात्रा ग्राम में
गेहूँ का आटा		600
या चावल (साधारण)		400
गेहूं का आटा साधारण चावल सहित		400 (130) चावल
रुट वेजीटेवल्स		200
हरी सब्जियां (उपलब्धता के आधार पर)		250
दाल (मूंग, मसूर, अरहर, उर्द व चना)		100
वनस्पति घी		30
तेल		20
मसाले		
धनियां	6	
मिर्च	7	
हल्दी	4	25
जीरा	5	
काली मिर्च	2·5	
हींग या गार्लिक	5	
लैमन (मई से अक्टूबर तक)	1 नग	
पोदिना या धनिया हरा अमचूर सहित (नवम्बर से अप्रैल)	5 ग्राम प्रति वस्तु	
नमक	20	
लकड़ी	1000	
कोल धोंक	300	
फल (मौसम के अनुसार)	50 पैसे की कीमत से अधिक नहीं	

बन्दियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री के स्तर व मात्रा की जांच सम्बन्धित कारागार उप कारागृह पर नियुक्ति अधिकारी करते हैं।

(शिकायत की प्रति लिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मण्डियां

250. श्री चुन्नीलाल धींवलिया (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां हैं, और ये मण्डियां कब-कब से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अ. जा/अ. ज. जाति के व्यक्ति को किसी भी मण्डी में कोई दुकान अलाट नहीं की गई है ? यदि उक्त जाति के व्यक्तियों को दुकान अलाट की गई है तो, व्यक्ति का नाम, पिता का नाम व उनकी जाति का विवरण देते हुए व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर की कृषि मण्डी, बीकानेर की ऊन मण्डी व कृषि मण्डी व नोखा कृषि मण्डी में अ.जा./अ. जन जाति के लोगों ने दुकानों की मांग की लेकिन उक्त जाति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी मण्डी में दुकान अलाट नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों

(4) क्या सरकार इसकी जांच करावे का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि नोखा कृषि मण्डी व बीकानेर कृषि मण्डियों में आवंटन अधिकारियों द्वारा अ. जाति/अ. जन जाति के व्यक्तियों को जान बूझ कर वंचित रखा गया। सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 135 कृषि उपज मण्डी समितियां है जिसको कार्यरत होने की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से अब तक 57 मन्डियों का निर्माण कराया जा चुका है।

(2) जी नहीं।

अनु. जाति व अनु. जन जाति वर्ग को दुकान आवंटन सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

जोधपुर में 6 प्रार्थीयों को आवंटन किया है एवम् बीकानेर में अभी आवंटन किया जाना है। नोखा में अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को आवंटन नहीं किया गया तथा अनु. जनजाति का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) कोई प्रश्न ही नहीं उठता हालांकि केवल नोखा में किये गये आवंटन को विस्तृत जानकारी को जा रही है।

(5) जी नहीं।

दुकान आवंटन की सूची

क्र.सं.	नाम कृषि उपज मण्डी समिति	स्थापना तिथि	क्र.सं.	नाम कृषि उपज मण्डी समिति	स्थापना तिथि
1	2	3	1	2	3
1.	अलवर	24-3-65	2.	खैरतल	27-3-65
3.	खेडली	30-3-65	4.	रामगढ़	24-4-80
5.	गोविन्दगढ़	4-11-81	6.	बहरोड़	4-7-85
7.	भरतपुर	16-5-65	8.	कांमा	17-8-66
9.	डीग	19-8-66	10.	नदबई	24-6-66
11.	बयाना	23-5-65	12.	नगर	30-7-77
13.	भुसावर	30-7-77	14.	धोलपुर	25-8-66
15.	बाडी	8-4-67	16.	सीकर	24-4-67
17.	नीमकाथाना	8-12-66	18.	श्रीमाधोपुर	12-8-66
19.	फतेहपुर	26-4-67	20.	झुंझुनू	6-6-78
21.	सूरजगढ	11-1-67	22.	चिड़ावा	1-4-76
23.	नवलगढ़	16-10-78	24.	जयपुर (अनाज)	17-10-66
25.	जयपुर (फलसब्जी)	6-1-66	26.	दौसा	15-3-66
27.	कोटपूतली	15-5-66	28.	बान्दीकुई	25-5-66
29.	चाकसू	9-6-67	30.	नरायना	6-10-66
31.	चौमू	27-8-66	32.	लालसोट	18-5-80
33.	किशनगढ़ रेनवाल	24-6-81	34.	अजमेर	13-10-66
35.	विजयनगर	25-2-65	36.	ब्यावर	12-3-65
37.	केकडी	13-7-65	38.	स.माधोपुर	6-4-65
39.	गंगापुरसिटी	22-7-65	40.	हिण्डौन	16-6-65
41.	मदनगंजकिशनगढ़	22-4-65	42.	महुवामंडावर	8-6-65

1	2	3	1	2	3
43.	कोटा	24-3-64	44.	बांरा	2-3-64
45.	सुमेरगंज	4-3-64	46.	अन्ता	20-5-67
47.	इटावा	30-10-75	48.	रामगंजमंडी	3-3-64
49.	छबडा	22-2-76	50.	सांगोद	11-11-79
51.	भवानीमन्डी	14-7-65	52.	अटरू	
53.	चौमेहला	29-3-68	54.	अकलेरा	12-2-82
55.	खानपुर	12-11-75	56.	झालरापाटन	4-12-76
57.	बूंदी	10-4-65	58.	के. पाटन	4-7-76
59.	टोंक	5-4-67	60.	मालपुरा	18-8-66
61.	निवाई	12-9-66	62.	देवली	5-4-67
63.	उनियारा	29-1-79	64.	टोडारायसिंह	12-2-62
65.	उदयपुर	4-6-69	68.	नाथद्वारा	4-4-67
67.	भिण्डर	10-4-67	68.	आमेट	25-5-76
69.	फतेहनगर	28-1-66	70.	देवगढ़	30-4-80
71.	चित्तौडगढ़	5-8-78	72.	कपासन	14-12-65
73.	निम्बाहेड़ा	27-5-65	74.	बेंगू	5-1-71
75.	प्रतापगढ़	3-5-67	76.	रावतभाटा	11-9-79
77.	बडीसादडी	4-5-88	78.	रानी	10-3-64
79.	भीलवाड़ा	3-5-65	80.	गंगापुर	23-5-84
81.	गुलाबपुरा	31-5-65	82	माण्डलगढ़	25-7-75
83.	आसीन्द	20-10-73	84.	शाहपुरा	13-1-76
85.	जहाजपुर	15-1-76	86.	बनेडा	22-2-79
87.	बांसवाड़ा	26-5-67	88.	डूंगरपुर	11-5-77

1	2	3	1	2	3
89.	जोधपुर	8-6-68	90.	चितौड़ा	30-4-65
91.	पीपाड़सिटी	29-4-65	92.	पाली	13-3-64
93.	सोजतरोड	11-3-64	94.	जैतारण	8-11-67
95.	सुमेरपुर	8-3-64	96.	शिवगंज	7-9-64
97.	आबूरोड़	3-5-69	98.	नागौर	3-1-67
99.	मेड़तसिटी	13-5-65	100.	कुचामनसिटी	3-6-65
101.	डीडवाना	16-5-77	102.	डेगाना	20-8-79
103.	जालौर	23-1-80	104.	भीनमाल	15-9-66
105.	सांचौर	5-6-79	106.	बाड़मेर	10-5-67
107.	बालोतरा	5-5-67	108.	जैसलमेर	16-3-82
109.	बीकानेर	16-5-67	110.	नोखा	30-6-87
111.	लूणकरण	11-1-80	112.	चूरू	8-7-77
113.	सादुलपुर	18-12-69	114.	तारानगर	15-7-77
115.	डूंगरगढ़	6-2-78	116.	सरदारशहर	10-12-76
117.	सुजानगढ़	26-3-77	118.	रतनगढ़	24-12-81
119.	श्रीगंगानगर	2-10-64	120.	रायसिंहनगर	28-10-64
121.	श्रीविजयनगर	14-4-65	122.	श्री करणपुर	18-3-64
123.	हनुमानगढ़	28-11-64	124.	सांगरिया	26-5-65
125.	पदमपुर	5-3-65	126.	गजसिंहपुर	18-9-64
127.	केसरीसिंहपुर	19-9-64	128.	सादुलशहर	26-3-65
129.	पीलीबंगा	30-5-65	130.	नोहर	5-3-65
131.	भादरा	19-3-65	132.	सूरतगढ़	9-5-80
133.	रावतसर	3-8-79	134.	अनूपगढ़	25-7-79
135.	महसाना	3-10-82			

सूची—2

क्र. सं	नाम कृषि उपज मन्डी समिति	क्र. सं.	नाम व्यक्ति	पिता का नाम	जाति	अनु.जाति/अनु.जनजाति
1	2	1	2	3	4	5
1.	निवाई	1.	श्री नरेन्द्र कुमार मेहरा	श्री लाल राम	बैरवा	अनुसूचित जाति
		2.	,, राजपाल मीना	,, हरनन्द मीणा	मीना	अनुसूचित जनजाति
2.	सादुलपुर	3.	,, थोला राम	,, सेडू राम	रेगर	अनुसूचित जाति
		4.	,, माना राम	,, गंगा राम	रेगर	अनुसूचित जाति
3.	उदयपुर	5.	,, लादू लाल	,, नाना लाल	बलाई	अनुसूचित जाति
		6.	,, उदय लाल	,, देव किशन	खटीक	[illegible]
4.	निम्बाहेडा	7.	,, बिहारी लाल	,, प्यार चन्द	भांबी	[illegible]
5.	श्रीमाधोपुर	8.	,, किसन लाल	,, चुन्नी लाल	हरिजन	,,
		9.	,, फूल चन्द	,, धूंडा राम	मीना	अनुसूचित जनजाति

1	2	1	2	3	4	5
6.	टोंक	10.	,, नन्द किशोर	,, दौलत राम	बैरवा	अनुसूचित जाति
		11.	,, गोपाल सिंह	,, कन्हैया लाल	मासा	अनुसूचित जनजाति
7.	डूंगरपुर	12.	,, हीरा लाल	,, भगता मीना	मीना	,,
8.	कांगा	13.	,, —	,, ,,	मीना	,,
		14.	,, —	,, ,,	खटीक	अनुसूचित जाति
9.	जयपुर (अनाज)	15.	,, गंगाराम, कन्हैयालाल एवं छोटू लाल	,, मांगी लाल	,,	,,
		16.	,, ओंकार लाल	,, छोटू राम	,,	,,
10.	जयपुर (फल सब्जी)	17.	,, कन्हैया लाल	,, देवाराम	,,	अनुसूचित जनजाति
		18.	,, प्रभू लाल	,, बद्धा राम	,,	,,
		19.	,, लालचन्द सांवरिया	,, कालू राम	,,	,,
		20.	,, नाथू	,, पन्ना लाल	,,	अनुसूचित जाति
11.	चाकसू	21.	,, हनुमान प्रसाद	,, भौरी लाल	,,	,,

1	2	1	2	3	4	5
		22.	,, नारायण प्रकाश	,, भोंरीलाल	खटीक	अनुसूचित जाति
12.	केकड़ी	23.	,, हरि राम	,, गंगा राम	नाईखेड़ा	अनुसूचित जनजाति
		24.	" हरजी राम	,, हेम चन्द	धारा	अनुसूचित जाति
13.	मदनगंज किशनगढ़	25.	,, ओम प्रकाश	,, माना राम	,,	
			,, राजेन्द्र कुमार	,, वर्सी राम	,,	
		26.	,, अशोक कुमार	,, भानु प्रकाश	रेगर	,,
14.	जोधपुर	27.	,, केवल राम	,, चिमन दास	खटीक	,,
		28.	,, राम चन्द	,, ,,	,,	,,
		29.	श्रीमती नाराणी बाई	पति श्री हरदेव	मेघवाल	,,
		30.	श्री राम चन्द्र	श्री चिमन दास	खटीक	,,
		31.	,, कुन्दन मल	,, केवल राम	,,	,,
		32.	,, श्याम लाल	,, केवल राम	,,	,,

314

ग्राम पंचायत स्तर पर दोहरी चिकित्सीय सुविधायें

251. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करवा सकी है ?

(2) क्या कई ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जहां पर राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय व आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की चिकित्सा सेवाओं के केन्द्र हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या दोनों सुविधायें ग्राम पंचायत में होने से उनके पास पर्याप्त कार्य भी नहीं रहता है ? क्या सरकार दोनों में से एक प्रकार की चिकित्सा सेवा हटाकर ऐसे पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सेवा देने का विचार रख रही है जहां एक प्रकार की भी चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दोनों चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक है।
सामान्यतया ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रकार की चिकित्सा सुविधा को उपलब्धता ठीक है।

(2) जी हां, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची जहां एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां है।

जिला	पंचायत समिति	क्र. सं.	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
अजमेर	पीसांगन	1.	बुधवाड़ा
	मसुदा	2.	रामगढ़
	भिनाय	3.	देवलियाकला
	केकड़ी	4.	पारा
		5.	प्रान्हेड़ा
	आराई	6.	फतेहगढ़

1	2	3	4
	किशनगढ़	7.	कुचील
अलवर	रामगढ़	8.	मुबारिकपुर
	उमरेण	9.	अकबरपुर
	लक्ष्मणगढ़	10.	बडोदामेव
	राजगढ़	11.	संकट
		12.	राजपुरगढ़ा
	रेणी	13.	गढ़ी सवाईराम
	मंडावर	14.	कनिकोट
	कोटकासिम	15.	हरसोली
		16.	जोड़िया
	नीमराना	17.	शाहजाहपुर
	बानसूर	18.	हमीरपुर
		19.	बानसुर
	बहरोड़	20.	जखराना
जयपुर	कोटवाड़ा	21.	जयसिंहपुरा खोर
	सिकराय	22.	गीजगढ़
		23.	सिकन्दरा
	दौसा	24.	सैंथल
		25.	लवाण
	लालसोट	26.	रामगढ़ पचवाड़ा
	बस्सी	27.	बासखो
		28.	तुंगा
	सांभरलेक	29.	भदाल
	आमेर	30.	मानपुर माचेड़ी
		31.	अचरोल

1	2	3	4
	कोटपुतली	32.	बनेठी
	बांदीकुई	33.	बडियालकला
		34.	निवाई
	गोविन्दगढ़	35.	खेजरोली
		36.	हस्तेड़ा
		37.	सामोद
	जमवारामगढ़	38.	आंधी
	शाहपुरा	39.	धानोता
	दूदू	40.	मरवा
	फागी	41.	माधोराजपुरा
सवाईमाधोपुर	बोली	42.	खिरनी
		43.	मलारना डूंगर
	खण्डार	44.	बालेर
		45.	बहरावण्डा खुर्द
	हिण्डोन	46.	महु इब्राहिमपुर
		47.	औरंगाबाद उर्फ श्रीमहावीरजी
	टोडाभीम	48.	मुडिया
		49.	महस्वा
	नादोती	50.	नादोती
	महुआ	51.	कोट
		52.	रसीदपुर
		53.	बालाहेड़ी
		54.	साथा
		55.	पावटा

1	2	3	4
		56.	खांडेला बुजुर्ग
	गंगापुर	57.	वजीरपुर
	सपोटर	58.	काचरोदा
	बामनवास	59.	रिवाली
		60.	बरनाल
बांसवाड़ा	घाटोल	61.	चन्दूजी का गढ़ा
	पीपलखूट	62.	पीपलखूट
		63.	दानपुर
	बागीडोरा	64.	शेरगढ़
	सज्जनगढ़	65.	ताम्बेसरा
		66.	सज्जनगढ़
		67.	कसारवाडी
	कुशलगढ़	68.	मोकमपुरा
	गढ़ी	69.	गढ़ी
		70.	बोरी
		71.	अर्थूला
	सुखीया	72.	चांदरवाड़ा
बाड़मेर	वायतू	73.	कवास
	वालोतरा	74.	पाटोदी
		75.	जसोल
भरतपुर	वैर	76.	प्रथैना
		77.	वल्लभगढ़
		78.	निथार
		79.	सलेगपुर कला

1	2	3	4
		80.	रणधीरगढ़
		81.	ललिता मुड़िया
		82.	हलैन
		83.	सरसेना
	रूपवास	84.	उच्चेन
		85.	रूदावल
		86.	बन्सी पहाड़पुर
	नगर	87.	गोपालगढ़
	डीग	88.	सनसनी
		89.	जनूथर
भीलवाड़ा	हुरड़ा	90.	आगुचा
	माण्डल	91.	बेमाली
		92.	चांदरास
	सुवाणा	93.	मगरोप
		94.	बडोरत
	शाहपुरा	95.	कनेछनकला
		96.	संगारिया
	जहाजपुर	97.	रोपा
		98.	पंडेर
		99:	पीपलुद
	माण्डलगढ़	100.	श्यामपुरा
		101.	बरूदनी
	सहाड़ा	102.	पोटला
	बनेड़ा	103.	डाबला

319

1	2	3	4
बीकानेर	लूनकरणसर	104.	महाजन
	नोखा	105.	जसरासर
	बीकानेर	106.	पोंगल
		107.	जेमलसर
	कोलायत	108.	बजू
बून्दी	हिण्डोली	109.	अलोत
		110.	गोटडा
	नैनवा	111.	बासी
		112.	जजावर
	केशवरायपाटन	113.	बड़ा खेड़ा
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	114.	विजयपुर
	राशमी	115.	पहुना
	भदेसर	116.	भादसोड़ा
	भोपालसागर	117.	जाश्मा
		118.	काकरवा
	कपासन	119.	धमाना
	डूंगला	120.	मंगलवाड़ा
		121.	चिकारड़ा
	बड़ीसादड़ी	122.	निक्कूम
		123.	बोदेड़ा
चूरू	सुजानगढ़	124.	सालासर
	तारानगर	125.	भालेरी
डूंगरपुर	सागवाड़ा	126.	सरोदा
		127.	बिलयाबड़गामा

1	2	3	4
	डूंगरपुर	128.	फलोज
धौलपुर	धौलपुर	129.	मनिया
	बसेड़ी	130.	सरमथुरा
		131.	बारोली
	बाड़ी	132.	कंचनपुर
	राजाखेडा	133.	मरेना
		134.	जसपुरा
श्री गंगानगर	नोहर	135.	पेपाना
	सादुलशहर	136.	धोलीपाल
		137.	गणेशगढ़
	पदमपुर	138.	रिडमलसर
जैसलमेर	सांकड़ा	139.	फलसुंड
	सम	140.	रामदेवरा
	जैसलमेर	141.	मोहनगढ़
झालावाड़	पिडावा	142.	रायपुर
	बकानी	143.	रिछवा
		144.	रटलाई
		145.	भालता
	खानपुर	146.	दहीखेडा
		147.	पनवाड़
		148.	हरिगढ़
जालौर	सांचौर	149.	झाब
	आहौर	150.	गुढ़ा बालोतान
		151.	भारदजन

1	2	3	4
	जसवन्तपुरा	152.	धानसा
		153.	जसवन्तपुरा
झुन्झुनु	खेतड़ी	154.	सिमला
	उदयपुरवाटी	155.	गुढागोरजी
जोधपुर	मण्डौर	156.	बिसलपुर
	बाप	157.	बारू
	औसीया	158.	तिवरी
	शेरगढ़	159.	सेतरवा
		160.	बिराई
कोटा	बारा	161.	सुन्दलक
		162.	कोयला
	छीपाबडोद	163.	हरनावदा शाहजी
	इटावा	164.	अयाना
नागौर	नागौर	165.	श्रीबालाजी
	परबतसर	166.	जावला
		167.	बागोट
	मकराना	168.	बोरावड़
	कुचामन	169.	मारोठ
पाली	पाली	170.	गुन्दोज
	बाली	171.	मुण्डारा
	देसुरी	172.	नारलाई
	सोजत	173.	सोजत
	जैतारण	174.	आनन्दपुरकलां
	रायपुर	175.	गिरी
	मारवाड़ जंक्शन	176.	आउवा

1	2	3	4
सीकर	फतेहपुर	177.	ढाढण
		178.	बेसवा
	नीमकाथाना	179.	चला
	लक्ष्मणगढ़	180.	नेछवा
टोंक	देवली	181.	नासीरदा
		182.	छआकला
	मालपुरा	183.	टोरड़ी
		184.	चांदसेन
		185.	लाम्बाहरिसिंह
		186.	पचेवर
	निवाई	187.	चनानी
	उनियारा	188.	ककोड़
उदयपुर	सराड़ा	189.	सराड़ा
	देवगढ़	190.	कुआथल
	सलुम्बर	191.	उथरदा
		192.	भुमराना
	आमीख	193.	सरदारगढ़
	राजसमन्द	194.	मोही
	रेलमगरा	195.	गिलून्द
	भीम	196.	दिवेर
	मावली	197.	मावली
	धरियावाद	198.	लसाडिया
		199.	देवला
	कुम्भलगढ़	200.	गडबोर

1	2	3
झाडोल	201	झाडोल
	202	पलासिया
खेरवाड़ा	203	खेरवाड़
गिरवा	204	नाई
	205	ब्रम्बोरा

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लये आवंटित राशि

252. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर)

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि आवंटित करने के लिए क्या मापदण्ड केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी योजना प्रस्तुत की थी, और योजना आयोग ने कितनी स्वीकार की है ? क्या यह राशि केन्द्रीय मापदण्डों के अनुसार कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि अन्य राज्यों की जनसंख्या और क्षेत्रफल तथा छठी पंचवर्षीय योजना पर खर्च की गई राशि को देखते हुए योजना आयोग ने राजस्थान की योजना सबसे कम तय की है ? यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ? किस-किस राज्य की कितनी-कितनी बढ़ोतरी छठी पंचवर्षीय योजना से अधिक हुई ?

(4) इससे राज्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता की राशि संशोधित गाडगिल फार्मूला के अनुसार दी गयी है। संशोधित गाडगिल फार्मूला (Modified Gadgil Formula)

जिसके अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि का आवंटन किया जाता है, निम्नानुसार है—

(आयोजना मन्त्री)

		प्रतिशत
1. जनसंख्या		60
2. राष्ट्रीय आय (उन राज्यों को जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।)		20
3. टेक्स एफर्ट (Tax effort)		10
4. विशेष समस्याएँ		10
	योग	100

(2) जी, हां, राज्य सरकार ने 6549·40 करोड़ रुपये की प्रारूप योजना प्रस्तुत की थी एवं योजना आयोग ने 3000 करोड़ रुपये का आकार निर्धारित किया है।

गाडगिल फार्मूला के अनुसार आंव-टित की गई राशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के लिए 1139·77 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहा-यता उपलब्ध होगी। इसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं मरूक्षेत्र विकास के लिए क्रमश: 200 करोड़ रुपये एवं 75 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

(3) जी नहीं।

(4) इससे पूर्व प्रस्तावित विकास की दर पर असर होगा।

कोटा नगर की साबरमती योजना के सम्मुख खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जे

253. (1) श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

(2) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर स्थित साबरमती योजना के आगे खाली पड़ी हुई जमीन पर रिहायशी प्रयोजन हेतु क्या नगर विकास न्यास ने कोई योजना बनाई थी? यदि हां, तो कब? कृपया उक्त योजना का साइट प्लान सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को अमली रूप नहीं देने के कारण उस पर अवैध कब्जे हो गये? यदि हां, तो अवैध कब्जों को हटाने की क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) योजना के क्रियान्वयन न करने के

(श्री हीरालाल आर्य)

क्या कारण थे, और इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

उत्तर

(1) न्यास की स्वीकृत साबरमती योजना के आगे दाई मुख्य नहर से लगी हुई खाली भूमि पर न्यास द्वारा ई. डब्ल्यू. एल. की प्रस्तावित आवास योजना न्यास के सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई थी जिसकी साइट प्लान ड्राइंग न. 80/1983 सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं

(3) योजना के क्रियान्वयन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। न्यास मण्डल की स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में योजना का प्रारूप रखा जाना है।

(साइट प्लान ड्राइंग विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई मानसिंह अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी और एण्डो यूरोलोजी की चिकित्सा

254 श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी और एण्डो यूरोलोजी की शल्य चिकित्सा आरम्भ की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में ओपन हार्ट सर्जरी चिकित्सा प्रारम्भ की जा रही है। ओपन हार्ट सर्जरी से संबंधित मुख्य उपकरण प्राप्त हो चुके हैं एवं उन्हें स्थापित किया जा चुका है। कुछ जरूरी आवश्यक एक्सेसरीज के खरीद के भी आदेश दे दिये गये है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए है जैसे ही यह एक्सेसरीज हो प्राप्त हो जावेगें उसके एक माह की अवधि में ओपन हार्ट सर्जरी की शल्य चिकित्सा प्रारम्भ कर दी जावेगी।

जहां तक एण्डो यूरोलोजी की शल्य चिकित्सा आरम्भ करने का प्रश्न है, इसके मूल उपकरण प्राप्त कर स्थापित किये जा चुके हैं और कुछ एक्सेसरीज जिनके खरीद के आदेश दिये जा चुके हैं जिन्हें माह दिसम्बर, 85 तक प्राप्त होने की आशा है। उनके प्राप्त होने पर एण्डो यूरोलोजी शल्य चिकित्सा चालू कर दी जावेगी।

निलम्बित सरपंच व प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही

255. श्री दामोदर दास आचार्य (नागौर)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) राज्य में कितने प्रधान व सरपंच निलम्बित हैं, और कब-कब से ?

(2) कितने सरपंचों की निलंबन के बाद जांच पूर्ण कर ली गई है ?

(3) किस-किस पंचायत समिति के किन-किन पंचों, सरपंचों के विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत कब-कब से कार्यवाही चल रही है ?

(4) कितने सरपंचों के निलम्बन के विरुद्ध न्यायालयों से कब कब से स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कोई प्रधान निलम्बित नहीं है। वर्तमान में 34 सरपंच निलम्बित है। जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) 3 सरपंचों की जांच पूर्ण हो चुकी है।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में धारा 96 नहीं है। अतः इस धारा के तहत सरपंचों व पंचों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) 7 सरपंचों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं। जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

निलम्बित सरपंचों का विवरण

क्र. सं.	निलम्बित सरपंच का नाम	पंचायत	पंचायत समिति	जिला	निलम्बन का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विशाल सिंह	जपावली	बाड़ी	धौलपुर	20-7-83
2.	श्री दलेल सिंह	बागथर	बसेड़ी	,,	29-7-83
3.	श्री नरपत सिंह	सोलंकियातला	शेरगढ़	जोधपुर	27-8-83
4.	श्री भूरालाल	प्रतापगढ़	थानागाजी	अलवर	6-7-84
5.	श्री बाबूलाल	अजीतगढ़	श्री माधोपुर	सीकर	7-8-84
6.	श्री रामेश्वर विद्यार्थी	दातारामगढ़	दातारामगढ़	सीकर	24-9-84
7.	श्री करण सिंह	पिपराली	पिपराली	,,	17-4-85
8.	श्री अमर सिंह	मोईसदा	बुहाना	झुन्झुनू	22-8-84
9.	श्री केवल चन्द नाई	मोमासर	श्रीडूंगरगढ़	चुरू	8-4-83
10.	श्री रामकिशन	जयमलसर	बीकानेर	बीकानेर	18-7-83
11.	श्री धुल चन्द	सेवन्त्री	कुम्भलगढ़	उदयपुर	18-11-83
12.	श्री छगन लाल	बड़ला	खैरवाड़ा	उदयपुर	3-5-85
13.	श्री शिवलाल	पक्कांमादवा	सादूलशहर	श्रीगंगा नगर	19-484

1	2	3	4	5	6
14.	श्री मांगीलाल	2 एम. एल	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	22-9-84
15.	श्री चिरंजीलाल	बाजना	सपोटरा	सवाई माधोपुर	1-8-83
16.	श्री रामजीलाल	नारौला	,,	सवाई माधोपुर	4-4-85
17.	श्री डाया लाल	कोहुला	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	15-12-83
18.	श्री भगवती लाल	प्रतापपुर	गढ़ी	बांसवाड़ा	22-9-83
19	श्री पूना भाई	सुरवानिया	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	26-4-84
20.	श्री मदन सिंह	खैराबाद	खैराबाद	कोटा	30-9-83
21.	श्री हनुमान प्रसाद	तलवास	नैनवा	बून्दी	12-8-83
22.	श्री हुकम सिंह	झावरा	सांकडा	जैसलमेर	14-12-83
23.	श्री चान्दमल व्यास	बिगोद	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	22-3-85
24.	श्री रामेश्वर लाल	बिजोनिया	,,	,,	12-8-83
25.	श्री बरदी चन्द	रासेड	कोठडी	भीलवाड़ा	30-5-85
26.	श्री शांती लाल	महुआ	माडलगढ़	,,	2-1-84
27.	श्री रणजीत सिंह	वलदरखा	बनेडा	,,	16-4-84
28.	श्री भोपाल सिंह	सुवाणा	सुवाणा	भीलवाड़ा	17-2-84
29.	श्री हनुमान राम	सीलनवाद	लाडनू	नागौर	19-4-85
30.	श्री नथमल गट्टानी	वेसरोली	मकराना	नागौर	6-2-84

1	2	3	4	5	6
31.	श्री पारसमल	लेटा	जालोर	जालोर	10-7-84
32.	श्री कान्ती चन्द शर्मा	मोरीजा	गोविन्दगढ़	जयपुर	6-5-85
33.	श्री लक्ष्मी नारायण	मुड़ियागढ़	सांभर	,,	17-1-85
34.	श्री अशरफ खां	खैरवा	पाली	पाली	4-10-83

सरपंचों का विवरण जिन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं।

क्र. सं.	सरपंच का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	स्थगन आदेश प्राप्त करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नरपत सिंह	सोलंकियातला	शेरगढ़	जोधपुर	22-9-83
2.	,, करण सिंह	पिपराली	पिपराली	सीकर	11-5-85
3.	,, रामकिशन	जयमलसर	बीकानेर	बीकानेर	20-9-83
4.	, रामजी लाल	नारोली	सपोटरा	सवाई माधोपुर	13-5-85
5.	,, बरदी चन्द	रासेड	कोटडी	भीलवाडा	21-6-85
6.	,, रणजीत सिंह	बलदरखा	बनेडा	,,	12-6-84
7.	,, असरफ खां	खैरवा	पाली	पाली	24-10-8

श्री गंगानगर जिले की पेयजल योजनायें

256. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में आज तक कितनी पेयजल योजना बनाई गई हैं ? इनमें सुचारु रूप से कितनी चल रही हैं, और कहां-कहां ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों में पेयजल योजना बनाई गई है, उनमें हरिजन बस्तियों को पेयजल सुविधा में शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला श्री गंगानगर की आज तक 1048 पेयजल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है इनमें से सभी योजनायें सुचारू रूप से चल रही है। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

पारस्परिक जल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की सूची मार्च, 1985 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1	2	3
1.	17 टी. के. पाईण्ट	योजना सुचारु रूप से चालू है
2.	15 पी. टी. डी. एस. डी	,,
3.	21 पी. टी. डी. ,,	,,
4.	10 के. एस. डी. ,,	,,
5.	करड़वाली ,,	,,
6.	2 आई. डब्ल्यू. एम.	,,
7.	14 एल. के. एस. (धवन) पाईण्ड	,,
8.	11 एल. के एस. ,,	,,
9.	2 ,, हंसलिया	,,
10.	24 जे. आर.के. पाईण्ड	,,
11.	22 जे. आर के ,,	,,
12.	18 जे. आर. के. (आयलकी),,	,,
13.	3 एल. जी. डब्ल्यू ,,	,,
14.	15 एल. जी डब्ल्यू लिखमीसर	,,
15.	10 एस. जी. आर (सांगर)	,,
16.	5 पी. बी. एन. ,,	,,
17.	13 पी. बी. एन.	,,
18.	1 . पी. बी. एन. (अहमदपुरा) पाइण्ड	
19.	3 के. एस. एम. (करणीसर) एस. डी.	
20.	हार्डा स्वली ,,	,,
21.	गोविन्दसर ,,	,,

332

1	2		3
22.	भोपालपुरा	एस. डी.	योजना सुचारू रूप से चालू है
23.	बीरमाना	,,	,,
24.	सरदारपुरा (लाडना)	,,	,,
25.	रायंवली	,,	,,
26.	सोमसर	पाईप्ड	,,
27.	तहसील अनूपगढ़	(9)	,,
28.	विजयनगर	पाइप्ड	,,
29.	15 जी. बी.	एस. डी.	,,
30.	1 जी. बी. (जैतसर)	पाइप्ड	,,
31.	मोटासर (5/6पी. एस.)	एस. डी.	,,
32.	भागसर (13 पी. एल.)	एस. डी.	,,
33.	नाहरवाली	एस. डी.	,,
34.	सुराणा	पाइप्ड	,,
35.	घरसाणा	,,	,,
36.	रावला	,,	,,
37.	4 एफ. डी.	हैण्ड पम्प	,,
38.	3 एफ. डी.	,,	,,
39.	1 एफ. डी.	,,	,,
40.	2 एफ. डी.	,,	,,
41.	28 एफ. एफ.	,,	,,
42.	5 एफ. एफ. (बी)	,,	,,
43.	26 एफ. एफ.	,,	,,
44.	25 आर. बी.	,,	,,

1	2		3
45.	23. आर बी.	हैंड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है
46.	22 आर. बी.	,,	,,
47.	21 आर. बी.	,,	,,
48.	19 आर. बी.	,,	,,
49.	18 आर. बी.	,,	,,
50.	14 आर. बी.	,,	,,
51.	13 आर. बी.	,,	,,
52.	15 आर. बी.	,,	,,
53.	17 आर. बी.	,,	,,
54.	16 आर. बी.	,,	,,
55.	64 आर. बी.	,,	,,
56.	72 आर. बी. 2	,,	,,
57.	73 आर. बी.	,,	,,
58.	74 आर. बी.	,,	,,
59.	75 आर. बी.	,,	,,
60.	76 आर. बी.	,,	,,
61.	77 आर. बी.	,,	,,
62.	27 आर. बी.	,,	,,
63.	28 आर. बी.	,,	,,
64.	84 आर बी. (बी)	,,	,,
65.	85 आर. बी (ए)	,,	,,
66.	63 आर. बी.	,,	,,

1	2		3
67.	78 आर. बी.	हैंड पम्प	योजना सुचारु रूप से चालू है
68.	70 आर. बी.	,,	,,
69.	39 आर. बी.	,,	,,
70.	67/68 आर. बी.	,,	,,
71.	66 आर. बी	,,	,,
72.	65 आर. बी	,,	,,
73.	62 आर. बी	,,	,,
74.	61 आर बी.	,,	,,
75.	58 आर. बी.	,,	,,
76.	54 आर. बी.	,,	,,
77.	5 पी. एस.	,,	,,
78.	6 पी. एस.	,,	,,
79.	7. पी. एस.	,,	,,
80.	9 पी. एस.	,,	,,
81.	10 पी. एस.	,,	,,
82.	11 पी. एस.	,,	,,
83.	12 पी. एस.	,,	,,
84.	24 पी. एल.	,,	,,
85.	26 पी. एस. (ए)	,,	,,
86.	79 आर. बी. (ए)	,,	,,
87.	79 आर. बी. (बी)	,,	,,
88.	82 आर. बी.	,,	,,
89.	टीबा लाखा हकीम हैंड पम्प		

1	2	3
90. सेतान	हैंड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है
91. 37 पी. एस.	"	"
92. 38 पी. एस.	"	"
93. 36 पी. एस.	"	"
94. 35 पी. एस.	"	"
95. 34 पी. एस.	"	"
96. 32 पी. एस. (ए)	"	"
97. 31 पी. एस.	"	"
98. 30 पी. एस. (ए)	"	"
99. 28 पी. एस.	"	"
100. 27 पी. एस.	"	"
101. 29 पी. एस. (ए)	"	"
102. 29 पी. एस. सी	"	"
103. 45 पी. एस.	"	"
104. 22 पी. एस.	"	"
105. 31 पी. एस.	"	"
106. 30 पी. एस.	"	"
107. 19 पी. एस.	"	"
108. 18 पी. एस.	"	"
109. 17 पी. एस.	"	"
110. 16 पी. एस.	"	"
111. 15 पी. एस.	"	"
112. 14 पी. एस. (बी)	"	"

1	2		6
113.	14 पी. एस. (ए)	हैंड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है
114.	13 पी. एस.	,,	,,
115.	14 एम. एल.	,,	,,
116.	2 एम. के.	,,	,,
117.	3 एम. के.	,,	,,
118.	5 एम. के.	,,	,,
119.	7 एम. के.	,,	,,
120.	10 एम. के.	,,	,,
121.	2 टी. के.	,,	,,
122.	3 टी. के.	,,	,,
123.	7 टी. के.	,,	,,
124.	11 टी. के.	,,	,,
125.	23 पी. एस. (ए)	,,	,,
126.	9 टी. के.	,,	,,
127.	8 टी. के.	,,	,,
128.	5 टी. के.	,,	,,
129.	1 टी. के.	,,	,,
130.	15 टी. के.	,,	,,
131.	14 टी. के.	,,	,,
132.	6 एम. के. (ए)	,,	,,
133.	32 एम. एल.	,,	,,

1	2		6
134.	13 एम. के.	हैंड पम्प	योजना सुचारु रूप से चालू है
135.	33 एम. एल.	,,	,,
136.	1 एन. पी.	,,	,,
137.	2 एन. पी.	,,	,,
138.	9 एन. पी.	,,	,,
139.	11 एन. पी.	,,	,,
140.	12 एन. पी.	,,	,,
141.	10 एन. पी.	,,	,,
142.	20 एन. पी.	,,	,,
143.	39 पी. एस.	,,	,,
144.	40 पी. एस.	,,	,,
145.	41 पी. एस.	,,	,,
146.	42 पी. एस.	,,	,,
147.	44 पी. एस.	,,	,,
148.	75 एन. पी.	,,	,,
149.	74 एन. पी.	,,	,,
150.	16 पी. टी. डी.	,,	,,
151.	17 पी. टी. डी.	,,	,,
152.	19 पी. टी. डी.	,,	,,
153.	71 एन. पी.	,,	,,
154.	2 एल. पी. एम.	,,	,,
155.	12 पी. टी. डी.	,,	,,

1	2	6
156. 69 एन. पी.	हैंड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है
157. 72 एन. पी.	,,	,,
158. 73 एन. पी.	,,	,,
159. 70 एन. पी.	,,	,,
160. 54 एन. पी.	,,	,,
161. 53 एन. पी.	,,	,,
162. 52 एन. पी.	,,	,,
163. 50 एन. पी.	,,	,,
164. 45 एन. पी.	,,	,,
165. 48 एन. पी.	,,	,,
166. 41 एन. पी.	,,	,,
167. 40 एन. पी.	,,	,,
168. 38 एन. पी.	,,	,,
169. 31 एन. पी.	,,	,,
170. 36 एन. पी.	,,	,,
171. 33 एन. पी.	,,	,,
172. 25 एन. पी.	,,	,,
173. 24. एन. पी	,,	,,
174. 22 एन. पी.	,,	,,
175. 15 एन. पी.	,,	,,
176. 14 एन. पी.	,,	,,
177. 8 एन. पी.	,,	,,

1	2	3
178.	7 एन. पी.	कार्ययोजना सुचारू रूप से चालू है
179.	35 एम. एल..	,,
180.	3 एल. सी.	,,
181.	18 एन. पी.	,,
182.	19 एन. पी.	,,
183.	34 एन. पी.	,,
184.	55 एन. पी.	,,
185.	57 एन. पी.	,,
186.	56 एन. पी.	,,
187.	58 एन. पी.	,,
188.	65 एन. पी.	,,
189.	68 एन. पी.	,,
190.	67. एन. पी.	,,
191.	9 पी. टी. डी..	,,
192.	66 एन. पी.	,,
193.	64 एन. पी.	,,
194.	62 एन. पी.	,,
195.	13 एस. ए. डी.	,,
196.	2 एल. सी.	,,
197.	1 एल. सी.	,,
198.	6 एल. सी.	,,
199.	26 एल. जी डब्ल्यू	,,

1	2		3
200.	1 बी. बी. एम.	हैण्ड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
201.	5 बी. बी. एम.	,,	,,
202	17 एल. के. एस.	,,	,,
203.	22 एल. जी. डब्ल्यू	,,	,,
204.	21 एल. जी डब्ल्यू	,,	,,
205.	1 एल. के. एस.	,,	,,
206.	9 एस. जी. आर.	,,	,,
207.	15 एस. जी. आर	,,	,,
208.	5 एल. एल. पी	,,	,,
209.	3 एल. एल. पी.	,,	,,
210.	13 एस. जी. आर.	,,	,,
211.	1 एल. एल. पी.	,,	,,
212.	8 एस. जी. आर	,,	,,
213.	7 एस. जी. आर.	,,	,,
214.	5 एस. जी. आर.	,,	,,
215.	16 एल. जी डब्ल्यू	,,	,,
216.	16 पी. बी. एम.	,,	,,
217.	13 एल. जी. डब्ल्यू	,,	,,
218.	14 पी. बी. एम.	,,	,,
219.	9 एल. जी. डब्ल्यू.	,,	,,
220.	10 पी. बी. एम.	,,	,,

1	2		3
221.	8 पी. बी. एन.	हैण्ड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
222.	21 एस. टी. सी.	,,	
223.	23 एस. टी. जी.	,,	
224.	24 एस. टी. जी.	,,	
225.	25 एस. टी. जी.	,,	
226.	11 पी. बी. एन.	,,	
227.	19 पी. बी. एन.	,,	
228.	2 एस. जी. आर.	,,	
229.	25 पी. बी. एन.	,,	,,
230.	24 पी. बी. एन.	,,	,,
231.	26. पी. बी. एन.	,,	,,
232.	2 एल. एल. पी.	,,	,,
233.	1 के एस. आर.	,,	,,
234.	5 एल. एल. पी.	,,	,,
235.	2 के. एस. आर.	,,	,,
236.	3 के. एस. आर.	,,	,,
237.	28 एल. जी. डब्ल्यू	,,	,,
238.	1 एस. पी. डी.	,,	,,
239.	4 एस. पी. डी.	,,	,,
240.	2 एस. पी. डी.	,,	,,
241.	2 एस. पी. डी.	,,	,,
242.	3 एफ. डी. एम.	,,	,,
243.	11 एस. पी. डी.	,,	
244.	4 के. एस. आर.	,,	,,
245.	28 पी. बी. एन.	,,	,,

1	2		3
246.	27 पी. बी. एन.	हैण्डपम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
247.	31 पी. बी. एन.	,,	,,
248.	3 एस. जी. एम.	,,	,,
249.	4 एस. जी. एम.	,,	,,
250.	5 एस. जी. एम.	,,	,,
251.	6 एस. जी. एम.	,,	,,
252.	7 एस. जी. एम.	,,	,,
253.	9 एस. जी. एम.	,,	,,
254.	10 एस. जी. एम.	,,	,,
255.	अमरपुरा जाटन	,,	,,
256.	41. पी. बी. एन.	,,	,,
257.	37 पी. बी. एन.	,,	,,
258.	35 एस "टी. जी."	,,	,,
259.	34 एस. टी. जी.	,,	,,
260.	33 एस. टी. जी.	,,	,,
261.	27 एस. टी. जी.	,,	,,
262.	26 एस. टी. जी.	,,	,,
263.	4 एन. आर	,,	,,
264.	32 एस. टी. जी.	,,	,,
265.	1 बी. आर. पी.	,,	,,
266.	37 एस. टी. जी.		,,
267.	रंगमहल	,,	,,
268.	ब्रेकन	,,	,,
269.	5 बी. आर. पी.	,,	,,
270.	आर. डी. 108000	,,	,,
271.	3 टी.	,,	,,
272.	4 एन. एस. डब्ल्यू.	,,	,,

1	2		3
273.	8 एस. पी. डी.	हैण्डपम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
274.	11 एस. पी. डी.	,,	,,
275.	13 एस. पी. डी.	,,	,,
276.	19 एस. पी. डी.	,,	,,
277.	20 एस. पी. डी.	,,	,,
278.	गुडली	,,	,,
279.	श्योपुरा	,,	,,
280.	करनीसर जाटान	,,	,,
281.	किसनासर	,,	,,
282.	जन्डावाली	,,	,,
283.	5 खामीसा	,,	,,
284.	अनूपगढ वांगी	,,	,,
285.	बिन्जारस	,,	,,
286.	90 जी. बी.	,,	,,
287.	91 जी. बी.	,,	,,
288.	92 जी. बी.	,,	,,
289.	93 जी. बी.	,,	,,
290.	89 जी. बी.	,,	,,
291.	88 जी. बी.	,,	,,
292.	80 जी. बी.	,,	,,
293.	79 जी. बी.	,,	,,
294.	79 जी. बी.	,,	,,

1	2		3
295.	87 जी. बी.	हैण्डपम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
296.	78 जी. बी.	,,	,,
297.	86 जी. बी. 'बी'	,,	,,
298.	77 जी. बी.	,,	,,
299.	76 जी. बी.	,,	,,
300.	74 जी. बी.	,,	,,
301.	73 जी. बी.	,,	,,
302.	75 जी. बी.	,,	,,
303.	81 जी. बी.	,,	,,
304.	69 जी. बी.	,,	,,
305.	70 जी. बी.	,,	,,
306.	68 जी. बी.	,,	,,
307.	68 जी. बी.	,,	,,
308.	68 जी. बी.	,,	,,
309.	72 जी. बी	,,	,,
310.	64 जी. बी.	,,	,,
311.	67 जी. बी.	,,	,,
312.	66 जी. बी.	,,	,,
313.	65 जी. बी.	,,	,,
314.	62 जी. बी.	,,	,,
315.	61 जी. बी.	,,	,,
316.	60 जी. बी.	,,	

1	2		3
317.	60 जी. बी. 'ए'	हैण्ड पम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
318.	58 जी. बी.	,,	,,
319.	रेड बूगी	,,	,,
320.	48 बी. बी. 'ए'	,,	,,
321.	48 जी. बी.	,,	,,
322.	50 जी. बी.	,,	,,
323.	54 जी. बी.	,,	,,
324.	55 जी. बी.	,,	,,
325.	56 जी. बी. 'ए'	,,	,,
326.	56 जी. बी. 'बी'	,,	,,
327.	52 जी. बी.	,,	,,
328.	53 जी. बी.	,,	,,
329.	51 जी. बी.	,,	,,
330.	47 जी. बी.	,,	,,
331.	45 जी. बी.	,	,,
332.	47 जी. बी. 'बी'	,,	,,
332.	49 जी. बी.	,,	,,
334.	44 जी. बी.	,,	,,
335.	43 जी. बी.	,,	,,
336.	42 जी. बी.	,,	,,
337.	41 जी. बी.	,,	,,
338.	40 जी. बी.	,,	,,

1	2	3
339.	39 जी. बी.	हैंडपम्प योजना सुचारू रूप से चालू है।
340.	36 जी. बी.	,,
341.	38 जी. बी.	,,
342.	37 जी. बी.	,,
343.	31 जी. बी.	,,
344.	32 जी. बी.	,,
345.	35 जी. बी.	,,
346.	34 जी. बी.	,,
347.	35 जी. बी.	,,
348.	28 जी. बी.	,,
349.	29 जी. बी.	,,
350.	27 जी. बी.	,,
351.	26 जी. बी.	,,
352.	19 जी. बी.	,,
353.	18 जी. बी.	,,
354.	17 जी. बी.	,,
355.	16 जी. बी.	,,
356.	12 जी. बी.	,,
357.	10 जी. बी.	,,
358.	8 जी. बी.	,,
359.	7 जी. बी.	,,
360.	5 जी. बी.	,,

1	2		3
361.	4 जी. बी.	हैण्डपम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
362.	3 जी. बी.	,,	,,
363.	3 मासनीवाली	,,	,,
364.	हिन्डो	,,	,,
365.	2 एस. बी. 'ए'	,,	,,
366.	6 जी. बी.	,,	,,
367.	9 जी. बी.	,,	,,
368.	10 सरकारी	,,	,,
369.	11 जोईनवाला	,,	
370.	14 जी. बी.		
371.	21 जी. बी.	,,	
372.	13 जी. बी.	,,	
373.	किशनवालढाणी	,,	
374.	22 जी. बी.	,,	
375.	24 जी. बी.	,,	
376.	23 जी. बी.	,,	
377.	25 जी. बी.		
378	चैनेपुरा	,,	
379.	रेड धोरा	,,	
380.	कूपली	,,	
381.	ट्राकल	,,	
382.	बारवर	,,	

1	2		3
383.	राजपुरा	हैंडपम्प	योजना सुचारू रूप से चालू है।
384.	गंगासिहपुरा	,,	,,
385.	राजासर	,,	,,
386.	हिसमकी	,,	,,
387.	कोडी बांध	,,	,,
388.	धाबा	,,	,,
389.	धांधरा	,,	,,
390.	2 के. एन. जी. (मावकासर) पाईप्ड		,,
391.	4 आर. आर. डब्ल्यू (रोडमवाली) पी. एण्डटी		,,
392.	14 एल. एल. के (जोरकिपन)		,,
393.	6 जे. आर. के. (जोन्डावाली)		,,
394.	20 एफ. टी. पी. (खतीपुरा)		,,
395.	6 के. एन. जी. (खुजा)		,,
396.	30 एफ. टी. पी. (जवालसिंहवाला)		,,
397.	1 डी. बी. एल. (डावलिमोलिन्दास) पाईप्ड		,,
398.	10 जे. आर. के. (ढाणीढानका) टी. एस. एस.		,,
399.	21 एफ. टी. पी. (धालिया) एच. पी.		,,
400.	23 एफ. टी. पी. (बुधसिंहवाला) एच. पी.		,,
401.	25 एफ. टी. पी. (गुडू) एच. पी.		,,
402.	22 एफ. टी. पी. एच. पी.		,,
403.	4 एस. एन. एम. (श्रीनगर) एच. पी.		,,

1	2	3
404.	2 एच. एम. एच. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
405.	6 एच. एम. एच. एच. पी.	,,
406.	17 एस. टी. जी. (डाकलिकला) एच. पी.	,,
407.	20 एस. टी. जी. (मासूवाला) एच. पी.	,,
408.	20 एच. एम. एच (नाथोकीटेरी) एच पी.	,,
409.	16 एच. एम. एच. (कोला) पी. एण्ड टी.	,,
410.	37 एस. एस. डब्ल्यू (साहजीतपुरा) पी. एण्ड टी.	,,
411.	22 एस. एस. वब्ल्यू (फतेहगढ़ दारावास) पी. एण्ड टी.	,,
412.	22 एच. एम.एच (फतेहगढ पुरुषोतम बास) पी. एण्डटी.	,,
413.	10 एच. एम. एच. (वावरियो की ढाणी) एच. पी.	,,
414	2 एस. एन. एम. एच. पी.	,,
415.	10 एच. एस. एच. (रामसर) पी. एण्ड टी.	,,
416.	30 एस. एस. डब्ल्यू पी. एण्ड टी.	,,
417.	1 एन. डब्ल्यू. एन. (नवन)	,,
418.	31 एस. एस. डब्ल्यू (श्यामसिंहवाला) एक्स.	,,
419.	45 एस. एस. डब्ल्यू (बाहलोल नगर) पी. एण्ड टी.	,,
420.	19 एस. टी. जी. (वाक जनाना) एच पी.	,,
421.	12 एस. एस. डब्ल्यू (गुरुसर) एक्सटे.	,,
422.	10 एस. एस. डब्ल्यू. एक्सटे.	,,
423.	6 एस. एस. डब्ल्यू. एक्सटे.	,,
424.	10 एच. एस. एच. पी.	,,

1	2	3
425.	8 एच. एम. एच. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
426.	17 एच. एम. एच. पी. एण्ड टी.	,,
427.	14 जे. आर. के. पी. एण्ड टी.	,,
428.	1 एस. एस. डब्ल्यू पी. एण्ड टी.	,,
429.	19 जे. आर. के. पी. एण्ड टी.	,,
430.	8 एन डी. आर. एच. पी.	,,
431.	5 एल. के. पी. एण्ड टी.	,,
432.	14 एन. डी आर. पी. एण्ड टी.	,,
433.	24 एल. एस. डब्ल्यू. पी एण्ड टी	,,
434.	9 जे. डी. डब्ल्यू एक्टेन्सन	,,
435.	15 एच एम एच (रूलर) एस. डी.	,,
436.	9 जे आर के टी एस एस	,,
437.	3 एच. एम. एच. (ग्रामीण) पी. एण्ड. टी.	,,
438.	23 एम. जे. डी. एस. डी.	,,
439.	3 यू. एम. डब्ल्यू. एस. डी.	,,
440.	26 एस. एल. डब्ल्यू. एस. डी.	,,
441.	6 यू. टी. एस. एस. डी.	,,
442.	3 आर. आर. डब्ल्यू. एक्टेसन	,,
443.	17 के. एस. पी. पी. एण्ड टी.	,,
444.	1 एन. डब्ल्यू. एन. एस. डी.	,,
445.	15 एन. डी. आर. एस. डी.	,,
446.	2 जे. डी. डब्ल्यू. एस. डी.	,,

1	2	3
447.	2सी. पी. एण्ड टी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
448.	22 के. एस. पी. पी. एण्ड टी.	,,
449.	4 यू. टी. एस. एस. डी.	,,
450.	19 के. एस. पी. एक्सटेंशन	,,
451.	17 एच. एम. एच. (ग्रामीण) पी. एण्डटी.	,,
452.	दीनगढ़ पी. एण्डटी.	,,
453.	बोलावाली (17 एस. पी. जी.) पी. एण्डटी.	,,
454.	5 बी. जी. आर. (नगराना) पी. एण्ड टी.	,,
455.	6 बी. जी. पी. (धावन) ,,	,,
456.	3 एस. एल. डब्ल्यू (लीलावाली) ,,	,,
457.	1 पी. टी. पी. (सन्तपुरा) टी. एस. एस.	,,
458.	4 के. एस. जी. (धुलनगर) ,,	,,
459.	5 एन. के. आर. (चाकहरवाला) ,,	,,
460.	1 बी. के आर. (लाम्बीदाव) ,,	,,
461.	15 ए. एम. पी. (जाधवाल) ,,	,,
462.	14 बी. जी. पी. (भागपुर) पी. एण्ड टी.	,,
463.	4 पी. टी. पी. (रतनपुरा) ,,	,,
464.	11 पी. टी. पी. (किशनपुरा) ,,	,,
465.	14 एम. के. एस. (शेरगढ) एच. पी.	,,
466.	2 पी. टी. पी. (मुकेश) पी. एण्ड टी.	,,
467.	19 एम. के एस. (मानकसर) पी. एण्ड टी.	,,
468.	20 पी. टी. पी. (फतेहपुरा)	,,

1	2	3
469.	4 एस. टी. पी. (बुखारावाली) पी. एण्ड टी	योजना सुचारू रूप से चालू है।
470.	3 एस. टी. पी. एक्टेशन	,,
471.	2 एस. टी. पी. पी. एण्ड टी.	,,
472.	8 एन. पी. डब्ल्यू. ,,	,,
473.	7 आई. डी. जी. ,,	,,
474.	19 ए. एम. पी. ,,	,,
475.	16 ए. एम. पी. ,,	,,
476.	10 एन. टी. डब्ल्यू. एक्टेशन	,,
477.	21 एम. जे. डी. एस. डी.	,,
478.	11 एस. वी. एन. एक्टेशन	,,
479.	12 एस. बी. एन. ,,	,,
480.	13 एस. वी. एन. ,,	,,
481.	1 एन. टी. डब्ल्यू. ,,	,,
482.	11 डी. एल. पी. पी. एण्ड टी.	,,
483.	7 एम. जे. डी. ,,	,,
484.	5 आई. जी. डी. एस. डी.	,,
485.	7 एम. एल. डब्ल्यू. (सिलालापुर) पी. एण्ड. टी.	,,
486.	5 एम. के. एस. (सालीवाला) ,,	,,
487.	14 डी. बी. एल. (दावलिकला) ,,	,,
488.	2 एस. टी. डब्ल्यू. (तलवर) ,,	,,
489.	9 सी. डी. आर. (नियावाला) टी. एस. एस.	,,
490.	6 सी. डी.आर. (सारती) ,,	,,
491.	7 सी. डी. आर. (कुलछान्हर) ,,	,,

1	2	3
492.	एच. एम. एच. (कुमारिनी) एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
493.	14 सी. डी. आर. (सतमगढ़) एच. पी.	,,
494.	12 सी. डी. आर. (सुरेवला) एच. पी.	,,
495.	18 आर. डी. पी. (पन्नीवाली) एच. पी.	,,
496.	13 जी. जी. आर. (महसानी) एच. पी.	,,
497.	8 जी. जी. आर. (टिबई)	,,
498.	4 एफ. टी. पी. (बेसर) एच. पी.	,,
499.	1 सी. डी. आर. पी. एण्ड टी.	,,
500.	21 के. एन. एन. एस. डी.	,,
501.	18 पी. जी. आर. एक्टेंशन	,,
502.	1 जी. जी. आर. ,,	,,
503.	1 एस. एल. डब्लू ,,	,,
504.	6 जी. पी. आर. ,,	,,
505.	1 एम. के. एस. पी. एण्ड टी.	,,
506.	1 एस. बी. एम. पी. एण्ड टी.	,,
507.	20 के. एन. एन. एस. डी.	,,
508.	1 पी. एल. डब्लू. एक्टेंशन	,,
509.	13 एफ. टी. पी. पी. एण्ड टी.	,,
510.	3 एफ. टी. पी. एस. डी.	,,
511.	3 आर. डब्लू. डी. पी. एण्ड टी.	,,
512.	16 एस. एल. डब्लू. एस. डी.	,,
513.	10 जी. जी. आर. एक्टेंशन	,,

1	2	3
514.	11 जी. जी. आर. एक्टेंशन	योजना सुचारु रूप से चालू है।
515.	2 जी. जी. आर. ,,	,,
516.	10 सी. डी. आर. ,,	,,
517.	11 सी. डी. आर. ,,	,,
518.	13 डी. वी. एल. एस. डी.	,,
519.	16 सी. डी. आर. एच. पी.	,,
520.	12 एम. के. एस. एच. पी.	,,
521.	1 एस. आर. डब्यू. एच. पी.	,,
522.	3 एस. आर. डब्बू एच. पी.	,,
523.	4 जी. जी. आर. एच. पी.	,,
524.	एच. एस. एच. पी.	,,
525.	13 सी. डी. आर. एच. पी.	,,
526.	12 एस. एल. डब्लू. एच. पी.	,,
527.	5 जी. जी. आर. एच. पी.	,,
528.	19 जी. जी. आर. एच. पी.	,,
529.	1 एम. डी. एच. पी.	,,
530.	1 एम. डी. पी. एण्ड टी.	,,
531.	12 ए. जी. पी. एण्ड टी.	,,
532.	मिनान पी. एण्ड टी.	,,
533.	नीथराना पी. एण्ड टी.	,,
534.	गांधीवाडी पी. एण्ड टी.	,,
535.	चिरयागांधी पी. एण्ड टी.	,,

1	2	3
536.	चन्दनवाडी पी. एण्ड टी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
537.	वीर टी. एस. एस.	,,
538.	झाक्षल पी. एण्ड टी.	,,
539.	साहूवाला एस. डी.	,,
540.	मेहरामा पी. एण्ड टी.	,,
541.	बीरानी एस. एण्ड डी.	,,
542.	सीकरोडी एक्टेंशन	,,
543.	जासना पी. एण्ड टी.	,,
544.	विहारीपुरा एक्टेंशन	,,
545.	सागरा पी. एण्ड टी.	,,
546.	साग्गरगाडिया एक्टेंशन	,,
547.	श्योपुरा ,,	,,
548.	हनुतपुरा ,,	,,
549.	मोजाना ,,	,,
550.	सारपुरा ,,	,,
551.	बाव्बलवास ,,	,,
552.	सरदारपुरा वास एक्टेंशन	,,
553.	गुन्जासरी एक्टेंशन	,,
554.	भोजला एक्टेंशन	,,
555.	खाचवाना पी. एण्ड टी.	,,
556.	राखी एक्टेंशन	,,
557.	मालखेरा पी. एण्ड टी.	,,

356

1	2	3
558.	मोतीपुरा एक्टेंशन	योजना सुचारु रूप से चालू है।
559.	पानडुसर पी. एण्ड टी.	,,
560.	फेफाना ,, ,,	,,
561.	रामगढ़ ,, ,,	,,
62.	भगवान ,, ,,	,,
563.	टोगरिया ,, ,,	,,
564.	देवदास ,, ,,	,,
565.	भुकारका ,, ,,	,,
566.	पारलीका ,, ,,	,,
567.	जासना ,, ,,	,,
568.	सोनारी ,, ,,	,,
569.	चक राजासर ,, ,,	,,
570.	धानी ललखान ,, ,,	,,
571.	जोगीयासन I टी. एस. एस.	,,
572.	जोगीयासन III ,,	,,
573.	पाल्लू ,,	,,
574.	रतनपुरा पी. एण्ड टी.	,,
575.	डीपताना ,, ,,	,,
576.	रामपुरा एस. डी.	,,
577.	नारवाली एक्टेंशन	,,
578.	कीकराली ,,	,,
579.	कारोटी ,,	,,

1	2	3
580.	बीरकाली पी. एण्ड टी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
581.	36 पी. टी. पी. ,,	,,
582.	2 एस. पी. एम. ,,	,,
583.	1 एस. पी. एम. ,,	,,
584.	43 एम. एम. के. पी. ,,	,,
585.	34 एम. एम. के. पी. ,,	,,
586.	पीकचारिया एक्टेंशन	,,
587.	संगारिया पी. एण्ड टी.	,,
588.	ढाणी चारन एक्टेंशन	,,
589.	वड बेरियाना पी. एण्ड टी.	,,
590.	उजालवास पी. एण्ड टी.	,,
591.	बराहमसर पी. एण्ड टी.	,,
592.	गोगामेरी ,, ,,	,,
593.	ठालजका पी. एण्ड टी.	,,
594.	सरदारपुरा ,, ,,	,,
595.	गांधोति ,, ,,	,,
596.	हुरयासवाली एस. डी.	,,
597.	धान्धेला एक्टेंशन	,,
598.	ढाणी अरयीन एस. डी.	,,
599.	कानवानी पी. एण्ड टी.	,,
600.	दीगाजपुर रीजनल	,,
601.	ठाकुराना रीजनल	,,

1	2	3
602.	जीवानदेसर रीजनल	योजना सुचारु रूप से चालू है।
603.	आई. एफ. एफ.–बी. एफ. एफ. रीजनल	,,
604.	30 के. एस. डी.–25 के. एस. डी. रीजनल	,,
605.	मुन्सारी नौकरी रीजनल	,,
606.	गोरयछाना रीजनल	,,
607.	लालनिया जोखासर रीजनल	,,
608.	भोमावारी चक देडेपुरा	,,
609.	चक सरदारपुरा थानीचन्दर रीजनल	,,
610.	मुन्सारीलाल वास रीजनल	,,
611.	मुन्सारीलाल सरदार गुडिया रीजनल	,,
612.	जोगीवाला रीजनल	,,
613.	छगड़ी बड़ी रीजनल	,,
614.	उगराना कला रीजनल	,,
615.	अशारजना धानसिया रीजनल	,,
616.	मुडिया गिरजासरी रीजनल	,,
617.	पिहारका मलकासर रीजनल	,,
618.	रातुसर पिलियासर रीजनल	,,
619.	पदमपुरा रीजनल	,,
620.	जनानीया रीजनल	,,
621.	लालनवा सिवपुरा	,,
622.	आसन मेहारिया रीजनल	,,
623.	खानू नूवाल रीजनल	,

1	2	3
624.	श्री गंगानगर शहरी योजना	योजना सुचारु रूप से चालू है।
625.	करणपुर ,,	,,
626.	सादुलशहर ,,	,,
627.	केशरीसिंहपुरा ,,	,,
628.	गजीसिंहपुरा ,,	,,
629.	पदमपुर ,,	,,
630.	हनुमानगढ़ ,,	,,
631.	सांगरिया ,,	,,
632.	भादरा ,,	,,
633.	नोहर ,,	,,
634.	रावतसर शहरी योजना	,,
635.	सुरतगढ़ ,,	,,
636.	पिलीबंगा ,,	,,
637.	अनूपगढ़ ,,	,,
638.	विजयनगर ,,	,,
639,	रायसिंह नगर ,,	,,
640.	14 एस. एच. पी.	,,
641.	9 एस. वी. एच. पी.	,,
642.	10 एच. एच. पी.	,,
643.	3 आर. एच. पी.	,,
644.	12 एच. एच. पी.	,,
645.	11 एच. एच. पी.	,,

360

1	2	3
646.	4 एस. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
647.	7 एस. एच. पी.	,,
648.	8 एस. एच. पी.	,,
649.	1 एस. एच. पी.	,,
650.	2 एक्स. एच. पी.	,,
651.	16 एस. एच. पी.	,,
652.	36 एच. पी. एण्ड टी.	,,
653.	33 एच. एच. पी.	,,
654.	28 एच. एच. पी.	,,
655.	3 एक्स. एच. पी.	,,
656.	3 एक्स. एच. पी. एण्ड टी.	,,
657.	6 वी. एच. पी.	,,
658.	7 वी. एच. पी,	,,
659.	26 एच. एच. पी.	,,
660.	8 वी. एच. पी.	,,
661.	4 वी. एच. पी.	,,
662.	3 वी. एच. पी.	,,
663.	20 एच. एच. पी.	,,
664.	1 वी. ए. एच. पी.	,,
665.	2 वी. ए. एच. पी.	,,
666.	18 एच. एच. पी.	,,
667.	16-17 एच. एच. पी.	,,

1	2	3
668.	13 एच. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
669.	14 एच. एच. पी.	"
670.	3 टी. एच. पी.	"
671.	19 एफ. एच. पी.	"
672.	3 डब्लू. एच. पी.	"
673.	22 एच. एच. पी.	"
674.	25 एच. एच. पी.	"
675.	27 एच. एच. पी.	"
676.	30 एच. एच. पी.	"
677	29 एच. एच. पी.	"
678.	32 एच. ए. एच. पी.	"
679.	23 "ओ" ई. एक्स. टी.	"
680.	42 एच. एच. पी.	"
681.	39 एच. एच. पी.	"
682.	31 एच. एच. पी.	"
683.	14 "ओ" एच. पी.	"
684.	4 डब्लू. एच. पी.	"
685.	5 डब्लू. एच. पी.	"
686.	24 एफ. एच. पी.	"
687.	20 एफ. एच. पी.	"
688,	2 एम. एस. डी.	"
689.	6 एम. ई. एक्स. टी.	"

1	2	3
690.	36 एफ. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
691.	27 एफ. एच. पी.	,,
692.	10 डब्लू. एच, पी.	,,
693.	3 ओ. एच. पी.	,,
694.	5 ओ. एच. पी.	,,
695.	6 ओ. ए. एच. पी	,,
696.	7 ओ. एफ. पी.	,,
697.	8 ओ. एच. पी.	,,
698.	11 ओ. बी. एच. पी.	,,
699.	15 ओ. एच. पी.	,,
700.	16 ओ. एच. पी.	,,
701.	17 ओ. एच. पी.	,,
702.	20 ओ. एच. पी.	,,
703.	19 ओ. एच. पी.	,,
704.	24/25 ओ. एस. डी.	,,
705.	6 एफ. ए. पी. एण्ड टी.	,,
706.	45 एफ. एच. पी.	,,
707.	46 एफ. एच. पी.	,,
708.	43 एफ. पी. एण्ड टी.	,,
709.	11 ओ. ए. एच. पी.	,,
710.	10 ओ. एच. पी.	,,
711.	35 एफ. ई. एस. टी.	,,

1	2	3
712.	34 एफ. ई. एस. टी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
713.	32 एफ. पी. एण्ड डी.	,,
714.	20 एफ. एच. पी.	,,
715.	1 एम. एम. एच. पी.	,,
716.	37 एफ. एच. पी.	,,
717.	40 एफ. एच. पी.	,,
718.	42 एफ. एच. पी.	,,
719.	47 एफ. ए. एच. पी.	,,
720.	47 एफ. बी. एच. पी.	,,
721.	3 एफ. बी. एच. पी.	,,
722.	50 एफ. एच. पी.	,,
723.	49 एफ. एच. पी.	,,
724.	44 जी. जी. एच. पी.	,,
725.	43 जी. जी. पी. एण्ड टी.	,,
726.	2 एम. एम. एच. पी.	,,
727.	39 जी. जी. एच. पी.	,,
728.	48 जी. जी. एच. पी.	,,
729.	5 एफ. एफ. एच. पी.	,,
730.	6 एफ. एफ. एच. पी.	,,
731.	7 एफ. एफ. एच. पी.	,,
732.	10 एफ. एफ. एच. पी.	,,
733.	11 एफ. एफ. बी. एच. पी.	,,

1	2	3
734.	52 एफ. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
735.	1 एफ. सी. पी. एण्ड टी.	,,
736.	2 एफ. सी. पी. एण्ड टी.	,,
737.	3 एफ. सी. ई. एक्स. टी.	,,
738.	4 एफ. सी. पी. एण्ड टी.	,,
739.	59 एफ. बी. ई. एक्स. टी.	,,
740.	58 एफ. बी. एच. पी.	,,
741.	61 एफ. ए. एच. पी.	,,
742.	63 एफ. एच. पी.	,,
743.	62 एफ. एच. पी.	,,
744.	60 एफ. एच. पी.	,,
745.	57 एफ. एच. पी.	,,
746.	56 एफ. एच. पी.	,,
747.	4 एफ. एफ. ए. एच. पी.	,,
748.	2 एफ. एफ. ए. ई एक्स. टी.	,,
749.	1 एफ. एफ. ए. पी. एण्ड टी.	,,
750.	20 एफ. एफ. पी. ऐण्ड टी.	,,
751.	29 एफ. एफ. ई. एक्स टी.	,,
752.	55 एफ. एच. पी.	,,
753.	53 एफ. एच. पी.	,,
754.	12 एफ. एफ. एच. पी.	,,
755.	16 एफ. एफ. एच. पी.	,,

1	2	3
756.	18 एफ. एफ. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है
757.	17 एफ. एफ. एच. पी.	
758.	13 एफ. एफ. आर. ई. जी.	,,
759.	53 जी. जी. एच. पी.	,,
760.	54 जी. जी. एच. पी.	,,
761.	52 जी. जी. एच. पी.	,,
762.	50 जी. जी. एच. पी.	,,
763.	1 यू. ई. एक्स. टी.	,,
764.	3 यू. ई. एक्स. टी.	,,
765.	9 एच. एच. पी.	,,
766.	8 एच. एच. पी.	,,
767.	5 एच. एच. पी.	,,
768.	7 डी. एच. पी.	,,
769.	7 सी. टी. एच. पी.	,,
770.	7 बी. पी. एण्ड टी.	,,
771.	1 ए. एच. पी.	,,
772.	5 बी. एच. पी.	,,
773.	4 बी. पी. एण्ड टी.	,,
774.	2 सी. एच. पी.	,,
775.	3 सी. एच. पी.	,,
776.	5 सी. एच. पी.	,,
777.	1 सी. एच. पी.	,,

1	2	3
778.	3 डी. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
779.	2 डी. एच. पी.	,,
780.	500 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
781.	1 एफ. पी. एण्ड टी.	,,
782.	1 एच. एच. पी.	,,
783.	2 पी. पी. एण्ड टी.	,,
784.	3 क्यू. पी. एण्ड टी.	,,
785.	8 क्यू. एच. पी.	,,
786.	10 क्यू. ए. एच. पी.	,,
787.	9 क्यू. एच. पी.	,,
788.	5 पी. पी. एण्ड टी.	,,
789.	4 जी. एच. पी.	,,
790.	6 वाई. एच. पी.	,,
791.	9 वाई. एच. पी.	,,
792.	6 एफ. एच. पी.	,,
793.	11 वाई. एच. पी.	,,
794.	10 एफ. एच. पी.	,,
795.	11 क्यू. एच. पी.	,,
796.	12 क्यू. एच. पी.	,,
797.	14 क्यू. एच. पी.	,,
798.	13 क्यू. एच. पी.	,,
799.	16 एफ. एच. पी.	,,

1	2	3
800.	13 एफ. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
801.	12 एफ. पी. एण्ड टी.	,,
802.	11 एफ. एच. पी.	,,
803.	2 के. एच. पी.	,,
804.	8 वाई. पी. एण्ड टी.	,,
805.	7 वाई. एच. पी.	,,
806.	5 वाई. एच. पी.	,,
807.	1 वाई. एच. पी.	,,
808.	1 डी. पी. एण्ड टी,	,,
809.	3 डी. एच. पी.	,,
810.	1 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
811.	3 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
812.	4 डी. एच. पी.	,,
813.	1 जेड. एच. पी.	,,
814.	2 बी. एच. पी.	,,
815.	5 बी. एच. पी.	,,
816.	3 के. एच. पी.	,,
817.	15 एफ. I पी. एण्ड टी.	,,
818.	4 सी. एच. पी.	,,
819.	3 सी. एच. पी.	,,
820.	2 सी. एच. पी.	,,
821.	3 बी. एच. पी.	,,

1	1	3
822.	9 जेड. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
823.	7 जेड. एच. पी.	,,
824.	3 जेड. एच. पी.	,,
825.	1 एस. एल. एच. पी.	,,
826.	5 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
827.	8 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
828.	9 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
829.	7 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
830.	10 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
831.	4 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
832.	6 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
833.	4 ई. एच. पी.	,,
834.	2 ई. एच. पी.	,,
835.	6. ई. एच. पी.	,,
836.	3 ई. एच. पी.	,,
837.	10 जेड. एच. पी.	,,
838.	12 जेड. एच. पी.	,,
839.	13 जेड. एच. पी.	,,
840.	1 सी. एच. पी.	,,
841.	16 जेड. एच. पी.	,,
842.	18 जेट. एच. पी.	,,
843.	5 सी. एच. पी.	,,

1	2	3
844.	19 जेड. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
845.	23 जेड. एच. पी.	,,
846.	3 एम. एच. पी.	,,
847.	22 जेड. एच. पी.	,,
848.	20 ,,	,,
849.	17 ,,	,,
850.	15 ,,	,,
851.	8 ए. एच. पी.	,,
852.	6 ,,	,,
853.	5 ,,	,,
854.	4 ,,	,,
855.	3 एफ. एच. पी.	,,
856.	1 एफ. एच. पी.	,,
857.	4 एम. एल. एच. पी.	,,
858.	5 ई. एच. पी.	,,
859.	7 ई. एच. पी.	,,
860.	2 एम. एल. एच. पी.	,,
861.	3 एम. एल. एच. पी.	,,
862.	17 एम. एल. एच. पी.	,,
863.	12 एल. एम. एच. पी.	,,
864.	पार्थिखान एच. पी.	,,
865.	2 जी. II एच. पी.	,,

1	2	6
866.	2 जी. 1 एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
867.	7 ए. II एच. पी.	,,
868.	3 जी. एच. पी.	,,
869.	7 ए. I एच. पी.	,,
870.	9 ए. एच. पी.	,,
871.	10 ,,	,,
872.	1 एच. एच. पी.	,,
873.	3 ,,	,,
874.	4 ,,	,,
875.	6 ,,	,,
876.	14 जी. एच. पी.	,,
877.	13 ,,	,,
878.	12 ,,	,,
879.	10 ,,	,
880.	9 ,,	,,
881.	2 एच. II एच. पी.	,,
882.	8 जी. एच. पी.	,,
883.	7 ,,	,,
884.	6 जी. I एच. पी.	,,
885.	6 ,, II ,,	,,
886.	5 ,,	,,
887.	4 ,,	,,

1	2	3
888.	20 जी. जी. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
889.	1 जी. एच. पी.	,,
890.	2 एच. एच. I पी. एण्ड टी.	,,
891.	501 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
892.	3 एच. एच. एच. पी.	,,
893.	23 जी. जी. एच. पी.	,,
894.	27 ,,	,,
895.	36 I एच. पी.	,,
896.	34 ,,	,,
897.	30 जी. जी. पी. एण्ड टी.	,,
898.	10 एल. एल. एच. पी.	,,
899.	8 ,,	,,
900.	7 ,,	,,
901.	3 ,,	,,
902.	5 ,,	,,
903.	4 एच. एच. पी. एण्ड टी.	,,
904.	18 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
905.	21 एम. एल. एच. पी.	,,
906.	22 ,,	,,
907.	8 एच. एच. एच. पी.	,,
908.	1 बी. बी. एच. पी.	,,
909.	25 एम. एल. एच. पी.	,,

1	2	3
910.	24 एम. एल. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
911.	11 ,,	,,
912.	12 एच. एच. एच. पी.	,,
913.	23 एम. एच. पी.	,,
914.	चाक गणेशगढ़ पी. एण्ड टी.	,,
915.	9 डी. डी. एच. पी.	,,
916.	8 ,,	,,
917.	8 एन. एन. ए. एच. पी.	,,
918.	8 एन. एन. बी एच. पी.	,,
919.	5 एन. एन. ई. एक्स. टी.	,,
920.	4 एन. एन. पो. एण्ड टी.	,,
921.	3 एन. एन. एच. पी.	,,
922.	37 जी. जी. एच. पी.	,,
923.	2 एन. एन. एच. पी.	,,
924.	35 जी. जी. एच. पी.	,,
925.	33 ,,	,,
926.	1 सी. सी. एच. पी.	,,
927.	13 बी. बी. एच. पी.	,,
928.	11 जी. जी. एच. पी.	,,
929.	9 बी. बी. पी. एण्ड टी.	,,
930.	7 बी. बी. एच. पी.	,,
931.	6 ,,	,,

1	2	3
932.	1 बी. बी. एच. पी.	योजना सुचारु रूप से चालू है।
933.	3 ,,	,,
934.	2 ,,	,,
935.	3 के. के. एच. पी.	,,
936.	5 बी. बी. एच. पी.	,,
937.	12 ,,	,,
938.	15 ,,	,,
939.	14 ,,	,,
940.	16 ,,	,,
941.	3 सी. सी. एच. पी.	,,
942.	2 ,,	,,
943.	4 सी. सी. पी. एण्ड टी.	,,
944.	5 सी. सी. एच. पी.	,,
945.	6 ,,	,,
946.	7 ,,	,,
947.	20 बी. बी. III एच. पी.	,,
948.	6 एन. एन. एच. पी.	,,
949.	7 एन. एच. पी.	,,
950.	4 डी. डी. ई. एक्स. टी.	,,
951.	6 डी. डी. एच. पी.	,,
952.	7 ,,	,,
953.	1 बी. बी. ए. एच. पी.	,,

3̅7̅4̅

1	2	3
954.	4 बी. वी. ए. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है
955.	37 बी. बी. एच. पी.	,,
956.	1 एफ. एफ. वी. ए. ई. एक्स. टी	,,
957.	39 बी. वी. एच. पी.	,,
958.	38 ,,	,,
959.	36 ,,	,,
960.	37 ,,	,,
961.	5 बी. बी. ए. एच. पी.	,,
962.	32 बी. बी. एच. पी.	,,
963.	33 ,,	,,
964.	4 जे. जे. एच. पी.	,,
965.	31 बी. बी. एच. पी.	,,
966.	29 ,,	,,
967.	3 डी. डी. एच. पी.	,,
968.	26 बी. बी. एच. पी	,
969.	28 ,,	,,
970.	27 ,,	,,
971.	25 ,,	,,
972.	24 ,,	,,
973.	21 ,,	,,
974.	19 ,,	,,
975.	18 ,,	,,

1	2	3
976.	17 बी. बी. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है
977.	4 ई. ई. एच. पी.	,,
978.	7 के. के. एच. पी.	,,
979.	4 के. के. एच. पी.	,,
980.	2 ,,	,,
981.	1 ,,	,,
982.	36 एल. एन. पी. एच. पी.	,,
983.	सबोकीमोर एच. पी,	,,
984.	नरसिंहपुरा पी. एण्ड टी.	,,
985.	मन्जुवास पी. एण्ड टी.	,,
986.	2 पी. पी. पी. एण्ड टी.	,,
987.	11 ई. ई. ए. एच. पी.	,,
988.	5 ,,	,,
989.	6 ,,	,,
990.	8 ,,	,,
991.	4 आर. बी. एच. पी.	,,
992.	1 जे. जे. एच. पी,	,,
993.	6 आर. बी. पी. एण्ड टी.	,,
994.	7 आर. बी. ई. एक्स. टी.	,,
995.	8 आर. बी. एच. पी.	,,
996.	9 ,,	,,
997.	11 ,,	,,

1	2	3
998.	43 आर. बी. एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है।
999.	45 ,,	,,
1000.	44 ,,	,,
1001.	42 ,,	,,
1002.	41 ,,	,,
1003.	38 ,,	,,
1004.	32 आर. बी. एच. पी.	,,
1005.	3 आर. बी. एच. पी.	,,
1006.	2 आर. बी. एच. पी.	,,
1007.	1 ,,	,,
1008.	10 ई. ई. ए. एच. पी.	,,
1009.	2 ,,	,,
1010.	हतेपुरा एच. पी.	,,
1011.	51 एल. एन. पी. ई. एक्स. टी.	,,
1012.	बिज बाईला पी. एण्ड टी.	,,
1013.	31 आर. बी.-III एच. पी.	,,
1014.	36 आर. बी. ए. एच. पी.	,,
1015.	49 आर. बी. एच. पी.	,,
1016.	53 ,,	,,
1017.	2 पी. एस. एच. पी.	,,
1018.	1 पी. एस. एच. पी.	,,
1019.	32 आर. बी. पी. एण्ड टी.	,,

1	2	4
1020	31 आर. बो-II एच. पी.	योजना सुचारू रूप से चालू है
1021.	12 एम. एल. एच. पी.	,,
1022.	चाक चिठा एच. पी.	,,
1023.	56 एल. एन. पी. एच. पी.	
1024.	68 ,,	
1025.	67 ,,	,,
1026.	73 ,,	
1027.	77 ,,	,,
1028.	78 ,,	
1029.	81 ,,	,,
1030.	79 ,,	
1031.	69 ,,	,,
1032.	70 ,,	
1033.	66 ,,	,,
1034.	63 ,,	,,
1035.	57 ,,	,,
1036.	53 ,,	,,
1037.	55 ,,	,,
1038.	4 बी. एन. डब्ल्यू. पी. एण्ड टी.	
1039.	1 ,,	,,
1040.	9 के. आर. डब्ल्यू. ई. एक्स. टी.	,,
1041.	5 वी. एन. डब्ल्यू. ई. एक्स. टी.	,,
1042.	10 एम. डी. एस. टी. एस. एस.	,,

1	2	3
1043.	8 एस. डी. एस. ई. एक्स. टी.	योजना सुचारू रूप से चालू है
1044.	21 पी. टी. पी. ई. एक्स. टी.	,,
1045.	22 पी. टी. पी. पी. एण्ड टी.	,,
1046.	8 एल. एल. जी. ई. एण्ड टी.	,,
1047	34 के. एस. बड़ी एक्टैंशन	,,

जालोर जिले के चिकित्सीय संस्थानों में रिक्त पदों की पूर्ति

257. **श्री अर्जुन सिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले में चिकित्सीय संस्थानों में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स एवं नर्सेज के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं, और क्यों ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या सरकार नई नियुक्तियां कर के इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर कम्पाउंडर्स, एवं नर्सेज के पदों पर नियुक्तियां प्रदान किया जाना सम्भव होगा डाक्टडरों के रिक्त पदों को भरने के बाबत कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

जालौर जिले के चिकित्सा संस्थाओं में डाक्टर्स, कम्पाउडर्स एवं नर्सेज के रिक्त पदों की सूची :—

क. सं.	संस्थान का नाम	डाक्टर	सिस्टर	कम्पाउण्डर I—	कम्पाउण्डर II	स्टाफ नर्स	एल. एच. वी.	ए. एन. एम.
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1.	जनरल हॉस्पीटल, जालौर	5	2	1	4	7	—	—
2.	,, मालावाड़ा	—	—	—	1	—	—	—
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, आहोर	1	—	—	—	—	—	4
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, आई. सी. डी. एस.	—	—	—	—	—	1	3
5.	,, सांचौर	—	—	—	—	—	—	7
6.	,, बाडगांवा	1	1	—	1	—	—	2
7.	,, भांडोली	—	—	—	2	—	—	—
8.	,, सियाणा	2	—	—	—	—	—	1
9.	,, भीनमाल	1	1	—	2	1	—	—

379

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	,,	बादनवाडी	1	—	—	1	—	1	—
11.	,,	केशवाण II	1	—	—	2	—	1	1
12.	,,	गोदण	1	—	—	2	—	1	1
13.	राजकीय चिकि.	चांदराही	—	—	—	1	—	—	—
14.	,,	हरजी	—	—	—	1	—	—	—
15.	,,	क्षणसा	—	—	—	1	—	—	—
16.	,,	सरत	—	—	—	1	—	—	—
17.	,,	पाथडी	—	—	—	1	—	—	1
18.	,,	झाव	—	—	—	1	—	—	—
19.	,,	गंढाबालोदान	—	—	—	1	—	—	—
20.	,,	मण्डाला	—	—	—	1	—	—	—
21.	,,	जसवंतपुरा	—	—	—	1	—	—	—

1	2	3		4	5	6	7	8	9
22.	,,	दासपा	—	—	—	1	—	—	—
23.	,,	खोतड़ा	—	—	—	2	—	—	—
24.	,,	तरड़ा	—	—	—	1	—	—	1
25.	,,	चितलवाना	—	—	—	1	—	—	—
26.	,,	भदराजून	—	—	—	1	—	—	—
27.	,,	ढाणीवाड़ा	—	—	—	1	—	—	—
28.	,,	बाकरा	—	—	—	—	—	—	1
29.	,,	मवातडा	—	—	—	1	—	—	1
30.	,,	डूंगरी	—	—	—	—	—	—	1
31.	,,	पोषाणा	—	—	—	1	—	—	1
32.	एडपोस्ट	सेवड़ी	—	—	—	—	—	—	1
33.	,,	पापली	—	—	—	—	—	—	1
34.	,,	पोंग	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	,, अपग्रेड सब सेंटर, कागमाला	—	—	1	—	—	—	—
36.	,, सरणाऊ	—	—	1	—	—	—	—
37.	,, भवराणी	—	—	1	—	—	—	—
38.	,, धमण्डीय	—	—	1	—	—	—	—
39.	,, मोहनसिंह	—	—	1	—	—	—	—
40.	,, भूती	—	—	1	—	—	—	—
41.	,, रंगाला	—	—	1	—	—	—	—
42.	,, नगडवा	—	—	1	—	—	—	—
43.	,, डूंगरी	—	—	1	—	—	—	—
44.	,, सनाऊ	—	—	1	—	—	—	—
		13	3	11	32	8	4	27

ग्राम पंचायत मुखारा के भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत राशि व सामान का चार्ज नहीं देना

258. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, मुखरा पंचायत समिति, सेवर जिला भरतपुर के भूतपूर्व सरपंच, श्री हरिशंकर द्वारा पंचायत कोष की राशि व सामान चार्ज में नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में जिलाधीश, उप-जिलाधीश, तहसीलदार भरतपुर तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर को अनेक प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त भूतपूर्व सरपंच द्वारा इस प्रकार अनियमित तौर से पंचायत की राशि व सामान अपने पास रखने के आरोप में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश, भरतपुर द्वारा तहसीलदार, भरतपुर को पुलिस थाना सेवर में एम. आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 1-11-83 द्वारा जिलाधीशों को निर्देश दिए जा चुके है कि जिन भूतपूर्व सरपंचों ने नव-निर्वाचित सरपंचों को पंचायत का पूर्ण चार्ज नहीं दिया है उनके विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जावे एवं वर्तमान सरपंचों को चार्ज दिलवाया जावे व कानूनी कार्यवाही की जावे। तद्नुसार जिलाधीश, भरतपुर द्वारा तहसीलदार भरतपुर को एफ. आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।

कठूमर उप तहसील की क्रमोन्नति

259. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या जिला अलवर की कठूमर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(3) कठूमर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) उप तहसील की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रफल, जनसंख्या, गांवों की संख्या, गिरदावर सर्किलों पटवार मण्डलों की संख्या, की संख्या, सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र एवं भू राजस्व इत्यादि पर विचार किया जाकर किसी उपतहसील को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा दिया जाता है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां।

(3) मामला विचाराधीन है।

डाक्टर्स द्वारा निजी क्लिनिक्स पर उपचार

260. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रान्त में जहां-जहां मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी चिकित्सकों को, विशेषकर अपने-अपने विषय के विशेषज्ञों को निजी क्लिनिक में उपचार करने की छूट है ?

(2) क्या यह सही है कि जहां मेडिकल कालेज नहीं हैं, वहां भी निजी क्लिनिक्स में उपचार किया जाता है, जिस कारण आम जनता को अस्पताल में इलाज कराने में असुविधा होती है ? सरकार इस स्थिति पर कब तक प्रभावी नियन्त्रण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सेवाओं में कार्यरत समस्त चिकित्सकों द्वारा निजी क्लिनिक चलाना अथवा निजी क्लिनिक में उपचार करना प्रतिबंधित है।

ग्राम पंचायत सीलनवाद के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

261. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सीलनवाद, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर के उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 27-5-1985 को बैठक आयोजित की थी, और उस बैठक को स्थगित करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) किस की रिपोर्ट के आधार पर बैठक स्थगन का आदेश सरकार ने दिया था ? उक्त रिपोर्ट की पुष्टि किस आथोरिटी ने की कृपया रिपोर्ट की प्रति मय कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(3) इस प्रकार की बैठकों के स्थगित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रक्रिया बना रखी है, तथा किन परिस्थितियों में स्थगित की जा सकती है, और उनमें इस मामले में कौनसी स्थिति पैदा हुई ?

(4) क्या नियमानुसार इस प्रकार के प्रस्ताव पर एक माह के अन्दर बैठक बुलाकर निर्णित करना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस मामले में इसका पालन क्यों नहीं किया गया, और इसके लिए दोषी कौन है ? अब कब तक बैठक बुलाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत प्राप्त होने तथा जांच का विषय होने से उक्त बैठक स्थगित करने के आदेश दिये गये है।

(2) श्री जबर सिंह, उप सरपंच (कार्य-वाहक सरपंच) के आवेदन पत्र दिनांक 16-5-85 पर विचार कर राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम के नियम 15 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ उक्त बैठक स्थगित करने के आदेश दिये। आवेदन पत्र की प्रति-लिपि सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर राज्य सरकार निर्णय लेती है। इस मामले में प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर होने की शिकायत के कारण बैठक स्थगित करने का निर्णय लिया था।

(4) जी हां। प्रस्ताव प्राप्त होने पर बैठक की तिथि निर्धारित कर दी गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियम 15 (क) के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर निर्णय तक के लिये स्थगित कर दिया है। इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाकर बैठक बुलाने की कार्यवाही की जावेगी।

आवेदन पत्र की प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान पंचायत राज मन्त्री महोदय,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

मान्यवर,

निवेदन है कि मैं सिलनवाद ग्राम पचायत का उप सरपंच हूं। ग्राम पंचायत मिलनवाद के सरपंच श्री हनुमानाराम को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 19-4-85 को निलम्बित किया गया था। उसके पश्चात सरपंच द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर में निलम्बन आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी जो बाद में सुनवाई खारिज कर दी गयी। मैं दिनांक 9-5-85 से निरन्तर ग्राम पंचायत सिलनवाद, पंचायत समिति, लाडनू के सरपंच पद का कार्य कर रहा हूँ।

विधायक श्री हरजी राम बुरडक व निलम्बित सरपंच श्री हनुमानाराम जो कि लोकदल पार्टी से सम्बन्धित मेरे विरूद्ध उप जिला विकास अधिकारी नागौर के कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव रखा हैं जिस पर दिनांक 27-5-85 सोमवार को बैठक होगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर श्री हरजी राम विधायक ने मेरी पार्टी के वार्ड पंचों के फर्जी हस्ताक्षर करवाये है तथा अविश्वास प्रस्ताव भी नियमानुसार नहीं रखा गया है। श्री हरजी राम विधायक के कहे अनुसार वार्ड पंचों पर अविश्वास प्रस्ताव बैठक कि तामील नियमानुसार नहीं करवाई गई है।

इसके अतिरिक्त मुझे सरपंच का कार्य संभाले अभी 10 रोज ही नहीं हुए और मुझे केवल मात्र परेशान करने कि नियत से मेरे विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिलाधीश, नागौर को निर्देश दिलवायें की इस अविश्वास प्रस्ताव पर आपके आगामी आदेशों तक किस भी प्रकार का विचार नहीं किया जावें तथा अविश्वास प्रस्ताव कि मूल प्रति मंगाकर उसकी सत्यता की जांच करवाई जावें।

दिनांक 16-5-85

भवदीय

ह.

(जवर सिंह राठौड)

उप सरपंच

ग्राम पंचायत सिलनवाद तह. लाडनू

जिला---नागौर

राष्ट्रीयकृत सड़क मार्ग

262. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले पांच वर्षों में किस किस रूट को राष्ट्रीयकृत किया गया, तथा राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत कितने प्रतिशत रहा ? कृपया डिविजन वार सूची सदन के पटल पर रखे। अभी तक हुए राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत क्या है ? कृपया कुल राष्ट्रीयकृत मार्गों का विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) चालू वर्ष में सरकार की नये रूटों को राष्ट्रीयकृत करने की क्या योजना है ? भविष्य में किन-किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना है ?

(3) जिन मार्गों को निगम अपने हाथ में नहीं ले रही है, वहां पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए वाहन सुविधा के क्षेत्र में क्या सुधार करने का विचार है ?

उत्तर

(1) पिछले 5 वर्षों में जिन-जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है (अनुक्रमिका–1)।

उक्त वर्षों में राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत क्रमशः (35·71) वर्ष 1981 को कुल सड़क लम्बाई के आधार पर (33·24) वर्ष 1982 की कुल सड़क लम्बाई के आधार पर तथा (33·63) 1982 को कुल सड़क लम्बाई के आधार रहा। डिविजन वार राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर, रख दी गयी है (अनुक्रमिका–2)।

(2) दिनांक 30-6-85 तक हुये राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत वर्ष 1982 की कुल सड़क लम्बाई के आधार पर 35·76 प्रतिशत है। अब तक हुये राष्ट्रीयकृत मार्गों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (अनुक्रमिका–3)।

(3) राष्ट्रीयकरण की निम्न-निम्न योजनायें विचाराधीन है :

1—दौसा—सवाईमाधोपुर, दौसा–गंगापुर

2—कोटा–सांगोद वाया कैथून–देवली–रूपाहेड़ी, कोटा–सांगोद वाया कैथून–देवली–दूधियाखेडा–कनवास।

भविष्य में जिन-जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (अनुक्रमिका-4)।

मार्गों पर वाहनों और ट्रिपों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

388

अनुक्रमिका

राज्य सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में राष्ट्रीयकरण किये गये मार्गों की सूची

वर्ष	राष्ट्रीयकृत मार्ग
1	2
1980–81	1. चौमू–चन्दवाजी वाया मोरीजा
	2. गंगा नगर–करणपुर वाया जैड माइनर
	3. गंगानगर–करणपुर वाया मिर्जा वाली
	4. गंगानगर–केसरीसिंहपुर वाया करणपुर
	5. जयपुर लायला वाया कानोता
	6. कोटा–कोटाडैम, कोटा–बुढादीत
	7. कोटा–कोटडा दीपसिंह
	8. कोटा–रावतभाटा
	9. कोटा–खातौली, कोटा–इटावा
	10. कोटा–रंगपुर
1981–82	1. फलौदी–पोकरण, फलौदी–शिव
1982–83	शून्य
1983–84	1. उदयपुर–कोडला
	2. बहरोड़–शाहजहांपुर, बहरोड़–गुगलकोट
	3. शाहजहांपुर–रा० सीमा
	4. बहरोड़–बानसूर
	5. बहरोड़–माण्डन
	6. बहरोड़–भगवाडी
	7. कोटपूतली–रायपुर, कोटपूतली–नारायणपुर
	8. शाहजहांपुर–नारायणपुर
1984–85	शून्य

डिविजनवार राष्ट्रीयकृत कि. मी. एवं राष्ट्रीयकरण के प्रतिशत का विवरण

क. सं.	डिविजन का नाम	डिविजन के अन्तर्गत जिले	राष्ट्रीयकृत कि. मी.	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	जयपुर	1502	
		सीकर	631	
		झुन्झुनु	327	
		अलवर	1138	
		भरतपुर	516	
		धौलपुर		
		अजमेर	765	
		टोंक	354	
		स. माधोपुर	273	
			5506	51·00
2.	कोटा	कोटा	756	
		झालावाड	684	
		बून्दी	300	
			1740	54·71
3.	उदयपुर	उदयपुर	939	
		चित्तौड़गढ	439	
		डूंगरपुर	423	
		भीलवाडा	461	
		बांसवाडा	466	
			2728	9·84

(390)

1	2	3	4	5
4.	बीकानेर	बीकानेर	643	
		गंगानगर	1054	
		चुरू	690	
			2387	42·90
5.	जोधपुर	जोधपुर	867	
		पाली	438	
		सिरोही	316	
		बाडमेर	611	
		नागौर	78	
		जैसलमेर	235	
		जालौर	470	
			3724	23·16

नोट:—

1. कुल राष्ट्रीयकृत कि. मी. 16085

2. 1982 की सड़क लम्बाई के आधार पर राष्ट्रीयकरण का प्रतिशत 35·76

दिनांक 30-6-85 तक राष्ट्रीयकृत किये गये मार्गों की सूची

क्रम संख्या	राष्ट्रीयकृत योजना/मार्ग का नाम
1	2
1.	जयपुर–अजमेर वाया दूदू, किशनगढ़
2.	जयपुर–अलवर वाया शाहपुरा
3.	जयपुर–भरतपुर वाया दौसा, महुआ
4.	अजमेर–कोटा वाया नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, बून्दी
5.	आबू रोड़–देलवाड़ा वाया माउण्ट आबू
6.	आबू रोड़–पालरी–अनादरा
7.	जयपुर–टोंक–देवली–कोटा
8.	अलवर–दिल्ली
9.	जोधपुर–बिलाड़ा–ब्यावर–अजमेर
10.	जोधपुर–सुमेरपुर
11.	जोधपुर–पाली–सोजत–बर–ब्यावर
12.	कोटा–झालावाड़–इकलेरा
13.	रायसिंहनगर–पदमपुर गंगानगर–पदमपुर
14.	जयपुर–सैंथल वाया दौसा
15.	जयपुर–लवाण वाया बस्सी
16.	अलवर–नारायणपुर वाया कुशलगढ़
17.	अलवर–प्रतापगढ़ वाया थानागाजी
18.	जयपुर–बस्सी–तूंगा
19.	दौसा–अलवर–बोरून्दा, टहला, सिरसका
20.	कोटा–इकलेरा वाया दरा, सांगोद, खानपुर, अरनिया
21.	कोटा–झालरापाटन–पिड़ावा

1	2
22.	कोटा–सांगोद वाया दरा, खानपुर
23.	कोटा–बकानी वाया दरा, झालावाड़, तीनधार
24.	खानपुर–झालावाड़ रोड़
25.	झालावाड़–दुधालिया वाया डग
26.	झालावाड़–मनोहरथाना वाया पाटन–इकलेरा
27.	झालावाड़–पिड़ावा वाया सोजत
28.	बांरा–पाटन वाया झालावाड़
29.	झालावाड़–झालावाड़ रोड़
30.	भवानीमण्डी–इकलेरा वाया झालावाड़
31.	रामगंजमण्डी–सरोला वाया झालावाड़
32.	रामगंजमण्डी–सारदुर
33.	रामगंजमण्डी–बकानी वाया तीनधार
34.	पचपहाड़–इकलेरा वाया पाटन
35.	बीकानेर–जैसलमेर वाया नाल, बाप, फलोदी, रामदेवरा, पोकरण, लाठी, बीकानेर–कोलायत वाया नाल, बीकानेर–पोकरण, बीकानेर–फलोदी, बीकानेर–कोडमदेसर, बीकानेर–गजनेर
36.	पचपहाड़–झालावाड़ वाया पाटन
37.	दहीखेड़ा–अकलेरा वाया अरनिया
38.	बीकानेर–चुरू वाया डूंगरगढ़, रतनगढ़
39.	रतनगढ़–रावतसर वाया सरदारशहर, सरदारशहर–रावतसर
40.	गंगानगर–बीकानेर वाया सूरतगढ़, महाजन, लूणकरणसर, बीकानेर–सूरतगढ़, गंगानगर–सूरतगढ़, गंगानगर–जोड़किया, लूणकरणसर–सूरतगढ़

1	2
41.	उदयपुर–टोडी–प्रसाद–रिखबदेव, उदयपुर–प्रसाद–खेरवाड़ा–डूंगरपुर, उदयपुर–खेडवाड़ा–रतनपुर–डूंगरपुर–रतनपुर
42.	पिलानी–भादरा वाया राजगढ़, तारानगर, राजगढ़–साहवा वाया तारानगर, राजगढ़–पिलानी वाया हरपालू, तारानगर–भादरा वाया साहवा, तारानगर–राजगढ़, साहवा–भादरा
43.	टोंक–सवाई माधोपुर–खटकड़–उनियारा–अलीगढ़ टोंक–अलीगढ़ वाया खटकड़
44.	रावतसर–भादरा वाया नोहर, रावतसर–नोहर, नोहर–भादरा
45.	जोधपुर–बाड़मेर वाया कल्याणपुर जोधपुर–बालोतरा वाया कल्याणपुर जोधपुर–कल्याणपुर बालोतरा–बाड़मेर वाया सिन्दरी जोधपुर–जैसलमेर वाया ढेचू, पोकरण जैसलमेर–पोकरण वाया लाठी जोधपुर–फलौदी वाया ढेचू जोधपुर–जालौर वाया रोहित आहोर–जालौर
46.	उदयपुर–ब्यावर वाया नाथद्वारा, कांकरोली, देवगढ़, आमलोघाट, भीम, उदयपुर–भीम उदयपुर–कांकरोली उदयपुर–नाथद्वारा

1	2
	उदयपुर—आमलीघाट
	उदयपुर—भीलवाड़ा वाया कांकरोली, गंगापुर
	भीलवाड़ा—गंगापुर
	भीलवाड़ा—पुर
	भीलवाड़ा—गुढ़ला
	भीलवाड़ा—कांकरोली
	गंगापुर—कांकरोली
	उदयपुर—कैलाशपुरी
	उदयपुर—गोमती
	नाथद्वारा—गोमती
	गोमती—भीम
	दूवगढ़—भीम
	भीम—ब्यावर
	ब्यावर—सैंगवा
47.	राजगढ़—चुरू वाया दूदवा
48.	जयपुर—ब्यावर वाया सांगानेर, डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, मसूदा
	जयपुर—सांगानेर
	जयपुर—केकड़ी
	जयपुर—रेनवाल
	जयपुर—फागी
	जयपुर—निमेड़ा
	डिग्गी—मालपुरा
	जयपुर—मालपुरा
	मालपुरा—केकड़ी
	केकड़ी—नागोला

1	2
	मसूदा—ब्यावर
	केकड़ी—ब्यावर
49.	बीकानेर—अनुपगढ़ वाया छतरगढ़, धड़साना
	बीकानेर—छतरगढ़
	धड़साना—अनुपगढ़
50.	जोधपुर—फलोदी वाया मन्डोर, ओसिया, लोहावट
	जोधपुर—ओसिया वाया मन्डोर
	जोधपुर—लोहावट वाया मन्डोर
51.	नागोर—फलौदी वाया चिरानी
52.	बाडमेर—जैसलमेर वाया चिरानी
	बाड़मेर—गोगंदा वाया शिव
	बाडमेर—चोहटन
	बाड़मेर—गदरा रोड
53.	नाकोडा—जालौर वाया बालोतरा. शिवाना
	नाकोडा—सिवाना दाया वालोतरा
	नाकोड—मोकलसर
	जालौर—बैलीवाड़ा
	जालौर—किशनगढ़
54.	सिरोही—अनादरा—मन्डार
	सिरोही—अनादरा—रेवदर
	सिरोही—कालीन्दरी—रामसीन
	सिरोही रोड—सिरोही—रामसीन
	सिरोही—वलोट
	सिरोही—कालन्दरी
	पालना—साण्डेराव— तखतगढ़—जालौर

1	2
	पालना—सान्डेराव,
	फालना—खतगढ़
	ऐरनपुरा—सुमेरपुर—तख्तगढ़—जालौर
	ऐरनपूरा—जोधपुर—नागौर
	नागोर—नोखा
	नाकोडा—बीकानेर
	जोधपुर—नाकोडा
	ऐरनपुर—तख्तगढ़
	जोधपुर—बीकानेर
	जोधपुर—कालीन्दरी
55.	मन्डार—बाड़मेर
	रानीवाड़ा—बाडमेर
	मन्डार—जालोर
	सांचोर—बाड़मेर
	सांचोर—गांधव
	बाड़मेर—धोरीमना
	जालौर—साँचोर
	जालौर—भीनमाल
	बाड़मेर—जालौर
56.	जयपुर—पिलानी वाया चौमू, सीकर, नवलगढ़, झुन्झुनु, चिड़ावा
	चिड़ावा—खेतड़ी वाया सिंघाना
	झुन्झुनु—चिड़ावा, खेतड़ी
	पिलानी—खेतड़ी वाया चिड़ावा
	झुन्झुनु—सीकर वाया नवलगढ़
	झुन्झुनु—पिलानी वाया चिड़ावा
	जयपुर—चौमू

1	2
	जयपुर—रींगस
	जयपुर—सीकर
	नवलगढ़—झुन्झुनु
	नवलगढ़—मुकुन्दगढ़
	मुकुन्दगढ़—झुन्झुनु
	मुकुन्दगढ़—पिलानी
57.	जयपुर—पदमपुरा वाया शिवदासपुरा
58.	जयपुर—वाटिका वाया सांगानेर
59.	जयपुर—गोनेर
60.	जयपुर—कोटखावदा वाया साँगानेर
61.	जयपुर, विचून वाया महला
62.	जयपुर—सांभर वाया दूदू
63.	जयपुर—जोबनेर वाया महला
64.	जयपुर—प्रतापगढ़ वाया अचरोल
65.	जयपुर—आमेर
66.	जयपुर—बीकानेर वाया चौमू, सीकर, सालासर, नोखा
	बीकानेर—सालासर वाया नोखा
	सुजानगढ़—छापर—बीवासर
	सुजानगढ़—छापर
	सालासर—सीकर
67.	जयपुर—बीकानेर वाया सीकर, रतनगढ़, डूंगरगढ़
	जयपुर—फतेहपुर वाया चौमू, सीकर
	सीकर—फतेहपुर

1	2
	सीकर—रतनगढ़
	बीकानेर—डूंगरगढ़
	बीकानेर—रतनगढ़
68.	भरतपुर—वल्लभगढ़ वाया भुसावर
69.	भरतपुर—नदबई वाया सेवर
70.	बून्दी—केशोरायपाटन वाया तलवास
	केशोरायपाटन—तलवास
71.	अलवर—तिराया—नगर, डीग—भरतपुर
	अलवर—तिराया—जालूकी—गोविन्दगढ़
	अलवर—डीग—नगर
	अलवर—तिराया—जालूकी—लक्ष्मणगढ़
	नगर—डीग—भरतपुर
	अलवर—तिराया—लक्ष्मणगढ़—खेड़ली
	भरतपुर—डीग—कामा—पहाड़ी
	किशनगढ़—परबतसर
72.	शाहपुरा—शाहजहांपुर वाया कोटपूतली, बहरोड़
	शाहपुरा—कोटपूतली
	शाहपुरा—बहरोड़ वाया पावटा
	कोटपूतली—बहरोड वाया पावटा
	कोटपूतली—बहरोड
	बहरोड—शाहजहांपुर
73.	शाहपुरा—खेतड़ी वाया अजितगढ़—कांवट, नीम का थाना
	कांवट—नीमका थाना
	कांवट—नीम का थाना

1	2
	शाहपुरा—कांवट वाया अजितगढ़
	नीम का थाना—खेतड़ी वाया बबई
	शाहपुरा—नीम का थाना
74.	डूंगरपुर—गलियाकोट वाया सांगवाड़ा
	डूंगरपुर—बांसवाड़ा
	बांसवाड़ा—गलियाकोट वाया गढ़ी
	सागवाड़ा—बांसवाड़ा वाया गढ़ी
75.	उदयपुर—फालना वाया नाथद्वारा, चारभुजा, देसूरी, सादड़ी
	नाथद्वारा—फालना वाया गोमती, देसूरी, कांकरोली, चारभुजा
	देसूरी—फालना वाया सादरी
	उदयपुर—फालना वाया गोगून्दा, रणकपुर
	उदयपुर—इसवाल
	उदयपुर—गोगून्दा
	उदयपुर—सायरा
	सादडी—फालना
	रणकपुर—फालना वाया सादड़ी
76.	बालोतरा सिवाना वाया आसतरा
77.	जयपुर—कैलादेवी वाया महुवा, हिण्डौन
	महुवा—करोली वाया हिण्डौन
	महुवा—कैलादेवी वागा हिण्डौन, करोली
	हिण्डोन—करोली
	जयपुर—बयाना वाया महुआ, छोकरवाड़ा, भुसावर, वैर
78.	टोंक—डिग्गी वाया सोयला, झराना
79.	भीलवाड़ा—बून्दी वाया बिगोद, लाडपुरा
	भीलबाड़ा—बिजोलिया वाया विगोद, लाडपुरा

1	2
80.	भीलवाड़ा—माण्डलगढ़ माण्डलगढ़—बून्दी भीलवाड़ा—कोटड़ी वाया सिवाना बून्दी—इन्दरगढ़ वाया खटकड़, गेनोली, बून्दी—लाखेरी वाया खटकड़, गेनोली बून्दी—नेनवा—खटकड़—लुहारपुरा
81.	रींगस—झून्झुनु वाया श्रीमाधोपुर—खन्डेला, उदयपुरवाटी रींगस—उदयपुरवाटी खण्डेला उदयपुरवाटी—झुन्झुनु बड़ा गांव—झुन्झुनु रींगस—खेतड़ी वाया मेहरोली, कांवट रींगस—नीम का थाना
82.	अजमेर—उदयपुर वाया बन्दनवाड़ा भीलवाड़ा—चित्तौड़गढ़—मान्डलगढ़ अजमेर—विजयनगर वाया बन्दनवाड़ा अजमेर—भिनाय वाया बन्दनवाड़ा विजयनगर—भीलवाड़ा भीलवाड़ा—उदयपुर वाया चितौड़गढ़, माण्डलगढ़
83.	अजमेर—भीलवाड़ा वाया बन्दनवाड़ा भीलवाड़ा—चित्तौड़गढ़ वाया गंगरार, मंगलवाड़, उदयपुर चित्तौड़गढ़—उदयपुर वाया मंगलवाड़ भीलवाड़ा—शाहपुरा चौराहा थानागाजी—दौसा वाया प्रतापगढ़
83.	जयपुर—जमुवारामगढ़ वाया दौसा जयपुर—बोरून्दा

1	2
	जयपुर—आंधी
85.	उदयपुर—बून्दी वाया मावली, कपासन, चितोडगढ़, माण्डलगढ़, बिजोलिया
	उदयपुर—चित्तौड़गढ़ वाया मावली
	चित्तौड़गढ़—बून्दी वाया माण्डलगढ़
	चितौड़गढ़—कपासन
	भोपालसागर—मावली
	कासन—उदयपुर
	फतेहनगर—भोपालसागर
	उदयपुर—सनवर
	उदयपुर—राशमी वाया मावली
	चित्तौड़गढ़—राशमी वाया कपासन
	मावली—नाथद्वारा
	भोपालसागर—नाथद्वारा
	फतेहनगर—नाथद्वारा
	चितौड़गढ़—बल्लभनगर
86.	कोटा—कस्बा थाना वाया बांरा
	कोटा—अन्ता
	कोटा—बांरा
	बांरा—शाहबाद
	बांरा—नाहर ग
	शाहबाद—कस्बाथाना
87.	पदमपुर—महसिंहपुर
	पदमपुर—करणपुर
	रायसिंहनगर—अनूपगढ़
	हनुमानगढ़—सूरतगढ़

1	2
	सी. सी. हैड—लखूवाली
	जोड़किया—पीलीबंगा;
	सी. सी. हैड—पक्का सारना
88.	उदयपुर—कुशलगढ़ वाया सलूम्बर, बांसवाड़ा, कालिंजरा
	उदयपुर—सलूम्बर वाया जयसमन्द
	उदयपुर—बांसवाड़ा वाया जयसमन्द
	सलूम्बर—आसपुर
	उदयपुर—अमरापुरा
	सलूम्बर—बांसवाड़ा वाया आसपुर
	बांसवाड़ा—कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़,
	आसपुर—बाँसवाड़ा
	बांसवाड़ा—भीलकुआ
	बांसवाड़ा—कुशलगढ़ वाया अन्देश्वर
89.	सरदारशहर—झुन्झुनु वाया चुरू, बिसाउ
	सरदारशहर—चुरू वाया बनतेरी, वालेरी, चुरू
	चुरू—झुन्झुनु वाया बिसाउ
90.	रतनगढ़—डीडवाना वाया छापर, लाडनू
	रतनगढ़—सुजानगढ़ वाया छापर
	सुजानगढ़—लाडनू वाया जसवन्तगढ़
	लाडनू—डीडवाना वाया समता
	छापर—लाडनू
91.	सरदारशहर—तारानगर वाया वालूरी
	सरदारशहर—वालूरी
	वालुरी—तारानगर

1	2
92.	डूंगरगढ़—सरदारशहर वाया मुमासर
93.	बालोतरा—बाड़मेर वाया बायतू
94.	नाथद्वारा—केलवाड़ा वाया चारभुजा, भिदोद, माजेरा
95.	सिरोही—जालौर वाया सियाना
96.	खेड़ली—हिण्डोन वाया फालूदा, छोकरवाडा, भूसावर, वल्लभगढ़
97.	फलोदी—फाटो शेरगढ़ वाया खिरजू, टीना
98.	नीम का थाना—कोटपूतली वाया पटेरी, नरेदा सीकर—नीम का थाना वाया पीपरोली, रघुनाथगढ़
99.	अजमेर—मकराना वाया लाहागल, अरड़का, पर्वतसर, नांवा अजमेर—नागोर वाया भैरून्दा, मेड़ता
100.	जयपुर—नागोर वाया महला, जोबनेर, सांभर, नांवा, कुचामनसिटी, डीडवाना जयपुर—नागोर वाया महला, मोखमपुरा, बिचून, सांभर, नांवा, डीडवाना नांवा—डीडवाना वाया कुचामनसिटी जयपुर—डीडवाना, वाया महला, जोबनेर नांवा—नागोर वाया कुचामनसिटी नागोर—सीकर वाया डीड़वाना. लोसल डीडवाना—सीकर वाया लोसल, खुर्द
101.	अजमेर—डिग्गी वाया मालपुरा किशनगढ़—मालपुरा मालपुरा—टोडारायसिंह
102.	जयपुर—डीगवा–रामगढ़–सेथल–डीग–बाज

1	2
	भरतपुर—खेडली वाया कुम्हेर, पहाड़ी, नदबई वाया नगर
103.	पहाड़ी—कठूमर वाया सीकर, नगर तासई
104.	चूरू—फतेहपुर वाया रामगढ़, देवास
105.	जोधपुर—पीहाड़सिटी वाया दातीवाड़ा
	बिलाड़ा—मेड़तासिटी वाया खेजरोली, भैरुन्दा
	बिलाड़ा—पीपाड़सिटी वाया खेजरोली
106.	अलवर—तिजारा-भिवाड़ी वाया बहादुर, किशनगढ़, पालड़िया ततारपुर
	अलवर—जयपुर वाया मालाखेडा, राजगढ़
	अलवर—बहरोड वाया जिन्दोली, ततारपुर
107.	अलवर—रेनी वाया मालाखेड़ा, राजगढ़
	अलवर—प्रतापगढ़ वाया मालाखेड़ा
	राजगढ़—लक्ष्मणगढ़ वाया मालाखेड़ा
108.	खेरथल—कोटकासिम वाया किशनगढ़वास
	किशनगढ़—कोटकासिम वाया बीबीरानी
	कोटकासिम—चिलसड़ी (रा. बोर्डर)
	तिजारा—नीमली-राजस्थान बोर्डर
	खैरथल—सोडावास वाया हरसोली
	खैरथल—बानसूर-करतारपुरा, हमीरगढ़
	बानसूर—रामपुर, इस्माईलपुर
	खैरथल—इस्माईलपुर
109.	अलवर—खैरथल वाया चिकानी
	कोटपूतली—अलवर वाया बानसूर
	बानसूर—डाबला वाया कोटपूतली

1	2
110.	डग—पिड़ावा वाया नादपुर, कोटा, डग. चोमेहला
	भवानीमण्डी—पिड़ावा
111.	इकलेरा—सालपुरा वाया छपावरोड
	इकलेरा—मनोहरथाना वाया अरनोदा
112.	सिन्धरीगंधा वाया गुढा, रामजीगोल
	सोयत—विलाड़ा
	जेतारण—मेड़ता
113.	अनूपगढ़—सूरतगढ़ वाया जैतसर
114.	बारां—अटरू
	बारां—खातोली वायां मांगरोल
115.	बीकानेर—सँथल वाया नपासर
	बीकानेर—नपासर
	बीकानेर—खाजूवाला वाया पूंगल
116.	डूंगरपुर—आसपुर वाया गणेशपुर
	डूंगरपुर—आसपुर वाया वनखोड़ा
	डूंगरपूर—निठवा
	आसपुर—सागवाड़ा वाया कुंजपुर
117.	चौमू—चन्दवाजी
118.	कोटा—कोटाडेम
	कोटा—गुढ़ादीप वाया बिगोद
	कोटा—कोटराद्वीपसिंह
119.	गंगानगर—करणपुर वाया जैड माईनर
	गंगानगर—करणपुर वाया मिर्जावाला
	गंगानगर—कैसरीसिंहपुर

1	2
120.	जयपुर—नायला वाया कानोता
121.	कोटा—रंणपुर वाया कोटा रेल्वे स्टेशन
122.	कोटा—रावतभाटा वाया शिवपुरी
	कोटा—खातोली वाया तमारपुर
	कोटा—इटावा वाया तमारपुर
123.	फलसून्द—पोकरण
	फलसून्द—शिव
124.	कोटपूतली—रायपुर
	कोटपूतली—नारायणपुर
	शाहपुरा—नारायणपुर
125.	बहरोड—शाहजहांपूर
	बहरोड—गुगलकोट
	शहाजहांपुर—राजस्थान सीमा
	बहरोड—बानसूर
	बहरोड—माडना (राज. सीमा)
	बहरोड—भगवाड़ी
126.	उदयपुर—कोटा वाया नाई, अन्दरी, बीछीवाड़ा, फलासिया, सोप
127.	डूंगरपुर—मेवाड़ा
	पीठ—गलियाकोट
	सिमलवाड़ा—माण्डली
128.	अलवर—महावीरजी
	हिण्डोन—महावीरजी
	हिण्डौन—गंगापुर
	गंगापुर—कैलादेवी
	टोडाभीम—बयाना

1	2
	हिण्डौन—सिकन्दरा
	हिण्डौन—कोटड़ी
	गंगापुर—सिकन्दरा
129.	ढिगाल—मण्डावा
	मुकुन्दगढ़—मण्डावा
130.	भरतपुर—हिण्डौन
	भरतपुर—बयाना
131.	अजमेर—रामसर
	अजमेर—मेड़ता सिटी
132.	उदयपुर—बड़ी सादरी
	चितौड़गढ़—बड़ी सादरी
	चितौड़गढ़—छोटी सादरी
	उदयपुर—फतेहनगर
133.	आमेट—कांकरोली
	आमेट—चारभुजा
134.	अजमेर—सीकर
	अजमेर—डबरेला
	अजमेर—पीसागंन वाया मांगलियावास
	अजमेर—पीसागंन वाया पुष्कर
	अजमेर—पुष्कर
	मकराना—कुचामनसिटी।
135.	डूंगरपुर—पीठ
136.	बांसवाड़ा—दानपुर
187.	दूदू—मालपुरा

अनुक्रमिका–4

राज्य सरकार द्वारा भविष्य में राष्ट्रीयकरण किये
जाने वाले मार्गों की योजना

1	2
1.	ब्यावर–भीलवाड़ा भीलवाड़ा–देवली
2.	ब्यावर–विजयनगर, ब्यावर–बराखान, आसिन्द–विजयनगर, आसिन्द–बालपुरा
3.	चौमू–रेनवाल
4.	उदयपुर–केलवाड़ा, उदयपुर–नाथद्वारा
5.	देवगढ़–भीलवाड़ा, देवगढ़–गंगापुर, गंगापुर–रायपुर
6.	भीम–देवगढ़, देवगढ़–भीम, भीम–टाडगढ़, भीम–बदनोर
7.	जयपुर–दातारामगढ़, जयपुर–हिंगोनिया, हिंगोनिया–जोबनेर
8.	विजयनगर–शाहपुरा वाया देवली विजयनगर–शाहपुरा वाया गुलाबपुरा
9.	प्रतापगढ़–जालन्धर खेडा (राज. सीमा) प्रतापगढ़–अरनोद, प्रतापगढ़–राजपुरिया (राज. सीमा)
10.	मावली–भटेवर, मंगलवाड़ा, निम्बाहेड़ा
11.	धरियावद–सलूम्बर
12.	बांसवाडा–नरवाली. बांसवाडा–धरियावद, प्रतापगढ़–धरियावद, बांसवाड़ा–प्रतापगढ़, बांसवाडा–बांसी, धरियावद–बाँसी
13.	चितौडगढ़–प्रतापगढ़, प्रतापगढ़–बांसवाडा

उदयपुर जिले के आयुर्वेद औषधालय

263. श्री थान सिंह मीणा (सलूम्बर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1984-85 में कितने आयुर्वेद औषधालय खोले गये ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में कितने वैद्यों की नियुक्ति की गई है व कहां पर नियुक्ति नहीं की गई है ? कृपया औषधालयवार सूची सदन पटल पर रखें।

(3) सरकार इन औषधालयों में कब वैद्य व कम्पाउण्डरों की नियुक्ति कर देगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जावेगी।

उदयपुर जिले में वर्ष 1984-85 में स्वीकृत नवीन आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची :—

(अ) उन औषधालयों के नाम जहां पर आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित किए हुए हैं :—

क्र. सं.	नाम औषधालय
1	2
1.	भोर
2.	दूदालिया
3.	वांसड़ा
4.	छापली
5.	ईसवाल
6.	नेगडिया

1	2
7.	बलिचा
8.	जोगीवड़

(ब) उन औषधालयों के नाम जहां आयुर्वेद चिकित्सक के पद रिक्त हैं :—

9.	ऊनवास
10.	गनेर
11.	साँगट
12.	कठोर
13.	पानेर
14.	पीपली डोडियान
15.	रावलिया खुर्द
16.	गोदाजी
17.	अड़ीन्दा
18.	गजावड़ा
19.	खारताना
20.	लदानी
21.	सरू
22.	खैरवाड़ा
23.	सराड़ा
24.	झाड़ोल
25.	कालीवास
26.	जावर माईन्स
27.	सरोपाल
28.	बड़ावली

1	2
29.	मादड़ो
30.	कन्तोड़ा
31.	टोडा
32.	सागवाड़ा

स्वरोजगार योजना की उपलब्धि

264. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)

श्री अश्क अली (फतेहपुर)

डा. उर्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1983-84 तथा 31 मार्च, 1985 तक स्वरोजगार योजना के तहत कितने लोगों को ऋण दिये गये ? कृपया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त योजना की उपलब्धियों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये अलग से प्रतिशत तय किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या सरकार भविष्य में इस योजना का सरलीकरण कर अधिक युवकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में स्वरोजगार योजनान्तर्गत 15,054 युवकों को ऋण की स्वीकृति एवं 11,436 युवकों को ऋण वितरित किया गया । वर्ष 1984-85 में 31 मार्च, 1985 तक 15,382 को ऋण स्वीकृत एवं 9,658 को ऋण वितरित किया गया । जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति के लिये राज्य सरकार द्वारा 16% आरक्षण रखा गया था । अनुसूचित जन जाति के लिये अलग से आरक्षण नहीं रखा गया ।

(3) स्वरोजगार योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है अतः योजना का सरलीकरण भारत सरकार के निर्देशों पर निर्भर करता है । राज्य सरकार द्वारा योजना का केवल क्रियान्वयन किया जाता है ।

(412)

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बेरोजगार शिक्षित युवकों की सूचना।

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1983-84		वर्ष 1984-85	
		ऋण स्वीकृत युवकों की संख्या	ऋण वितरित युवकों की संख्या	ऋण स्वीकृत युवकों की संख्या	ऋण वितरित युवकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	2053	1498	2175	1315
2.	अजमेर	844	552	1009	650
3.	अलवर	750	553	1013	699
4.	भीलवाड़ा	863	555	640	405
5.	जोधपुर	431	355	871	685
6.	पाली	615	480	343	129
7.	कोटा	1096	910	1025	504
8.	उदयपुर	753	641	1222	680
9.	नागौर	373	373	474	356
10.	बांसवाड़ा	427	279	300	218
11.	सीकर	502	433	303	115
12.	चित्तोड़गढ़	464	449	414	260
13.	भरतपुर	448	359	609	221
14.	बीकानेर	655	393	620	481
15.	गंगानगर	610	551	952	810
16.	स. माधोपुर	602	407	507	243

1	2	3	4	5	6
17.	झुन्झुनू	617	478	415	287
18.	टोंक	453	348	253	201
19.	बाड़मेर	248	172	255	100
20.	जैसलमेर	144	112	110	34
21.	डूंगरपुर	360	246	261	211
22.	जालौर	244	177	149	42
23.	सिरोही	311	216	268	145
24.	झालावाड़	329	226	281	156
25.	चूरू	378	309	413	305
26.	बून्दी	337	217	346	302
27.	धौलपुर	200	147	154	104
	योग:—	15054	11436	15382	9658

कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों से कृषकों को प्रोत्साहन

265. श्री अश्क अली (फतेहपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर में कृषि की पैदावार कम है ? यदि हां, तो उन क्षेत्रों के कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों के कृषकों को किसी प्रकार का अनुदान देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां फतेहपुर क्षेत्र जिला सीकर में कृषि की पैदावार कम है।

फतेहपुर क्षेत्र पूर्णतया रेगिस्तानी है व इस क्षेत्र की उपजाउ क्षमता भी कम है। कुल फसल का 0.87 प्रतिशत ही सिंचित है अतः खेती वर्षा पर निर्भर करती है जो कि औसतन लगभग 300 मि. मि. है। इस क्षेत्र में कृषि की पैदावार बारानी, शुष्क खेती की तकनिकी बढ़ाने का प्रयास किये जा रहे हैं :—

(1) फतेहपुर पंचायत समिति को कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत किसानों को नियमित रूप से बारानी खेती व अन्य उत्पादन तकनीकी जैसे-शीघ्र व अधिक उपज देने वाली बीजों के किस्मों की जानकारी, पौधों की उचित संख्या, बुहाई के पूर्व खड़ी फसल में उर्वरक का उपयोग, पौध संरक्षण-कीट व व्याधि नियन्त्रण, उन्नत कृषि यन्त्रों का उपयोग, नमी संचय आदि की तकनिकी जानकारी नियमित रूप से किसानों तक पहुंचाई जावेगी।

(2) बारानी (शुष्क खेती) की विधियों का प्रचारित करने के लिए वृहत शुष्क खेती प्रदर्शन का आयोजन।

(3) लघु व सीमान्त किसानों को प्राथमिकता देते हुए तिलहन व दलहन के उन्नत किस्म के बीजों का निशुल्क मिनिकिट वितरण।

(4) प्रदर्शन के लिए चयनित लघु या सीमान्त कृषकों को मेसिव मिनिकिट 0.2 हैक्टर का वितरण।

कृषकों को कृषि आदान या उपकरण पर क्षेत्र विशेष के लिए कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

भारत सरकार की दलहन व तिलहन योजना के अन्तर्गत राज्य में जो अनुदान देने का प्रावधान है वह इस क्षेत्र पर भी उपलब्ध है।

(क) तिलहन एवं दलहन की फसलों पर पौध संरक्षण औषधियों पर अनुदान का प्रावधान है।

(ख) पौध संरक्षण उपकरणों पर अनुदान का प्रावधान है।

(ग) बैलों से चलने वाले नमी संकरण

(कृषि मन्त्री)

व बीजाई करने वाले उन्नत यन्त्रों पर अनुदान है ।

डीहाइड्रेशन पर नियन्त्रण हेतु प्रभावी औषधि

266. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डीहाइड्रेशन पर नियन्त्रण करने वाली दवा "इलेक्ट्रोल" के स्थान पर "थ्रेलाइट", स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय ने सेम्पल देखकर कब एवं कितने समय के लिये पास की ? कार्यालय ने विभिन्न चिकित्सालयों को इसकी खरीद करने के लिये क्या आदेश प्रसारित किये ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(2) महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा ने 1 अप्रेल, 1984 से 31 मई, 1985 तक 'थ्रेलाइट'' की खरीद के कब एवं किस मात्रा में आदेश दवा निर्माता फर्म को दिये ? आदेश की परिपालना कब एवं किस मात्रा में थ्रेलाइट असपताल को प्राप्त हुई ? क्या दवा निर्माता फर्म ने थ्रेलाइट के साथ-साथ ग्लूकोविट दवा भी अस्पताल को सप्लाई की ? यदि हां, तो कितनी एवं अस्पताल ने उसे क्यों स्वीकार किया ?

(3) बीमारी में प्रभाविकता के विषय में, थ्रेलाइट के बारे में क्या कभी संदेह हुआ या शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कब एवं कब इस दवा की जांच कराई गई ? कृपया जांच के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् भी यह दवा बीमारों को दी जाती रही, एवं उनकी बीमारी को दूर करने में यह कारगर सिद्ध नहीं हुई ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं दवा निर्माता फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) थ्रेलाईट नाम को कोई दवा विभाग द्वारा पास नहीं की गई ।

श्रेयान्स ब्रांड नाम की ओरल इलोक्ट्रोलाईन पाउडर मैं. महेन्द्रा एण्ड कम्पनी कोटा के नाम से 1-4-1983 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिये अनुमोदित की गई । आदेश को प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधकिारी कोटा द्वारा मैं. महेन्द्र एण्ड कम्पनी कोटा को (निदेशक महोदय को अनुमोदित सूची के आधार पर) 10,000 पैकेट ओरल रिहाईड्रेशन पाऊडर सप्लाई करने का आदेश दिनांक 9-5-84 को दिया । फर्म के स्थानीय होने के कारण उस ही दिन आदेश की पालना कर दी । फर्म ने सप्लाई में लगभग 10% पैकेट ग्लूकोविट पाउडर दिये । चूंकि अनुमोदित केटेलाग में ओरल इलोक्ट्रोलाईन श्रेयांस ब्रान्ड के नाम से अनुमोदित की गई थी और दोनों ही प्रोडक्ट मैं. श्रेयान्स इन्डिया, कोटा द्वारा निर्मित थे तथा फार्मूला भी एक ही था, अतः ग्लूकोविट पाऊडर को स्वीकार कर लिया गया ।

(3) बीमारी की प्रभाविकता के विषय में ओरल रिहाईड्रेशन पाऊडर में संदेह नहीं हुआ । किन्तु विभाग द्वारा रुटिन, मोनि-

चिकित्सा मन्त्री)

टेरिंग के अन्तर्गत सैम्पल दिनांक 7-11-84 को ड्रग इन्सपैक्टर कोटा द्वारा लिये गये एवं जॉच हेतु रुटिन में राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भेजे गये। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 25-6-85 को प्राप्त हुई। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार इन्ग्रेडियन्ट्स की जो मात्रा होनी चाहिये थी वह नहीं थी तथा नमी पाई गई, जिसके कारण उसका रंग बदल गया था, किन्तु कोई ऐसा तत्व नहीं पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिये हानीकारक हो। फिर भी आवश्यक सतर्कता रखते हुये विभाग द्वारा क्रमांक 8584-34 (41) एसपीओ/महे/83-85 दिनांक 25-6-85 के आदेशों से इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के कार्यालय में ओरल रीहाइड्रेशन पाऊडर के सम्बन्ध में दिनांक 1-6-85 को शिकायत प्राप्त हुई। जिसके फलस्वरूप ड्रग इन्सपेक्टर कोटा द्वारा दिनांक 18-6-85 को ओरल रीहाइड्रेशन पाउडर वैच नं. 540, 542, 543 एवं 548 के पांच सेम्पल विश्लेषण हेतु निदेशक, केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता, राजकीय विश्लेषक जयपुर, निदेशक, सी. आई. पी. एल. गाजियाबाद भेजे। जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट अपेक्षित है।

(4) शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् उक्त पाऊडर जिले के किसी भी संस्थान को सप्लाई नहीं किया गया और न ही किसी मरीज को बीमारी को रोकथाम के लिये प्रयोग हेतु दिया गया। माह नवम्बर, 1984 में लिये गये सेम्पलिंग को विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निदेशालय के परिपत्र क्रमांक एस. पी. ओ./8584-734 (41) एसपीओ/ महेन्द्रा/83-85/85 दिनांक 25-6-85 की अनुपालना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा ने इसके प्रयोग पर दिनांक 28-6-85 के आदेशों द्वारा पूर्ण पाबन्दी लगादी एवं जहां-जहां भी यह पाऊडर सप्लाई किया गया था, इसे सभी इकाईयों से वापस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के केन्द्रीय भण्डार में जमा कराने के आदेश जारी कर दिये गये।

नहर निर्माण हेतु बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार से सामग्री का क्रय

267. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर निर्माण के लिये बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार से बिना टेण्डरों के भारी संख्या में माल खरीदा गया है ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को कौन-कौन सा कितना-कितना माल खरीदा गया है ? कृपयां सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह माल उपभोक्ता संघ द्वारा स्वयं निर्मित किया गया था, अथवा खरीदे गये माल की भण्डार के पास–होल सेल डीलरशिप थी ? यदि नहीं, तो किस-किस तरह से भण्डार की मार्फत माल खरीद कर माल सप्लाई किया गया, और कौन-कौनसा माल सप्लाई किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच आयोग गठित किया गया है ? यदि हां, तो कृपया जांच आयोग गठन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकता अनुसार राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के सरकुलर संख्या एफ -5 (8) एफडी/आर एन आई/76 दिनांक 8/10-2-78 के अनुसार बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार से केन्द्रीय भण्डार खण्ड बीकानेर द्वारा बिना टेण्डर खरीदे गये सामान का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(2) उपरोक्त सामान का क्रय जी. एफ. एण्ड. ए. आर. व राज्य सरकार वित्त विभाग के सरकुलर एफ-5 (8) एफडी/आर एण्ड ए. आई./76 दिनांक 8/10-2-78 के अनुसार बिना टेण्डर सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर ही खरीदा गया कि वे उक्त सामान के होलसेल डीलर है। अथवा उन द्वारा माल सीधा बनाने वाली संस्थाओं से प्राप्त किया।

(3) उपरोक्त क्रय राज्य सरकार वित्त विभाग के सरकुलर संख्या एक 5 (8) एफड़ी/आर एण्ड आई/76 दिनांक 8/10-2-78 के प्रावधान के अनुसार ही की गई। जांच आयोग गठित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (R & A I DEPARTMENT)

No. F. 5(8) FD (R & A I)/76   Jaipur, dated 8th Feb 10th 1978.

ORDER

Sub : Purchase of articles from Sahkari Wholesale Upbhoka; Bhandar without inviting tenders/quotations– Amendment in General Financial and Account Rules, Vol. I.

....

The Governor has been please to order that a new item No. below item 3 under Note 12 of Rule 2 of Appendix XVI of the General Financial & Account Rules. Vol. I be added namely :—

4.	Goods/Articles of which the Sahkari Wholesale Upbhokta Bhandar is Wholesaler or receives its supplies from the manufacturers/producers directly.	Sahkari wholesale Upbhokta Bhandar–Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Jodhpur, Kota, Udaipur and Sriganganagar and Uphar at Jaipur.

Provided that a certificate to the effect is endorsed on the bill/cashmemo by the concerning Bhandar that he is the Wholesaler of the articles included in the bill/cashmemo on received supplies of the articles from the manufacturers/producers directly.

The Governor has further been pleased to modify special fare Department order No. F. 2 (32) Acctts Payment/68–69/17309–346 dated. 17.4.69 to the effect that purchase of Articles for the use of Hostels/Shelter homes run by that department will be made according to the procedure mentioned above at places mentioned item 4 under Note

12 of Rule 2 of Appendix XVI of General Financial & Accounts.

By order

Sd/=

(L. N. Laddha)

(Special secretary to Government)

Copy to the :—

(1) All Secretaries and Dy. Secretaries to Government.

(2) All private Secretary to Minister/State Ministers.

(3) All Head of Departments.

(4) Secretary to Government, Special Welfare Department.

(5) Director, Social Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.

(6) Accountant General, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies.

(7) All Sections/Departments of Secretariate.

(8) O & M (Codification) Department with 7 spare copies.

420

अधिशाषी अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार खण्ड द्वारा मैसर्स बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार, बीकानेर

क्र. सं.	विवरण	संख्या	मूल्य
1	2	3	4
1.	किलोस्कर इंजिन के पुर्जे माडल–ओवो–2 (14–16 एचपी) (आईटम) 1 से 14)	—	8957·00
2.	केनवास के त्रिपाल संख्या 555 निम्नांकित साईज में		
	1. 30″ × 30″	25	72225·00
	2. 20″ × 20″	50	64200·00
	3. 20″ × 30″	5	9630·00
	4. 15″ × 20″	5	4815·00
3.	किलोस्कर इंजिन के पुर्जे 5 एचपी एवी–1 (आइटम नं. 1 से 20)	—	9624·50
4.	किलोस्कर डीजल इंजिन के पुर्जे 10 एचपी एवी–2 (आइटम नं. 1 से 19)	—	8961·82
5.	टीवी–11 किलोस्कर इंजिन के पुर्जे (आईटम नं. 1 से 15)	—	9964·06
6.	आई एस नं. 444/1964 अनुसार 2 डाया 5 पीआर के डिलीवरी रवर होज पाइप	2500	80000·00
	उपरोक्त 2 ½ डाया	2500	92500·00

1	2	3	4
7.	15 एचपी विद्युत मोटर के किलोस्कर पम्प सेट	3 सेट	45828·00
8.	आरए–3 किलोस्कर इंजिन के अतिरिक्त पुर्जे (आइटम 1 से 34)	—	9616·75
9.	एवो–15 एचपी किलोस्कर डीजल इंजिन पम्पपिंग सेट के अति. पुर्जे (आइटम 1 से 20)	—	9624·50
10.	पी. सी. मेक हैवी डयूटी वोल्टेज	1	71910·00
		1	600·00
11.	1. पीवीसी इन्सलेट कोपर कन्डेक्टर 1/19	100 रोल्स	6800·00
	2. —डू—साईल 3/22	100 ,,	10000·00
	3. —डू— ,, 7/22	50 ,,	10450·00
	4. —डू— ,, 7/18	50 ,,	12950·00
			39940·00
12.	मिल्ड स्टील होट डीप गेलेवेटस्ट वार्जेड वायर के साथ 12 एस डब्ल्यू जो मुख्यतार एवं 14 एच डब्ल्यू जो वार्जेड में वोर क्वायल 30–40 की आई एस आई के अनुसार बिना की विन्स के. के. जी एस	2000 किग्रा	
13.	टीवी–2 किलोस्कट इंजन के पुर्जे	—	9796·00
14.	12"×12" साईज एवं 7/8" ऊंचाई के बन्द के अनुसार दुगुना पलाई	5	11285·00

1	2	3	4
	के टन्ट्रजेसीआई मेक (जेसीआर 110)		
	14" × 14" सीआई डबल पलाई स्वीज	5	12559·00
	काटेज के तम्बू	1	10778·00
			[illegible]
			697·16
			34160·84
15.	150 एचपी किलोस्कर स्लीपिंग मोटर के लिए उपयुक्त मोटर कन्ट्रोल पेनल	4	127000·00
	150 एचपी किलोस्कर मोटर के लिए उपयुक्त पावर केपीसीटर जीईस या हिको	4	26000·00
			153000·00
16.	फेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर 8" × 8" – 8"	4	41380·00
			827·60
			40552·40
17.	जलरोधक केनबास के त्रिपाल का कपड़ा साइज (28000") 20" × 20"	70	83440·00
	—तदैव—30" × 30" (28000 एसएफटी)	40	100720·00
18.	एसएसआई स्टील के फोल्डिंग चेयरर्स	288	19008·00
19.	26 गेज के रंगीन मुड़ने वाले लोहे की मेज साइज 30" × 24"	120	15523·00
20.	20 एचपी माडल डीसीएम 80–60		

1	2	3	4
	आईएस केसी–2 किलोस्कर मोनाब्लोक इलेक्टो पम्पिग सेट	4	40320·00
			806·40
			41126·40
21.	टारपोलिनस एसपीएस मेक साइज 30" × 20',	15	टी 26100·00
	—द्द-- 10" × 14"	15	8526·00
			34626·00
22.	आईएसआई 1363 अनुसार पीवीसी पाइप के लिए उपयुक्त सी आई डले अड्बल जोइन्टस साइज		
	,, 90 एमएम	1120	22064·00
	,, 100 एमएम	168	3864·00
			25928·00
23.	किलोस्कर इंजन माडल केवी–2, केवी–1, ओवी–1, एवं टीवी–2 (आइटम नं. 1 से 27, 1 से 5 वं 1 से 4) के अतिरिक्त पुर्जे	—	47500·00
24.	पम्प एन डब्ल्यू एम–3 के साथ किलोस्कर इंजन (8 एचपी)	18	134100·00
	पम्प किलोस्कर एनडब्ल्यू–6 के साथ किलोस्कर इंजन एबी–2 8 एचपी	5 सेट	68750·00
			202850·00

1	2	3	4
25.	चार लीटर तेविंग के सफेद चमकदार प्रथम श्रेणी से एनामल पेन्ट/सिन्थेटिक	1400 लीटर	21425·00
			422·50
			20996·50
26.	बुगलर टाइप लोहे की सेफ वाला एकल दरवाजा साइज 50 × 400 × 400 एमएम	20	17600·00
27.	आई एस आई के अनुसार सी आई डिलेचबल जोइन्टस वास्ते एसी परकपअर पाइप्स		
	8794/1974 (1) 80 एमएम डाया	1185	23700·00
	(2) 100 एमएम डाया	335	7705·00
			31045·00
28.	रबर होज पाइप साइज 38 एमएम 5 प्लाई	2000 मीटर	61000·00
29.	सबमिबल पम्प	—	124000·00
30.	पेन्टस	—	16750·16
31.	पेन्टस	—	15444·40

लालसोट तहसील के पहाड़ी क्षेत्र का खनिज सर्वेक्षण

268. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लालसोट तहसील के समस्त पहाड़ी क्षेत्र का कभी खनिज सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में क्या कोई खनिज सम्पदा है ? यदि है, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि सर्वे नहीं कराया गया, तो कब तक कराया जावेगा ?

(2) क्या इस क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की कोई खान चालू है, यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र एवं किस प्रकार की खान है ? सरकार एवं क्षेत्र को इनसे क्या लाभ मिल रहा है ?

उत्तर

(1) व (2) लालसोट तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर खनिजों के लिए प्रारम्भिक सर्वे कराया गया है। उक्त सर्वे के दौरान गोल गांव के पास व्हाईटक्ले पाई गई जिसका लगभग 10 लाख टन का भण्डार सिद्ध किया गया।

इसके अलावा डिगोह गांव के पास एमीथिस्ट तथा क्रिस्टल क्वार्टज, लालसोट के पास कोपर कारबोनेट, नितारना के पास सिलिकासैण्ड तथा डिडवाना के पास फायरक्ले के संकेत पाये गये। जो खनन योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

गोल क्षेत्र में पाई गयी क्ले अधिकतर निम्न श्रेणी की हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में लालसोट तहसील का खनिजों की खोज के लिए सर्वे तथा विस्तृत अध्ययन करने की योजना है।

परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, जयपुर (राज.)

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र निकट ग्राम	तहसील	खनिज	स्थिर भाटक
1	2	3	4	5	6
	अ—प्रधान खनिज				
1.	श्रीमती दाखादेवी सैनी प्लाट सं. 18 गोविन्द नगर, जयपुर।	टोडा थेकला	लालसोट	चेजा पत्थर व क्वार्ज़ाइट	1498/–
2.	श्री गोविन्दराम शर्मा नि. सरकारी अस्पताल लालसोट	गूजरखेल	–एजन–	चेजा पत्थर	312 5/–
3.	श्री हरसहाय शर्मा ग्रा. पो. करणगढ़ तह. बस्सी जयपुर।	डीडवाना	,,	,,	500/–
4.	श्री कुंजबिहारी पारीक पो. तुंगा तह. बस्सी, जयपुर।	संवासा	,,	,,	2450/–
5.	—एजन—	,,	,,	,,	2175/–

1	2	3	4	5	6
6.	श्री प्रभूलाल गूजर, लालसोट	गूजरखोल	–एजन–	चेजा पत्थर	750/–
7.	श्री प्रभुदयाल बैरवा	राजोली	,,	,,	1446/–
8.	श्री नजर मोहम्मद खां लिवाडीपाड़ा, लालसोट	,,	,,	,,	875/–
9.	श्री नानगराम मीणा वागपुरा, पो. छारड़ा, तह. दौसा, जयपुर।	टोडा थेकला की डूंगरी	,,	,,	1472/–
10.	श्री भौरीलाल महाजन मार्फत–श्याम ट्रांसपोर्ट कं., लालसोट	टोडा थेकला	,,	मार्बल	2500/–
	प्रधान खनिज				
1.	श्री रामस्वरूप शर्मा डीडवाना, लालसोट	टोडा खोरीवाला	,,	चायना क्ले	404/–

ह. /–

खनि. अभियन्ता जयपुर।

फलौदी तहसील के चिकित्सीय संस्थानों में स्फाफ व औषधियों की व्यवस्था

269. श्री मोहन छंगाणी : (फलौदी)

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फलौदी के सब सेन्टर ग्राम टेपू, रानीसर, बावड़ी, कुण्डल पर न स्टाफ पदस्थापित किया गया है, न जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था है ? यदि हां तो क्यों ? यह व्यवस्था अब कब तक कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम केलनसर में हास्पिटल के लिये भवन वन कर तैयार हुये काफी समय हो गया है ? किन्तु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित स्टाफ का पदस्थापन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों, और यह व्यवस्था अबकब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील फलौदी के उपकेन्द्र, रानीसर में स्टाफ पदस्थापित है एवं जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था है। बावड़ी नाम का कोई उपकेन्द्र/ग्राम तहसील फलोदी में नहीं है। उपकेन्द्र टेपू एवं कुण्डल पर प्रशिक्षित स्टाफ का पदस्थापन एवं दवाइयों की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) जी नहीं,

अधिकांश स्टाफ उपलब्ध है। मेलनर्स श्रेणी–II का एक पद प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 290 से सम्बन्धित सूचना)

परिशिष्ट–अ

क्र. सं.	क्षेत्र	मास्टर प्लान में प्रस्तावित उपयोग से	परिवर्तन किया गया	कारण
1	2	3	4	5
1.	भूखण्ड संख्या 16 व 17 नई अनाज मण्डी, कोटा	होलसेल, वेयर हाऊसिंग व गोदामों से	वाणिज्यक	सिनेमा हेतु
2.	ग्राम खेड़ली पुरोहित व खण्ड गांवड़ी	औद्योगिक से	आवासीय	भूमि रूपान्तरण व नियमितिकरण हेतु
3.	कोटा शहर में रामनगर कच्ची बस्ती	जीवन स्पेस से	,,	,,
4.	ग्राम सकतपुरा के 8 खसरे	ग्रीन बेल्ट से	,,	,,
5.	ग्राम वाला कुण्ड का एक खसरा	ओपन स्पेस एवं नाला से	(नाले के बेड के अतिरिक्त)	,,
6.	ग्राम खेड़ली पुरोहित एवं खण्ड गांवड़ी	औद्योगिक से	आवासीय	,,
7.	ग्राम वारखेड़ा के बाईस खसरे	ग्रीन बेल्ट से	,,	,,
8.	ग्राम तेखड़ा के 6 खसरे	,, से	,,	,,
9.	ग्राम सोगारिया के 11 खसरे	,, से	,,	,,
10.	ग्राम रंग तालाब के 16 खसरे	,, से	,,	,,
11.	ग्राम भडाना के 12 खसरे	औद्योगिक से	,,	,,

मास्टर प्लान के विपरीत भूमि उपयोग परिवर्तन जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित है

1	2	3	4
12.	सिंचाई मैनेजमेंट इंस्टिट्यूशन को भूमि का आवंटन	आल इण्डिया रेडियो की प्रस्तावित भूमि के स्थान पर	आल इण्डिया रेडियो अन्यत्र आवंटन
13.	आल इण्डिया रेडियो को आवंटन एवं भवन निर्माण	विश्वविद्यालय की प्रस्तावित भूमि पर	मास्टर प्लान में आल इण्डिया रेडियो हेतु प्रस्तावित भूमि आकाश वाणी को पसन्द नहीं आई
14.	थर्मल पावर प्लांट सकतपुरा	ग्रीन बेल्ट से औद्योगिक	जनहित में
15.	थर्मल कालोनी एक्टेंसशन सकतपुरा	ग्रीन बेल्ट से आवासीय	जनहित में
16.	इंजीनियरिंग कालेज	ग्रीन बेल्ट से शिक्षण	जनहित में

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूची)

क्र. सं	केन्द्र का नाम	स्वीकृत डॉक्टर के पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1.	प्रा० स्वा० केन्द्र, कुन्दन	3	3	–
2.	प्रा० स्वा० केन्द्र, मुन्डरू	3	3	–
3.	प्रा० स्वा० केन्द्र, खाटू श्यामजी	3	3	–
4.	प्रा० स्वा० केन्द्र, ताजसर	3	3	–
5.	प्रा० स्वा० केन्द्र, पलसाना	3	3	–
6.	प्रा० स्वा० केन्द्र, लक्ष्मणगढ़	3	3	–
7.	प्रा० स्वा० केन्द्र, सिरोही	4	4	–
8.	प्रा० स्वा० केन्द्र, जाजोद	3	1	2
9.	प्रा० स्वा० केन्द्र, डांसरोली	1	1	–
10.	प्रा० स्वा० केन्द्र, रसीदपुर	1	1	–
11.	प्रा० स्वा० केन्द्र, राणोली	1	1	–
12.	प्रा० स्वा० केन्द्र, झाड़ली	1	–	1
13.	प्रा० स्वा० केन्द्र, होंद	1	–	1
14.	प्रा० स्वा० केन्द्र, भूदोली	1	1	–
15.	प्रा० स्वा० केन्द्र, फतेहपुरा	1	–	1
16.	प्रा० स्वा० केन्द्र, गनेडी	1	1	–
		33	28	5

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 294 से सम्बन्धित सूचना

गंगानगर जिले में विभिन्न नगरपालिकाओं में राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दुकान आवंटन हेतु चयन की सूचना।

क्र. सं.	नगर पालिका का नाम	लक्ष्य	निर्माणाधीन	निर्मित	चयनित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	हनुमानगढ़	50	—	25	15
2.	रायसिंह नगर	100	85	—	85
3.	संगरिया	20	10	—	20
4.	अनूपगढ़	20	20	—	9
5.	नोहर	20	20	—	4
6.	गजसिंहपुर	50	50	—	24
7.	गंगानगर	100	—	100	40
8.	विजयनगर	20	—	—	20
9.	केशरीसिंहपुर	10	—	10	10
10.	भादरा	10	—	10	10
11.	पदमपुर	50	—	50	40

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 296 से सम्बन्धित पत्र की प्रतिलिपि)

Harideo Joshi,
Chief Minister

D. O. No. F5 (47) Ind/I/82
April 11, 1985.

Dear Shri Vishwanath Pratap Singhji,

Sub: Proposed levy of Excise on Marble.

In connection with the proposed levy of special Excise Duty on Marble in the Union Budget for 1985–86, I wish to inform you that inspite of a very long history, the marble mining and sawing industry is yet in primitive stage. All the mines are manually operated with traditional machines and tools. Similarily marble sawing industry comprises about 1250 units in SSI and about 50 units in medium scale sector. The value addition in these SSI units is nominal consisting mostly of wages. The industry as on today provides direct employment to about 10,000 persons. The State Govt. foresses a good potential in this field for creating additional job opportunities in rural and industrially backward areas.

Already the State Level Financial institutions have provided financial assistance of Rs. 25 crores for promoting sawing of marble with modern technology. Efforts are being made for further improvement in the technology. Considering the labour input involved in marble mining and sawing. I feel the levy proposed will be adversely affect this indusry. The demand for marble being highly elastic the total burden of excise levy will have to be borne by the individuals who are engaged in this activity or by the units engaged in the job of marble sawing. Shifting of incidence to the customers is likely to be very little and difficult. There is thus a danger of many units going sick or even gettiug closed and creating large scale unemployment. I, therefore, snggest that the decision for imposing this levy be reconsidered. Since a revenue of only

(434)

Rs. 3.00 crores is proposed to be raised through this levy, I shall appreciate if you could kindly consider my view point in the overall interest for the development of this industry in the State. With kind regards.

Your sincerly,

Sd/-
(Harideo Joshi)

Shri Vishwanath Pratap Singh,
Hon'ble Finance Minister,
Govt. of India.
NEW DELHI

R. L. Mishra,
Secretary Industies

Tel. No. 74459/68498
MOST IMMEDIATE

D. O. No. F5 (47) Ind/I/82 May $\frac{30}{31}$, 1985,

My dear Shri

1. The concessions announced by the Finance Minister have given considerable relief to marble units in Rajasthan and the agitation in Makrana and elsewhere has also practically petered out. However, representatives of marble units, particularily of the small units, have been meeting us and complaining about the hardship in the existing dispensation. We have examined the matter very carefully and would recommond some minor modifications in your scheme so that even that hardship is relieved to a large extent.

2. First of all, on the conventional units, a compounded levy has been imposed at the rate of Rs. 2,000 per month. Most of the conventional units are closed and in any case all of them are sick. We feel that even this compounded levy would prove to be very harsh in their special circumstances. Therefore, we would recommend that this may be reduced from Rs. 2,000 to Rs. 1,000 per month.

3. As part of modernisation programme and in order to revive the closed and sick conventional units some of the conventional units have been converted into diamond gang saws. These machines are worked by illiterate or semi-illiterate persons and their quality or production also is far inferior to that or the normal diamond saw machines. Such units are very small in number, the prestent number being only 43, and Rajasthan Financial Corporation (RFC) is trying to revive as many of the conventional machines as may be possible and they are giving liberal assistance to these units. We would. therefore, suggest that the converted conventional machines may also be brought within the purview of the compounded levy and since the converted machines vary from unit to unit, a levy may be imposed @ 80/–

per blade per month. This would mean that a 25-blade machine which is the average size would have a compounded levy of Rs. 2,000 per month which I consider very reasonable under their very special circumstances.

4. I hope you will consider the minor changes sympathetically and modify the existing orders accordingly.

With best wishes and personal regards.

Your sincerely,

Sd/-

(R. L. Mishra)

Shri R. C. Mishra,

Chairman.

Central Board of Revenue

Government of India

New Delhi.

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 304 का विवरण

(कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर)

क. सं.	न्यास बैठक दिनांक व प्रस्ताव संख्या	निर्णय
1	2	3
	न्यास बैठक दिनांक 7-7-84	
1.	वर्ष 1984–85 में निम्न आय वर्ग हेतु 500 आवास इकाइयों का हुडको के वित्तीय सहयोग से निर्माण।	1. सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
2.	हैड पम्प लगाने के लिए नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	2. विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्प लगवाये जावे परन्तु हैण्ड पम्प लगवाने से पूर्व इन क्षेत्रों के बाबत अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की राय ले ली जाय कि क्या यहां उनकी कोई योजना है और उनकी राय के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाय। जे. एल. एन. के मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए एक हैण्ड पम्प वहाँ शीघ्र लगाया जावे।

437

1	2	3
3.	योजनाओं की आरक्षित दर के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव परिभ्रमण द्वारा भेजा गया था के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	3. विचार विमर्श के पश्चात् परिभ्रमण प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति आरक्षित दरों का अनुमोदन किया गया।
4.	उप समितियों का गठन।	4. 1. एक्सीक्यूटिव कमेटी 2. तकनीकी उप समिति 3. भूविभाजन उप समिति 4. नीलामी समिति 5. नेगोसिएशन समिति 6. भूखण्ड आवंटन उप समिति। उक्त समितियों का गठन किया गया।
5.	जवाहर नगर योजना (कच्ची बस्ती) में मकानों के सैट बैक के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।	5. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियन्ता, नगर सुधार न्यास इस प्रकार नक्शे पास करें जिससे मकान की एक तरफ या दो तरफ सैट बैक अवश्य रहे और जहाँ तक सम्भव हो बने हुए मकानों को बिना तोड़े अधिक से अधिक सुव्यवस्थित तरीके से बसाने की कार्यवाही की जाय।
6.	कोतवाली योजना में फायर स्टेशन की तरफ बालकनी की स्वीकृति देने बाबत।	6. विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवंटन उप समिति की राय के साथ न्यास के समक्ष रखा जाय।

1	2	3
7.	खानपुरा योजना में प्लाट आवंटन के सम्बन्ध में ।	7. विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि 50 वर्ग गज के भूखण्ड काटे जाकर "गरीब को छप्पर" के तहत आवंटित किये जावें ।
8.	मंगलदीप समिति का मसला ।	8. विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवंटन उप समिति के समक्ष राय हेतु रखा जावे और [illegible] उप समिति के राय के साथ आगामी बैठक में रखा जावे ।
9.	धारा 33 के अन्तर्गत सुनवाई के पश्चात चन्द्रवरदाई नगर में ट्रान्सपोर्ट नगर व अर्जुन लाल सेठी नगर योजनाओं के नक्शों की स्वीकृति ।	9. चन्द्रवरदाई नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, अर्जुनलाल सेठी नगर योजनाओं को धारा 36 के अन्तर्गत राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया गया ।
10.	घोलाभाटा योजना एवं आनासागर सरक्यूलर रोड़ योजना में भूमि का भौतिक कब्जा बाबत ।	10. मुआवजा दिये जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की जाय और अतिरिक्त जिलाधीश से आग्रह किया जाय कि वह उनके यहाँ विचाराधीन मामलों पर शीघ्र निर्णय लें ।
11.	तारागढ़ पर विद्युत व्यवस्था एवं वृक्षारोपण ।	11. वृक्षारोपण के राष्ट्रीय कार्यक्रम न्यास के योगदान हेतु 15,000 रु. की सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

1	2	3
12.	तारागढ़ पर भवन के रख-रखाव पर खर्चे की स्वीकृति बाबत ।	12. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तारागढ़ पर एक भवन के रख-रखाव न्यास द्वारा दिया जाय, साथ भवन आवंटन हेतु "तारागढ़ डवलपमेंट बोर्ड" को निवेदन किया जाय और भवन आवंटन के पश्चात् एस्टीमेट बनाया जाकर स्वीकृति हेतु न्यास में रखा जाय ।
13.	रंगमंच निर्माण हेतु स्वीकृति ।	13. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यास द्वारा ही रंगमंच का निर्माण प्रारम्भ करवाया जावे और साथ ही भूमि के हस्तान्तरण हेतु जिलाधीश महोदय को निवेदन किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जाय ।
14,	कम्यूनिटी हाल, वैशाली नगर योजना, शास्त्री नगर योजना एवं कच्ची बस्तियों में भी उपलब्ध कराने बाबत ।	14. विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैशाली नगर एवं शास्त्री नगर योजना में कम्यूनिटी हाल वहाँ के निवासियों के योगदान से बनाया जाय वहाँ के निवासियों से योगदान 49% तक एवं न्यास का योगदान 51% तक रखा जाय । अन्य कच्ची बस्तियों में योजना

1	2	3
		बनाकर जहाँ-जहाँ विशेष आवश्यकता हो कम्यूनिटी हाल बनाये जावें और इस पर शीघ्र एस्टीमेट बनवाया जाकर कार्यवाही कर कम्यूनिटी हाल शीघ्र बनवाया जावे ।
15.	बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सटेंशन काउण्टर की स्वीकृति ।	15. सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृति किया गया साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रोपर एग्रीमेंट कराया जाकर किराये पर दिया जाय और 5 वर्ष तक का अनुबन्ध रखा जाय और हर 5 वर्ष बाद किराये को रिवाईज किया जाय ।
16.	भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी मामले में मास्टर प्लान में भूमि में उपयोग के परिवर्तन हेतु सिफारिश के सम्बन्ध में ।	16. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन अधिकारी एवं उप नगर नियोजक की राय के साथ अगली आवंटन उप समिति में रखकर आवंटन उप समिति की राय के साथ न्यास बैठक में रखा जाय ।
17.	महर्षि दयानन्द योजना में दिनांक 21-5-84 को भूखण्ड आवंटन के लिए लाटरी निकाली गई उसके सम्बन्ध में ।	17. लाटरी द्वारा "स" ग्रुप में 20 "बी" ग्रुप में 14 "सी" ग्रुप में 15 "व" डी ग्रुप में 3 भूखण्ड आवंटन किये गये जनरल श्रेणी में "स" व बी ग्रुप के लोगों को आवंटन

(५४१)

(442)

1	2	3
		किया है अतः मामला स्वीकृति हेतु न्यास के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृति किया गया ।
18.	न्यास की शंकर नगर योजना में विकलांगों को भूखण्ड आवंटन ।	18. विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई ।
19.	वाणिज्य प्रयोजनार्थ दुकानें बनाकर अनुसूचित जाति कार्पोरेशन को देने बाबत ।	19. कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वाणिज्य प्रयोजनार्थ न्यास द्वारा दुकानें बनाई जाय जिनका आवंटन अनुसूचित जाति को कोरपोरेशन के मार्फत किया जाय । दुकानों की संख्या अतिरिक्त जिलाधीश विकास द्वारा मांग ली जाय । यह दुकानें 84–85 में बनाकर कारपोरेशन के सुपुर्द कर दी जाय ।
20.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को ग्रिड स्टेशन हेतु भूमि आवंटन बाबत ।	20. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लिए माकंडवाली धोला-भाटा एवं फाईसागर रोड़ पी. ग्रिड स्टेशन हेतु भूमि आवंटित की जाय ।

(643)

1	2	3
21.	भूमि अवाप्ति में आने वाली कठिनाइयां बाबत ।	21. सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा, बीकानेर, अलवर जाकर वहां भूमि अवाप्ति की कार्यवाही का अध्ययन करें नगर सुधार न्यास इस मामले पर किस प्रकार उनकी कार्य-प्रणाली को लाभान्वित करे जिससे कि भूमि अवाप्ति में आने वाली कठिनाइयों एवं होने वाले विलम्ब को दूर किया जा सके ।
22.	तारागढ़ विकास योजना के सम्बन्ध में बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण प्राप्त करने हेतु ।	22. राज्य सरकार से तारागढ़ डवलपमेंट बोर्ड के मार्फत सीधे गारन्टी देने हेतु निवेदन किया जाय ।
23.	श्री पदम डी. शर्मा के भूमि रूपान्तरण प्रकरण सं. ए-81/83 के सम्बन्ध में निर्णय बाबत ।	23. विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में हाऊसिंग बोर्ड की राय ली जाकर मामला आवंटन उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । तत्पश्चात आवंटन उप समिति की राय के साथ लेण्ड सीलिंग एक्ट वालों से राय ली जाय ।

1	2	3
24.	कार्य कीअधिकता को मध्य नज र रखकर विभिन्न नवीन पदों के सृजन बाबत ।	24. तदर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यास कार्यालय में निम्न पदों के सृजन करने की स्वीकृति सर्वसम्पति से प्रदान की गई । 1. कनिष्ठ लेखाकार — एक पद 2. वरिष्ठ लिपिक — दो पद 3. कनिष्ठ लिपिक — पांच पद 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — तीन पद 5. आर्चीटिक्चरल असिस्टेंट (एक पद ट्रेसर का) — एक पद समाप्त करते हुए क्रम सं. 5 का पद सृजित किया गया ।
25.	अध्यक्ष इण्डियन मेडीकल एसोसिएशन को दुकानों के निर्माण की इजाजत देने बाबत ।	25. विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दुकानों के साईट में भूमि न्यास द्वारा ली जावे व सड़क के रूप में इस भूमि की विकसित की जावे इस शर्त पर इन दुकानों के स्वीकृति की गई ।

1	2	3
	न्यास बैठक दिनांक 25-8-84:–	
1.	500 ई. डब्ल्यू. एस. क्वार्टर्स 12·000/-रु. प्रति यूनिट के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	1. न्यास ने मकानों की ईकाईयां बनाने की स्वीकृति दी एवं चन्द्रवरदाई नगर योजना का ले-आऊट डिप्टी टाऊन प्लानर से शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिये ।
2.	रंगमंच मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	2. सदन को अवगत कराया गया कि रंगमंच भवन के नक्शे का प्रारूप देने हेतु एक्जीक्यूटिव कमेटी के निर्णय अनुसार 6 आर्चीटेक्टर्स का चयन किया गया है। प्रत्येक को 2000/- की राशि देने बाबत सदन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की :

1	2	3
3.	तारागढ़ पर विद्युतीकरण पर किये गये खर्चे की स्वीकृति ।	3. तारागढ़ एवं तारागढ़ सम्पर्क सड़क पर विद्युत व्यवस्था का कार्य किया गया, की रिपोर्ट न्यास के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यास ने कार्य का अनुमोदन किया एवं राशि 47,252/- खर्च करने की स्वीकृति दी ।
4.	तारागढ़ पर न्यास विश्राम गृह के परिवर्तन/परिवर्द्धन की स्वीकृति ।	4. वर्ष 1983-84 में तारागढ़ पर न्यास की प्रस्तावित विश्राम गृह के आवंटन के पश्चात उसमें परिवर्तन एवं सुधार आदि के लिए उस पर होने वाले अनुमानित खर्च एक लाख की राशि की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।
5.	न्यास की चन्द्रवरदाई नगर में कुएं की सील्ट किलवरेन्स (मिट्टी की सफाई) के कार्य एवं नया कुआं खुदवाने की स्वीकृति ।	5. न्यास की चन्द्रवरदाई नगर योजना में पानी व्यवस्था हेतु जलदाय विभाग को जो 20.000/–ट्यूब वैल के

1	2	3
		लिए भेजे वह स्वीकृत करते हुए एक नया कुआ और एक तारागढ़ की तजहटी में स्थित कुएं में मिट्टी का कार्य की स्वीकृति दी। इस कार्य हेतु 1,50,000/– रु. खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	तारागढ़ क्षेत्र में बने रेल डाक बंगले के सामने परकोटे को दर्शनीय रमणीक स्थल में परिवर्तन की स्वीकृति बावत:—	6. इस सम्बन्ध में तखमीना बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये।
7.	भूमि खसरा नं. 5228 (अजमेर थोक मालियान) योजना में लेने बावत।	7. सर्वसम्मति से भूमि खसरा नं. 5228 में आवासीय योजना बनाने की स्वीकृति दी गई।
8.	1. न्यास श्रमिकों की सेवाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें स्थाई किये जाने बावत 2. श्रमिकों की न्यास के विभिन्न कार्यो को देखते हुए स्ट्रैन्थ स्वीकृत करने बाबत।	8. अत: इन्हें स्थाई घोषित करने का निर्णय लिया गया। 2. इस पद पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं हो सका अतः इसको आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिया गया।

1	2	3
9.	जे. एल. एन. के सामने श्री रामलाल द्वारा प्रस्तावित वर्तमान बैंक आफ बड़ौदा की बिल्डिंग में प्रस्तावित निर्माण कार्य बाबत ।	9. सदन द्वारा उप समिति की सिफारिश को स्वीकार किया गया ।
10.	श्री ओंकार मल सर्वेयर का मामला ।	10. विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर भुगतान कर दिया जाय ।
11.	न्यास के अधिवक्ता श्री रघुनन्दन अग्रवाल की कार्य अवधि 1-4-84 से बढ़वाने एवं पारिश्रमिक बढ़ाने के संबंध में ।	11. निर्णय लिया गया कि न्यास के अधिवक्ता श्री रघुनन्दन अग्रवाल की कार्य अवधि 1 साल के लिए और बढ़ाई जाकर अनुमोदनार्थ भेजा जावे । जहां तक पारिश्रमिक का प्रश्न है यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया परन्तु उनकी योग्यता व कार्यभार को देखते हुए 600/– प्रतिमाह दिये जाने के लिए राज्य सरकार को पुनः निवेदन किया जाय ।

1	2	3
12.	मैं हनुमान दास एण्ड सन्स की आगरा गेट स्थिति भूमि की शहरी जमा-बन्दी के बावत ।	12. विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि मैं. हनुमान दास एण्ड सन्स द्वारा जब तक दुकाने नहीं बनाई गई है तब तक का 75/ रु. प्रति वर्ग गज की आरक्षित दर से जो मैं. सूरज मल रतन लाल एण्ड सन्स के केस में भी मानी गई थी । मानीकाकर कायम की जाय । उसके पश्चात् वहां की आरक्षित दर पुन: निश्चित की जाकर लीज । डीड उस दर के मुताबिक ली जाय ।
13.	भारत उद्योग मल्टी यूनिट सम्बन्धी मामला ।	13. विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में निम्नलिखित सदस्यों को समिति पुर्न विचार कर अपनी रिपोर्ट वास्ते निर्णय न्यास में प्रेषित करें ।

1	2	3
		समिति के सदस्यः— 1. श्री सम्पर्त मल माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग । 2. श्री नरहरि शर्मा प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर । 3. सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर । 4. उप नगर नियोजक, अजमेर ।
14.	विभिन्न योजनाओं में आवंटित भू-खण्ड, निर्मित दुकान व क्वार्टस के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।	14. उक्त मामले पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक उप समिति का गठन का निर्णय लिया गया ।
15.	न्यास की हुडको योजनाओं में प्रशासनिक शुल्क कुल खर्चे का 5% प्रतिशत तक प्रतिबन्धित करने बाबत जो प्रस्ताव द्वारा परिभ्रमण भेजा गया था के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	15. सर्वसम्मति से सदन द्वारा इसका अनुमोदन किया गया ।
16.	जवाहर लाल नेहरू शोपिंग सेन्टर की दूकानों की छतों की नीलामी के सम्बन्ध में ।	16. सदन द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दुकानों के निर्माण हेतु निर्मित दुकानों की छतों

1	2	3
19.	दुकान मय प्लेटफार्म आधे गोदाम सहित (50 × 120)	ऊन मण्डी
20.	आन्तरिक सड़कें	”
21.	दुकानें—10	फल सब्जी मण्डी
22.	नीलामी चबूतरा (कवर्ड)	”
23.	सार्वजनिक प्लाऊ	”
24.	सार्वजनिक शौचालय	”
25.	पशुओं के लिए खेल	”
26.	आन्तरिक सड़कें	”
27.	स्ट्रीट लाईट	”
28.	कार्यालय भवन	”
29.	कार्यालय भवन	ऊन मण्डी

1	2	3
30.	बैंक भवन	ऊन मण्डी
31.	केन्टीन (क्योस्क)	,,
32.	खुदरा दुकानें	,,
33.	उच्च जलाशय, ट्यूब वैल पम्प रूप आदि	,,
34.	नालियाँ	,,
35.	स्ट्रीट लाईट व सर्विस कनेक्शन	,,
36.	गोदाम–15	,,
	मण्डी समिति-लूणकरणसर :	
37.	सचिव आवास गृह का निर्माण	मुख्य मण्डी यार्ड
38.	चौकीदार आवास गृह का निर्माण	,,

1	2	3
39.	ग्रामीण गोदाम की चार दीवारी	मुख्य मण्डी यार्ड
40.	कार्यालय प्रांगण में स्ट्रीट लाईट	,,
41.	मुख्य मण्डी यार्ड की आन्तरिक सड़क का निर्माण	,,

मण्डी समिति : नौखा

टिप्पणी—कृषि उपज मण्डी समिति, नौखा के पास धनराशि के अभाव के कारण नये प्रस्ताव नहीं।

454

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 315 की तालिका)

दुकान नं.	कब दी गई	किराया	इस समय किराया है	खाली दुकानों का विवरण
1	2	3	4	5
0	1-4-1977	137.50	402.05	—
1.	1-4-1977	110.00	—	खाली
2.	1-4-1977	131.25	383.68	—
3.	1-4-1977	128.75	376.39	—
4.	1-4-1977	131.25	383.68	—
5.	1-4-1907	165.00	482.32	—
6.	1-4-1977	145.75	—	खाली
7.	1-4-1977	187.00	546.84	—
8.	निगम का सामान	भरा हुआ		खाली
9.	1-4-1977	120.00	—	,,
10.	1-4-1977	137.50	402.05	—
11.	1-4-1977	131.25	383.68	—
12.	1-4-1977	131.25	383.68	—
13.	निगम का सामान	भरा हुआ		खाली
14.	1-4-1977	110.00	—	,,
15.	1-4-1977	120.00	—	,,
16.	1-4-1977	68.75	200.92	—

1	2	3	4	5
17.	16-6-1985	426.00	426.00	पूर्व में प्याऊ थी अब आवंटित की गयी है।

दुकान नं. 1,6,8,9,13,14, व 15 खाली है जिसका टॅण्डर दिनांक 16-7-85 को खोला जाना है।

दिनांक 24-5-85 को खाली दुकानों के टॅण्डर आमन्त्रित किये गये थे किन्तु टॅण्डर नहीं आने के कारण पुनः 16-7-85 की तिथि निर्धारित की गई है।

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची)

फ्लश अनुदान प्राप्त करने वाले परिवारों की सूची :

क्र. सं.	नाम अनुदान प्राप्तकर्ता	पिता का नाम	पता
1.	2	3	4
1.	श्री रामकिशोर दिक्षत	श्री बाबू लाल दिक्षत	वार्ड नं. 9
2.	,, विनोद	,, हजारी बेडिया	,, 3
3.	,, राजा बाबू जैन	,, देव हंस जैन	,, 8
4.	,, सुशील कुमार जैन	,, सीतल प्रसाद जैन	,, 3
5.	श्रीमती मुन्नी देवी जैन	,, धकोडी लाल जैन	,, 8
6.	श्री धकोडी लाल जैन	,, श्रीचन्द जैन	,, 8
7.	,, थान सिंह जाट	,, विजय सिंह जाट	,, 9
8.	,, नारायण सिंह जाटव	,, भूराराम जाटव	,, 3
9.	,, भदईराम जाटव	,, फूसीया जाटव	,, 3
10.	,, राजेन्द्र प्रसाद जैन	,, फूलचन्द जैन	,, 3
11.	,, हरि चन्द जाटव	,, मनीराम जाटव	,, 3
12.	,, केदार सिंह जाटव	,, मनीराम जाटव	,, 3
13.	,, चिरंजी राम जाटव	,, टूढा राम जाटव	,, 3
14.	,, गोपाल राठौर	,, दौलत राम	,, 3
15.	,, बाबू लाल राठौर	,, दौलत राम राठौर	,, 3
16.	" भागवती जाटव	,, रामसिंह जाटव	,, 3
17.	,, नथ्थी लाल जाटव	,, मटरेलाल जाटव	,, 3
18.	,, काली चरण जाटव	,, वेदी राम जाटव	,, 3

1	2	3	4	
19.	श्री दाताराम धोबी	श्री दाताराम धोबी	वार्ड नं.	2
20.	रामजी लाल जाट	,, राम सिंह जाट	,,	3
21.	,, राजाबाबू जैन	,, बंगाली जैन	,,	3
22.	,, कामता प्रसाद जैन	,, रामस्वरूप जैन	,,	3
23.	,, राम सेवक ब्रा.	,, शिवचरन लाल ब्रा.	,,	11
24.	,, होतमसिंह ठाकुर	,, रामदयाल ठाकुर	,,	8
25.	,, शान्ति लाल जैन	,, घनीराम जैन	,,	3
26.	,, दर्शन लाल जैन	,, घनीराम जैन	,,	3
27.	श्रीमती कस्तुरी देवी गुप्ता	,, प्रभूदयाल गुप्ता	,,	3
28.	श्री राम खिलाडी ब्रा.	,, बीधाराम ब्रा.	,,	8
29.	श्रीमती जयवन्ती देवी	,, प्रेम नारायन ठाकुर	,,	5
30.	,, जरीना बाई	,, कंचन खां डेरेदार	,,	5
31.	,, सकिला बेगम	,, कंचन खांडेरुदार	,,	5
32.	श्री वृन्दावन ब्रा.	,, रामचरन ब्रा.	,,	3
33.	श्री शांती लाल जैन	,, श्रीचन्द जैन	,,	13
34.	,, मनी राम ठाकुर	,, बदन सिंह ठाकुर	,,	9
35.	रिखब चन्द जैन	,, गुलाब चन्द जैन	,,	8
36.	विनोद कुमार गुप्ता	,, बाबू लाल गुप्ता	,,	6
37.	,, शंकर लाल जैन	,, गनेशी लाल जैन	,,	4
38.	,, जय चन्द जैन	,, दम्मी लाल जैन	,,	11
39.	,, कपूर चन्द जैन	,, छुदम्मी लाल जैन	,,	11
40.	,, छकोडी लाल	,, कन्हैया लाल ब्रा.	,,	3

1	2	3	4	
41.	श्री सतीश चन्द जैन	श्री गोकुल चन्द जैल	वार्ड नं.	4
42.	,, दयालचन्द जैन	,, गोकुल चन्द जैन	,,	4
43.	,, रामस्वरूप जैन	,, गोकुल चन्द जैन	,,	4
44,	,, रामजी लाल सोनी	,, लखपति सोनी	,,	8
45.	,, राजेन्द्र कुमार	,, हरिविलास ब्रा,	,,	9
46,	,, नरायण सिंह ठाकूर	,, बुद्धसिह ठाकर	,,	13
47.	,, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	,, बाबू लाल शर्मा	,,	5
48.	,, गोपाल सिह	,, बाली सिंह ठाकुर	,,	13
49,	,, जनक सिह ठाकुर	,, बुद्धा सिह ठाकुर	,,	3
50.	श्रीमति मुन्नी देवी	,, महेश चन्द जैन	,,	8
51.	श्री ईश्वरी प्रसाद	,, भूरी सिह काछी	,,	7
52.	,, वेदन सिह	,, भूप सिंह काछी	,,	7
53.	,, प्रेम दास शर्मा	,, द्वारिका प्रसाद शर्मा	,,	5
54.	,, हरि दास शर्मा	,, गुलाब दास शर्मा	,,	5
55.	,, नानिक राम	,, जुम्मा हरिजन	,,	5
56.	,, भगवान सिंह	,, नकेसे खटीक	,,	5
57.	,, जयन्ती प्रसाद जैन	,, छोटे लाल जैन	,,	6
58.	,, राम लक्षिन ब्रा.	,, बंशीधर ब्रा,	,,	9
59.	,, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेडा (11 ग्यारह तहारतों का अनुदान)		वार्ड नं.	5
60.	रघुवीर प्रसाद	,, मूल चन्द ब्रा.	,,	8
61.	,, हरी ओम उदेनिया	,, नारायण दास ब्रा.	,,	8

1	2	3	4	
62.	श्री गनी खां	श्री सामलिया मुसलमान	वार्ड नं.	12
63.	श्री रफीख खां	श्री वदरखां	,,	8
64.	जनक सिंह ठाकुर	,, दुर्गा प्रसाद ठाकुर	,,	6
65.	,, रामसिंह ठाकुर	,, दुर्गा प्रसाद ठाकुर	,,	6
66.	,, सूवेलाल	,, चूरामन जाटव	,,	12
67.	,, श्रवण कुमार	,, गोपीशरन ब्रा.	,,	8
68.	,, सतीश चन्द	,, नत्थी लाल गुप्ता	,,	13
69.	,, ओम प्रकाश राठौर	,, राम लक्षिन राठौर	,,	6
70.	,, चन्दन सिंह ब्रा.	,, पुनीत राम ब्रा.	,,	6
71.	,, मुन्नी लाल सोनी	,, लखपति सोनी	,,	8
72.	,, रघुवीर प्रसाद ब्रा.	,, मानिक चन्द ब्रा	,,	8
73.	,, हर प्रसाद ब्रा.	,, कल्ला राम ब्रा.	,,	8
74.	,, डाल चन्द ब्रा.	,, जीवा राम ब्रा.	,,	8
75.	,, छविराम ठाकुर	,, सोन पाल ठाकुर	,,	9
76.	,, मोहन सिंह	,, पुनीत राम	,,	6
77.	,, सुमति चन्द जैन	,, चिरंजी लाल जैन	,,	5
78.	,, रघुवर दयाल शर्मा	,, छिट्टूराम शर्मा	,,	5
79.	श्रीमति मिथलेश शर्मा	,, रमेश चन्द शर्मा	,,	4
80.	श्री उत्तम कुमार	,, वृजकिशोर	,,	9
81.	,, रामचरन जाटव	,, बिरखा राम जाटव	,,	3
82.	,, जगन्नाथ दीक्षत	,, कृपाराम दीक्षित	,,	9
83.	,, भागचन्द जैन	,, भुन्नी लाल जैन	,,	8
84.	,, सुमति चन्द जैन	,, झुन्नी लाल जैन	,,	8
85.	,, राजेन्द्र प्रसाद दीक्षत	,, कृपाराम दीक्षत	,,	9

1	2	3	4
86.	एस.एच. ओ. पुलिस थाना राजाखेडा (4 तहारत हेतु अनुदान)		वार्ड नं. 5
87.	,, सीताराम ठाकुर	,, गिरन्द सिह ठाकुर	,, 11
88.	,, नत्थी लाल गुप्ता	,, रामस्वरूप गुप्ता	,, 6
89.	,, दुर्गा प्रसाद गुप्ता	,, केदार नाथ गुप्ता	,, 12
90.	,, निरोत्तम सिंह ठाकुर	,, दोजी लाल ठाकुर	,, 8
91.	,, हीरा सिंह ठाकुर	,, पंचम सिंह ठाकुर	,, 4
92.	,, विश्व नाथ गुप्ता	,, नत्थी लाल गुप्ता	,, 6
93.	,, राम खिलाडी ब्रा.	,, देवी प्रसाद ब्रा.	,, 11
94.	,, ओम प्रकास ब्रा.	,, देवी प्रसाद ब्रा.	,, 11

नोट :---विकास अधिकारी को 11 (ग्यारह) रिहायसी क्वार्ट्स एवं एस. एच. ओ. को 4 (चार) रिहायसी हेतु क्वार्ट्स अनुदान दिया गया इस प्रकार 94 + 13 = 107 कुल

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची)

राज्य में खाद्य मिलावट की रोकथाम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के लागू करने एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रणाली निर्धारित करने हेतु एक सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची—

1	2	3
1.	स्वास्थ्य मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य सचिव राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर	,,
4.	खाद्य (स्वास्थ्य प्राधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक,(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएें, राजस्थान, जयपुर।	,,
5.	प्रतिनिधि, राजस्थान प्रदेश खुदरा विक्रय संघ	,,
6.	प्रतिनिधि, परचूनी किराना विक्रय संघ	,,
7.	प्रतिनिधि, राजस्थान हलवाई संघ	,,
8.	प्रतिनिधि, मैन्युफैक्चरार ऐसोसियेशन वनस्पति घी	,,
9.	प्रतिनिधि सिटीजन कौंसिल, जयपुर	,,

1	2	3
10.	प्रतिनिधि इनरव्हील, जयपुर	सदस्य
11.	प्रतिनिधि कन्ज्यूमर कोपरेटिव	"
12.	उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर सदस्य सचिव	